UGC CARE LISTED JOURNAL

ISNN: 2321-0443

ज्ञान गरिमा सिंधु

(त्रैमासिक पत्रिका)

अंक-80

अक्टूबर-दिसम्बर-2023

सत्यमेव जयते

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग

शिक्षा मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

भारत सरकार

COMMISSION FOR SCIENTIFIC AND TECHNICAL TERMINOLOGY

MINISTRY OF EDUCATION

(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

GOVERNMENT OF INDIA

UGC CARE LISTED JOURNAL ISSN: 2321-0443

ज्ञान गरिमा सिंधु

(त्रैमासिक पत्रिका)

अंक-80

अक्टूबर-दिसम्बर-2023

सत्यमेव जयते

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग

शिक्षा मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

भारत सरकार

COMMISSION FOR SCIENTIFIC AND TECHNICAL TERMINOLOGY

MINISTRY OF EDUCATION

(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

GOVERNMENT OF INDIA

'ज्ञान गरिमा सिंधु' मानविकी और सामाजिक विज्ञान की एक त्रैमासिक पत्रिका है। पत्रिका का उद्देश्य हिंदी माध्यम से विश्वविद्यालयी एवं अन्य विद्यार्थियों के लिए मानविकी और सामाजिक विज्ञान संबंधी उपयोगी एवं अद्यतन पाठ्य पुस्तकीय तथा संपूरक साहित्य की प्रस्तुति है। इसमें वैज्ञानिक लेख, शोध-लेख, तकनीकी निबंध, शब्द-संग्रह, शब्दावली- चर्चा, पुस्तक समीक्षा आदि का समावेश होता है।

लेखकों के लिए निर्देश:

- लेख की सामग्री मौलिक, अप्रकाशित तथा प्रामाणिक होनी चाहिए।
- लेख का विषय मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विषयों से संबंधित होना चाहिए।
- लेख सरल हों जिसे विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय के छात्र आसानी से समझ सकें।
- लेख लगभग 2000 से 3000 शब्दों का हो।

प्रकाशन हेतु विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट http://cstt.education.gov.in/en पर उपलब्ध है।

पत्रिका का शुल्क:	**भारतीय मुद्रा**	**विदेशी मुद्रा**
सामान्य ग्राहकों/संस्थाओं के लिए प्रति अंक	**Rs 14.00**	**पौंड 1.64 डॉलर 4.84**
वार्षिक चन्दा	**Rs 50.00**	**पौंड 5.83 डॉलर 18.00**
विद्यार्थियों के लिए प्रति अंक	**Rs 8.00**	**पौंड 0.93 डॉलर 10.80**
वार्षिक चन्दा	**Rs 30.00**	**पौंड 3.50 डॉलर 2.88**

वेबसाइट : www.cstt.education.gov.in

कॉपीराइट : ©2022

प्रकाशक :
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग
शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार,
पश्चिमी खंड -7 रामकृष्णपुरम,
नई दिल्ली - 110066

बिक्री हेतु पत्र-व्यवहार का पता :
प्रभारी अधिकारी, बिक्री एकक
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली
आयोग,
पश्चिमी खंड -7, रामकृष्णपुरम,
नई दिल्ली-110066
टेलीफोन - (011) 20867172
फैक्स - (011) 26105211/246

बिक्री स्थान :
प्रकाशन नियंत्रक, प्रकाशन विभाग
भारत सरकार,
सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054

पत्रिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। इनसे संपादक मंडल की सहमति आवश्यक नहीं है।

अध्यक्ष की कलम से...

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग विभिन्न वैज्ञानिक, तकनीकी, उच्चतर शिक्षा एवं मानविकी आदि से संबद्ध क्षेत्रों में तैयार की गई शब्दावली का समुचित प्रयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तथा वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेखन को प्रोत्साहित करने हेतु `ज्ञान गरिमा सिंधु ’पत्रिका का प्रकाशन करता आया है। आयोग द्वारा समय-समय पर इस पत्रिका के कुछ विषय-केंद्रित विशेषांकों का प्रकाशन किया जाता रहा है। इसी श्रृंखला में पत्रिका के अंक- 80 (अक्टूबर-दिसम्बर, 2023) को अपने सुधी पाठकों एवं लेखकों को उपलब्ध कराते हुए मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। प्रस्तुत अंक में भी सामाजिक विज्ञान और मानविकी के विविध विषयों से संबंधित लेखों को सम्मिलित किया गया है।

बहुविषयक प्रकृति वाले इस अंक में एक ओर जहाँ भारतीय ज्ञान परम्परा से संबंधित विविध लेखों यथा संस्कृत साहित्य और विशेष रूप से *ऋग्वेद में स्त्रियों की दशा और दिशा, भगवद्गीता में वर्णित न्याय की संकल्पना, लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत* को स्थान दिया गया है तो वही *राज्यपाल के पद का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, वैश्विक आतंकवाद का समकालीन परिप्रेक्ष्य, पंचायती राज व्यवस्था के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयाम का वर्तमान परिप्रेक्ष्य, जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक संघर्ष के विविध आयाम*, आदि राजनीति विज्ञान परक लेखों को भी चयनित किया गया है। *सभी के लिए समान गुणवत्ता वाली शिक्षा, भारत में उच्च शिक्षा पर नई शिक्षा नीति 2020 का विश्लेषण और उसका प्रभाव, तकनीकी केन्द्रित शिक्षा ही है देश का भविष्य* जैसे शिक्षा परक लेखों के साथ *केरल के किन्नरों का समाजशास्त्रीय अध्ययन, उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति के विकास के संदर्भ में केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई प्रमुख नीतियों व व्यवस्थाओं का विवेचनात्मक अध्ययन* आदि जनजातीय अध्ययन से संबंधित लेख भी उल्लेखनीय हैं।

पत्र-पत्रिकाएँ न केवल संस्था-विशेष के ज्ञान एवं वैशिष्ट्य का परिचायक होती हैं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर अलग-अलग क्षेत्रों में हो रहे महत्वपूर्ण नीति-निर्माण, अनुसंधानों तथा शोध-कार्यों का एक समेकित व जनोपयोगी सार्थक मंच भी प्रस्तुत करती हैं।`ज्ञान गरिमा सिंधु ’का उद्देश्य मूलतः हिंदी में मानविकी व सामाजिक विज्ञान विषयक लेखन को प्रचारित-प्रसारित करना है, जिसका कार्यान्वयन व अनुपालन पत्रिका अपने प्रत्येक अंक में करती रही है। पत्रिका का यह अंक कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण व संग्रहणीय है। देश भर से विभिन्न विषयों पर चिंतन-मनन करने वाले विभिन्न मनीषियों के विविध-विषयक सारगर्भित आलेख प्रस्तुत अंक में संकलित हैं।

यह महत्वपूर्ण अंक आपको समर्पित करते हुए मैं देश के प्रतिनिधि विश्वविद्यालयों, तकनीकी, वैज्ञानिक एवं अन्य संस्थानों के अध्यापकों, वैज्ञानिकों एवं अधिकारियों से अपेक्षा करता हूँ कि वे आयोग के विशेषज्ञ विद्वानों के सहयोग से तैयार की गई प्रामाणिक व मानक शब्दावली के अधिकाधिक प्रयोग के माध्यम से इसे सर्वजन-सुलभ बनाने में अपना सार्थक योगदान दें। साथ ही मैं विद्वानों, शोधार्थियों, अन्य लेखकों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि वे इस पत्रिका के लिए आलेख लिखें। आयोग की शब्दावलियाँ https://shabd.education.gov.in/ पर खोज प्रक्रिया में उपलब्ध हैं। जहाँ से आयोग द्वारा निर्मित आधिकारिक शब्दावली को प्राप्त करके आलेख लिखे जा सकते हैं।

प्राप्त आलेखों को सम्पादित कर प्रकाशन योग्य तैयार करने का उत्तरदायित्व डॉ.शाहजाद अहमद अंसारी ने बड़े मनोयोग से निभाया है। मैं इस पत्रिका के परामर्श एवं संपादन-समिति के प्रत्येक विशेषज्ञ तथा संपादक डॉ. शाहजाद अहमद अंसारी के प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हुए इस अंक के लेखकों को भी साधुवाद देता हूँ। सुधी पाठकों के अमूल्य सुझावों एवं सहयोग की प्रतीक्षा रहेगी।

प्रो. गिरीश नाथ झा
अध्यक्ष
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग

सम्पादकीय

`ज्ञान गरिमा सिंधु 'का 80 वाँ अंक आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। यह अंक स्वयं में विशिष्ट है। प्रस्तुत अंक में सामाजिक विज्ञान व मानविकी के विविध पक्षों से संबंधित आलेखों को समाहित किया गया है।

प्रस्तुत अंक में संविधान निर्माण में महिलाओं का योगदान, महिला सशक्तीकरण की दिशा में- नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, भारत में लैंगिक संवेदीकरण, भारत में संयुक्त परिवार व्यवस्था, भारत का अमृत काल: प्रधानमंत्री के 'पंच प्रण 'संकल्प पर आधारित एक विश्लेषणात्मक अध्ययन, भारत में सामाजिक न्याय की दिशा में नरेन्द्र मोदी सरकार की शासकीय नीति एवं कार्यक्रम, सामाजिक लोकतंत्र के साधन के रूप में भारतीय संविधान, आदि राजनीति विज्ञान परक लेखों के साथ-साथ असम के परिप्रेक्ष्य में स्नातकोत्तर स्तर पर शैक्षणिक लेखन से संबंधित मुद्दों पर एक अध्ययन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में ऑनलाइन एवं दूरस्थ माध्यम से समतामूलक समावेशी उच्च शिक्षा आदि शिक्षापरक लेखों को भी स्थान दिया गया है। भारत में जनजाति विकास: सिद्दी समुदाय के विशेष परिप्रेक्ष्य में, तकनीकी केन्द्रित शिक्षा ही है देश का भविष्य, प्रेमचन्द और गाँधीवादी दर्शन, वैश्विक आतंकवाद का समकालीन परिप्रेक्ष्य, भगवद्गीता में वर्णित न्याय की संकल्पना, आदि लेख भी अत्यन्त उल्लेखनीय हैं। स्वयं- एम. ओ. ओ. सी. (मूक) का योगदान, केरल के किन्नरों का समाजशास्त्रीय अध्ययन, उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति के विकास के संदर्भ में केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई प्रमुख नीतियों व व्यवस्थाओं का विवेचनात्मक अध्ययन, भरतनाट्यशास्त्र के लिए सूचना प्रणाली का विकास, 1857 एवं दशनामी सन्यासी, ईरान की हाइब्रिड युद्ध नीति, आदि लेख भी विशेष रूप से पठनीय हैं।

अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार एवं उनके द्वारा 'ज्ञान गरिमा सिन्धु 'के इस अंक हेतु प्राप्त आलेखों के मूल्यांकन, संयोजन एवं सम्पादन का अवसर मिला। यद्यपि अत्यल्प समय में इसके मूल्यांकन व सम्पादन का कार्य वास्तव में कठिन था, तथापि नित्य-प्रति के प्रयासों और विशेषज्ञ-समिति के सहयोग से आलेखों का मूल्यांकन, सम्पादन एवं प्रूफ-शोधन प्रारंभ हुआ। प्राप्त कुल साठ से अधिक आलेखों में से सम्पादित एवं चयनित कर इस अंक हेतु इकत्तीस आलेखों को स्थान दिया गया है, जिसे क्रमवार प्रस्तुत किया गया है ताकि विषय की समेकित समझ बन सके।

मैं सभी लेखकों एवं परामर्श- संपादन समिति के सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ।

मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के प्रति कृतज्ञ हूँ, जिनके मार्गदर्शन व प्रोत्साहन से यह कार्य नियत समय पर निष्पादित हो सका। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रस्तुत अंक पाठकों के लिए लाभदायक एवं उपयोगी सिद्ध होगा। विद्वत समाज और सुधी पाठकों के सुझाव की प्रतीक्षा रहेगी।

डॉ. शाहजाद अहमद अंसारी
सहायक निदेशक (विषय),
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग

परामर्श मंडल

प्रो. रजनीश शुक्ल — अध्यक्ष

कुलपति, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

प्रो. नागेश्वर राव — सदस्य

निदेशक, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान
राष्ट्रपति निवास, शिमला-171005

प्रो. श्रीनिवास वरखेड़ी — सदस्य

कुलपति, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

प्रो.राजेश्वरी पंढरीपांडे — सदस्य

सेवानिवृत्त प्रो.अरबाना इलिनोइस विश्वविद्यालय शैम्पेन, यूएसए

प्रो. धनंजय कुमार सिंह — सदस्य

सदस्य सचिव, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली -110067

प्रो. सच्चिदानंद मिश्र — सदस्य

सदस्य-सचिव, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली - 110 062

प्रो (डॉ.) रवि प्रकाश टेकचंदानी — सदस्य

निदेशक, राष्ट्रीय सिंधी भाषा प्रचार परिषद, दिल्ली – 110066

डॉ. मिथिलेश मिश्र — सदस्य

निदेशक,दक्षिण एशियाई भाषा समन्वयक
अरबाना - केंपेन इलिनोइस विश्वविद्यालय
अरबाना, आईएल 6180

प्रो. अनिल जोशी — सदस्य

अध्यक्ष, केंद्रीय हिंदी संसथान, आगरा

परामर्श एवं सम्पादन मंडल

प्रधान सम्पादक
प्रोफेसर गिरीश नाथ झा
अध्यक्ष

सम्पादक
डॉ. शाहजाद अहमद अंसारी,
सहायक निदेशक (विषय)

सम्पादन समिति

प्रो. पवन कुमार शर्मा
राजनीति विज्ञान विभाग,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ (उ. प्र.)

प्रो. राजेन्द्र कुमार पाण्डेय
प्राचार्य, देशबंधु महाविद्यालय,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

प्रो. प्रवीण कुमार झा
शहीद भगत सिंह महाविद्यालय,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

प्रो. शांतेष कुमार सिंह
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, संगठन और कूटनीति अध्ययन केंद्र,
अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान,
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली

प्रो. प्रवीण कुमार तिवारी
शिक्षा विभाग (केन्द्रीय शिक्षा संस्थान),
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

प्रो. गौरव सिंह
केंद्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान,
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, दिल्ली

प्रूफ़ शोधन
शाईस्ता
शोध छात्रा, राजनीति विज्ञान विभाग,
जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	आलेख शीर्षक	लेखक	पृ. सं.
1.	*संस्कृत साहित्य मे स्त्रियों की दशा और दिशा: ऋग्वेद के विशेष संदर्भ में*	पवन कुमार शर्मा	1-8
2.	*राज्यपाल के पद का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य*	प्रवीण कुमार झा, संगीता	9-19
3.	*संविधान निर्माण में महिलाओं का योगदान*	दिनेश कुमार गहलोत	20-30
4.	*भारत में सयुंक्त परिवार व्यवस्था: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन*	बालू दान बारहठ	31-40
5.	*प्रेमचन्द और गाँधीवादी दर्शन*	जी. शान्ति	41-49
6.	*महिला सशक्तीकरण की दिशा में- नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023*	समीक्षा चंद्राकर, रानू अग्रवाल	50-56
7.	*भगवद्गीता में वर्णित न्याय की संकल्पना: वर्तमान के सामाजिक न्याय की दृष्टि से*	मानसी त्यागी, रजत कोहली	57-63
8.	*पंचायती राज व्यवस्था के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयाम का वर्तमान परिप्रेक्ष्य*	धनंजय यादव	64-73
9.	*जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक संघर्ष के विविध आयाम*	विवेक मिश्र	74-82
10.	*सभी के लिए समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना: स्वयं-एम. ओ. ओ. सी. (मूक) का योगदान*	रश्मि चौहान	83-93
11.	*भारत: लोकतंत्र की जननी*	विकास मिश्र	94-103
12.	*केरल के किन्नरों का समाजशास्त्रीय अध्ययन*	सनोज पी. आर.	104-108
13.	*भरतनाट्यशास्त्र के लिए सूचना प्रणाली का विकास*	कीर्ति देवांशी त्रिपाठी, आरूषि निगम, सुचित्रा भारती, अवधेश प्रताप सिंह,	109-115

		सुभाष चन्द्र	
14.	*1857 एवं दशनामी सन्यासी*	काव्या	116-122
15.	*तकनीकी केन्द्रित शिक्षा ही है देश का भविष्य!!!*	गौरव सिंह	123-129
16.	*भारत का अमृत काल: प्रधानमंत्री के 'पंच प्रण' संकल्प पर आधारित एक विश्लेषणात्मक अध्ययन*	सागर जोशी, एम. एम. सेमवाल	130-136
17.	*ईरान की हाइब्रिड युद्ध नीति*	प्रकाश जांगिड़	137-143
18.	*भारत में सामाजिक न्याय की दिशा में नरेन्द्र मोदी सरकार की शासकीय नीति एवं कार्यक्रम: एक अवलोकन*	अशोक कुमार	144-157
19.	*सामाजिक लोकतंत्र के साधन के रूप में भारतीय संविधान*	सरोज कुमार, बालू दान बारहठ	158-164
20.	*भारत में उच्च शिक्षा पर नई शिक्षा नीति 2020 का विश्लेषण और उसका प्रभाव*	मो. वसीम अख्तर, मो. शाकिर अली, मुजफ्फर इस्लाम	165-176
21.	*वैश्विक आतंकवाद का समकालीन परिप्रेक्ष्य*	राजेन्द्र कुमार पाण्डेय	177-187
22.	*असम के परिप्रेक्ष्य में स्नातकोत्तर स्तर पर शैक्षणिक लेखन से संबंधित मुद्दों पर एक अध्ययन*	प्रतीक्षा कश्यप शर्मा, मोहम्मद असिफ, यास्मीन सुल्ताना	188-212
23.	*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में ऑनलाइन एवं दूरस्थ माध्यम से समतामूलक समावेशी उच्च शिक्षा: संभावनाएं एवं चुनौतियाँ*	अखिलेश कुमार, कृष्ण कान्त त्रिपाठी, रजनी रंजन सिंह	213-218
24.	*सर्वोदय – अंत्योदय की संकल्पना सर्वसमावेशी विकसित भारत का आधार*	मंगल देव, शंभु नाथ दुबे	219-232
25.	*शीतयुध्द के बाद भारत-अमरीका सम्बन्धों का अध्ययन*	वैष्णवी जौहरी, अनुपमा सिंह	233-243
26.	*उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति के विकास के संदर्भ में केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई प्रमुख नीतियों व व्यवस्थाओं का विवेचनात्मक अध्ययन*	दीपाली गुप्ता, प्रवीण कुमार तिवारी	244-253

27.	*भारत में जनजाति विकास: सिद्दी समुदाय के विशेष परिप्रेक्ष्य में*	मनीष कर्मवार, स्मिता	254-260
28.	*विश्व मानवाधिकार दिवस: भारतीय परिपेक्ष*	गणेश मल्होत्रा	261-266
29.	*हरित शासन सुनिश्चित करने में मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) की भूमिका*	मो मुकर्रम बदर खान, शमीना खान, शकूर बशीर	267-275
30.	*बिहार में मद्यनिषेध का सामाजिक प्रभाव: पूर्वी चंपारण जिले के विशेष सन्दर्भ में अध्ययन*	आशुतोष शरण, सुनील महावर	276-290
31.	*भारत में लैंगिक संवेदीकरण: भारतीय संविधान की भूमिका*	भानु प्रताप सिंह, चेतना चौधरी, भरत प्रताप सिंह	291-302

अध्याय-1

संस्कृत साहित्य मे स्त्रियों की दशा और दिशा: ऋग्वेद के विशेष संदर्भ में

पवन कुमार शर्मा
आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ – 250004

ऋग्वेद सृष्टि के प्राचीनतम साहित्य के रूप में विश्व में प्रतिष्ठापित है।[1] इसमें कुल 10 मंडल 1028 सूक्त और 10058 ऋचाएं हैं। ऋचाओं को मंत्र के रूप में भी जाना जाता है। ऋग्वेद का समाज ज्ञान, कृषि, उत्पादन, विपणन और संपोषणीयता पर अवलंबित समाज के रूप में सक्रिय था। ऋग्वेद के मंत्र ब्रह्मांडीय ज्ञान के रूप में लोक के सम्मुख उपस्थित हुए, इसलिए इन्हें अपौरुषेय भी कहा जाता है। ऋग्वेद के विषय में कई भ्रांतियां लोक में व्याप्त हैं जैसे यह वेद स्त्रियों के लिए वरेण्य नहीं हैं या इनका पठन-पाठन स्त्रियों के लिए निषिद्ध था; जबकि वास्तविकता इसके विपरीत है। वेदों की ऋचाओं के संकलन में महिलाओं का भी अन्य ऋषियों की भांति प्रमुख योगदान रहा है। इन मंत्रों में दृष्टा महिलाओं को ऋषिका कहा गया है। ऋग्वेद में 24 ऋषिकाओं और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का मंत्र दृष्टा के रूप में उल्लेख मिलता है। वाल्मीकि रामायण में भी सीता जी के पूर्व जन्म का नाम वेदवती,[2] जो कि स्वयं वेदज्ञ भी थी, पाया जाता है। ऋग्वेद की 24 ऋषिकाओं ने 224 मंत्र और अथर्ववेद की 5 ऋषिकाओं ने 198 मंत्रों की रचना की है। इस प्रकार ऋषिकाओं के द्वारा कुल 522 मंत्र दृष्टव्य होते हैं। अतएव, एक भ्रांत धारणा जो भारतीय समाज में लंबे समय से प्रचलित रही है, को प्रमाण सहित अध्येताओं के सम्मुख प्रस्तुत करना इस शोध-पत्र का प्रमुख उद्देश्य है। इस शोध पत्र के माध्यम से अध्येता यह समझ सकेंगे कि किस प्रकार वेदों के काल में समाज में महिलाएं सम्मानित थीं और वे पुरुषों की भांति समाज के सभी क्रियाकलापों में समान भाव से सहभाग करती थीं और ऐसी स्थिति बहुत लंबे समय तक रही। सामाजिक दायित्वों के निर्वहन की भूमिका बदलने और बाह्य हस्तक्षेप के कारण ये स्थिति कब परिवर्तित हुई, इस पर प्रमाणिक शोध की आवश्यकता है। इस शोध पत्र की प्रस्तुति ऋग्वेद के आधार पर की जा रही है।

ऋग्वेद की ऋषिकाएं – जैसा कि हमनें पूर्व में भी उल्लेख किया है कि ऋग्वेद में कुल 24 ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है। यहां पर सर्वप्रथम हम उनके नाम और दृष्टव्य मंत्रों की संख्या का उल्लेख करते हैं -

1. सूर्या सावित्री – इन्होनें 47 मंत्र रचे हैं जो कि 10वें मंडल के 85वें सूक्त के अंतर्गत आते हैं।
2. घोषा काक्षीवती – इनके द्वारा 28 मंत्र रचे गये हैं जो कि 10वें मंडल के 39वें व 40वें सूक्त के अंतर्गत वर्णित हैं।
3. सिकता निवावरी – इन्होंने 20 मंत्रों का दर्शन किया है जो कि 9वें मंडल के 86 वें सूक्त में उपलब्ध हैं।
4. इन्द्राणी - ये 17 मंत्रों की दृष्टा हैं और इनका उल्लेख 10वें मंडल के 86 वें और 145 वें सूक्त में किया गया है।

5. यमी वैवस्वती - इन्होनें 11 मंत्र रचे हैं, जो कि 10वें मण्डल के 10वें और 154 वें सूक्त में देखे जा सकते हैं।
6. दक्षिणा प्राजापत्या – ये 11 मंत्रों की दृष्टा हैं और 10 वें मंडल के 107 वें सूक्त में उल्लिखित हैं।
7. अदिति - इन्होनें 10 मंत्रों का दर्शन किया और ये 10 वें मंडल के 72 वें और चौथे मंडल के 18 वें सूक्त के सातवें मंत्र के रूप में वर्णित हैं।
8. वाक्आम्भृणी - ये आठ मंत्रों की दृष्टा हैं और इनका उल्लेख 10 वें मंडल के 125 वें सूक्त में उपलब्ध है।
9. अपाला आत्रेयी - सात मंत्र इनके द्वारा रचे गये हैं।
10. जुहू ब्रहमजाया- सात मंत्र।
11. अगस्त्य स्वसा - 6 मंत्र।
12. विश्ववारा आत्रेयी - 6 मंत्र।
13. उर्वशी- 6 मंत्र।
14. सरमा देवशुनी - 6 मंत्र।
15. शिखण्डिन्यो अप्सरसौ – 6 मंत्र।
16. पौलोमी सचि - 6 मंत्र।
17. देवजामय: इंद्रमातर:- 5 मंत्र।
18. श्रद्धा कामायनी - 5 मंत्र।
19. नदी -4 मंत्र।
20. सर्पराज्ञी – 3 मंत्र।
21. गोधा- 1 मंत्र।
22. शश्वती आंगिरसी - 1 मंत्र।
23. वसुक्रपत्नी- 1 मंत्र।
24. रोमशा ब्रहमवादिनी- 1 मंत्र।

वाक्आम्भृणी, श्रद्धा कामायनी और सूर्या सावित्री तथा रोमशा ब्रहमवादिनी इन चारों द्वारा रचित मंत्रो का अत्याधिक महत्व है। वाक्आम्भृणी द्वारा रचित मंत्र वाकसूक्त के नाम से जाने जाते हैं जिनमें वाक तत्व का शास्त्रीय विवेचन प्रस्तुत किया गया है। वाक तत्व के महत्व का परिचय इस सूक्त के माध्यम से सरलता से समझा जा सकता है। अम्भृण ऋषि की पुत्री जो कि ब्रह्म के साक्षात्कार से सम्पन्न है और सर्वात्म दृष्टि को अपने सूक्त के माध्यम से प्रकट कर रही हैं। इस सूक्त के माध्यम से वे स्वयं को ब्रह्मस्वरूप ही प्रतिपादित करते हुए समस्त जगत के कल्याण के भाव से अपने भावों को अभिव्यक्त करती हैं। वे एक से अनेक और अनेक से एक के संबंधों का निरूपण करते हुए स्वयं के विषय में कहती हैं कि मैं ही मित्र और वरुण को धारण करती हूं, मैं ही दोनों अश्वनी कुमारों को धारण व पोषण करती हूं। मैं ही शत्रु नाशक, काम आदि दोष निवर्तक, परम आह्लाददायी, यज्ञगत सोम, चंद्रमा, मन अथवा शिव का भरण पोषण करती हूं। जो यजमान सोमयज्ञ के द्वारा देवताओं को तृप्त करने के लिए हाथ में हविष्य लेकर हवन करते हैं उसे लोक-परलोक में सुखकारी फल देने वाली मैं ही हूं। ब्रह्म से अनुप्राणित होकर, वे स्वयं को राष्ट्री

(समाज की वह चेतन शक्ति जिसकी अनुभूति के बाद कुछ भी बोलना व सुनना निरर्थक है) यानि जगत की संचालक शक्ति और सभी इस चेतन शक्ति के उपासकों को वे अभीष्ट धन प्रदायक हैं। जिज्ञासुओं के साक्षात कर्तव्य परमब्रह्म को अपनी आत्मा के रूप में अनुभव कर लिया है, यानि वे कर्तव्यों के संपादन को ही परमब्रह्म की श्रेणी में रखकर विषय का निरूपण करती हैं। फिर वह कहती हैं जिनके लिए यज्ञ किए जाते हैं, उनमें मैं सर्वश्रेष्ठ हूं क्योंकि जगत के कल्याण की भावना ने उन्हें परमब्रह्म स्वरूपा बना दिया है (इसलिए वे सर्वश्रेष्ठ होने का उद्घोष करती हैं)। जगत के संपूर्ण प्रपंच के रूप में वे स्वयं को ही एक से अनेक के रूप में प्रतिष्ठापित करती हैं। संपूर्ण प्राणियों में वे स्वयं को ही विद्यमान मानती हैं। संपूर्ण जगत में देश-काल -परिस्थितियों के अनुरूप जो कुछ भी संपादित हो रहा है वह सब कुछ उन्हीं में से और उनके लिए ही किया जा रहा है। संपूर्ण विश्व में सभी प्राणियों के रूप में स्वयं को देखने के कारण जो कुछ भी संपादित हो रहा है वह सब उन्हीं से है यानि वे ही जगतनियंता, कर्ता और भोक्ता हैं।[3]

परमब्रह्म की प्रतीति के कारण वे भोक्ता, कर्ता और नियामक की स्थिति में हैं, फिर वे आगे कहती हैं कि जो मेरे इस घट-घट वासी स्वरूप को नहीं जानते वे अज्ञानी, दीनहीन और क्षीण हो जाते हैं। इस प्रकार वे सर्वात्म स्वरूप का निरूपण करती हैं और श्रद्धा के महत्व का भी प्रतिपादन करती हैं।

वे स्वयं इस ब्रह्मात्मक स्वरूप का उपदेश करती हैं। इस स्वरूप का देवताओं और मनुष्यों ने सेवन किया है, वे यह दावा करती हैं। वे स्वयं ब्रह्म हैं, वे जिसकी रक्षा करती हैं उसे सर्वश्रेष्ठ बना देती हैं, वे आगे कहती हैं कि मैं चाहूं तो उसे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा बना दूं, अतिन्द्रियार्थ ऋषि बना दूं और उसे बृहस्पति के समान सुमेधा बना दूं। मैं स्वयं अपने स्वरूप ब्रह्मअभिन्न, यानि जो स्वयं ब्रह्म है, आत्मा का गान कर रही हूँ। इस प्रकार वे ब्रह्म की प्रतिष्ठापना करते हुए स्वयं ब्रह्म होने तक की यात्रा का निरूपण करती हैं। स्त्री की इससे अधिक परमसत्ता का दर्शन अन्यत्र असंभव है। इसी प्रकार के अन्य सूक्त, जो की स्त्रियों के द्वारा रचे गए हैं, में भी ऐसे ही वर्णन देखने को मिलते हैं जैसे श्रद्धा और कामायनी द्वारा लिखित सूक्त, जो की श्रद्धा सूक्त के नाम से जाना जाता है, में श्रद्धा की महत्ता की प्रतिष्ठापना करते हुए सभी देवताओं में समत्व के भाव की अभिव्यक्ति करती हैं, वे कहती हैं कि श्रद्धा में ही अग्निहोत्र की अग्नि प्रदीप्त होती है, श्रद्धा से ही हवि की आहुति अग्नि में दी जाती है, धन ऐश्वर्य में सर्वोपरि श्रद्धा की हम स्तुति करते हैं। फिर आगे वे श्रद्धा के महत्व में आस्थावान होकर दाता के लिए हितकर अभीष्ट फल की प्राप्ति की प्रार्थना करती हैं, फिर वे आगे कहती हैं कि जो भोग ऐश्वर्य प्राप्त करने के इच्छुकों के प्रति प्रार्थना करते हैं उन्हें भी अभीष्ट फल प्रदान करें। फिर वे आगे कहती हैं कि मनुष्य बलवान वायु से रक्षण प्राप्त करके देव और मनुष्य श्रद्धा की उपासना करते हैं। इसलिए सर्वत्र कल्याण के दर्शन के लिए हम श्रद्धावान बनें।[4] श्रीमद्भगवद्गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने श्रद्धा के महत्व का प्रतिपादन किया है।[5] इस प्रकार ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की जो स्थिति है वह स्तुत्य, प्रशंसनीय और आधुनिक काल में अनुकरणीय है।

श्रद्धा कामायनी का सूक्त मनोविज्ञान की दृष्टि से अत्याधिक महत्वपूर्ण है, मन की गति और मति को इसके माध्यम से सुगमता से समझा जा सकता है।

सनातनी परम्परा में प्रचलित 16 संस्कारों में से एक विवाह संस्कार का वर्णन सूर्या सावित्री के सूक्तों में पाया जाता है यह सूक्त भारतीय संस्कृति का परिचयात्मक सूत्र है जो कि सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है।[6] इसे सोमसूर्या सूक्त भी कहा जाता है।

रोमशा ब्रहमवादिनी के मंत्रो के माध्यम से अध्यात्म विद्या के स्वरूप को सुगमता से समझा जा सकता है। इस प्रकार से समाज के महत्वपूर्ण विषयों का निरूपण भी महिलाओं के द्वारा वैदिक परम्परा में बिना किसी भेदभाव के प्रस्तुत किया जाता था, यह वैदिक समाज के श्रेष्ठत्व का परिचायक है। महिलाओं की दशा और दिशा वैदिक साहित्य में किसी भी प्रकार से पुरुषों से कम नहीं थी, ये मंत्र इसी बात का परिचय देते हैं।

महिलाओं के विभिन्न रूप –

ऋग्वेद में पत्नी को ही घर की संज्ञा, कुलवृद्धि का आधार माना गया है।[7] स्त्री आचार की शिक्षिका के रूप में भी प्रतिष्ठापित थी क्योंकि उसे ज्ञान का स्रोत कहा गया है।[8] स्त्री को ससुराल में साम्राज्ञी के रूप में प्रतिष्ठापित किया गया है।[9] स्त्री को मंगलकारिणी भी कहा गया है।[10] यहीं पर स्त्री और पुरुष दोनों को गृह स्वामिनी के रूप में प्रतिष्ठापित कर घर परिवार की वृद्धि का कारक बताया गया है।[11] स्त्री को सुन्दर वस्त्र और आभूषण प्रिय भी कहा गया है।[12] स्त्रियों को सौन्दर्यशाली और आकर्षण शक्ति के रुप में भी दर्शाया गया है।[13] स्त्रियों को स्वयंवर यानि अपने वर का स्वयं चयन करने वाली भी कहा गया है यानि स्त्री को वर चयन का स्वतंत्र अधिकार था।[14] स्त्री को सुंदर वस्त्र धारण करने वाली और आभूषण प्रिय एवं मनोहारी बताया गया है।[15] महिलाओं की सामाजिक क्रियाकलापों में पुरुषों के साथ सहभागिता को इस मंत्र के माध्यम से सुगमता से समझा जा सकता है जिसमें ऋषि इन्द्र से प्रार्थना करते हुये कहते हैं कि हे इन्द्र ! तुम वरुण के साथ सोमरस पियो। हे स्तुति से प्रसन्न होने वाले इंद्र ! मरूत देवों के साथ सोमरस पियो। पहले पीने वाली, ऋतु के अनुकूल पीने वाली, रत्नों को धारण करने वाली दैवीय स्त्रियों के साथ सोमरस पियो। (सोमरस यानि शक्तिवर्धक पेय)[16] यह मंत्र महिलाओं की सामाजिक दशा और उनकी पुरुषों के समरूप अवस्था का परिचायक है। आगे स्त्री को ज्ञानियों में अग्रगण्य, स्त्रियों में मूर्धन्य और उच्च कोटि की वक्ता की घोषणा करते हुए बताया गया है। तथा विजयत्री स्त्री की इच्छा का अनुगमन उसका पति करे ऐसा भी उल्लेख किया गया है।[17]
इस प्रकार स्त्री को समाज में अग्रणी, मूर्धन्य, ओजस्वी वाणी में बोलने वाली तथा विजयनी और पति को वशवर्ती बताया गया है। ऋग्वेद में गुणशाली स्त्री को पुरुषों से श्रेष्ठ निरूपित किया गया है।[18] यहीं पर स्त्री को दूसरों के दु:खों को बांटने वाली, प्यासे और याचक की इच्छापूर्ति करने वाली और देव उपासना में संलग्न रहने वाली को कृपण पुरुषों से श्रेष्ठ बताया गया है[19] स्त्री के समृद्धिशाली जीवन का परिचय इस मंत्र के माध्यम से सुगमता से समझा जा सकता है जिसमें स्त्री को मंच पर, पलंग पर एवं पालकी में सोने वाली बताया गया है तथा जो सुंदर इत्र का उपयोग करती है।[20] स्त्री को सबला के रूप में निरुपित करते हुये उसे वीर पुत्रों वाली, इंद्र की पत्नी व मरुतदेवों की मित्र के रुप में वर्णित किया है इससे स्त्री की शक्ति सामर्थ्य का सहज ही परिचय प्राप्त होता है।[21]

सैन्य रूप में नारी

ऋग्वेद में स्त्रियों की सेना का भी उल्लेख मिलता है, विश्व की प्रथम महिला रेजीमेंट का उल्लेख यहीं पर है। इस प्रकार की सेना सुर और असुर दोनों के यहाँ पायी जाती थी।[22] ऋग्वेद में स्त्री को शत्रुओं पर विजयशाली, शत्रुओं का नाश करने वाली तथा शत्रुओं से रहित होने वाली के रूप में भी उल्लेख हुआ है।[23] उसे निर्भीक और नेतृत्वकर्ता के रुप में भी दर्शाया गया है।[24] इतना ही नहीं उसे परिवार में भी अन्य स्त्रियों को विजयशाली होने के रूप में दर्शाया गया है।[25] उसे शत्रुहन्ता पुत्रों की माता, तेजस्वी पुत्री की माता और स्वयं विजयशील तथा पति पर अपना प्रभाव रखने वाली स्त्री के रूप में दर्शाया गया है।[26] यहीं पर उसे असुरों के साथ युद्ध करता हुआ बताया गया है इस युद्ध में

विपश्यला नाम की स्त्री जिसके कि पैर युद्ध करते हुये कट जाते हैं, का भी उल्लेख आया है। बाद में इस स्त्री के पैर लोहे के लगाये गये और पुनः पूर्व की भांति जीवन संचालित किया ।[27] मुदगलानि जो कि मुदगल ऋषि की पत्नी थीं, को भी युद्ध में रथ लेकर युद्ध करते हुए और गायों के विशाल समूह को घेरकर वापस लाते हुए उल्लिखित किया गया है।[28]

परिवार के सुख एवं वृद्धि के कारक के रुप में महिला

ऋग्वेद में स्त्री के सौभाग्य की तुलना उगते हुये सूर्य से करते हुये उसे पति को वशवर्ती कहा गया है।[29] यहीं पर वधू से यह अपेक्षा की गई है कि वह कोमल दृष्टि से देखे। पति के लिए, पशुओं के लिए हितकारिणी हो। उच्चमन वाली तेजस्विनी वीर प्रसूता, देवभक्त और हमारे परिवार और पशुओं के लिए सुखकारक हो।[30] ऋग्वेद में स्त्रियों के सामूहिक यज्ञ व युद्धों में जाने के भी उल्लेख मिलते हैं। वे न केवल सत्य, शील होती थीं, बल्कि वीर पुत्रों से युक्त भी होती थीं, इंद्राणी की पूजा होती थी, यह भी उल्लेख मिलता है।[31] पति के साथ, बैठकर यज्ञ करने का उल्लेख भी आता है।[32] यहीं पर स्त्री प्रतिदिन यज्ञ करती थीं यह भी वर्णन मिलता है[33] आभूषणों से सुसज्जित, सुंदर, सधवा और नीरोग तथा श्रृंगारशील पत्नियां सर्वप्रथम यज्ञशाला में प्रवेश करें ऐसे मंत्र भी उपलब्ध हैं।[34] यह मंत्र सती होने के निषेध की भी स्वतः घोषणा करता है यदि ऐसा न होता तो स्त्रियों के लिए सधवा का प्रयोग न होता। स्त्रियों के सर्वगुण संपन्नता और सर्वत्र सहभागिता और नेतृत्वकर्ता के उल्लेख बहुतायत में उपलब्ध हैं। उसे परिवार, समाज और राज्य की संवर्द्धक और हितपोषक के रूप में दर्शाया गया है।

मातृस्वरुपा देवियों का उल्लेख

वाग्देवी की महिमा का उल्लेख[35] सरस्वती माता का उल्लेख[36] सरस्वती माता का ज्ञान देवी के रूप में उल्लेख[37], सर्वसुख दात्री देवी के रूप में उल्लेख[38] असुरों की नाशक के रुप में उल्लेख[39] आता है। इड़ा (भूमिदेवी), सरस्वती (ज्ञानदेवी) और, वाग्देवी (महि) ये तीनों देवियाँ सुखदात्री हैं और कभी न त्रुटि करने वाली हैं[40] इन्हीं तीनों को वंदनीय देवी भी माना गया है।[41] इन्हें शुभ कर्म करने वाली भी माना गया है।[42] इन्हीं तीनों की यज्ञरक्षक के रूप में भी प्रार्थना की गयी है।[43]

इन्द्र, वरुण और अग्नि की पत्नियों का यज्ञ में भाग लेने हेतु आह्वान किया गया है।[44] इससे महिलाओं के यज्ञ में भाग लेने की पुष्टि होती है और वे पुरूषों की भांति सभी कार्यों में समभाव से सहभाग करती थीं, भी दृष्टिगोचर होता है। भाई बहिन के पावित्र्य को दृष्टिगत रखते हुये दोनों में दूरी और एक बिस्तर पर बैठने का निषेध किया गया है।[45] अविवाहित स्त्री को परिवार की सम्पत्ति में भाग की आधिकारिणी घोषित किया गया है।[46] यह मन्त्र स्त्रियों को विवाहित और अविवाहित रहने के अधिकार भी पुष्टि करता है। कुछ स्त्रियों के बारे में निषेधकारी बातें भी देखने में आती है जो कि उस काल के अनुसार हो सकता है उचित हो, किंतु देश काल परिस्थिति के अनुसार उनका परीक्षण करके व्यवहार करना चाहिये। पत्नी के सुख के लिए जुए का निषेध है।[47] इसलिए प्रत्येक पति को पत्नी के सम्मान के लिए जुए का त्याग कर देना चाहिये। इस प्रकार का निर्देश ऋग्वेद में स्पष्ट रूप से दिया गया है।

निष्कर्ष

स्त्री पुरुषों की ही भांति समान रूप से सम्मान और नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रतिष्ठापित थीं फिर भी यह सत्य अध्येताओं और समाज के सम्मुख उपस्थित नहीं हो सका। यह एक गंभीर चूक रही है। वैदिक साहित्य के विस्तार साहित्य में भी महिलाओं की दोनों भूमिकाओं का पर्याप्त मात्रा में उल्लेख मिलता है जिसमें वह समान भाव से शिक्षा, समाज, राज्य, युद्ध, राजनय में पुरुषों की भांति ही सहभागिता रखती थीं और स्वेच्छा से घरेलू कामकाज तक भी स्वयं को सीमित कर लेती थीं। किंतु ऐसा करने से उसकी भूमिका कमतर नहीं हो जाती थी। यह उसकी स्वैच्छिक वृत्ति थी जिसमें वह स्वयं को एक सीमा से बाहर नहीं निकालती थीं। उसकी यह भूमिका भी समाज के विस्तार में महत्वपूर्ण थी। इस प्रभावी भूमिका के निर्वहन के अभाव में समाज का विस्तार और संरक्षण असंभव था। महिलाओं की भूमिका का अध्ययन करने वाले अध्येताओं ने भारतीय महिलाओं की भूमिका का निरूपण भारतीय परिप्रेक्ष्य में न करके पाश्चात्य परिप्रेक्ष्य में ही किया। फलत: दृष्टिभेद होने के कारण परिणाम भी तदनुरूप ही आए और इस प्रकार भारतीय महिलाओं का समाज में स्थान पुरुषों का अनुसरण करने वाले समूह के रूप में मान्य हो गया। ऋग्वेद में स्त्रियां पुरुषों के समानांतर समस्त प्रकार के क्रियाकलापों में संलग्न रहती थीं। उपरोक्त वर्णन से हमें यह स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है, वे युद्ध करती थीं, यज्ञ करती थीं, कृषि करती थीं , मंत्रो की रचयिता भी थीं, वहीं वे उद्यमशीलता में भी अग्रणी भूमिका निर्वहन करती थीं। महिलाओं की दशा वैदिक काल में सर्वप्रकार से उन्नत थी, कालांतर में यह परिदृश्य परिवर्तित हो गया, क्या कारण थे इसकी मीमांसा होनी चाहिये। महिलाओं के वस्त्र बुनने के प्रमाण भी बहुतायत में मिलते हैं।[48] स्त्रियों का प्रणयपीड़ा का भी उल्लेख मिलता है[49] कुमारी स्त्रियों के प्रेमी और स्त्रियों के पति का उल्लेख भी मिलता है।[50] इस प्रकार से समाज के प्रत्येक क्रियाकलाप में स्त्रियां मुक्त भाव से सहभाग करने की अधिकारिणी थीं उन पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध वैदिक काल में तो नहीं था। इतनी भारी मात्रा में स्त्री स्वातन्त्र्य आज भी इन देशों में जिनको कि विकसित या एडवांस कहा जाता है कि स्त्रियों को भी प्राप्त नहीं है जितना कि वैदिक काल की स्त्रियों को था। अतएव, इसी दृष्टिकोण से वैदिक काल की स्त्रियों की भूमिका के निरूपण की आवश्यकता है तभी सही परिप्रेक्ष्य अध्येताओं के सम्मुख उपस्थित हो सकेगा।

संदर्भ सूची

1. प्रधान संपादक आचार्य बल्देव उपाध्या, संपादक-ब्रज बिहारी चौवे, संस्कृत वांगमय का बृहद इतिहास (प्रथम खण्ड) उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, द्वितीय संस्करण-2012.पृ० 5
2. वालमीकि रामायाण, गीता प्रेस गोरखपुर, 59वाँ संस्करण वि०सं० 2078 उत्तरकाण्ड, 17वाँ सर्ग
3. वैदिक सूक्त संग्रह-गीता प्रेस गोरखपुर दसवाँ संस्करण सं० 2074, पृ० 50-51
4. तदैव पृ० 210-11
5. श्रीमद भगवत गीता – 4/39
6. वैदिक सूक्त संग्रह-गीता प्रेस गोरखपुर- सं० 2074 पृ० 190-199
7. ऋग्वेद 3/53/4

8. तदैव- 8/33/9
9. तदैव- 10/85/46
10. तदैव- 5/53/6
11. तदैव- 10/85/42
12. तदैव- 1/124/7
13. तदैव- 8/6/29
14. तदैव- 10/271/2
15. तदैव- 8/26/13, 1/122/2
16. तदैव- 4/34/7
17. तदैव- 10/159/2
18. तदैव- 5/61/6
19. तदैव- 5/61/7
20. तदैव- 7/55/8
21. तदैव- 10/86/9
22. तदैव- 5/30/9
23. तदैव- 10/159/5
24. तदैव- 7/80/2
25. तदैव- 10/159/6
26. तदैव- 10/159/3
27. तदैव- 1 /112/10
28. तदैव- 10/102/2
29. तदैव- 10/159/1
30. तदैव- 10/85/44
31. तदैव- 10/86/10
32. तदैव- 1/83/3
33. तदैव- 7/1/6
34. तदैव- 10/18/7
35. तदैव- 10/125/5
36. तदैव- 2/41/16
37. तदैव- 6/61/4
38. तदैव- 1/164/49
39. तदैव- 6/61/3
40. तदैव- 5/5/8

41. तदैव- 3/4/8
42. तदैव- 10/110/8
43. तदैव- 2/3/8
44. तदैव- 1/22/12
45. तदैव- 10/10/12
46. तदैव- 2/17/7
47. तदैव- 10/34/2, 10/34/3, 10/34/4
48. तदैव- 5/47/6, 1/159/4, 10/130/2
49. तदैव- 1/126/7
50. तदैव- 1/66/4

अध्याय-2

राज्यपाल के पद का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य

प्रवीण कुमार झा
शहीद भगत सिंह कॉलेज,
दिल्ली विश्वविद्यालय

संगीता
शहीद भगत सिंह कॉलेज,
दिल्ली विश्वविद्यालय

भारत के संविधान ने अनुच्छेद 153 के तहत राज्यपाल का कार्यालय स्थापित किया है और उन्हें बहुत व्यापक शक्तियाँ सौंपी हैं जिनकी चर्चा भारतीय संविधान को भाग छ: के अनुच्छेद 152 से 162 के तहत विस्तार से की गई है। इन अनुच्छेदों ने न केवल राज्यपाल की शक्तियों, सीमाओं को विस्तृत बनाया है, बल्कि उनके कार्यालय को भी अत्यधिक विवादास्पद बना दिया है। इस लेख हेतु इन अनुच्छेदों से जुड़े उद्देश्यों और सीमाओं तथा विशेष रूप से हाल के वर्षों में राज्यपाल द्वारा निभाई गई भूमिका और उससे जुड़ी आलोचनाओं का विश्लेषण करना है।

जैसा कि अनुच्छेद 153 के तहत कहा गया है, 'प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा: तथा इस अनुच्छेद में कोई भी बात दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने से नहीं रोकेगी।' उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 155 के तहत 'अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत आदेश द्वारा' राज्य के कार्यकारी प्रमुख की भूमिका निभाने के लिए पांच साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है (अनुच्छेद 154)। अनुच्छेद 154 कहता है: 'राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग भारत के संविधान के अनुसार सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा।' राज्यपाल की नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया उसे राज्य में केंद्र सरकार का नामित व्यक्ति बनाती है। इस क्षमता में वह अग्रलिखित दोहरी भूमिका निभा रहे हैं:

- 'राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में मंत्रिपरिषद (सीओएम) की सलाह से बंधे हकर' (अनुच्छेद 163)
- 'संघ और राज्य सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी' के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए।

भारत के संविधान ने उन्हें शक्तियों की बहुत विस्तृत सूची सौंपी है जिसका प्रयोग उनके कार्यालय को बहुत शक्तिशाली और बहुत विवादास्पद भी बनाता है। इन विस्तृत शक्तियों को निम्नानुसार सूचीबद्ध किया गया है:

- **कार्यकारी शक्तियाँ-** राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ राज्यपाल की शक्तियों और कार्यों को संदर्भित करती हैं जिन्हें वास्तव में राज्यपाल के नाम पर मंत्रिपरिषद द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। परिणामस्वरूप, राज्यपाल केवल औपचारिक प्रमुख है, जबकि मंत्रिमण्डल वास्तविक कार्यकारी है। मुख्यमंत्री के सुझाव पर, राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान सेवा के लिए निम्नलिखित पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है: महाधिवक्ता, राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य राज्य मंत्रालय। उसके पास राष्ट्रपति को संवैधानिक आपातकाल की स्थिति घोषित करने की सिफारिश करने की शक्ति भी है। किसी राज्य में राष्ट्रपति के

शासनकाल के दौरान, राज्यपाल के पास महत्वपूर्ण प्रशासनिक शक्तियाँ होती हैं और वह राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कार्य करता है।

- **विधायी शक्तियाँ-** जब राज्यपाल को अनुमति के लिए कोई विधेयक (धन विधेयक के अलावा) दिया जाता है, तो वह या तो उसपर अपनी मंजूरी दे देता है, या फ़िर अपनी सहमति रोक लेता है, या विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदनों को लौटा देता है; यदि राज्य विधायिका द्वारा संशोधन के साथ या बिना संशोधन के कानून को दोबारा अधिनियमित किया जाता है, तो उसे या तो अपनी सहमति देनी होगी या राष्ट्रपति और कैबिनेट के विचार के लिए बयान सुरक्षित रखना होगा। यदि उन्हें लगता है कि राज्य सरकार विधान सभा में अपना बहुमत खो रही है, तो उस स्थिति में राज्यपाल के पास विधान सभा को बुलाने, स्थगित करने और भंग करने का अधिकार है।
- **वित्तीय शक्तियां-** विधानमंडल में वार्षिक वित्तीय खाता दाखिल करने के बाद ही उसका प्रस्ताव राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किया जा सकता है। जब तक राज्यपाल इसकी अनुशंसा नहीं करता तब तक कोई अनुदान अनुरोध नहीं किया जा सकता। अप्रत्याशित खर्चों को कवर करने के लिए आकस्मिक आरक्षित निधि से पैसा लिया जा सकता है। हर पांच साल में, वह नगर पालिकाओं और पंचायतों की वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए एक वित्त पैनल नियुक्त करता है।
- **न्यायिक शक्तियां-** राष्ट्रपति राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करते हैं।

राज्यपाल की विवादास्पद भूमिका

'हमारे संविधान ने निस्संदेह राज्यपाल को राष्ट्रपति के पद से भी अधिक छूट दी है। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार, राष्ट्रपति अपने कार्यों के अभ्यास में मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, जबकि राज्यपाल के लिए, अनुच्छेद 163(1) इस प्रकार पढ़ता है, "मंत्रिपरिषद के साथ एक मंत्रिपरिषद होगी।" मुख्यमंत्री को प्रमुख के रूप में, राज्यपाल को अपने कार्यों के अभ्यास में सहायता और सलाह देने के लिए, सिवाय इसके कि इस संविधान के तहत या उसके तहत अपने कार्यों या उनमें से किसी को अपने विवेक से निष्पादित करना आवश्यक है। इसके अलावा 163(2) के अनुसार, राज्यपाल का अपने विवेक से लिया गया निर्णय अंतिम होगा और राज्यपाल द्वारा किए गए किसी भी काम की वैधता पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।'[1]

ये प्रावधान स्पष्ट रूप से बताते हैं कि राज्यपाल के पास शासन के कुछ पहलुओं में निरंकुश और असीमित शक्तियाँ हैं। हालाँकि, ये विवेकाधीन शक्तियाँ असीमित नहीं हैं और इन्हें संविधान में ही वर्णित किया गया है और साथ ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसकी व्याख्या भी की गई है। विशेषकर ऐसे राज्यों में जहां केंद्र सरकार सत्ता में नहीं है, राज्यपाल और राज्य के मुख्यमंत्रियों की शक्तियों के बीच बहस का यही प्रमुख कारण रहा है। हाल ही में दिल्ली (सीएम और एलजी के बीच), केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, पंजाब और झारखंड राज्यों में समस्या

[1] Controversial role of Governor in state politics, https://www.tribuneindia.com/news/comment/

देखी गई है। राज्य में निर्वाचित सरकार और संबंधित राज्यपालों के बीच खींचतान बिल्कुल स्पष्ट है। पहले भी राज्य सरकारों और राज्यपाल के बीच मतभेद या विवाद होते रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में यह जिस हद तक आगे बढ़ चुका है वह बेहद चिंताजनक है। देश के पूर्व न्यायाधीशों ने भी इस प्रवृत्ति को "लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरनाक" बताया है। उधर, वाम दलों ने राज्यपाल के पद को "अप्रासंगिक" बताते हुए इसे खत्म करने की मांग की है। हमारे भारतीय संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो इन विवादों के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। ये हैं:

- **अनुच्छेद 155-** भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री या राज्य के विधायक से परामर्श किए बिना 5 वर्ष की अवधि के लिए राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति।
- **अनुच्छेद 167-** राज्यपाल राज्य के प्रशासनिक और विधायी मामलों के बारे में मुख्यमंत्री से जानकारी मांग सकता है।
- **अनुच्छेद 200-** राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है।
- **अनुच्छेद 356-** संवैधानिक मशीनरी की विफलता पर राज्यपाल राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है।
- **पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में** अपने कर्तव्यों का पालन करते समय (अतिरिक्त प्रभार के मामले में) राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है।
- **छठी अनुसूची-** राज्यपाल छठी अनुसूची क्षेत्रों (असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम) की सरकारों द्वारा खनिज अन्वेषण लाइसेंस से रॉयल्टी के रूप में एक स्वायत्त जनजातीय जिला परिषद को देय राशि निर्धारित कर सकते हैं।

इनके अलावा, कुछ अन्य परिस्थितिजन्य विवेकाधीन शक्तियां भी हैं जिनके कारण अक्सर राज्य में राज्यपाल और मुख्य मंत्रियों के बीच झगड़ा पैदा होता है। ये हैं:

- **त्रिशंकु विधानसभा (Hung Assembly) के दौरान-** जब किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत न हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है।
- **अविश्वास-** राज्यपाल मंत्रिपरिषद को राज्य विधानसभा में विश्वास खोने की स्थिति में बर्खास्त कर सकते हैं।
- **जब मंत्रिपरिषद अपना बहुमत खो देती है** तो राज्यपाल राज्य विधान सभा को भंग कर सकता है।
- **कार्यवाहक सरकार की नियुक्ति-** राज्यपाल नियमित सरकार चुने जाने या गठित होने तक अस्थायी अवधि के लिए कार्यवाहक सरकार की नियुक्ति कर सकता है।

- **राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान**- अनुच्छेद 371 के अनुसार, राष्ट्रपति विदर्भ, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र और कच्छ के लिए अलग-अलग विकास बोर्ड बनाने के लिए राज्यपाल को विशेष जिम्मेदारी प्रदान कर सकते हैं।

ऐसे में राज्यपालों और चुनी हुई सरकार के बीच हालिया टकराव के कारणों का अध्ययन करना और समझना जरूरी है. ऐसे कुछ मामलों की चर्चा इस प्रकार है:

➢ **तमिलनाडु में राज्यपाल की भूमिका**: हाल के वर्षों में तमिलनाडु के सत्तारूढ़ द्रमुक के नेतृत्व वाले धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन (एसपीए) और राज्यपाल के बीच वाकयुद्ध देखा गया है। 18 जनवरी, 2023 को राज्य के राज्यपाल आर.एन. रवि ने टिप्पणी की कि राज्य को तमिलनाडु के बजाय 'तमीज़गम' के रूप में संबोधित किया जाना चाहिए। इसकी न केवल सत्तारूढ़ द्रमुक और उसके सहयोगियों ने भारी आलोचना की, बल्कि भारी सार्वजनिक आक्रोश भी पैदा किया। हालांकि, इस पर सफाई देते हुए राज्यपाल ने कहा कि वह इतिहास के संदर्भ में बात कर रहे हैं।

इससे पहले, राज्यपाल ने विधानसभा में अपने संबोधन में सीएन अन्नादुरई और एम करुणानिधि, साथ ही द्रविड़ विचारक पेरियार और भारतीय संविधान के निर्माता, बीआर अंबेडकर सहित कई द्रमुक दिग्गजों की प्रशंसा वाले अंशों को हटाकर मर्यादा तोड़ दी थी। इससे सत्ता पक्ष के लोग भी उत्तेजित हो गये और उन्होंने "राज्यपाल बाहर जाओ" के नारे लगाये। घटना के एक दिन बाद 13 जनवरी को डीएमके सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और एक याचिका पेश की जिसमें कहा गया कि राज्यपाल संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। यह कोई नया मुद्दा नहीं है। जब से राज्य में नई सरकार सत्ता में आई है और आर. एन. रवि ने तमिलनाडु के राज्यपाल का पद संभाला है, तब से उनका राज्य सरकार के साथ नियमित टकराव होता रहा है। इससे पहले भी राज्य सरकार ने राष्ट्रपति भवन से संपर्क कर रवि को बर्खास्त करने की मांग की थी। इसके साथ ही सीएम ने राज्यपाल को लंबित विधेयकों की सूची भी सौंपी और मंजूरी में देरी पर सवाल उठाया। इन विधेयकों में राज्य को NEET मेडिकल परीक्षा के दायरे से छूट देने का प्रावधान भी शामिल है।

द्रमुक और उसके सहयोगियों का कहना है कि राज्यपाल केंद्र सरकार के आदेशों को तमिलनाडु सरकार पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं, जो संघीय शासन प्रणाली में अनावश्यक है।

➢ **केरल में राज्यपाल की भूमिका:** केरल में निर्वाचित सीपीआई (एम) के नेतृत्व वाली वाम लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के मध्य विवाद चल रहा है। 22 अक्टूबर, 2022 को राज्यपाल खान द्वारा नौ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को 23 अक्टूबर तक इस्तीफा देने का निर्देश देने के बाद राज्य में संवैधानिक संकट पैदा हो गया। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि राज्यपाल के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है और "उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह का हस्तक्षेप प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है। कुलपतियों की बात सुने बिना कुलाधिपति का यह कदम एकतरफा है।" उन्होंने खान पर संविधान और

लोकतंत्र के खिलाफ काम करने का भी आरोप लगाया। राज्य में सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप करने के लिए उनकी अक्सर आलोचना की जाती रही है।

इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने विधानसभा से पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर नहीं करने को लेकर राज्यपाल के खिलाफ विरोध जताया था। उन्होंने कहा, "11 अध्यादेश समाप्त हो गए हैं क्योंकि राज्यपाल ने अपनी सहमति नहीं दी। सरकार द्वारा पारित कई विधेयकों पर भी राज्यपाल ने हस्ताक्षर नहीं किए।"

ऐसे में राज्यपाल को चुनी हुई सरकार के विरोधी के तौर पर देखा जाता है। राज्यपाल ने चुनी हुई सरकार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है।

- **<u>तेलंगाना में राज्यपाल की भूमिका:</u>** अन्य राज्यों की तरह तेलंगाना भी राज्यपाल - राज्य सरकार विवाद से अछूता नहीं रहा है। सत्तारूढ़ दल टी. आर. एस. ने आरोप लगाया कि राज्य में विधायकों की खरीद-फरोख्त की कोशिशों के पीछे राजभवन का हाथ हो सकता है। किसी भी राज्य में राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद को लेकर इस तरह के विवाद बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं। राज्यपाल तमिलिसाई साउंडराजन को संदेह था कि तेलंगाना में उनका फोन टैप किया जा रहा है। तेलंगाना की राज्यपाल पड़ोसी राज्य तमिलनाडु से हैं और वह पहले वहां भाजपा का नेतृत्व कर चुकी हैं। ऐसे में टी. आर. एस. नेताओं का कहना है कि वह अब भी बीजेपी के करीबी नेता की तरह काम कर रही हैं। टी. आर. एस. सरकार राज्यपाल तमिलिसाई साउंडराजन के कार्यों को राजनीतिक हस्तक्षेप के रूप में देखती है। राज्यपाल तमिलिसाई सौंदर्यराजन ने जनवरी 2023 में एक राष्ट्रीय टेलीविजन समाचार चैनल पर एक बहस में भाग लेकर विभिन्न मुद्दों पर तेलंगाना सरकार की आलोचना जिसकी वजह से दोनों के बीच नया विवाद खड़ा हो गया। दिसंबर, 2023 में जब राज्य में विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए, जिसमें कांग्रेस पार्टी की जीत हुई, तो राज्य के राज्यपाल ने कहा कि तेलंगाना के लोगों ने खुद को "दस साल के दमन" से मुक्त करने का स्पष्ट फैसला दिया है। उन्होंने कहा, "तेलंगाना निरंकुश शासन और तानाशाही प्रवृत्ति से मुक्त हो गया है। लोगों के फैसले ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह किसी भी दमन को बर्दाश्त नहीं करेगा। यह फैसला नागरिक अधिकारों और लोकतांत्रिक शासन के लिए आधारशिला बन गया," राज्यपाल की इस अभिव्यक्ति की भारत राष्ट्र ने कड़ी आलोचना की। समिति (बीआरएस)। जनवरी, 2024 में फिर से, तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई सौंदर्यराजन ने पिछली भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के नेतृत्व वाली सरकार पर हमला किया और उस पर पिछले 10 वर्षों में संवैधानिक निकायों, प्रणालियों और मूल्यों को बर्बाद करने का आरोप लगाया।
- **<u>पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और राज्य के राज्यपाल बनवारीलाल</u>** पुरोहित के बीच भी खींचतान चल रही है। 19 और 20 जून 2023 को भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने पंजाब विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाया और चार विधेयक पारित किए। इसके बाद विधेयकों को हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया, लेकिन राज्यपाल ने ऐसे विशेष सत्र और पारित किए गए विधेयकों की वैधता पर सवाल उठाया। दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया है कि 25 अगस्त 2023 को पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को चेतावनी दी कि अगर उनके पत्रों का जवाब नहीं दिया गया तो वह राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं और

आपराधिक कार्यवाही भी शुरू कर सकते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपालों को संबंधित राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर मामला पहुंचने से पहले ही कार्रवाई करनी चाहिए। शीर्ष अदालत ने विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित की देरी के खिलाफ पंजाब सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए अपनी चिंता व्यक्त की। इसमें कहा गया है कि राज्यपाल अनिश्चित काल तक विधेयकों पर नहीं बैठ सकते क्योंकि उनके पास संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत सीमित शक्तियां हैं, जो किसी विधेयक पर सहमति देने या रोकने या राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित करने की राजभवन के अधिभोगी की शक्ति से संबंधित है।

- **दिल्ली: आप-एलजी के बीच खींचतान जारी** - दिल्ली में वर्तमान में आम आदमी पार्टी का शासन है, जिसका नेतृत्व अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के रूप में कर रहे हैं। उनके कार्यकाल के दौरान 2013 से अब तक कई उपराज्यपाल (एलजी) बदल चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार के साथ उनका विवाद जारी है। बल्कि, झगड़ा इतना बढ़ गया है कि अदालतों को अक्सर हस्तक्षेप करना पड़ा है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। केजरीवाल का आरोप है कि एलजी उनकी सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की स्वीकृति में बाधा डाल रहे हैं, जबकि एलजी का कहना है कि सरकार जनता के हित में काम नहीं कर रही है। उन्होंने सरकार पर फिजूलखर्ची का भी आरोप लगाया है और इसे लेकर कई पत्र भी लिखे हैं। इतना ही नहीं, फिलहाल एलजी ने मुख्यमंत्री को रिकवरी नोटिस भी भेजा है, जिसमें उन्होंने दिल्ली सरकार के प्रचार में खर्च किए गए पैसे को एक पार्टी का प्रचार बताया है और अब रिकवरी की मांग की है। अब सवाल उठता है। क्या कोई एलजी किसी निर्वाचित मुख्यमंत्री से वसूली कर सकता है? बात यहीं नहीं रुकती। दिल्ली सरकार की कई योजनाओं के लिए एलजी ने जांच कमेटियां गठित की हैं। हाल ही में नगर निगम चुनाव हुए जिसमें आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला, लेकिन एलजी और केजरीवाल सरकार के बीच विवाद से यह भी अछूता नहीं रहा। इसी वजह से मेयर का चुनाव भी काफी विवादास्पद रहा था क्योंकि एलजी ने चुनी हुई सरकार से पूछे बिना 10 कथित बीजेपी कार्यकर्ताओं को नगर निगम में पार्षद पद पर नामांकित कर दिया था।

  इसी तरह, जब पीठासीन अधिकारी चुनने का मुद्दा आया, तो दिल्ली सरकार ने सबसे वरिष्ठ पार्षद मुकेश गोयल का नाम रखा, जिसे एलजी ने खारिज कर दिया और भाजपा पार्षद सत्या शर्मा को नियुक्त किया गया। इसके बाद शपथ ग्रहण वाले दिन यानी 6 जनवरी को हंगामा हो गया।

पश्चिम बंगाल में गतिरोध- हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर सुगाता बोस के हवाले से कहा जाए तो, "पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार और राजभवन के बीच कटु संबंधों का एक लंबा इतिहास है, चाहे सत्ता में वामपंथी हों या टीएमसी। इसकी शुरुआत इसी दौरान हुई थी।" 1967 में धर्म वीरा का कार्यकाल जारी है। यह राज्य और केंद्र सरकार में सत्ता में विभिन्न दलों की राजनीति से उपजा है।"[2] पश्चिम बंगाल के तत्कालीन राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच विवाद किसी से छिपा नहीं है। दोनों एक दूसरे पर खुलेआम राजनीतिक आरोप

---

[2] Governor vs West Bengal government: A long-standing history of political turbulence, https://www.deccanherald.com/india/

लगाते थे. धनखड़ (देश के उपराष्ट्रपति नहीं) को 'महामहिम' की भूमिका में कम और बनर्जी के प्रतिद्वंद्वी के रूप में अधिक जाना जाता था। पश्चिम बंगाल सरकार और राजभवन के बीच चल रहे टकराव ने फिर से इन दोनों संस्थाओं के बीच बहस छेड़ दी है। विश्वविद्यालय के वी-सी की नियुक्ति, राज्य के स्थापना दिवस और पंचायत चुनाव हिंसा जैसे मामलों पर राज्यपाल सी वी आनंद बोस और राज्य सरकार के बीच मौखिक लड़ाई। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉ. सीवी आनंद बोस के शब्दों में, "मैं राज्यपाल-मुख्यमंत्री के रिश्ते को दो स्तरों पर देखता हूं। व्यक्तिगत रूप से, हमारा रिश्ता बहुत सौहार्दपूर्ण है जो आपसी सम्मान और समझ पर आधारित है। जहां तक राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच के रिश्ते की बात है जहां तक सवाल है, धारणा अलग हो सकती है क्योंकि जरूरी नहीं कि निर्वाचित मुख्यमंत्री और मनोनीत राज्यपाल हर मुद्दे पर एक जैसा सोचें।"[3]

राज्यपाल द्वारा विधेयक को रोके जाने पर सुप्रीम कोर्ट का रुख

सर्वोच्च न्यायालय ने 6 नवंबर, 2023 को इस तथ्य पर नाराजगी व्यक्त की कि राज्य सरकारों को राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल से निर्णय लेने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि राज्य सरकार द्वारा अदालत का दरवाजा खटखटाने के बाद ही राज्यपालों द्वारा विधेयकों पर कार्रवाई करने की मौजूदा प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए।[4]

'सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और तमिलनाडु के राज्यपालों द्वारा उनकी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में देरी पर चिंता व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "लोकतंत्र को मुख्यमंत्री और राज्यपाल के हाथों में काम करना होगा," और कहा कि वह विधेयकों को मंजूरी देने की राज्यपाल की शक्ति के मुद्दे पर कानून तय करने के लिए एक संक्षिप्त आदेश पारित करेगा। इस बीच, केरल के राज्यपाल, जो राज्य सरकार के साथ विवाद में भी शामिल हैं, ने कहा कि वह संविधान के अनुसार काम कर रहे हैं।'[5]

न्यायालय ने विशेष रूप से पंजाब, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल राज्यों में केंद्र के एजेंट के रूप में राज्यपाल द्वारा निभाई गई भूमिका की कड़ी आलोचना की है। यह सब सवाल उठाता है कि क्या राज्य में राज्यपाल राज्य के कल्याण के लिए लोकतांत्रिक तरीके से काम कर रहे हैं या केंद्र के एजेंट के रूप में? यदि यह राज्य सरकार की किसी विकासात्मक/कल्याणकारी नीति को अवरुद्ध कर रहा है, तो विधेयक को रोके जाने के कारण विकास के लाभ के नुकसान के लिए कौन जिम्मेदार होना चाहिए?

राज्यपाल और राज्य के मुख्यमंत्री के बीच विवाद को सुलझाने के लिए विभिन्न अयोगों द्वारा प्रस्तावित कुछ सिफारिशें:

---

[3] Relations With Chief Minister "Very Cordial", Conflicts Could Be Resolved: Bengal Governor, https://www.ndtv.com/india-news/

[4] 'Why Governors Act on Bills only after State Governments Approach Courts? This has to stop: Supreme Court', www.livelaw.in

[5] 'Matter of serious concern': Supreme Court's message to Punjab, Tamil Nadu governors over delay in assent to bills', http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/

- **प्रशासनिक सुधार आयोग (1968) की सिफ़ारिश- राष्ट्रपति शासन के संबंध में-** आयोग ने सिफ़ारिश की है कि राष्ट्रपति शासन के संबंध में राज्यपाल की रिपोर्ट वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए और साथ ही राज्यपाल को इस संबंध में अपना निर्णय लेना चाहिए।
- **राजमन्नार समिति की सिफ़ारिश (1971) - राज्यपाल की भूमिका के संबंध में** - राजमन्नार समिति ने इस बात पर बल दिया कि राज्य के राज्यपाल को स्वयं को केंद्र का एजेंट नहीं मानना चाहिए बल्कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में अपनी भूमिका निभानी चाहिए।
- **<u>सरकारिया आयोग की सिफ़ारिशें (1983)</u>-** आयोग ने निम्लिखित संशोधन की सिफ़ारिश की है:
  - **त्रिशंकु विधानसभा (In case of Hung Assembly)-** इसमें प्रावधान किया गया कि राज्यपाल को ऐसी स्थिति में सीएम का चयन करते समय वरीयता क्रम का पालन करना चाहिए
    1. पार्टियों का गठबंधन जो चुनाव से पहले बना था।
    2. सबसे बड़ी पार्टी ने निर्दलीय समेत अन्य के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया।
    3. चुनाव के बाद पार्टियों का गठबंधन, जिसमें गठबंधन के सभी भागीदार सरकार में शामिल होते हैं।
    4. चुनाव के बाद पार्टियों का गठबंधन, जिसमें गठबंधन में शामिल कुछ पार्टियां सरकार बनाती हैं और बाकी पार्टियां, जिनमें निर्दलीय भी शामिल हैं, सरकार को बाहर से समर्थन देती हैं।
  - **राज्यपाल की नियुक्ति-**
    - राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया में राज्य के मुख्यमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श करने की प्रक्रिया होनी चाहिए।
    - राज्यपाल को पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
    - वह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और नियुक्ति के राज्य के बाहर के स्थान का निवासी होना चाहिए। वह एक अलग व्यक्ति होना चाहिए जो कभी भी सक्रिय या स्थानीय राजनीति में शामिल नहीं रहा हो।
    - पद छोड़ने के बाद उन्हें किसी अन्य नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाना चाहिए।
  - **मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करना-** बहुमत होने पर राज्यपाल मंत्रिपरिषद को बर्खास्त नहीं कर सकता।
- **<u>एस.आर. बोम्मई जजमेंट (1994)- राष्ट्रपति शासन के संबंध में</u>** - सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक मशीनरी की विफलता के उदाहरणों को चार प्रमुखों में वर्गीकृत किया- राजनीतिक संकट, आंतरिक तोड़फोड़, शारीरिक टूट-फूट, संघ कार्यकारिणी के संवैधानिक निर्देशों का अनुपालन न करना।
- **<u>पुंछी आयोग (Punchhi Commission) की सिफारिशें (2007)</u>-** केंद्र-राज्य संबंधों पर पुंछी आयोग ने कहा कि राज्यपाल को "सबसे बड़ी संख्या वाले चुनाव पूर्व गठबंधन" या "सबसे बड़ी एकल पार्टी" के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए, यदि कोई पार्टी या चुनाव पूर्व गठबंधन के पास स्पष्ट बहुमत है। राज्यपाल द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका के मुद्दे पर केंद्र और राज्य के बीच मौजूद समस्या को हल करने के

लिए, पुंछी आयोग ने राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया में कुछ संशोधन की सिफारिश की। इसके लिए आयोग ने सुझाव दिया कि[6]-

- पद धारण करने वाले व्यक्ति को अपनी नियुक्ति से कम से कम दो वर्ष पहले सक्रिय राजनीति से दूर रहना चाहिए।
- राज्यपाल की नियुक्ति में राज्य के मुख्यमंत्री की राय को भी शामिल किया जाना चाहिए।
- राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति के लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए. इस समिति में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री शामिल होने चाहिए।
- इस प्रक्रिया में भारत के उपराष्ट्रपति भी शामिल हो सकते हैं।
- राज्यपाल के पद के लिए लाभ के पद का सिद्धांत समाप्त किया जाना चाहिए। इसे संविधान से भी हटाया जाना चाहिए।
- केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल को हटाने के बजाय राज्य विधानमंडल में राज्यपाल को हटाने का प्रस्ताव होना चाहिए।

इन सिफ़ारिशों के संदर्भ में हम ऐसा कह सकते हैं कि-

राज्यपाल की भूमिका और गरिमा के बारे में पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। जिस तरह से राज्यपालों और उपराज्यपालों पर अक्सर केंद्र के इशारे पर राज्य सरकारों को परेशान करने और उनके काम में बाधा डालने के आरोप लगते रहे हैं, उससे देश में एक बड़ी बहस छिड़ गई है। ऐसे में इस बात पर बहस छिड़ गई है कि क्या राज्यपाल का पद खत्म कर दिया जाए। दिल्ली में एक कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज गोपाल गौड़ा ने भी कहा कि इन सिफ़ारिशों के संदर्भ में हम ऐसा कह सकते हैं, आजकल राज्यपाल केंद्र के इशारे पर विपक्ष शासित राज्य सरकारों को परेशान कर रहे हैं और यह किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारे संविधान में राज्यपाल के कार्यालय से संबंधित प्रावधानों पर फिर से विचार करना और नीचे उठाई गई चिंताओं के संदर्भ में इसके प्रदर्शन का विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है:

- ➔ राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र की सिफारिश के लिए विधेयक आरक्षित करने की राज्यपाल की शक्ति और अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग के संबंध में इतनी आलोचना क्यों हो रही है?
- ➔ इन समस्याओं का समाधान कहां है?
- ➔ राज्यपाल के पद की गरिमा बहाल करने के लिए क्या किया जाना चाहिए?

ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो गया है कि राजमन्नार आयोग, सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग की सिफ़ारिशों पर पुनर्विचार किया जाए। संविधान के निम्नलिखित विवादास्पद प्रावधानों में संशोधन करके राज्यपाल के पद को स्वतंत्र बनाना आवश्यक हो गया है:

[6] Punchhi Commission, Report and major recommendations, http.//testbook.com

राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए. इस समिति में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति और संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री शामिल होने चाहिए।

➔ राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया के प्रावधान में संशोधन। उन्हें केवल राष्ट्रपति कि तरह महाभियोग के द्वारा राज्य विधानमंडल की अनुशंसा द्वारा हटाया जाना चाहिए।

➔ राज्यपाल के पास केंद्र के पुनर्विचार के लिए विधेयक को 2 महीने से अधिक की अवधि के लिए आरक्षित करने की शक्ति नहीं होनी चाहिए।

➔ अनुच्छेद 356 का प्रयोग केवल संवैधानिक आपातकालीन स्थिति में ही किया जाना चाहिए।

➔ त्रिशंकू विधानसभा कि स्थिति में मुख्यमंत्री का चयन सरकरिया आयोग की सिफारिश के अनुसार किया जाना चाहिए।

➔ सामान्यत: राज्यपाल को पूर्ण कार्यकाल दिया जाना चाहिए। यदि उन्हें कार्यकाल के पूर्ण हटाना हो तो उनसे एक स्पष्टीकरण लिया जाना चाहिए, जिसकी जाँच लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति एवंम भारत के मुख्य न्यायधीश वाली समिति के द्वारा कि जानी चाहिए। इस समिति कि अनुशंषा पर ही राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को बर्खास्त किया जा सकता है।

➔ राज्यपाल अपना एक कार्यकाल पूर्ण करने के बाद मात्र उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के लिए ही अर्ह हो अपवाद स्वरूप उसे द्वितीय कार्यकाल दिया जाये।

भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में राज्यपाल को केवल लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए गरिमा और विनम्रता के साथ काम करने और राज्य के संविधानिक प्रमुख के रूप में भूमिका निभाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्रियों के लिए ये आवश्यक है की वे राज्यपाल की सिफारिशों पर भरोसा रखें और उनके कार्यालय और पद सम्मत उपयुक्त सम्मान दे। यह भारतीय संघवाद को स्थायित्व एंवम दृढ़ता प्रदान करने के साथ लोकतंत्र को और जीवंत बनाएगा।

संदर्भ सूची

1. Bakshi, P. (2014), Commentary on Constitution of India, Universal Law Publishing.
2. Basu, Durga Das (2019). Introduction to the Constitution of India (22nd ed.), LexisNexis.
3. Ghosh, Peu (2017), Indian Government and Politics, PHI,
4. Jha, Mukund (January, 2024), 'Recent rise in conflict Between Governor Non-BJP Govts Worrying Democracy', https://www.newsclick.in/.
5. Pal, Samaraditya (2019), India's Constitution: Origin and Evolution, Vol. 10, LexisNexis

6. Paul, K. K. (Nov. 2022), ‘Controversial role of Governors in state politics’, https://www.tribuneindia.com/news/comment/
7. PTI, (September 2023), ‘Governor vs West Bengal government: A long-standing history of political turbulence’, https://www.deccanherald.com/india/
8. PTI, (November, 2023), ‘Relations With Chief Minister "Very Cordial", Conflicts Could Be Resolved: Bengal Governor’, https://www.ndtv.com/india-news/.
9. Roy, Himanshu, M. P. Singh and A. P. S. Chouhan (ed.) (2017), State Politics in India, Primus Book.
10. Saggu, Dr. Mohan Singh (2021), Dynamics of the Institution of Governors in India, K. K. Publication.
11. Saxena, Rekha, Indian Politics in Transition, Deep & Deep Publications, 1994.
12. Sindhu, Dr. Thulaseedhara (June, 2021), Role of Governor in the Working of Indian Federalism, https://www.researchgate.net/
13. Singh, M. P. and Rekha Saxena (2021), Indian Politics: Constitutional Foundations and Institutional functioning, PHI Learning.
14. TOI, (November, 2023), ‘Matter of serious concern': Supreme Court's message to Punjab, Tamil Nadu governors over delay in assent to bills’, http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/
15. Upadhyay, S. S. (2017), The Governors’ Guide, Universal Law Publishing

अध्याय-3
संविधान निर्माण में महिलाओं का योगदान

दिनेश कुमार गहलोत
सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान
विभाग, जय नारायण व्यास
विश्वविद्यालय, जोधपुर (राज)

भारतीय संविधान का निर्माण औपचारिक रूप से गठित संविधान सभा द्वारा किया गया। यह संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के तहत् गठित हुई थी। इस योजना के तहत् सभा में 389 सदस्य होने चाहिये थे। हालांकि यह सदस्य संख्या कभी भी एक साथ एकत्रित नहीं हो पाई थी। संविधान सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित नहीं थे। अंग्रेज भारत (जहाँ प्रत्यक्षत: अंग्रेजों का शासन था) से सदस्य जहाँ एक ओर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे, वहीं दूसरी ओर देसी भारत से सदस्य मनोनीत किये गये थे। हालांकि देसी भारत से भी सदस्यों का निर्वाचन भी हुआ था। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में 15 महिला सदस्यों का योगदान रहा।

जी. दुर्गाबाई देशमुख सभा में मद्रास से सदस्य थी। सामाजिक कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्वतंत्रता पश्चात् वह केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष रही। 1975 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अम्मू स्वामीनाथन भी सभा में मद्रास का प्रतिनिधित्व करती थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जुड़कर उन्होंने महिला अधिकारों के लिये आंदोलन किये। संविधान लागू होने के बाद वे संसद की सदस्य भी बनी। दक्षायणी वेलायुदन भी सभा में मद्रास से सदस्य थी। दलितों के अधिकारों के कई आंदोलन उन्होंने किये। वह केवल 34 वर्ष की आयु में ही सभा की सदस्य बन गई।
सुचेता कृपलानी सभा में संयुक्त प्रांत से सदस्य थी। उनके पति आचार्य जे.बी. कृपलानी भी सभा के सदस्य थे। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाली कृपलानी ध्वज समिति की सदस्य भी थी। वे बाद में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री भी रही। पूर्णिमा बनर्जी भी संयुक्त प्रांत से सभा के सदस्य रही। अरुणा आसफ अली की छोटी बहन पूर्णिमा बनर्जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया था। कमला चौधरी भी संयुक्त प्रांत से सभा की सदस्य रही। सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ी कमला चौधरी कहानी लेखिका भी थी।

हंसा जीवराज मेहता सभा में बम्बई से सदस्य थी। मानवाधिकारों के संदर्भ में बनाये गये 'मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा' के अनुच्छेद एक को बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संविधान लागू होने के पश्चात् वे बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति भी बनी थी। 1959 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया। स्वतंत्रता सेनानी लीला रे बंगाल से सभा में सदस्य थी। बाद में उन्होंने सभा से इस्तीफा दे दिया। मालती चौधरी उड़ीसा से सभा में सदस्य थी। स्वतंत्रता सेनानी मालती चौधरी ने भी गांधीजी के साथ कार्य करने के लिये सभा से इस्तीफा दे दिया। सरोजिनी नायडू बिहार से सभा में सदस्य रही। भारत कोकिला के नाम से जाने वाली नायडू की भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष व किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल (उत्तरप्रदेश) बनी। संविधान निर्माण के दौरान ही उनका निधन हो गया।

राजकुमारी अमृतकौर का जन्म लखनऊ में हुआ। उनके पिता ने ईसाई धर्म ग्रहण किया था। स्वतंत्रता संग्राम हेतु वे गोपाल कृष्ण गोखले से प्रभावित हुई। वह सभा में मध्य प्रांत और बरार से सदस्य थी। स्वतंत्रता बाद उन्हें देश का पहला स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। वह पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी। उन्हें एम्स का संस्थापक कहा जाता है। वह विश्व स्वास्थ्य संगठन की भी अध्यक्ष रही। विजयलक्ष्मी पंडित संयुक्त प्रांत से सभा की सदस्य थी। वह सोवियत संघ, अमेरिका जैसे देशों में राजदूत तथा इंग्लैंड में उच्चायुक्त भी रही। उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा में अध्यक्ष बनने का भी सौभाग्य मिला।

बेगम अय्याज रसूल सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी। वह भी संयुक्त प्रांत से सभा में सदस्य बनी। संविधान लागू होने के बाद वे राज्यसभा सदस्य भी रही। वह भारतीय महिला हॉकी फेडरेशन की अध्यक्ष भी रही। ऐनी मसेकर देसी रियासतों से सभा में एकमात्र महिला सदस्य थी। वह त्रावणकोर (केरल) से सभा की सदस्य थी। वह केरल से पहली महिला लोकसभा सदस्य थी। स्वतंत्रता सेनानी रेणुका रे पश्चिम बंगाल से सभा में सदस्य थी। उन्हें भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। स्वतंत्रता सेनानी रेणुका रे भी गांधी जी से अत्यधिक प्रभावित थी।

संविधान सभा में महिलाओं हेतु किसी प्रकार का आरक्षण नहीं था। फिर भी 9 दिसंबर, 1946 को सभा की प्रथम बैठक में कुल 207 सदस्यों में से 10 महिला सदस्य थी। 9 दिसंबर की इस बैठक में श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन (मद्रास), श्रीमती दक्षायणी वेलायुदन (मद्रास), श्रीमती जी. दुर्गाबाई (मद्रास), श्रीमती हंसा मेहता (बम्बई), लीला रे (बंगाल), श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी (उत्तरप्रदेश), श्रीमती सुचेता कृपलानी (उत्तरप्रदेश), श्रीमती कमला चौधरी (उत्तरप्रदेश), श्रीमती सरोजिनी नायडू (बिहार), श्रीमती मालती चौधरी (उड़ीसा) ने भाग लिया।[1] सभा 9 दिसंबर, 1946 से 24 जनवरी, 1950 तक संविधान निर्माण का कार्य करती रही। कुल मिलाकर इस अवधि में 15 महिलाओं ने संविधान निर्माण में अपना योगदान दिया।

9 दिसंबर, 1946 की प्रथम बैठक में केवल दो सदस्यों ने ही विचार प्रकट किये थे। एक थे जे.बी. कृपलानी व दूसरे स्वयं अस्थायी अध्यक्ष डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा। इस दिन किसी महिला सदस्य द्वारा विचार व्यक्त नहीं किया गया। 10 दिसंबर, 1946 को सभा की दूसरी बैठक में संयुक्त प्रांत से सभा के सदस्य आचार्य जे.बी. कृपलानी ने सभा की समुचित कार्यवाही के कुशल संचालन हेतु 15 सदस्य कार्य संचालनार्थ नियम निर्माण समिति की स्थापना का प्रस्ताव रखा।[2] इस समिति हेतु जो 15 सदस्य चुने गये, उनमें से एक मद्रास की जी. दुर्गाबाई भी थी। यह सभा की प्रथम समिति थी। इस समिति को ही सभा की संपूर्ण कार्यवाही के नियम- प्रक्रिया तय करना था। इस महत्वपूर्ण समिति में जी. दुर्गाबाई का निर्वाचन होना एक महत्ती शुरुआत थी।

11 दिसंबर, 1946 का दिन सभा के लिए एक महत्वपूर्ण दिन था। इस दिन सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉ. राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुये थे। उनके निर्वाचन पर सभा के कई सदस्यों ने इस दिन अपने उद्बोधन द्वारा उन्हें अपनी शुभकामनायें प्रेषित की। इनमें बिहार से सभा में सदस्य श्रीमती सरोजिनी नायडू भी थी। तत्कालीन सभापति डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा ने उन्हें भारत कोकिला, बुलबुल हिंद के नाम से संबोधित करते हुये अपने भाषण हेतु आमंत्रित किया। श्रीमती नायडू सभा में विचार व्यक्त करने वाली पहली महिला सदस्य थी। उन्होंने अपने सुंदर उद्बोधन में डॉ. राजेंद्र प्रसाद के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुये उनकी विद्वता तथा न्यायप्रियता को उल्लेखित किया। उन्होंने सभा में मुस्लिम लीग, परिगणित जातियों, आदिवासियों, देसी रियासतों आदि के सहयोग पर बोल दिया। उन्होंने अपने

उद्बोधन में अंत में कहा कि "बर्फानी छतों और समुद्री दीवारों के चिरप्राचीन अपने भवन में खड़ी होकर हमारी भारत-भूमि मानव इतिहास में फिर एक बार ज्ञान और प्रेरणा का दीपक जलाकर संसार के स्वातंत्र्य पथ को आलोकित करेगी। इस तरह पुनः उसे अपनी संतति का गौरव और संतति को अपनी माता का गौरव प्राप्त होगा।"[3] श्रीमती नायडू के इस सुंदर उद्बोधन के बाद केवल अस्थायी सभापति का उद्बोधन हुआ और उसके बाद डॉ. राजेंद्र प्रसाद सभापति के पद पर आसिन हुये।

सभा के सदस्यों के निर्वाचन में विजयलक्ष्मी पंडित भी सदस्य के रूप में निर्वाचित हुई थी लेकिन अमेरिका में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने हेतु अमेरिका में होने के कारण वह सभा की प्रथम बैठक (9 दिसंबर, 1946) में भाग नहीं ले पाई। 17 दिसंबर, 1946 को विजयलक्ष्मी पंडित ने सभा में अपना परिचय पत्र पेश करते हुये सदस्य के रूप में हस्ताक्षर किये थे।[4] उनके प्रवेश के समय सभापति के साथ सभी सदस्यों ने करतल ध्वनि से उनका स्वागत किया।

इससे पूर्व पं. जवाहरलाल नेहरू ने सभा में 13 दिसंबर, 1946 को ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। जिसमें भारत के भावी संविधान के उद्देश्यों और सरकार के स्वरूप का उल्लेख था। 16 दिसंबर, 1946 को सभा के सदस्य डॉ. एम.आर. जयकर ने अपने लंबे उद्बोधन में इस उद्देश्य प्रस्ताव पर तकनीकी कारणों से चर्चा के स्थगन का प्रस्ताव रखा था। जिस पर सभा में 16 से 19 दिसंबर तक लंबी बहस हुई। कई सदस्यों ने इस पर अपने विचार रखें। 19 दिसंबर, 1946 को बम्बई से सभा में सदस्य श्रीमती हंसा मेहता ने पंडित नेहरू के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये अपने विचार प्रकट किये। उन्होंने प्रस्ताव में उल्लेखित मौलिक अधिकार वाले भाग से स्त्रियों पर पड़ने वाले प्रभाव को रेखांकित किया। उन्होंने प्राचीन काल से सामान्य स्त्रियों की दशा को प्रकट करते हुये स्पष्ट कहा कि "स्त्रियों के संघ [हंसा मेहता इस संघ की अध्यक्षता भी रही] ने जिसके सदस्य होने का मुझे गौरव है, कभी भी संरक्षित स्थान [Reserved Seats], अपना अनुपातिक भाग [Quota] या पृथक निर्वाचन [Separate Electorate] की मांग नहीं की है। जो कुछ भी हमने मांगा है, वह सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय हैं।"[5] स्पष्ट है कि श्रीमती हंसा मेहता ने सभा में महिला अधिकारों के प्रति सक्रियता से विचार प्रकट किये।

19 दिसंबर, 1946 को ही मद्रास से सभा में सदस्य श्रीमती दक्षायणी वेलायुदन ने भी उद्देश्य प्रस्ताव का समर्थन करते हुये अपने विचार रखें थे। उन्होंने सभा के सदस्यों से प्रथक्कतावाद से दूर रहने का आह्वान करते हुये इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल की हरिजनों के विषय में दिये गये वक्तव्य की आलोचना करते हुए कहा कि "मैं सात करोड़ हरिजनों को अल्पसंख्यक समझने के विचार को अस्वीकार करती हूँ।" आगे उन्होंने कहा "केवल स्वतंत्र समाजवादी भारतीय जनतंत्र ही हरिजनों को स्वतंत्रता और स्थिति की समानता प्रदान कर सकता है।"[6]

सभा के गठन के समय मध्य प्रांत और बरार से राजकुमारी अमृतकौर भी निर्वाचित हुई थी। लेकिन 9 दिसंबर, 1946 की प्रथम बैठक के समय वे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने हेतु विदेश गई हुई थी। इस कारण राजकुमारी अमृतकौर ने 21 दिसंबर, 1946 को अपना परिचय पत्र पेश करते हुये सभा में रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर किये थे। 21 दिसंबर को ही के.एम. मुंशी ने नरेंद्र मंडल से वार्ता करने हेतु 6 सदस्यों की समिति का प्रस्ताव रखा था जिसका जी. दुर्गाबाई ने समर्थन किया था।

सभा का दूसरा सत्र 20 से 25 जनवरी, 1947 के बीच हुआ। इसी सत्र में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था। इसके अलावा स्टीयरिंग समिति, एडवाइजरी समिति के सदस्यों एवं उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ था। साथ ही सभा के बजट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर भी चर्चा हुई थी। 20 जनवरी, 1947 को सभा में प्रथम बार बोलते हुये विजयलक्ष्मी पंडित ने भारत की शक्ति, विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता पर प्रकाश डालते हुये उद्देश्य प्रस्ताव पारित करने का आह्वान किया। 21 जनवरी, 1947 को सभा द्वारा 11 सदस्य स्टीयरिंग समिति का चुनाव किया गया। इन 11 सदस्यों में से एक सदस्य श्रीमती जी. दुर्गाबाई भी थी। नियम समिति के बाद स्टीयरिंग समिति में भी जी. दुर्गाबाई का चुना जाना संविधान निर्माण में उनके महत्वपूर्ण योगदान योगदान को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से 24 जनवरी, 1947 को सभा द्वारा निर्वाचित एडवाइजरी समिति में भी राजकुमारी अमृत्तकौर व हंसा मेहता को लिया गया। 24 जनवरी को ही मद्रास की दक्षायणी वेलायुदन योजना ने एडवाइजरी समिति में मुस्लिम प्रान्तों में हिंदू प्रतिनिधित्व के अंतर्गत हरिजनों को भी शामिल करने की मांग रखी थी।[7]

24 जनवरी, 1947 को सभा ने अपने बजटीय अनुमानों पर भी चर्चा की थी। इस चर्चा में भाग लेते हुये राजकुमारी अमृत्तकौर ने स्पष्ट तौर पर सदस्यों का भत्ता घटाने की मांग रखी थी।[8]

28 अप्रैल से 2 मई, 1947 के बीच सभा का तीसरा सत्र हुआ। 28 अप्रैल, 1947 को इस सत्र के प्रथम दिन ही जी. दुर्गाबाई ने स्टीयरिंग समिति के अतिरिक्त सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था। यह सभा में किसी भी महिला सदस्य द्वारा रखा गया प्रथम प्रस्ताव था। इसी प्रस्ताव द्वारा इस स्टीयरिंग समिति ने देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का प्रवेश सुनिश्चित हुआ। अल्प चर्चा के बाद यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। सभा के इस तीसरे सत्र से ही मौलिक अधिकारों पर चर्चा प्रारंभ हुई थी। इस संदर्भ में सरदार वल्लभ भाई ने प्रस्ताव रखे थे। 1 मई, 1947 को स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 11 (वर्तमान संविधान का अनुच्छेद 23) रखा गया। जो बेगार प्रथा पर रोक से संबंधित है। अपने उद्बोधन में दक्षायणी वेलायुदन में इसका समर्थन करते हुये कहा कि "इस खंड की बदौलत भारत के फासिस्ट सामाजिक ढांचे में आर्थिक क्रांति हो जायेगी।"[9]

सभा का चौथा सत्र 14 से 31 जुलाई, 1947 के बीच हुआ। 14 जुलाई, 1947 को पश्चिमी बंगाल से श्रीमती रेणुका रे एवं संयुक्त प्रांत से बेगम ऐजाज रसूल सदस्य बनी। 14 जुलाई को बेगम ऐजाज रसूल ने सभा की बैठकें दोपहर में करने का विरोध किया था। ऐजाज रसूल सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी। 17 जुलाई, 1947 को जब सभा में राज्य मंत्रिपरिषद के कार्यकाल के संदर्भ में सरदार पटेल द्वारा प्रस्ताव रखा गया था, उस समय बेगम ऐजाज रसूल ने अपना संशोधन प्रस्ताव रखा। इसके अनुसार मंत्रिपरिषद को विधानसभा के जीवन काल तक पदासीन रखने का प्रस्ताव था। ऐजाज रसूल इस संदर्भ में स्विस प्रणाली को अपनाने पर जोर दे रही थी। ताकि शासन में स्थिरता रहें। 18 जुलाई, 1947 को रेणुका रे ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विधानमंडल में स्त्रियों के लिये कोई नियत स्थान नहीं होने चाहिये। उन्होंने इसका कारण बतलाते हुए कहा "मेरे ख्याल से जबकि स्त्रियों के लिये विशेष स्थान नियत हो जाते हैं तो मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति क्रियान्वित हो जाती है और सामान्य सीटों पर स्त्रियों के भेजने के प्रश्न पर विचार ही नहीं उठता है, चाहे वे कितनी ही योग्य क्यों न हो।"[10]

21 जुलाई, 1947 को सभा में सरदार पटेल ने उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान को रखा। जी. दुर्गाबाई ने इस प्रावधान में दी गई प्रक्रिया का समर्थन करते हुये न्यायपालिका की भूमिका और उसकी

स्वतंत्रता की आवश्यकता पर सुंदर उद्बोधन दिया था। उन्होंने अपने उद्बोधन में प्रांतों की स्वतंत्रता पर अंकुश की आशंका को भी खारिज किया। सभा में महिला सदस्य शासन के प्रत्येक आयाम पर विचार रखती थी। यह उद्बोधन एक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है।

22 जुलाई, 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक राष्ट्रीय ध्वज संबंधी प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव पर कई सदस्यों ने अपने उद्बोधन द्वारा इसका समर्थन किया। इस प्रस्ताव पर अंतिम उद्बोधन सरोजिनी नायडू का था। अपने सुंदर व विस्तृत उद्बोधन में उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज की महत्ता, अशोक चक्र की महत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा "याद रखिये, इस झंडे के नीचे न कोई राजा है, न कोई रंक है, न कोई धनी है और न कोई निर्धन है। किसी का कोई विशेष अधिकार नहीं है, केवल कर्तव्य, उत्तरदायित्व और त्याग ही है।"[11] ज्ञातव्य है कि 23 जून, 1947 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रीय ध्वज पर एक तदर्थ समिति का गठन किया था, जिसमें सरोजिनी नायडू भी एक सदस्य थी।

29 जुलाई, 1947 को भी जी. दुर्गाबाई ने उच्च न्यायालयों के गठन के संदर्भ में बहस में सक्रिय भाग लेते हुये अपने संशोधन रखे थे। न्यायाधीशों हेतु भारतीय नागरिकता की योग्यता संबंधी संशोधन जी. दुर्गाबाई ने ही रखा था। 31 जुलाई, 1947 को राज्यसभा के गठन व संरचना की चर्चा में बेगम ऐजाज रसूल ने संशोधन रखे। उनका एक संशोधन राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति तीन वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करने के संदर्भ में भी था।

सभा का पाँचवाँ सत्र 14 से 30 अगस्त, 1947 के मध्य हुआ। इसी सत्र के दौरान भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। यह एकमात्र सत्र था जो मध्य रात्रि में प्रारंभ हुआ था। 14 अगस्त, 1947 को सभा ने रात के 11 बजे बैठक शुरू की। बैठक की शुरुआत में सुचिता कृपलानी ने वंदे मातरम् का प्रथम पद गया था। मध्य रात्रि में बम्बई से सभा की सदस्य हंसा मेहता ने भारतीय महिला समाज की ओर से राष्ट्रीय ध्वज सभा को भेंट किया गया। इसके बाद उन्होंने एक संक्षिप्त उद्बोधन भी दिया। इस दिन अंत में सुचिता कृपलानी द्वारा 'सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा' तथा 'जन गण मन अधिनायक जय है' की प्रथम पंक्तियों का गायन भी किया गया।

28 अगस्त, 1947 को सभा में अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर रिपोर्ट पर चर्चा हुई। इससे संबंधित समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस चर्चा में दक्षायणी वेलायुदन व रेणुका रे ने सक्रिय रूप से भाग लिया। विधानमंडलों में अल्पसंख्यकों और परिगणित जातियों के संरक्षण के संदर्भ में सभा में रखे गये विभिन्न संशोधनों के संदर्भ में दक्षायणी वेलायुदन ने बोलते हुये स्पष्ट कहा कि "जहां तक मेरा अपना संबंध है मैं किसी जगह भी किसी प्रकार के संरक्षण के पक्ष में नहीं हूँ।"[12] इसी प्रकार से रेणुका रे ने भी धर्म के आधार पर किसी आरक्षण या संरक्षण का विरोध किया। उनके अनुसार पृथक निर्वाचक समूह राष्ट्रहित के लिये ही नहीं, बल्कि स्वयं उन जातियों के लिये भी अहितकारी है, जिनके लिये वे प्रावधान किये जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि "हम अब यह पसंद नहीं करेंगे कि पृथक निर्वाचक समूहों के लिये मांग करके या इसी प्रकार की छिपी हुई चालें चलकर मुख्य प्रश्न [अज्ञान, रोग, क्षुधा, दरिद्रता] से हमें विमुख किया जायें।"[13] स्पष्ट है की सभा की महिला सदस्य देश के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बढ़ चढ़कर भाग ले रही थी।

30 अगस्त, 1947 को सभा में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में चर्चा के दौरान पश्चिमी बंगाल की पूर्णिमा बनर्जी ने भाग लेते हुये अपना संशोधन रखा। जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा छात्रों की वृद्धि को परिमार्जित करने तक सीमित रखने की बात कही। उनके संशोधन में सांप्रदायिक पृथकत्व को दूर रखने का भी

उल्लेख था। श्रीमती रेणुका रे ने इस विषय पर अपना संशोधन रखा था। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस विषय पर इस दिन दोनों संशोधन महिला सदस्यों द्वारा ही रखे गये थे। पूर्णिमा बनर्जी ने इस दिन अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी अधिकारों पर बोलते हुये एक अन्य संशोधन भी रखा था।

सभा का छठा सत्र 27 जनवरी, 1947 को हुआ था जो केवल एक दिन का ही था। इस दिन की संपूर्ण चर्चा में केंद्र जी. दुर्गाबाई ही थी। चूंकि देश स्वतंत्र हो चुका था, साथ ही देश का विभाजन भी हुआ था। अतः नई परिस्थितियों में संविधान सभा के नियमों में बदलाव किये जाने अपेक्षित थे। इसलिये इस संदर्भ में नियमों में संशोधन का प्रस्ताव जी. दुर्गाबाई ने ही रखा था। 27 जनवरी को जी. दुर्गाबाई के प्रस्ताव पर सभा में लंबा विचार विमर्श हुआ। कई सदस्यों ने इस पर संशोधन रखे थे। इन सभी संशोधनों के जवाब जी. दुर्गाबाई ने ही उस दिन दिये थे।

सभा का सातवाँ सत्र 4 नवंबर, 1948 से 8 जनवरी, 1949 के बीच हुआ। लगभग दस माह के बाद सभा का यह सत्र हुआ। दो महीने से अधिक अवधि तक चले इस सत्र में 36 दिन बैठक हुई। बैठक के प्रथम दिन ही एक बार फिर जी. दुर्गाबाई नियमों के संशोधन हेतु प्रस्ताव लेकर आई। चूंकि देसी रियासतों के विलय के स्वरूप सभा में उनके प्रतिनिधित्व का स्वरूप बदलने जा रहा था, इसलिये यह संशोधन लाये गये थे। इस संदर्भ में सभा के सदस्यों द्वारा उठाये गये सभी प्रश्नों का जवाब जी. दुर्गाबाई ने ही दिये थे।

चूंकि सातवें सत्र से ही डॉ. अंबेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति द्वारा विचारित मसौदे पर विचार विमर्श शुरू हुआ था। डॉ. अंबेडकर ने 4 नवंबर, 1948 को इस संदर्भ में प्रस्ताव रखते हुये एक लंबा भाषण दिया था। इस भाषण पर सभा में कई दिनों तक विचार विमर्श हुआ था। इस विचार विमर्श में बेगम अयाज रसूल, रेणुका रे तथा दक्षायणी वेलायुदन ने भी भाग लिया था। बेगम रसूल ने इस अवसर पर सभा में सुंदर वक्तव्य दिया। उन्होंने डॉ. अंबेडकर का अभिनंदन करते हुये संविधान में प्रस्तावित प्रावधानों की प्रशंसा की। अन्य देशों से प्रावधान लिये जाने के संदर्भ में उन्होंने कहा कि "इस प्रकार अनुकरण करने में मुझे तो कोई क्षति नहीं दिखाई देती। हाँ, यह जरूरी है कि ऐसा करने में हमें अपने राष्ट्र के हितों का, उसके कल्याण एवं सुख संपत्ति का सदा ध्यान रखना चाहिये।"[14]

मूल अधिकारों के संदर्भ में उनका विचार था कि मूलाधिकार ऐसे होने चाहिये कि उनके संबंध में कोई प्रतिबंध न हो और विधानमंडल कानूनों द्वारा उनमें परिवर्तन न कर सके। अल्पसंख्यकों के लिये विधानमंडल में संरक्षण के संदर्भ में उनका स्पष्ट विचार था कि "मुसलमानों की ओर से बोलते हुये मैं कहूंगी कि मेरी समझ में सुरक्षित स्थान की मांग करना बिल्कुल बेमतलब है।"[15] इस अवसर पर उन्होंने यह भी कहा कि बहुसंख्यक संप्रदाय किसी भी अन्य संप्रदाय के साथ भेदभाव नहीं करने को अपना कर्तव्य भी समझें। राष्ट्रभाषा के विषय पर उनका विचार था कि ऐसी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना चाहिये जो देश भर में अधिक बोली और समझी जाती हो।

दक्षायणी वेलायुदन ने अपने उद्बोधन में संविधान में विदेशी प्रावधानों की आलोचना की। उन्होंने प्रस्तावित संविधान में संघ शासित प्रदेशों को रखने का भी विरोध किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि "अच्छा होगा कि इन क्षेत्रों को पास के प्रान्तों में मिला दिया जाये और ऐसा करने में हमारा कोई नुकसान नहीं है।"[16] रेणुका रे ने अपने उद्बोधन में संविधान संशोधन की प्रक्रिया, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों के संरक्षण, महिला आरक्षण, केंद्र-राज्य संबंध और ग्राम पंचायतों के संदर्भ में विचार रखें। उन्होंने नागरिकता संबंधी प्रावधान पर चर्चा करते हुये स्पष्ट कहा की "चूंकि अधिकारों के साथ कर्तव्य भी संलग्न है, इसलिए इस खंड में नागरिक के कर्तव्यों की भी गणना होनी चाहिये।"[17]

मूल अधिकारों के साथ कर्तव्यों को शामिल करने की उनकी मांग का परिणाम यह निकला की 42 वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गये।

चूंकि सातवें सत्र में संविधान के मसौदे पर विचार विमर्श शुरू हो चुका था, विभिन्न सदस्यों द्वारा अनेकों संशोधन रखे जा रहे थे। कुछ संशोधन केवल शाब्दिक थे। शाब्दिक व व्याकरण संबंधी संशोधनों से सभा में अत्यधिक समय खर्च हो रहा था। इसलिए जी. दुर्गाबाई ने सभा के नियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा। जिनके द्वारा अध्यक्ष को इस प्रकार के संशोधन और अस्वीकृत करने की शक्ति प्रदान की जा रही थी। इस संशोधन पर सभा में लंबी बहस हुई। जिसका जवाब भी जी. दुर्गाबाई ने ही दिया था।

29 नवंबर, 1948 को सभा में अस्पृश्यता संबंधी प्रावधान पर चर्चा हुई थी। इसमें दक्षायणी वेलायुदन ने भी भाग लिया था। उनकी यह स्पष्ट मान्यता थी कि यदि सभा अस्पृश्यता को गैर कानूनी घोषित करने की घोषणा कर दें तो संविधान में इस प्रकार के प्रावधान रखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार से 3 दिसंबर, 1948 को बेगार व मानव व्यापार संबंधी प्रावधान पर सभा में चर्चा में भी वेलायुदन व रेणुका रे ने भाग लिया। प्रो. के. टी. शाह ने इस प्रावधान में देवदासी प्रथा पर रोक का प्रावधान भी जोड़ने का संशोधन रखा था। इस विषय पर दक्षायणी वेलायुदन ने कहा कि देवदासी बुरी प्रथा है और इस हेतु कुछ राज्यों में विधिक प्रावधान किये गये हैं, इसलिये यह प्रावधान इस अनुच्छेद में रखने की आवश्यकता नहीं हैं। रेणुका रे वेलायुदन के विचारों से सहमत थी। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि "मेरे विचार में श्री शाह के संशोधन को यह परिषद स्वीकार कर सकें, जिससे कि मंदिरों में स्त्रियों को अर्पण करने की देवदासी प्रथा को विधान के एक स्पष्ट प्रावधान द्वारा समाप्त किया जा सके, तो यह अधिक अच्छा रहेगा, क्योंकि यह प्रथा अभी भी कई क्षेत्रों में शेष हैं।"[18] रेणुका रे ने स्त्रियों के अनैतिक व्यापार को रोकने के विषय में देश में पहले से विद्यमान कानूनों के बावजूद प्रभावपूर्ण ढंग से क्रियान्वयन नहीं होने पर चिंता प्रकट की।

6 दिसंबर, 1948 को जी. दुर्गाबाई ने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर चर्चा के दौरान हिंदू धर्म से संबंधित सभी संस्थायें हिंदू धर्म से संबंधित सभी वर्गों के लिये खोलने का संशोधन रखा था। जिसे स्वीकार भी किया गया। इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि इस प्रावधान के संदर्भ में अनेक संशोधन अस्वीकार भी किये गये। 7 दिसंबर, 1948 को शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध विषयक चर्चा हुई। इसमें भाग लेते हुये रेणुका रे सुंदर टिप्पणी की कि "मुझे विश्वास है कि इस सभा में उपस्थित सदस्य तथा देश के अन्य व्यक्ति मुझसे इस बात में सहमत होंगे कि यह परमावश्यक है की भावी नागरिकों को जो शिक्षा दी जाये वह इस प्रकार की हो कि जिससे उसे पंथनिरपेक्ष राज्य के विचार का प्रादुर्भाव हो, जिसमें कि प्रत्येक व्यक्ति से सम्मान व्यवहार किया जाता है और इस संबंध का जो प्रावधान हमारे विधान में रखा गया है, वह सार्थक हो जाये।"[19]

बेगम अय्याज रसूल ने अल्पसंख्यक अधिकारों पर चर्चा करते हुये अल्पसंख्यकों के बच्चों को मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा देने का संशोधन रखा था। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संदर्भ में जी. दुर्गाबाई का विचार था कि मेरे विचार में यह ऐसा अधिकार हैं जो कि इस संविधान द्वारा प्रत्याभूत समस्त मूलाधिकारों का मूल है। इस संदर्भ में उनके द्वारा रखे गये विचार भविष्य के कई प्रश्नों के जवाब देते हुये प्रतीत होते हैं। बेगम अय्याज रसूल ने राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया पर बहस में भाग लेते हुये एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रणाली की उपादेयता पर प्रश्न

उठाते हुये आनुपातिक प्रतिनिधित्व जैसी शब्दावली हटाने का संशोधन रखा। उनका स्पष्ट मत था कि जब केवल एक ही व्यक्ति का निर्वाचन किया जाता है तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल के त्रावणकोर की ऐनी मैसकरीन 29 दिसंबर, 1948 को सभा की सदस्य बनी। वह सभा में देसी रियासतों से एकमात्र महिला सदस्य थी। 3 जनवरी, 1949 को बेगम अय्याज रसूल ने संसद का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रखने का प्रस्ताव रखा था। 6 जनवरी, 1949 को रेणुका रे ने महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेते हुये राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका को अप्रासंगिक बतलाया। इसी प्रकार से इसी दिन बेगम अय्याज रसूल ने राज्य विधानमंडल की सदस्य संख्या में वृद्धि का संशोधन रखा था।

अब तक की संविधान सभा की बहुत से यह स्पष्ट हो रहा है कि सभा में कोई ऐसा विषय नहीं था, जिसमें महिला सदस्यों ने अपने महत्वपूर्ण सुझावों व विचार विमर्श द्वारा संविधान निर्माण में योगदान नहीं दिया हो। इस बीच 2 मार्च, 1949 भारत कोकिला सरोजिनी नायडू का निधन हो गया। सभा के आठवें सत्र के प्रथम दिन 16 मई, 1949 को उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। 16 मई को ही पंडित नेहरू ने सभा में राष्ट्रमंडल की सदस्यता संबंधी निर्णय के अनुसमर्थन में प्रस्ताव रखते हुये लंबा उद्बोधन दिया था। इस प्रस्ताव पर सभा में दो दिन तक विचार विमर्श हुआ। कुछ सदस्यों ने इस प्रस्ताव की आलोचना भी की। 17 मई को अपने उद्बोधन में बेगम अय्याज रसूल ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुये इस संदर्भ में की गई आलोचना का जवाब भी दिया। उनके अनुसार भारत व ब्रिटेन की प्रणाली में समानता होने के कारण यह ठीक ही है। चूंकि पहले के विचार विमर्श में यह प्रतिपादित किया गया था कि नियम संबंधी परिवर्तनों की प्रस्तावक जी. दुर्गाबाई ही थी, 18 मई, 1949 को भी उन्होंने इस संदर्भ में प्रस्ताव रखते हुये उनके कारणों पर प्रकाश डाला था। राज्यसभा सदस्यों के लिए उम्मीदवार की आयु 30 वर्ष रखने का प्रावधान जी. दुर्गाबाई के प्रस्ताव पर ही किया गया था। मसौदा संविधान में यह 35 वर्ष रखा गया था। उनका यह स्पष्ट मत था की आयु व बुद्धिमानी में कोई संबंध नहीं हैं।

20 मई, 1949 को सभा की कार्यवाही में भाग लेते हुये बेगम अय्याज रसूल ने महत्वपूर्ण संशोधन रखा। प्रश्न यह था कि राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को पूर्नविचार हेतु भेजने पर क्या होगा? बेगम अय्याज ने प्रस्ताव रखा कि इस प्रकार के विधेयक यदि पून: पारित होकर राष्ट्रपति के पास स्वीकृति हेतु प्रस्तुत होते हैं तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति नहीं रोकेगा। यह संशोधन स्वीकार किया गया। इसे स्वीकार करने में संसद व राष्ट्रपति के मध्य संभावित संघर्ष को रोकने में सहायता मिली।

25 मई को बेगम अय्याज रसूल ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों एवं भारत में बहुसंख्यकों की स्थिति पर सुंदर उद्बोधन दिया। दरअसल इसी दिन सरदार वल्लभभाई पटेल ने अल्पसंख्यकों के संदर्भ में परामर्शदात्री समिति की रिपोर्ट रखी थी। उन्होंने पृथक निर्वाचक मंडल के सिद्धांत को स्पष्टत: अस्वीकार करते हुए कहा कि "जहाँ तक मेरा संबंध है मैं आराम से ही यह समझता हूँ कि पंथनिरपेक्ष राज्य में पृथक निर्वाचक मंडलों का कोई स्थान नहीं है। अतः एक संयुक्त निर्वाचक मंडलों के सिद्धांत को स्वीकार करने के पश्चात् अल्पसंख्यकों के लिए स्थान रक्षण मुझे व्यर्थ और अर्थहीन दिखता हैं।"[20] उन्होंने अपने उद्बोधन में पृथक निर्वाचक मंडल से अल्पसंख्यकों को होने वाले नुकसान पर भी चर्चा की।

31 मई, 1949 को राज्यपाल के संदर्भ में सभा में चर्चा हुई। कुछ सदस्य राज्यपाल के निर्वाचन के पक्ष में थे। स्वयं मसौदा समिति ने भी इस संदर्भ में दो विकल्प प्रदान किये थे। इस विषय पर जी. दुर्गाबाई का स्पष्ट विचार था कि राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त ही होना चाहिये। आखिर में इस प्रकार की व्यवस्था को स्वीकार भी किया गया। 21 जून, 1949 को पूर्णिमा बनर्जी ने भी राज्य विधानमंडल सदस्यों की योग्यता के संदर्भ में संशोधन रखा। 6 जून, 1949 को जी. दुर्गाबाई ने उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील संबंधी विषय पर विचार रखें। 16 जून, 1949 को ऐनी मैसीकरीन ने निर्वाचन आयोग पर अपने विचार रखें।
सभा का नौ वाँ सत्र 30 जुलाई से 18 सितंबर, 1949 के बीच हुआ। यह अवधि के अनुसार सबसे बड़ा सत्र था। इस अवधि में 38 दिन बैठक हुई। 30 जुलाई, 1949 को विधानपरिषद के सदस्यों की योग्यता के संदर्भ में संसद में शक्तियाँ प्रदान करने के संदर्भ में विचार हुआ। इसी दिन इस विषय पर पूर्णिमा बनर्जी ने विचार रखे थे। उनका स्पष्ट विचार था की योग्यता का प्रश्न भावी संसद पर नहीं छोड़ा जाना चाहिये। इसके अलावा उन्होंने यह भी आश्वासन चाहा कि विधान परिषद पैसों वालों का ही सदन नहीं हो। उन्होंने स्पष्ट कहा कि "मैं आशा करती हूँ कि इस सदन में व्यक्त हमारे विचारों को भावी संसद विचार करेगी और एक ऐसा उत्तर सदन (विधानपरिषद) बनायेगी जो केवल पुनरीक्षण करने वाला होगा और जो न दुखदायी होगा और न व्यर्थ होगा।"[21] श्रीमती बनर्जी के इन विचारों से विधानपरिषद जैसी संस्थाओं को उपयोगी बनाने में सहायता मिली।

1 अगस्त, 1949 को रेणुका रे ने भी विधानपरिषद की शक्तियों पर अपने विचार व्यक्त किये। दरअसल विषय यह था कि विधानपरिषदों को विधेयक पारित करने के संदर्भ राज्यसभा जैसी शक्ति दी जाये या फिर उसकी तुलना में कम शक्ति दी जाये। ज्ञातव्य हैं कि राज्यों में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। इस संदर्भ में रेणुका रे के स्पष्ट विचार थे कि विधानपरिषदें अधिक शक्तिशाली नहीं हो क्योंकि इससे विधि निर्माण में विलंब होगा। यदि विधेयक में खराबी होगी तो राज्यपाल व राष्ट्रपति के पास विधेयकों को पुन: विचारार्थ भेजने की शक्ति है। इसी प्रकार से 9 अगस्त को पूर्णिमा बनर्जी ने डॉ. अंबेडकर द्वारा स्थानीय निकायों को कर लगाने की शक्ति देना का समर्थन करते हुए उद्बोधन दिया। 19 अगस्त को भी श्रीमती बनर्जी ने विधानपरिषद में मनोनीत होने वाले सदस्यों के क्षेत्रों पर अपने विचार रखें। इसी दिन रेणुका रे आपातकाल के दौरान राज्यों के वित्तीय स्थिति के संदर्भ में चिंतायें प्रकट की।

विषयों के बंटवारे के संदर्भ में चर्चा में भाग लेते हुये रेणुका रे ने 31 अगस्त को यह विचार प्रकट किया कि शिक्षा के क्षेत्र में एकरूपता लाना केंद्र का कार्य है और राज्यों के लिये शिक्षा न्यूनतम मान बनाये रखने हेतु पर्याप्त धन की व्यवस्था करना भी केंद्र का कार्य है। इसी प्रकार से इसी दिन डॉ. अंबेडकर ने चलचित्रों (सिनेमा) के प्रदर्शन की मंजूरी जैसे विषय को समवर्ती सूची से निकलकर संघ सूची में रखने हेतु संशोधन रखा था। [ज्ञातव्य है कि मसौदा संविधान में इसे समवर्ती सूची में रखा गया था] जी. दुर्गाबाई ने इस संशोधन का समर्थन करते हुये कहा कि ऐसा करना संपूर्ण देश में एक जैसे मानक स्थापित करने के लिये आवश्यक है। लेकिन साथ यह भी कहा है कि इस हेतु केंद्र को राज्यों से मंत्रणा तथा सहयोग भी लेना चाहिये। इन सबसे यह स्पष्ट होता है कि कोई भी विषय महिला सदस्यों के विचार विमर्श से अलग नहीं रहा।

इसी प्रकार से मध्य प्रांत एवं बरार से सभा के सदस्य डॉ. पी.एस. देशमुख ने राज्य सूची में निराश्रितों तथा परिव्यक्त शिशुओं और युवकों का पोषण और रक्षण जैसी शब्दावली जोड़ने हेतु संशोधन 3 सितंबर, 1949 को रखा था। इसका समर्थन करते हुए जी. दुर्गाबाई ने स्पष्ट कहा कि "जब तक राज्य इस संबंध में विधि बनाने की जिम्मेदारी स्वयं न ले, मेरे विचार से इसकी ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जायेगा।"[22] जी. दुर्गाबाई का इस संदर्भ में यह मानना था कि स्पष्ट उल्लेख किसी सूची में किये बिना इस विषय पर कार्य नहीं हो पायेगा। उन्होंने कहा "केवल निदेशक तत्वों के रूप में पवित्र घोषणाओं के उल्लेख मात्र से कोई लाभ न होगा, जब तक की राज्य उनको प्रयोग में न लाये।"[23] परिव्यक्त बच्चों के भविष्य के संदर्भ में यह सोच व चिंता जी. दुर्गाबाई को अलग व्यक्तित्व बना देती है। उनका यह मानना था कि यदि इन बच्चों की समुचित देखभाल का दायित्व निर्धारित नहीं किया तो यह गलत रास्ते पर जा सकते हैं। उन्होंने हल्की नाराजगी प्रकट करते हुये कहा कि जब मसौदा समिति जंगली पक्षियों की रक्षा के संबंध में एक प्रविष्टि रख सकती है तो क्या बच्चों का जंगली पक्षियों के वर्ग से भी कम महत्व है? हालांकि बाद पी.एस. देशमुख ने इस संशोधन को वापस ले लिया।

10 सितंबर, 1949 को सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में संशोधन रखते हुये विस्तृत उद्बोधन दिया था। लगभग तीन दिन तक इस विषय पर चली बहस में पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका रे तथा बेगम अय्याज रसूल ने सक्रियता से भाग लिया। 14 सितंबर को जी. दुर्गाबाई ने भाषा के विषय पर अपने विचार रखे थे। वे हिंदुस्तानी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने की समर्थक थी। 17 सितंबर को प्रिवी कौंसिल की समाप्ति से संबंधित विधेयक पारित किया गया। जी. दुर्गाबाई ने इस पर विचार प्रकट करते हुये इसे महत्वपूर्ण घटना बतलाया।

यहाँ 11 अक्टूबर, 1949 का उल्लेख करना भी आवश्यक है। अंतरिम संसद से संबंधित प्रावधानों पर चर्चा चल रही थी। पूर्णिमा बनर्जी ने यह संशोधन रखा की अंतरिम संसद में जब महिलाओं के स्थान रिक्त होंगे तो यह स्थान महिलाओं से ही भरे जाने चाहिये। ज्ञातव्य है कि सभा में महिलाओं के लिये कोई स्थान आरक्षित नहीं थे। हालांकि यह संशोधन स्वीकार नहीं हुआ था। 15 अक्टूबर को एक बार फिर जी. दुर्गाबाई ने नियमों में संशोधन संबंधी प्रस्ताव रखा था। इस पर नजीरूद्दीन अहमद ने यह टिप्पणी की कि कठिन नियमों को रखने हेतु महिला को आगे कर दिया गया है। जी. दुर्गाबाई ने इसका जवाब देते हुये कहा कि यह प्रस्ताव उन्होंने अपनी इच्छा से रखा है।

17 अक्टूबर, 1949 को प्रस्तावना को सभा ने अंतिम रूप प्रदान किया। एच.वी. कामत ने प्रस्तावना में ईश्वर शब्द जोड़ने का संशोधन रखा। इस विषय पर बोलते हुये पूर्णिमा बनर्जी ने कहा कि ईश्वर को वाद विवाद का विषय नहीं बनाया जाये। उन्होंने इस संदर्भ में कामत से अपील भी की। इसी दिन पूर्णिमा बनर्जी ने प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व जैसे शब्दावली जोड़ने हेतु संशोधन भी रखा। जे.बी. कृपलानी ने भी अपने उद्बोधन में पूर्णिमा बनर्जी के संशोधन को स्वीकारने की बात कही थी।

सभा का 11वाँ अधिवेशन 14 से 26 नवंबर, 1949 के बीच हुआ। इस सत्र में भी सभा की महिला सदस्यों यथा - पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका रे, बेगम अय्याज रसूल, हंसा मेहता, जी. दुर्गाबाई तथा अम्मू स्वामीनाथन ने अपने विचार प्रकट किये। इसी सत्र में संविधान को अंतिम रूप देते हुये उसे स्वीकार किया गया। सभा के अनेकों सदस्यों ने इस सत्र में संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताओं, संविधान निर्माण में डॉ. अंबेडकर के योगदान पर प्रकाश डाला। सभा के अंतिम दिन 24 जनवरी, 1950 को पूर्णिमा बनर्जी ने जन, गण, मन गाया था।

इस संपूर्ण चर्चा से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि सभा में भले ही महिला सदस्यों की संख्या कम थी, लेकिन संविधान के सभी महत्वपूर्ण विषयों पर उन्होंने अपने संशोधनों और विचारों द्वारा संविधान निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था।

संदर्भ सूची

1. भारतीय संविधान सभा के विवाद की सरकारी रिर्पोट (हिन्दी संस्करण), लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली, द्वितीय पुनर्मुद्रण, 2015, 9 दिसम्बर, 1946, पृष्ठ संख्या – 14 से 21
2. वही, 10 दिसम्बर, 1946, पृष्ठ संख्या - 13
3. वही, 11 दिसम्बर, 1946, पृष्ठ संख्या - 25
4. वही, 17 दिसम्बर, 1946, पृष्ठ संख्या - 01
5. वही, 19 दिसम्बर, 1946, पृष्ठ संख्या - 13
6. वही, 19 दिसम्बर, 1946, पृष्ठ संख्या - 36
7. वही, 24 जनवरी, 1947, पृष्ठ संख्या - 22
8. वही, 24 जनवरी, 1947(गोपनीय), पृष्ठ संख्या - 17
9. वही, 01 मई, 1947, पृष्ठ संख्या - 08
10. वही, 18 जुलाई, 1947, पृष्ठ संख्या - 26
11. वही, 22 जुलाई, 1947, पृष्ठ संख्या - 46
12. वही, 28 अगस्त, 1947, पृष्ठ संख्या - 21
13. वही, 28 अगस्त, 1947, पृष्ठ संख्या - 27
14. वही, 8 नवम्बर, 1948, पृष्ठ संख्या - 279
15. वही, 8 नवम्बर, 1948, पृष्ठ संख्या - 281
16. वही, 8 नवम्बर, 1948, पृष्ठ संख्या - 291
17. वही, 9 नवम्बर, 1948, पृष्ठ संख्या - 378
18. वही, 3 दिसम्बर, 1948, पृष्ठ संख्या - 1290
19. वही, 7 दिसम्बर, 1948, पृष्ठ संख्या - 1417
20. वही, 25 मई, 1949, पृष्ठ संख्या - 469
21. वही, 30 जुलाई, 1949, पृष्ठ संख्या - 52
22. वही, 3 सितम्बर, 1949, पृष्ठ संख्या – 1425
23. वही, 3 सितम्बर, 1949, पृष्ठ संख्या – 1426

अध्याय- 4
भारत में सयुंक्त परिवार व्यवस्था : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

बालू दान बारहठ
सह आचार्य,
डीजीटीपीएस, केंद्रीय विश्वविद्यालय गुजरात, गांधीनगर

परिवार प्राचीन काल से प्रचलित प्राकृतिक एवं नैसर्गिक सामाजिक संस्था है जो समाज की एक आधारभूत इकाई के रूप में सदैव विद्यमान रही है। परिवार द्वारा व्यक्ति की धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आर्थिक इत्यादि कई प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती आई है। भारतीय संरचना मे परिवार संयुक्तता की धारणा से अभिप्रेरित होते हुए "संयुक्त परिवार" के स्वरूप में विकसित हुआ। परिवार की संयुक्तता का अर्थ सह-निवासी व सह-भोजी नातेदारी समूह से है। ऋग्वेदीय सभ्यता में संयुक्त परिवार को शक्ति व प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता रहा है। हमारे कई धर्मशास्त्रों में जहां मोक्ष की प्राप्ति के लिए सन्यासी जीवन को महत्व दिया गया है वहीं भारतीय आश्रम व्यवस्था में गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों का मूल आधार माना गया है। मैक्स मूलर ने संयुक्त परिवार को भारत की "आदि परंपरा" कहा है जो भारतीयों को सामाजिक परंपरा के रूप में मिलता रहा है, चाहे इसके स्वरूप और संरचना में परिवर्तन होते रहे हो।

साहित्य पुनरावलोकन :-

सयुंक्त परिवार से संबंधित उपलब्ध साहित्य समीक्षा इस प्रकार है-

एलिन डी. रॉस (1961)[1], ने अपनी पुस्तक "हिंदू फैमिली इन इट्स सेटिंग" में बेंगलुरु के 157 हिंदू परिवारों के अध्यनन के आधार पर कहा कि सयुंक्त परिवार प्रौद्योगिकी कारकों के कारण परिवर्तित को रहे हैं। संयुक्त परिवार का स्वरूप एकाकी परिवार में बदल रहा हैं। अधिकतर लोग जीवन का कुछ समय एकाकी परिवार के रूप में बिताते हैं। वर्तमान में लघु सयुंक्त परिवार का अस्तित्व पारिवारिक जीवन का एक विशिष्ट मानक बना हुआ है।

आई.पी. देसाई (1964)[2] द्वारा अपने अध्ययन "सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ" में गुजरात के महुआ कस्बे के 423 परिवारो का अध्ययन प्रस्तुत किया गया। देसाई ने निवास ,संपत्ति व संबंधियों के पारस्परिक दायित्वों के संदर्भ में संयुक्तता को परिभाषित किया है। देसाई ने चार श्रेणीयों में परिवार को रखा- (a) पति-पत्नी तथा एक सदस्यीय परिवार (b) पति-पत्नी व विवाहित पुत्र सहित तथा अन्य अविवाहित संतान (c) तीन पीढ़ियों वाला समरेखीय परिवार (d) चार या उससे अधिक पीढ़ियों वाला समरेखीय परिवार। देसाई ने (c) व (d) श्रेणी के परिवार को संयुक्त परिवार कहा है। उनके अध्ययन के आधार पर महुआ में ऐसे 61% संयुक्त परिवार थे। देसाई के अनुसार अब भी लोगो में संयुक्त रुप से रहने की इच्छा प्रबल है। औद्योगिकरण, नौकरशाही व्यवस्था, नगरीकरण, मौद्रीकरण नाभिय परिवार से संबंधित है जबकि सयुंक्त परिवार आज भी एक मान्य प्रतिमान है।

के. एम. कपाड़िया (1966)[3], ने अपनी पुस्तक" मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया" में हिन्दूओं के जीवन दर्शन की चर्चा करते हुए हिन्दू संयुक्त परिवार का विश्लेषणात्मक अध्ययन वैज्ञानिक कसौटी पर कसते हुए किया। साथ ही साथ संयुक्त परिवार पर प्रभाव डालने वाली आधुनिक तथा समसामयिक प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाला गया है। सयुंक्त परिवार के पितृसत्तात्मक स्वरुप की विवेचना करते हुए कपाड़िया ने बताया कि परिवार के मुख्य का परिवार के सदस्यों के साथ व्यवहार व उन पर नियंत्रण के इतने स्पष्ट संकेत नहीं मिलते हैं ,जिससे कि हम उसे परिवार का नायक (पिता) कह सके परंतु अस्पष्ट रुप से ही सही परिवार की सम्मिलित संपत्ति पर उसका नियंत्रण अवश्य देखा जा सकता है। कपाड़िया के अनुसार यदि हमें वैदिक परिवार को पितृसत्तात्मक सिध्द करना है तो हमें मुखिया के सम्पत्ति पर नियंत्रण को देखना होगा।

अरूण कुमार (2002)[4] ने अपने शोध कार्य "सयुंक्त परिवार के बदलते प्रतिमानों का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन" में सयुंक्त परिवार के परिवर्तित आकार व विविध स्वरूपों का विवरण प्रस्तुत किया गया। शोधकर्ता ने सयुंक्तता के नवीन स्वरूपों व उनके आधार की व्याख्या प्रस्तुत की। साथ ही शोधकर्ता ने पारिवारिक सदस्यों के मध्य परस्पर संबंधों में आए परिवर्तन का विश्लेषण भी किया है।

अरूण कुमार (2018)[5] ने अपने शोध पत्र "परिवार के स्वरुप का वर्तमान परिदृश्य- एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण" में बताया है की आधुनिकीकरण तथा विकास की दौड़ के कारण व्यक्तिवादी विचारधाराओ ने जन्म लिया है जिसके परिणामस्वरूप हिंदू संस्कृति में कई परिवर्तन आए हैं। प्राथमिक परिवारों की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई तथा परिवार के मुखिया का नियंत्रण शिथिल हुआ।

ज्योति सुभाष सेकुलर (2018)[6] के "इंपेक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑन ज्वाइंट फैमिली" शोध पत्र में बताया है कि संयुक्त परिवार की संरचना में पारिवारिक ज़िम्मेदारियों, महत्वपूर्ण निर्णयों, पारिवारिक संबंधों तथा समाजीकरण से संबंधित विभिन्न पक्षों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए है। महिलाएं शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ी है जिससे उनकी स्थिति व भूमिका में अंतर आया है। नाभिक परिवारों की निरन्तर स्थापना हो रही है जो नये मूल्यों व दृष्टिकोणों को पनपा रहे हैं।

सुमन कुमारी (2020)[7] द्वारा प्रस्तुत शोध पत्र "सयुंक्त परिवार का स्वरुप एवं परिवर्तन की प्रवृत्ति" में बताया है कि परिवार की संयुक्तता के संबंध में सिर्फ विच्छेदन प्रवृत्ति में बदलाव आया है। विस्तृत संयुक्त परिवार के स्थान पर प्रकार्य की दृष्टि से एकाकी परिवार अपने प्राथमिक नातेदारों के साथ संयुक्त बन हुए हैं।

अध्यन के उद्देश्य :-

प्रस्तुत अध्यन हेतु निर्धारित उद्देश्य इस प्रकार है -

1) भारत में विद्यमान संयुक्त परिवार प्रणाली के महत्व का विवरण प्रस्तुत करना ।

2) संयुक्त परिवार प्रणाली मे आ रहे परिवर्तनों की विवेचना करना।

अध्ययन क्षेत्र:-

प्रस्तुत अध्ययन भारत की सामाजिक संरचना में विद्यमान संयुक्त परिवार परंपरा पर आधारित है। भारत की अपनी अनूठी सामाजिक संरचना व सांस्कृतिक परंपराएं रही हैं, जिसके कारण विश्व भर में प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय तक आकर्षक का केंद्र बना रहा है। ऐसे अनूठे व समृद्ध भारत देश के समाज की मौलिक व आधारभूत इकाई परिवार का अध्ययन संपूर्ण भारत की सामाजिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

अध्ययन पद्धति:-

प्रस्तुत अध्ययन में संयुक्त परिवार प्रणाली के विविध पक्षों से संबंधित तथ्यों की प्राप्ति के लिए पूर्णतः द्वैतीयक स्त्रोतों का प्रयोग किया गया है। इस संबंध में प्रकाशित विविध पुस्तकों, शोध -पत्र , समाचार पत्र -पत्रिकाएं , प्राचीन ग्रंथ तथा सोशल मीडिया पर आॅन लाइन उपलब्ध अध्ययन सामग्री इत्यादि के माध्यम से प्राप्त जानकारी व तथ्यों को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध करके विविध बिंदुओं में विभक्त कर अध्ययन के उद्देश्यों के अनुरुप निष्कर्ष प्रदान किया गया है।

सयुंक्त परिवार :-

भारतीय समाज में परिवार और विवाह को धर्म का अंग माना गया है। परिवार वह मौलिक इकाई है जिसके द्वारा वंश वृद्धि के साथ-साथ संतानों का पालन पोषण व समाजीकरण का दायित्व पूरा किया जाता है। सामाजिक परंपराओं के संरक्षण व व्यक्तित्व निर्माण में परिवार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ समाजशास्त्रियों द्वारा दी गई सयुंक्त परिवार की परिभाषाएँ निम्न प्रकार से है-

इरावती कर्वे के अनुसार "एक संयुक्त परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो सामान्यतः एक ही घर में रहते हैं, जो एक ही रसोई में बना भोजन करते हैं, जो संपत्ति के सम्मिलित स्वामी होते हैं तथा जो सामान पूजा में भाग लेते हैं और जो किसी न किसी प्रकार से एक- दूसरे से रक्त संबंधी हो।"[8] कर्वे द्वारा दी गई परिभाषा से पांच विशेषताएं सह-निवासी, सह रसोई, सह संपति, सह पूजा और एक विशेष प्रकार (रक्त) की नातेदारी संबंध का होना संयुक्तता का आधार माना गया है।

आई. पी. देसाई मानते हैं कि "हम उस गृह को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें एकाकी परिवार से अधिक पीढियों (अर्थात 3 या अधिक) के सदस्य रहते हैं और जिसके सदस्य एक दूसरे से संपत्ति, आय और पारस्परिक अधिकारों तथा कर्तव्यों द्वारा संबद्ध हो।"[9] देसाई ने सयुंक्त परिवार में सदस्यों के प्रति अधिकारों व दायित्वों को अधिक महत्व दिया।

सयुंक्त परिवार वह इकाई है जिसमें कई पीढ़ियों के सदस्य एक साथ एक पारिवारिक मुखिया के नेतृत्व में रहते हुए परस्पर अधिकार व कर्तव्यों से बंधे होते है जिनकी सम्पत्ति सामूहिक होती है। पारिवारिक सदस्य परस्पर उत्सव, त्योहार, पूजन व भोज इत्यादि मे सामूहिक रूप से भाग लेते है। संयुक्त परिवार के आवश्यक तत्व के रूप में देखें तो

सह-निवास, सह-संपत्ति, सह भोजन, कर्तव्य एवं अधिकार की भावना, सत्ता के प्रतिमान तथा सत्ता की अधीनता इत्यादि तत्व परिलक्षित होते हैं।

सयुंक्त परिवार के प्रकार:-

सयुंक्त परिवार को सामान्यतः सत्ता की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है- पितृसत्तात्मक परिवार तथा मातृसत्तात्मक परिवार। पितृसत्तात्मक परिवार जिसमें संपूर्ण नियंत्रण पिता अथवा पुरुष के हाथ में होता है। वही परिवार के मुखिया के रूप में परिवार के सभी कार्य को संचालित व नियंत्रित करता है ऐसे परिवार में पुत्र का महत्व अधिक होता है। दूसरा मातृसत्तात्मक परिवार इसमें वंश स्त्री के नाम से चलता है। परिवार के मुखिया मां अथवा स्त्री होती है। परिवार की कार्यों को सुव्यवस्थित व संचालित करने की जिम्मेदारी परिवार की मुखिया (महिला) की होती है।

विज्ञानेश्वर महाराज ने संपत्ति के अधिकार की दृष्टि से परिवार को दो भागों में बांटा है- मिताक्षरा संयुक्त परिवार तथा दायभाग संयुक्त परिवार। मिताक्षरा संयुक्त परिवार जिसमें सम्पत्ति पर अधिकार जन्म से ही होता है। इसमें केवल पुरूष संपत्ति का अधिकारी होता है। जबकी दायभाग संयुक्त परिवार में पिता के मृत्यु के पश्चात पुत्र को संपत्ति पर अधिकार प्राप्त होता है। पिता का पिंडदान करने वाले बड़े पुत्र को ही ये अधिकार होता है साथ ही साथ इस परिवार व्यवस्था मे विधवाओं को भी संपत्ति में अधिकार प्राप्त होता है।[10]

सयुंक्त परिवार का महत्व :-

भारतीय संयुक्त परिवार आदर्श परंपरागत जीवन शैली का प्रतीक रहा है। मनुष्य ने जब अपनी सुरक्षा व विकास के लिए समाज व्यवस्था को अस्तित्व मे लाया तब मनुष्य की शारीरिक, आर्थिक, मानसिक व सामाजिक सुरक्षा के वातावरण की नितांत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आधारभूत इकाई के रूप में परिवार अस्तित्व में आया। काल और परिस्थितियों के अनुसार सयुंक्त परिवार व्यवस्था में भी अनेक परिवर्तन होते रहे हैं। औद्योगिक विकास व उपभोक्तावाद के चलते सयुंक्त परिवार मे भी बिखराव आया, इसके बावजूद आज भी सयुंक्त परिवार अपनी अनिवार्यता व महत्व को बनाए हुए है। वर्तमान समय में सयुंक्त परिवार का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार्य भौतिकताजन्य तनावों से मानव को राहत पहुंचाना है। संयुक्त परिवार में कई पीढ़ियां एक साथ निवास करती है जिसके फलस्वरुप एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अच्छा समायोजन हो जाता है तथा अनुकूल पारिवारिक वातावरण उपलब्ध होता है। ऐसा परिवार मनुष्य को सामाजिक व मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान करता है। परिवार पर आने वाली कठिनाइयों व समस्याओं का सामना परिवार के सदस्य मिलकर करते है जिससे परिवार के लोगों को हौसला व भावनात्मक समर्थन प्राप्त होता है। फलस्वरूप व्यक्ति तनाव मुक्त जीवन व्यतीत कर पाता है।

सयुंक्त परिवार में बच्चों का समाजीकरण एकाकी परिवार की तुलना में अनुशासनात्मक माहौल व बुजुर्गों के मार्गदर्शन में हो पाता है। सयुंक्त परिवार पीढियों से संचित ज्ञान- भण्डार का केन्द्र रहा है जिसके फलस्वरूप भावी पीढ़ी का उच्च शारीरिक व चारित्रिक विकास होता हैं। धार्मिक रीति-रिवाजों और परम्पराओं का भी संचरण होता

है। उनके प्रेरक प्रसंग, इतिहास तथा सामाजिक मूल्य आदि संयुक्त परिवार में एकल परिवार की तुलना में ज्यादा सहजता से नवीन पीढ़ी को हस्तांतरित होते है।

सयुंक्त परिवार सदस्यों की संख्या अधिक होने से शुद्ध व पर्याप्त मनोरंजन के स्थल का कार्य भी करता है। प्रेम, स्नेह, आदर-सम्मान, सहानुभूति, परानुभूति, सहयोग जैसे नैतिक गुणों का विकास सयुंक्त परिवार में सहज ही हो जाता हैं। परिवार एक नियामक संस्था है जिसकी अपनी एक नियम, कानून व कायदों की व्यवस्था होती है जो परिवार के सदस्यों को अनुशासित व नियंत्रित रखती हैं। परिवार के सदस्यों के मध्य साम्य श्रम विभाजन पाया जाता है। सभी सदस्य में उनकी योग्यता व क्षमता के आधार पर श्रम विभाजन किया जाता हैं।इसी से परिवार के सदस्यों के मध्य मिलजुल कर कार्य करने की सामूहिकता की भावना पनपती हैं। संयुक्त परिवार में सामान्य कोष की व्यवस्था होती है सभी सदस्य अपनी क्षमता से इसमे योगदान करते है तथा इस सम्पत्ति पर सभी सदस्य समान रुप से अधिकार रखते हैं परन्तु परिवार के मुखिया का इस पर नियंत्रण रहता है जिसके द्वारा सोच-समझकर परिवार के खर्च देखे जाते हैं। इससे अनावश्यक खर्चों से बचाव होता है और पारिवारिक धन संचय मे वृद्धि होती है। आर्थिक दृष्टि से देखा जाये तो संयुक्त परिवार "योग्यतानुसार उत्पादन व आवश्यकता आधारित वितरण" की आदर्श व्यवस्था पर आधारित होते है जिससे बचत व खर्च में संतुलन बना रहता है। सयुंक्त परिवार में सम्पत्ति विभाजन की सम्भावना कम रहती है। बीमार सदस्य, वृद्धजन, विकलांग, अनाथ व विधवा स्त्रियों इत्यादि को सयुंक्त परिवार से सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होती है। वर्तमान समय मे भी सयुंक्त परिवार सरंचना व प्रकार्य दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण बना हुआ है।

भारत की पुश्तैनी संपत्ति के विभाजन का भी कारण बनती है। जब परिवार का स्वरूप बदलता है तो स्वाभाविक रूप से उद्योगों तथा भूमि का बंटवारा होता है जो प्रगति में प्रतिगामी माना जाता है। अम्बानी परिवार की संयुक्त उद्यमशीलता के विभाजन ने किस तरह अनिल अम्बानी को दिवालिया बनाया, यह प्रकट ही है। इसी भांति भारत के 90 प्रतिशत से भी अधिक किसान लघु एवं सीमांत किसानो की श्रेणी में आते है क्योंकि परिवार के विभाजन के साथ-साथ उनकी जोत का भी विभाजन होता जाता है। खेत की छोटी जोत किसानो की उत्पादकता व उन्नति में बड़ी बाधा है। इस तरह स्पष्ट है कि संयुक्त परिवार व्यवस्था उद्योग व कृषि की दृष्टि से उपयोगी है।

इसी तरह श्रम-विशिष्टीकरण के दौर में उत्प्रवास को उन्नति के लिए आवश्यक माना जाता है, इसलिए बड़े पैमाने पर श्रमिक, उद्यमी व सेवा क्षेत्र के लोग बड़े शहरों को प्रवास करते है। एकल परिवार की स्थिति में वे परिवार को साथ रखने से अतिरिक्त दबाव में होते है क्योंकि मूल स्थान पर उनकी चिंता करने वाला कोई नहीं होता एवं साथ रखने में आय, आवास, शिक्षा जैसी अनेक चुनौतियाँ होती है। ऐसे में संयुक्त परिवार व्यवस्था व्यक्ति को इस चिंता से मुक्त रख सकती है जिससे उनकी उत्पादक क्षमता भी धनात्मक रूप से प्रभावित होगी।

सृष्टि में घटित होने वाली प्रत्येक घटना में सकारात्मक व नकारात्मक, दोनों ही पक्ष समाहित होते है जिसका विस्मरण हमें वैश्विक महामारी 'कोरोना' ने करवाया है। कोरोना महामारी ने सम्पूर्ण वैश्विक अर्थव्यवस्था की जडें हिला दी। इसके वैश्विक प्रसार ने सभी विकसित एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की विसंगतियों को उजागर किया है। विश्वस्तरीय स्वास्थ्य प्रणाली के बावजूद ईटली जैसे विकसित राष्ट्र को मौत का तांडव देखने को मजबूर होना पड़ा, जो सम्पूर्ण विश्व के लिए गंभीर चेतावनी थी। व्यक्तिगत स्वच्छता व सामाजिक दूरी के उपायों को कोराना महामारी

के खिलाफ सबसे प्रभावी सुरक्षा उपायों में से एक के रूप में पहचाना गया फलतः इस संकट से मुक्ति पाने को लालायित विश्व की तमाम बड़ी अर्थव्यवस्थाऐं अपनी आर्थिक प्रगति को विराम देने, राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू करने, वैश्विक व्यापार को स्थगित करने जैसे उपाय लागू करने को विवश हुई, जिनका इन राष्ट्रों की आर्थिक प्रगति पर तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ही, साथ ही सामाजिक दूरी के उपायों की अभिपालना ने तनाव, भय व अकेलापन जैसी मानसिक विकृतियों को जन्म दिया जिसने भारतीयों संयुक्त परिवार प्रणाली के गुणों को एक बार पुनः उजागर किया है। जिन पाश्चत्य देशो की संस्कृति को होड़ में हम अपनी संस्कृति को विस्मृत करते जा रहे है, कोरोना काल में, इन तमाम देशो से भी खबरे आयी की वहां के लोग अब अपने माता-पिता या अभिवाककों के पास जा कर रहने लगे हैं। जन-मानस एकल की तुलना में संयुक्त परिवार को वरीयता देने लगे है।

कोरोना के कारण लागू लॉकडाउन के तहत भागती-दौड़ती ज़िंदगी में अचानक आए ठहराव, बीमारी के डर, तनाव आदि से उत्पन्न तनाव ने तमाम विश्व के उन युवाओं जो किसी भी तरह की खलल से दूर रह कर अपनी जिंदगी जीना चाहते थे, वे दम्पत्ति जो पहले अपनी स्वतंत्रा में किसी की टोका-टाकी ना चाहते हुए अकेले रहना चाहते थे या जो किसी भी कारणवश सिर्फ अपने लिए जीने का ख्वाब पाले बैठे थे को परिवार का वास्तविक अर्थ समझा दिया है। वे अब अपने माता-पिता, यहां तक की बुजुर्ग दादा-दादी के पास जा कर रहने में सकून पाने लगे हैं जिसकी पुष्टि वर्तमान के अनेक शोध करते है। वर्क फ्रॉम होम अब जरूरत नहीं , पसंद बन गया है।

शोध बताते है कि कोरोना में जो परिवार साथ थे, वहां कोरोना का तनाव तुलनात्मक रूप से कम था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर के एक अध्ययन में सामने आया कि कोरोना काल में संयुक्त परिवारों में एक साथ हंसने, वक्त बिताने से कोविड का ना सिर्फ तनाव कम हुआ, बल्कि परिवार में एक-दूसरे के प्रति विश्वास और बढ़ा। गोदरेज इंटीरियो ने भारत में एक सर्वेक्षण किया। इसमें सामने आया कि 56.7 फीसदी लोगों की जिंदगी में वर्क-लाइफ बैलेंस बिल्कुल नहीं था। पर कोरोना में हुए लॉकडाउन के बाद परिस्थितियां बदल गई। अब अपेक्षाकृत ज्यादा लोग अपने रिश्तों को बेहतर करने के लिए समय निकाल रहे हैं। द इकोनॉमिस्ट मैग्जीन के 11 देशों में किए विश्लेषण में सामने आया कि एक दिन में मां औसतन 104 मिनट बच्चों के साथ गुजारती हैं, वहीं पिता 59 मिनट ही दे पाते हैं। 34 फीसदी लोग इस बात से पछतावे में थे कि वे बच्चों के साथ वक्त नहीं गुजार पाते। लेकिन कोविड में हुए लॉकडाउन के कारण अब बच्चों के साथ समय गुजार पा रहे हैं।

भारतीय मूल के विख्यात लेखक वी. एस. नायपॉल ने लिखा था कि भारतीय परिवार ऐसे कुटम्ब हैं, जिसने लोगों को सुरक्षा और पहचान दी और लोगों को खालीपन से बचाया। कोरोना काल ने सही मायनों में परिवार का महत्व समझाया है। यही एक कारण है कि कोरोना काल में भले ही सोशल डिस्टेंसिंग में मुश्किल आई हो, लेकिन अपनों के साथ रहने वालों के बीच रिश्तों में डिस्टेंसिंग नहीं हुई, बल्कि नज़दीकियां बढ़ी हैं।

सयुंक्त परिवार व्यवस्था में परिवर्तन :-

परिवर्तन प्रकृति का नियम है इस नियम से सामाजिक परिस्थितियाँ भी अछूती नहीं रही है। सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन होने से सामाजिक संस्थाओं में भी परिवर्तन होना स्वाभाविक है। प्रत्येक सामाजिक संस्था

समाज व काल परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित होती रही है। यदि हम भारतीय इतिहास के पन्ने खोल कर देखें तो यह स्पष्ट नजर आता है कि हमने अपने इतिहास का एक लंबा काल औपनिवेशिक गुलामी में बिताया है। वह गुलामी केवल राजनीति या आर्थिक ही नहीं थी अपितु सामाजिक भी थी। इसने न केवल हमारे सामाजिक आदर्शों व संस्थाओं को समाप्त किया अपितु उनके नैसर्गिक विकास को विकृत भी किया। एक लंबी गुलामी ने हमारी संयुक्त परिवार प्रणाली को भी व्यापक रूप से प्रभावित किया है। सामूहिकता भारतीय समाज की पहचान रही है चाहे वह चिंतन का क्षेत्र हो या कर्म का। इसके विपरीत यूरोप का दर्शन व्यक्ति केंद्रित ही रहा है। धर्मतंत्र के अत्याचारों से त्रस्त होकर यूरोप में जब राष्ट्र राज्यों की यात्रा आरंभ हुई तब उनके चिंतन का आधार व्यक्ति था, अतः उन्होंने व्यक्तिगत अधिकारों आधारित स्वतंत्र सामाजिक व राजनीतिक व्यवस्था को एक आदर्श के रूप में स्वीकार किया। इसके विपरीत भारतीय चिंतन सामूहिकता केंद्रित रहा इसलिए समाज संरचना में सबसे छोटी इकाई परिवार था, ना कि व्यक्ति। भारतीय समाज व राज्य व्यवस्था पश्चिम के सदृश अधिकार आधारित नहीं हो कर कर्तव्य आधारित थी। स्वभाविक है औपनिवेशिक शासन ने इस भारतीय ज्ञान परंपरा और फलतः समाज व्यवस्था को भी प्रभावित किया। चूंकि शहरी वर्ग अंग्रेजों के निकट संपर्क में रहा अतः आवास व जमीन की अल्पता के बावजूद शहरों में एकल परिवार के प्रति आकर्षण साफ परिलक्षित होता है।

यह विदित ही है की बाजार का अपना एक अर्थशास्त्र होता है। 1990 के बाद जब भारत के आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण का युग आरम्भ हुआ तो उसने सम्पूर्ण समाज रचना को ही प्रभावित कर दिया। 'संयमित उपभोग' संयुक्त परिवार की आर्थिक आवश्यकता रही है लेकिन यह नए-नए आकार ले रहे बाजारतंत्र के लिए अनुकूल नहीं था। यह बाजार 'असीमित उपभोग व सीमित बचत' पर आधारित था, अतः समाज को भी उसी अनुरूप करना बाजार की सफलता हेतु आवश्यक था। अतः उसने टीवी धारावाहिको व विज्ञापनों के माध्यम से संयुक्त परिवार प्रणाली को विघटित करने की ओर ध्यान दिया। फलतः सास-बहू के झगड़े, भाइयों के परस्पर वैमनस्य व अविश्वास, महिलाओं की आपसी प्रतिस्पर्धा आदि प्रत्येक धारावाहिक की मुख्य विषय-वस्तु उभर कर आयी। परिणामस्वरूप समाज की यह पीढ़ी एकल परिवार को सुख व स्वतंत्रता का कारण मानने लगी है। स्पष्ट ही है, बाजार अपने उद्देश्य में सफल सिद्ध हुआ है और संयुक्त परिवार दरकने लगे है।

आधुनिक समय में औद्योगिकरण, उदारीकरण, शहरीकरण, यातायात के उन्नत साधन, शिक्षा का प्रचार-प्रसार, सामाजिक कानून व्यवस्था तथा उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण संयुक्त परिवार व्यवस्था में बड़े बदलाव परिलक्षित हो रहे हैं। व्यक्तिवाद के आदर्श, स्वकेंद्रित विचार और अपरिपक्वता, व्यक्तिगत आकांक्षा व स्वार्थ भाव, सामंजस्य की कमी इत्यादि कारणों के सम्मिलन से ही आज संयुक्त परिवार व्यवस्था संक्रमणकालीन दौर से गुजर रहा है। यदि हम परिवर्तन के मुख्य कारकों पर नजर डालें तो वह निम्न है:-

- औद्योगिकरण एवं नगरीकरण
- आर्थिक महत्व का बढ़ना
- वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास
- शिक्षा का प्रचार

- जनसंख्या वृद्धि
- संयुक्त परिवार ,सदस्यों की आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ
- कानून एवं अधिकारों की जागरूकता का प्रभाव
- मौद्रीकरण
- पारिवारिक कार्यों का हस्तांतरण एवं बढ़ते पारिवारिक झगड़े
- पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव
- नारीवादी आंदोलन
- आवासीय एवं व्यावसायिक गतिशीलता का बढ़ना
- व्यक्तिवादिता एवं परिवर्तित मनोवृत्तियाँ

भारतीय संयुक्त परिवार की संरचना और प्रकार्यो दोनों में कई परिवर्तन आए हैं। संयुक्त परिवार की संरचना में परिवर्तन को देखें तो पहले तीन या तीन से अधिक पीढ़िया एक साथ निवास करती थी परंतु अब शिक्षा के प्रसार, परिवार नियोजन तथा उच्च जीवन स्तर जीने की इच्छा ने परिवार के आकार को सीमित कर दिया है। परिवार की सामूहिक भावना का स्थान स्वार्थों व महत्वाकांक्षाओं ने ले लिया है। युवा पीढ़ी समानता व प्रजातांत्रिक विचारों से अधिक प्रभावित है, इस कारण अब सयुंक्त परिवार पर मुखिया का नियंत्रण शिथिल होता जा रहा है। व्यक्तिगत निर्णय लेने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। विवाह संबंधी निर्णय जहां पहले परिवार के बड़े सदस्य लेते थे, वहां अब स्वयं जीवनसाथी का चयन करने का चलन बढ़ा है। प्रेम विवाह, अंतरजातीय विवाह व विलंब विवाह के कारण भी सयुंक्त परिवार का स्वरूप परिवर्तित हो रहा है। वही साथ ही साथ विवाह विच्छेद व पारिवारिक तनाव भी लगातार बढ़ रहा है। अब पारिवारिक सदस्यों के मध्य पारस्परिक संबंधों में औपचारिकता पाई जाती है। व्यवसाय व नौकरियों के कारण आवासीय गतिशीलता बढ़ी है जिससे परिवारों में गतिशीलता व अस्थायित्व में वृद्धि हुई है। सह-निवास, सह-भोज, सह-संपत्ति, सह-पूजा इत्यादि की महत्वपूर्ण भूमिका अब सीमित हो गई है। परिवार की सामूहिक प्रवृति के स्थान पर एकाकी प्रवृत्ति प्रबल हो गई है।

संयुक्त परिवार के प्रकार्यों में परिवर्तन को देखें तो स्पष्ट होता है कि जहां संयुक्त परिवार संस्कृति, धर्म,प्रथाओं, रीति-रिवाजों, परंपराओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरण करके नव पीढ़ी को शिक्षा प्रदान करता था ,अब यह कार्य निजी शिक्षण व सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा होने लगा है ।जहां सयुंक्त परिवार एक साथ बैठकर मनोरंजन का माहौल पैदा करते थे, वहां अब रेडियो, टेलीविजन ,सिनेमा व क्लब इत्यादि द्वारा मनोरंजन किया जाता है। एकाकी परिवारों में धार्मिक कार्यों की भी कमी आई है। संयुक्त परिवार से एकाकी परिवार के स्वरूप में लगातार हो रहे परिवर्तनों से मूल्य और मानदंडों में भी परिवर्तन आया है। आधुनिकीकरण व नगरीकरण की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है संयुक्त परिवार का भविष्य अंधकारमय में है परंतु कुछ आशावादियों का मानना है कि यह संयुक्त परिवार का विघटन नहीं रूपांतरण है, संयुक्त परिवार व्यवस्था में "भावनात्मक संयुक्तता"

एक नवीन मानदंड उभर कर सामने आया है। बढ़ता मानसिक तनाव, सामाजिक असुरक्षा, बढ़ते आर्थिक बोझ, तनाव व तलाक की बढ़ती प्रवृतियों से उबरने के लिए संयुक्त परिवार आज भी सबसे सशक्त साधन है।

निष्कर्ष:-

संयुक्त परिवार व्यवस्था में सतत् परिवर्तन होता जा रहा है जिससे प्राचीन काल से चली आ रही सयुंक्त परिवार की परिपाटी विघटित होकर एकल परिवार में परिवर्तित हो रही है। इसके लिए कोई एक कारक जिम्मेदार नही है, कई बदलती परिस्थितियां आधुनिकता, भौतिकवादी सोच, कानून एवं अधिकारों का प्रभाव, नारी वादी आन्दोलन, आवासीय गतिशीलता, व्यक्तिवाद सोच, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, उच्च शिक्षा, तकनीकी विकास इत्यादि कारकों के कारण निरंतर एकल परिवारों की संख्या बढ़ती जा रही है। सयुंक्त परिवार प्रणाली में संरचनात्मक और प्रकायार्त्मक रूप से कई परिवर्तन हुए हैं। यदि हमें परंपरागत संयुक्त परिवार को पुनर्जीवित करना है तो अपने आदर्श और संस्कारों को पुन: स्थापित करना होगा। वास्तव में एकल परिवार व्यक्ति को संपन्न बना सकता है लेकिन सुखी नहीं, व्यक्ति महानगरों की चकाचौंध में भी जिस अकेलेपन, अवसाद और तनाव में जी रहा है, आत्महत्या की दर में जो वृद्धि दिख रही है, उस सब को देखते हुए कहा जा सकता है कि संयुक्त परिवार व्यवस्था आंशिक बदलावों के बावजूद निकट भविष्य में भी यथावत बनी रहेगी।

सन्दर्भ -सूची :-

1. रा ॅस, एलीन डी. (1961); द हिंदू फैमिली इन इट्स अर्बन सेटिंग, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
2. देसाई ,आई.पी .(1964) ; सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ, न्यूयॉर्क: एशिया पब्लिशिंग हाउस। पृ. 34-71 ,146-147
3. कुमार ,अरुण (2002); संयुक्त परिवार के बदलते प्रतिमानो का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (मैनपुरी जनपद की युवा पीढ़ी के विशेष संदर्भ में), डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ,आगरा।
4. कुमार, अरुण(2018);परिवार के स्वरुप का वर्तमान परिदृश्य- एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण, स्का ॅलरी रिसर्च जर्नल फा ॅर इनटरडिसीसप्लीनरी स्टडीज, वा ॅल्यूम 6/48, पृ. 11549- 11556
5. सेलुकर , ज्योति सुभाष (2018); इंपेक्ट ऑफ मॉडर्ननाइजेशन ज्वाइन फैमिली, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन सोशल साइंसेस, वा ॅल्यूम 8/9 , पृ.872 – 876
6. कुमारी ,सुमन (2020);संयुक्त परिवार का स्वरुप एवं परिवर्तन की प्रवृति ,इंटरनेशनल जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नेंस, वा ॅल्यूम 2/2, पृ. 94- 98
7. आहूजा, राम (2000);भारतीय समाज , रावत पब्लिकेशन, दिल्ली। पृ. 92-106
8. कर्वे , इरावती (1990); किनशिप. आर्गेनाइजेशन इन इंडिया, मुंशीराम मनोहरलाल प्रकाशन,दिल्ली। पृ.10
9. देसाई, आई.पी.(1956) ;दि ज्वाइंट फैमिली इन इण्डिया: सोशियोला ॅजिकल बुलेटिन , अक 5 , स. 2, सितम्बर। पृ . 148
10. सिंह, वी.एन और जन्मेजय सिंह (2019); ग्रामीण समाजशास्त्र ,विवेक प्रकाशन ,दिल्ली। पृ .73
11. मदन , जी.आर.(2020); परिवर्तन एवं विकास का समाजशास्त्र, विवेक प्रकाशन, दिल्ली। पृ. 43

12. सिंह, जे.पी.(2021); समाजशास्त्र अवधारणा एवं सिद्धांत, पीएचआई लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली। पृ.233-263

13. कपाड़िया ,के. एम. (1966); मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया , बाम्बे: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। पृ. 213, 254

अध्याय-5
प्रेमचन्द और गाँधीवादी दर्शन

जी. शान्ति
असोसिएट प्रोफेसर
श्री अभिरामी इल्लम, 2/179 B2, वनप्रस्था रोड़, वड़वल्लि, कोयम्बत्तूर – 641041, तमिलनाडु

'बापू' बताने पर सब के मनस पटल पर तुरन्त एक शान्ति स्वरूप, हँसमुख, बिना आडम्बर के एक छवि की याद आजाएगी। हाँ, गर्व से हमारे 'राष्ट्रपिता' कहलाने वाले महात्मा गाँधी में इतनी शक्ति थी कि आज भी उनके दर्शन और विचार प्रासंगिक है। वे एक युग निर्माता थे। अपने वचनों एवं कर्म से जनता को आकर्षित करने की शक्ति उन में थी। इसमें आश्चर्य की बात नहीं कि कई साहित्यकार भी उनसे प्रेरित हुए। साहित्यकारों की रचनाओं में गाँधीवादी दर्शन के प्रतिबिम्ब देख सकते हैं।

महात्मा गाँधी का दृष्टिकोण बहुत व्यापक था। उनके अनुसार प्रकृति सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। गाँधी जी के स्वराज का अर्थ राजनीतिक स्वतंत्रता मात्र नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और वैचारिक स्वतन्त्रता भी है। गाँधी जी ने अहिंसा, असहयोग और सत्याग्रह को संचालित कर राष्ट्रीय आन्दोलन को सार्वदेशिक बनाया। गाँधीजी की दृष्टि में धर्महीन राजनीति आत्माविहीन शरीर है। संप्रदायिक एकता, मातृभाषा प्रेम, अस्पृश्यता निवारण, प्रौढ़ शिक्षा, मद्यपान निषेध, स्वास्थ्य और स्वचछता की शिक्षा, ग्रामउद्योग, किसानों और मज़दूरों का संगठन, आदिवासी और कोढियों की सेवा, स्त्रीयों की उन्नति, खादी का प्रोत्साहन, आर्थिक समानता, प्रेम, हरिजनोद्धार, अस्पृश्यता निवारण, महिला कल्याण एवं अहिंसा महात्मा गाँधी के जनान्दोलन के मुख्य अंग थे। आज महात्मा गाँधी का नाम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आदर से लिया जाता है। गाँधी के दर्शन का मूल्य विश्वबन्धुत्व, सहिष्णुता, राष्ट्रप्रेम, मानवप्रेम में सिमटा हुआ है। गाँधी की सोच, गाँधी की जीवन शैली और गाँधी की कार्य प्रणाली का नाम ही 'गाँधीवाद' है।

गांधी-दर्शन : गाँधी जी के शब्दों में-

'गाँधीवाद' नाम की तो कोई वस्तु है ही नहीं, और न मैं अपने पीछे कोई संप्रदाय छोड़ जाना चाहता हूँ। मेरा यह दावा भी नहीं है कि मैंने किसी नये सिद्धांत या शिक्षा का आविष्कार किया है। मैंने तो जो शाश्वत सत्य हैं उनको अपने नित्य के जीवन पर और प्रतिदिन के प्रश्नों पर अपने ढंग से सिर्फ अपनाने का ही प्रयास किया है। अतएंव मनुस्मृति के जैसी कोई संहिता मेरे छोड़ जाने का सवाल ही नहीं है। उन महान विधि-निर्माता-स्मृतिकार के और मेरे बीच कोई तुलना हो ही नहीं सकती। जो मत मैंने कायम किये हैं और जिन निर्णयों पर मैं पहुँचा हूँ, वे भी अंतिम नहीं हैं। हो सकता है मैं कल ही उन्हें बदल दूँ।"

- गाँधी

(डॉ राजम नटराजन पिल्लै गाँधीयुगीन नारी-जागरण और हिदी उपन्यास, पृ. स. - 77)

प्रेमचन्द का जन्म बनारस शहर से चार मील दूर लमाही गाँव में हुआ था। प्रेमचन्द उच्चकोटि के मानव थे। उनको ग्रामीण जीवन से प्रेम था। जीवन का अधिकांश भाग उन्होने गाँव में ही गुज़ारा। प्रेमचन्द हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में उपन्यास सम्राट ही नहीं गाँधी भी कहा जाते थे। प्रेमचन्द ने सन् 1996 में गाँधी जी के महत्व को स्वीकार किया। 'कर्मवीर गाँधी' की भूमिका में उनकी प्रशंसा पर लिखा। प्रेमचन्द गाँधिवाद से प्रभावित थे। जिसको हम उनकी साहित्यिक कृतियों में देख सकते हैं। मुख्यतः प्रेमचन्द पर गाँधीवादी चिन्तन का अधिक प्रभाव नारी विषयक दृष्टिकोण में देखा जा सकता है। प्रेमचन्द ने नारी की विभिन्न समस्याओं का अपनी रचनाओं में चित्रण किया है।

प्रेमचन्द और गाँधीवाद - गाँधी जी के उपदेशों की प्रेरणा से प्रेमचन्द ने बीस वर्ष की सरकारी सेवा को त्याग कर चरखों और करघों की दुकान खोली थी। प्रेमचन्द ने अपनी पत्नी से कहा कि "गाँधी जी मजदूर और कारतकार के सुख एवं आगे बढ़ने के लिए आन्दोलन कर रहे हैं।" गाँधी जी के अस्पृश्यता आन्दोलनों से प्रभावित हो कर प्रेमचन्द ने दूध की कीमत, पन्हारी का कुँआ, निजात, घृणा, कासी का कलंक जैसी कहानियाँ लिखी।

- **सांप्रदायिक एकता**

स्वाधीनता प्राप्ति के रास्ते में जो हिंदू और मुसलमान के बीच भेदभाव एवं मतभेद है, उसे प्रेमचन्द एक बाधा मानते थे। वे अंग्रेज़ों के 'Divide and Rule' (बाँटों और राज करो) नीति को पूर्ण रूप से समझते थे। वे जानते थे कि धर्म के आधार पर समाज में होने वाले भेदभाव आज़ादी की लड़ाई में बुरे प्रभाव डालते है और उन्हें गुलामी से कभी मुक्ति नहीं दिलाएँगे। आर्य समाज में जब भी मुसलमान की भावनाओं को आहत करने वाली गतिविधियाँ होती थी, तो वह खुलेआम उसकी आलोचना करते थे। वे अपनी कथा साहित्य में मुसलमान पात्रों को सकारात्मक रूप में चित्रित करते थें। उदाहरण के लिए 'मैदान – ए – अमल' की सकीना और उसकी बूढ़ी माँ सलीम, जो जिल - हाकिम के पद को त्याग देते हैं और किसानों के साथ सत्याग्रह करते हैं। 'गोदान' के पात्र मिर्ज़ा, जो गोरी के पुत्र गोबर को आश्रय देते हैं, जुलूस के अगुवाई करके शहीद होते 'जुलूस' का बूढ़ा नायक इब्राहिम अली, 'ईद' कहानी का गरीब मुसलमान बच्चा जो मेले से मिठाई या खिलौने के सिवाय बूढ़ी दादी के लिए चिमहा खरीदता है, आदि इसका उदाहरण है।

जालियांवाला बाग घटना के पश्चात प्रेमचन्द सरकारी नौकरी छोड़ देते हैं। उस समय गाँधी जी का अहिंसा के संदेश देश भर में फैल रहा था और उससे प्रभावित होकर प्रेमचन्द भी अहिंसा वादी बन गए हैं। उनके शाँत और कोमल स्वभाव के लिए गाँधी जी की विचारधाराएँ उपयुक्त थे। वे इस बात पर विश्वास करते थे कि अहिंसा से जुड़ी नेक इरादे ही अंग्रेजों को भारत से निकलने का अस्त्र बनेगा। प्रेमचन्द ने अपनी कहानी 'कातिल' में स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया एक विधवा और उसकी आतंकवादी पुत्र धर्मवीर के बीच होती वार्तालाप द्वारा अहिंसा की महत्व को व्यक्त किया है।

आंदोलन और सत्याग्रह पर लिखी प्रेमचन्द की कथा साहित्य में नायक कोई बड़े व्यक्ति नहीं थे। आम आदमी थे, जो अहिंसा के मार्ग पर चलकर एक दिन अपने स्वदेश को आज़ाद करने की सपने देखते हैं।

- **हिंदी भाषा का महत्व**

प्रेमचन्द ने गाँधी जी की तरह हिंदी को जनता में एकता लाने के लिए प्रयोग किया। "जनता के बीच के अन्तर्विरोधों को हल करने में यह भाषा सबसे कारगर हथियार बन जाती है। नागर, नागार्जुन, रेणु, अमरकान्त, मार्कण्डेय और तमाम दूसरे लेखकों की भाषा में अलग-अलग छवियों के बावजूद भाषा का यही संश्लिष्ट रूप सामने आता है। भाषा की गहराई और आन्तरिक लय के नाम पर जो भाषा कुछ अन्य लेखक अपनाते हैं, वह अन्ततः एक अत्यन्त सीमित समुदाय की बोली की तरह है। उसका कोई जनाधार नहीं है।"

(विगत मेहता और वर्त्तमान अर्थवत्ता, मुरली मनोहर प्रसाद सिंह, रेखा अवस्थी, पृ. स. – 185)

भारतीय जनता के बीच भेदभाव और अंतर्विरोध में भाषा एक अहम कड़ी थी। राष्ट्रीय नवजागरण के साथ लोगों में एकता लाने के लिए एक राष्ट्रीय भाषा के निर्माण ज़रूरी हो गई प्रेमचन्द की भूमिका इसमें मुख्य है। वे कहते हैं कि – "कोई समय था जब धर्म की एकता ही मनुष्यों में एकीकरण का मुख्य साधन थी और एक धर्म के माननेवाले बहुधा सामाजिक और सांस्कृतिक बातों में भी एक हो जाते थे। समाज और संस्कृति, जीवन और दृष्टिकोण, सभी का उद्गम धर्म था। लेकिन, नई जागृति ने धर्म को इस ऊँचे स्थान से हटा दिया है और उसकी जगह पर जिन व्यवस्थाओं को बिठाया, उनमें भाषा अगर मुख्य नहीं तो किसी तरह गौण भी नहीं है।"

(विगत मेहता और वर्त्तमान अर्थवत्ता, मुरली मनोहर प्रसाद सिंह, रेखा अवस्थी, पृ. स. – 182)

इस तरह सामंतवाद काल की जनता तक पहुँचने की चाह से उत्पन्न प्रेमचन्द की भाषा संबंधी दृष्टिकोण अत्यधिक प्रसिद्ध हुई। प्रेमचन्द ने अपनी लेखन कार्य के ज़रिए भाषा के प्रचलित ढाँचे को नया मोड़ दिया है। उन्होंने पहले उर्दू में लिखा फिर हिंदी में। प्रेमचन्द अलंकार और छंद से युक्त साहित्यिक भाषा से अवगत थे किंतु ऐसी भाषा सामान्य जनता के करीब नहीं थे। वे अपने लेखन कार्य को साधारण जनता तक पहुँचाना चाहते थे जिसके लिए उन्होंने हिंदी को अपना माध्यम बनाया और एक नई भाषिक ढाँचे की संरचना की।

प्रेमचन्द 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण भारतीय उपन्यासकारों के रूप में हिन्दी भाषा में लेखन कार्य शुरू किया। उनकी भाषा का चुनाव व्यावहारिक और आर्थिक विचारों से प्रेरित थे। हिंदी ने उन्हें बड़ा पाठक वर्ग प्रदान किया। उनके कलात्मक विकास में भाषा के चुनाव से कहीं अधिक महत्व उनकी साहित्यिक शैली का निर्माण था। करीब 1915 में रूसी साहित्य, मुख्य रूप से लियॉ टॉलस्टॉय के लेखन शैली से प्रेरित होकर अपनी कथा वस्तु का निर्माण किया।

अपनी रचनात्मक कृतियों के लिए भाषाओं का चयन, हिंदी और उर्दू के सैद्धांतिक प्रक्ष से कोई लेना देना नहीं है। उनकी प्रारंभिक उर्दू लेखन में कुछ फारसी और अरबी शब्द शामिल थे, जो दैनिक जीवन में शायद ही कभी

उपयोग किए जाते हैं। 1915 के आसपास शुरू की गई हिंदी लेखन में संस्कृत भाषा के कुछ शब्दों का भी प्रयोग हुआ है।

प्रेमचन्द की भाषा बनारस के पास, उनके गाँव लमही में बोली जाने वाली भोजपुरी, अवधि और खड़ी बोली जैसे बोलियों के सफल परिवर्तन का परिणाम है। उनकी भाषा वास्तव में जनता की भाषा नहीं है अपितु वह एक कलात्मक संचालन का उत्पादन है, जिसका काल्पनिक साहित्य और उसके पाठकों से गहरा संबंध रखता है। यथा संभव अधिक से अधिक संभावित पाठकों द्वारा पठनीय होना लेखक के साथ-साथ संपादक के रूप में भी उनके आर्थिक अस्तित्व का आधार था।

- **दलित जीवन**

प्रेमचन्द के उपन्यास एवं कहानियों के मुख्य पात्र सदैव भारत के साधारण मनुष्य रहे हैं। पिछड़े जाती के लोग एवं गरीबों की कष्टताओं को दुनिया की समक्ष लाना उन्होंने ज़रूरी समझा। प्रेमचन्द दलित, शूद्र और अछूत जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसके अतिरिक्त विशेष जाती नाम से भी उनका उल्लेख करते हैं। प्रेमचन्द के लेखन में पूर्वी उत्तर प्रदेश की दो मुख्य अछूत जातियाँ - चमार और भंगी, समाज के प्रताड़ित वर्ग के प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अतिरिक्त गोंड़, खटीक और पासी जैसे कुछ छोटे जाति समूह, जिनकी सामाजिक सीढ़ी के निचले हिस्से में वास्तविक स्थिति थोड़ी अनिश्चित बनी हुई है, उनको भी चित्रित किया गया है।

प्रेमचन्द द्वारा लिखित लगभग पाँच उपन्यास और लगभग पंद्रह लघु कथाओं में दलित पात्रों का उल्लेख हुआ है। प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, कर्मभूमि और गोदान वे उपन्यास हैं और मूथ, सौभाग्य के कोड़े, मुक्ति मार्ग, आगे-पीछे, घासवाली, लांछन, सद्गति, ठाकुर का कुआँ, गुल्ली डंडा, दूध का दाम, मंत्र, जुर्माना, मेरी पहली रचना, कफन दलित पात्रों को चित्रित करने वाली कहानियाँ हैं। यह उपन्यास एवं कहानीयाँ 1920 और 1930 के दशक के दौरान प्रकाशित हुए।

प्रेमचन्द के विशाल साहित्य को देखते हुए हमें यह कहना पड़ता है कि समस्याओं को सामना करने वाले एक सामाजिक समूह के रूप में दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व सीमित है। दलितों की सामाजिक-धार्मिक समस्याओं को प्रेमचन्द ने दो उपन्यासों में - कर्मभूमि और गोदान एवं चार कहानियों में – मंदिर, ठाकुर का कुआँ, दूध का दाम और सद्गति में उठाया है। अन्य सभी उपन्यास एवं कहानियों में दलितों को गरीबों के हिस्से के रूप में पेश करते हैं और उनकी समस्याओं को एक सीमा तक दिखाया है, जो कथा की प्रवाह के लिए आवश्यक है।

प्रेमचन्द के साहित्य में दलित बेहद गरीब है और बहुत मुश्किल से वह अपना गुजारा कर पाते हैं। दूध का दाम कहानी का मंगल एक जमींदार के परिवार के बचे हुए खाने पर जीवित रहता है। इस बचे हुए खाने पर वह इतना निर्भर है कि उसकी अंदर के विद्रोह की भावना भी व्यर्थ साबित होता है। जब उसे जमींदार के पुत्र को छूने के लिए, पीटा जाता है और उसे फिर कभी अपना चेहरा न दिखाने के लिए कहा गया है तो अपने जीवन की एकमात्र खुशी, जूठा खाने से भी वह वंचित हो जाता है।

गाँधीवादी और स्त्री चिंतन -

महिलाओं की हीन दिशा देखकर गाँधी जी अति व्याकुल हो उठे। स्त्री उद्धार हेतु उनकी समस्याओं पर कई व्याव्याने दिया एवं लेख लिखे। गाँधी जी नारी जागरण के लिए सदैव प्रयत्नशील थे। वे नारी के स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास चाहते थे। प्रेमचन्द भी गाँधी के विचारों से प्रभावित होकर, नारी के प्रति पुरूष के निष्ठुर और निर्मम व्यवहार पर क्षोभ व्यक्त किया है।

सेवासदनः इस उपन्यास का प्रमुख समस्या वेश्या प्रथा है। एक अच्छे परिवार में जन्म लेने पर भी सुमन को परिस्थितिवश दालमंडी में बैठना पड़ता है। यह दोषपूर्ण विवाह में फँसी एक भारतीय नारी की कथा है।

गाँधी जी ने यंग इडिया में वेश्या-वृत्ति का विरोध कर अपना विचार इस प्रकार व्यक्त किया है-

“हम स्त्रियों को अपनी लंपटता का शिकार नहीं बना सकते। कमजोरों की रक्षा का कानून यहाँ खास तौर पर जोर के साथ लागू होता है। मेरे नज़दीक गोरक्षा के अर्थ में हमारी स्त्रियों की रक्षा भी शामिल है। जब तक हम अपने यहाँ की स्त्रियों को माँ बहन या बेटी समझकर उनका आदर करना न सीखेंगे, तब तक भारत का उद्धार नहीं होगा। हमें वे पाप धो डालने चाहिए जो हमारे मनुष्यत्व की हत्या करके हमें पशु बनाते है।”

वेश्यावृत्ति दुनिया में हमेशा रही है। लेकिन आज की तरह वह कभी शहरी जीवन का अभिन्न अंग भी रही होगी। इसमें मुझे शका है। जो भी हो, एक समय ऐसा ज़रूर आना चाहिए और आयेगा जब कि मानव-जाति वैसे अभिशाप के खिलाफ उठ खडी होगी और जिस तरह उसने दूसरे अनेक बुरे रिवाजों को, भले वे कितने भी पुराने रहे हो, मिटा दिया है, उसी तरह वेश्यावृत्ति को भी वह भूतकाल की चीज़ बना देगी।

(मेरे सपनों का भारत, पृ. स. - 194)

सेवासदन में वेश्या जीवन के अतिरिक्त दहेज प्रथा, रिश्वत पुलिस व्यवस्था अनमेल विवाह, धार्मिक परिस्थिति विधवाश्रम, सामाजिक जीवन की अनेक स्थितियों का चित्रण है। आलोचकों ने वेश्या-समस्या के समाधान के लिए सेवासदन की आदर्शपूर्ण स्थापना को उपन्यास का उद्देश्य माना है। प्रेमचन्द ने वेश्या प्रथा के मूल कारण दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, संगति का असर, स्त्रियों के लिए सम्मानजनक रोज़गार की कमी आदि बताया है। घोर यथार्थवादियों की तरह प्रेमचन्द ने वेश्या जीवन का नग्न उद्घाटन नहीं किया। वेश्या जीवन के चित्रण में अश्लील तथा कामोत्तेजक नजारे नहीं प्रस्तुत किये। सेवासदन की नायिका सुमन तो नाचती गाती है। कहीं भी इज्ज़त बेचती हुई नहीं दिखायी देती।

सुमन सगर्वा और स्वामिनी थी। जब पति उस पर मिथ्यारोपण कर घर से बाहर निकाल देता है तो वह पद्मसिंह के यहाँ शरण लेती है। समाज सुधारक विट्ठलदास सुमन को समझा बुझाकर विधवाश्रम में आश्रय दिलवाते हैं। सेवासदन वेश्यावृत्ति पर प्रेमचन्द की व्यक्तिगत चोट का उपन्यास नहीं है, वरन वेश्यावृति पर होने वाली सामाजिक प्रतिक्रियाओं में एकरूपता है। प्रेमचन्द ने इस उपन्यास में स्त्री के संघर्षशील जीवन और समाज सुधार की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है।

स्त्रियों और गहने : गाँधी जी के शब्दों में -

“इस देश में जहाँ करोडो आधे पेट रहते हैं। और लगभग अस्सी फीसदी लोगों को ना काफी पौष्टिक भोजन मिलता हो, गहने पहनना आँखों को बुरा लगता है। हिदुस्तान में स्त्री के पास ऐसा नकद रूपया शायद ही होता है जिसे वह अपना कह सके। लेकिन जो आभूषण वह पहनती है वे उसके जरूर होते हैं। अलनत्ता उन्हें भी वह अपने पति और स्वामी की मर्जी के बगैर नहीं देगी, देने की हिम्मत नहीं करेगी। मेरी राय में कीमती जेवर पहनने से देश का साफ नुकसान है। यह तो इतनी सारी पूँजी को रोक रखना या जो इससे भी बुरा है उसे बर्बाद हो जाने देना हुआ। और आत्मशुद्धि के इस आंदोलन में स्त्रियाँ या पुरूषों का गहने दे डालना मैं समाज के लिए साफ तौर पर लाभ प्रद समझता हूँ।

- हरिजन 22-12-1933

(डॉ.राजम नटराजन पिल्लै गाधीयुगीन नारी-जागरण और हिदी उपन्यास, पृ. स. - 86)

गबन:- आभूषण के प्रति नारि का प्रेम तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। फिर भी वह प्रेम कहाँ तक सही है, इसका परिणाम क्या होता है यह सोचनीय विषय है। प्रेमचन्द के उपन्यास गबन, आभूषण प्रेम और उसके परिणामों की कथा है। उपन्यास की नायिका का नाम जाल्पा है। जाल्पा को बचपन से ही गहनों का चाव था। वे ही उसके लिए खिलौने भी थे। चंद्रहार का चाव और सपना उसके मन में जम गया था। शादी के चढावे में दीनानाथ की तरफ से बहुत सारे गहने आये। लेकिन चंद्रहार नहीं होने पर जाल्पा के सपने चूर-चूर हो गये। चंद्रहार लायेंगे सोचकर ससुरालवालों को मायकेवालों से बेहतर समझ रही थी। लेकिन चन्द्रहार न मिलने पर ससुरालवाले जाल्पा को दुश्मन दिखाई पडने लगे। एक लड़की का जीवन की पूर्णता ससुराल में ही होता है। तभी वह एक परिपक्व नारी बनकर परिवार का सम्मान एवं शान बढ़ाती है। लेकिन एक चंद्रहार न मिलने के कारण जीवन के प्रारम्भ में ही जाल्पा के मन में विरोध भावना उत्पन्न होती है। ऐसे एक निराश भावना के साथ वह अपने जिन्दगी में ही नहीं, दूसरों के ज़िन्दगी में भी खुशी नहीं दे सकती।

जाल्पा की जिद से रमानाथ कुछ नकद और कुछ उधार में जाल्पा के लिए चंद्रहार और शीशफूल लाता है। गहनों को पाकर जाल्पा के पति-स्नेह में सेवा-भाव का उदय हुआ। अब कह बड़े प्रेम से रसोईघर में जाती है। चीजें तो अब भी वही बनती थी पर उनका स्वाद बढ़ गया था। रमा को उस मधुर स्नेह के सामने दो गहने बहुत तुच्छ जचते थे। भारतीय नारी की महिमा उसकी पतिव्रता धर्म में ही है। यही हमारी संस्कृति का मुकुट है। निस्वार्थ मन से पति की सेवा करना गृहस्थाश्रम का श्रेष्ठ धर्म है। पर जाल्पा के पति प्रेम का मानदण्ड चन्द्रहार या गहनों पर तुला हुआ था। जाल्पा को रमानाथ की रिश्वतखोरी की ज्ञानकारी होने पर भी उसके मन में कोई अंतर्द्वन्द्व नहीं था। रमानाथ की प्रतिष्ठा की इमारत दिन व दिन ऊँची होती गयी और उसकी नींव में झूठ कर्जदारी और घूसखोरी की मुरमुरी रत भरी जाती रही। एक पत्नी मंत्री के समान पति को सुझाव एवं सच्चे मार्ग प्रदर्शन करना चाहिए। लेकिन जाल्पा का आडम्बर जीवन उसे मूक बना देता है। लेकिन अन्त में जाल्पा अपना चंद्रहार बेचकर रमानाथ को जुर्म से बचाती है। प्रेमचन्द ने गबन उपन्यास के माध्यम मध्यवर्गीय परिवार के विभिन्न सबल और दुर्बल के आयाम दर्शाये हैं।

- **स्त्री सशक्तीकरण**

अपनी लघु कहानियों में, प्रेमचन्द ने समाज के मुद्दों, विशेषकर महिलाओं की दुर्दशा पर गहरी चिंता व्यक्त किया है। अपने समय के सामाजिक-सांस्कृतिक ढाँचे में, उन्होंने महिलाओं द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों का चित्रण किया, उनके अधिकारों, समस्याओं और सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता पर सदैव प्रकाश डाला है।

उनकी कहानियाँ अक्सर उन कठोर वास्तविकताओं पर ज़ोर देती हैं जिनका महिलाओं को सामना करना पड़ता है। उनका लक्ष्य पाठकों को सहानुभूति महसूस कराना और महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय को सुधारने के लिए कार्रवाई करने के लिए मजबूर करना था।

महिलाओं पर प्रेमचन्द के लेखन का विश्लेषण करने से हमें सामाजिक परिवर्तन के उद्देश्य, उनकी कठिनाइयों को संबोधित करके महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास, उनके अधिकारों के लिए अभियान और प्रतिबंधात्मक सामाजिक मानदंडों का सामना करने में उनके दृष्टिकोण का ज्ञान हो जाता है।

'दुनिया का सबसे अनमोल रतन' और 'रानी सारंधा' जैसी कहानियों में प्रेमचन्द ने महिलाओं को अपने राष्ट्र के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका और एजेंसी के रूप में दिखाया। इन कहानियों में, उन्होंने परिस्थितियों का निर्माण करके एक महिला की दृढ़ता और राष्ट्र के प्रति निष्ठा को चित्रित किया, जो उनकी देशभक्ति और बलिदान को दर्शाता है।

'दुनिया का सबसे अनमोल रतन' में महिला अमूल्य उपहार की माँग करती है जो एक राष्ट्रवादी सेनानी की निशानी थी जो शत्रुओं से लडको शहीद हो जाते है। यह देश की आज़ादी के लिए लड़ने वालों के प्रति उसकी आदर प्रदर्शित करता है। 'रानी सारंधा' में, प्रेमचन्द ने राष्ट्र के लिए लड़ने वाले पुरुषों के प्रेरक के रूप में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर ज़ोर दिया। वह अपने और देश की सम्मान की रक्षा करने के लिए अपने पति और पुत्र का खून करके खुद भी मर जाती है ताकि दुश्मन उन्हें न छुए। इन कहानियों में प्रेमचन्द द्वारा महिलाओं का चित्रण, अपने राष्ट्र के कल्याण और सुरक्षा के प्रति उनके समर्पण को उजागर करता है, जो ऐसे परिस्थितियों में उनकी ताकत और प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

प्रेमचन्द ने विधवाओं के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हुए, पूरे जोश से उनका समर्थन किया। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह को आवश्यक माना और विभिन्न समाधान सुझाए, जैसे नैतिक पतन को रोकने के लिए विधवाओं को घर के ज़िम्मेदारियाँ संभालने, सार्थक गतिविधियों में संलग्न होने या समाज में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना।

उन्होंने विधवाओं को धार्मिक गतिविधियों में व्यस्त रखने जैसी परंपराओं का विरोध किया और दावा किया कि इससे उनकी "नैतिक शुद्धता" सुनिश्चित नहीं होती। उन्होंने अपनी कहानी 'प्रेमा' में ऐसे कार्यों के प्रभावों का चित्रण किया है, जिसमें एक विधवा एक गलत रिश्ते में ले जाती है।

'बेटों वाली विधवा' में प्रेमचन्द ने एक वृद्ध विधवा की दुर्दशा पर प्रकाश डाला, जिसने अपने पति की मृत्यु के बाद पारिवारिक संपत्ति पर नियंत्रण खो दिया था। उन्होंने महिलाओं के व्यक्तिगत संपत्ति अधिकारों की समर्थन की और जीवन गुज़ारने के लिए विधवा माताओं की अपने पुत्रों पर निर्भरता को करुणाजनक समझा। 'पंच परमेश्वर' में महिलाओं को संपत्ति के अधिकार देने पर भी ज़ोर दिया। कुल मिलाकर, प्रेमचन्द की कहानियों का उद्देश्य विधवाओं के सामने आने वाली चुनौतियों की ओर ध्यान दिलाना और संपत्ति के अधिकार सहित विभिन्न माध्यमों से उनके सशक्तिकरण और स्वतंत्रता की बात करना था।

प्रेमचन्द की कहानी 'क्रिकेट मैच' (1936) में, उन्होंने एक उच्च श्रेणी की महिला का चित्रण किया है जो शादी से ज्यादा अपने करियर को प्राथमिकता देती है। वह एक पुरुष क्रिकेट टीम का आयोजन करती है लेकिन उसे उन पुरुषों के रूढ़िवादी विचारों का सामना करना पड़ता है जो खेल से अधिक उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वह कहती है कि उसका इरादा विवाह नहीं बल्कि अपने कैरियर पर ध्यान केंद्रित करना था, और कहा कि एक लड़की की जीवन में शादी के अलावा भी कई महत्वपूर्ण चीज़ें हैं।

यह कथा की इस मान्यता को दर्शाती है कि सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं की उपस्थिति के लिए उनके शरीर और मन की पवित्रता आवश्यक है। प्रेमचन्द महिलाओं को मात्र सौन्दर्य की आस्वादन करने की वस्तु नहीं बल्कि उनके सार्थक कार्यों में संलग्न होने के महत्व पर ज़ोर देते हैं, जैसा कि उनकी कहानी 'सौत' में देखा गया है। वह सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को महत्व देते हैं, 'सेवा' जैसी पारंपरिक भूमिकाओं से परे उनके काम के महत्व को स्वीकार करते हैं।

निष्कर्ष

इस प्रकार प्रेमचन्द की रचनाओं में गाँधी जी के विचारों को हम देख सकते हैं। साहित्यिक रचनाओं द्वारा, गाँधी जी के विचारों को अधिक लोगों तक पहुँचा सकते हैं। लोगों को साहित्य में अलग रूचि होती है। जब लोगों को उनकी रूचि एवं मनपसन्द कृतियों के माध्यम से विचारों को बताया जाता है तो शीघ्र एवं आसानी से वे समझ पाते हैं। इस दृष्टि से प्रेमचन्द एक गाँधीवादी लेखक के रूप में हमारे सामने आते हैं। यह अतिशयोक्ति नहीं है कि जिस प्रकार गाँधिवादी चिंतन हर युग के लिए प्रासंगिक है, उसी प्रकार प्रेमचन्द की रचनाएँ भी हर युग के लिए प्रासंगिक एवं हिंदी साहित्य जगत में अमिट स्थान प्राप्त है।

संदर्भ सूची

1. डॉ.विनोद रस्तोगी - महात्मा गाँधी की प्रासंगिकता 21 वी सदी में - कपिल बुक्स, दिल्ली-45, 2012
2. मोहनदास करमचन्द गाँधी - मेरे सपनों का भारत - पांचजन्य प्रकाशन, दिल्ली-9, 2015
3. कमल किशोर गोयनका - प्रेमचन्द के उपन्यासों का शिल्प-विधान - यश पब्लिकेशंस, नई दिल्ली-32, 2016
4. डॉ.राजम नटराजन पिल्लै - गॉधीयुगीन नारी-जागरण और हिंदी उपन्यास - शुभंकर प्रकाशन, मुम्बई-28, 2000

5. मुरली मनोहर प्रसाद सिंह, रेखा अवस्थी – विगत मेहता और वर्त्तमान अर्थवत्ता – राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2008
6. शिवकुमार मिश्र – प्रेमचन्द विरासत का सवाल – वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2008
7. आचार्य निशांतकेतु – गोदान परिशीलन – संजय प्रकाशन, दिल्ली, 2016
8. डॉ. आरसु - महात्मा गाँधी साहित्यकारों की दृष्टि में – प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, 2018
9. सरिता राय – उपन्यासकार प्रेमचन्द की सामाजिक चिंता –वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2010
10. डॉ. कविता आचार्य - कालजयी उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गबन की वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता - परिमल प्रकाशन, राजकोट, 2017
11. Gender and Women in Premchand's Short Stories – Pallavi Tiwari - 2009

अध्याय-6

महिला सशक्तीकरण की दिशा में- नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023

समीक्षा चंद्राकर, सहायक प्राध्यापक,
राजनीति विज्ञान, शासकीय राजीव
लोचन स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
राजिम जिला- गरियाबंद (छ. ग)

रानू अग्रवाल
सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र
पोस्ट-डॉकटरल फ़ेलो,
आई. सी. एस. एस. आर. नई दिल्ली

महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक कदम और उठाया गया जब नये संसद भवन में प्रवेश लेते ही सरकार के द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कर दिया गया। लंबे संघर्षो के अथक प्रयासों के बाद संसद के दोनों सदनों से सर्वसम्मति के साथ राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद कानूनी रूप में परिणित कर लिया गया। भारतीय इतिहास में यह विधेयक मील का पत्थर साबित हो सकता है।

यदि हम वर्तमान में संसद में महिला प्रतिनिधित्व पर दृष्टि डालते हैं तो पाते हैं कि 75 वर्षों के बाद भी महिला प्रतिनिधित्व में केवल 09 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। जबकि विश्व के अन्य देशों में 50 प्रतिशत से अधिक है। राज्यों के विधानसभाओं की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है। ऐसे समय में नारी शक्ति वंदन अधिनियम का पारित होना महिलाओं की क्षमता व ताकत को पहचानने और उन्हें अधिक सशक्त बनाने में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस विधेयक का उद्देश्य निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना व राजनीति में महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और अधिक समर्थनकारी माहौल तैयार करना होगा।

महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा, राज्य की विधानसभाओं और राजधानी दिल्ली की विधानसभा में सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है साथ ही यह विधेयक ST व SC के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा। यह प्रारंभ में 15 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें प्रत्येक परिसीमन के बाद रोटेशन से गुजरेगी। महिला आरक्षण जनगणना के पूरा होने, प्रासंगिक डेटा के प्रकाशन और उसके बाद परिसीमन प्रक्रिया के बाद ही लागू किया जा सकेगा।

किंतु भारत के बदलते राजनीतिक परिवेश में राजनीतिक दल आज इस बात को भलि प्रकार से समझ रहे हैं कि महिलाओं की उपेक्षा, निर्णय निर्माण प्रक्रिया से अब ज्यादा दिनों तक विलग नहीं रख सकेंगे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने महिलाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है, जहां नारी शक्ति नई उर्जा के साथ भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करते हुए सक्रिय व रेखांकनीय भूमिका निभाएगी।

महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक कदम और उठाया गया जब भारत के नये संसद भवन ने भारत की बेटियों को गृहप्रवेश के रूप में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कर सौगात दिया। देश के संसदीय इतिहास में 128वां संविधान संशोधन विधेयक जो 1996 से चले आ रहे देश की आधी आबादी के 27 वर्षों का संघर्ष, 5 प्रधानमंत्री का कार्यकाल और अनेकों बार संसद में पेश होने व ठुकराये जाने के बाद आखिरकार 21 सितंबर 2023 को सर्वसम्मति के साथ राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद नारी शक्ति अधिनियम कानूनी रूप में पारित कर लिया गया जो भारतीय इतिहास में नारी की अस्मिता व सम्मान दिलाने में मील का पत्थर साबित हो सकेगा।

वर्ष	प्रधानमंत्री	नतीजा
1996	एच. डी. देवगौड़ा	पारित नहीं हुआ
1998	अटल बिहारी	पारित नहीं हुआ
2002,2003	अटल बिहारी	पारित नहीं हुआ
2008	मनमोहन सिंह	पारित नहीं हुआ
2023	नरेन्द्र मोदी	पारित हुआ

सारणी - 01

महिला आरक्षण अधिनियम का सफरनामा –

भारत के इतिहास में लंबे समय से महिलाओं के लिए राजनीतिक आरक्षण की मांग की जाती रही -

- 1931 में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महिला संगठनों ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर राजनीतिक आरक्षण के लिए आग्रह किया था।
- 1935 के भारत सरकार अधिनियम में महिलाओं को अलग निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया गया लेकिन विधायी निकायों में उनके लिए सीटें आरक्षित नही की गई। हालांकि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम रहा।
- 1971 में महिलाओं के लिए स्थायी निकायों में सीटें आरक्षित करने की सिफारिश की गई।
- 1988 में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना ने (National Perspective Plan for Women) अनुशंसा की थी कि महिलाओं को पंचायत से लेकर संसद के स्तर तक आरक्षण प्रदान किया जाए।
- 1996 में देवगौड़ा की संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा पहली बार लोकसभा में पेश किया गया। लेकिन इस विधेयक को उस समय के कई राजनीतिक दलों के विरोध झेलना पड़ा जिससे यह विधेयक पारित नहीं हो पाया क्योंकि इसमें कुछ संशोधनों की आवश्यकता महसूस की गई।
- 1998 में वाजपयी की राजग सरकार द्वारा किये गये प्रयासों के बाद भी इस विधेयक को फिर से कठिनाईयों का सामना करना पड़ा।
- 2008 में मनमोहन सिंह सरकार द्वारा लाया गया। इस बार भी विधेयक पारित नहीं हो पाया (सारणी 01का अवलोकन करें)।
- 2010 में क्षेत्रीय क्षेत्रों के सांसदों द्वारा इस विधेयक को फाड़ने और सदन में हंगामे के बाद भी यह विधेयक पारित नहीं हो पाया। हालांकि इसमें अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं किया

गया था। जो इसके विरोध का प्रमुख कारण रहा। सुषमा स्वराज जैसे प्रभावशाली नेता के समर्थन के बावजूद भी बहुमत के अभाव, राज्य राजनीति के दखल के कारण यह विधेयक आगे बढ़ने में असफल रहा।

यदि हम वर्तमान लोकसभा में महिला प्रतिनिधित्व पर दृष्टि डालें तो 82 महिला सांसद है जो कुल संख्या का 15.2 प्रतिशत है। वहीं राज्यसभा में 31 महिलाएं हैं जो कुल संख्या का 13 प्रतिशत है। जिसकी तुलना यदि हम प्रथम आमचुनाव से करें तो हम पाते है कि 1950 में महिला सांसदों की संख्या 05 प्रतिशत थी। (ग्राफ 01इस तथ्य को प्रदर्शित कर रहा है)

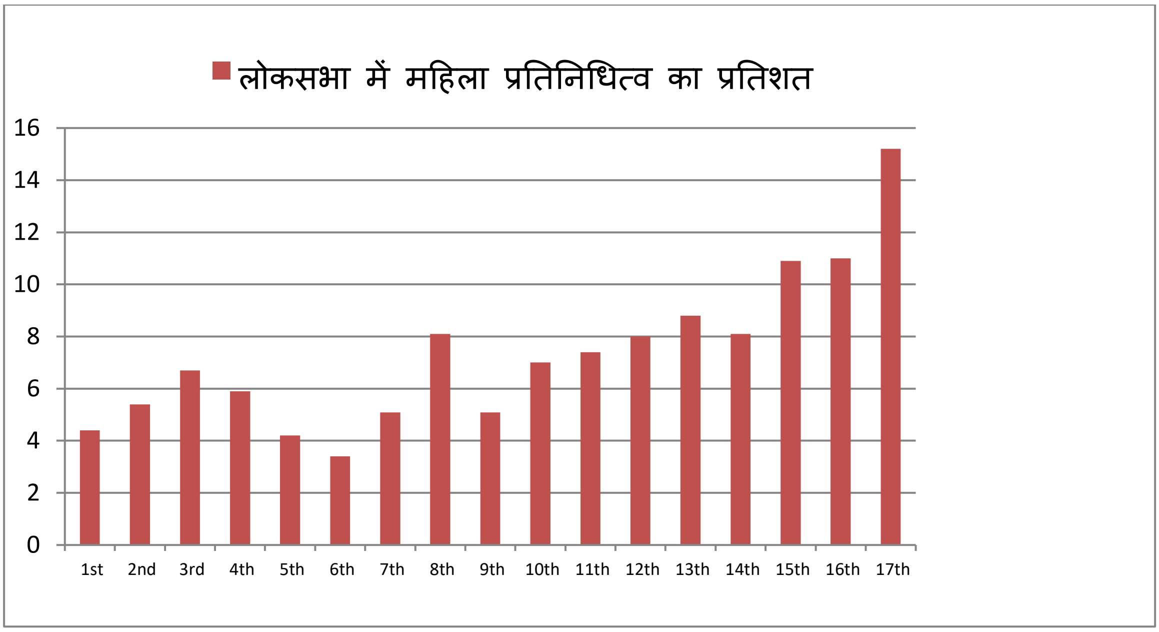

ग्राफ-01

याने कि पिछले 75 वर्षों में इसमें केवल 09 प्रतिशत का ही इजाफा हुआ है, जो यह इंगित करता है कि हम कछुए की चाल से चल रहे हैं।

कमोवेश राज्यों के विधानसभाओं में भी महिला प्रतिनिधित्व का आंकड़ा भी संतोषजनक नहीं रहा है। (सारणी 02 का अवलोकन करें) जबकि विश्व के देशों में महिला प्रतिनिधित्व के प्राप्त आंकड़ों पर दृष्टि डालें तो दक्षिण-अफ्रीका (46%), ब्रिटेन (35%), अमेरिका (29%), चीन (25%), बांग्लादेश (21%), पाकिस्तान (20%), ब्राजील (18%), जापान (10%), श्रीलंका (05%) आदि अन्य देशों के राजनीतिक निकायों में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने में भारत से कहीं आगे है। (ग्राफ 02 इस तथ्य को प्रदर्शित कर रहा है)

राज्य विधानसभाओं में महिला प्रतिनिधित्व का प्रतिशत	
छत्तीसगढ़	14%
पश्चिम बंगाल	13-7%
यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड	10&12%
झारखंड	12-4%
आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, महाराष्ट्र, उड़ीसा, सिक्किम, तमिलनाडु तेलंगाना	10% से कम

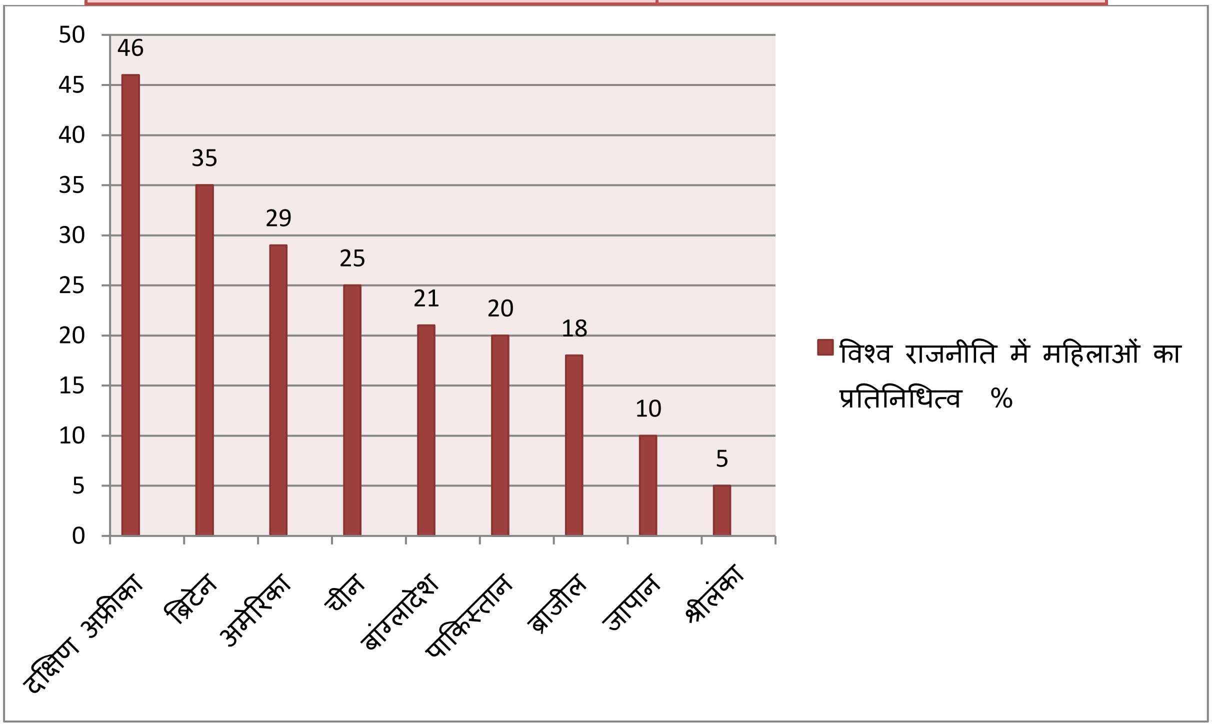

ग्राफ - 02

वर्तमान समय में देश की जनसंख्या में महिलाओं की हिस्सेदारी 48.5 (2011 Census के अनुसार) प्रतिशत है याने आधी आबादी महिलाओं की है। 17वी लोकसभा चुनाव में कुल 8000 उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुए जिसमें 724 महिला उम्मीदवार ने अपने पर्चे भरे थे। 2019 के लोकसभा चुनाव मतदान के आंकड़ों को यदि देखें तो पाते है कि पुरुष मतदान 67 प्रतिशत रहा वही महिला में मतदान का प्रतिशत 67.2 रहा। वही पर यदि हम 1962 के मतदान के आंकड़े को देखते है तो पुरुष को 63.1 प्रतिशत रहा वही महिला मतदान का प्रतिशत 46.63 रहा। आपस में इनकी तुलना करें तो हम पाते है कि कहीं न कहीं महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी है।

ऐसे समय में **नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023** यह विधेयक अवश्य ही महिलाओं की क्षमता व ताकत को पहचानने और उन्हें और अधिक सशक्त बनाने में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस विधेयक का उद्देश्य

निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना। राजनीति में महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और अधिक समर्थनकारी माहौल तैयार करना होगा।

महिला आरक्षण अधिनियम की कुछ मुख्य बातें-

- ❖ यह विधेयक लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राजधानी दिल्ली की विधानसभा के कुल सीटों की लगभग एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है। यह विधेयक ST व SC के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा।
- ❖ महिला आरक्षण प्रारंभ में 15 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा।
- ❖ महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें प्रत्येक परिसीमन प्रक्रिया के बाद रोटेशन से गुजरेगी।
- ❖ महिला आरक्षण जनगणना के पूरा होने, प्रासंगिक डेटा के प्रकाशन और उसके बाद परिसीमन प्रक्रिया के बाद लागू होगा।

महिला आरक्षण अधिनियम के विपक्ष में तर्क -

- ❖ कुछ लोग मानते हैं कि महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करना संविधान में वर्णित समानता के अधिकार का उल्लघंन होगा।
- ❖ विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि महिला आरक्षण लागू होता है तो महिलाएं योग्यता के आधार पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगी।
- ❖ महिलाएं किसी जाति समूह की तरह कोई सजातीय समुदाय नही है।
- ❖ भारत में प्रचलित चुनावी प्रक्रिया को स्वस्थ, स्वच्छ व महिला प्रत्याशियों के योग्य बनाना भी चुनौती से कम नहीं है।
- ❖ कहीं ऐसा न हो कि महिला विधेयक चंद कद्दावर महिलाओं तक सिमट कर न रह जाए।

महिला आरक्षण अधिनियम के पक्ष में प्रमुख तर्क -

- ❖ यह विधेयक लैंगिक समानता की दिशा में एक उल्लेखनीय कार्य सिद्ध हो सकता है। 2022 में जारी ग्लोबल जैंडर रिपोर्ट के अनुसार राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में 146 देशों की सूची में भारत 48 वें स्थान पर है।
- ❖ महिलाओं में स्व-प्रतिनिधित्व की भावना बढ़ेगी जिससे राजनीतिक व सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के प्रति भेदभाव को समाप्त किया जा सकेगा।
- ❖ राजनीति में सक्रिय महिला राजनीतिज्ञ आने वाली पीढ़ियों के लिए रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत होंगी।
- ❖ महिलाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों (लिंग आधारित हिंसा, उत्पीड़न, महिला स्वास्थ्य, शिक्षा व आर्थिक सशक्तीकरण आदि) की वकालत करते हुए नीतिगत व विधिक उपायों के माध्यम से इसका समाधान करेंगी।

- ❖ महिला आरक्षण अधिनियम न केवल अधिकाधिक महिलाओं को राजनीति में भाग लेने का अवसर प्रदान करेंगी बल्कि महिलाओं को अन्य क्षेत्रों में भी नेतृत्व करने का अवसर प्रदान करेंगी।
- ❖ राजनीतिक में अपराधीकरण को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकेगा।

महिला आरक्षण अधिनियम के समक्ष चुनौतियां –

- ❖ परिसीमन के बाद ही महिला आरक्षण लागू हो पाएगा।
- ❖ परिसीमन की प्रक्रिया अगली जनगणना के आंकड़े के आधार पर की जायेगी।
- ❖ अगली जनगणना की तिथि भी अनिश्चित है।

महिला प्रतिनिधित्व का प्रभाव-

- ❖ महिला समुदायो में स्वतंत्र निर्णयन की क्षमता सुदृढ़ होगी वह निर्णय लेने के दायरे में लैंगिक समानता को बढ़ावा देंगी।
- ❖ समाज में लंबे समय से स्थापित पितृसत्तात्मक मानसिकता को परिवर्तित करने में अपनी भूमिका निभाएगी।
- ❖ महिलाओं को उनके अधिकारो के प्रति जागरूक करने व उनकी राजनीति में भागीदारी बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगी।
- ❖ चुनावी प्रक्रिया में सुधार आएगा जिससे अधिकाधिक महिलाओं का निर्वाचन सुनिश्चित होगा।
- ❖ काजल की कोठरी कहलाने वाली राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ने से यह कहावत मिथ्य साबित होगी।
- ❖ राजनीतिक शुचिता को बढ़ावा मिलेगा।
- ❖ पंचायत में महिला आरक्षण(50%) के प्रभावों का सर्वेक्षण करने से पता चलता है कि महिला प्रतिनिधियों ने गांव व समाज के विकास की दिशा में सराहनीय कार्य किया है। यह इस बात की ओर इशारा करता है कि महिलाएं वृहद स्तर पर कार्य करने का जज्बा रखती है।
- ❖ यह विधायी पहल अवश्य ही पारंपरिक लिंग भूमिकाओं में परिवर्तनकारी बदलाव लाने व महिलाओं की रुढ़िवादी धारणाओं को चुनौती देने के लिए तत्पर है।

आज प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। राजनीतिक गलियारे में भी उसकी उपस्थिति को नजरंदाज नहीं किया जा सकता। वहीं राजनीतिक दलों में भी महिला कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है। बावजूद इसके जिन्हें लम्बे समय से राजनीतिक दलों के द्वारा नजर अंदाज किया जाता रहा है। केवल इतना ही नहीं टिकट वितरण में भी उनकी मौजूदगी को नकारा जाता रहा है। किंतु भारत के बदलते राजनीतिक परिवेश में राजनीतिक दल आज इस बात को भलि प्रकार से समझ चुके है कि महिलाओं की उपेक्षा, निर्णय निर्माण प्रक्रिया से अब ज्यादा दिनों तक विलग रख पाना संभव न होगा। राजनीतिक दल अब महिला शक्ति के महत्व को समझ रहे है। राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं की क्रियाशीलता अब सतत् रुप से देखी जा रही है। उसकी उपस्थिति से न केवल राजनीतिक

शुचिता को बढ़ावा मिलेगा,अपितु निस्संदेह सामाजिक व्यवस्था में भी सुधार देखने को मिलेगा। आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महिलाएं रोल मॉडल प्रस्तुत करेंगी।

नारी शक्ति वंदना अधिनियम ने महिलाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है जहां पर नारी शक्ति नई उर्जा के साथ भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करते हुए सक्रिय व रेखांकनीय भूमिका निभाएगी। साथ ही सरकार के विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने में अपनी आहुति देगी।

संदर्भ सूची

1. कौशिक पूनम आई,नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिला सशक्तीकरण की ओर बढ़ते कदम, पंजाब केसरी,27 सितंबर 2023
2. भारद्वाज, तुलसी,नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023: चुनौतियां और संभावनाएं,06अक्टूबर 2023
3. सिंह, सीमा,नारी शक्ति वंदना अधिनियम 2023(महिला आरक्षण विधेयक) की ओर भारतीय महिलाओं की यात्रा
4. एडिटोरियल, लैंगिक समानता हेतु महिला आरक्षण विधेयक, द हिन्दू,21 सितंबर 2023
5. नारी शक्ति वंदन विधेयक, संसद टीवी

अध्याय-7

भगवद्गीता में वर्णित न्याय की संकल्पना: वर्तमान के सामाजिक न्याय की दृष्टि से

मानसी त्यागी
शोध छात्रा,
राजनीति विज्ञान विभाग,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

रजत कोहली,
शोध छात्रा,
राजनीति विज्ञान विभाग,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

यदि डार्विन के विकासवादी सिद्धांत को ठीक मानकर चले तो मनुष्य का विकास अन्य जीवों से हुआ है एवं सोचने, विचारने एवं कल्पना करने की शक्ति ने उसे वह रास्ता दिखाया जिसके कारण ही वह आज सर्व महत्वपूर्ण प्रजाति के रूप मे हमे दिखता है। ये कल्पना की शक्ति ही है जिससे उसने अपना इतना विकास कर लिया जहाँ से वह ना सिर्फ अपनी नियति का निर्धारण करता है परंतु और प्रजातियों के विषय में भी चिंता कर सकता है। मनुष्य इस विकास को इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि उसने एक साथ रहकर काम करना सीख लिया था, ये बात भी ठीक है कुछ मानव वैज्ञानिकों का यह मानना है कि क्योंकि वह स्वयं के बारे मे सोचता था, स्वयं की जीवन रक्षा या स्वार्थ वश ही उसने ऐसा किया होगा। परंतु कालांतर में उसके बौद्धिक विकास ने उसे यह दर्शन करा दिए होंगे कि सबके एक साथ विकास होने से ही विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है अन्यथा यह ठहर जाएगी। इसी कारणवश उन उपायों को सोचा गया जिनके माध्यम से सभी का भला हो सके ओर ऐसे सूत्रों की खोज शुरू हो गई। समाज का निर्माण हो गया और सभी खुशी से रहने भी लगे। परंतु आरंभिक समय में कुछ भी संस्थागत नहीं था इसका कारण यह है क्योंकि समाज छोटा था ओर आसानी से सभी आवश्यकताओ की पूर्ति हो जाती होगी। इस अवस्था को महाभारत के शांतिपर्व में निम्नलिखित श्लोक के माध्यम से दर्शाय गया है

न वै राज्यं न राजासीत् , **न** दण्डो **न** च दाण्डिकः ।

धर्मणेव प्रजा सर्वा रक्षंति स्म परस्परम ।।[1]

यानि आरंभ में 'ना तो राज्य की आवश्यकता थी, ना राजा की, ना दंड की आवश्यकता थी ना दंड देने वाले की, धर्म का आचरण करती हुई प्रजा स्वयं एक-दूसरे की रक्षा करने के लिए समर्थ थी'। समय के साथ जब व्यवस्थाएं बढ़ने लगी तभी अन्याय, अत्याचार, समाज में बढ़ने लगे। इसी अवस्था को कौटिल्य ने मतस्य न्याय कहा है जिससे एक संस्था का निर्माण करने की आवश्यकता पड़ी ओर राज्य अस्तित्व में आया। कौटिल्य कहता है

मत्स्यन्यायभिभूतः प्रजां मनु वैवास्वतं राजनां चाकिरेः[2]

यानि 'मत्स्यन्याय की वजह से प्रजा ने मनु को राजा चुना'। मत्स्यन्याय यानि अराजकता, जिस अवस्था में व्यवस्था पूर्ण रूप से भंग हो गई हो। तभी राज्य जैसी संस्था का विकास हुआ एवं राजा को न्याय करने वाला कहा गया। उसे

 ISSN: 2321-0443

योगक्षेम करने वाला कहा गया। भारत में न्याय की अवधारणा एकल ना होकर बहुआयामी रही है जिसमे एकरूपता स्वभविक ही दिख जाती है। इसमे जीवन का हर पक्ष समाविष्ट रहा है चाहे वह सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनैतिक हो, शैक्षिक हो, सांस्कृतिक हो या अन्य। कभी किसी भेद की आवश्यकता नहीं हुई क्योंकि सबका आधार धर्म ही है जो बहुत व्यापक है एवं अपने में जीवन के हर पहलू को समेटता है। आगे उसी पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।

भारत में न्याय की अवधारणा एवं भगवदगीता

धर्म : न्याय का आधार

भारत में न्याय की अवधारणा के विभिन्न आयाम देखने को मिलते है, न्याय हर उस अवस्था के लिए प्रयोग किया जाता है जहाँ धर्मोचित कार्य नहीं होते। इससे धर्म को समझने की आवश्यकता पड़ जाती है। यों तो धर्म की व्याख्या के लिए शास्त्रों में बहुत सी सामग्री उपलब्ध है, किन्तु यहाँ पर धर्म को सरलता से समझने हेतु तुलसी द्वारा कही गई यह बात पर्याप्त है

दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान

तुलसी दया ना छाड़िए जब तक घट में प्राण

यानि धर्म के मूल में दया है, दया एक ऐसा भाव है जिसके बिना मानवता की कल्पना नहीं की जा सकती। जैसा पूर्व में भी कहा जा चुका है कि पशु एवं मानव में मूल भेद धर्म का ही है। धर्म दया पे आधारित है। मानव सभ्यता का जबसे विकास हुआ है तभी से उसके मूल में मानवता का विकास रहा है जिसके लिए बहुत से नैतिक शास्त्रों की रचना पूरे विश्व में हुई। आज पूरे विश्व में सभी राज्यों के अपने-अपने संविधान है जिनके आधार पर वहां कानून व्यवस्था का संचालन होता है। भारतीय संविधान के निर्माण के बाद से उसे देश के सर्वोच्च कानून के रूप में स्वीकार किया गया है। ओर उसमें जिस न्याय की कल्पना की गई है, वह उसकी प्रस्तावना एवं संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों से प्रमाणित हो जाता है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की कल्पना की गई है। इस तरह न्याय के विभाजन का कारण पश्चिम में अवधारणाओं को समूचे रूप में ना देख कर अलग-अलग देखा जाना भी रहा है। भारत में प्राचीन काल से ही ऐसा नहीं हुआ अपितु सभी व्यवस्थाओं को समग्रता की दृष्टि से देखे जाना भारत का वैशिष्ट्य रहा है।

न्याय भारतीय चिंतन की समस्त व्यवस्थाओं का केंद्र बिंदु रहा है। भारतीय संकल्पना मे न्याय कोई बाह्य क्रिया नही अपितु आंतरिक प्रक्रिया हैं। न्याय के ही सिद्धांतों मे से एक विचार के रूप में सामाजिक न्याय की अवधारणा का विकास हुआ है। प्राचीन भारत में सामाजिक न्याय जैसा शब्द प्रचलित न होकर धर्म में ही न्याय अंतर निहित था और न्याय को समग्र दृष्टि में देखा जाता था। जिसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक तीनों तरह के न्याय का बोध होता था। इसलिए इनको पृथक रूप से प्रकट करना उचित नहीं समझा गया। भारतीय समाज में न्याय को व्यक्ति के कर्तव्यों के साथ जोड़ा गया है कर्तव्य का पालन ही न्याय का आधार है। क्योंकि एक व्यक्ति के कर्तव्य का

पालन दूसरे के लिए स्वाभाविक ही अधिकार हो जाता है। इसलिए सभी अपने कर्तव्यों का पालन करे इससे स्वतः ही न्याय दृष्टिगत होता है।

यद्यपि पश्चिम में न्याय को समग्र दृष्टि में ना देखते हुए न्याय को भिन्न-भिन्न रूपों में देखा जैसे सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय सभी मनुष्यों की समानता पर आधारित है किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, वर्ण, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। परंतु भारतीय ज्ञान परंपरा में न सिर्फ व्यक्ति अपितु समस्त प्राणियों के हित को दृष्टिगत रखते हुए न्याय की अवधारणा का विकास हुआ है, क्योंकि भारतीय संस्कृति 'वसुधैव कुटुंबकम' के सिद्धांत को गृहीत किये हुए है इस अवधारणा के अंतर्गत संपूर्ण पृथ्वी को एक परिवार मान जाता है इसमें ना सिर्फ मानव बल्कि सभी जीवित प्राणी आते है। जब महोपनिशद का श्लोक कहता है;

अयं निजः परोवेत्ति गणना लघु चेतसाम ।

उदार चारितानाम तू वसुधैव कुटुंबकम ।।[3]

इसलिए भारत में सामाजिक न्याय जैसा शब्द प्रचलित नहीं हुआ है क्योंकि सामाजिक न्याय सिर्फ व्यक्ति के कल्याण और अधिकारों की बात करता है। परंतु न्याय समस्त प्राणी के कल्याण को अपने अंतर्गत समाहित किए हुए हैं। उपनिषद में वर्णित 'तेन त्यक्तेन भुंजीथा:'[4] का भाव जो त्याग पूर्वक उपभोग की बात करता है ओर सभी जीवों के लिए त्याग का उपदेश हमारे समक्ष रखता है।

भारत में धर्म आदर्श समाज व्यवस्था प्रचलित थी। जोकि न्याय पूर्ण थी और इसका उद्देश्य समाज को उन्नत और विकसित करना था। समाज में सभी व्यक्तियों को समान रूप से अपने सामाजिक व आर्थिक विकास के समान अवसर प्राप्त होते थे और वह उसी के अनुरूप व्यवहार भी करते थे।

पंचमहायज्ञ एवं ऋण त्रयी

प्राचीन भारत में ऋषि, मनीषियों ने सामाजिक व्यवस्था को सुचारु रूप से बनाए रखने के लिए पंचमहायज्ञों का विधान किया। भारतीय संस्कृति में गृहस्थो के लिए पंच महायज्ञ के बारे में बताया गया है, इन यज्ञों का उल्लेख हमें ऋग्वेद, मनुस्मृति और गीता आदि ग्रंथो में देखने को मिलता है। सामान्यतः यज्ञ शब्द को पूजा पद्धति से जोड़ा जाता है परंतु गीता में यज्ञ शब्द का अर्थ कर्तव्य कर्म से माना गया है। यह पांच महायज्ञ दैनिक जीवन के ऐसे यज्ञ है जिनका गृहस्थो को प्रतिदिन पालन करना चाहिए। यह पांच यज्ञ हमारी संस्कृति के मूल मंत्र 'तेन तक्तेन भुंजीथा'[5], इस सिद्धांत पर आधारित है कि मनुष्य को त्यागपूर्वक भोग करना चाहिए। इन यज्ञ में भी यही कहा गया है कि मनुष्य को अपने हित के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण प्राणी के हित को ध्यान में रखना चाहिए। उसी के लिए इन पंचमहायज्ञ का विधान किया गया है। पांच महायज्ञों के अंतर्गत ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ भूतयज्ञ व अतिथियज्ञ आते हैं। ब्रह्मयज्ञ में वैदिक मंत्रो का अध्ययन व अध्यापन करना व ऋषि, मुनियों के प्रति सम्मान प्रकट करना। पिंडदान, तर्पण व माता-पिता की सेवा करना पितृयज्ञ में आता है, यहाँ न्याय का व्यवहारिक पक्ष देखने को मिलता है जहाँ न्याय के लिए किसी

संस्था की कोई आवश्यकता नहीं है केवल व्यक्ति अपने कर्तव्यों के माध्यम से ही न्याय के दृष्टिकोण को सबके समक्ष रखता है। देवयज्ञ को कर्मकांड से जोड़ा जाता है, यज्ञ के समय जो आहुति दी जाती हैं उससे वातावरण की शुद्धि होती है, वातावरण की शुद्धि से हमारा पर्यावरण के प्रति उत्साह एवं चिंता देखने को मिलती है। आज दुनिया भर में पर्यावरण संबंधित आंदोलन एवं पर्यावरणीय न्याय की चिंता की जाती है, भारत में ये बाद स्वाभाविक लगता है, अन्न आदि का दान भूतयज्ञ की श्रेणी में आता है और अतिथि यज्ञ का उद्देश्य समाज कल्याण से है घर पर आए अतिथि का भोजन आदि से सत्कार करना अतिथि यज्ञ के अंतर्गत आता है।

पंचमहायज्ञ शब्द सुनकर यह भ्रम होना स्वभाविक है कि यहाँ किसी कर्मकाण्ड के विषय में चर्चा की जा रही है एवं यह केवल पंचमहायज्ञ के विषय में ही ठीक नहीं बैठता। पंच महायज्ञ के विषय में मनु का संदर्भ लेते हुए तिलक अपनी गीतारहस्य में गार्हस्थ्य धर्म के विषय में कहते है कि इन पाँच यज्ञों के द्वारा क्रमानुसार ऋषियों, पितरो, देवताओं, प्राणियों, तथा मनुष्यों को पहले तृप्त करके फिर किसी गृहस्थ को स्वयं भोजन करना चाहिए।[5] क्या इससे भी परे ओर कोई न्याय की संकल्पना हो सकती है, किन्तु हम तो इन बातों को धर्म से जोड़ते है और धर्म लोक व्यवहार का आदर्श होता था ओर आज भी उनके लिए है जो पारंपरिक जीवन जीते है। इसीलिए हमे वह सड़कों पर चिटियों को जीवाते या चिड़ियों की चिंता करते दिख जाएंगे। पंचमहायज्ञों समेत ओर बहुत सी संकल्पनाएं है जैसे ऋण-त्रयी जो भारत में स्वतः समकालीन न्याय की कसौटी पर खरा ही नहीं उतरती परंतु उससे आगे चलकर इन व्यवस्थाओ के मौलिक आधारों को हमारे समक्ष रखती है। पंचमहायज्ञों एवं ऋण-त्रयी जैसे शब्दों को देखकर भ्रम हो जाना स्वाभाविक है। इनके लिए किसी प्रकार की कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई थी परंतु हर व्यक्ति यह अपना स्वाभाविक कर्म मानकर करता था। ऋण-त्रयी में पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण की बात की गई है। पितृ ऋण सृष्टि के विस्तार से संबंधित है क्योंकि जिस समय ऋणों की व्यवस्था की गई होगी उस समय जनसंख्या की आवश्यकता होगी। देव ऋण पर्यावरण से संबंधित है, हम इस बात से परिचित है कि भारत में देव कोई ओर नहीं वरन प्रकृति को मानवीकृत कर के कहा जाता है। देवो की चिंता यानि प्रकृति को ही प्रकारांतर से संरक्षित एवं संवर्धित करना। यह पर्यावारणिक न्याय की दृष्टिकोण से सर्वक्षेष्ठ स्थिति है।

भगवदगीता एवं न्याय

श्रीमद्भगवत गीता भारतीय संस्कृति का अतुल्य ग्रंथ है गीता कुरुक्षेत्र की भूमि में महाभारत के भीषण युद्ध से पहले भगवान श्रीकृष्ण का अर्जुन को दिए गए उपदेशों का संकलन है। इसमें अट्ठारह अध्याय व सात सौ श्लोक है। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ ना होकर यह भारतीय संस्कृति के साथ-साथ विश्व के लिए एक ज्ञान का प्रकाश पुंज भी है। गीता के अंतर्गत ब्रह्मांड ज्ञान आत्म विद्या, विश्वरूप दर्शन, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग जैसे अनेक मार्ग श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को बताए गए हैं गीता के सभी सिद्धांतों का केंद्र बिंदु व्यक्तियों को उनके कर्तव्यों के प्रति जागृत करना है।

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः।

तस्य कर्तारमपि मां विद्ध्यकर्तारमव्ययम्।।4.13[6]

श्री कृष्ण कहते हैं मेरे द्वारा चार वर्णों का विभाजन व्यक्तियों के गुण और कर्मों के अनुसार किया गया है। भारतीय संकल्पना में कर्म सिद्धांत पर न्याय की अवधारणा अवलंबित है। तिलक भी अपनी पुस्तक" गीता रहस्य" में चातुर्वर्ण्य व्यवस्था को कर्म आधारित बताते हैं वह कहते हैं कि इस व्यवस्था में श्रम का विभाजन होता है और समाज में ब्राह्मण,क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण अपने-अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं जिससे समाज में सामंजस्य स्थापित रहे और समाज का संरक्षण और पोषण भली भाती होता रहे। वर्ण व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति श्रेष्ठ या हीन नहीं होता है जैसे शरीर के लिए मस्तिष्क, भुजाएं, जांघों और पैरों का कार्य करना आवश्यक है ठीक उसी प्रकार समाज के कल्याण के लिए सभी वर्णों को अपने-अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना आवश्यक होता है। जब सभी वर्ग अपने-अपने कर्तव्य का पालन करेंगे और कोई भी व्यक्ति किसी अन्य के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा तो समाज मे स्वत: ही न्याय की स्थापना हो जाएगी। जैसे पहले भी कहा जा चुका है कि भारत में हर वस्तु में एकात्मता स्थापित करने के प्रयत्न किए गए है ओर किसी भी वस्तु को एकल रूप में नहीं देखा जाता इसलिए यहाँ प्रणीत की गई चतुर्वरणीय व्यवस्था अपने आप में न्याय को स्थापित करती है। चारों वर्णों की उत्पत्ति गुण एवं कर्म के आधार पर होना, इस व्यवस्था ने जीवन को इतना सुगम बना दिया की समाज में होने वाले सभी अंतर्विरोधों का अंत हो गया एवं सभी अपने-अपने गुणों के आधार पर अपना-अपना जीवन निर्वहन करने लगे। क्योंकि ऐसा भी ना था कि किसी एक वरना को दूसरे से कमतर समझ जाता हो परंतु समय के साथ इस व्यवस्था का ह्रास होते चला गया और भेद उत्पन्न हो गए। परंतु ये एक ऐसा विचार था जो ईश्वरीय कृपया से ही प्राप्त किया जा सकता था। प्लेटो, यूनान का बड़ा दार्शनिक हुआ, ने अपने साहित्य में प्रमुख रूप से 'रिपब्लिक' नामक ग्रंथ में जो न्याय को लेकर विवेचना की है उसमे न्याय के विषय में जो सहमति बनी है उसमे भी 'हर व्यक्ति को अपना काम अपने गुणों के आधार पर करना चाहिए'[7] को न्याय के रूप में देखा गया। कुछ विद्वानों का यह मानना है कि प्लेटो भी हो ना हो भारत से ही प्रभावित था। इसका एक कारण यह भी है की जो व्यक्ति अपने गुणों के आधार पर कर्म करेगा ना सिर्फ वह अपने कार्यो में कुशलता प्राप्त करेगा जैसा गीता में कहा गया है 'योगः कर्मसु कौशलम्'[8] यानि योग कुछ ओर नहीं परंतु कर्मों में ही कुशलता है। क्योंकि व्यक्ति गुणों के आधार पर ही बरतता है इसलिए यह विभाजन गुणों के आधार पर ही किया जाना चाहिए जैसा गीत में कहा भी गया है 'गुण गुणेशु वर्तन्ते'[9] यानि गुण ही गुणों में बरतते है। अगर समाज में व्यक्ति अपनी क्षमताओ के आधार पर काम ना करकर कुछ ओर काम करे तो इससे समाज में कितना अन्याय होगा इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ना सिर्फ समाज का ही अहित होगा किन्तु जो व्यक्ति अपने ना जाने हुए कार्य को करेगा वह भी मानसिक संतापो से घिर जाएगा। इस अवस्था को भगवदगीता में दर्शाया गया है, कृष्ण कहते है

श्रेयान्स्वधर्मो विगुण: परधर्मात्स्वनुष्ठितात् |
स्वधर्मे निधनं श्रेय: परधर्मो भयावह: ||[10]

अपना गुणरहित धर्म (प्राप्त कर्तव्य) भी दूसरे के गुणवान धर्म से श्रेय (अपनाने योग्य) है। अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है क्योंकि दूसरे का धर्म तो भय देने वाला है। अमर्त्य सेन अपनी पुस्तक डेवलपमेंट एस फ्रीडम में क्षमताओं के विकास पर बल देते हैं वह कहते हैं कि 'हर व्यक्ति के सामर्थ्य भिन्न होते हैं' गीता में भी श्रीकृष्ण ने गुण के आधार पर कार्यों का विभाजन किया है क्योंकि गुण के आधार पर एक ही कार्य को बार-बार करने से उस गुण में कुशलता आती है।

ये ही नहीं, जिस तरह के सामाजिक न्याय की संकल्पना हमे समकालीन समय में देखने को मिलती है उसे हम भारत में सामाजिक न्याय के रूप में तो नहीं देखते थे परंतु न्याय के अन्तर्गत ही रखते थे। ओर जो आज समाज में साधन सम्पन्न व्यक्ति समाज का सर्वांगीण विकास के लिए कर देते है यह भारत में लंबे समय से देखने को मिलते है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसका वर्णन देखने को मिलता है जब वह कहते है

धान्यषडभागम् पण्यदशभागम् हिरण्य भागधेयम् प्रकल्पमायासुः।[11]

यानि कृषि उत्पाद का छटा भाग एवं वाणिज्य का दसवा भाग राजा को योगक्षेम के लिए दिया जाता था यानि प्रजा के लिए जो आज हमे देखने को मिलता है। भगवदगीता भी इस बात को प्रकारांतर से स्पष्ट करते हुए कहती है

दातव्यमिति यदानं दीयतेऽनुपकारिणेत्र। देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम्॥[12]

समाज में जो व्यक्ति साधन संपन्न होंगे वह अपनी आय का कुछ हिस्सा समाज के उन व्यक्तियों की सेवा में देंगे जिनके पास जिन चीजों का अभाव होगा। गीता में कहा गया है "भूखे, अनाथ, दुखी ,रोगी और असमर्थ भिक्षुक आदि तो उन वस्त्र और औषधि एवं जिस वस्तु का जिसके पास अभाव हो उसे वस्तु द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझ जाते हैं।"

भारतीय समाज में दान को भी व्यक्ति के कर्तव्यों से जोड़ा गया है दान सामाजिक कर्तव्य के रूप में दिया जाता है। जिससे समाज मे हर एक व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएं।

अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भव: |

यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञ: कर्मसमुद्भव:||[13]

समाज के कल्याण के लिए सभी व्यक्तियों को स्वार्थहीन होकर स्वधर्म का पालन करना चाहिए। लोक कल्याण के लिए कर्म करना यज्ञ है। यज्ञ से वृष्टि व वृष्टि से अन्न और अन्न से ही सब प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसलिए सभी व्यक्तियों को अपने धर्म का पालन करना चाहिए जिससे सृष्टि चक्र चलता रहे। यज्ञ की व्याख्या करते हुए तिलक ने गीतारहस्य में कर्म को स्थापित किया है जैसा हम पूर्व में कह भी चुके है, तिलक कहते है की ' तिल और चावल को जलाना हल्के दर्जे का यज्ञ है सभी कर्मों के फलों को अग्नि में स्वाहा या कर्मों को ब्रह्मा में स्वाहा कर देना उचे दर्जे का कर्म है'।[14] किस प्रकार अपने कर्मो से ही किसी प्रकार का न्याय हो सकता है।

उपसंहार

ये सेवा भाव, दया भाव जैसा की पूर्व में भी कहा गया ही न्याय व्यवस्था का आधार था। किसी भी चीज का संस्थाकरण करने मात्र से समस्या का समाधान नहीं हो जाता परंतु व्यवहार में कैसे उतारा जाए ये ही लक्ष्य होना चाहिए। पश्चिम में लंबे समय से व्यक्ति पर नियंत्रण के लिए बाहरी रूप से किस तरह से विधि-कानून का संस्थाकरण करकर व्यवस्था बनाई जाए इसके प्रयोग हो रहे है ओर उसी प्रकार से व्यवस्था का निर्माण पूरे विश्व में हमे आज देखने को मिलता है। ये ठीक है की इस व्यवस्था के माध्यम से बाहरी रूप से समाज को नियंत्रण में रखा भी जा रहा

है परंतु जैसे ही व्यक्ति को थोड़ा भी अवकाश प्राप्त होता है वह हर विधि-कानून को ताक पर रखने में पीछे नहीं हटता एवं अपने को केंद्र में रख कर सभी कार्यों का सम्पादन करता है। आज का विश्व तो इस अवस्था की गवाही दे रहा है की व्यक्ति कैसे इन व्यवस्थाओ से पूरी तरह असन्तुष्ट है एवं अन्य विकल्प की खोज में है। भारत की व्यवस्था जो विभिन्न माध्यमों से धर्म को लोक के व्यवहार में उतारने की मान्यता रखती थी एवं किस प्रकार एक धार्मिक व्यक्ति ना सिर्फ न्यायप्रिय होगा परंतु एक राज्य का अच्छा नागरिक भी होगा इस बात की पुष्टि करती है। यह धर्म को राज्य से अलग करने की बात हो सकती है परंतु इस बात की निरर्थकता को समझने के लिए धर्म को समझना आवश्यक है, जिसका प्रयास यहाँ किया गया है। गांधी भी इस बात के मानने वाले है कि धर्म को राजनीती से अलग करते ही किस प्रकार वह नरक का द्वार बन सकती है।

संदर्भ सूची

1. वेदव्यासप्रणीत महाभारत (पंचम खंड- शांतिपर्व), गीताप्रेस गौरखपुर, स० २०७९, पृ.स.-183

2. वाचस्पति गैरोला, कौटिल्य अर्थशास्त्र, चौखम्बा विद्याभवन वाराणसी, स० 2017, पृ.स.-37

3. मनीष त्यागी, संकलनकर्ता- महोपनिषद, श्री हिन्दू धर्म वैदिक एजुकेशन फाउंडेशन, पृ.स.-138

4. ईशादि नौ उपनिषद्, गीताप्रेस गोरखपुर, स० २०८०, पृ.स.- 24-25

5. तिलक, गीता रहस्य, डायमंड पॉकेट बुक्स, स० 2017, पृ. सं.- 262

6. श्रीमद्भगवतगीता, गीताप्रेस गोरखपुर, बुक कोड-20, स० २०७७ पृ.सं.- 67

7. प्लेटो, रिपब्लिक (अनुवादक-डेस्मंड ली), पेंगविन क्लासिक्स, स० 2007 पृ.सं.-37

8. श्रीमद्भगवतगीता, गीताप्रेस गोरखपुर, बुक कोड-20, स० २०७७ , पृ.सं.- 44

9. वही, पृ.सं.-59

10. वही, पृ. सं.-61

11. वाचस्पति गैरोला, कौटिल्य अर्थशास्त्र, चौखम्बा विद्याभवन वाराणसी, स० 2017, पृ.स.-37

12. श्रीमद्भगवतगीता, गीताप्रेस, गोरखपुर, बुक कोड-20, स० २०७७, पृ. सं.-209

13. वही पृ.सं.-44

14. तिलक, गीता रहस्य, डायमंड पॉकेट बुक्स, स० 2017, पृ. सं.- 383

अध्याय-8

पंचायती राज व्यवस्था के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयाम का वर्तमान परिप्रेक्ष्य

धनंजय यादव
सहायक प्राचार्य,
डी.ए.वी. कॉलेज, सिवान
जयप्रकाश विश्वविद्यालय,छपरा (बिहार)

आज उदारीकरण और निजीकरण के दौर में ग्रामीण भारतीय अर्थव्यवस्था विषम परिस्थितियों से जुझ रही है। इसका सबसे प्रमुख कारण भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित कुटीर एवं परम्परागत उद्योगों का हैं, जो परिवर्तित और महत्वहीन हो चुका है। वस्तुतः वैश्वीकरण के गर्भ से जन्मी औद्योगिक एवं उत्तर आधुनिक समाज के अस्तित्व से ही यह परिवर्तन आया है। पूर्व में गाँवों में कपड़ा, लोहे एवं इस्पात की चीजें, ताँबें एवं पीतल की वस्तुएँ निर्मित की जाती थी, आज उन्हें शहरों में व्यापक तौर पर कल-कलखाने द्वारा तैयार किया जाता है। इससे ग्रामीण परिवारों की रोजी-रोटी छिन चुकी है तथा इसने ग्रामीण विकास को हानि पहुँचाया है। अतएवं इसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि वितरण की असमानता उतरोत्तर बढ़ रही है। इस परम्परा को समाप्त करने के लिए विभिन्न योजनाओं से ग्रामीणों को जाग्रत करने तथा परम्परागत कुटीर उद्योगों को पुनर्स्थापित करने में पंचायती राज की कार्य एवं भूमिका का निर्वहन नितान्त अत्यावश्यक है।[1] इसके लिए आवश्यक है कि पंचायती राज के आर्थिक पक्ष के परिवर्तित करते हुए ग्रामीण सन्दर्भ में महत्वपूर्ण बनाया जाये।

भारत में गरीबी एवं बेरोजगारी की भयावह स्थिति ने आज ग्रामीण लोगों को शहरों की ओर पलायन को मजबूर कर दिया है। औद्योगिक केन्द्रीयकरण तथा व्यापक शहरीकरण के कारण सभी परम्परागत ग्रामीण उद्योगों का नामोनिशान लगभग मिटता जा रहा है। प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में लोग गाँवों को छोड़ रहे हैं, जिससे ग्रामीण एवं शहरी दोनों प्रकार का परिवेश विषम अर्थव्यवस्था की चुनौतियों का सामना कर रहा है। इसे सन् 1901 ई. से 2001 ई. तक के ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या का तुलनात्मक अध्ययन से इस बात को समझा जा सकता है।[2] इस तरह की विकृत एवं संकटमूलक व्यवस्था को सुव्यवस्थित एवं सुचारु प्रबन्धन हेतु एक-एक गाँव की स्वायत्तशासी निकाय आवश्यक है, जो पंचायती राज के रूप में एक सुदृढ़ सुव्यवस्थित शासन प्रणाली के उत्कृष्ट स्वरूप एवं लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की कल्पना को साकार करती है तथा पंचायती राज की मौलिक कल्पना अथवा प्रासंगिकता का परिचायक है।

भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला कहा जाता रहा है, क्योंकि इससे अधिकाधिक लोगों को राजनीतिक-प्रशासनिक कार्यों में भाग लेने का व्यापक अवसर मिलता है। वस्तुतः जब लोग विभिन्न उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हैं तो उन्हें स्वतः ही विभिन्न प्रकार के कार्यों का प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त हो जाता है। फलस्वरूप राष्ट्रीय स्तर पर लोग अपने अनुभव से समाज को लाभान्वित कर सकते हैं। स्पष्टतः स्थानीय

शासन संस्थाएँ लोकतंत्र की जड़ों को गहरा और मजबूत बना देती है। स्पष्ट पंचायती राज व्यवस्था का राजनीतिक आयाम अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत हो रहा है।

भारत के राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं को प्रायः ऐसे कार्य सौंपे जाते हैं, जिनका प्रत्यक्ष संबंध उस स्थान के निवासियों की दैनिक समस्याओं के निदान और आवश्यकताओं की पूर्ति से होता है। अतः यह स्वाभाविक है कि ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं की सेवाएँ विशेष रूप में स्थानीय लोगों की हित-साधक का कार्य करती हैं। ये ग्रामीण स्थानीय संस्थाएँ जितनी अधिक सक्रिय, प्रभावकारी एवं उत्तरदायी होंगी, ग्रामीण स्थानीय जीवन उतना ही सुखी और समृद्ध बन सकेगा। भारत के सभी राज्यों के पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय नेताओं को भागीदारी के अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। उन्हें अधिकाधिक राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव भी प्राप्त होते हैं। यह बिल्कुल सही है कि स्थानीय जनता स्वतन्त्रता और समानता का उपभोग करती है। राजनीति विज्ञान के विद्वान लेखक डी. टोक्यूविले के अनुसार, ''नागरिकों की स्थानीय संस्थाएँ स्वतन्त्र राष्ट्र की शक्ति होती हैं। एक राष्ट्र भले ही अपनी स्वतन्त्र सरकार गठित कर लें, लेकिन म्युनिसिपल संस्थाओं की प्रवृत्ति के बिना उसमें स्वतंत्रता की भावना पनप नहीं सकतीं हैं। स्थानीय शासन संस्थाएँ नागरिकों में सार्वजनिक कार्यों के प्रति रुचि जाग्रत करता है और उनकी उदासीनता एवं सुस्ती को भी समाप्त करता है।''[3] यह बात नगरीय समाज तथा ग्रामीण समाज दोनों में ही समान रूप में कल तथा आज भी समान रूप में आवश्यक व महत्वपूर्ण है। यह भी सही है कि किसी भी देश के सभी स्थानों की समस्याएँ और आवश्यकताएँ एक जैसी नहीं होती है। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों की अपनी पृथक् समस्याएँ और आवश्यकताएँ होती हैं। कतिपय ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जिनमें ग्रामीण और नगरीय दोनों ही प्रकार की विशेषताएँ दृष्टिगोचर होती हैं। वे इन दोनों की ही कमियों से प्रभावित रहते हैं। इन्हें अर्द्ध-शहरी क्षेत्र कहा जा सकता है। इन तीनों ही प्रकार की श्रेणियों में आने वाले स्थान भी मात्र और गुण की दृष्टि से परस्पर काफी भिन्न दिखते हैं। इन भिन्नताओं का ध्यान में रखकर राजनीतिक-प्रशासनिक सेवाएँ प्रदान करने की आवश्यकता है। स्थानीय शासन व्यवस्था द्वारा इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। इन संस्थाओं के माध्यम से, प्रत्येक विशेष स्थान की विशेष समस्याओं का समुचित समाधान तथा आवश्यकताओं की पर्याप्त पूर्ति करने की व्यवस्था की जाती है।

शासन-कार्य में सक्रियता एवं कुशलता से पंचायती राज की कार्यदक्षता का विस्तार होता है; स्थानीय समस्याओं का निराकरण होता है; राजनीतिक-प्रशसनिक भागीदारी का अवसर व्यापक होता है तथा पंचायती राज के आयाम व परिप्रेक्ष्य अधिकाधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वस्तुतः स्थानीय समस्याओं और आवश्यकताओं को स्थानीय जनता ही सबसे अच्छी तरह समझ सकती है। जनता इस बात से अवगत हो सकती है कि उन स्थानीय समस्याओं को उचित रूप में किस प्रकार हल किया जा सकता है? स्थानीय शासन संस्थाओं में जनता की इस रुचि एवं भागीदारी के कारण शासकीय कार्य दक्षतापूर्वक सम्पन्न किए जा सकते हैं। विकेन्द्रीयकरण के अधिकांश लाभ हमें स्थानीय शासन संस्थाओं द्वारा प्राप्त होते रहते हैं। इससे भारत में पंचायती राज का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य अधिक आवश्यक व प्रासंगिक प्रतीत होता है।

यह उल्लेखनीय है कि पंचायती राज से सरकारी व्यय में बड़ी बचत होती है अर्थात् मितव्ययिता होती है। प्रथम जब कुछ लाभप्रद कार्य केवल एक क्षेत्र विशेष के लिए किए जाते हैं तो आवश्यक ही नहीं, उचित है कि इन

कार्यों का वास्तविक व्यय वह क्षेत्र ही पूरा करें। दूसरे शब्दों में, केन्द्रीय सरकार इस प्रकार के व्यय से बच जाती है। द्वितीय, स्थानीय शासन संस्थाएँ स्वयं के खर्च हेतु विभिन्न कर लगाती हैं। स्थानीय करदाता यह सहन नहीं कर सकते है कि उसके धन का किसी भी प्रकार का अपव्यय हो। अतः स्थानीय शासन संस्थाएँ खर्च में मितव्ययता लाने का प्रयास करती हैं। तृतीय, यह भी स्पष्ट है कि स्थानीय संस्थाओं के सदस्यों को वेतन भी सामान्यतः नहीं दिया जाता है अथवा कम दिया जाता है। स्पष्टतः सरकारी व्यय में बचत होती है जिसका उपयोग अन्य प्रकार के कार्यों निष्पादन में किया जा सकता है। स्पष्टतः आर्थिक सन्दर्भ में भारत में पंचायती राज का औचित्य प्रमाणित हो सकता है।

भारत में पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा विकास कार्यक्रमों को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जाता रहा है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर के सभी विकास कार्यक्रमों की माँग होती है कि देश की जनता पंचायती राज संस्थाएँ स्वयं स्वैच्छिक योगदान दे सके। स्थानीय शासन के फलस्वरूप देश के नागरिक अपनी-अपनी सामर्थ्य के अनुसार विकास कार्यों के निष्पादन में इच्छापूर्वक सहयोग कर सकते हैं, लेकिन यह तभी सम्भव है जब स्थानीय शासन संस्थाएँ अनावश्यक नियन्त्रण से मुक्त होकर प्रभावी रूप में कार्य करें। समसामयिक विद्वानों का ऐसा मानना है कि पंचायती राज व्यवस्था में भ्रष्टाचार की सम्भावना कम रहती हैं। स्थानीय संस्थाओं के प्रतिनिधि भ्रष्ट आचरण से बचने का प्रयास करते हैं, क्योंकि प्रथम तो उनके कार्य निम्न स्तर के रहते हैं तथा स्थानीय अधिकारीगण अधिकांश कार्य अपनत्व की भावना से निष्पादित करते हैं। स्थानीय शासन संस्थाओं का क्षेत्र सीमित होता है। अतः लोक नियन्त्रण की निकटता के कारण भी अधिकारी भ्रष्टाचार से बचने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था औचित्यपूर्ण प्रतीत जहोता है तथा इसका राजनीतिक-प्रशासनिक परिप्रेक्ष्य प्रासंगिक दृष्टिगोचर हो रहा है।

भारत में पंचायती राज व्यवस्था व्यापक राजनीतिक सहभगिता के साथ-साथ नागरिक गुणों का निर्माण और प्रसार करता है। वस्तुतः इसके द्वारा लोगों को अधिकारों और कर्त्तव्यों में सामंजस्य लाने की कला सिखाया जाता है। स्थानीय स्वायत्त शासन के माध्यम से जनता को यह महत्वपूर्ण तथा यथार्थपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है कि कर्त्तव्यों की निर्वहन में ही अधिकारों की उपस्थिति होती हैं। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन जनता में जन-भावना और उदार दृष्टिकोण का समावेश करते हैं। जनता को यह महत्वपूर्ण तथा यथार्थपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है कि व्यक्तिगत हितों की तुलना में सार्वजनिक हितों को प्राथमिकता प्रदान करना आवश्यक है। यह भारत में पंचायती राज व्यवस्ध्था की राजनीतिक-प्रशासनिक उपादेयता का परिचायक है।

सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि पंचायती राज संस्थाओं द्वारा कार्यों के सम्पादन में विलम्ब नहीं होता है। चूँकि राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार बहुत दूर स्थित और कार्यरत होती हैं। अतः ग्रामीण तथा नगरीय स्थानीय समस्याओं का समाधान सामान्यतः शीघ्रतापूर्वक सम्पन्न नहीं हो पाता है। फिर सरकारों की अपनी पद्धति कार्यरत होती है जिसके कारण सम्पूर्ण प्रशासन के कार्य-निष्पादन में कठोरता आ जाती है। यह सर्वविदित है कि स्थानीय शासन अथवा स्वशासन की प्रकृति कठोर नहीं, लचीला होती है। सामान्यतः स्थानीय शासन संस्थाओं द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति तथा समस्याओं के निदान में अनावश्यक विलम्ब नहीं किया जाता है। यह शासन सामान्यतः तकनीकी झंझटों की उलझन में नहीं पड़ता है। संस्थाओं ने विश्व के विभिन्न राज्यों में सामाजिक सेवा

और सार्वजनिक हितों के प्रशंसनीय कार्य निष्पादित किए हैं। यह उल्लेखनीय है कि रूस में स्थानीय संस्थाओं को आर्थिक क्षेत्र में भी महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। भारत में स्थानीय शासन संस्थाओं का प्रभाव विभिन्न राज्यों के अपने-अपने क्षेत्र में पड़ा हुआ है। इस प्रकार लोकतांत्रिक एवं प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण के लाभों को जनता कर रही है। स्थानीय शासन के गुणों की स्वीकृति आधुनिक राज्य में अपरिहार्य बन चुका है। स्वशासन की संस्थाओं में लोकतंत्र के बीज पनपती हैं तथा निरंकुशता पर प्रभावी रोक लगाती हैं। स्पष्टतः भारत में पंचायती राज का राजनीतिक अयाम महत्वपूर्ण, प्रासंगिक और सार्थक है।

भारत में महिलाओं की भूमिका एवं उपस्थिति समाज और राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण तथा निर्णायक बन रही है। राष्ट्र का समग्र विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। महिलाएँ राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा में अपनी सक्रिय एवं प्रभावकारी भूमिका निभायेंगी तभी राष्ट्र और समाज का सर्वांगीण विकास संभव हैं। भारत में लगभग आधी जनसंख्या महिलाओं की है। अतः उन्हें राष्ट्र के विकास में पुरुषों के बराबर भूमिका निभाने का अवसर मिलना चाहिए जो लोकतांत्रिक माँग भी है। 73वाँ संविधान संशोधन, 1992 इस दिशा में ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि इसमें ना केवल पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देकर ग्रामीण विकास का दायित्व सौंपा गया है, वरन् इन संस्थाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें भी आरक्षित की गई थी, जिसे बाद में 50 प्रतिशत कर दिया गया है। यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 1959 में बलवंत राय समिति ने ही महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर विशेष बल दिया था, जिसके फलस्वरूप कुछ राज्यों ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की हैं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा में किसी महिला के निर्वाचित होकर न आने की स्थिति में मनोनयन व सहयोजन की व्यवस्था की गई हैं। कुछ राज्यों ने महिला आरक्षण का भी सहारा लिया है। इस प्रकार पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी के प्रयास होते रहे हैं।[4] इससे पंचायती राज का सामाजिक परिप्रेक्ष्य महत्वपूर्ण हो जाता है।

73वें संविधान संशोधन, 1992 के अन्तर्गत पंचायत तथा स्थानीय स्वाशासकीय संस्थाओं में महिलाओं के लिए भी एक-तिहाई आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया है। स्थानीय स्तर की सभी नीतियों जैसे निःशुल्क भूमि आबंटन, आवास निर्माण सहायता, उन्नत चूल्हा कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्वरोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वयन आदि में महिलाओं की राजनीतिक स्तर पर योगदान अपेक्षित है।

पंचायती राज संस्थाओं में उपबंधित आरक्षण मात्र राजनैतिक नेतृत्व को सुनिश्चित करने के लिए ही नहीं, वरन् उनके विकास संबंधी उद्देश्यों को क्रियान्वित करने तथा प्रभावी बनाने के लिए भी है। वे एक जागरूक मतदाता के रूप में, राजनैतिक दलों के सदस्य के सक्रिय रूप में महिला मण्डलों के सदस्यों तथा स्वयं सेवी संस्थाओं के साथ अपनी साझेदारी निभा सकती हैं। इस संवैधानिक उपबन्ध यानी आरक्षण से ही महिलाओं की स्थिति में बदलाव नहीं आ सकता हैं। भारत में पंचायतों के तीन स्तरों पर सदस्य तथा अध्यक्ष के रूप में लगभग सोलह लाख महिलाएँ चुनकर आयी हैं। महिलाओं के लिए ये पहला अवसर है, कि वे इतनी बड़ी संख्या में पंचायतों के लिए निर्वाचित हुई। यह अलग बात है कि इनमें से अधिकतर अशिक्षित हैं। यह भी सही है कि कुछ एक अपवादों को छोड़कर

अधिकतर महिलाओं की वास्तविक भूमिका उनके परिवार के अन्य सदस्यों यानी, पति, भाई, पिता आदि के द्वारा निभाई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र में मुखिया पति, समिति पति, सरपंच पति, पंच पति, के रूप में एक नया अघोषित पद सामने आ गया है। इसके बाद भी पूर्व की तुलना में महिलाएँ सशक्त होती जा रही है।

महिलाओं की वास्तविक एवं व्यापक सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था भी आवश्यक है। यह उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय स्तर पर पंचायत के प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के लिए 3 बड़े संस्थाओं को जवाबदेही प्रदान की गई है।[5] इनका नाम हैं: (i) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ रूरल डेवलपमेंट, हैदराबाद, (ii) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली और (iii) लालबहादुर शास्त्री अकादमी आफ एडमिनिस्ट्रेशन मंसूरी। इन तीनों प्रसिद्ध संस्थानों ने प्रशिक्षण की प्रक्रिया निर्धारित रूप में शुरू कर दिया था। इसके साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण के मापदंड भी तैयार किए हैं। अनेक राज्यों ने भी प्रशिक्षण की यह प्रक्रिया स्वीकार करते हुए प्रारंभ कर दी है। पंचायतों में महिलाओं की प्रभावकारी सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए एक और सुझाव यह है कि कानून द्वारा महिला पंचायतों का गठन की जाये। यद्यपि भारतीय महिला निरंतर सशक्त होती जा रही है। जहाँ अन्य देशों में महिलाओं को मिले अधिकार एक नियोजित राजनैतिक संघर्ष का परिणाम है वही स्वतंत्र भारत में प्रारम्भ से ही संविधान द्वारा महिलाओं और पुरुषों को सार्वभौम मताधिकार समान रूप में प्रदान किया। भारतीय महिला को जागरूक और संतुलित होकर राष्ट्रीय विकास की धारा में सक्रिय भूमिका तथा भागीदारी अपेक्षित है, तभी 21 वीं सदी का भारत एक नई व्यवस्था के साथ एक विकासोन्मुखी समाज बनेगा तथा विश्व समुदाय में विश्व गुरू के रूप में कायम होगा।

भारत के विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संगठन की संरचना भिन्नता लिए हुए हैं, तथापि मूलभूत सिद्धान्त से समानता अधिकाधिक है। 73वें संशोधन के अनुरूप पंचायती राज संगठन की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत गठित होती है, इसके ऊपर खण्ड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद गठित होती है। इस त्रिस्तरीय संरचना में विभिन्न राज्यों में न्यूनाधिक अन्तर ग्राम पंचायत का चुनाव सहित गाँव के वयस्क व्यक्तियों द्वारा मतदान आदि के सन्दर्भ में भी किया जाता है। छोटे-छोटे गाँव होने की स्थिति में कई गाँव मिलकर ग्राम पंचायत सदृश धरातलीय प्रजातंत्र चुनाव को सम्पन्न करते हैं। जो सदस्य पंचायत के लिए निर्वाचित किए जाते हैं वे सभी मिलकर एक संरपच का चुनाव करते हैं जो ग्राम पंचायत का प्रमुख व्यक्ति एवं पंचायत समिति का पदेन सदस्य भी होता है। वस्तुतः संरपच ही उस गाँव की समस्त गतिविधियों एवं योजनाओं का केन्द्र होता है। स्थानीय सरकार की सम्पूर्ण गतिविधियाँ उसके प्रतिनिधित्व में ही सम्पन्न होती हैं। यह उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत के इस प्रमुख व्यक्ति को 'प्रधान' कहा जाता है जिसका चुनाव ग्राम सभा द्वारा सम्पन्न किया जाता है, लेकिन प्रधान के बाद उपप्रधान का चुनाव ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा सम्पन्न होता है। इसके बाद का पंचायती राज का खण्ड स्तरीय संगठन पंचायत समिति की संरचना है जो सभी राज्यों में अलग-अलग स्वरूप एवं प्रक्रिया का है, लेकिन सामान्य रूप से उसमें खण्डों के सभी प्रधान, सहकारी समितियों, छोटी नगरपालिकाओं एवं नोटिफाइड क्षेत्रों के प्रतिनिधि, जिला परिषद के सभी सदस्य, दो सहयोजित सदस्य, स्त्रियों एवं अनुसूचित जातियों के सहयोजित प्रतिनिधि अनिवार्य रूप में शामिल होते हैं। यह भी स्पष्ट हो कि इन सबसे ऊपर विकास अधिकारी होता है जो इनका मन्त्री होता है। पंचायत समिति के अध्यक्ष के लिए एक प्रमुख का चुनाव होता है एवं दो उपप्रमुख निर्वाचित भी होते

हैं। इस सम्पूर्ण कार्यक्रम के नियोजन तथा क्रियान्वयन की उल्लेखनीय भूमिका का निर्वाह पंचायत समिति द्वारा सम्पन्न किया जाता है। समस्त योजनाओं की क्रियान्विति तथा प्रबन्धन हेतु अनुदान पंचायत समिति द्वारा ही ग्राम पंचायतों को वितरित किया जाता है। इससे भारत में पंचायती राज व्यवस्था व्यापक परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक प्रतीत होता है।

पंचायती राज की सर्वोच्च एवं सर्वोपरि इकाई के रूप में जिला परिषद होती है। जिला परिषद की प्रणाली भी न्यूनाधिक पंचायत समिति की तरह ही गठित एवं क्रियान्वित होती है। इसमें पंचायत समितियों के सभी निर्वाचित अध्यक्ष की महत्वपूर्ण भागीदारी होती हैं। यह भी स्पष्ट हो कि इसके अतिरिक्त कुछ सदस्य नियमानुसार प्रत्येक पंचायत समिति से चुनकर आते हैं। इसके अलावा जिले में आने वाली सभी नगरपालिकाओं के अध्यक्ष, जिला सरकारी बैंक का प्रबन्धक, सहकारी समितियों के प्रतिनिधि, राज्य सरकार द्वारा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यों में रुचि रखने वाले तीन मनोनीत सदस्य, जिले के एम.एल.ए., एम.पी. एवं विधान परिषद के सदस्य बनाये जाते हैं। प्रत्येक जिला परिषद में एक निर्वाचित सदस्य एवं एक उपाध्यक्ष का पद की व्यवस्था रहता है। यह उल्लेखनीय है कि अलग-अलग राज्यों में स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं की प्रक्रिया निर्धारित होती है तथा संगठन कार्यरत है फिर भी निम्नलिखित पाँच सिद्धान्त समान रूप से सभी राज्यों के पंचायती राज पर अनिवार्यतः लागू होते हैं:

(1) गाँव से जिले तक कार्यरत सभी संस्थाओं के बीच आंशिक सम्बन्ध स्थापित होना अपेक्षित है तथा सामान्यतः त्रिस्तरीय प्रणाली से संगठित रहना भी अपेक्षित है।

(2) केन्द्रीय सत्ता के सभी अधिकारों और दायित्वों का हस्तान्तरण वास्तविक रूप में होना अपेक्षित है।

(3) पंचायती राज की कार्यरत नवीन संस्थाओं के दायित्व पूर्ति हेतु सभी साधनों को सुलभ कराना आवश्यक होता है।

(4) प्रत्येक स्तर का विकास कार्यक्रम उसी स्तर की संस्था द्वारा सम्पन्न होता है।

(5) भविष्य में लंबे समय तक पंचायती राज संगठन व्यवस्थित रह सके, इसके लिए प्रयासों को लगातार संचालन आवश्यक होता है।

स्वतन्त्र भारत के संविधान का निर्माण हुआ तो विवाद के बाद भी राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्वों में पंचायती राज की धारणा को बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में इस बात को स्वीकार किया गया है : ''राज्य की सरकार ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए अवश्यक कदम उठाएगी और उन्हें ऐसी शक्तियाँ एवं अधिकार प्रदान करेंगी जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक प्रतीत होता हों।''[6] निःसन्देह ये शब्द थोड़ा कम प्रतीत होते हैं, परन्तु इसका भाव बहुत ही व्यापक प्रतीत होता हैं।

भारत ने वर्ष 1951-52 से ही नियोजित विकास की दिशा में प्रयत्न आरम्भ किए, तो यह स्वाभाविक था कि पंचायती राज की धारणा को विकसित होने तथा साकार रूप लेने में कुछ समय व्यतित होने लगा। राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में इस बात को अच्छी तरह अनुभव कर लिया गया कि देश में वास्तविक लोकतन्त्र की स्थापना तभी होगी, जब भारत के गाँवों में रहने वाले लाखों लोगों से अपना निकटतम सम्पर्क स्थापित किया की जाए तथा ग्रामीण जनता को अपने ही हाथों, अपना भाग्य-निर्माण करने को अभिप्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जाए। इसी उद्देश्य से समुदायिक विकास कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप में आरम्भ किया गया। इन आन्दोलनों में अनेक उतार-चढ़ाव आए, परन्तु कुछ वर्षों में ही यह बात स्पष्ट हो गई कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम में जन-सहयोग की गति लगातार मन्द पड़ती जा रही है तथा लोगों में आत्मकेन्द्रित प्रवृत्तियों का विकास हो रहा है। अतः अब एक नए चिन्तन और नई दिशा की आवश्यकता प्रगतिशील एवं लोकतांत्रिक स्वरूप के साथ अनिवार्य हो गई हैं।

पंचायती राज व्यवस्था में जन-सहयोग की कमी की आधारभूत कठिनाइयों को हल करने के लिए योजना समिति ने बलवन्तराय मेहता अध्ययन दल नियुक्त करने का निश्चय किया। अध्ययन दल से यह अपेक्षा भी की गई है कि वह सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रशासन में कुशलता और मितव्यता लाने तथा कार्यक्रम के लिए जनता में उत्साह बनने के लिए अपना वैज्ञानिक उपाय सुझाएँ। आगे चलकर अध्ययन दल को यह काम भी सौंपा गया कि वह लोकतान्त्रिक संस्थाओं को सम्पूर्ण जिले अथवा सब-डिवीजन के विकास और सामान्य प्रशासन को हाथ में लेने के लिए समर्थ बनाने की दृष्टि से जिला प्रशासन के पुनर्गठित करने की दिशा में भी जाँच-पड़ताल करते हुए अपना व्यापक कार्यों को प्रभावी रूप में निष्पादित करेगा। अध्ययन दल के कार्यक्षेत्र में यह वृद्धि किए जाने के फलस्वरूप ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन और विकास के आधारभूत ढाँचे के रूप में पंचायती राज का स्वरूप दल की अभिशंसाओं के प्रखर रूप में प्रत्यक्षतः प्रस्तुत हुआ।

वर्ष 1957 के नवम्बर में बलवन्तराय मेहता अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंप दिया था।[7] वर्ष 1958 में इस प्रतिवेदन पर राष्ट्रीय विकास परिषद् ने भी अपनी स्वीकृति प्रदान कर दिया था। इस अध्ययन दल ने जिस व्यवस्था को प्रस्तावित किया, उसे उन्होंने 'लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण' की संज्ञा प्रदान किया था, जिसका आशय है कि प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर जनता प्रतिबद्धता के साथ सक्रिय रूप से भाग लें तथा जनता द्वारा गठित लोकतांत्रिक संस्थाएँ ही सामुदायिक विकास की महत्त्वपूर्ण इकाइयाँ स्थापित हों।

यह स्पष्ट है कि लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण अथवा पंचायती राज की संस्थाओं की योजना प्रस्तुत की गई।[8] उसके तीन स्तर प्रस्तावित किया गया था: (1) ग्राम स्तर, (2) खण्ड या बलॉक स्तर एवं (3) जिला स्तर । वास्तव में इस त्रिकोणात्मक व्यवस्था द्वारा देश के ग्रामीण जीवन को स्थानीय शासन कार्य सौंपने का प्रयास किए जाने का प्रस्ताव किया गया, ताकि भारतीय जनतन्त्र का आधार व्यापक, प्रभावकारी और सुदृढ़ बन सके। समिति द्वारा प्रस्तावित योजना को स्वीकार कर लिया गया और तदनुसार ऊपर से नीचे की ओर तीन स्तरों की व्यवस्था है जो क्रमशः ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों का गठन का उपबंध किया गया है। इस सम्पूर्ण व्यवस्था को 'पंचायती राज' के नाम से जाना जाता है। पंचायती राज का उद्देश्य प्रारम्भ से लेकर अन्त तक विकास योजनाओं से सम्बद्ध करना, स्थानीय समस्याओं का समाधान करना और प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर जनता को सक्रिय रूप से

भागीदार बनाना है। वर्तमान स्वरूप में पंचायती राज व्यवस्था सामुदायिक विकास योजना की एक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक-प्रशासनिक व्यवस्था है। यहाँ यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि पंचायती राज की उत्पत्ति सामुदायिक विकास योजना के रूप में ही हुई और उसी में इसका क्रमिक एवं व्यवस्थित विकास हुआ है।[9]

पंचायत राज व्यवस्था राज सत्ता प्राप्त करने तथा लोकतंत्र को प्रभावकारी बनाने की सबसे छोटी इकाई है और सत्ता में एक प्रबल भावना का प्रभाव होता हैं, जो वर्तमान भारतीय राजनीति में उभर कर आया है। आज राजनीति एक व्यवसाय बन गई है, जिसमें नीति हट गई है और राज में लोलुपता, भोग तथा स्वार्थ का प्रवेश अधिकाधिक हो गया है। आज राष्ट्र की निधि का उपयोग इस कार्य में अधिक हो रहा है कि सत्ता स्वार्थ में कार्य हो सकता है। सम्पूर्ण राजनीतिक चिन्तन इसी के इर्द-गिर्द घुम रहा है। यही परिस्थिति सत्ता की सबसे छोटी इकाई पंचायती राज व्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप में उभर कर आई है। गाँव की चौपालों का सकारात्मक एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण नाममात्र के रह गये हैं, चुनावों में हिसा, कटुता, शत्रुता और द्वेष को इस हद तक गाँव की गलियों, चौबारों और सायं की चौपालों में समाहित कर दिया है कि नैतिकता का ह्रास हो रहा है, आज एक स्वस्थ्य, विवेकशील, मानववादी, समतावादी संस्कृति की धारा समाप्त हो रही है। दूसरी ओर सत्ता के जितने नजदीक है वह उतना ही सत्ता की लड़ाई में उलझ रहा है। राजनैतिक नेतृत्व इसलिए आज दुबर्ल है, क्योंकि वह वोटों के अंक गणित से बंधा हुआ है, राष्ट्र-निर्माण और परिवर्तन के आग्रह से नहीं।[10]

लगभग सभी राज्यों के पंचायतों में विभिन्न वर्गों के आरक्षण के निर्धारण में जो विसंगतियाँ हैं दूर होना आवश्यक है। ये आरक्षण दबाव की राजनीति के फलस्वरूप लगातार परिवर्तित होते रहते हैं। दबाव की राजनीति में इतनी प्रभावकारी शक्ति होती है कि कितनी ही पंचायतों ऐसी मिल जाएँगी, जो अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं, परन्तु वहाँ एक मात्र एक परिवार अनुसूचित जनजाति का है।[11]

यह उल्लेखनीय है कि पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा अपनी निर्णायक भूमिका का निर्वहन करती है या पंचायत में ग्राम सभा ही कार्य की दशा एवं दिशा को व्यवस्थित एवं निर्धारित करती है तो सरपंच के चुनाव का क्या अस्तित्व है? क्यों न ऐसी व्यवस्था कर दी जाये कि स्थानीय आधार पर पंचों का चुनाव सम्पन्न हो और वे पंच कार्य के अनुरूप विभिन्न समितियाँ गठित कर लें अर्थात् बना लें जो ग्राम सभा द्वारा पारित कार्य को व्यवस्थित रूप में पूर्ण करेगी। इससे दो बातें स्पष्ट होती है: प्रथम तो चुनाव के भारी भरकम खर्च से बचत की जा सकेगी तथा द्वितीय गाँवों की चौपालें पुनर्जीवित हो जाएगी तथा चुनाव कटुता बहुत हद तक समाप्त हो जाएगी। इसमें संशोधन के रूप में ग्रामसभा को वर्ष में चार बार बैठक के स्थान पर प्रतिमाह एक दिन बैठक किया जा सकता है।[12] पंचायत के कार्यों की संपूर्णता के लिए प्रतिमाह के लिए उन्हीं पंचों में से एक प्रमुख होगा उस प्रमुख का निर्धारण आयु अथवा नाम के वर्णक्रम के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, अपने कार्यकाल के दौरान अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा समस्त पंच एवं अगले माह में होने वाली ग्रामसभा के समक्ष वित्तीय खर्च के वह प्रमुख रखेगा और उसी ग्रामसभा में अगले माह के लिये पंच प्रमुख के नाम की घोषणा भी अपेक्षित है। बैंक एवं वित्तीय समस्याओं के लिए प्रत्येक पंच प्रमुखों के हस्ताक्षर युक्त कार्ड सम्बन्धित बैंक में सुरक्षित होंगे, जिससे बैंक को वित्त उपलब्ध कराने में कोई संवैधानिक एवं तकनीकी संकट का सामना न करना पड़े। विगत दशकों से भारत में एक प्रसिद्ध राजनीतिक

नारा प्रचलित रहा है कि हम इक्कीसवी सदी में लगातार बढ़ रहे हैं। यह नारा इसलिए अधिक आकर्षक था, क्योंकि यह हमारी लोकतांत्रिक एवं प्रगतिशील विकास की ओर संकेत करता था। किन्तु वास्तविकता इससे अंलग थी अपनी समस्त नकारात्मक चिन्तन को अपने आप में संजोए हुए यह सदी विगत 20-22 वर्ष में हम तक पहुँच गई। बीसवीं और इक्कीसवीं सदी के संक्रमण के समय एक नई बहस का जन्म हुआ कि सन् 2000 को बीसवीं सदी का अंतिम वर्ष माना जाए या इक्कीसवीं सदी का पहला वर्ष। यह बहस उत्तर औधोगिक समाज में नव पूँजीवाद द्वारा निर्मित ‘‘बाजार’’ का अनिवार्य उत्पाद बनी थी।[13] उदारीकरण, निजीकरण, भूमण्डलीकरण की सार्वदेशिक परिस्थितियों ने आज बाजार को इतना व्यापक और समझदार तो बना ही दिया है कि सिक्का किसी भी पहलू से गिरे जीत तो पूँजीवादी बाजार की ही होगी।

समानता, बंधुत्व और व्यक्तिगत स्वतंत्रता फ्रांस की क्राँति, 1789 ई. से जन्में विचार हैं। दो सौ से भी अधिक वर्षों से मानव समाज इस विचारों या अवधारणाओं के लक्ष्य को पाने का लगातार प्रयास कर रहा है, किन्तु दुनिया के समस्त बुद्धिजीवी और समाज वैज्ञानिक इस लक्ष्य तक नहीं पहुँच सके हैं। इक्कीसवी सदी में ये अवधारणाएँ किस स्वरूप में होंगी? यह राष्ट्र की चिन्ता का प्रमुख विषय बनी हुई है।

लोकतंत्र की समाजवादी स्तम्भ समानता शब्द का आकर्षण सदैव संवेदनशील संज्ञान रखने वाले विचारकों के चितन का महत्वपूर्ण केन्द्र बिदु रहा है। दूसरी ओर विषमता इसका विरोधी शब्द है। समता अथवा विषमता के चिंतन का प्राचीन इतिहास बहुत अधिक तथ्यपूरक प्रतीत नहीं हो रहा है।

निष्कर्षः आज के वैश्विक विकासात्मक परिदृश्य में निजीकरण और उदारीकरण ने समस्त विश्व को एक ‘विश्व ग्राम’ में बदल दिया है, किन्तु भारतीय जिस ग्राम आत्मा की कल्पना अपने मन में संजोए रहते हैं; उसका एक भी लक्षण इस विश्वग्राम में नहीं है। समस्त राष्ट्र की सभ्यता पर होने वाले हमलों ने भारतीय ग्रामों की अस्मिता को संकट में डाल दिया है।[14] ग्रामीण क्षेत्र जहाँ गरीबी और बेरोजगारी सर्वाधिक है, वहाँ गरीब की चिता अब इतिहास बन चुकी है। नई सदी में कोई चिंतन गरीब के विषय में चर्चा करेगा इसकी भी कोई सम्भावना नहीं दिखती है। आज नव-पूँजीवादी नीति के तहत तृतीय विश्व पर यह उदारीकरण थोपा गया है, उसमें गरीब का समाज में बने रहना अनिवार्य माना गया है। यह उल्लेखनीय है कि अमरीकी समाजशास्त्री एच.जी. गन्स ने लिखा है कि ‘‘द्ररिद्रता समाज के लिए प्रकार्यात्मक और बेरोजगारी रूप में लाभदायक कार्य सम्पन्न करती है।[15] यदि गरीबी न हों तो समाज में पूँजीवाद स्थापित न हो सकेगा। गरीबी के सकारात्मक प्रकार्यों का उल्लेख करते हुए एक विद्वान ने लिखा हैं कि जिन्हें कोई नहीं खरीदता उन सड़े फलों को गरीब खरीदते हैं, दरिद्र मध्यम वर्ग को आत्मिक शांति पहुँचाते हैं कि कोई तो उनसे नीचे है।[16] गरीब तथा लाचार लोग राजनीतिक दलों के जुलूस में संख्या बल बढ़ा कर नेताओं को उत्साहित करते हैं आदि।[17] इस प्रकार स्पष्ट है कि पूँजीवादी चिंतन गरीबी को सामाजिक संरचना के विकास का प्रकार्यात्मक पक्ष के रूप में स्वीकार करता है। निष्कर्षः भारत में पंचायती राज का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य महत्वपूर्ण है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. डॉ. शंकरदयाल शर्मा चेतना के स्रोत, प्रभात प्रकाशन दिल्ली, 1993, पृ. 16-17
2. वही, पृ. 89
3. डॉ. शंकरदयाल शर्मा चेतना के स्रोत, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली 1993 पृ. 16-17
4. डॉ. शंकरदयाल शर्मा लोकतंत्र की प्रक्रिया, मनीष, प्रकाशन, श्री अल्मोड़ा बुक डिपो अल्मोडा, पृ. 88-89
5. डॉ. राजेन्द्र जैन भारत में संघीय वित्त व्यवस्था, म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, 1971, पृ. 190-91
6. भारतीय संविधान, भाग 4, अनुच्छेद 40
7. डॉ. गजेन्द्रपाल सिंह; पंचायती राज व्यवस्था संकल्पना व संविधानिक प्रावधान, प्रतियोगिता दर्पण, अंक सितम्बर 1999, पृ. 270
8. के.ए. अंतनोवा, लेविस और कॉन्तोवस्की; भारत का इतिहास, मास्को प्रगति प्रकाशन, मास्को, 1984, पृ. 120-30
9. डॉ. ए.एस. नारंग; भारतीय शासन और राजनीति, गीतांजलि पब्लिशिग हाउस, नई दिल्ली, 1988, पृ. 254
10. रार्बट एल. हार्डगार्वे; जूनियर इन्डियन गवरमेन्ट एण्ड पालिटिक्स, उद्धृत वही, पृ. 281
11. श्रीमति शोभा शंकर; आधुनिक भारतीय समाजवादी चिन्तन, साहित्य भवन प्रा.लि. 1980, पृ. 86
12. वहीं, 86, 88
13. डॉ. प्रभाकर माचवे एवं सुरेन्द्र नारायण दफतुआर.बिहार हि.ग्र.अ. पटना, पृ. 89-90
14. वी.बी. तायल; भारतीय समाज एवं राजनीतिक, नेशनल पब्लिशिग हाउस, पृ. 9-10
15. बलराम नंदा-गांधी और उनके अलोचक, सारांश पब्लिकेशन दिल्ली, 1997, पृ. 137-38
16. डॉ. देवेन्द्र दीपक; सामाजिक समरसता; अन्त्योदय से सर्वोदय तक, रचना अंक मार्च-जून 1997 म.प्र. हि.ग्र. अकादमी, भोपाल, म.प्र.
17. पूरनचन्द्र जोशी; अवधाणाओं का संकट, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, पृ. 39

अध्याय-9

जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक संघर्ष के विविध आयाम

विवेक मिश्र

शोध छात्र, राजनीति विज्ञान,

डॉ. राममनोहर लोहिया अवध

विश्वविद्यालय, अयोध्या

15 अगस्त 1947 में भारत-विभाजन के बाद से जम्मू-कश्मीर क्षेत्र भारत-पाकिस्तान के मध्य आपसी संघर्ष वर्चस्व का केंद्र बन गया। इस विवाद ने फलस्वरूप तीन युद्ध सहित कई विद्रोह को जन्म दिया। यह शोध-पत्र भारत की स्वाधीनता से पूर्व जन्मे पाकिस्तान रूपी देश के मध्य जम्मू-कश्मीर को लेकर संघर्ष के कारणों और परिणामों के साथ-साथ इस समस्या के संभावित उपायों की जांच करता है। साथ ही संघर्ष की उत्पत्ति का पता लगाने और वर्तमान स्थिति का आकलन करने के लिए एक ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाता है।

इस संघर्ष के परिणामस्वरूप व्यापक हिंसा, जन-धन की हानि, नागरिकों का विस्थापन और सामाजिक-आर्थिक अस्थिरता हुई है। साथ ही क्षेत्र में उग्रवाद, सीमा पार से घुसपैठ में वृद्धि देखी गई है। इसके इतर इस संघर्ष ने भारत-पाकिस्तान के बीच राजनयिक संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है, जिससे शांति और सहयोग के प्रयासों में बाधा उत्पन्न हुई।

दोनों देशों के मध्य संघर्ष महज़ एक सांप्रदायिक-कानूनी विवाद नहीं है, बल्कि एक भू-राजनीतिक और वैचारिक भी है, जिसमें कश्मीरी नागरिकों सहित कई हितधारक शामिल हैं। इस शोध-पत्र में संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए एक संवाद-आधारित और समावेशी प्रक्रिया की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

ऐतिहासिक संदर्भ-

जम्मू-कश्मीर क्षेत्र को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष दुनिया में सबसे लंबे समय तक चलने वाले विवादों में से एक है। यह वर्ष 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन के समय का है, जब जम्मू और कश्मीर रियासत को यह तय करना था कि भारत या पाकिस्तान में शामिल होना है या नहीं। राज्य के हिंदू शासक, महाराजा हरि सिंह ने भारत में शामिल होने का फैसला किया, लेकिन उन्हें पाकिस्तान समर्थित आदिवासियों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। भारत और पाकिस्तान ने 1947-48 में कश्मीर पर अपना पहला युद्ध लड़ा, जो संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में युद्धविराम और नियंत्रण रेखा के साथ क्षेत्र के विभाजन के साथ समाप्त हुआ। तब से दोनों देशों ने तीन और युद्ध (1965, 1971 और 1999 में) लड़े हैं और कश्मीर पर कई झड़पें की हैं, साथ ही सीमा के दोनों ओर विद्रोही समूहों का समर्थन भी किया है।[1]

जम्मू और कश्मीर का क्षेत्र भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह चीन, अफगानिस्तान और मध्य एशिया से घिरा है। इसमें महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन भी शामिल हैं, जैसे सिंधु नदी का पानी, जो दोनों देशों में कृषि और बिजली उत्पादन के लिए आवश्यक है। इसके अलावा, कश्मीर भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए राष्ट्रीय पहचान और गौरव का प्रतीक है, क्योंकि वे इसे क्रमशः अपने अभिन्न अंग या गले की नस के रूप में दावा करते हैं।

जम्मू और कश्मीर की जनसंख्या जातीयता, धर्म, भाषा और संस्कृति के मामले में विविध है। कश्मीर घाटी, जो सबसे अधिक विवादित क्षेत्र है, मुख्य रूप से मुस्लिम बाहुल्य हैं और उनकी बोलचाल की भाषा कश्मीरी है। जम्मू क्षेत्र, जो भारतीय नियंत्रण में है, हिंदू बहुसंख्यक है और डोगरी और हिंदी बोलते हैं। गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र, जो पाकिस्तान के नियंत्रण में है, शिया मुस्लिम बहुसंख्यक है और शिना और बाल्टी बोलता है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में सुन्नी मुस्लिम बहुमत है और वहाँ के निवासी पहाड़ी और उर्दू बोलते हैं। अक्साई चिन क्षेत्र, जो चीन के नियंत्रण में है, कम आबादी वाला और ज्यादातर निर्जन है।[2]

मूल कारण-

जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक टकराव के कई और जटिल कारण हैं, जिन्हें मोटे तौर पर चार आयामों में वर्गीकृत किया जा सकता है: धार्मिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय और राजनीतिक।

• *धार्मिक कारण -*

संघर्ष का धार्मिक आयाम इस तथ्य से स्पष्ट है कि जम्मू-कश्मीर भारत में मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी वाला एकमात्र राज्य है, जो इसे अलगाववादी भावनाओं और इस्लामी उग्रवाद के लिए प्रेरित करता है। पाकिस्तान, जिसे दक्षिण एशिया के मुसलमानों की मातृभूमि के रूप में बनाया गया था, ने हमेशा द्वि-राष्ट्र सिद्धांत के आधार पर कश्मीर पर अपना दावा किया है, जिसने भारत और पाकिस्तान को धार्मिक आधार पर विभाजित किया है। दूसरी ओर, भारत का स्पष्ट मत है कि कश्मीर उसकी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राजनीति का एक अभिन्न अंग है, और कश्मीर के लोगों ने वर्ष 1947 में कश्मीर के महाराजा द्वारा हस्ताक्षरित एक कानूनी विलय पत्र के माध्यम से भारत के साथ रहना चुना है।

• *सांस्कृतिक कारण -*

संघर्ष का सांस्कृतिक आयाम जम्मू और कश्मीर के लोगों की विविधता और पहचान से संबंधित है, जो विभिन्न जातीय, भाषाई और क्षेत्रीय समूहों से संबंधित है। कश्मीर घाटी, जो विगत वर्षों से उग्रवाद का केंद्र रहा है, की एक विशिष्ट संस्कृति और इतिहास है जो इसे शेष भारत से जोड़ती है और साथ ही पाकिस्तान से अलग करती है। कश्मीरियों में राष्ट्रवाद और आत्मनिर्णय की प्रबल भावना है, जो अक्सर उनकी अनूठी कला, साहित्य, संगीत और व्यंजनों के माध्यम से व्यक्त होती है। जम्मू क्षेत्र, जो हिन्दू बाहुल्य है, की एक अलग संस्कृति और पहचान है जो इसकी हिंदू विरासत और पंजाब के मैदानी इलाकों से निकटता को दर्शाती है।

• *प्रादेशिक कारण -*

संघर्ष के क्षेत्रीय आयाम में जम्मू-कश्मीर की विवादित स्थिति और सीमाएँ शामिल हैं, जिस पर 1947 से भारत और पाकिस्तान द्वारा विवाद किया गया है। नियंत्रण रेखा, जो राज्य को दो भागों में विभाजित करती है, किसी भी पक्ष द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। एक स्थायी सीमा के रूप में, और सीमा पार से गोलीबारी और घुसपैठ द्वारा अक्सर इसका उल्लंघन किया जाता है। दोनों देश पूरे राज्य पर अपना दावा करते हैं और इस पर कई युद्ध भी लड़ चुके हैं। क्षेत्रीय विवाद में चीन की भी हिस्सेदारी है, क्योंकि उसका पूर्वी कश्मीर के अक्साई चिन नामक हिस्से पर कब्जा है,

जिसे उसने 1962 में भारत से छीन लिया था। चीन भी कश्मीर पर पाकिस्तान के दावे का समर्थन करता है, और उसने इस क्षेत्र में रणनीतिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का निर्माण किया है, जैसे चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी)।[3]

• *राजनीतिक कारण -*

संघर्ष का राजनीतिक आयाम भारत और पाकिस्तान के भीतर जम्मू-कश्मीर के शासन और प्रतिनिधित्व से संबंधित है। भारत ने अपने संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को एक विशेष दर्जा दिया था, किन्तु 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया। जिससे जम्मू-कश्मीर भारत का पूर्णरूपेण अभिन्न अंग बन गया। देश के नियम और योजनाएँ निर्बाध रूप से वहां लागू हो सकेंगी।

वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान ने अपने संविधान के तहत आज़ाद कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान को भी विशेष दर्जा दिया है, लेकिन उन्हें पूर्ण प्रांतीय अधिकार या प्रतिनिधित्व नहीं दिया है। पाकिस्तान पर कश्मीर में उन आतंकवादी समूहों का कब्ज़ा है, जो भारतीय सुरक्षा बलों और नागरिकों के खिलाफ हमले करते हैं।

ये कुछ मुख्य कारक हैं जो जम्मू-कश्मीर में चल रहे संघर्ष में हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। हालाँकि, ऐसे अन्य पहलू भी हैं जो स्थिति को प्रभावित करते हैं, जैसे आर्थिक विकास, पर्यावरणीय असंतुलन, सामाजिक न्याय, मानवाधिकार, क्षेत्रीय सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप। संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए इन सभी आयामों को समग्र और समावेशी तरीके से संबोधित करने की आवश्यकता होगी।

जातीय और धार्मिक विभाजन-

जम्मू-कश्मीर अत्यधिक विविधता और जटिलता का क्षेत्र है, जहां विभिन्न जातीय और धार्मिक समुदाय सदियों से सह-अस्तित्व में हैं, लेकिन उन्हें संघर्षों और चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है। क्षेत्र के राजनीतिक परिदृश्य को इन समुदायों की आकांक्षाओं और शिकायतों के साथ-साथ भारत, पाकिस्तान और चीन जैसे बाह्य हस्तक्षेप से आकार दिया गया है।

अनुच्छेद 370 के हटने से पूर्व जम्मू-कश्मीर के क्षेत्र को तीन मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है: कश्मीर घाटी, जम्मू क्षेत्र और लद्दाख क्षेत्र। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशिष्ट जातीय, सांस्कृतिक और धार्मिक संरचना होती है, जो उसके राजनीतिक रुझान और प्राथमिकताओं को प्रभावित करती है। कश्मीर घाटी में मुख्य रूप से मुस्लिम (96.41%), हिंदू (2.45%) और सिख (0.81%) आबादी मुस्लिमों की तुलना में बहुत कम है। जम्मू संभाग अधिक विविधतापूर्ण है, यहां हिंदू बहुमत (65.23%) है, उसके बाद मुस्लिम (30.69%), सिख (3.57%) और अन्य हैं। लद्दाख क्षेत्र मुख्य रूप से बौद्ध (50.18%) है, जिसमें एक महत्वपूर्ण मुस्लिम अल्पसंख्यक (46.40%) और एक छोटी हिंदू उपस्थिति (2.90%) है।[4]

जम्मू-कश्मीर में मुस्लिम समुदाय सजातीय नहीं है, बल्कि सांप्रदायिक, जातीय और क्षेत्रीय आधार पर विभाजित है। कश्मीर घाटी में अधिकांश मुसलमान सुन्नी हैं, जबकि एक बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग शिया है, जो ज्यादातर बडगाम जिले में केंद्रित है। जम्मू संभाग में मुसलमान ज्यादातर जातीय गुज्जर और बकरवाल हैं, जो

खानाबदोश या अर्ध-खानाबदोश चरवाहे हैं। लद्दाख क्षेत्र में मुसलमान ज्यादातर जातीय बाल्टिस और पुर्गिस हैं, जिनका तिब्बत के साथ सांस्कृतिक और भाषाई संबंध है।

जम्मू-कश्मीर में हिंदू समुदाय भी विविधता पाई जाती है, जिसमें विभिन्न जातियां, संप्रदाय और उपसमूह शामिल हैं। जम्मू संभाग में अधिकांश हिंदू डोगरा हैं, जो जातीय रूप से पंजाब से सम्बन्ध रखते हैं। कश्मीर घाटी में हिंदू ज्यादातर कश्मीरी पंडित हैं, जो ब्राह्मण हैं और शैव मत के एक अद्वितीय रूप का पालन करते हैं। लद्दाख क्षेत्र में हिंदू ज्यादातर लद्दाखी हैं, जिनका तिब्बत के साथ सांस्कृतिक और भाषाई संबंध है। हिंदू समुदाय ने भारत के साथ एकीकरण, अपनी सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण, या अपने अधिकारों और हितों की सुरक्षा के लिए अपनी आकांक्षाएं व्यक्त की हैं।

जम्मू-कश्मीर की जातीय और धार्मिक विविधता इस क्षेत्र में समृद्धि और संघर्ष दोनों का स्रोत रही है। विभिन्न समुदाय सदियों से एक साथ सह-अस्तित्व में रहे हैं, लेकिन उन्हें विभिन्न आधारों पर विभाजन और तनाव का भी सामना करना पड़ा है। इस क्षेत्र में दशकों से कई युद्ध, विद्रोह और संघर्ष की स्थिति बनी, जिसने लाखों लोगों के जीवन और आजीविका को प्रभावित किया। इस क्षेत्र में बातचीत, समझौते और समाधान के कई प्रयास देखे गए हैं, जिन्होंने शांति और विकास के लिए कुछ आशा और अवसर प्रदान किए हैं। जम्मू-कश्मीर का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि विभिन्न समुदाय अपने मुद्दों और हितों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से कैसे स्पष्ट रख सकते हैं।

भू-राजनीतिक विचार-

जम्मू-कश्मीर संघर्ष की जड़ें वर्ष 1947 में भारत विभाजन में निहित हैं, जब रियासत को यह तय करना था कि वह भारत या पाकिस्तान में शामिल हो या स्वतंत्र रहे। हिंदू शासक महाराजा हरि सिंह ने भारत में शामिल होने का फैसला किया, लेकिन उन्हें मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी के प्रतिरोध और पाकिस्तान के आक्रमण का सामना करना पड़ा। इसके कारण पहला भारत-पाकिस्तान युद्ध हुआ, जो संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता वाले युद्धविराम के साथ समाप्त हुआ जिसने राज्य को नियंत्रण रेखा (एलओसी) के साथ विभाजित कर दिया। तभी से भारत और पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर पर 1965, 1971 और 1999 में तीन और युद्ध लड़े, और नियंत्रण रेखा पर लगातार झड़पें और सीमा पार से गोलीबारी की घटनाएं सामने आयी।

जम्मू-कश्मीर संघर्ष चीन, अमेरिका और रूस जैसी अन्य अंतरराष्ट्रीय शक्तियों की भागीदारी से भी प्रभावित है। चीन पाकिस्तान का रणनीतिक सहयोगी है और जम्मू-कश्मीर के अक्साई चिन और शक्सगाम घाटी जैसे कुछ हिस्सों पर उसका क्षेत्रीय दावा है। चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसे विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान की स्थिति का भी समर्थन करता है। चीन ने चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) में भी भारी निवेश किया है,[5] जो पाकिस्तानी नियंत्रण वाले जम्मू-कश्मीर के गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र से होकर गुजरता है। भारत सीपीईसी का विरोध करता है क्योंकि यह उसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करता है। भारत इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति और प्रभाव को अपनी सुरक्षा और हितों के लिए खतरे के रूप में भी देखता है।

अमेरिका ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तान का सहयोगी रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में उसने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी भी विकसित की है। अमेरिका ने कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की कोशिश की है, लेकिन द्विपक्षीय बातचीत के लिए भारत की प्राथमिकता का भी सम्मान किया है।

रूस परंपरागत रूप से भारत का सहयोगी रहा है, लेकिन उसने पाकिस्तान के साथ भी मधुर संबंध बनाए रखे हैं। रूस ने कश्मीर मुद्दे पर भारत के रुख का समर्थन किया है, इसे भारत का अभिन्न अंग माना है और किसी भी बाहरी हस्तक्षेप या हस्तक्षेप का विरोध किया है। रूस ने भारत को लड़ाकू जेट, मिसाइल, पनडुब्बी और परमाणु रिएक्टर जैसे सैन्य उपकरण और प्रौद्योगिकी भी प्रदान की है। रूस ने ब्रिक्स, एससीओ, आरआईसी आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रीय और बहुपक्षीय प्लेटफार्मों पर भी भारत के साथ सहयोग किया है।

जम्मू-कश्मीर पर संघर्ष के भू-राजनीतिक संदर्भ का क्षेत्रीय स्थिरता और शांति प्रयासों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इस संघर्ष ने भारत और पाकिस्तान के बीच अविश्वास और शत्रुता को बढ़ावा दिया है, जिससे उन्हें आपसी हित के अन्य मुद्दों, जैसे व्यापार, ऊर्जा, पानी, आतंकवाद आदि पर सहयोग करने से रोका जा रहा है।

मानवाधिकार संबंधी चिंताएँ-

जम्मू-कश्मीर पर राजनीतिक टकराव के परिणामस्वरूप क्षेत्र के लोगों के लिए गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन और मानवीय परिणाम सामने आए हैं। कुछ प्रमुख मुद्दे निम्नवत हैं -

• *जबरन विस्थापन-*

संघर्ष ने लाखों लोगों को नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पार विस्थापित कर दिया, जो इस क्षेत्र को भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित करती है। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त के अनुसार, पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में जम्मू-कश्मीर से लगभग 1.4 मिलियन पंजीकृत शरणार्थी हैं। उनमें से कई शिविरों या शहरी क्षेत्रों में खराब परिस्थितियों में रहते हैं, भेदभाव, गरीबी और बुनियादी सेवाओं तक पहुंच की कमी का सामना कर रहे हैं।

भारतीय पक्ष में, लगभग तीन लाख कश्मीरी पंडित, एक हिंदू अल्पसंख्यक, आतंकवादी समूहों द्वारा हिंसा के पश्चात वर्ष 1990 में कश्मीर घाटी जबरन निष्कासित कर दिए गए। वे जम्मू या भारत के अन्य हिस्सों में शिविरों या किराए के आवासों में रह रहे हैं, सुरक्षा और कानूनी बाधाओं के कारण अपने घरों में लौटने में असमर्थ हैं। इस संघर्ष ने सिखों और बौद्धों जैसे अन्य अल्पसंख्यकों को भी प्रभावित किया है, जिन्हें दोनों तरफ से धमकियों और हमलों का सामना करना पड़ा।

• *नागरिकों की मानसिक क्षति-*

संघर्ष का जम्मू-कश्मीर में नागरिकों की मानसिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ा है, जिससे उनका जीवन और आजीविका प्रभावित हुई है। अधिकारियों द्वारा लगाए गए लगातार कर्फ्यू, लॉकडाउन, शटडाउन और इंटरनेट प्रतिबंधों ने शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, व्यवसाय, संचार आदि जैसी सामान्य गतिविधियों को बाधित कर दिया है। कोविड-19 महामारी ने इन समस्याओं को बढ़ा दिया है, क्योंकि लोगों को जानकारी तक पहुंचने में कठिनाइयों का

सामना करना पड़ा है।[6] इस संघर्ष ने नागरिकों को दोनों ओर से हिंसा और असुरक्षा का सामना करना पड़ा। हालांकि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के पश्चात समस्याओं और संघर्ष में काफ़ी हद तक कमी आयी है।

शांति प्रक्रियाएँ और कूटनीतिक प्रयास-

जम्मू-कश्मीर बहुत ही जटिल और संवेदनशील विषय रहा है, जो दशकों से भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष और तनाव का स्रोत रहा। शांति पहल और कूटनीतिक वार्ताओं के माध्यम से जम्मू-कश्मीर के मुद्दे को हल करने के कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी स्थायी और संतोषजनक समाधान हासिल करने में सक्षम नहीं हुआ है। यहां पिछली कुछ प्रक्रियाओं और उनके परिणामों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है -

• *शिमला समझौता (1972) -*

बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के पश्चात भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस पर हस्ताक्षर किए, जिसके परिणामस्वरूप पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच स्थायी शांति स्थापित करना और संबंधों को सामान्य बनाना था। इसने जम्मू-कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के बीच वास्तविक सीमा के रूप में नियंत्रण रेखा (एलओसी) का सम्मान करने और इसे बदलने के लिए किसी भी एकतरफा कार्रवाई से बचने का सिद्धांत भी दिया। इस समझौते को भारत के लिए एक कूटनीतिक जीत के रूप में देखा गया, क्योंकि इसने युद्ध में अपने क्षेत्रीय लाभ की मान्यता सुनिश्चित की और कश्मीर विवाद में किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को रोका। हालाँकि, इसने जम्मू-कश्मीर की अंतिम स्थिति को भी अनसुलझा छोड़ दिया, और कश्मीरी नागरिकों की आकांक्षाओं को संबोधित नहीं किया।[7]

• *लाहौर घोषणा (1999) -*

इस पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपयी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने वाजपयी की लाहौर की ऐतिहासिक बस यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए थे। घोषणा में शिमला समझौते और जम्मू-कश्मीर सहित सभी लंबित मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए दोनों देशों की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई। इसमें व्यापार, संस्कृति, खेल और लोगों से लोगों के बीच संपर्क जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की इच्छा भी व्यक्त की गई। इस घोषणा को द्विपक्षीय संबंधों में सुधार, विश्वास और विश्वास का माहौल बनाने में एक सफलता के रूप में सराहा गया। हालाँकि, इस पर जल्द ही कारगिल युद्ध का साया पड़ गया, जो मई 1999 में शुरू हुआ, जब पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों ने एलओसी के पार घुसपैठ की। भारत ने इसका सामना करते हुए पाकिस्तान को बुरी तरह परास्त किया। जुलाई 1999 में युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध ने लाहौर घोषणा की कमज़ोरी और पाकिस्तान में नागरिक और सैन्य नेतृत्व के बीच समन्वय की कमी को उजागर कर दिया।[8]

• *आगरा शिखर सम्मेलन (2001) -*

यह भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपयी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ के बीच एक शिखर बैठक थी, जिन्होंने 1999 में सैन्य तख्तापलट में सत्ता पर कब्जा कर लिया था। शिखर सम्मेलन आगरा

में आयोजित किया गया था, जहां दोनों नेताओं ने जम्मू-कश्मीर, आतंकवाद, व्यापार और जल बंटवारे सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। शिखर सम्मेलन में एक संयुक्त घोषणा या एक चार-बिंदु सूत्र समझौता ज्ञापन तैयार होने की उम्मीद थी, जो कश्मीर विवाद को हल करने के लिए एक रोडमैप की रूपरेखा तैयार करेगा।[9]

हालाँकि, शिखर सम्मेलन बिना किसी समझौते या बयान के समाप्त हो गया, क्योंकि दोनों पक्ष प्रमुख मुद्दों पर अपने मतभेदों को पाटने में विफल रहे। मुख्य बाधा बिंदु कश्मीर को मुख्य मुद्दा बनाने और कश्मीरी प्रतिनिधियों को बातचीत प्रक्रिया में शामिल करने पर पाकिस्तान की जिद थी, जबकि भारत ने किसी भी तीसरे पक्ष की भागीदारी को खारिज कर दिया और बातचीत के लिए पूर्व शर्त के रूप में सीमा पार आतंकवाद को समाप्त करने की मांग की। शिखर सम्मेलन को लाहौर घोषणा से उत्पन्न गति को आगे बढ़ाने और व्यापक शांति प्रक्रिया की दिशा में आगे बढ़ने के एक चूके हुए अवसर के रूप में देखा गया।

• *समग्र वार्ता प्रक्रिया (2004-2008) -*

यह भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत के लिए एक संरचित रूपरेखा थी, जिसमें आठ मुद्दे शामिल थे- शांति और सुरक्षा, विश्वास-निर्माण के उपाय, जम्मू और कश्मीर, सियाचिन ग्लेशियर, सर क्रीक, वुलर बैराज/तुलबुल नेविगेशन। परियोजना, आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी एवं आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग।[10] इस प्रक्रिया की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ ने जनवरी 2004 में इस्लामाबाद में अपनी बैठक के दौरान की थी, जहाँ उन्होंने नियंत्रण रेखा पर युद्धविराम की भी घोषणा की थी। यह प्रक्रिया भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ के अधीन 2007 तक जारी रही, जब मुशर्रफ को घरेलू राजनीतिक संकट का सामना करना पड़ा जिसके कारण 2008 में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इस प्रक्रिया के कुछ सकारात्मक परिणाम सामने आए, जैसे- श्रीनगर और मुजफ्फराबाद के बीच बस सेवा शुरू करना, दोनों विदेश सचिवों के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करना, परमाणु दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने पर एक समझौते पर हस्ताक्षर करना और सियाचिन ग्लेशियर को विसैन्यीकरण करने पर एक समझ तक पहुंचना। हालाँकि, इसे कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, जैसे दोनों देशों में जनता के समर्थन की कमी, दोनों पक्षों के कट्टरपंथी तत्वों का विरोध, भारत में लगातार आतंकवादी हमलों के लिए पाकिस्तान स्थित समूहों को जिम्मेदार ठहराया जाना, पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता और समाधान पर प्रगति की कमी।

• *ऊफ़ा वक्तव्य (2015) -*

यह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ द्वारा शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के मौके पर रूस के ऊफ़ा में उनकी बैठक के बाद जारी किया गया एक संयुक्त बयान था। बयान में क्षेत्र में आतंकवाद को खत्म करने और 2008 के मुंबई हमलों के अपराधियों के मुकदमे में तेजी लाने के लिए एक-दूसरे के साथ सहयोग करने की दोनों नेताओं की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। इसने आतंकवाद से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच एक बैठक और नियंत्रण रेखा पर युद्धविराम को मजबूत करने के लिए दोनों देशों के सैन्य संचालन महानिदेशकों के बीच एक बैठक की भी घोषणा की। इस बयान को 2012 से रुकी हुई वार्ता प्रक्रिया को पुनः शुरू करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा गया,

जब एलओसी और वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर घटनाओं की एक श्रृंखला ने दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा दिया था। हालाँकि जम्मू-कश्मीर का उल्लेख नहीं करने और प्रस्तावित बैठकों के तौर-तरीकों और एजेंडे पर अस्पष्ट होने के लिए दोनों देशों के कुछ वर्गों द्वारा बयान की आलोचना भी की गई। यह बयान भी किसी ठोस कार्रवाई में सफल नहीं हो सका, क्योंकि कश्मीर को शामिल करने और हुर्रियत नेताओं की वार्ता में भागीदारी पर असहमति के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच नियोजित बैठक रद्द कर दी गई थी।[11]

उपरोक्त वार्ताओं से स्पष्ट है कि जम्मू-कश्मीर के मुद्दे को हल करने में भारत और पाकिस्तान के बीच पिछली शांति पहल और राजनयिक वार्ताएं काफी हद तक असफल और असंतोषजनक रही हैं। एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो अधिक समावेशी, व्यापक, यथार्थवादी और टिकाऊ हो, जो सभी हितधारकों, जरूरतों को ध्यान में रखे और जो संघर्ष के मूल कारणों और परिणामों को स्पष्ट करे। इस तरह के दृष्टिकोण के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों की ओर से राजनीतिक इच्छाशक्ति, साहस, लचीलेपन और दूरदर्शिता के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से रचनात्मक भागीदारी और समर्थन की आवश्यकता होगी।

निष्कर्ष -

जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में राजनीतिक टकराव ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों से उत्पन्न होते हैं। जैसे कश्मीर में उग्रवाद और अलगाववाद का उदय, पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद और छद्म युद्ध में शामिल होना, पाकिस्तान के रणनीतिक सहयोगी और दावेदार के रूप में चीन की भूमिका कश्मीर के कुछ हिस्सों में, संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों का हस्तक्षेप शामिल है। इस संघर्ष के परिणाम गंभीर रहे हैं, जिससे लाखों लोगों का जीवन प्रभावित हुआ और क्षेत्रीय स्थिरता पर दबाव पड़ा।

हालाँकि, संभावित उपाय मौजूद हैं, जो समावेशी शासन, सामाजिक-आर्थिक विकास और राजनयिक प्रयासों पर केंद्रित हैं। संघर्ष के कारणों और परिणामों को ध्यान में रखकर शांतिपूर्ण और समृद्ध जम्मू-कश्मीर क्षेत्र का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है।

संदर्भ सूची -

1. Kashmir: Why India and Pakistan fight over it, 8 August 2019

2. Blakemore,Byerin. The Kashmir conflict: How did it start?, National Geographic, March 3, 2019

3. P. Sil,Narasingha. India-Pakistan Conflict: An Overview,Association for Asian Studies

4. Shaikh, Zeeshan. Muslim-Hindu demography of Jammu and Kashmir: What Census data show, The Indian Express, December 2, 2020

5. Bhattacherjee, Kallol. Third parties joining CPEC is inherently illegal, unacceptable:India,TheHindu, July 27, 2022

6. Kachroo, Nasir. India: Abuses Persist in Jammu and Kashmir, Human Rights Watch,August 3, 2020

7.Shah, Khalid & Shah M. Kriti. Kashmir After Article 370: India's Diplomatic Challenge, ORF online, July 16, 2020

8.Jacob, Happymon. Toward a Kashmir Endgame? How India and Pakistan Could Negotiate a Lasting Solution, United States Institute of Peace, August 5, 2020

9. Musharraf at Agra Summit: What was his 'four-point formula' on Kashmir issue?, The Indian Express, February 7, 2023

10. Suryakant Patil, Sameer. INDO-PAK COMPOSITE DIALOGUE, IPCS Special Report, June, 2018

11. VII BRICS Summit: 2015 Ufa Declaration, Ufa, Russia, University of Toronto, July 9, 2015

अध्याय-10

सभी के लिए समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करनाः स्वयं-एम. ओ. ओ. सी. (मूक) का योगदान

रश्मि चौहान
भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान,
परिषद- पोस्ट-डॉक्टरल अनुसन्धानकर्ता,
डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल स्टडीज,
जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली

स्वयं (SWAYAM) , भारत का मूक (MOOC) प्लेटफॉर्म, 2016 में बनाया गया और जुलाई 2017 में राष्ट्रव्यापी रूप से प्रारम्भ किया गया था। स्वयं का उद्देश्य सभी व्यक्तियों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा सामग्री तक समान पहुँच प्रदान करना है। स्वयं का लक्ष्य एसडीजी-2030 लक्ष्य-4 के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य 2030 तक सभी को समान और समावेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। 2017 और 2019 के बीच, स्वयं ने ऑनलाइन शिक्षा में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की। इस दौरान, एनआईओएस ने इस मंच का उपयोग करके दुनिया के सबसे बड़े शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से एक को सफलतापूर्वक लागू किया, एक ऑनलाइन प्रारूप में देश भर में 13 लाख से अधिक कार्यरत शिक्षकों को प्रशिक्षित किया। स्वयं ने देश भर में 41 लाख से अधिक शिक्षार्थियों को 203 भागीदार संस्थानों के माध्यम से 1,772 पाठ्यक्रमों की पेशकश की है। 6% की पाठ्यक्रम पूर्णता दर का दावा करते हुए, यह मूक प्लेटफॉर्म विश्व स्तर पर शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में से एक है। स्वयं पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षा से लेकर स्नातकोत्तर और पी.एच.डी. तक शैक्षणिक स्तरों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करते हैं। अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) और नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के कारण छात्रों को कभी भी और कहीं भी बिना किसी बाधा के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का लाभ मिल रहा है| (NCrF-2023)।

स्वयं एवम् इसकी विशेषताएँ:

स्वयं (स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स) का प्राथमिक उद्देश्य सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, विशेष रूप से वे जो भौगोलिक रूप से दूर हैं, आर्थिक रूप से वंचित हैं, या शारीरिक रूप से विकलांग हैं। यह शिक्षा में सार्वभौमिक पहुँच, समानता और समावेशिता के सिद्धांतों पर काम करता है। सभी के लिए समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में स्वयं का योगदान निम्नलिखित हैः

सुलभताः स्वयं इंटरनेट कनेक्शन वाले किसी भी व्यक्ति के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ प्रदान करता है। इसका ऑनलाइन मंच, स्कूल से लेकर स्नातकोत्तर शिक्षा तक विभिन्न विषयों और स्तरों पर पाठ्यक्रमों का एक विशाल भंडार है।

विविध पाठ्यक्रम प्रस्तावः स्वयं मानविकी, विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रबंधन आदि विविध विषयों को शामिल करते हुए पाठ्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। ये पाठ्यक्रम आईआईटी, आईआईएम, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थानों के विशेषज्ञों द्वारा विकसित किए जाते हैं।

लचीलापन: स्वयं की एक प्रमुख विशेषता इसका लचीलापन है। शिक्षार्थी अपनी सुविधा के अनुसार पाठ्यक्रम सामग्री प्राप्त कर सकते हैं, जिससे वे अपनी शिक्षा को काम, पारिवारिक जिम्मेदारियों या अन्य प्रतिबद्धताओं के साथ संतुलित कर सकते हैं।

लागत-प्रभावशीलता: स्वयं पाठ्यक्रम निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं, जिससे सभी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वित्तीय रूप से सुलभ हो जाती है। यह पहलू शिक्षा में समानता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

समावेशी अधिगम वातावरण: स्वयं दिव्यांगों सहित विभिन्न शिक्षार्थियों की जरूरतों को पूरा करके एक समावेशी अधिगम वातावरण को बढ़ावा देता है। इसके पाठ्यक्रमों को विभिन्न सीखने की शैलियों और प्राथमिकताओं को समायोजित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे सभी प्रतिभागियों के लिए एक समावेशी शैक्षिक अनुभव को बढ़ावा मिलता है।

प्रमाणन: पाठ्यक्रमों के सफल समापन पर, शिक्षार्थियों के पास भाग लेने वाले संस्थानों द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त करने का विकल्प होता है। ये प्रमाणपत्र विश्वसनीयता रखते हैं और शिक्षार्थियों की रोजगार संभावनाओं या शैक्षणिक साख को बढ़ा सकते हैं।

सभी के लिए समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में स्वयं का योगदान महत्वपूर्ण और बहुआयामी है। प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर, समावेशिता को बढ़ावा देकर और विविध शैक्षिक अवसरों की पेशकश करके, स्वयं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच को लोकतांत्रिक बनाने और संपूर्ण भारत के शिक्षार्थियों और शिक्षकों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भारतीय शिक्षा प्रणाली का बदलता परिदृश्य:

आधुनिक वर्षों में, भारतीय शिक्षा का परिदृश्य तेज़ी से बदल रहा है, जो काफी हद तक डिजिटल प्रौद्योगिकियों और अभिनव प्लेटफार्मों के आगमन से प्रभावित है। इनमें से स्वयं का शुभारंभ भारतीय शिक्षा प्रणाली को नया रूप देने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

भारतीय शिक्षा प्रणाली पर स्वयं के सबसे उल्लेखनीय प्रभावों में से एक इसका लोकतांत्रिक प्रभाव है। परंपरागत रूप से, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच स्थान, सामर्थ्य और संसाधनों की उपलब्धता, जैसे कारकों द्वारा सीमित रही है। स्वयं इन बाधाओं को तोड़ता है, मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है जिसका लाभ इंटरनेट कनेक्शन वाला कोई भी व्यक्ति उठा सकता है।

इसके अलावा, स्वयं ने भारतीय शिक्षा प्रणाली के भीतर नियोजित शैक्षणिक दृष्टिकोण में एक आदर्श बदलाव को बढ़ावा दिया है। सक्रिय अधिगम, सहयोगात्मक जुड़ाव और स्वगति अध्ययन पर जोर देने के साथ, स्वयं शिक्षा के लिए एक अधिक छात्र-केंद्रित दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है। हालाँकि, इसके कई लाभों के बावजूद, स्वयं को उन चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है जिनका समाधान करने की आवश्यकता है। डिजिटल साक्षरता, इंटरनेट कनेक्टिविटी, जैसे मुद्दों और पाठ्यक्रम सामग्री के निरंतर उन्नयन की आवश्यकता के लिए मंच के प्रभावी कार्यान्वयन और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए हितधारकों से ठोस प्रयासों की आवश्यकता होती है।

उच्च शिक्षा में स्वयं का योगदान:

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, डिजिटल प्रौद्योगिकियों के आगमन ने छात्रों के ज्ञान प्राप्त करने के संसाधनों में क्रांति ला दी है। असंख्य डिजिटल मंचों में, स्वयं नवाचार के एक प्रकाश स्तंभ के रूप में उभरा है, जो पूरे भारत में शिक्षार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाता है।

उच्च शिक्षा पर स्वयं का प्रभाव बहुआयामी और दूरगामी है, जो छात्रों और संस्थानों दोनों को समान रूप से प्रभावित करता है। स्वयं निम्नलिखित तरीकों से उच्च शिक्षा में सीखने की सुविधा प्रदान कर रहा हैः

1. विविध पाठ्यक्रमों तक पहुँचः स्वयं इंजीनियरिंग और प्रबंधन से लेकर मानविकी और सामाजिक विज्ञान तक विभिन्न विषयों को कवर करने वाले पाठ्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। यह व्यापक सूची छात्रों को अपने नियमित पाठ्यक्रम के दायरे से परे विविध विषयों में अध्ययन करने की अनुमति देती है, जिससे वे अपने शैक्षणिक क्षितिज को व्यापक बना सकते हैं और अपनी रुचियों को आगे बढ़ा सकते हैं।

2. पूरक शिक्षण संसाधनः स्वयं पारंपरिक कक्षा शिक्षण के लिए एक मूल्यवान पूरक के रूप में कार्य करता है, जो छात्रों को वीडियो व्याख्यान, ई-पुस्तकें, प्रश्नोत्तरी और असाइनमेंट, जैसे अतिरिक्त शिक्षण संसाधन प्रदान करता है। ये संसाधन सीखने के अनुभव को बढ़ाते हैं, जिससे विषय की गहरी समझ को बढ़ावा मिलता है।

3. गुणवत्ता निर्देशः स्वयं पर उपलब्ध पाठ्यक्रम पूरे भारत के प्रसिद्ध संस्थानों के सम्मानित संकाय सदस्यों द्वारा विकसित और संचालित किए जाते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाले निर्देश प्राप्त हों और उन्हें ऐसी विशेषज्ञता प्राप्त हो, जो स्थानीय रूप से उपलब्ध न हो।

4. कौशल विकासः शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के अलावा, स्वयं छात्रों को उनके चुने हुए क्षेत्रों के लिए प्रासंगिक व्यावहारिक कौशल और दक्षताओं से सुसज्जित करने के लिए डिज़ाइन किए गए कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करता है। ये कार्यक्रम संचार, उद्यमिता, डिजिटल साक्षरता और रोजगार योग्यता के लिए तैयार करने और समग्र विकास को बढ़ावा देने जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

5. सहयोगात्मक अधिगम के अवसरः स्वयं एक सहयोगात्मक अधिगम वातावरण को बढ़ावा देता है, जो छात्रों को चर्चा मंचों, चैट रूम और आभासी कक्षाओं के माध्यम से साथियों और संकाय सदस्यों के साथ बातचीत करने में सक्षम बनाता है। यह ज्ञान साझा करने, सहकर्मी-से-सहकर्मी समर्थन और विचारों के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करता है।

स्वयं उच्च शिक्षा में एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में उभरा है, जो छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच के साथ सशक्त बनाता है, आजीवन सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देता है और पारंपरिक शिक्षण और सीखने के प्रतिमानों की सीमाओं को फिर से परिभाषित करता है।

राष्ट्रीय स्वयं समन्वयक:

स्वयं प्लेटफार्म पर पाठ्यक्रम प्रसारित करने के लिए कुछ संस्थानों को राष्ट्रीय समन्वयक का दायित्व दिया गया है। इस सूची में नौ राष्ट्रीय समन्वयक हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में पाठ्यक्रम प्रदान कर रहे हैं। हाल ही में एक और राष्ट्रीय समन्वयक के रुप में को इस सूची में जोड़ा गया है।

सारणी: राष्ट्रीय समन्वयक एवं उनके आवंटित क्षेत्र

क्रम संख्या	राष्ट्रीय समन्वयक	आवंटित क्षेत्र
1	एआईसीईटी	इंजीनियरिंग/विश्वविद्यालय/संस्थानों के संकाय के लिए शिक्षण में वार्षिक रिफ्रेशर कार्यक्रम
2	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)	गैर-तकनीकी स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम
3	एनपीटीईएल	तकनीकी/इंजीनियरिंग यूजी/पीजी डिग्री कार्यक्रम
4	कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन (सीईसी)	गैर-तकनीकी स्नातक डिग्री कार्यक्रम
5	इग्नू	डिप्लोमा और प्रमाणपत्र कार्यक्रम
6	एन. सी. ई. आर. टी.	विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम (कक्षा ९-१२)
7	एन. आई. ओ. एस.	स्कूल से बाहर के बच्चे (कक्षा ९-१२)
8	आई. आई. एम., बैंगलोर	प्रबंधन कार्यक्रम
9	एनआईटीटीटीआर, चेन्नई	तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम

स्रोतः स्वयं पोर्टल, भारत सरकार

स्वयं मूक पाठ्यक्रमों की विशेषताएँ:

- स्वयं मंच पर 4 सप्ताह से लेकर 24 सप्ताह तक की अवधि के पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
- तीन राष्ट्रीय समन्वयक सीईसी, इग्नू और एनआईटीटीटीआर स्वयं प्लेटफॉर्म पर शिक्षक-शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम प्रदान कर रहे हैं।
- स्वयं मंच पर पाठ्यक्रम विभिन्न श्रेणियों में पेश किए जा रहे हैं। ये श्रेणियां- मुख्य पाठ्यक्रम (स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर), वैकल्पिक पाठ्यक्रम (स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर), वैकल्पिक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम और वैकल्पिक संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी), हैं।
- पाठ्यक्रमों को स्वयं मंच पर दो तरीकों से पेश किया जा रहा हैः स्व-गति वाले पाठ्यक्रम और नियमित पाठ्यक्रम।
- स्वयं प्लेटफॉर्म पर कुछ क्रेडिट पाठ्यक्रम हैं और कुछ गैर-क्रेडिट पाठ्यक्रम हैं।

- स्वयं मंच पर संकाय विकास पाठ्यक्रमों के साथ-साथ स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के पाठ्यक्रमों की पेशकश की जा रही है।
- स्वयं पर वास्तुकला और योजना, डिजाइन, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य विज्ञान, मानविकी और कला, कानून, प्रबंधन और वाणिज्य, गणित और विज्ञान, एनपीटीईएल डोमेन और शिक्षक, शिक्षा जैसे विभिन्न विषयों में पाठ्यक्रम पेश किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय समन्वयकों के पाठ्यक्रमों, नामांकन और प्रमाणन का विवरण:

नीचे विशिष्ट राष्ट्रीय समन्वयक द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों, पाठ्यक्रमों में नामांकन और सभी नौ राष्ट्रीय समन्वयकों द्वारा पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद जारी किए गए प्रमाणपत्रों का विवरण दिया गया है।

सारणी: राष्ट्रीय समन्वयकों के पाठ्यक्रमों, नामांकन और प्रमाणन का विवरण

क्रम संख्या	राष्ट्रीय समन्वयक	सहयोगी संस्थान	पूरे किये गये पाठ्यक्रम	छात्र नामांकन	परीक्षा पंजीकरण	सफल प्रमाणन
1.	एआईसीटीई	07	406	1975578	160783	19170
2.	सीईसी	19	1532	3453260	110758	76261
3.	इग्नू	03	1348	1868123	51246	34148
4.	आईआईएम बंगलोर	03	328	1546598	38476	23643
5.	एन. सी. ई. आर. टी.	08	313	440724	0	0
6.	एनआईओएस	01	518	3454100	0	0
7.	एनआईटीटीटी आर	03	237	547033	33453	23852
8.	एनपीटीईएल	26	6887	28416843	3590913	2341289
9.	यूजीसी	133	276	312401	12723	9579

स्रोतः स्वयं पोर्टल, भारत सरकार

स्वयं प्लेटफॉर्म पर अब तक 203 सहयोगी संस्थान पाठ्यक्रमों की पेशकश कर रहे हैं, कुल 11845 पाठ्यक्रम पूरे हो चुके हैं, कुल 4,20,14,660 छात्र स्वयं पाठ्यक्रमों में नामांकित हैं, 39,98,352 छात्र परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं और 25,27,942 छात्रों को स्वयं मूक पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं। (स्वयं पोर्टल, अप्रैल, 2024)

स्वयं क्रेडिट ट्रांसफर कार्यप्रणाली:

स्वयं की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक इसका क्रेडिट ट्रांसफर तंत्र है, जो छात्रों को ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने और उन्हें अपने औपचारिक शिक्षा मार्गों में एकीकृत करने के लिए शैक्षणिक क्रेडिट अर्जित करने की अनुमति देता है। स्वयं क्रेडिट ट्रांसफर की विस्तृत व्याख्या निम्न है:

क्रेडिट समतुल्यता और मान्यता:

स्वयं पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद जैसे नियामक निकायों द्वारा निर्धारित शैक्षणिक मानकों और सीखने के परिणामों के अनुरूप बनाया गया है। स्वयं पाठ्यक्रम के सफल समापन पर, छात्रों को उनके संबंधित संस्थानों द्वारा निर्धारित क्रेडिट समकक्षता के आधार पर शैक्षणिक क्रेडिट प्रदान किए जाते हैं। ये क्रेडिट पूरे भारत के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और छात्रों के शैक्षणिक कार्यक्रमों के भीतर डिग्री आवश्यकताओं या वैकल्पिक पाठ्यक्रमों को पूरा करने के लिए स्थानांतरित किए जा सकते हैं।

क्रेडिट अंतरण प्रक्रिया:

स्वयं पाठ्यक्रम के लिए क्रेडिट प्राप्त करने के बाद, छात्र अपने गृह संस्थान में प्रासंगिक दस्तावेज जमा करके क्रेडिट हस्तांतरण प्रक्रिया शुरू करते हैं। गृह संस्थान प्रस्तुत दस्तावेजों का मूल्यांकन करता है और पाठ्यक्रम प्रदाता की मान्यता की स्थिति, मूल्यांकन प्रक्रिया की कठोरता और शैक्षणिक मानकों के साथ संरेखण जैसे स्थापित मानदंडों के आधार पर क्रेडिट हस्तांतरण के लिए स्वयं पाठ्यक्रम की पात्रता का सत्यापन करता है। सफल सत्यापन पर, संस्थान छात्र को पूर्ण स्वयं पाठ्यक्रम के लिए निर्दिष्ट संख्या में क्रेडिट प्रदान करता है, जो छात्र के शैक्षणिक रिकॉर्ड में परिलक्षित होता है।

शैक्षणिक विकल्पों में एकीकरण:

स्वयं क्रेडिट हस्तांतरण के माध्यम से अर्जित क्रेडिट को छात्र के शैक्षणिक प्रतिलेख में एकीकृत किया जाता है और डिग्री आवश्यकताओं, वैकल्पिक पाठ्यक्रमों या शैक्षणिक पूर्वापेक्षाओं को पूरा करने में योगदान देता है। छात्र इन क्रेडिट का उपयोग स्नातक की दिशा में अपनी प्रगति में तेजी लाने, अपने शैक्षणिक पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए कर सकते हैं।

निरंतर निगरानी और गुणवत्ता आश्वासन:

स्वयं, यूजीसी और एआईसीटीई जैसे नियामक निकाय मंच पर पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता और अखंडता की निगरानी के लिए मजबूत तंत्र बनाए रखते हैं। शैक्षणिक मानकों को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्वयं पाठ्यक्रम क्रेडिट हस्तांतरण के लिए आवश्यक मानदंडों को पूरा करते हैं, नियमित लेखा परीक्षा, प्रतिक्रिया तंत्र और प्रदर्शन मूल्यांकन आयोजित किए जाते हैं।

स्वयं क्रेडिट ट्रांसफर ऑनलाइन सीखने के अनुभवों को औपचारिक उच्च शिक्षा मार्गों में एकीकृत करने के लिए एक गतिशील और अभिनव दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। छात्रों को उनके ऑनलाइन पाठ्यक्रम के लिए क्रेडिट अर्जित करने का अवसर प्रदान करके, स्वयम् अकादमिक साख की कठोरता और विश्वसनीयता को बनाए रखते हुए लचीलेपन, पहुँच और आजीवन सीखने को बढ़ावा देता है।

स्वयं प्लस (SWAYAM Plus) के माध्यम से कौशल विकास को सुगम बनाना:

एनईपी 2020 के साथ संरेखण में, मंत्रालय ने स्वयं की आवश्यकता को पहचाना और उद्योग की जरूरतों के साथ संरेखित पाठ्यक्रमों को शामिल करने के लिए अपने मौजूदा प्रस्तावों का विस्तार करने की आवश्यकता को समझा है, जो शिक्षार्थी की रोजगार क्षमता को बढ़ाता है। इसके परिणामस्वरूप, स्वयं-प्लस को अपने शिक्षार्थियों के लिए रोजगार और पेशेवर विकास-केंद्रित कार्यक्रम लाने के लिए अग्रणी उद्योग के खिलाड़ियों और एड-टेक कंपनियों के सहयोग से लॉन्च किया गया है।

स्वयं प्लस कार्यक्रम की पेशकश करने वाले क्षेत्र:

ऐसे विभिन्न क्षेत्र हैं जिनमें स्वयं-प्लस पाठ्यक्रमों की पेशकश की जा रही है। इनमें विनिर्माण, ऊर्जा, कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग/आईटी/आईटीईएस, प्रबंधन अध्ययन, शिक्षक-शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आतिथ्य और पर्यटन, सामाजिक विज्ञान, भारतीय ज्ञान प्रणाली, मीडिया, संचार आदि शामिल हैं।

स्वयं प्लस के उद्देश्य:

- कॅरियर विकास में सभी हितधारकों के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, जिसमें शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम प्रदाता, उद्योग, शिक्षाविद और रणनीतिक भागीदार शामिल हैं।
- किफायती लागत पर सर्वश्रेष्ठ उद्योग और शिक्षाविदों से उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण और प्रमाणन कार्यक्रम प्रदान करना।
- चुने हुए क्षेत्रों में भविष्य के कौशल प्रदान करने वाले रोजगार-केंद्रित कार्यक्रमों की पेशकश करना।
- स्थानीय भाषाओं में संसाधनों के माध्यम से सीखने के विकल्पों के साथ चुने गए विषयों में शिक्षार्थी की जरूरतों के आधार पर लचीलेपन वाले पाठ्यक्रमों की पेशकश करना।
- दुनिया भर के शिक्षार्थियों को भारतीय ज्ञान प्रणालियों तक पहुँचाना है।

स्वयं-प्लस के भागीदार:

स्वयं-प्लस, स्वयं का एक विस्तार है, जो शैक्षिक अवसरों को आगे बढ़ाने और सीखने में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने में सहयोग की शक्ति का प्रमाण है। स्वयं प्लस पर पाठ्यक्रम की पेशकश करने के लिए भागीदार, अवधि और वितरण विधियों के बावजूद पाठ्यक्रमों की पेशकश करने के लिए स्वतंत्र हैं, यदि वे पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट मान्यता चाहते हैं, तो उन्हें अपने पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) और कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति (पीआईसी) के साथ संरेखित करने की आवश्यकता है।

स्रोतः स्वयं पोर्टल, भारत सरकार **चित्र: स्वयं प्लस के भागीदार**

स्रोतः स्वयं पोर्टल, भारत सरकार **चित्र: स्वयं प्लस की कार्यप्रणाली**

स्वयं प्लस की विशेषताएं:

- स्वयं प्लस का उद्देश्य प्रतिष्ठित उद्योग भागीदारों और शैक्षणिक संस्थानों से उच्च गुणवत्ता, रोजगार-केंद्रित शिक्षा को शिक्षार्थियों तक पहुंचाना है।
- यह मंच बहुभाषी है, जो विविध दर्शकों को स्वयं प्लस को पसंदीदा मंच के रूप में चुनने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- यह शिक्षार्थियों को उद्योग द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट अर्जित करने और एपीएएआर के साथ एकीकृत करने में भी सक्षम बनाता है, जिससे अकादमिक लचीलापन प्रदान होता है।
- स्वयं प्लस पर पाठ्यक्रम रोजगार- केंद्रित हैं और विभिन्न क्षेत्रों में हैं। हालांकि, प्राथमिक लक्षित दर्शक जिनके लिए पाठ्यक्रम चुने जाते हैं, वे उच्च शिक्षा संस्थानों के शिक्षार्थी और कामकाजी पेशेवर होते हैं।
- स्वयं प्लस विभिन्न क्षेत्रों में पाठ्यक्रम प्रदान करेगा और खुद को इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी तक सीमित नहीं रखेगा। ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- स्वयं प्लस उन पाठ्यक्रमों की क्रेडिट मान्यता को सक्षम करेगा जो शिक्षार्थी उद्योग के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थानों दोनों से ले रहे हैं।
- स्वयं प्लस क्रेडिट हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है लेकिन कुछ पाठ्यक्रम गैर-क्रेडिट पाठ्यक्रम भी हैं।
- स्वयं प्लस पर तीन प्रकार के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं: प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, सूक्ष्म-प्रमाणन पाठ्यक्रम और भागीदारी पाठ्यक्रम।
- प्रसारित पाठ्यक्रमों की अवधि 1.5 घंटे से 26 सप्ताह तक है।

- वर्तमान में पाठ्यक्रम हिंदी, बंगाली, कन्नड़ और अंग्रेजी भाषाओं में पेश किए जा रहे हैं।
- कुछ पाठ्यक्रम सशुल्क पाठ्यक्रम हैं और कुछ मुफ्त पाठ्यक्रम हैं।

स्वयं मूक पाठ्यक्रमों का समाज के लिए योगदान

स्वयं मूक के महत्वपूर्ण सामाजिक निहितार्थ हैं, जो शिक्षा, रोजगार और सामाजिक-आर्थिक विकास के विभिन्न पहलुओं को छूते हैं। कुछ निहितार्थ इस प्रकार हैं:

• **शिक्षा तक पहुँच में वृद्धिः** स्वयं मूक प्रतिष्ठित संस्थानों से उच्च गुणवत्ता वाले पाठ्यक्रमों तक मुफ्त और खुली पहुँच प्रदान करके शिक्षा की बाधाओं को दूर करते हैं।

• **वंचित समुदायों का सशक्तिकरणः** शिक्षा तक पहुँच का लोकतंत्रीकरण करके, स्वयं मूक महिलाओं, ग्रामीण आबादी और सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों सहित हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाता है। जिससे शिक्षार्थी नए कौशल प्राप्त कर सकते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं|

• **रोजगार के लिए कौशल विकासः** स्वयं मूक रोजगार शिक्षा की मांगों को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, जो शिक्षार्थियों को विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों के लिए प्रासंगिक व्यावहारिक कौशल और दक्षताओं से लैस करते हैं, जिससे आर्थिक विकास और समृद्धि में योगदान होता है।

• **आजीवन सीखने की संस्कृतिः** स्वयं मूक शिक्षार्थियों को जीवन भर निरंतर शिक्षा और व्यावसायिक विकास के अवसर प्रदान करके आजीवन सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। यह जिज्ञासा, अनुकूलनशीलता और नवाचार की मानसिकता को बढ़ावा देता है, जो वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए आवश्यक है।

• **शिक्षकों के लिए क्षमता निर्माणः** स्वयं न केवल शिक्षार्थियों को बल्कि शिक्षकों को भी लाभान्वित करता है, जो अपने शिक्षण कौशल, शैक्षणिक प्रथाओं और विषय वस्तु विशेषज्ञता को बढ़ाने के लिए पेशेवर विकास पाठ्यक्रमों का उपयोग कर सकते हैं।

• **सांस्कृतिक आदान-प्रदान और वैश्विक सहयोगः** यह विभिन्न पृष्ठभूमि और क्षेत्रों के शिक्षार्थियों और शिक्षकों को जोड़कर सांस्कृतिक आदान-प्रदान और वैश्विक सहयोग की सुविधा प्रदान करता है। सहयोगी परियोजनाओं, चर्चाओं और साझा सीखने के अनुभवों के माध्यम से, प्रतिभागी विभिन्न संस्कृतियों, दृष्टिकोण और सोचने के तरीकों में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर आपसी समझ और सम्मान को बढ़ावा मिलता है।

स्वयं मूक के दूरगामी सामाजिक निहितार्थ हैं, जिनमें शिक्षा और कौशल विकास तक पहुँच में वृद्धि से लेकर आजीवन सीखने और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना शामिल है।

स्वयं मूक के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना:

स्वयं मूक पहुँच की बाधाओं को दूर करने, सीखने के अनुभवों को बढ़ाने और आजीवन सीखने को बढ़ावा देकर सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:

1. सुलभताः स्वयं मूक इंटरनेट कनेक्शन वाले किसी भी व्यक्ति के लिए सुलभ हैं, चाहे उनकी भौगोलिक स्थिति या सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। यह सुलभता यह सुनिश्चित करती है कि ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों

के व्यक्तियों के साथ-साथ शारीरिक दिव्यांग या गतिशीलता की कमी वाले लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले।

2. किफायती: इसके द्वारा शिक्षा मुफ्त में प्रदान की जाती है, जिससे शिक्षा के लिए वित्तीय बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। यह सामर्थ्य उन व्यक्तियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुलभ बनाता है जिनके पास पारंपरिक शैक्षिक संसाधनों, पाठ्यपुस्तकों या शिक्षण शुल्क का खर्च उठाने का साधन नहीं हो पाता।

3. विविध पाठ्यक्रम प्रस्ताव: स्वयं मूक में विषयों और कौशल क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जो शिक्षार्थियों की विविध रुचियों और शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करती है। चाहे कोई विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानविकी, कला या व्यावसायिक कौशल में रुचि रखता हो, स्वयम् विभिन्न सीखने के उद्देश्यों और कैरियर की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए तैयार किए गए पाठ्यक्रम प्रदान करता है।

4. उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री: स्वयम् मूक में सम्मानित संकाय सदस्यों, विषय विशेषज्ञों और उनकी अकादमिक उत्कृष्टता के लिए मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा शिक्षार्थियों को सटीक, अद्यतन और प्रासंगिक जानकारी प्राप्त की जाती है, जो शैक्षणिक मानकों और सीखने के परिणामों को पूरा करती है।

5. इंटरएक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस: स्वयं मूक मल्टीमीडिया संसाधनों, वर्चुअल लैब्स, सिमुलेशन और सहयोगी गतिविधियों के माध्यम से एक इंटरैक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस प्रदान करता है। शिक्षार्थियों के पास पाठ्यक्रम सामग्री के साथ जुड़ने, चर्चा में भाग लेने, प्रशिक्षकों और साथियों के साथ बातचीत करने और वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों में अपने ज्ञान को लागू करने, समझ और प्रतिधारण को बढ़ाने के अवसर होते हैं।

6. निरंतर मूल्यांकन और प्रतिक्रिया: स्वयं मूक में शिक्षार्थियों की प्रगति और पाठ्यक्रम सामग्री की समझ का मूल्यांकन करने के लिए नियमित मूल्यांकन और प्रतिक्रिया तंत्र शामिल हैं। मूल्यांकन में क्विज़, असाइनमेंट, सहकर्मी मूल्यांकन और परीक्षाएं शामिल हैं, जो शिक्षार्थियों को उनके ज्ञान का आकलन करने, उनके प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने और उनके सीखने के परिणामों पर नज़र रखने के अवसर प्रदान करती हैं।

7. प्रमाणन और मान्यता: स्वयं मूक के सफल समापन पर, शिक्षार्थियों को विषय वस्तु में उनकी उपलब्धि और दक्षता को प्रमाणित करने वाले प्रमाण पत्र या डिजिटल बैज प्राप्त होते हैं। इन प्रमाणपत्रों को विश्वविद्यालयों, नियोक्ताओं और पेशेवर निकायों द्वारा मान्यता दी जाती है, जो शिक्षार्थियों की साख, रोजगार योग्यता और कैरियर की संभावनाओं को बढ़ाते हैं।

8. व्यावसायिक विकास के अवसर: स्वयं मूक शिक्षकों, पेशेवरों और आजीवन सीखने वालों के लिए पेशेवर विकास के अवसर प्रदान करते हैं जो अपने कौशल, ज्ञान और कैरियर की उन्नति की संभावनाओं को बढ़ाना चाहते हैं। इन पाठ्यक्रमों में विभिन्न क्षेत्रों में उभरते रुझान, सर्वोत्तम प्रथाएं और अभिनव दृष्टिकोण शामिल हैं, जो व्यक्तियों को अपने संबंधित क्षेत्रों में अद्यतन और प्रतिस्पर्धी रहने के लिए सशक्त बनाते हैं।

स्वयं मूक सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में सहायक हैं, जिसमें पहुंच की बाधाओं को दूर किया जाता है, विविध पाठ्यक्रमों की पेशकश की जाती है, परस्पर सीखने के अनुभवों को बढ़ावा दिया जाता है और आजीवन सीखने को बढ़ावा दिया जाता है। प्रौद्योगिकी और खुले शैक्षिक संसाधनों का लाभ उठाकर, यह शिक्षा के लोकतंत्रीकरण और व्यक्तियों को उनकी पृष्ठभूमि या परिस्थितियों की परवाह किए बिना अपनी शैक्षणिक और व्यावसायिक आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बनाने में योगदान करते हैं।

संदर्भ सूची:

1. https://www.ugc.gov.in/pdfnews/3885329_MOOCs-Guideline-(Development--Funding).pdf, 2016
2. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/Guidelines_Swayam.pdf, 2018
3. https://www.aicte-india.org/sites/default/files/aicte-odl-online-guidelines-2021.pdf
4. Academic Bank of Credit, Ministry of Education, Government of India, 2021 https://www.abc.gov.in
5. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/National_Credit_Framework.pdf, 2023
6. www.swayam.gov.in
7. https://swayam-plus.swayam2.ac.in

अध्याय-11
भारत: लोकतंत्र की जननी

विकास मिश्र
स्नातक, राजनीति विज्ञान, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज
स्नातकोत्तर, लोक प्रशासन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वस्तुत: इसकी लोकतांत्रिक जड़ें प्राचीन काल से चली आ रही हैं। इस शोध पत्र में, हम लोकतंत्र की जननी होने के भारत के दावे के ऐतिहासिक साक्ष्य और तर्कों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे। "भारत : लोकतंत्र की जननी" यह शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा और लोकतंत्र शिखर सम्मेलन में अपने भाषणों में गढ़ा गया था। हम महाभारत, वेदों और अन्य प्राचीन ग्रंथों में निर्वाचित नेताओं, गणतंत्र राज्यों और सलाहकार निकायों के संदर्भों के साथ-साथ मध्ययुगीन और आधुनिक भारत में लोकतांत्रिक संस्थानों और प्रथाओं के उदाहरणों की जांच करेंगे। साथ ही साथ हम भारत के लोकतंत्र की तुलना दुनिया भर के लोकतंत्र के अन्य रूपों से भी करते हैं, जैसे ग्रीस में एथेनियन शहर-राज्य, जिसे व्यापक रूप से लोकतंत्र की उत्पत्ति के रूप में माना जाता है। हमारा तर्क है कि हालांकि किसी एक स्थान को लोकतंत्र की जननी नहीं कहा जा सकता है, फिर भी भारत के पास एक समृद्ध और विविध लोकतांत्रिक विरासत है जो मान्यता और प्रशंसा की पात्र है।

भारत लोकतंत्र की जननी है, क्योंकि यहां लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रथाओं की एक समृद्ध और प्राचीन परंपरा है। लोकतंत्र केवल सरकार का एक रूप नहीं है, बल्कि जीवन का एक तरीका है जो हर इंसान की गरिमा और विविधता का सम्मान करता है। भारत का लोकतंत्र न केवल जनसंख्या के हिसाब से दुनिया में सबसे बड़ा है, बल्कि सबसे लचीला और विविधतापूर्ण भी है। गरीबी, असमानता, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिक हिंसा और क्षेत्रीय संघर्ष जैसी कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, भारत ने सात दशकों से अधिक समय से अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं और मूल्यों को बनाए रखा है। भारत का लोकतंत्र कई अन्य देशों के लिए भी प्रेरणा और आशा का स्रोत है जो अपने लोगों के लिए स्वतंत्रता और सम्मान प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य-

भारत में राजनीतिक प्रणालियों और लोकतांत्रिक विशेषताओं का एक समृद्ध और विविध इतिहास है, जिसने आधुनिक लोकतंत्र के विकास को विभिन्न तरीकों से प्रभावित किया है। यहां विचार करने योग्य कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं :

- **वैदिक काल** -

यह लगभग 1500 से 500 ईसा पूर्व का काल था, जब हिंदू धर्म के सबसे पुराने ग्रंथ वेदों की रचना की गई थी। वैदिक समाज जनजातियों, कुलों और परिवारों में संगठित था, जिनकी अपनी सभाएँ और परिषदें थीं। सबसे महत्वपूर्ण "सभा" नामक संस्था थी, जिसमें बुजुर्ग, कुलीन, पुजारी और योद्धा भाग लेते थे। सभा को राजाओं को चुनने या पदच्युत करने, युद्धों और गठबंधनों पर निर्णय लेने और विवादों का समाधान करने का अधिकार था। एक अन्य संस्था थी- "समिति", जो अधिक समावेशी थी और सभी सदस्यों के लिए खुली थी। समिति की भूमिका सभा के निर्णयों की पुष्टि करना, धार्मिक समारोह आयोजित करना और जनता की राय व्यक्त करना था।

- **वैशाली और मिथिला गणराज्य -**

  ये बिहार क्षेत्र में प्राचीन शहर-राज्य थे, जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास अस्तित्व में थे। ये बुजुर्गों की एक परिषद द्वारा शासित होते थे, जिन्हें गण या संघ कहा जाता था, जो लोगों द्वारा चुने जाते थे। गण या संघ के पास कानून बनाने, न्याय प्रशासन करने और विदेशी मामलों का संचालन करने की शक्ति थी। वैशाली और मिथिला के गणराज्य दुनिया में लोकतांत्रिक शासन के शुरुआती उदाहरणों में से थे, उन्होंने बाद के राजनीतिक विचारकों जैसे महावीर, बुद्ध और कौटिल्य को प्रेरित किया।

- **मौर्य काल -**

  यह लगभग 322 से 185 ईसा पूर्व का काल था, जब चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी, और अशोक के अधीन यह अपने चरम पर पहुंच गया था। मौर्य प्रशासन अपने केंद्रीकरण और दक्षता के लिए उल्लेखनीय था। साम्राज्य को प्रांतों, जिलों और गांवों में विभाजित किया गया था, प्रत्येक के अपने अधिकारी और पदाधिकारी थे। सम्राट को मंत्रियों की एक परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी, जिनकी नियुक्ति योग्यता और विशेषज्ञता के आधार पर की जाती थी। सुरक्षा और वफादारी सुनिश्चित करने के लिए सम्राट ने एक बड़ी सेना और जासूसों का एक नेटवर्क भी बनाए रखा। मौर्य काल में अशोक द्वारा कल्याण और सहिष्णुता को बढ़ावा दिया गया, जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और अपने राज्य भर में अपने शिलालेखों का प्रचार किया। अशोक के शिलालेखों में सभी धर्मों के प्रति सम्मान, जानवरों व पौधों की सुरक्षा, चिकित्सा सुविधाओं व शिक्षा का प्रावधान और न्याय व शांति की स्थापना की वकालत की गई।

- तमिलनाडु के उथिरामेरुर नामक गांव से प्राप्त शिलालेख ग्राम सभा के सदस्यों को चुनने की प्रक्रिया का वर्णन करता है।

- कर्नाटक में बसवेश्वर का अनुभव मंडपम बहस और चर्चा को प्रोत्साहित करता है।

प्राचीन भारतीय दर्शन में लोकतांत्रिक सिद्धांतों के तत्व -

यह अन्वेषण के लिए एक बहुत ही दिलचस्प विषय है। भारत में राजनीतिक दर्शन की एक समृद्ध और विविध परंपरा है जो प्राचीन काल से चली आ रही है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों के कुछ प्रमुख विचार जिन्होंने लोकतांत्रिक सिद्धांतों, व्यक्तिगत अधिकारों और शासन को प्रभावित किया है :

- **धर्म की अवधारणा**, जिसका अर्थ है कर्तव्य, कानून, न्याय या धार्मिकता। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म में "धर्म सामाजिक व्यवस्था और नैतिक आचरण का आधार" है। धर्म का तात्पर्य विविधता और बहुलवाद के प्रति सम्मान से भी है, क्योंकि अलग-अलग लोगों के स्वभाव और परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग कर्तव्य और रास्ते होते हैं। "भारतीय लोकतंत्र में धर्म को धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता की नींव" के रूप में देखा जा सकता है।

- **स्वराज का विचार**, जिसका अर्थ है स्व-शासन या स्वायत्तता। औपनिवेशिक उत्पीड़न के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध के सिद्धांत के रूप में महात्मा गांधी ने स्वराज की वकालत की थी। स्वराज का अर्थ आत्मनिर्भरता, आत्म-सम्मान और आत्म-विकास भी है। भारतीय लोकतंत्र में स्वराज को व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता के स्रोत के रूप में देखा जा सकता है।

- **राजधर्म की धारणा**, जिसका अर्थ है राजा या शासक का कर्तव्य। राजधर्म शब्द अर्थशास्त्र से लिया गया है, जो शासन कला और राजनीति पर एक ग्रंथ है जिसका श्रेय कौटिल्य या चाणक्य को दिया जाता है। राजधर्म एक अच्छे शासक के गुणों और जिम्मेदारियों को रेखांकित करता है जैसे लोगों की रक्षा करना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना, कल्याण को बढ़ावा देना, न्याय सुनिश्चित करना और धर्म को कायम रखना। भारतीय लोकतंत्र में राजधर्म को सुशासन और जवाबदेही के आधार के रूप में देखा जा सकता है।

ये कुछ उदाहरण मात्र हैं कि कैसे प्राचीन भारतीय दर्शन ने भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों और मूल्यों को आकार दिया है।

भारत का स्वतंत्रता संग्राम-

भारत का स्वतंत्रता आंदोलन इस बात का एक उल्लेखनीय उदाहरण था कि अहिंसक प्रतिरोध से राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन कैसे हासिल किया जा सकता है। महात्मा गांधी ने लाखों भारतीयों को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सत्य, अहिंसा और सविनय अवज्ञा के अपने सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। उनके तरीकों ने दुनिया भर में अन्य लोकतांत्रिक आंदोलनों को भी प्रभावित किया, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोधी आंदोलन और म्यांमार में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) मुख्य राजनीतिक दल थी जिसने भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का नेतृत्व किया। कांग्रेस ने स्वतंत्र और एकजुट भारत के अपने दृष्टिकोण में धर्मनिरपेक्षता, बहुलवाद, संघवाद और सामाजिक

न्याय जैसे लोकतांत्रिक सिद्धांतों को अपनाया। इसने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने और लागू करके देश में लोकतंत्र को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो दुनिया के सबसे लंबे और सबसे व्यापक संविधानों में से एक है।

संविधान निर्माण:

1950 में अपनाया गया भारत का संविधान, देश का सर्वोच्च कानून और भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली की नींव है। यह सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियों और कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। भारत का संविधान संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और गणतंत्रवाद के लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक है। यह अपने नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन भी देता है और उनके बीच भाईचारे को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।

भारत का संविधान एक अनूठा दस्तावेज है जो भारतीय लोगों की आकांक्षाओं, मूल्यों और विविध संस्कृति को दर्शाता है। हालाँकि, यह दुनिया भर के कई अन्य संविधानों से भी प्रेरणा लेता है, विशेष रूप से ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान और दक्षिण अफ्रीका के संविधानों से। भारत ने इन संविधानों से जो कुछ विशेषताएं उधार लीं, वे हैं:

- ब्रिटेन से: सरकार की संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, रिट, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीयता।
- संयुक्त राज्य अमेरिका से: सरकार की संघीय प्रणाली, लिखित संविधान, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना।
- आयरलैंड से: राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत (डीपीएसपी), राज्यसभा (उच्च सदन) में सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि।
- कनाडा से: एक मजबूत केंद्र वाला संघ, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित, राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र द्वारा।
- ऑस्ट्रेलिया से: समवर्ती सूची (ऐसे विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं), गतिरोध की स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक।
- फ्रांस से: प्रस्तावना में गणतंत्र और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श।
- जर्मनी से: आपातकालीन प्रावधान।
- जापान से: संविधान में संशोधन की प्रक्रिया।
- दक्षिण अफ्रीका से: संविधान में संशोधन की प्रक्रिया (कुछ पहलू), राज्यसभा के लिए सदस्यों का चुनाव।

इस प्रकार भारत का संविधान विभिन्न देशों की विभिन्न संवैधानिक प्रथाओं का मिश्रण है जो इसकी अपनी आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुरूप है। यह एक जीवंत दस्तावेज़ है जिसे लोगों की बदलती वास्तविकताओं और आकांक्षाओं के साथ तालमेल रखने के लिए अब तक 103 बार संशोधित किया गया है। यह सभी नागरिकों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत है और इसने एक आधुनिक, लोकतांत्रिक और बहुलवादी राष्ट्र के रूप में भारत के विकास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

चुनावी लोकतंत्र:-

भारत का चुनावी लोकतंत्र दुनिया के सबसे बड़े और सबसे विविध लोकतंत्रों में से एक है, जिसमें 900 मिलियन से अधिक योग्य मतदाता और 2,000 से अधिक राजनीतिक दल हैं। भारत के चुनावी लोकतंत्र की कार्यप्रणाली निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है-

- **सार्वभौम वयस्क मताधिकार** : भारत के 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के प्रत्येक नागरिक को चुनाव में वोट देने का अधिकार है, चाहे उनकी जाति, धर्म, लिंग, शिक्षा या आय कुछ भी हो। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक नागरिक को अपने प्रतिनिधियों और नेताओं को चुनने में समान अवसर मिले।
- **आवधिक चुनाव** : सरकार के विभिन्न स्तरों, जैसे लोकसभा (संसद का निचला सदन), राज्यसभा (संसद का ऊपरी सदन), राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। चुनाव भारत के चुनाव आयोग नामक एक स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय द्वारा आयोजित किए जाते हैं, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।
- **राजनीतिक दलों की भूमिका** : भारत के चुनावी लोकतंत्र में राजनीतिक दल मुख्य हैं, क्योंकि वे चुनाव लड़ते हैं, सरकारें बनाते हैं और सार्वजनिक नीतियों को आकार देते हैं। राजनीतिक दल देश की विभिन्न विचारधाराओं, हितों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे मतदाताओं को संगठित भी करते हैं, मुद्दों के लिए अभियान चलाते हैं और राजनीतिक भागीदारी के लिए एक मंच भी प्रदान करते हैं।

भारत के चुनावी लोकतंत्र की चुनौतियाँ और सफलताएँ इस प्रकार हैं-

- मतदाता भागीदारी: पिछले तीन आम चुनावों में औसतन 67% के साथ भारत दुनिया में सबसे अधिक मतदान दर वाले देशों में से एक है। यह मतदाताओं के उत्साह और जागरूकता के साथ-साथ चुनावी प्रणाली की प्रभावशीलता को भी दर्शाता है।
- प्रतिनिधित्व: भारत के चुनावी लोकतंत्र का लक्ष्य महिलाओं, अल्पसंख्यकों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों जैसे विभिन्न सामाजिक समूहों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। सरकार के कुछ स्तरों पर अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान हैं। इन समूहों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए विशेष उपाय भी हैं। हालाँकि, आनुपातिक और समावेशी प्रतिनिधित्व प्राप्त करने में चुनौतियाँ भी हैं, जैसे कुछ समूहों का कम प्रतिनिधित्व, कुछ पार्टियों या क्षेत्रों का प्रभुत्व और नेतृत्व की स्थिति में विविधता की कमी।
- चुनाव सुधार: भारत के चुनावी लोकतंत्र में पिछले कुछ वर्षों में अपनी कार्यप्रणाली और विश्वसनीयता में सुधार के लिए कई सुधार हुए हैं। कुछ प्रमुख सुधारों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम), मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी), आदर्श आचार संहिता (एमसीसी), व्यय सीमा, आपराधिक पृष्ठभूमि प्रकटीकरण और नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) विकल्प की शुरूआत शामिल है। हालाँकि, कुछ लंबित सुधार भी हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे कि चुनावों के लिए राज्य द्वारा वित्त पोषण, एक साथ चुनाव, चुनावी बांड पारदर्शिता और चुनावी साक्षरता।

इस प्रकार भारत का चुनावी लोकतंत्र एक उल्लेखनीय उपलब्धि है जो इसके लोगों की आकांक्षाओं और विविधता को दर्शाता है। यह एक गतिशील और विकासशील प्रक्रिया है जो विभिन्न चुनौतियों और अवसरों का सामना करती है।

विविधता और बहुलवाद-

भारत का बहुसांस्कृतिक, बहु-धार्मिक और बहु-जातीय समाज इसके लोकतांत्रिक ढांचे में कई तरह से योगदान देता है-

- भारत की विविधता बहुलवाद के सिद्धांत को दर्शाती है, जिसका अर्थ है कि विभिन्न पृष्ठभूमि और मान्यताओं के लोग एक लोकतांत्रिक समाज में शांतिपूर्वक और सम्मानपूर्वक सह-अस्तित्व में रह सकते हैं। बहुलवाद विभिन्न समूहों के बीच सहिष्णुता, संवाद और आपसी समझ को भी प्रोत्साहित करता है।
- भारत की विविधता बहस और विचार-विमर्श की संस्कृति को बढ़ावा देती है, जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। भारत में एक जीवंत नागरिक समाज, मीडिया और न्यायपालिका है जो विविध राय व्यक्त करने और सरकार को जवाबदेह बनाए रखने के लिए मंच प्रदान करती है।
- भारत की विविधता विभिन्न दृष्टिकोणों, अनुभवों और हितों को सामने लाकर इसकी लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं को समृद्ध बनाती है।
- भारत में एक संसदीय प्रणाली है जो विभिन्न दलों और गठबंधनों के प्रतिनिधित्व की अनुमति देती है।
- भारत में एक संघीय ढांचा भी है जो राज्यों और स्थानीय निकायों को शक्ति प्रदान करता है, जिससे वे अपने लोगों की विशिष्ट आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम होते हैं।

विकेंद्रीकरण एवं स्थानीय स्वशासन

विकेंद्रीकृत शक्ति संरचनाओं (जैसे पंचायती राज संस्थाओं) के साथ भारत के प्रयोग और लोकतांत्रिक भागीदारी व विकास पर उनका प्रभाव निम्नलिखित है-

- पंचायती राज संस्थाएँ (पीआरआई) भारत में गाँव, ब्लॉक और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन हैं। उन्हें 1992 में 73वें और 74वें संशोधन द्वारा संवैधानिक रूप से स्थापित किया गया था, जिसमें नियमित चुनाव, शक्तियों और जिम्मेदारियों का हस्तांतरण और हाशिए पर रहने वाले समूहों का प्रतिनिधित्व सम्मिलित है।
- लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण राज्य के कार्यों और संसाधनों को केंद्र से निचले स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों को सौंपने की प्रक्रिया है ताकि शासन में नागरिकों की अधिक प्रत्यक्ष भागीदारी को सुविधाजनक बनाया जा सके। संविधान द्वारा परिकल्पित हस्तांतरण, मात्र प्रतिनिधिमंडल नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि सटीक रूप से परिभाषित शासन कार्यों को कानून द्वारा औपचारिक रूप से स्थानीय सरकारों को सौंपा जाता है, जो वित्तीय अनुदान और कर प्रबंधन के पर्याप्त हस्तांतरण द्वारा समर्थित होते हैं, और उन्हें कर्मचारी दिए जाते हैं ताकि उनके पास अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आवश्यक साधन हों।

- लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्वशासन का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की बेहतर योजना, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन सुनिश्चित करके स्थानीय विकास एवं लोकतंत्र को बढ़ावा देना भी है।

भारत में लोकतांत्रिक भागीदारी और विकास पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्वशासन का प्रभाव मिश्रित रहा है। एक ओर, कुछ सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं जैसे राजनीतिक जागरूकता में वृद्धि, महिलाओं और अन्य वंचित समूहों की भागीदारी और प्रतिनिधित्व, बेहतर सेवा वितरण और बुनियादी ढांचे, बढ़ी हुई सामाजिक पूंजी और नागरिक भागीदारी, और भ्रष्टाचार और अभिजात वर्ग का कब्जा कम हो गया है। दूसरी ओर, कुछ चुनौतियाँ और बाधाएँ हैं जैसे अपर्याप्त धन, कर्मचारियों की कमी, असामयिक और विलंबित चुनाव, राजनीतिक हस्तक्षेप, नौकरशाही प्रतिरोध, क्षमता अंतराल, सामाजिक असमानताएँ और कमजोर जवाबदेही तंत्र।

लैंगिक समानता और महिलाओं की भागीदारी -

भारत एक ऐसा देश है जहां राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का समृद्ध और विविध इतिहास है -

- वैदिक काल के दौरान हमें गार्गी, अपाला जैसी अनेक विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है जो न केवल शैक्षिक एवं सामाजिक आयोजनों में प्रतिभा करती थी बल्कि तत्कालीन विद्वानों एवं ऋषियों से शास्त्रार्थ कर संपूर्ण समाज को दिशा निर्देशित भी करती थीं।
- ब्रिटेन से आजादी के बाद 1950 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाले पहले देशों में से एक भारत था।
- भारत ने अपने राजनीतिक इतिहास में कुछ प्रमुख महिला नेताओं को भी देखा है, जैसे इंदिरा गांधी, जो 1966 में भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधान मंत्री बनीं तथा प्रतिभा पाटिल, जो 2007 में भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनीं।
- भारत ने स्थानीय सरकारों में महिलाओं के लिए आरक्षण की एक प्रणाली भी लागू की है, जिसके अनुसार पंचायतों (ग्राम परिषदों) और नगर पालिकाओं में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इससे जमीनी स्तर पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व और भागीदारी बढ़ी है और उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और महिलाओं के खिलाफ हिंसा जैसे मुद्दों को उठाने का अधिकार भी मिला है।

इस प्रकार भारत ने अपने लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर लैंगिक समानता सुनिश्चित करने में कुछ प्रगति की है, लेकिन राजनीति में महिलाओं के लिए सच्ची समानता और समावेशन हासिल करने के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है।

चुनौतियाँ और भविष्य की संभावनाएँ-

भारत लोकतंत्र की जननी होने के साथ-साथ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है, क्योंकि इसकी आबादी 1.3 अरब से अधिक है और सरकार की संसदीय प्रणाली है। हालाँकि, भारतीय लोकतंत्र को भी कई चुनौतियों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिन्हें इसके भविष्य की संभावनाओं के लिए संबोधित और हल करने की आवश्यकता है। इनमें से कुछ चुनौतियाँ हैं :

- भ्रष्टाचार- निजी लाभ के लिए सार्वजनिक शक्ति का दुरुपयोग ही भ्रष्टाचार है। यह कानून के शासन, जवाबदेही, पारदर्शिता और सरकार में जनता के विश्वास को कमजोर करता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत 180 देशों में से 86वें स्थान पर है, जो सार्वजनिक क्षेत्र में उच्च स्तर के कथित भ्रष्टाचार का संकेत देता है।
- जाति-आधारित राजनीति- जाति सामाजिक पदानुक्रम की एक प्रणाली है जो लोगों को उनके जन्म, व्यवसाय और स्थिति के आधार पर समूहों में विभाजित करती है। जाति-आधारित राजनीति का तात्पर्य जाति के आधार पर मतदाताओं और राजनेताओं की लामबंदी से है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर भेदभाव, हिंसा और कुछ समूहों का बहिष्कार होता है।
- सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ- सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ लोगों के विभिन्न समूहों के बीच आय, धन, शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसरों में अंतराल और असमानताओं को संदर्भित करती हैं। भारत में उच्च स्तर की धन असमानता है, क्योंकि 2019में सबसे अमीर 10% भारतीयों के पास कुल संपत्ति का 77.4% हिस्सा है। इसके अलावा, भारत को शिक्षा, स्वास्थ्य, लिंग और क्षेत्रीय विकास में भी असमानताओं का सामना करना पड़ता है।

भविष्य में भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कुछ संभावित समाधान और सुधार इस प्रकार हैं-

- भ्रष्टाचार विरोधी उपाय- भ्रष्टाचार विरोधी उपायों में भ्रष्टाचार को रोकने, पता लगाने, दंडित करने और रोकने के लिए कानूनी, संस्थागत और सामाजिक तंत्र शामिल हैं। भ्रष्टाचार-विरोधी उपायों के कुछ उदाहरण हैं: मजबूत भ्रष्टाचार-विरोधी कानून बनाना और लागू करना; स्वतंत्र और प्रभावी भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों की स्थापना; लोक प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना; नागरिक भागीदारी और निरीक्षण बढ़ाना; और अखंडता और नैतिकता की संस्कृति का निर्माण करना।
- जाति-आधारित आरक्षण- जाति-आधारित आरक्षण सकारात्मक कार्रवाई नीतियां हैं जो शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में वंचित जातियों के सदस्यों के लिए सीटों या नौकरियों का एक निश्चित प्रतिशत आरक्षित करती हैं। जाति-आधारित आरक्षण का उद्देश्य जातिगत भेदभाव को कम करना और हाशिए पर रहने वाले समूहों के सामाजिक समावेश और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। भारत में आजादी के बाद से ही जाति-आधारित आरक्षण की व्यवस्था है, जो वर्तमान में एससी के लिए 15% सीटें या नौकरियां, एसटी के लिए 7.5% और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27% आरक्षित करता है। हालाँकि, जाति-आधारित आरक्षण भी विवादास्पद है और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच इस पर बहस होती है।
- सामाजिक-आर्थिक विकास- सामाजिक-आर्थिक विकास उन नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थितियों में सुधार करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो उनकी आय, धन, शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसरों को बढ़ाते हैं। सामाजिक-आर्थिक विकास के कुछ उदाहरण हैं: गरीब समर्थक और समावेशी विकास रणनीतियों को लागू करना; मानव पूंजी और बुनियादी ढांचे में निवेश;

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं का विस्तार; लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करना; और क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष -

निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि भारत में प्राचीन काल से ही लोकतांत्रिक तत्वों का समावेश रहा है और वर्तमान समय में भी भारत दुनिया के एक सशक्त लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। फिर भी हमें यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि लोकतंत्र एक गतिशील और विकासशील प्रणाली है जिसके लिए सभी हितधारकों के बीच निरंतर संवाद, बहस, नवाचार और अनुकूलन की आवश्यकता होती है। लोकतंत्र न केवल सरकार का एक रूप है बल्कि जीवन जीने का एक तरीका भी है जो स्वतंत्रता, समानता, विविधता और भागीदारी को महत्व देता है। इसलिए भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों और संस्थानों को बनाए रखना और मजबूत करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि एक जीवंत और लचीले लोकतंत्र के रूप में भारत अपनी प्राचीन संस्कृति और लोकाचार को बरकरार रखेगा।

संदर्भ- सूची :-

1. Dey, Monidipa, "MATTER OF DEMOCRACY: ANCIENT INDIA HAD FUNCTIONING REPUBLICS", The Daily Guardian, March 21, 2022
2. Sharma, Pratul, "The fascinating history of India's ancient democracies", The Week, August 13, 2023
3. Joshi, Sachchidanand , The deep dharmic roots of Indian democracy, The Indian Express, April 20, 2023
4. Ghosh, Pallavi , Dr B.R. Ambedkar’s Ideas on Democracy, Doing Sociology, JAN 25, 2021
5. Biswas, Soutik, Electoral autocracy': The downgrading of India's democracy, BBC News, March 16, 2021
6. Sampath, G, Democracies on the slide, The Hindu, March 07, 2022
7. India rated as an ‘electoral autocracy’ by global institute, Hindustan Times, New Delhi,March 11, 2021
8. Ghosh, Poulomi, Demography, democracy, diversity: PM Modi's message of 3 ‘D’s to ‘parivaarjan’, Hindustan Times, Aug 15, 2023
9. ‘Trinity of demography, democracy, diversity’: PM Modi on 77th Independence Day, India Today News Desk, August 15, 2023

10. Women's Representation in Politics,The Times Of India, Sep 20, 2023
11. India mother of democracy; home to idea of elected leaders much before rest of world: PM Modi, PTI, New Delhi, The Tribune, March 29, 2023
12. Pillalamarri, Akhilesh , Is India the ‘Mother of Democracies’?, The Diplomat, March 24, 2023

अध्याय-12

केरल के किन्नरों का समाजशास्त्रीय अध्ययन

सनोज पी. आर.
सहायक आचार्य, हिंदी विभाग,
सेंट जोसफ कॉलेज, देवगिरी
कालीकट, केरल

किन्नर जीवन के संघर्ष की गाथा बड़ी दर्दनाक, भयावह और पीड़ादायक है, क्योंकि यह दर्द शारीरिक ही नहीं मानसिक स्तर पर भी आत्मा तक को झकझोर देने वाला है। शारीरिक चोट के निशान शरीर पर तो देखे जा सकते हैं लेकिन मानसिक चोट के निशान देखने के लिए एक दृष्टिकोण चाहिए जिसमें सहानुभूति, समानुभुति होने के साथ हृदय संवेदनाओं से भरा होना चाहिए वरना वह अदृश्य दर्दनाक चोटें कभी नहीं दिखाई देंगी जैसा वरिष्ठ किन्नर कार्यकर्ता लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी ने कहा **''दोष आंख का नहीं, नजरिए का है, लोगों को नजरिया बदलने की जरूरत है, जिस दिन यह बदला, सभी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी''** वरिष्ठ किन्नर सेवी का कथन है कि स्त्री, पुरुष और किन्नर भगवान की ही उत्पत्ति हैं यदि कोई व्यक्ति लिंग के आधार पर भेद करता है तो वास्तव में भगवान की बनाई हुई कायनात का विरोध कर रहा है जो सही प्रतीत नहीं होता है वैसे भी हम इस दुनिया में बगैर किसी लिंग, जाति, धर्म और पंथ के नंगे ही पैदा हुए हैं। यह तो हमारी परवरिश पर निर्भर करता है कि हमें किसका कितना सम्मान करना है। यदि हम किसी व्यक्ति का बगैर किसी भेदभाव के सम्मान करते हैं तो वास्तव में हम मानव और सही अर्थों में इंसान कहलाने के अधिकारी हैं, वरना जानवरों, पशु, पशुओं में और एक इंसान में कोई अधिक अंतर दृष्टिगत नहीं होता है। मानव जानवरों से इसलिए ही पृथक प्रतीत होता है कि उसके अंदर संवेदनाओं का झुरमुट है वरना खाना, पीना, सोना जैसी क्रियाकलाप सृष्टि में जितने भी जीव हैं लगभग सभी करते हैं। अपनी मानवीयता को जीवित रखने के लिए एक विद्वान व्यक्ति किसी में भी किसी भी प्रकार का भेद नहीं करता है और समाज के हर दबे, कुचले, शोषितों एवं पिछड़े वर्ग का ख्याल रखता है। जिससे समाज के हर वर्ग को समानता का अधिकार मिल सके। मानवीय संवेदनाओं का सम्बंध धार्मिकता से भी है जो असली धार्मिक व्यक्ति होगा उसके अंदर मानवीय संवेदनाएं सबसे प्रवत्त होंगी। इसलिए भारत का केरल राज्य ऐसा है जहां सबसे अधिक पढ़े-लिखे नागरिक निवास करते हैं तथा उनका दृष्टिकोण भी मानवीय होता है। दक्षिण भारत में लोग धार्मिक अधिक हैं, साम्प्रदायिक नहीं। असली धार्मिक वह हैं जिनमें साम्प्रदायिकता लेश मात्र भी नहीं है। चाहे उसका सम्बंध किसी भी स्थान से हो।

किन्नर जीवन के संघर्ष की दास्तान उनके स्वयं की लड़ाई, उनका भावनात्मक संकट, उनकी आर्थिक कठिनाइयां, उनकी समानता और स्वाभिमान की चाह- कुल मिलाकर अपने स्पर्श अस्तित्व की सुरक्षा-चिंता के मध्य देश के सर्वोच्च न्यायालय से उद्भूल एक प्रकाश किरण उनके अन्धकार ग्रस्त चुनौती सागर में प्रकाश स्तम्भ बनकर अवतरित हुई है।

भारतीय परम्परा में किन्नरों की स्थिति:

भारत एक प्राचीन देश है, यहां की ऐतिहासिकता पर दृष्टिपात करें तो हमें ज्ञात होता है कि किन्नरों की स्थिति के संदर्भ में प्राचीन काल से ही देखा और समझा गया है। हिन्दू धर्म में भगवान शिव के अनेक रूप हैं जिसमें उन्हें अर्द्धनारीश्वर भी कहा गया है जिसका अर्थ होता है आधा नारी और आधा पुरूष, इसके अलावा हिन्दू संस्कृति में अनेक ऐसे महापुरूष हुए हैं जो किन्नर थे जैसे शिखंडी तथा अम्बा। इसी कारण भारतीय संस्कार और संस्कृति ने किन्नरों की स्थिति को रेखांकित किया गया है। मुगल काल में भी किन्नरों को उचित स्थान दिया गया था। अधिकतर किन्नरों को राजा-महाराजा अपनी पत्नियों के साथ सेवा में रखते थे तथा उनकी स्थिति सही थी और वह राजा के काफी निकट होते थे क्योंकि उनकी वफादारी के कारण राजा उनका सम्मान करता था लेकिन अंग्रेजों ने किन्नरों को सही स्थान नहीं दिया बल्कि उनको परेशान किया और आपराधिक श्रेणी में डाल दिया गया था **''वहीं सन् 1860 के अन्तर्गत धारा 377 का निर्माण किया गया जो कि अंग्रेजी शासनकाल में यौन-आचरण को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। इस धारा के अन्तर्गत स्त्री पुरुष के अन्य यौन व्यवहार को अपराधिक एवं दंडनीय माना जाता था।''** (1)

इन नियमों के कारण किन्नरों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिससे वह समाज में स्वयं को साबित नहीं कर पाए। किन्नर समाज को सबने देखा हीन दृष्टि से ही, किसी ने अधिकार की बात नहीं की, भारत देश जब स्वतंत्रता आन्दोलन में कूदा तो भी किन्नर समाज पीछे नहीं था बल्कि वह अपने तरह से पर्दे के पीछे से क्रांतिकारियों का समर्थन करने का कारण भी यह था कि अंग्रेजों ने इनको भी प्रताड़ित किया था जिस प्रकार किन्नर समाज भी देश को अंग्रेजी बेड़ियों से आज़ाद कराना चाहता था।

जब देश ने आज़ादी की सुबह देखी फिर भारत में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक तौर पर मज़बूत करने का सबना देखा। इस सपने को पूरा करने के लिए तत्कालीन सरकार ने कई मजबूत कदम उठाए। इसी कड़ी में किन्नरों के अधिकारों को लेकर ज्यादा नहीं किया गया लेकिन उनको इंसान मानने का अधिकार मिल गया, वैसे भी नागरिक के मूलभूत अधिकार में कहा गया था देश में सबको समानता का अधिकार है। किसी भी प्रकार का लिंगभेद, धर्मभेद और पंथभेद नहीं होता था बल्कि सबको समानता, बंधुता तथा मानवता का संदेश दिया गया। देश में संविधान का राज लागू होने के बाद अनेक अध्याय जोड़े गए, संविधान में बदलाव भी किए गए जिससे संसद में बहस भी हुई और नए अध्याय को जोड़ा भी गया।

मानवतावाद के विश्वबंधुत्व को सामने लाने के कारण भारत में भी मानवीय मूल्यों को संरक्षित किया गया। संविधान ने सबको मूल अधिकार देने का प्रयास किया, जिसमें किन्नर समाज पर भी अनेक बार बहस हुई और किन्नर समाज ने भी गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर उनके अधिकार और अस्तित्व को बचाने का कार्य प्रारम्भ हुआ। जिसमें उनको वोट देने का अधिकार, जेण्डर का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार। अभी भी अनेक गैर सरकारी संस्थाएँ तथा मानवतावादी पत्रकार, लेखक विद्वान लड़ रहे हैं।

केरल मे किन्नरों की स्थिति:

किन्नरों को अधिकार दिलाने के लिए भारत सरकार के कई राज्य प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन किसी राज्य ने अधिक कार्य किया है किसी ने कम। इसी संदर्भ में केरल राज्य भारत का सबसे शिक्षित राज्य है जिसमें समानता और बंधुत्व का बोलबाला है। सामाजिक दृष्टिकोण से भी केरल अग्रणीय है, वहां पर मानवता को तरजीह दी जाती है। इसी श्रेणी में स्त्री-पुरुषों के साथ-साथ केरल में किन्नरों को बहुत अधिकार दिए हैं जो उस राज्य को विशिष्ट राज्य बनाता है, केरल राज्य के संदर्भ में देखा जाए तो किन्नरों के अधिकार के लिए कार्य करने वाला अग्रणीय राज्य है। इस राज्य में बगैर किसी भेदभाव के मानवता के मानकों पर कार्य किया जाता है। जिसका उदाहरण वहां की सरकार का गैजेट और पत्र पत्रिकाओं में छपने वाली विस्तृत रिपोर्ट है।

केरल के किन्नरों का समाजशास्त्रीय अध्ययन करने से पहले वहां के किन्नरों की राजनैतिक, धार्मिक और आर्थिक विश्लेषण भी करना चाहिए क्योंकि किसी भी राज्य के विकास के मानक में यह भी सम्मिलित है कि उस क्षेत्र विशेष के लोगों का जीवन के संदर्भों को भी देखा जाता है।

जनगणना 2011 के अनुसार भारत के विभिन्न राज्यों में किन्नरों की संख्या भिन्न-भिन्न अवश्य है लेकिन अनुपात के अनुसार देखा जाए तो किन्नरों की स्थिति सामान्यतः दृष्टिगत होती है। केरल राज्य ने किन्नरों के उत्थान के लिए ऐसे कई सराहनीय कार्य किए हैं जो अन्य राज्यों ने नहीं किए। केरल सरकार ने 2015 में बहुप्रतीक्षित ट्रांसजेण्डर नीति का अनावरण किया। यह पहली नीति है जो लैंगिक अल्पसंख्यक समूह को सामाजिक कलंक मानने की प्रवृत्ति और उनसे होने वाले भेदभाव को खत्म करने पर केन्द्रित है। इस उद्घाटन सत्र पर बोलते हुए तत्कालिन सामाजिक न्याय मंत्री एम.के. मुनीर ने कहा कि **''हम आश्वासन देते हैं कि केरल सरकार आपकी स्वतंत्रता और संचरण का ध्यान रखेगी।'' (2)**

केरल सरकार के इस साहसिक फैसले के साथ वहां के लैंगिक अल्पसंख्यक समाज को बल मिला, जिससे उन्होंने अपने जीवन में अमूल-चूल बदलाव भी देखे यद्यपि केरल में 2011 की जनगणना के अनुसार किन्नरों की संख्या 3902 है जो अनुपात के अनुसार वास्तव में कम है लेकिन अधिकार सबसे ज्यादा मिले हैं। राज्य में सामाजिक न्याय के कार्यों को बल देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार ने यह प्रशंसनीय कदम कई केस स्टडी के बाद उठाए हैं जिससे मालूम होता है केरल के ट्रांसजेण्डर की स्थित दूसरे राज्यों के किन्नरों से अच्छी है। मलयालम भाषा में ट्रांसजेण्डर के लिए एक शब्द उपयुक्त होता है जिसका नाम है 'नेपुसाकम' जिसका अर्थ होता है 'नपुंसक'। द्रविड़ भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत भाषाओं से ही मानी जाती है क्योंकि इन भाषाओं में संस्कृत के शब्दों की प्रचुरता है। मलयालम भाषा में बहुत शब्द हैं जिनका सम्बंध संस्कृत भाषा से है। इस दृष्टिकोण से यह माना जा सकता है कि संस्कृत और मलयालम एक जैसी वैदिक भाषाएं हैं और संस्कृत भाषा में तीसरे लिंग की बात भी कही गयी है और मलयालम में भी। इसलिए केरल राज्य के किन्नरों को अधिक अधिकार भी दिए हैं क्योंकि भाषाई समानता भी लिंगभेद को कम करने के लिए कारगर होती है। सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत में लिंग का वर्णन है, इससे सिद्ध होता है कि संस्कृत भी प्रारम्भ से ही समानता पक्षधर थी, वहीं प्रभाव मलयालम पर भी दिखता है।

केरल राज्य को 'भगवान का अपना देश' कहा जाता है। इस राज्य में साक्षरता, ई-साक्षरता, स्वास्थ्य देखभाल, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, जन्म दर, जीवन प्रत्याशा या महिला साक्षरता प्रथम नंबर पर है। ट्रांसजेण्डर सर्वेक्षण केरल 2014 से पता चलता है कि सामाजिक और पारिवारिक दबावों के कारण 70-80 प्रतिशत ट्रांसजेंडर लोग विवाहित जीवन में प्रवेश करते हैं, और उनके बच्चे होते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर एक महीने या एक साल के भीतर अलग हो जाते हैं। सर्वेक्षण में यह भी बताया गया कि केरल में 54 प्रतिशत ट्रांसजेंडर लोगों की मासिक आय पांच हजार के आसपास है और केवल 11.6 प्रतिशत के पास नियमित नौकरियाँ हैं। ''केरल में लगभग 90 प्रतिशत ट्रांसजेंडर साथी छात्रों, शिक्षकों और पड़ोसियों और परिवार के ताने के कारण स्कूल छोड़ देते हैं। (3)''

यह रिपोर्ट वास्तव में विचारणीय है कि ट्रांसजेण्डर को समान शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए जिससे उनका जीवन संभल सके। लेकिन सामाजिक स्तर पर या कुछ कठिनाईयां होती हैं, किसी भी परिवार का कोई किन्नर बच्चा अपना घर परिवार समाज के दबाव के कारण ही छोड़ता है जिसमें उसको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने किन्नरों के अधिकारों की रक्षा करते हुए तथा उनके जीवन यापन को ध्यान में रखते हुए पैतृक संपत्ति पर समान अधिकार का प्रस्ताव दिया जिसको केरल राज्य ने सर्वप्रथम लागू करके अपने लैंगिक अल्पसंख्यकों की भावनाओं का ख्याल रखा तथा उनका जीवन सुदृढ़ बनाने का प्रयास भी किया जिसका लाभ अब देखने को मिल भी रहा है।

किन्नरों की स्थिति में बदलाव के प्रयास:

ट्रांसजेण्डर अर्थात् किन्नरों के जीवन में बदलाव की बयार लाने के लिए केरल सरकार ने उनको रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जिसके अन्तर्गत कोच्चि रेलवे स्टेशन में उनको नौकरी भी दी गयी और उनके जीवन स्तर में सुधार आने लगा। इस बहिष्कृत समाज को केरल ने सबसे अधिक सम्मान दिया है।

केरल राज्य में किन्नर समुदाय को मिलने वाली सुविधाएं-

1. केरल देश का पहला राज्य है जिसने 2015 में ट्रांसजेण्डर पॉलिसी घोषित कर कल्याणार्थ योजनाएं प्रारम्भ की।
2. यह पहला राज्य है जहाँ किन्नरों के लिए सौदर्य प्रतियोगिता आयोजित की गई।
3. इस राज्य ने 60 वर्ष से अधिक उम्र के ट्रांसजेण्डर्स को मासिक पेंशन आरम्भ की है।
4. यहाँ सरकारी अस्पतालों में ट्रांसजेण्डर्स का निशुल्क सेक्स परिवर्तन शल्य चिकित्सा की सुविधा है, यह व्यवस्था यहां कोट्टायम मेडिकल कॉलेज में वर्ष 2017 से लागू है।
5. यहाँ स्टेट स्पोर्टस काउंसिल ने पहला राज्य स्तरीय स्पोर्टस मीट आयोजित की।
6. इसी प्रकार देश का प्रथम जेण्डर न्यूटूल फुटबाल लीग 2016 में आयोजित किया गया।

7. कोच्चि मैट्रो में तेइस ट्रांसजेण्डर्स को रोजगार दिया गया। जिसमें 80 प्रतिशत महिला ट्रांस हैं।

8. यह पहला राज्य है जहाँ पिक-अप एण्ड ड्रॉप-सर्विस के अंतर्गत चलने वाली जी टैक्सी के मालिक ट्रांसजेंडर्स हैं।

9. इस राज्य में ट्रांसजेण्डर्स की सुरक्षा के लिए 24 घंटे ट्रांसजेण्डर्स हेल्पलाइन की शुरूआत 2018 में की गई।

10. 'रुचिमुद्रा' केरल में देश का पहला होटल है जिसे ट्रांसजेण्डर्स संचालित करते हैं।

11. केरल राज्य ट्रांसजेण्डर्स न्याय बोर्ड तथा जिला ट्रांसजेण्डर्स न्याय बोर्ड ट्रांसजेण्डर्स को न्यायिक मामलों में सहायता करते हैं।

इसके अतिरिक्त ट्रांसजेण्डर्स को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक गैर सरकारी संस्थाएं कार्य कर रही हैं। केरल राज्य में सामाजिक स्तर पर कई शोध, प्रोजेक्ट, सेमिनार और संगोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं जिससे केरल राज्य के किन्नरों का सामाजिक, धार्मिक और राजनेतिक स्तर को संभाला जा सके।

संदर्भ सूची

1. थर्ड जेण्डर और साहित्य, विकास प्रकाशन, कानपुर, सं. डॉ. एम. फीरोज़ खान पृ. 16
2. navbharattimes.indiatimes.com
3. gimpee- org.tranlate.goog
1. कालरा जी, हिजड़े, भारत की अनूठी ट्रांसजेंडर संस्कृति।
2. वर्ग-बेगर एस सामाजिक कार्य और समाज कल्याण: एक निमंत्रण (चौथा संस्करण) लंदन, यू.के. रूटलेज 2016
3. सिंह एस, दासगुप्ता एस, पाटनकर पी, सिन्हा एमए। भारत में एमएसएम और टीजी समूहों को सामूहिकीकरण नई दिल्ली सेज पब्लिकेशन इंडिया लिमिटेड 2013
4. थर्ड जेण्डर विमर्श बन्द गली से आगे, जी.पी. वर्मा, विकास प्रकाशन कानपुर 2021

अध्याय-13

भरतनाट्यशास्त्र के लिए सूचना प्रणाली का विकास

कीर्ति देवांशी त्रिपाठी
संस्कृत विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
kdtripathi@sanskrit.du.ac.in

आरूषि निगम
संस्कृत विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
anigam@sanskrit.du.ac.in

सुचित्रा भारती
संस्कृत विभाग, गार्गी महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
suchitra.bharti@gargi.du.ac.in

अवधेश प्रताप सिंह
संस्कृत विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
asingh445@gmail.com

सुभाष चन्द्र
संस्कृत विभाग,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
schandra@sanskrit.du.ac.in

भारतीय संस्कृति में नाट्य, नृत्य एवं संगीत का महत्वपूर्ण स्थान है तथा भरतमुनि प्रणीत नाट्यशास्त्र इन सभी तत्त्वों का निर्देशन प्रदान करता है। यह ग्रन्थ भारतीय साहित्य और कला के एक प्रमुख प्रमाण के रूप में प्रतिष्ठित है। नाट्यशास्त्र में नाट्य, रस, रंगमंच के विभिन्न प्रकारों, भावनाओं और अभिनय के नियमों का विस्तृत वर्णन किया गया है (मन्मथनाथ, 2002)। इस ग्रन्थ का मुख्य उद्देश्य भारतीय नृत्य और संगीत की प्रवृत्तियों को समझाना और प्रशिक्षण देना है। नाट्यशास्त्र में भरतमुनि ने नाटक के समस्त तत्त्वों का विवेचन किया है जिसके माध्यम से आधुनिक नाटक एवं अभिनय का विकास हुआ है (काणे, 1961)। इस ग्रन्थ को ही आधार बनाकर परवर्ती रचनाकारों ने नाट्य से सम्बन्धित अन्य ग्रन्थों की रचना की। वर्तमान भारतीय शस्त्रीय नृत्यों का विकास भी नाट्यशास्त्र से ही हुआ है। इस ग्रन्थ में काव्य के प्रमुख तत्त्वों जैसे रस, अलङ्कार का भी वर्णन प्राप्त होता है जिससे यह काव्यशास्त्र का भी निरूपक माना जा सकता है। नाट्यशास्त्र का सबसे महत्त्वपूर्ण योगदान रस स्वरूप का वर्णन है क्योंकि इसी रससूत्र को ही आधार बनाकर सभी काव्यशास्त्रियों ने रस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है तथा आगे यही रस काव्य के आत्मतत्त्व के रूप में प्रतिष्ठित हो गया है। नाट्यशास्त्र का महत्त्व मनोविज्ञान की दृष्टि से भी परिलक्षित होता है क्योंकि इसमें नायक एवं नायिकाओं की विभिन्न अवस्थाओं तथा भावों का अत्यन्त वैज्ञानिक तरीके से वर्णन किया गया है जिससे स्त्री तथा पुरुष के व्यक्तित्व की पहचान उन वर्णित लक्षणों के माध्यम से ही हो जाती है। अतः इससे यह ज्ञात होता है की नाट्यशास्त्र प्राचीन भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति का परिचय प्रदान करते हुए अपने विशद् ज्ञान के भंडार से उस संस्कृति को अवगत कराता है। नाट्यशास्त्र को ही आधार बनाकर वर्तमान सिनेमा जगत का भी विकास हुआ है। वस्तुतः दृश्य काव्य के प्राचीन रूप का उपकारक होने के साथ ही साथ नाट्यशास्त्र आधुनिक दृश्य जगत के रूप में विख्यात भारतीय सिनेमा का भी उपकारक है।

भरतमुनि प्रणीत नाट्यशास्त्र के कुल 36 अध्याय एवं लगभग 6000 श्लोकों में नाट्य से सम्बन्धित समस्त अवधारणाओं का विवेचन प्राप्त होता है (कृष्णमूर्ति, 1992)। इस ग्रन्थ मे 6000 श्लोकों के प्राप्त होने के कारण इसे

'षट्साहस्रीसंहिता' के नाम से भी जाना जाता है। यह ग्रन्थ छन्दोबद्ध है तथा इसके छन्द प्रायः अनुष्टुप छन्द में है। इसमें कुछ स्थानों पर गद्य का भी प्रयोग प्राप्त होता है। इसके प्रथम अध्याय में नाट्यशास्त्र की उत्पत्ति का वर्णन , द्वितीय में नाट्यमण्डप के भेदों का निरूपण, तृतीय में रङ्गदैवत पूजन का विवरण, चतुर्थ में नृत्य के लक्षण तथा भेद का वर्णन, पंचम में पूर्वरङ्ग, षष्ठ में रस का निरूपण, सप्तम में रस के भेद- प्रभेदों का वर्णन, अष्टम में नाट्य के चतुर्विध अभिनय का विवेचन, नवम में हस्ताभिनयों का वर्णन, दशम में शरीराभिनय का वर्णन है इसी प्रकार अन्य प्रमुख तत्त्वों में अलंकार निरूपण, भाषा विधान, नाट्य के दश भेद एवं उपभेदों का निरूपण, वृत्तियों का वर्णन, ताल एवं लय के भेदों का वर्णन, वाद्यों की उत्पत्ति, नाट्य के विविध पात्रों की भूमिकाओं की विवेचना तथा अन्त मे नाट्य का संचार एवं नटवंशों की उत्पत्ति का इतिहास तथा नाट्यशास्त्र के माहात्म्य का वर्णन किया गया है।

नाट्यशास्त्र के तकनीकी शब्द

नाट्यशास्त्र भारतीय नाट्यकला और नृत्यकला का एक प्राचीन ग्रन्थ हैं, जो इन कलाओं के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करने वाले तकनीकी शब्दों से समृद्ध है। इन पारिभाषिक शब्दों के द्वारा ही नाट्य के तत्त्वों को समझने में सहायता प्राप्त होती है। नाट्यशास्त्र के तकनीकी शब्दों में प्रमुख शब्द जैसे रंगभूमि (*raṃgabhūmi*) रङ्ग, रङ्गमञ्च या प्रेक्षागृह को सन्दर्भित करती है, जो किसी प्रदर्शन के लिए आदर्श सेटअप का विवरण देती है जिससे यह ज्ञात होता है कि नाटक के लिए मञ्च कैसा होना चाहिए। अभिनय (*abhinaya*) में चार प्रकार के अभिनय के माध्यम से प्रदर्शन शामिल है वाचिक (मौखिक), आङ्गिक, (शारीरिक), सात्विक (आध्यात्मिक), और आहार्य (वेशभूषा और श्रृङ्गार) जिनमें शारीरिक अंगों, वाणी तथा वस्त्र एवं शृंगार का उत्तम प्रयोग होता है। भव (*bhava*) भाव अथवा भावना को व्यक्त करता है इसमें अहंकार, प्रेम तथा अन्य भावों के द्वारा मानव की मनःस्थिति का ज्ञान होता है। रस (Rasa), प्रदर्शन का सार या स्वाद माना जाता है। यही नाट्य का मुख्य तत्त्व है जिसके माध्यम से दर्शक आनंद की प्राप्ति करते है। विभावों, अनुभावों एवं संचारी भावों के माध्यम से मनुष्य के हृदय में स्थित स्थायी भाव ही रस के रूप में परिणत होता है तत्पश्चात दर्शकों को आनंद प्रदान करता है। नाट्यशास्त्र में इन सभी रस के मुख्य तत्त्वों का वर्णन प्राप्त होता है (पाण्डेय, 2018)। नृत्य (nṛtya) में भावों का अभिनय होता है और जो भावनाओं को प्रदर्शित करता है। इसे शुद्ध नृत्य कहा जाता है। एक अन्य प्रकार का नृत्त होता है जो ताल एवं लय के आश्रित होता है एवं दर्शकों को नाट्य के प्रति हृदयस्थ रहने के लिए प्रेरित करता है। इसे लास्य (कोमल आङ्गिक अभिनय) तथा ताण्डव (उद्धत नृत्य) में विभाजित किया गया है (शर्मा, 2019)। कथानक (kathānaka) कथा, कहानी या आख्यान को इंगित है। यह नाट्य का विषयवस्तु होता है जिससे यह ज्ञात होता है की नाट्य किस व्यक्तिविशेष अथवा घटना पर आधारित है। नट तथा नटी (naṭa-naṭī) अभिनेता या नर्तक, अभिनेत्री या नर्तकी को सन्दर्भित करते हैं। नाट्य को प्रदर्शित करने वाले इन मुख्य पात्रों के अतिरिक्त नाट्य मे सूत्रधार, विदूषक, सेवक आदि पात्र होते है जो उस कथा में जीवंतता लाते हैं। सूत्रधार नाट्य का प्रथम पात्र होता है जो नाट्य को प्रारम्भ करने के लिए भूमिका का निर्माण करता है इसीलिए उसे सूत्रधार कहते है। वह नाटक का परिचय और आधार तैयार करता है। नाट्यसूत्र (nāṭyasūtra) में नाट्य अथवा प्रदर्शनी में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए नियम और निर्देशों का संकलन किया गया है। नाट्य को आकर्षक बनाने के लिए उसमें गीत- संगीत (saṃgīta) आदि का भी प्रयोग होता है। संगीत गीतों, लय, ताल और वाद्ययंत्रों सहित नाटक के आकर्षण को बढ़ाता है (शर्मा, 2019)।

इन पारिभाषिक शब्दों के माध्यम से नाट्यशास्त्र के विविध पहलुओं और तकनीकी बारीकियों को स्पष्ट रूप से समझने में सहायता प्राप्त होती है तथा इन्हीं शब्दों की इस तन्त्र मे खोजशाबज के रूप मे रखा जाएगा जिससे नाट्य के तत्त्वों को अध्येता आसानी से जान सकते है।

समस्या एवं उद्देश्य

वर्तमान समय में विकास के लिए इंटरनेट का उपयोग एक अपरिहार्य आवश्यकता हो गयी है। शिक्षा के क्षेत्र में भी आए डिजीटलीकरण के द्वारा एक अपूर्व प्रगति देखने को मिली है। यद्यपि संस्कृत साहित्य विश्व का श्रेष्ठतम साहित्य है तथापि अन्य विषयों की अपेक्षा संस्कृत के विषयों का ऑनलाइन रूप में उपलब्धता अत्यन्त अल्प ही है। जहाँ इंटरनेट के बढ़ते उपयोग एवं शिक्षाक्षेत्र में इसके प्रसार से व्यक्ति किसी भी विषय का ज्ञान ऑनलाइन पाठ्य की उपलब्धता के द्वारा तुरन्त ही प्राप्त कर लेता है वहीं नाट्यशास्त्र जैसा ग्रन्थ जो की ज्ञान का एक विशाल भण्डार है उसका ऑनलाइन रूप मे प्रसार अल्प ही है क्योंकि इस क्षेत्र में अभी तक बहुत ही कम प्रयास किए गए है जिसके कारण ही नाट्यशास्त्र आज भी केवल पारम्परिक रूप से ही अध्येताओं द्वारा पढ़ा जाता है। वर्तमान समय में इंटरनेट के बढ़ते प्रसार के कारण अध्येता अधिकांशतः ऑनलाइन माध्यमों से ही ज्ञान प्राप्त करना चाहते है और पारम्परिक पुस्तकों के स्थान पर ई- पुस्तकों को अधिक पसंद करते है। अतः वर्तमान समय में बढ़ते हुए इंटरनेट एवं डिजीटलीकरण के प्रभाव के कारण से नाट्यशास्त्र से सम्बन्धित समस्त ज्ञान को प्राप्त कराने के लिये इसके लिये एक ऑनलाइन सूचना प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता दृष्टिगोचर होती है। यह सत्य है कि नाट्यशास्त्र पर बहुत सारी पुस्तकें एवं टीकायें लिखीं जा चुकी हैं परन्तु इसके लिये यदि ऑनलाइन रूप में कार्य उपलब्ध होगा तो इसका प्रसार वैश्विक स्तर पर होगा तथा इसमें वर्णित नाट्य के सिद्धान्तों को समझकर एवं उसका ज्ञान प्राप्त कर वर्तमान समय के दृश्य जगत के नाट्य तथा सिनेमा को और भी विकसित होने का मार्ग प्राप्त होगा अतः इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से इस शोध-पत्र के द्वारा इसके लिए ऑनलाइन सूचना प्रणाली तैयार करने का प्रयास किया गया है जिसमें इस ग्रन्थ के सम्पूर्ण अवधारणाओं को ऑनलाइन उपलब्ध करवाया जायेगा एवं नाट्यशास्त्र के अवधारणाओं को विषयवार रूप में रखा जाएगा तथा सम्पूर्ण श्लोकों के हिन्दी तथा अंग्रेजी अनुवाद भी उपलब्ध रहेंगे। इस तन्त्र द्वारा यदि पाठक केवल किसी एक श्लोक या अवधारणा को जानना चाहता है तो वह भी आसानी से जान सकता है। अतः नाट्यशास्त्र की ऑनलाइन रूप में भी उपलब्धता को सुगम बनाने के उद्देश्य से ही इस शोध को किया जा रहा है तथा इसके द्वारा ऑनलाइन रूप में संस्कृत के क्षेत्र में व्यापक प्रसार होगा।

भरतनाट्यशास्त्र के लिए सूचना प्रणाली का विकास: परिचय

नाट्यशास्त्र के लिए सूचना प्रणाली एक ऑनलाइन सूचना प्रणाली तन्त्र है जिसमें नाट्यशास्त्र से सम्बन्धित समस्त अवधारणाओं को तुरन्त खोजा जा सकता है। यह प्रणाली संस्कृत सङ्गणकीय भाषाविज्ञान (Mitkov, 2004) की तकनीकों का उपयोग करके विकसित की गई है। यह ऑनलाइन प्रणाली दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग द्वारा तैयार की गयी है। इस प्रणाली के लिए नाट्यशास्त्र के सभी श्लोकों को डिजिटाइज किया गया है तथा उनके हिन्दी अनुवाद भी उपलब्ध कराए गए हैं। इस सिस्टम में नाट्यशास्त्र में वर्णित अवधारणाओं को विषयवार रूप में रखा गया है एवं उन विषयों की वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है इसका भी विवेचन किया गया है जिससे केवल

किसी एक विषय का चयन करके उसके बारे में सम्पूर्ण तथ्यों का ज्ञान हो सके। इस सूचना प्रणाली में नाट्यशास्त्र के श्लोक इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक डिजिटल डेटाबेस में संग्रहीत किए गए हैं (Feldman, & Dagan, 1995)। इस डिजिटल डेटाबेस में संग्रहीत होने के कारण नाट्यशास्त्र के श्लोकों को एक्सेस करना, खोजना और संरक्षित करना आसान हो जाता है। इस तन्त्र में नाट्यशास्त्र के सम्पूर्ण श्लोक देवनागरी लिपि में यूटीएफ-8 प्रारूप में अपने सन्दर्भ के साथ संग्रहीत किए गए है। यूटीएफ -8 संस्कृत और हिंदी जैसी भाषाओं के लिए उपयोग की जाने वाला एक वर्ण एन्कोडिंग मानक है जो कंप्यूटर को देवनागरी सहित विभिन्न लेखन प्रणालियों में लिखे गए पाठ का प्रतिनिधित्व और हेरफेर करने की अनुमति देता है। श्लोकों को इस मानक का उपयोग करके डिजिटल रूप से संग्रहीत किया जाता है, जो विभिन्न प्रणालियों और प्लेटफार्मों में संगतता सुनिश्चित करता है।

इसी प्रक्रिया के द्वारा नाट्यशास्त्र के श्लोकों का दत्तांश संग्रह किया गया है, तथा उनमें यदि कोई त्रुटि है तो उसे संशोधित करके डिजिटल रूप से संग्रहीत किया गया है (Anju & Chandra, 2018)। तात्पर्य यह है कि श्लोकों को मूल ग्रन्थों से लिया जाता है तत्पश्चात् सटीकता और त्रुटियों के निवारण के लिए जाँच की जाती है, और फिर एक डिजिटल प्रारूप में संग्रहीत किया जाता है। इस खोज तन्त्र की सम्पूर्ण प्रोग्रामिंग डेटाबेस के ऑनलाइन इंडेक्सिंग की प्रक्रिया पर आधारित है जो यह इंगित करता है कि डेटाबेस के भीतर विशिष्ट श्लोकों को खोजने की सुविधा के लिए एक खोज प्रणाली बनाई गई है। यह सिस्टम खोज के तीन प्रकार उपलब्ध कराता है: कीवर्ड खोज (Olsgaard & Evans, 1981), कॉन्सेप्ट (अवधारणात्कम खोज) एवं वाक्यांश खोज (phrase searching)। यह खोज तन्त्र प्रोग्रामिंग का उपयोग करके बनाया गया है और इंडेक्सिंग पर निर्भर करता है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जहां कीवर्ड या अन्य मेटाडेटा प्रभावी खोज को सक्षम करने के लिए डेटाबेस में प्रत्येक आइटम से जुड़े होते हैं।

नाट्यशास्त्र के लिए सूचना प्रणाली एक वेब आधारित सिस्टम है अतः इसको विकसित करने के लिए वेब तकनीक एवं सर्च के लिए संगणकीय भाषाविज्ञान की सूचना निष्कर्षण की विधियों का प्रयोग किया गया है (Nigam, & Chandra, 2022)। प्रस्तुत सिस्टम अनेकों छोटे-छोटे प्रोग्राम के संयोजन से काम करता है अतः इस सिस्टम के कुछ प्रमुख संघटक है जिनमें यूजर इंटरफेस, प्रीप्रोसेसर, स्क्रिप्ट वैलीडेटर, अवधारणा वैलीडेटर, सूचना जेनरेटर, अर्थ जेनरेटर, व्याख्या जेनरेटर आदि है। यूजर इंटरफेस के माध्यम से यूजर इनपुट प्रदान करता है तथा आउटपुट के रूप में परिणाम भी यहीं प्राप्त होता है। प्रीप्रोसेसर का कार्य है इनपुट का सत्यापन करना उसमें से अतिरिक्त स्पेस या नई लाइन आदि को हटाकर आगे की प्रक्रिया के लिए भेजना है। स्क्रिप्ट वैलीडेटर का कार्य प्रदत्त इनपुट में स्क्रिप्ट की परीक्षा करना है की इनपुट देवनागरी में है या नहीं है। अवधारणा वैलीडेटर का कार्य प्रदत्त इनपुट में अवधारणाओं का पता लगाना है। सूचना जेनरेटर का कार्य प्रदत्त इनपुट के आधार पर नाट्यशास्त्र से सूचनाओं को विकसित करना है। अर्थ जेनरेट एवं व्याख्या जेनरेटर की सहायता से आउटपुट के रूप में प्राप्त श्लोकों का हिन्दी तथा अंग्रेजी अनुवाद तथा व्याख्या निर्मित की जाती है। अंत में आउटपुट जेनरेटर सभी संघटकों से प्राप्त सूचनाओं को यूजर इंटरफेस पर एक विशिष्ट प्रारूप में प्रदर्शित करता है।

प्रस्तावित तन्त्र का वैशिष्ट्य

यह तन्त्र अत्यन्त सरल तरीके से तथा उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया गया है। इस तन्त्र की प्रमुख विशेषताएं (Nigam, & Chandra, 2022) अधोलिखित है -

1. यह तन्त्र सरल नेविगेशन के माध्यम से नाट्यशास्त्र के तथ्यों को खोजने में सहायता प्रदान करता है।
2. इस तन्त्र में खोज के लिए विकल्प के रूप में कीवर्ड, अवधारणा तथा वाक्यांश खोज उपलब्ध है।
3. इस तन्त्र में सम्पूर्ण श्लोकों का अनुवाद हिन्दी तथा अंग्रेजी दो भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है।
4. नाट्यशास्त्र में वर्णित अवधारणाओं को खोजने के लिए ड्रॉपडाउन मेनू का विकल्प भी प्रदान किया गया है।
5. इस तन्त्र के माध्यम से यदि कोई नाट्यशास्त्र के किसी एक अवधारणा को भी खोजना चाहता है तो वह आसानी से मेनू में दिए गए विकल्पों में से अपने चयनित विकल्प का परिणाम तुरन्त प्राप्त कर लेगा इसके लिए उसे सम्पूर्ण ग्रन्थ को पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं होगी।
6. इस तन्त्र में गहन अन्वेषण के लिए मूल श्लोकों का हाइपरलिंक भी दिया गया है जिसके माध्यम से पाठक श्लोकों के मूल अर्थ के ज्ञान के साथ ही यदि उस श्लोक से संबंधित कोई अन्य तथ्य भी है तो उसका भी ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।
7. इस तन्त्र के द्वारा प्रभावी, उत्कृष्ट तथा सटीक सूचना या तथ्यों की प्राप्ति होती है।
8. यह तन्त्र उचित उद्धरणों के माध्यम से सटीक सन्दर्भ सूचकांकों की आपूर्ति करता है।
9. इस तन्त्र में डाउनलोड का भी विकल्प उपलब्ध है।
10. ऑनलाइन माध्यम में होने के कारण इस तन्त्र की पहुँच बहुमुखी रहेगी।

परिचर्चा

वर्तमान वैज्ञानिक युग में इस प्रकार के ऑनलाइन तन्त्र के द्वारा प्राचीन ग्रंथों का डिजिटलीकरण करके उन्हें नवीनता के साथ जोड़ा जा सकता है जिससे उन ग्रन्थों में वर्णित प्राचीन संस्कृति एवं अन्य महत्त्वपूर्ण तथ्यों की गहरी समझ और अन्वेषण की सुविधा प्राप्त होगी (Balakrishnan, & Yogeshwaran, 2018)। यह तन्त्र शैक्षणिक नवाचार के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रदान करेगा। इस प्रकार के सिस्टम की सहायता से डिजिटल उपकरणों के साथ प्राचीन ज्ञान का समायोजन अत्यन्त सहजता से किया जा सकेगा। इस तन्त्र की सहायता से भारत के शैक्षिक परिदृश्य को विशिष्टता प्राप्त होगी। संस्कृत ग्रंथों के डिजिटलीकरण से उनमें वर्णित भारतीय संस्कृति का भी ज्ञान अत्यन्त सहज रूप से प्राप्त किया जा सकेगा जिससे भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण प्राप्त होगा। इस सूचना प्रणाली के माध्यम से संस्कृत के वैश्विक पहुंच को बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में जहाँ अन्य देश ऑनलाइन, एवं डिजिटलीकरण को बढ़ावा देकर अपनी शिक्षा पद्धति को लगातार विकसित कर रहे हैं उसी प्रकार यह सिस्टम भी डिजिटल इंडिया योजना में योगदान प्रदान करेगा तथा भारत की शिक्षा पद्धति को और भी उत्कृष्टता प्रदान करेगा। प्रस्तुत शोध से विकसित नाट्यशास्त्र के लिये सूचना प्रणाली के माध्यम से नाट्यशास्त्र में वर्णित किसी भी अवधारणा अथवा श्लोकों को ऑनलाइन इंडेक्सिंग के माध्यम से खोजा जा सकता है। यह सिस्टम देवनागरी लिपि में इनपुट स्वीकार करता है एवं आउटपुट भी प्रदत्त इनपुट लिपि के अनुसार ही प्रदान करता है। परिणाम में सबसे पहले प्रदत्त इनपुट के लिये प्राप्त श्लोकों की संख्या ,श्लोक ,श्लोक ग्रन्थ के किस भाग से संबंधित है इसका विवरण होता है। प्रत्येक श्लोक में खोजा गया शब्द चिह्नांकित होता है। किसी भी श्लोक के ऊपर कर्सर ले जाने पर उस

श्लोक का हिन्दी तथा अंग्रेजी में अर्थ प्रकट होता है। श्लोक पर क्लिक करने से उस श्लोक की हिन्दी एवं अंग्रेजी व्याख्या प्राप्त की जा सकती है। इस सिस्टम के द्वारा प्राप्त परिणाम बहुत ही सूचनाप्रद है। किसी भी अवधारणा की सम्पूर्ण सूचना मूल श्लोक, हिन्दी एवं अंग्रेजी अनुवाद एवं व्याख्या के साथ प्राप्त होना इसकी उपयोगिता को सिद्ध करता है। यह सिस्टम उपयोगकर्ता के अनुकूल व बहुत असान दृष्टिकोण रखकर बनाई गई है। यह सिस्टम खोज के भिन्न प्रकार उपलब्ध कराता है तथा डिजिटल प्रणाली होने से ऑनलाइन अनुक्रमणिका भी प्रदान करता है। चूँकि यह सिस्टम ऑनलाइन है अतः किसी भी समय इसका प्रयोग किया जा सकता है।

निष्कर्ष एवं भावी शोध संभावनाएं

वर्तमान में यह प्रणाली विकासाधीन है। इस सिस्टम के प्रोटोटाइप का निर्माण कर लिया गया है। यह सिस्टम संस्कृत विभाग ,दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाईट http://cl.sanskrit.du.ac.in पर उपलब्ध है। यह कार्य अभी प्रगति पर है। भविष्य में इस सिस्टम के द्वारा नाट्यशास्त्र के अतिरिक्त अन्य साहित्यिक ग्रंथों को भी डिजिटाइज करने की योजना है एवं इन ग्रंथों से संबंधित किसी भी अवधारणा को इस सिस्टम की सहायता से आसानी से खोजा जा सकेगा। संभवतः यह वेब आधारित प्रणाली शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा संचालित डिजिटल इंडिया योजना एवं नई शिक्षा नीति में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगी। ई-शिक्षण के क्षेत्र में शिक्षकों ,छात्रों एवं विशेष रूप से शोधार्थियों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी।

सन्दर्भ

1. कृष्णमूर्ति, के. (1992). नाट्यशास्त्र. दिल्ली: चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान.
2. काणे, पी. वी. (1961). नाट्यशास्त्र. वाराणसी: चौखम्बा विद्याभवन.
3. दत्त, मन्मथनाथ. (2002). नाट्यशास्त्र. दिल्ली: मोतीलाल बनरसीदास.
4. भट्टाचार्य, रघुनाथ. (2006). भरतमुनि नाट्यशास्त्र. वाराणसी: चौखम्बा विद्याभवन.
5. बाबूलाल शुक्ल 'शास्त्री' (2015). वाराणसी: चौखम्बा संस्कृत संस्थान.
6. पाण्डेय, स. (2018). नाट्यशास्त्र में रूपक और रस सिद्धांत का अनुशीलन. भारतीय नाट्य अकादमी पत्रिका, 34(2).
7. शर्मा, स. (2019). नाट्यशास्त्र में संगीत और नृत्य का महत्त्व. भारतीय कला अध्ययन पत्रिका, 21(4).
8. Anju, & Chandra, S. (2018). Sāṃkhya-yoga darśana paribhāṣā database evaṃ online khoja. Research Review International Journal of Multidisciplinary, 890-894.
9. Balakrishnan, S., & Yogeshwaran, R. (2018). Heritage computing and its impact. Computer Society of India Communications, 6-7.
10. Feldman, R., & Dagan, I. (1995). Knowledge discovery in textual databases (KDT). KDD, 112-117.

11. Mitkov, R. (2004). The Oxford handbook of computational linguistics. Oxford University Press.
12. Nigam, A., & Chandra, S. (2022). Designing an effective digital learning framework for learning Dharmaśāstric knowledge tradition in India. Journal of Xi'an University of Architecture & Technology, 14(7), 609-617.
13. Nigam, A., & Chandra, S. (2022). Digital world of Dharmaśāstric knowledge tradition: An instant information retrieval system for Manusmṛiti. GIS Science Journal, 9(8), 241-249. Retrieved from http://www.gisscience.net/
14. Olsgaard, J. N., & Evans, J. E. (1981). Improving keyword indexing. Journal of the American Society for Information Science, 32(1), 71-72.

अध्याय-14

1857 एवं दशनामी सन्यासी

काव्या
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग,
चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

भारत प्राचीन काल से ही सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व आध्यात्मिक परंपरा का धनी देश रहा है। भारत की समृद्धशाली परंपरा के कारण भारत विश्व में विशेष स्थान रखता है। भारत की इसी परंपरा से आकर्षित होकर विभिन्न संस्कृतियों के व्यक्ति पुरातन काल से ही यहां आते रहे हैं। मध्यकाल में मुस्लिम व आधुनिक काल में भारत की व्यापारिक तथा आर्थिक प्रसिद्धि देखकर यूरोपियों का भारत आगमन हुआ। यूरोपियों का भारत आगमन प्राथमिक रूप से तो व्यापार करना ही था, परंतु भारत की आर्थिक समृद्धि से आकर्षित होकर यूरोपियों का लक्ष्य भारत को लूटने का बन गया। अरबों के आक्रमण से प्रारंभ हुआ यह क्रम अंत में भारत का शोषण करने लगा।

यहां पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि अंग्रेजों द्वारा भारतीय शासन व्यवस्था में जो बदलाव किए जा रहे थे, भारतीय जनता का शोषण किया जा रहा था। तो क्या भारतीय जनता शांति से बैठ कर यह सब देख रही थी? तो भान होता है कि नहीं, भारतीय जनता शांत नहीं थी। 1757 के पश्चात से ही भारत में अंग्रेजी शासन व्यवस्था के विरुद्ध छोटे-बड़े संघर्ष होने लगे थे जिनमें मैदिनीपुर,किसान, चेरो, बनारस मेर ,बुंदेला व संथाल संघर्ष आदि हुए। इन छोटे-छोटे संघर्षों ने भारतीय जनता को स्थानीय स्तर पर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लामबंद करने का प्रयास किया परंतु इनका सीमा क्षेत्र स्थानीय स्तर तक ही था। कोई आंदोलन स्थानीय स्तर पर उठता तथा वह वहीं तक ही सीमित रहता था।स्थानीय स्तर पर यदि कोई आंदोलन होता तो अंग्रेजी सरकार व उनके सहायक उसे दबाने में अपनी पूरी ताकत लगा देते थे। जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता में जागरूकता नहीं आ पा रही थी।

इन्हीं संघर्षों का बृहद रूप में प्रकटीकरण 1857 में देखने को मिलता है।जब समस्त भारतीय जनता ने भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया। 1857 का भारतीय स्वतंत्रता के लिए प्रयास भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मील का पत्थर साबित हुआ जो सम्पूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन की नीव बन गया था।अंग्रेेजों के द्वारा अपनाई गई भेदभाव की नीति यूं तो समस्त भारतीयों पर लागू थी परंतु सेना में इसका और स्पष्ट स्वरूप देखने को मिलता था। इसलिए संघर्ष के स्वर सेना से उठने लगे थे।

अट्ठारह सौ सत्तावन की क्रांति के राजनीतिक ,सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक कारण थे परंतु सेना में चर्बी कारतूस के प्रयोग से इसे संबल प्राप्त हो गया। 1857 के संघर्ष की चिंगारी पहले पहल मेरठ में उठी थी।[1] मेरठ से प्रारंभ होकर इस स्वतंत्रता रूपी यज्ञ की अग्नि दिल्ली तक पहुंच गई, दिल्ली में भारतीय सैनिकों द्वारा मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को उसकी कमान दी गई व अन्य शासकों ने इस क्रांति का अलग-अलग स्थानों पर नेतृत्व किया भारतीय संघर्ष अंग्रेजों के सम्मुख चुनौती बन गया था इसे दबाने के लिए अंग्रेजों द्वारा क्रूरता पूर्वक दमनकारी नीति अपनाई

गई। हजारों भारतीयों की हत्या की गई सैनिकों को फांसी पर चढ़ा दिया गया था अट्ठारह सौ सत्तावन के संघर्ष के संदर्भ में भी दो विचारधाराएं सामने आती है जिनमें

* प्रथम विचारधारा 1857 के संघर्ष को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहती है जिनमें क्रमश: कार्ल मार्क्स व फ्रेडरिक एंगेल्स, वीर सावरकर ,रामविलास शर्मा इत्यादि है।कार्ल मार्क्स व फ्रेंडरिक एंगेल्स ने अपनी पुस्तक 'भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम:1857-1859' में इसे भारतीयों द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किया गया प्रथम संघर्ष कहा है।

* दूसरा संदर्भ अंग्रेजी सरकार तथा अंग्रेजी विद्वानों का है जो 1857 के संघर्ष को सिपाही विद्रोह कहते है।

यद्यपि यह केवल सिपाही विद्रोह नहीं था और न ही यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह जरूर कहा जा सकता है कि अट्ठारह सौ सत्तावन का संघर्ष भारत का राष्ट्रीय स्तर पर किया गया बड़ा संघर्ष था। जिसका प्रभाव दीर्घकालीन था। इससे पूर्व भी भारतीयों द्वारा ब्रिटिश सरकार से निरंतर संघर्ष किए जा रहे थे। जिनका प्रभावी रूप से अध्ययन नहीं किया गया। इन्हीं आंदोलनों में से एक बड़ा आंदोलन सन्यासी आंदोलन भी है।

संघर्ष का कारण

1857 का स्वतंत्रता संघर्ष, जो भारतीय जनता द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के विरुद्ध एक व्यापक संघर्ष था। इसके कई कारण थे, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, और सैन्य विषयों से संबंधित थे।

सामाजिक और आर्थिक कारणों में, ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू की गई नीतियों ने भारतीय किसानों, कारीगरों और व्यापारियों को अलग अलग रूप से प्रभावित किया था। जमींदारी प्रथा व राजस्व संग्रह में बदलावों के कारण किसान बड़ी मात्रा में कर्जदार हो गए थे। इसके अलावा, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों को नष्ट कर दिया था, जिससे भारतीय कारीगर अपनी आजीविका खो बैठे थे।

राजनैतिक कारणों में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने विलयकरण की नीति व सहायक संधि के माध्यम से विभिन्न भारतीय राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। इससे भारतीय रियासतों और उनके शासकों में गहरी असंतोष की भावना उत्पन्न हुई,धार्मिक कारणों में, ब्रिटिश शासन के दौरान धार्मिक मामलों में होने वाले हस्तक्षेप ने हिन्दू और मुसलमान दोनों समुदायों में व्यापक असंतोष और डर पैदा कर दिया था,उस पर धर्मांतरण की गतिविधियों और ईसाई मिशनरियों के कार्यों ने इस असंतोष को और बढ़ावा दिया।

सैन्य कारणों में, ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों के साथ भेदभावप व उनकी धार्मिक भावनाओं का अनादर और उनकी सेवा शर्तों में परिवर्तन शामिल थे। विशेष रूप से, नई बंदूक एनफील्ड P-53 राइफल की कारतूसों को मुंह से खोलना पड़ता था, जिसमें सुअर और गाय की चर्बी का इस्तेमाल होता था,इस घटना ने हिन्दू और मुसलमान सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया था।

इन सभी कारणों के मिश्रण ने 1857 के संघर्ष को जन्म दिया, जो भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के बीच व्यापक असंतोष और ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष की भावना को दर्शाता है। यह विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण घटना साबित हुआ,जिसको दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य संन्यासियों ने किया।

दसनामियों की उत्पत्ति व मान्यताएं

दशनामी संन्यासी, जो दस नामों के एक क्रम के रूप में भी जाना जाता है,जो भारतीय अद्वैत वेदान्तिक परंपरा के एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलू का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस व्यवस्था की उत्पत्ति 8वीं शताब्दी के दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने की थी, जिनका भारतीय दर्शन परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान है।

1. उत्पत्ति और दर्शन:

दशनामी परंपरा की स्थापना भारत में प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के दौरान आदि शंकराचार्य द्वारा की गई थी।[2] शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के समर्थक थे, जो सार्वभौमिक चेतना के साथ व्यक्तिगत आत्मा (व्यष्टि से परमेष्ठी) की एकता पर बल देता है। आदि शंकराचार्य ने अपनी शिक्षाओं का प्रचार करने और वेदांतिक परंपरा को संरक्षित करने के लिए दस पद्धतियों की स्थापना की, इनका नाम शंकराचार्य के शिष्यों को दी गई दस उपाधियों (दशनामी) के नाम पर रखा गया है। दस नाम विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से जुड़े हैं, जिनमें से प्रत्येक भारत के एक विशिष्ट क्षेत्र और वेदांत दर्शन की एक विशेष शाखा से जुड़ा था और इनका उद्देश्य पूरे भारत में शंकर के अनुयायियों के बीच एकता की भावना को बढ़ावा देना था। भगवान शिव को इन संन्यासियों ने आराध्य देव के रूप में माना।

आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित दस संप्रदाय इस प्रकार हैं:

गिरि: पर्वतीय क्षेत्रों, विशेषकर हिमालय से संबद्ध।

पुरी: भारत के पूर्वी तट पर पुरी शहर में स्थित है।

भारती: कर्नाटक के श्रृंगेरी शहर में स्थित,

सरस्वती:इसका मुख्य केन्द्र तमिलनाडु के कांचीपुरम शहर में स्थित है।

तीर्थ: तीर्थयात्रा और आध्यात्मिक यात्रा पर केंद्रित, मुख्य केंद्र गुजरात के द्वारका शहर में है।

आश्रम: तपस्वी प्रथाओं और त्यागमय जीवन शैली पर जोर देना।

वान: वन-निवास और ध्यान पर केंद्रित,

अरण्य: वन क्रम के समान, वन परिवेश में एकांत और ध्यान पर केंद्रित।

पर्वत: पर्वतीय क्षेत्रों, विशेषकर पश्चिमी घाट से संबद्ध।

सागर: नदियों या झीलों जैसे जल निकायों के पास आध्यात्मिक प्रथाओं पर केंद्रित।[3]

प्रत्येक संप्रदाय शंकराचार्य द्वारा भारत के उत्तर,दक्षिण,पूर्व और पश्चिम भाग में स्थापित चार मठों (जोशी मठ उत्तराखंड,श्रृंगेरी मठ कर्नाटक,गोवर्धन मठ पुरी उड़ीसा,शारदा मठ द्वारका,गुजरात) के साथ संबंधित है।[4] दस आदेशों में से प्रत्येक का अपना मठ या आश्रम है, जिसका नेतृत्व एक शंकराचार्य करते हैं जो आध्यात्मिक पथप्रदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। शंकराचार्यों को आदि शंकराचार्य का उत्तराधिकारी माना जाता है और वे शिष्यों के प्रशिक्षण, मठवासी मामलों के प्रशासन और वेदांतिक ज्ञान के प्रचार-प्रसार की देखरेख करते हैं।

दसनामी परंपरा को इन्हीं से संबंधित नागा साधुओं ने और समृद्ध किया,जो योद्धा सन्यासी के रूप में थे, इन योद्धा सन्यासीयों की स्थापना का कारण था कि केवल शास्त्र ज्ञान के आधार पर ही भारत की संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास करने वाली आसुरी वृतियों पर विजय प्राप्त नही की जा सकती। इस प्रकार संन्यासियों की दो धाराएं सामने आई एक जो शास्त्र धारी थे और दूसरे जो शस्त्र धारी। इन्ही शस्त्र धारी संन्यासियों ने भारत की संस्कृति की रक्षार्थ समय समय पर कभी प्रत्यक्ष रूप से व कभी परोक्ष रूप से समाज को संगठित कर प्रयास किए है।भारतीय स्वंत्रता आंदोलन में भी इन संन्यासियों ने भारत की स्वतन्त्रता हेतु महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है।

संघर्ष में संन्यासी

साधारणतया यह माना जाता है कि जो सन्यासी बन जाता है वह संसार से विरक्त हो जाता है उसका समाज व संसार के प्रति कोई कर्तव्य नहीं होता,परंतु 1773 से बंगाल से प्रारंभ हुआ सन्यासी आंदोलन इस धारणा को भंग कर देता हैं जो कालांतर में बिहार व उत्तर प्रदेश तक फैल गया। सन्यासियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध भीषण संघर्ष किया था। 1773 के सन्यासी आंदोलन का वर्णन हमें बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास 'आनंद मठ' में भी मिलता है। जो सन्यासियों के गीत 'वंदे मातरम' के रूप में अमर हो जाता है।[5] बंगाल में पड़े भयंकर अकाल से जनता त्राहि-त्राहि पुकार रही थी ब्रिटिश सरकार के शोषण ने जनता को मरने पर विवश कर दिया। इसी की परिणति स्वरूप सन्यासी सशस्त्र संघर्ष के लिए उठ खड़े हुए थे। इन संयासियों का कर्म, ईश्वर सबकुछ मातृभूमि ही थी। सन्यासी निरंतर समाज की जागृति का कार्य करते रहे व भारतीयों का निरंतर संघर्ष अंग्रेजों से चलता रहा। लगातार कई वर्षो तक इनका सामना अंग्रेजों से होता रहा। इसकी परिणति 1857 के संघर्ष के रूप में प्रकट होती है।

1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य का तेजी से क्षय होने लगा था और अंग्रेजो को अपनी जड़ें जमाने का अवसर प्राप्त हो गया। 1757 के प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दोला को हराकर उसकी जगह अंग्रेजो ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब नियुक्त किया। 1764 में बक्सर के युद्ध में कंपनी की भारी विजय हुई और बंगाल पूर्णतः अंग्रेजो के अधिकार क्षेत्र में आ गया।बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई व कंपनी ने दीवानी कार्य अपने अधीन करके शासन का कार्य नवाब को सौप दिया। यह व्यवस्था 1765 से 1772 तक चलती रही। अंग्रेजो ने अपनी नई आर्थिक नीतियां लागू कर दीं, जिसके कारण भारतीय जमींदार, कृषक व शिल्पकार नष्ट होने लगे।इस दौरान कंपनी ने बंगाल को इतना लूटा कि तीन वर्ष के बाद ही बंगाल में भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा(1769-1770)। खाने को अन्न तक न बचा, लोगों ने एक दूसरे को लूटना आरंभ कर दिया था। अकाल के समय में भी वसूली कठोरता से की गई।

मुर्दों को खाकर लोग अपनी जान बचाने लगे,जिससे किसानों के मन में विद्रोह की भावना जागने लगी।[6] इन सब परिस्थियों का प्रभाव समाज के हर भाग पर पड़ा। उन संन्यासियों पर जिनको समाज से विरक्त माना जाता है। जो सांसारिक मोह बंधन से मुक्त माने जाते है। परंतु ये अपने भरण पोषण के लिए किसानों, गृहस्थों पर ही अवलंबित थे, भारतीय परंपरा में गृहस्थ धर्म को सभी धर्मो का पोषक माना जाता है। किसानों की स्थिति खराब होने से इन पर भी संकट मंडारने लगा था। भूखे किसान व गरीब लोगों की ओर से भी इनको समर्थन मिलता गया ओर यही वह समय था जब बंगाल में इन संन्यासियों ने जनता को 'भारत माता की संतान' रूप में प्रवृत्त करके मुस्लिम शासकों व अंग्रेजो के विरुद्ध लामबंद करना प्रारंभ कर दिया था। "प्लासी और बक्सर के युद्धों में ब्रिटिश पूंजीवादियों को इन नए लुटेरों और उनके समर्थकों से संघर्ष करते पाते है। उनका पहला विद्रोह संन्यासी विद्रोह के नाम से मशहूर है।[7] बंगाल के तत्कालीन गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स ने सन्यासियों को रोकने व उनके आंदोलन को दबाने के लिए भरकस प्रयास किए।[8] यदि यह संन्यासियों का संघर्ष साधारण रहा होता तो यह यहीं समाप्त हो गया होता। इसी का प्रारूप का व्यापक रूप 1857 में देखने को मिलता है।

1857 के संघर्ष का प्रारंभ मेरठ में सेना के द्वारा किया गया था।[9] परंतु इससे पूर्व ही सन्यासी, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी शिष्य परंपरा के व्यक्तियों के साथ मिलकर समाज को अंग्रेजों के साथ संघर्ष करने के लिए लामबंद कर रहे थे। उन्होंने यह कार्य 1855 से ही प्रारंभ कर दिया था स्थान स्थान पर जाकर व्यक्तियों को राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित कर रहे थे। यदि सेना में भी देखे तो भारतीय सैनिकों के परिवार समाज से ही जुड़े हुए थे जो कहीं ना कहीं संन्यासियों से प्रभावित रहा होगा, अपने परिवारों का सैनिकों पर स्पष्ट प्रभाव था व अपने सांस्कृतिक मूल्यों से भी प्रभावित थे। इस प्रकार से तो 1857 की क्रांति कोई सैन्य विद्रोह जैसी प्रतीत नही होती जैसा की अंग्रेजो द्वारा इसे कहा गया था। यदि यह केवल विद्रोह होता तो प्रारंभ होने के कुछ दिन बाद ही समाप्त हो जाता,यह तो एक सुव्यवस्थित ढंग से बनाई गई योजना थी जो लंबे समय तक चली। ऐसा ही एक वर्णन विष्णु भट्ट गोडसे वरसाइकर द्वारा लिखित माझा प्रवास पुस्तक में मिलता है[10] 1857 के समय राजघरानों द्वारा विभिन्न प्रकार के यज्ञ व धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन कराया जा रहा था,जिसमे भाग लेने के लिए भारत के कोने कोने से लोग आ रहे थे। इस प्रकार के आयोजन साधारण न थे, ये क्रांति की सूचनाओं को अलग अलग स्थानों पर पहुंचाने के गुप्त साधन थे। अंग्रेजो द्वारा चर्बी युक्त करतूसो के इस्तेमाल को मना करने के बावजूद भी सैनिकों का असंतोष समाप्त नहीं हुआ। इस यज्ञ की तैयारी तो भारत गुप्त रूप से बहुत पहले से कर रहा था जिसमें भारतीय जनता,संत महात्मा व अनेकों गुप्त सन्यासी जो स्थान-स्थान पर जाकर भारतीय जनता में स्वतंत्रता प्राप्ति के बीज बो रहे थे।[11] मास्जिदो में घोषणा हो रही थी, तो गंगा स्नान के बहाने जनता को स्वतंत्रता युद्ध में सम्मिलित होने के लिये गुप्त उपदेश दिया जा रहा था।[12] इसी प्रकार सेना में असंतोष का कारण केवल चर्बी युक्त कारतूस ही नहीं था। सन्यासियों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जगह जगह महत्वपूर्ण स्थानों पर जाकर सभाएं की-

* जिनमें पहली सभा 1855 के प्रारंभ में ही हरिद्वार के पहाड़ में की। इसमें बहादुर शाह के पुत्र फिरोज शाह, रंग बापू अजीमुल्ला आदि सहित कुल डेढ़ हजार लोग उपस्थित हुए थे।[13]

* दूसरी सभा उसी साल अक्टूबर में गढ़ गंगा जी मेले में गढ़मुक्तेश्वर में हुई थी। इस सभा में ढाई हजार लोग उपस्थित थे। स्वामी संपूर्णानंद इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और साईं फकरुदीन इसके उपाध्यक्ष थे।[14]

* 1855 में ही तीसरी सभा फिर से हरिद्वार में की गई थी इसे भी स्वामी पूर्णानंद ने आयोजित किया था। इसमें 565 साधु उपस्थित थे जिनमें 195 मुसलमान साधु थे।[15]

संन्यासियों ने इन बड़े स्थानों का चयन जनता को जागरूक करने में किया जहां बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन हो ओर सरकार को संदेह भी न हो, हरिद्वार का महत्व सनातन परंपरा की धार्मिक नगरी के कारण अत्यधिक था,प्रतिदिन हजारों की संख्या में पूरे भारत से लोग यहां आते थे ओर कुंभ के समय यह संख्या ओर बढ़ जाती थी। ऐसे में सन्यासियों द्वारा यहां आयोजित सभा अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। गढ़ गंगा जी में कार्तिक मास में लगने वाले मेले में भी प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में लोग स्नान करने जाते थे ओर यह स्थान मेरठ के अत्यधिक निकट होने के कारण यहां की जनता को लामबंद करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान था। ऐसे ही एक स्थान का चयन मथुरा के रूप में किया गया। मथुरा भगवान श्री कृष्ण व 23 वें जैन तीर्थंकर नेमीनाथ की जन्मस्थली होने के कारण दोनो के लिए महत्वपूर्ण स्थान था। कुषाण काल से ही मथुरा की पहचान व्यापारिक नगर के रूप में बनने लगी थी,यमुना नदी के जल ने इसके लिए परिवाहक का कार्य किया,मथुरा तक लोगो की पहुंच आसान थी। 1856 में मथुरा के जंगल में एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता स्वामी विरजानंद ने की थी,इसमें सभी धर्म के लोगों ने भाग लिया था।स्वामी जी को इस सभा में पालकी में बैठकर लाया गया व सभी उपस्थित लोगो ने स्वामी जी का अभिनंदन किया।रामविलास शर्मा ने अपनी पुस्तक स्वाधीनता संग्राम बदलते परिप्रेक्ष्य में मौलवी जहीर अहमद के हवाले से स्वामी विरजानंद व दयानंद की उपस्तिथि का वर्णन भी इन सभाओं में किया है।[16] इन सभाओं द्वारा यह ज्ञात होता है कि यह सन्यासी जिनमें जाति,धर्म का भेद न था, यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जनता को देश के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। यह सन्यासी मातृभूमि के प्रति पूर्णतया समर्पित भाव रखते थे। गुरु शिष्य परंपरा की पीडिया इस स्वतन्त्रता संघर्ष में भाग ले रही थीं 1857 के समय स्वामी ओमानंद की आयु 160 वर्ष,स्वामी पूर्णानंद 110 वर्ष व विरजानंद 79 वर्ष के थे[17] इनके लिए ईश्वर का साक्षात स्वरूप देश ही था।पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन्होंने जनता को अंग्रेजों के विरुद्ध लामबंद किया। 1857 की क्रांति के रूप में इसका प्रकृटीकरण दिखा। क्रांति का प्रारंभ पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुआ जिसने राष्ट्रीय स्तर पर बृहद रूप धारण कर लिया था। इस प्रकार प्रतीत होता है कि मेरठ से स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ होने का एकमेव कारण चर्बीयुक्त कारतूस ही न थे। संन्यासियों द्वारा वृहद स्तर पर जागरूक किए जाने के कारण यहां क्रांति का वातावरण पहले ही तैयार हो चुका था। सिपाहियों द्वारा इस क्रांति रुपी बम को चिंगारी दे दी गई थी। क्रांति के असफलता के पश्चात इन सन्यासियों ने इस परिवर्तन व प्रेरणा को सामाजिक राह पर मोड़ दिया।

1875 में जब आर्य समाज की स्थापना हुई तो यह उसके 10 वर्ष पहले का ही समय था जब कांग्रेस की स्थापना ए. ओ. ह्युम द्वारा कराई गई थी। इस प्रकार यह ध्यान में आता है कि सन्यासी आंदोलन द्वारा लामबंदी की पृष्ठभूमि पूर्व में ही तैयार करा दी गई थी व 1885 से ही भारत राजनीतिक रूप से लामबंद हो चुका था।

संदर्भ सूची -

1. जिला गजेटियर मेरठ - पृष्ठ संख्या- 43
2. सर जदुनाथ सरकार, ए हिस्ट्री ऑफ दसनामी नागा सन्यासिस, ज्ञान पब्लिशिंग हाउस दिल्ली, पृ. 50
3. 3.तदैव
4. तदैव
5. बंकिम चंद्र चटर्जी, 'आनंदमठ', प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, 2014, पृष्ठ संख्या- 29
6. तदैव
7. राम विलास शर्मा, सन सत्तावन की राज्य क्रांति व मार्क्सवाद, लोकभारती प्रकाशन,1990, पृ.164
8. अंटोनोवा, ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया, 1979, पृ०29
9. जिला गजेटियर मेरठ - पृष्ठ संख्या- 43
10. विष्णु भट्ट गोडशे वरसाइकर,' माझा प्रवास ', हिंदी अनुवाद - आंखों देखा गदर, अनुवादक - अमृतलाल नागर, राजपाल एंड संस, दिल्ली, 2015, पृष्ठ संख्या - 13
11. विनायक दामोदर सावरकर,' 1857 का स्वतंत्रय समर ',प्रभात पेपरबैक्स, नई दिल्ली,2020, पृष्ठ संख्या - 83
12. तदैव
13. तदैव
14. तदैव
15. तदैव
16. तदैव
17. तदैव

अध्याय-15

तकनीकी केन्द्रित शिक्षा ही है देश का भविष्य!!!

गौरव सिंह
शिक्षक शिक्षा विभाग
हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय,
महेंद्रगढ़ (हरियाणा)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 ने भारत में तकनीकी केन्द्रित शिक्षा की दिशा में अभूतपूर्व मार्गदर्शन प्रदान किया है। हम सब को ये स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं हो सकती है कि तकनीकीकरण के इस दौर में शिक्षा अछूती नहीं है। शिक्षा में तकनीकी का प्रयोग कोई नयी बात नहीं है, पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जिस प्रकार तकनीकी के आधारित हस्तक्षेप की परिकल्पना प्रस्तुत की गयी है, वह इस ओर स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि भविष्य में भारत की शिक्षा व्यवस्था प्रत्येक स्तर पर या तकनीकी केन्द्रित होने जा रही है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि देश में तेज गति से हुए बिद्युतीकरण, इन्टरनेट की गति और पहुँच में सुधार और इस पर होने वाले प्रति व्यक्ति खर्च में आ रही निरंतर कमी ने आज 'डिजिटल इंडिया' के सपने को साकार रूप दिया है। जिस तेजी से बिगत ५ वर्षों में विद्यालय शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक सूचना सम्प्रेषण तकनीकी आधारित नए-नए प्रयोग और नवाचार सामने आये हैं। नयी शिक्षा नीति ने उस दिशा में और तेज़ी से आगे जाने की बात कही गयी है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) के मूलभूत सिद्धांतों में ही तकनीकी की भूमिका को रेखांकित करते हुए स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "शिक्षण और अधिगम**,** भाषाई अवरोधों को दूर करने**,** दिव्यांग विद्यार्थियों तक पहुँच ब**ढ़ाने,** तथा शैक्षणिक नियोजन और प्रबंधन में तकनीकी के यथासंभव उपयोग पर जोर" दिया जायेगा (पृष्ठ 7)। पूरी शिक्षा नीति में लगभग 50 स्थानों पर तकनीकी सम्बन्धी चर्चा और प्रावधानों का उल्लेख है जो ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भविष्य की शिक्षा (चाहे वह विद्यालयी शिक्षा हो या विश्वविद्यालयी) में तकनीकी हस्तक्षेपों को हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने स्वीकार भी किया है और मार्ग भी प्रशस्त किया है।

भारतीय भाषाओँ को प्रोत्साहन में तकनीकी की भूमिका:

भारत जैसे बहु-भाषी देश में प्रचुर साहित्य उपलब्ध है जो न केवल देशज भाषाओँ में हैं, वरन प्रत्येक भाषा में उत्कृष्ट रूप से पाया जाता है। स्थानीय कारणों और अच्छे अनुवाद न हो पाने के कारण देश के सभी भागों तक ऐसे देशज ज्ञान, परंपरा और साहित्य की पहुँच नहीं हो पाती। इस कमी को दूर करने में तकनीकी अपनी भूमिका निभा सकती है। नीति के बिंदु **2.8** में यह प्रावधान है कि सभी स्तर के शिक्षार्थियों के लिए तथा पुस्तकालयों में सभी भारतीय और स्थानीय भाषाओँ में दिलचस्प और प्रेरणादायक बाल साहित्य और बड़ी मात्रा में पुस्तकें उपलब्ध करायी जाएँ और अनुवाद के लिए तकनीकी मदद ली जाये, साथ ही यह भी कहा गया है कि डिजिटल पुस्कालय स्थापित किये जाएँ। भारत सरकार ने 10 फरवरी, 2024 की राष्ट्रीय-ई-पुस्तकालय, देश को समर्पित किया, जो इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

विगत कुछ वर्षों में सरकार ने अनुवाद के क्षेत्र में तकनीकी की मदद से बहुत सारे प्रयोग किये है, वर्तमान में स्वयं पोर्टल पर उपलब्ध पाठ्यक्रमों व उनके विडियो स्क्रिप्ट का ८ भारतीय भाषाओँ में अनुवाद इस दिशा में एक सार्थक

पहल है। वर्तमान में अनुवादिनी और भाषिणी एप्प बहुभाषी शिक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में एक नया प्रयास है।

नीति के खंड चार के बिंदु 13 में विविध भाषाओँ में शिक्षण-अधिगम और भाषा-अधिगम को लोकप्रिय बनाने के लिए तकनीकी के प्रचुर प्रयोग का प्रतिवेदन किया गया है। इसी खंड में बिंदु 17 के अंतर्गत संस्कृत सहित भारत की अन्य प्राचीन भाषाओं और साहित्य को प्रोत्साहन देने तथा विद्यालयों में एक विकल्प के रूप में इनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन मॉडयूल के प्रयोग को प्रस्तावित किया गया है।

उपर्युक्त प्रावधान यह इंगित करते हैं कि नीति निर्माता इस बात को लेकर पूर्णतः आशावान हैं कि भारतीय परंपरा, भाषा और संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और प्रोत्साहन में तकनीकी की महत्वपूर्ण भूमिका है।

अवरोधों को दूर करने में तकनीकी का प्रयोग:

वंचित वर्गों (दिव्यांग, बालिकाएं और महिलाएं, दूर-दराज में रहने वाले बच्चे, आदि) तक शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करना, जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों में वृद्धि के लिए तकनीकी माध्यित पाठ्यक्रमों को प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कराना और कक्षा-कक्ष शिक्षण-अधिगम में तकनीकी के प्रयोग से गुणवत्तापूर्ण शिक्षण अधिगम सामग्री उपलब्ध कराना, और साथ-साथ शैक्षिक नियोजन, प्रशासन और प्रबंधन में तकनीकी के प्रयोग पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में बल दिया गया है।

तकनीकी-आधारित आधारभूत ढांचे का विकास

राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्माता इस बात से भी सहमत है कि तकनीकी की शिक्षण-अधिगम में भूमिका के साथ तब-तक न्याय नहीं हो सकता जब तक कि तकनीकी-आधारित आधारभूत ढांचे को मजबूत न किया जाये। इस दिशा में सरकार अलग-अलग स्तरों पर कार्य कर रही है. 2017 में घोषित ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल थी जिसके माध्यम से देश के प्रत्येक प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्थान में डिजिटल क्लासरूम की स्थापना को गति दी गयी।

नीति के पूर्व घोषित प्रारूप (2019) में ग्रामीण अंचलों में विद्यालयों और महाविद्यालयों के विद्युतीकरण, उपकरणों की उपलब्धता, प्रभावी इन्टरनेट संपर्क की उपलब्धता और उपकरणों के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था पर सरकार की ओर से पर्याप्त निवेश की सलाह दी गयी है। यद्यपि इसमें स्थानीय स्तर पर फ़ेलोशिप के माध्यम से आईटी स्टाफ को रखने की जो सलाह दी गयी है, उस पर प्रश्न उठ सकते हैं। विगत अनुभव भी बताते हैं कि विभिन्न योजनाओं में विद्यालयों को तो तकनीकी उपकरण पूर्व में उपलब्ध कराये गए, अधिकांश स्थानों पर बाद में वो अनुपयोगी ही रहे और उनका स्थान कक्षा न होकर या तो विद्यालय का भंडारघर था या ग्राम-प्रधान या प्रधानाचार्य का घर. इस ओर पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता होगी।

पूर्व में आई प्रस्तावित नीति रूपरेखा (2019) में वर्तमान व्यवस्था से एक महत्वपूर्ण विचलन "कम कीमत वाले व्यक्तिगत उपकरणों (personal devices) की उपलब्धता" बढ़ाना है जो तकनीकी आधारित शिक्षा में महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। और साथ ही इन व्यक्तिगत उपकरणों का प्रयोग शैक्षिक संस्थानों में आवश्यक है, अभी तक अधिकांश शैक्षिक संस्थानों में व्यक्तिगत उपकरणों का प्रयोग वर्जित है और बच्चों को संस्थानिक उपकरणों पर ही कार्य करने की अनुमति दी जाती है। इनको वर्जित करने के पीछे बहुत से नैतिक और अनुशासनात्मक कारण हैं, परन्तु यदि नीति का यह प्रस्ताव लागू होता है तो भले ही सरकार इस पर संस्थानिक खर्च को कम कर ले पर इसके दूरगामी परिणामों

पर चिंतन करने की आवश्यकता है, इससे बेहतर यह होता कि नीति एक निश्चित समयावधि में सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रति छात्र प्रतिदिन कम से कम एक कालांश के लिए एक उपकरण की उपलब्धता संस्थान स्तर पर सुनिश्चित करती।

आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 15 अगस्त, 2020 को की गयी उद्घोषणा, जिसमें 1000 दिनों के भीतर प्रत्येक ग्रामपंचायत तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क सुनिश्चित करने का प्रावधान है, भी इस आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक अच्छा कदम है। शिक्षा नीति में भी कहा गया है कि एक बार सभी घरों/विद्यालयों में इन्टरनेट कनेक्टेड स्मार्ट फ़ोन/टेबलेट की उपलब्धता सुनिश्चित होने के बाद ऐसे ऑनलाइन एप्प विकसित किये जाएँ जो क्विज, प्रतियोगिता, आकलन, उत्कृष्ट सामग्री और ऑनलाइन समुदाय को विकसित करें। विद्यालयों में स्मार्ट क्लास विकसित हों, और धीरे-धीरे डिजिटल शिक्षण-शास्त्र के प्रयोग, ऑनलाइन सामग्री के प्रयोग और सहयोग से शिक्षण-अधिगम को मजबूत बनाया जा सके।

मुक्त एवं दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षा:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को पढ़ते हुए मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) से जुड़े एक कथन पर नजर ठहरती है, कि "ओडीएल और ऑनलाइन शिक्षा**,** गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए एक प्राकृतिक मार्ग प्रदान करता है ***(12.5)*** ।" सम्भवतः पहली बार देश की किसी शिक्षा-नीति ने मुक्त और दूरस्थ शिक्षा की प्रासंगिकता को इतने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है। पूरी नीति में जहाँ-जहाँ भी मुक्त और दूरस्थ शिक्षा की उपयोगिता को रेखांकित किया गया है, लगभग सभी स्थानों में इससे उच्चतम गुणवत्ता सुनिश्चित करने और बदलते परिदृश्य के अनुरूप खुद को नए रंग-रूप में ढाल कर देश में शिक्षा के विकास में सक्रिय और सकारात्मक योगदान की अपेक्षा की गयी है।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मुक्त और दूरस्थ शिक्षा की पहली बड़ी भूमिका की ओर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बिंदु 5.23 में शिक्षक शिक्षा के अन्तर्गत इंगित किया गया है। वर्षों से सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण और प्रशिक्षित शिक्षकों के सेवा-कालीन प्रबोधन में इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान ने अतुलनीय योगदान दिया है। एक बार पुनः दूरदराज के शिक्षार्थियों और सेवारत शिक्षकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने की अपेक्षा मुक्त और दूरस्थ शिक्षा से की गयी और साथ ही अन्य बहुत से संस्थानों को ऐसे पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के अवसर देने की ओर इशारा किया गया है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती शिक्षक-शिक्षा के पाठ्यक्रमों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने की होगी।

इसके बाद बिंदु 10.10 में मुक्त और दूरस्थ शिक्षा से सकल नामांकन के लक्ष्य को प्राप्त करने और शाश्वत विकास के लक्ष्य-2030 को सफलतापूर्वक अर्जित करने में भी योगदान की अपेक्षा की गयी है।

उच्च-गुणवता वाले ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का विकास

शिक्षा के श्रेष्ठ संस्थानों से उच्च-गुणवता वाले ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को विकसित करने के लिए कहा गया है और साथ ही देश के अन्य श्रेष्ठ संस्थानों को भी इस दिशा में कार्य करने के लिए प्रक्रियागत परिवर्तन प्रारम्भ कर दिए गए है। ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को परंपरागत पाठ्यक्रमों के साथ मिश्रित (blended) रूप से भी बढ़ावा देने की चर्चा इसी बिंदु में की गयी है। इसका अर्थ यह है कि वर्षों से मुक्त और दूरस्थ शिक्षा में एकाधिकार रखने वाली संस्थाओं को अब देश की अन्य श्रेष्ठ संस्थाओं से पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता, शिक्षार्थी सहायता सेवाओं और नयी तकनीकी के

अपनाने में कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार होना होगा। अपने पाठ्यक्रमों को समय की मांग के अनुरूप बदलना होगा और शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार नए-नए पाठ्यक्रम तैयार करने होंगे।

बिंदु 11.7 में इंगित किया गया है कि भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृति को बढ़ावा देने वाले विषयों में सभी स्नातक स्तर के शिक्षार्थियों को अध्ययन के अवसर उपलब्ध कराने में मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से पाठ्यक्रमों को पूरा करने पर क्रेडिट दिए जायेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि मुक्त और दूरस्थ शिक्षा संस्थानों को अपने प्रचलित पाठ्यक्रमों के साथ विभिन्न विषयक्षेत्रों में भारतीय ज्ञान परम्परा से जुड़े नए-नए कम क्रेडिट वाले पाठ्यक्रमों को विकसित करने की दिशा में कार्य प्रारम्भ कर देना चाहिए।

बिंदु में विस्तार से मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के भविष्य पर प्रकाश डाला गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि मुक्त और दूरस्थ शिक्षा को गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए प्रसार करना है और इसके लिए नियम, मानक और समुचित दिशा निर्देश निर्धारित किये जायेंगे जो सभी उच्चशिक्षा संस्थानों को एक रूपरेखा के रूप में उपलब्ध कराये जायेंगे।

बिंदु 12.6 में मुक्त और दूरस्थ शिक्षा, ऑनलाइन और परंपरागत शिक्षा को वैश्विक गुणवत्ता मानदंडों के समतुल्य बनाये जाने की अपेक्षा की गयी है, अर्थात सभी स्वरूपों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उच्च-मानदण्ड निर्धारित भी करने होंगे और उन्हें समय-बद्ध तरीके से प्राप्त भी करना होगा। गुणवत्ता एक विषद विचार है। मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता का अर्थ मात्र पाठ्यक्रमों और पाठ्यसामग्री की गुणवत्ता तक सीमित नहीं है। वरन इसमें सहायता सेवाओं, परीक्षा और अन्य सभी जुड़े क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तन भी अपेक्षित है। अब समय आ गया है कि मुक्त और दूरस्थ शिक्षा से जुड़े संस्थान और व्यक्ति प्रयोगधर्मी बने, नए-नए प्रतिमानों का अध्ययन और व्यस्थापन करें और ऑनलाइन शिक्षा की ओर कदम बढ़ाते हुए समय से कदम-ताल मिलाएं। यदि अभी भी किसी संस्थान में परम्परा की ओट में जड़ता रह गयी, तो वह समय की दौड़ में बहुत पीछे छूट जायेगा।

मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के लिए एक और बड़ा अवसर, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के क्षेत्र में बिंदु 16.5 में इंगित किया गया है। भारतीय लोक कलाओं के विकास और नयी पीढ़ी को उनमें पारंगत बनाने के लिए मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने के अवसर तलाशने को कहा गया है। यदि हम इसमें सफल हो पाए तो न केवल देश की लुप्तप्राय हस्तकलाओं और देशज ज्ञान को संजीवनी दे पाएंगे वरन मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के लिए एक नए कार्य-क्षेत्र का मार्ग भी प्रशस्त होगा।

मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के भविष्य के रूप में ऑनलाइन शिक्षा

यही नहीं, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के भविष्य को इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऑनलाइन शिक्षा के रूप में रेखांकित किया गया है। अतः अब परम्परागत मुक्त और दूरस्थ शिक्षा को अपने पुराने चोले को धीरे धीरे त्यागकर ऑनलाइन शिक्षा रुपी नए कलेवर में ढलना होगा। ऑनलाइन शिक्षा न केवल परम्परागत विषयों में शिक्षा के नए अवसर खोलेगी वरन कभी भी कहीं से भी गुणवत्तायुक्त पाठ्यक्रम पूरा करने की स्वतंत्रता और अवसर प्रत्येक विद्यार्थी को उपलब्ध कराएगी। सबसे बड़ी चुनौती इस नए कलेवर के लिए खुद को तैयार करने और सबसे पहले कदम बढ़ाने की है। वह युग समाप्ति की ओर है जब कुछ संस्थान यह समझते थे कि मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पर केवल उसकी विशेषज्ञता और एकाधिकार है। नए नए संस्थान अब आगे आ रहे हैं और देश के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों को मिलने वाली अनुमति इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को और बढ़ाएगी।

सतत वृत्तिक विकास

चुनौतियाँ तो हैं, पर अवसर उससे ज्यादा हैं। एक नया और बहुत बड़ा क्षेत्र शिक्षकों के सतत वृत्तिक विकास का है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये प्रावधान है कि सभी विद्यालयी शिक्षक प्रतिवर्ष 50 या उससे अधिक घंटों का सतत वृत्तिक विकास का पाठ्यक्रम दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से पूरा करेंगे। एक अनुमान के अनुसार देश में लगभग 90 लाख से अधिक शिक्षक प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत हैं, इनमे से सभी को प्रतिवर्ष सतत वृत्तिक विकास के पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना किसी भी एक संस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, ऐसे में यदि इग्नू जैसे अनुभवी संस्थान अपने देशव्यापी नेटवर्क की मदद से राज्यसरकारों का सहयोग करें और उनकी जरूरतों को जानकार उनके विद्यालयों के अध्यापकों लिए छोटे छोटे 1 या 2 क्रेडिट के पाठ्यक्रम तैयार कर दें, तो एक लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो सकता है।

ऐसे ही एक और नया अवसर शोधार्थियों को शिक्षण शास्त्र का प्रशिक्षण प्रदान करने के क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बिंदु 15.9 में यह प्रस्ताव है कि प्रत्येक पीएच. डी. करने वाला शोधार्थी (चाहे वह किसी भी विषय का हो,) को अपने शोध काल के दौराम अपने शोध के मूल विषय से जुड़ा शिक्षणशास्त्र का क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम पूरा करना होगा। इग्नू जैसे राष्ट्रीय संस्थाओं को तत्काल इस दिशा में कार्य प्रारम्भ कर देना चाहिए और सभी मुख्य विषय क्षेत्रों में 2-4 क्रेडिट का शिक्षणशास्त्र का आदर्श मानक पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए और देश के सभी विश्वविद्यालयों के शोधार्थियों को ऑनलाइन पाठ्यक्रम के रूप में उपलब्ध कराना चाहिए।

ऑनलाइन शिक्षा में नए प्रयोगों को प्रोत्साहन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बिंदु 24.4 (अ) में इग्नू, एन.सी.ई.आर.टी. तथा कुछ अन्य संस्थाओं से अपेक्षा की गयी है कि ऑनलाइन शिक्षा से जुड़े विविध प्रारूपों, इ-विषयवस्तु के स्वरूपों, प्रक्रियाओं और अध्ययन विधियों पर वे संक्षिप्त प्रयोग (पायलट स्टडी) करें और उसके परिणामों के आधार पर देश में शिक्षा-तंत्र में आवश्यक सुधारों में योगदान करें। मुक्त और दूरस्थ शिक्षा में अपनी विशेषज्ञता सिद्ध कर चुके संस्थान होने के नाते इग्नू को इस दिशा में प्रयोग प्रारम्भ कर देने चाहिए। इस दिशा में होने वाले अध्ययन, शोध और संक्षिप्त प्रयोग न केवल संस्थागत विकास में योगदान करेंगे वरन समय की गति को पहचानकर उसके अनुरूप स्वयं में परिवर्तन के मार्ग भी प्रशस्त करेंगे।

भारत का अपना **MOOC: SWAYAM** (स्वयं)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में SWAYAM, क्लाउड कंप्यूटिंग, वर्चुअल लैबोरेट्रीज, आदि के विस्तार और Free and Open Source Software पर आधारित व्यवस्थाओं, स्वयंप्रभा (डी-टी-एच आधारित 34 शैक्षणिक टेलीविज़न चैनल) को प्रोत्साहित करने की बात कई स्थानों पर की गयी है। इसके लिए रूचि रखने वाले संकाय सदस्यों को प्रोत्साहित करने की बात भी सुझाई गयी है, जो एक अच्छा सुझाव है। जब पूरा विश्व तकनीकी और सैटेलाइट की मदद से अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ चुका हो, MOOCs ने जन -जन तक अपनी पहचान बना ली हो, मुक्त शैक्षिक संसाधन उच्च शिक्षा में नित नए आयाम जोड़ रहे हों, तो भारत पीछे क्यों रहे? इस प्रश्न का उत्तर खोजा गया ‘ **SWAYAM** - स्वयं’ के रूप में।

तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो अब शिक्षा मंत्रालय है, में इस बात पर गहन चिन्तन हुआ, कि भारत किस प्रकार तकनीकी की मदद से अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित कर सकता है? और, कैसे तकनीकी और इन्टरनेट इसमें सहायक हो सकते हैं? तकनीकी शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा से जुडी सभी राष्ट्रीय संस्थाओं को

एक साथ लाकर एक रूपरेखा पर चर्चा की गयी और उदय हुआ भारत के अपने ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफार्म **SWAYAM** का, जिसका उद्देश्य है उन उर्जावान, अपेक्षाओं से भरे युवा मस्तिष्कों को बेव आधारित अध्ययन के अवसर प्रदान करना, जिन तक अभी६ इनकी पहुँच नहीं हो पाई है। भारत सरकार का ऑनलाइन शिक्षा का अपना प्लेटफार्म **SWAYAM** विगत वर्षों में करोणों युवाओं (फरवरी, 2024 तक लगभग चार करोंड़) तक अपनी पहुँच बना चुका है। ऐसा नहीं है कि **SWAYAM** ऑनलाइन शिक्षा का पहला प्रयास है पर इससे पहले के प्रयास या तो किसी संस्था विशेष तक सीमित रहे या विषय विशेष तक। उन प्रयासों की पहुँच भी किसी संस्थान विशेष से जुड़े कुछ ही युवा विद्यार्थियों तक ही सीमित रही। पर 'स्वयं' एक ऐसे सार्वजानिक विकल्प के रूप में उभरा है जिस पर सभी के लिए कोई न कोई पाठ्यक्रम उपलब्ध है, अब तक लगभग 3600 से अधिक ऐसे ऑनलाइन पाठ्यक्रम इस प्लेटफार्म पर आ चुकें हैं, जिनमें सीखने के लिए खुलापन है, कभी भी प्रवेश लेने की सुविधा। अधिकांश पाठ्यक्रम सभी के लिए निःशुल्क उपलब्ध है अर्थात जिसमें भी सीखने की चाह है, उसके लिए असीमित अवसर. भारत में उच्च शिक्षा में जब भी नवाचारों की बात होगी, स्वयं का उसमे एक अलग स्थान रहेगा।

टेलीविजन के माध्यम से हर-घर तक शिक्षा का प्रकाश: 'स्वयंप्रभा'

तकनीकी और इन्टरनेट की प्रसार से इ-लर्निंग जैसे नए आयाम भी जुड़े हैं पर शिक्षा की पहुँच इसका एक पक्ष और शैक्षिक सामग्री की गुणवत्ता इसका दूसरा पक्ष. आज भी देश के विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पर्याप्त संख्या में अच्छे शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो पायी है, और न ही दूर-दराज तक इन्टरनेट की प्रभावी पहुँच बन पायी है। बड़े शहरों की अपेक्षा कस्बों और गांवों में पढ़ रहे करोंड़ों युवाओं तक शिक्षा की पहुँच बनाना अभी तक एक सपना भले लगता हो, पर वर्तमान सरकार में इस दिशा में कई नवीन पहलें कीं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण पहल है "स्वयंप्रभा": **34** डायरेक्ट-टू-होम शैक्षिक टेलीविज़न चैनलों का समूह।

09 जुलाई, 2017 को गुरु पूर्णिमा के दिन इन चैनलों को तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय द्वारा इन चैनलों को राष्ट्र को समर्पित किया गया। अब उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इन चैनलों की संख्या 60 हो चुकी है, और इसके साथ की 2020 में प्रारंभ "एक-कक्षा-एक चैनल" प्रधानमंत्री इ-विद्या योजना के अंतर्गत विद्यालयी शिक्षा को समर्पित 12 चैनलों की सफलता ने अन इनकी संख्या को 200 चैनलों तक पंहुचा दिया है।

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि भारत की शिक्षा को 21वीं में उन्नति के मार्ग पर ले जाने में ऑनलाइन शिक्षा को एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। देश के युवाओं को नयी चुनौतियों के लिए तैयार करना है तथा राष्ट्रीय और वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपना उल्लेखनीय योगदान भी सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को लेकर वर्तमान उल्लास और उत्साह इसके लिए प्रोत्साहन भी दे रहा है और अवसर भी, हम सब मिलकर इस अवसर का लाभ उठायें और शिक्षा के अभ्यासी होने के नाते अपना योगदान भी दें।

संदर्भ सूची

1. मानव संसाधन विकास मंत्रालय (२०१९). नयी शिक्षा नीति का प्रारूप, https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/Draft_NEP_2019_EN_Revised.pdf

2. मानव संसाधन विकास मंत्रालय (२०२०). राष्ट्रीय शिक्षा नीति, https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf
3. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/PR_ODB.pdf
4. https://www.businesstoday.in/current/economy-politics/independence-day-2020-pm-modi-speech-key-highlights/story/413030.html
5. https://swayam.gov.in/
6. https://www.swayamprabha.gov.in/

अध्याय-16

भारत का अमृत काल: प्रधानमंत्री के 'पंच प्रण' संकल्प पर आधारित एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

सागर जोशी
शेध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग,
हे. न. ब. गढवाल विश्वविद्यालय,
श्रीनगर गढवाल (उत्तराखण्ड)

एम. एम. सेमवाल
प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग,
हे. न. ब. गढवाल विश्वविद्यालय,
श्रीनगर गढवाल (उत्तराखण्ड)

किसी भी देश की सभ्यता एवं संस्कृति उसके समाज की आत्मा होती है। भारत विश्व की प्राचीनतम एवं महानतम सभ्यताओं में से एक है। भारतीय संस्कृति विश्व में सबसे पहले अस्तित्व में आने वाली एवं मानव जगत की उत्तपत्ति व विकास का वैज्ञानिक प्रमाण देने वाली रही है। भारत का इतिहास सदैव से ही गौरवशाली रहा है। भारतवर्ष वैदिक काल से ही अपने दिव्य ज्ञान, ऋषि, संत, दार्शनिक, विद्वान व महान शासकों के लिए प्रसिद्ध रहा है।[1] आदि काल से ही भारत मानव व मानवता की श्रंखला में सुसंस्कृत, सभ्य और एक उन्नत भू-लोक रहा है।

बावजूद इसके हजारों सालों तक भारत बाहरी शक्तियों के अधीन भी रहा। बाहरी आक्रांताओं ने भारत की सभ्यता, संस्कृति, शिक्षा और समाज को बहुत हानि पहुंचायी। भारत के लोगों ने इनकी क्रूरता, अत्याचार, कुप्रशासन को झेला और सहा है। भारत की उदारता, सहिष्णुता और 'अतिथि देवो भव' जैसे आदर्शों का इस्तेमाल कर बाहरी आक्रांताओं ने इसका अनुचित लाभ उठाया। इसी के चलते भारत को लम्बे समय तक गुलामी का दंश झेलना पड़ा।

गुलामी के इस दंश ने भारतीय लोगों के मानस पटल को इस कदर प्रभावित किया कि आज भी लोग इससे बाहर नहीं आ पाए हैं। अपनी ही संस्कृति को लोग हेय दृष्टि से देखने लगते हैं। कठिन एवं लम्बे प्रयासों के बाद, अनेक क्रांतिकारियों के बलिदानों और महान स्वतंत्रता सेनानियों के पुरूषार्थ के बल पर भारत ने 15 अगस्त 1947 को आजादी प्राप्त की। आजादी के समय भारत अनेक कठिनाइयों एवं चुनौतियों से घिरा हुआ था। ब्रिटिश शासन ने स्वतंत्र भारत को गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा, बेरोजगारी, रक्तरंजित विभाजन का दंश, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव एवं लचर अर्थव्यवस्था को तोहफ़े के रूप में सौंपा था। ऐसे में भारत को अनेक चुनौतियों एवं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था आजादी के बाद से ही भारत अपनी खोई हुई अस्मिता, अपने वैभवशाली इतिहास, जगत गुरु का जो सम्मान भारत को प्राप्त था उसे प्राप्त करने को निरंतर प्रयासरत है।[2]

आज भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रभुत्व सम्पन्न लोकतांत्रिक गणराज्य एवं सबसे बड़ा लिखित संविधान वाला देश है। भारत भौगोलिक दृष्टि से विश्व का सातवां एवं जनसंख्या में पहला स्थान रखता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को लोकतंत्र की जननी कहा है। भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और विश्व में तीव्र गति से विकास की राह पर अग्रसर है। यह भारत की विकास नीतियों, वैश्विक समुदाय के साथ वैचारिक तालमेल, विश्वसनीयता, अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण में ठोस नीतियों और रणनीतियों पर कार्य करने की प्रतिबद्धताओं का ही परिणाम है।

वर्ष 2014 में 30 सालों बाद भारत में पूर्ण बहुमत की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी। एक स्थिर सरकार त्वरित निर्णयों, नीतियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में बिना किसी दबाव के कार्य करने में सक्षम होती है। मोदी सरकार ने इसी का भरपूर लाभ उठाया और अनेक अविश्वसनीय साहसिक कदम उठाए। 2014 से पूर्व जहां भारत की साख एक कमजोर अर्थव्यवस्था के रूप में विश्व के समक्ष थी वहीं आज भारत एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। विश्व के अनेक देशों को हैरान करते हुए आज पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में विश्व के समक्ष है। यह त्वरित निर्णय, ठोस रणनीति, अंतर्राष्ट्रीय जगत में विश्वास, सटीक विदेश नीति, विश्व के साथ वैचारिक तालमेल का परिणाम है।

कोरोना काल में जब सम्पूर्ण विश्व संकट के मोड़ पर खड़ा था तब भरत ने आगे आकर अन्य राष्ट्रों को औषधि भेजकर सहायता प्रदान की। भारत आज समस्त विश्व के कल्याण एवं उत्थान के बारे में सोचकर भारतीय संसकृति एवं धर्म का अनुपालन करते हुए वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ विश्व का मार्गदर्शन कर रहा है। भारत द्वारा जी-20 की अध्यक्षता करना जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है।

भारत आजादी के 76 वर्ष पूर्ण कर चुका है। भारत जब आजादी का 100 वें वर्ष में प्रवेश करेगा, एक विकसित राष्ट्र विश्व के समक्ष होगा। प्रधानमंत्री ने आगामी वर्षों यानी 2047 तक के काल को ‘अमृत काल‘ की संज्ञा दी है। प्रधानमंत्री द्वारा इसी अमृत काल में भारत को एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा करने हेतु अपने ‘पंच प्रण‘ के महत्वकांक्षी लक्ष्य को चरितार्थ करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है। आज भारत के पास दुनिया का सबसे युवा और सबसे कुशल कार्यबल है इसका भरपूर लाभ उठाकर ‘पंच प्रण‘ लक्ष्यों को प्राप्त करके देश को बदलने की बड़ी चुनौती को प्राप्त किया जा सकता है।

अमृत काल:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार 2021 में, 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान ‘अमृत काल‘ शब्द को प्रयोग में लाया। अमृत काल शब्द की उत्पत्ति वैदिक ज्योतिष में हुई है। अमृत काल को एक ऐसे महत्वपूर्ण काल के रूप में देखा जाता है जब अमानवीय, देवदूतों और मनुष्यों के लिए अधिक आनंद के द्वार खुलते हैं। नए कार्य शुरू करने के लिए अमृत काल सबसे अच्छा और शुभ समय माना जाता है। भारत 1947 में आजाद हुआ था और उसने 2022 में आजाद देश के रूप में 75 साल की यात्रा पूरी कर ली। सरकार की ओर से अगले 25 साल के कालखंड को ‘‘अमृत काल’’ का नाम दिया गया है। भारत का अमृत काल आगामी 25 वर्षों, यानी 2047 तक उन उद्देश्यों एवं संकल्पों को पूरा करने का कालखण्ड है, जो भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित करने हेतु प्रतिबद्धित करता है। प्रधानमंत्री ने इस कालखंड को ‘‘कड़ी मेहनत, त्याग और तपस्या की पराकाष्ठा‘‘ बताते हुए कहा कि सैकड़ों वर्षों की गुलामी में हमारे समाज ने जो खोया है, उसे वापस पाने के लिए यह 25 वर्षों का कालखंड बहुत महत्वपूर्ण है। अमृत काल का उद्देश्य भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाना और गांवों और शहरों के बीच विकास की खाई को पाटना है। इसका उद्देश्य नवीनतम तकनीक और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना और सार्वजनिक जीवन में सरकारी हस्तक्षेप को कम करना भी है।[3]

हर गांव में सड़कें, प्रत्येक परिवार के पास बैंक खाता, हर पात्र व्यक्ति के पास स्वास्थ्य बीमा कार्ड, गैस कनेक्शन के साथ विकास की संतृप्ति और 100 फीसदी उपलब्धियां हों। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री ने अमृत काल के इस सुअवसर को चुना है।

प्रधानमंत्री के 'पंच प्रण' संकल्प:

प्रधानमंत्री ने कहा, ''जब सपने बड़े होते हैं, जब संकल्प बड़े होते हैं तब पुरुषार्थ भी बहुत बड़ा होता है। शक्ति भी बहुत बड़ी मात्रा में जुट जाती है।'' पंच प्रणों की प्रेरणा से जो ऊर्जा निकलेगी, वो हमारे देश को वो ऊंचाई देगी, जिसका वो हमेशा से हकदार रहा है। 2047 की यात्रा के लिए हममें से प्रत्येक को आगे आना होगा एवं शासन की संस्थाओं को अपनी भूमिका प्रभावी बनानी होगी। आने वाले 25 साल के लिए हमें उन पंच प्रण पर अपनी शक्ति को केंद्रित करना होगा।[4]

प्रधानमंत्री ने विकसित भारत को पहला प्रण बताया और कहा कि इससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। विकास की ओर तीव्र गति से अग्रसर भारत ने अनेक सुधारात्मक कदम उठाए हैं जो विकसित भारत की मजबूत बुनियाद का काम कर रही है। 48 करोड़ लोगों के जन-धन खातों का खुलना, उज्जवला योजना के तहत साढ़े 9 करोड़ गैस कनेक्शन का वितरण, साढ़े 3 करोड़ घरों को बिजली से रोशन करना, 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण, 10 करोड़ से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि से लाभान्वित करना, पीएम आवास योजना के तहत तीन करोड़ से अधिक गरीबों को घर देना, 12 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचना, देश में लगभग 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ प्राप्त होना आदि ऐसे अभूतपूर्व परिवर्तनकारी कदम सरकार द्वारा उठाए गए है जो विकसित राष्ट्र की नीव को मजबूत करता है।[5] साथ ही विकास को गति देने के लिए मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम एक इंजन के रूप में कार्य कर रहे है जो विकसित राष्ट्र के संकल्प को पूरा करने में सहायक सिद्ध हो रहे है।

दूसरा प्रण गुलामी की हर सोच से मुक्ति पाने को कहा। गुलामी की सोच ने कई विकृतियां पैदा कर रखी हैं, इसलिए गुलामी की सोच से मुक्ति पानी ही होगी। गुलामी से भी ज्यादा गुलामी के प्रतीक अत्यंत पीड़ादायक होते हैं। गुलामी के प्रतीक का नामकरण हमारे स्वाभिमान को कमजोर करने वाले होते हैं। क्रूर आक्रांताओं और लुटेरों द्वारा दिए गए नाम भी गुलामी का प्रतीक है। गुलामी का एक भी अंश अगर अब भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना है। देश को गुलामी की जंजीरों में बांधने वालों से मुक्ति पाने के लिए शहीदों ने संघर्ष करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देश को आजादी दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद देश में उपनिवेशवाद के सभी प्रतीकों को बदला जा रहा है। आजादी से अब तक 21 राज्यों के नाम बदले गए हैं। औपनिवेशिक विरासत एवं प्रतीक चिन्हों को हटाने और उसकी जगह परंपरागत भारतीय मूल्यों और सोच को लागू करने की कवायद जारी है।[6] अंग्रेजों ने 200 साल राज किया और मुगलों ने अपने शासन काल में बहुत अत्याचार किए। मंदिर ध्वस्त किए, महिलाओं पर अत्याचार किए, पौराणिक स्थलों के नाम बदलकर अपने समय के लोगों के नाम पर रखा। हमारी सभ्यता और संस्कृति को मिटाने का भरपूर दुस्साहस किया गया। आज की पीढ़ी को भारत के सामर्थ्य और शक्ति

का अहसास दिलाना बहुत जरूरी है ताकि भावी पीढ़ी पर किसी तरह की हीन भावना न आए। ऐसी वृत्ति हमारे संकल्पों को मजबूत करती है।[7]

तीसरा प्रण प्रधानमंत्री ने विरासत पर गर्व करने को बताया और कहा कि यही वह विरासत है जिसने भारत को स्वर्णिम काल दिया है। भारतीय संस्कृति भारत की एक विरासत है इसमें धर्म, अध्यात्मवाद, ललित कलाएं, ज्ञान विज्ञान की विविध विधाएं, नीति, दर्शन, विधि, विधान, जीवन प्रणालियां और समस्त क्रियाएं और कार्य हैं जो उसे महान बनाती है। देश की समृद्ध विरासत और संस्कृति नागरिकों के लिए प्रेरणा का एक अपूरणीय स्रोत है, जो बृहत रूप से भारत की वैश्विक सांस्कृतिक पहचान को परिभाषित करती है।[8] भारत विभिन्न प्रकार के समुदायों, रीति-रिवाजों, परंपराओं, धर्मों, संस्कृतियों, आस्थाओं, भाषाओं, जातियों, और सामाजिक व्यवस्था का एक अनूठा संगम है। ऐतिहासिक स्थल, प्राचीन धर्म ग्रंथ, आयुर्वेद तथा योग भारत की ऐसी अनमोल धरोहर है जिसने सदैव विश्व को अपनी ओर आकर्षित किया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-51A में कहा गया है कि हमारी संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और उसे संरक्षित करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों एवं पुरातात्विक स्थलों तथा राष्ट्रीय महत्व के अवशेषों के संरक्षण, पुरातात्विक खुदाई के विनियमन और मूर्तियों, नक्काशी एवं ऐसी वस्तुओं के संरक्षण हेतु 'प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और अधिनियम, 1958' संसद द्वारा पारित किया गया है।[9]

चौथा प्रण एकता और एकजुटता है। एकता, एकजुटता एवं सहअस्तित्व का भाव होना किसी भी सभ्य समाज अथवा समूह के अस्तित्व एवं अस्मिता की बुनियादी शर्त है। किसी राष्ट्र की शक्ति उसकी एकता एवं अखंडता पर ही निर्भर करती है। 'भारत प्रथम' की भावना ही हमारी एकता एवं एकजुटता के लिए एकमात्र पैमाना है। सामाजिक एकता, समरसता, समावेशी संस्कृति आदि से ही सकारात्मक माहौल तैयार होता है। सामाजिक समानता एकता की आधारशिला है। समानता की भावना ही एकजुटता की नींव रखती है। सांस्कृतिक एकता, संविधान, क्षेत्रीय निरंतरता, आम आर्थिक आवश्यकताएं, कला, साहित्य, राष्ट्रीय त्योहार, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय प्रतीक आदि राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने वाले कारक है।[10] सामाजिक समरसता के साथ-साथ समता एवं ममता, कर्तव्य एवं अधिकार के साथ-साथ आत्मीयता, धन-बल के साथ-साथ सादगी एवं करुणा, सतत विकास हेतु प्रकृति के समस्त घटकों के प्रति साहचर्य आदि राष्ट्र नव-निर्माण में प्राचीन स्तंभ का कार्य करते हैं। 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत', 'मेक इन इंडिया', 'स्वच्छ भारत अभियान' 'वोकल फार लोकल', 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' इत्यादि राष्ट्र की एकता और एकजुटता को प्रदर्शित करने वाले कारक है। देश के सर्वसमावेशी इतिहास, संस्कृति एवं नियति को संरक्षित, संवर्द्धित और भविष्य को सुरक्षित करने हेतु सामाजिक एकता एवं एकजुटता सुनिश्चित करना अपरिहार्य है।[11]

पांचवां प्रण नागरिकों के कर्तव्य को बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कर्तव्य पालन करने का अर्थ है किसी दूसरे के अधिकारों की रक्षा करना, यदि सरकार अपने कर्तव्यों का पालन करती है तो नागरिकों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा और उन्हे सड़कों पर उतर कर आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। अनावश्यक आंदोलनों से जो ऊर्जा और समय नष्ट होता है वह बच जायेगा। इस प्रकार एक कर्तव्यनिष्ठ सरकार नागरिकों के

अधिकारों की रक्षा करती है। नागरिकों के भी राष्ट्र के प्रति कुछ कर्तव्य होते है जिनमें प्रकृति एवं पर्यावरण की रक्षा करना, राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करना, राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान का भाव रखना, अपनी संस्कृति के साथ साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना आदि प्रमुख है। राष्ट्र निर्माण में नागरिकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यदि नागरिक ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है तो वहां की राजनीतिक सत्ता और प्रशासनिक मशीनरियों के निष्क्रिय एवं भ्रष्ट होने की संभावना बनी रहती है जो राष्ट्र की अवनति का कारण बनती है। राष्ट्र की उन्नति और विकास की जिम्मेदारी जितनी सरकार की है उससे कहीं अधिक जिम्मेदारी नागरिकों के अपने कर्तव्य निर्वहन एवं सक्रियता को प्रदर्शित करने की है। हमारे सामूहिक संकल्प, सुनियोजित कार्य योजनाओं और दृढ़ प्रयासों से ही विचारों को कार्यों में परिणत किया जा सकता है। इस विषय के तहत कार्यक्रमों में संविधान दिवस, सुशासन सप्ताह आदि जैसी पहल शामिल है।

अमृत काल में भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाले महत्वपूर्ण कारक:

आज भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अगले 25 वर्षों में 26 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्रधानमन्त्री द्वारा निर्धारित किया गया है। जिसे अमृत काल में पूरा करने का संकल्प लिया है। आज विश्व भारत की तरफ गर्व से देख रहा है, उसे अपेक्षा से देख रहा है तथा समस्याओं का समाधान भारत की धरती पर खोजने लगा है। अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में वित्तीय समावेशन की दिशा में भारत ने महत्वपूर्ण कदम उठाए है जिनमे मोबाइल बैंकिंग का विस्तार, बैंकिंग कॉरेस्पोंड योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना आदि प्रमुख है।[12] वित्तीय समावेशन से सरकार को सब्सिडी तथा कल्याणकारी कार्यक्रमों में अंतराल एवं हेरा-फेरी पर रोक लगाने में भी मदद मिलती है, क्योंकि इससे उत्पादों पर सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में अंतरित कर सकती है।

राष्ट्र के विकास मे शिक्षा की बहुत बडी भूमिका होती है। शिक्षा, मानव संसाधन विकास का सार है, जो देश के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने को संतुलित करने में महत्वपूर्ण और उपचारात्मक भूमिका निभाती है। भारत के नागरिक इसके सबसे मूल्यवान संसाधन है, ऐसे में एक अरब से अधिक जनसंख्या वाले युवा देश को अपने नागरिकों को बेहतर गुणवत्ता वाला जीवन देने के लिए मौलिक शिक्षा के रूप में विकास और देखभाल की आवश्यकता है जोकि शिक्षा की मजबूत नींव से ही संभव है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नई खोजों, नए ज्ञान, नवाचार एवं उद्यमिता का आधार है जो व्यक्ति के साथ-साथ देश के विकास एवं समृद्धि की शुरुआत करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, बदलते परिवेश एवं भावी चुनौतियों को दृष्टिगत रखते हुए सुसंस्कृत एवं सुशिक्षित मानव संसाधन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन करेगी।[13]

सहकारिता, अर्थव्यवस्था के मजबूत आधार स्तम्भ में से एक है; सरकार ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना बनाई है। कृषि लोन लक्ष्य 20 लाख करोड़ रुपए किया गया है। बुनियादी ढांचे पर 10 लाख करोड़ का अभूतपूर्व निवेश भारत के विकास को नई ऊर्जा और गति दे रहा है। अमृत काल का बजट भारत के टिकाऊ भविष्य के लिए हरित अर्थव्यवस्था, हरित विकास और हरित अवसंरचना विकास के साथ-साथ हरित रोजगार को भी अभूतपूर्व विस्तार देगा।

विकसित भारत का उद्देश्य महिलाओं के पुरूषार्थ के बिना असंभव है। जब महिलाएं समृद्ध होती है तो राष्ट्र समृद्ध होता है। महिलाओं का सशक्तिकरण विकास को गति देता है तथा उन्हें सशक्त बनाने का सबसे प्रभावी तरीका महिला नीति विकासात्मक दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा तक महिलाओं की पहुंच वैश्विक प्रगति को बढ़ावा देती है। महिलाओं का नेतृत्व समावेशिता को बढ़ाता है तथा सकारात्मक बदलावों के लिए प्रेरित करती है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत करीब 70 फीसद कर्ज महिलाओं को दिए गए हैं। स्टैंडअप इंडिया कार्यक्रम की लाभार्थी 80 फीसद महिलाएं हैं। जोकि विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर भारत के लिए शुभ संकेत है।

निष्कर्ष एवं सुझाव:

प्रधानमंत्री के पंच प्रण एक दूसरे से घनिष्टता से जुडे हुए है। जहां पहला संकल्प भारत के उद्देश्य को स्पष्ट करता है वहीं दूसरा संकल्प उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मानसिक रूप से खुद को तैयार करने पर जोर देता है। तीसरा संकल्प विरासत पर गर्व करने को बताता है, संस्कृति और विरासत हमारे आत्म गौरव को ऊंचा करती है जो नई ऊर्जा का संचार कर उद्देश्य प्राप्ति में एक ईंधन का काम करती है। चौथा प्रण बड़े सपने और बड़े लक्ष्य को चरितार्थ करने के लिए एकता और एकजुटता के साथ कार्य करने पर बल देता है। एकता और एकजुटता को एक उत्तम नीति समझी जाती है और यह असीम बल प्रदान करता है इस प्रकार उद्देश्य को प्राप्त करने में एकता और एकजुटता 'पावर हाउस' के रूप में काम करता है। अंततः कर्तव्य और कर्म ही हमे अपने परम उद्देश्यों की सिद्धि को प्राप्त करने में सहायक होती है। उद्देश्यों को साकार करने में कर्तव्यों का बड़ा महत्व है। पांचवां प्रण नागरिकों के कर्तव्य को बताया है जिसके बिना बाकी सभी संकल्प निरर्थक हो जाते है। इस प्रकार प्रत्येक प्रण अन्तरसंबन्धित है और महत्वपूर्ण है।

अर्थव्यवस्था के सुदृढिकरण हेतु सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि भारत में जिन उत्पादों का निर्माण किया जा रहा है वे आम भारतीयों की क्रय क्षमता के अनुकूल हों, ताकि देश को पूरा लाभ हो सके। इसके साथ ही निवेशकों के लिए सुरक्षा का माहौल तैयार करना होगा। प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने की क्षमता को विकसित करना होगा, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं से जन-धन की अत्यधिक हानी होती है जो विकास कार्यें को प्रभावित कर अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव डालती है। धार्मिक उन्माद पर सख्ती से कार्यवाही करना होगा। जाति, वंशवाद और तुष्टिकरण की राजनीति से परहेज करना होगा। भ्रष्टाचार पर सख्त कानून बनाना होगा। ये ऐसे विषय है यदि इन पर ध्यान न दिया जायेगा तो हम अपने उद्देश्यों से भटक जायेंगे और उसकी पुर्ति कर पाना बहुत मुश्किल होगा।

संदर्भ सूची

1. गैरोला, जितेन्द्र. (2022) राष्ट्रीय एकीकरण एवं वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता, देवभूमि विचार मंच प्रकाशन, पृ.1

2. जोशी, सागर. एवं कुसुम, (2023). स्वतंत्र भारत में विकास नीति एवं सुशान के प्रभाव का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन, ज्योतिर्वेद-प्रस्थानम्, 12(2), पृ. 174

3. गोस्वामी, डि. (2023, फरवरी 1). व्हाट ईस् अमृत काल दट निर्मला सितारामन रिपिटएडली मेन्शन्ड इन बजट स्पीच. इंडिया टूडै.https://www.indiatoday.in/india/story/amrit-kaal-nirmala-sitharaman-budget-2023-narendra-modi-2329026-2023-02-01)

4. धवल. (2022, नवम्बर 14). *भारत के 'अमृत काल' हेतु 'पंच प्रण' का संकल्प –डॉ. शाम प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेश*. https://spmrf.org/bharat-ke-amrit-kaal-liy-p/

5. झा, प्रभात, (जून 2023). संपादक, कमल संदेश पाक्षिक पत्रिका, पृ. 19

6. चोपड़ा, के. (2022, सितमबर 10). *अपनी विरासत पर गर्व है.* पंजाब केसरी. https://www.punjabkesari.com/editorial/proud-of-our-heritage-/

7. गुप्ता, एन. (2013, फरवरी 15). भारत की विरासत संस्कृति. जागरण . https://www.jagran.com/spiritual/religion-culture-heritage-of-india-10934.html

8. तिवारी, आ. (2023, फरवरी 28). *भारत की राष्ट्रीय एकता में क्या -क्या अड़चन*. ब्यजूस . https://byjus.com/ias-hindi/what-are-the-factors-affecting-national-integration-in-hindi/

9. तिवारी, आ. (2022, सितमबर 17). भारतीय ज्ञान मीमांसा में अंतर्निहित एकता एवं एकजुटता के शास्वत सूत्र . जागरण . https://www.jagran.com/lifestyle/miscellaneous-eternal-formula-of-unity-and-solidarity-embedded-in-indian-epistemology-23077155.html

10. दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे, (दिसंबर 2018), मासिक पत्रिका, दृष्टि पब्लिकेशन, मुखर्जी नगर, दिल्ली, पृ. 56.

11. भारत 2022, न्यू मीडिया विंग, सूचना प्रसारण मंत्रालय भारता सरकार, लोधी रोड, नई दिल्ली, पृ. 357.

12. खुराना ललित, (मार्च 2023), संपादक, कुरुक्षेत्र मासिक पत्रिका, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली, पृ. 4.

13. संपादकीय) .2023, अगस्त 5). समृद्ध दुनिया में महिलाएं. *Http://Www.Rashtriyasahara.Com/Epaper/1/71/2023-08-05/1*.

अध्याय-17

ईरान की हाइब्रिड युद्ध नीति

प्रकाश जांगिड़
जूनियर रिसर्च फैलो,
राजनीति विज्ञान विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय

चीनी सैन्य रणनीतिकार और दार्शनिक सून त्ज़ू ने अपनी किताब 'द आर्ट ऑफ वॉर' में कहा है की, 'सबसे बड़ी जीत वह है जिसके लिए युद्ध की आवश्यकता नहीं है'। हालाँकि, मानव जाति के पूरे इतिहास में युद्ध अनेक स्तरों पर मौजूद रहा है। शांति और संघर्ष के अनगिनत अवसरों के बाद भी, युद्ध हमेशा विकसित होता रहा है। पिछले दो दशकों में, नवाचार की इस प्रक्रिया ने 'हाइब्रिड वारफेयर'/'हाइब्रिड युद्ध' की एक नई और जटिल घटना को जन्म दिया है जो वैश्विक-सामरिक अस्थिरता की पृष्ठभूमि के खिलाफ है।

सर्वप्रथम हाइब्रिड युद्ध को एक अवधारणा के रूप में वर्णित किया गया था। वही 2000 के दशक के मध्य में आधुनिक युद्ध के तौर पर हाइब्रिड युद्ध नीति का वर्णन पहली बार सामने आया। हालाँकि, इसने धीरे-धीरे लोकप्रियता हासिल की और आज यह राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ-साथ सरकारों की राजनीतिक चर्चा में व्यापक रूप से उपयोग मे लाया जा रहा है।

हाइब्रिड युद्ध में अभिनेताओं के पास दुश्मन को भ्रमित करने और सामरिक लाभ हासिल करने के लिए आवश्यकतानुसार अपने सैनिकों को एकीकृत या फैलाने की क्षमता होती है क्योंकि वे परंपरागत और अपरंपरागत युद्ध के "बक्से" के बीच स्थित होते हैं।

2014 में क्रीमिया पर रूसी आक्रमण और यूक्रेन में चल रहे संघर्ष हाइब्रिड युद्ध में प्रगति का प्रतिनिधित्व करते हैं। दक्षिणी लेबनान में इजराइल-हिज्बुल्लाह के बीच 2006 का चौतीस दिन का युद्ध, हाइब्रिड युद्ध के आधुनिक उदाहरणों में से एक था। जहा ईरान समर्थित हिज्बुल्लाह ने गुरिल्लाओं और नियमित सैनिकों से बने विकेन्द्रीकृत समूह का इस्तेमाल किया, जो एंटी टैंक मिसाइलों, रॉकेटों, ड्रोन और उन्नत विस्फोटक उपकरणों जैसे हथियारों से लैस थे (हॉफमैन, 2007)। युद्ध में हिजबुल्लाह ने बढ़त बनाते हुए इजरायली हेलीकॉप्टरों को मार गिराया, मर्कवा टैंकों को क्षतिग्रस्त कर दिया, वही एन्क्रिप्टेड सेल फोन के साथ संचार एवं नाइट विजन और थर्मल इमेजिंग उपकरणों के इस्तेमाल से इजरायली सैनिकों की गतिविधियों पर नजर रखता रहा (लैम्बेथ, 2011)।

नॉन-स्टेट एक्टर द्वारा हाइब्रिड युद्ध का मामला 2014 में देखा गया था जब इस्लामिक स्टेट ने इराक और सीरिया के आधे से ज्यादा भाग पर कब्जा कर लिया था। इस्लामिक स्टेट ने मोसुल के 2014 के अधिग्रहण के बाद बहुस्तरीय हाइब्रिड युद्ध को लागू किया। जैक्स एलुल ने इस्लामिक स्टेट वारफेयर को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया है- रणनीतिक और सामरिक। सामरिक स्तर व्यक्तिगत रूप से अलग और अपेक्षाकृत कम प्रभाव वाला था, लेकिन संचयी रूप से

प्रभावी और दूरगामी था। जबकि सामरिक स्तर प्रांतीय फीचर फिल्मों और नेतृत्व बयानों के रूप में अनियमित, आंदोलनकारी और सक्रिय था। उन्होंने पारंपरिक युद्ध विधियों के नियमित उपयोग के साथ आतंकवाद, शहरी गुरिल्ला युद्ध, सूचना-मनोवैज्ञानिक युद्ध की शाखा पद्धति को प्रभावी ढंग से लागू किया।

हाइब्रिड युद्ध का सिद्धांत

हाइब्रिड युद्ध के अपने आप में विभिन्न नाम हैं जैसे कि संकर खतरे, संकर प्रभाव, संकर विरोधी या पांचवीं पीढ़ी का युद्ध, जो इस अवधारणा को जटिल बनाता है। वर्तमान में हाइब्रिड युद्ध की कोई सामान्य रूप से स्वीकृत परिभाषा नहीं है।

विलियम जे. नेमेथ का 2002 का लेख 'फ्यूचर वॉर एंड चेचन्याः ए केस फॉर हाइब्रिड वारफेयर', में पहली बार हाइब्रिड वारफेयर शब्द की परिकल्पना की थी। नेमेथ के अनुसार, हाइब्रिड युद्ध गुरिल्ला युद्ध का समकालीन रूप है, और पूर्व-राज्य युद्ध की निरंतरता है जो अधिक प्रभावी हो गया है क्योंकि यह आधुनिक तकनीक और आधुनिक लामबंदी विधियों दोनों को नियोजित करता है। फ्रैंक जी. हॉफमैन ने 2007 में पहली बार हाइब्रिड युद्ध को परिभाषित करने का प्रयास किया, जबकि नेमेथ की हाइब्रिड युद्ध की अवधारणा में केवल गैर-राज्य अभिनेताओं तक सीमित था। हॉफमैन के अनुसार, 'हाइब्रिड युद्धों को राज्यों और विभिन्न प्रकार के गैर-राज्य अभिनेताओं द्वारा संचालित किया जा सकता है। फ्रैंक हॉफमैन के शब्दों में "हाइब्रिड खतरे अनियमित युद्ध के कट्टर और दीर्घ उत्साह के साथ राज्य संघर्ष की घातकता को जोड़ते हैं।" वह आगे कहता है कि हाइब्रिड युद्ध संघर्ष के चरित्र को नहीं बदलता है, बल्कि यह उस तरीके को बदल देता है जिससे सेनाएं अपने आचरण में प्रयोग करती आ रही हैं।

सैन्य-केंद्रित युद्ध के विपरीत, हाइब्रिड युद्ध में सैन्य क्षेत्र मुख्य लक्ष्य नहीं होता। हालांकि हाइब्रिड युद्ध की अवधारणा नई नहीं है, लेकिन इसकी अनुभवजन्य अभिव्यक्ति आश्चर्यजनक रूप से नई है और स्थिति के अनुसार बदलती रहती है। जैसा कि हाइब्रिड शब्द संघर्ष या शक्ति के तत्वों के दो या दो से अधिक घटकों के संयोजन को संदर्भित करता है। इन तत्वों को परंपरागत रूप से पारंपरिक और अपरंपरागत, या नियमित और अनियमित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हालाँकि, ये भेद सापेक्ष हैं और आज का अपरंपरागत युद्ध कल पारंपरिक हो सकता है, और अनियमित भविष्य में नियमित हो सकता है।

हाइब्रिड युद्ध के घटक इस प्रकार हैं-

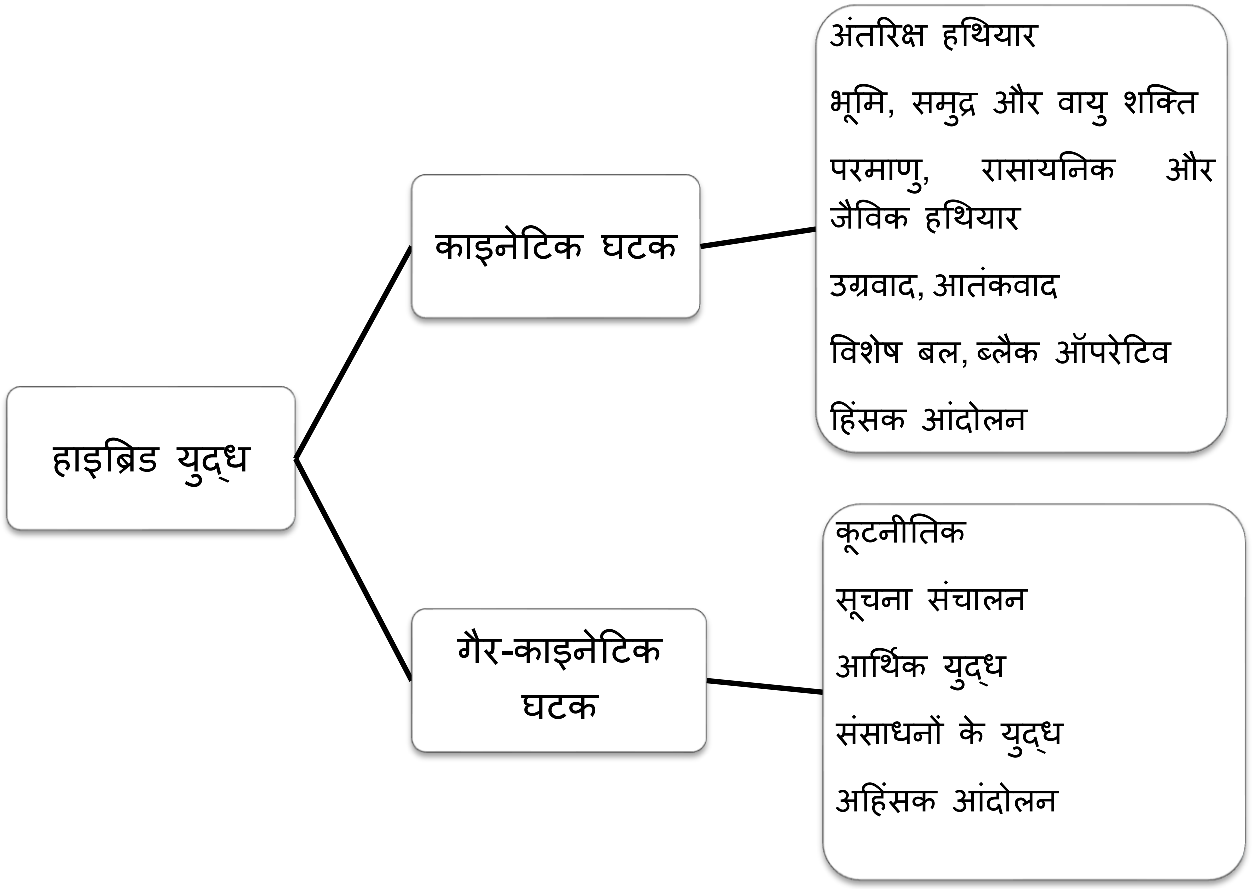

तालिका 1: हाइब्रिड युद्ध के घटक।

ईरान की हाइब्रिड युद्ध नीति

पश्चिम जगत ने ईरान को एक जुझारू शक्ति के रूप में चित्रित किया है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को समाप्त करने की कोशिश कर रहा है। वर्तमान में तेहरान खुद को घेराबंदी के तहत देखता है और मानता है कि उसे इस क्षेत्र में अपनी उचित स्थिति से वंचित किया जा रहा है (रजावी, 2019)। यह स्पष्ट है कि ईरान वास्तव में अब संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों के निशाने पर है जितना कि वह क्रांति और इराक युद्ध के दौरान था। आज संयुक्त राज्य अमेरिका फारस की खाड़ी और ईरान के पड़ोसी देशों में अपनी सैन्य ताकत मजबूत करता नजर आ रहा है, जो ईरान की सुरक्षा रणनीति के सामने एक चुनौती के रूप में देखा जा सकता है। इसके अलावा, ईरान में बलूची आतंकवादी संगठन और जुंदुल्ला अलगाववादी समूहों को बाहरी शक्तियों का समर्थन प्राप्त है (साहीमी, 2009)। इन सबके बीच पड़ोसी देशों में अपने बढ़ते प्रभाव के बावजूद तेहरान में खतरे की भावना कम नहीं हुई है। (पौरहसन, 2017)।

इराक में अमेरिकी हस्तक्षेप ने ईरानी नेतृत्व को स्पष्ट कर दिया कि भविष्य के हमलावरों को ईरान की सीमा तक पहुंचने से पहले उन्हें रोकने की जरूरत है। इसके लिए सबसे पहले, ईरान को अपनी सीमाओं से परे सहयोगियों और क्षमताओं को विकसित करने की जरूरत है ताकि संभावित दुश्मनों को अपने ही घरेलू मैदान पर रोका जा सके। यह सेंटर-पेरीफेरी मॉडल के समान है जिसे इजरायल ने रणनीतिक गहराई बनाने के रूप में अपनी स्थापना के साथ ही विकसित किया था। दूसरी रणनीति के हिसाब से पारंपरिक सैन्य बलों के प्रक्षेपण की आवश्यकता नहीं है, बल्कि स्थानीय भागीदारों के साथ मिलकर एक विस्तारित गुरिल्ला जैसी बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता है।

कई मायनो मे ईरान- संयुक्त राज्य अमेरिका को एक आधिपत्य शक्ति के रूप में देखता है, जो न केवल अपने स्वयं के हितों को आगे बढ़ाना चाहता है बल्कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पर हावी होना और उसे आकार देना चाहता है। इसी के चलते, चीन या रूस की ओर से किसी भी दोहरे व्यवहार की तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका से खतरा अधिक व्यापक और बहुआयामी है। ईरानी, विदेश और रक्षा नीति के अधिकांश आंतरिक पर्यवेक्षक इसे यथार्थवादी खेमे में रखते हैं। प्रोफेसर कायहान बरजेगर, सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की रणनीतिक सोच को समझाने के लिए अंतरराष्ट्रीय संबंधों में रक्षात्मक यथार्थवाद स्कूल को संदर्भित करते हैं। जहाँ राज्य के व्यवहार में इस बात पर जोर है कि राज्य सबसे पहले जीत और आधिपत्य के बजाय अपनी सुरक्षा और अस्तित्व को बचाये रखना चाहते हैं (मियरशाइमर, 2001)।

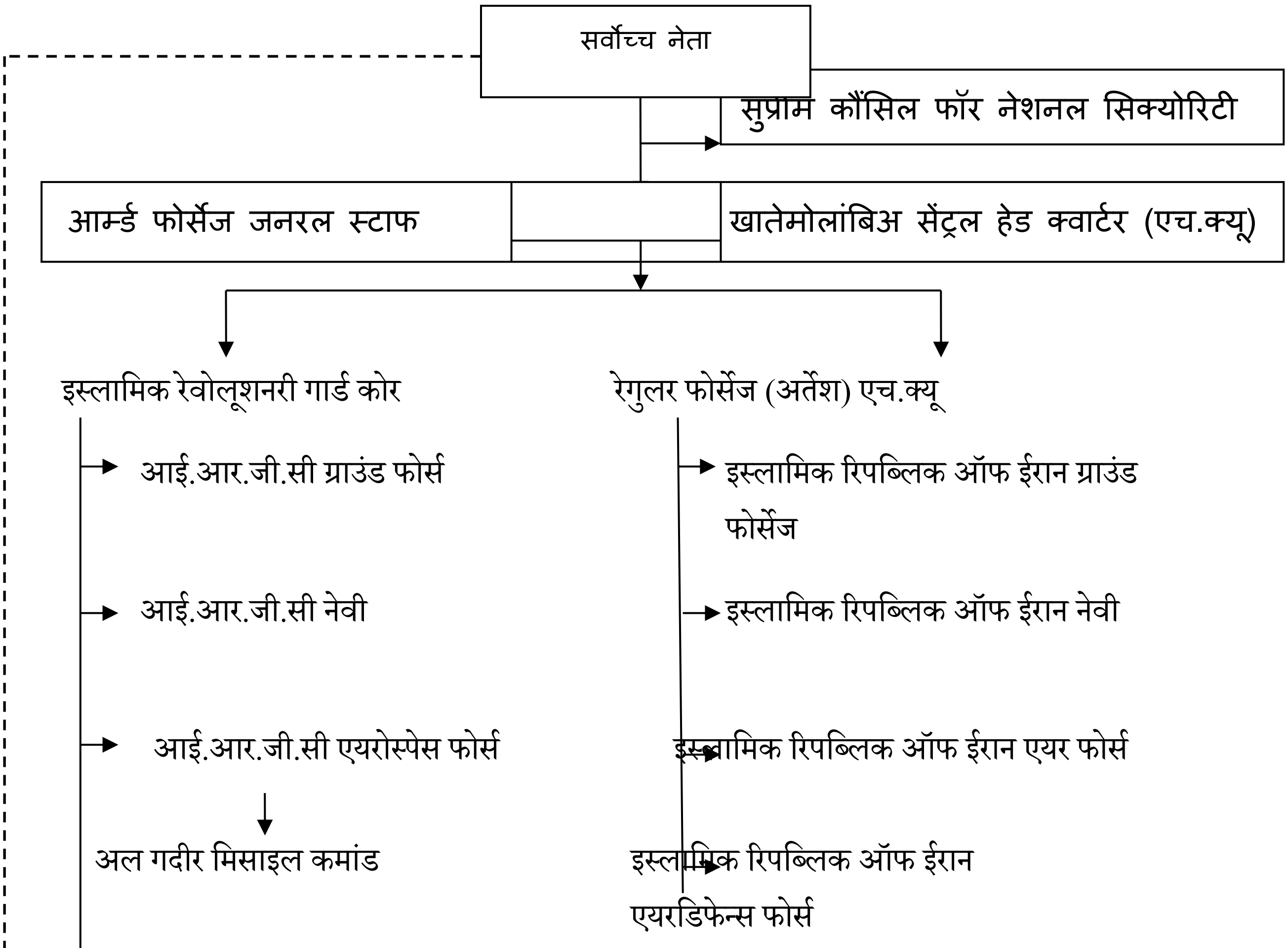

-----→ आई.आर.जी.सी कुद्स फोर्स

→ बसीज आर्गेनाईजेशन ऑफ द ओप्प्रेस्सड

टेबल 1: ईरान का मिलिट्री कमांड एवं कंट्रोल (कोरडेसमन एवं ह्वांग, 2019)।

ईरान की हाइब्रिड युद्ध की अवधारणा को देखा जाये तो इसमें चार तत्व शामिल है- सॉफ्ट वॉर, मोजेक डिफेंस, साइबर डिफेंस और हिजबुल्लाह का 2006 का अनुभव। सॉफ्ट वॉर पश्चिम के विध्वंसक सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभावों से इस्लामिक गणराज्य की सुरक्षा से संबंधित है, जो ईरान की धार्मिक विचारधारा और शासन को कमजोर कर सकता है (सबेट और सफशेकन, 2013)।

पिछले एक दशक में, ईरान की साइबर सुरक्षा, व्यापक सूचना और गैर-सैन्य गतिविधियों के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक बन गई है। पहली बार तेहरान के लिए, साइबर सुरक्षा का महत्व "हरित क्रांति" के दौरान सोशल मीडिया के उपयोग से साबित हुआ और बाद मे नतांज परमाणु संयंत्र (2009-2010) पर हमलों के दौरान हुआ जब 12 महीने की अवधि में एक लाख से अधिक निजी कंप्यूटर स्टक्सनेट वायरस से संक्रमित हो गए थे।

ईरानी हाइब्रिड युद्ध के अन्य दो तत्व "मोजेक रक्षा" की स्वदेशी अवधारणा और इजराइल के साथ अपने लंबे संघर्ष में हिजबुल्लाह का अनुभव है। अमेरिका और क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों के उन्नत सैन्य उपकरणों और अपनी पारंपरिक ताकतों की कमजोरियों को दूर करने के दृष्टिकोण से ईरानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (पसदारन) के विशेषज्ञों ने "मोजेक रक्षा" को विकसित करने पर जोर दिया। ईरान संभावित आक्रमणकारियों के निवारण की गारंटी देने और अपनी नौसैनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रणनीति को विस्तृत करना चाहता था। शुरू में तेहरान ने आईआरजीसी में सुधार किया, और फिर अपने नियमित सशस्त्र बलों (आर्टेश) और बासीज मिलिशिया को पुनर्गठित किया। इस नए सिद्धांत में व्यवस्थित सैन्य अभ्यास शामिल थे, जिसमें आईआरजीसी अधिकारियों के समग्र आदेश के तहत बसिज सदस्यों द्वारा बड़े पैमाने पर आर्टेश भूमि बलों का उपयोग शामिल था।

इस प्रकार 2006 में ईरान की "मोजेक रक्षा" और हिजबुल्लाह की जमीनी इकाइयों की क्षमताओं के बीच संबंधों के पर्याप्त संकेत हैं (लिंडरमैन, 2010)। उसी समय, हिजबुल्लाह की पहचान हाइब्रिड खतरे के एक मॉडल के रूप में की गई थी। 2006 हिजबुल्ला-आईडीएफ के संघर्ष ने हिजबुल्लाह, ईरान और सीरिया के नेताओं के आत्मविश्वास को प्रभावित किया, जिससे अरब देशो के मध्य "प्रतिरोध की धुरी" की लोकप्रियता भी बढ़ गई। रयान क्रोकर के अनुसार ईरान के लिए इतिहास जैसी कोई चीज नहीं है, वह हर स्थिति को वर्तमान के नजरिये से देखने का प्रयास करता है।

1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ही अमेरिका और ईरान के बीच हाइब्रिड युद्ध के देखा गया हैं। उदाहरण के रूप में 1979 का बंधक संकट जिसमें अमेरिका को डराने और नाराज करने के लिए गैर-घातक स्तर की हिंसा का

उपयोग किया गया था। अमेरिका-ईरान के समीकरण गहरी शत्रुता और अविश्वास से भरे हुए है। जो तनाव ईरानी क्रांति के साथ शुरू हुआ था वो आज भी बरकरार है या ऐसा कहें की ईरान-अमेरिका तनाव आज अपने शिखर पर है। अमेरिका द्वारा इराकी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या ने एक नए तरह के युद्ध की शुरुआत कर दी है।

दशकों से दुनिया भर के विशेषज्ञ अमेरिका को मानव इतिहास में सबसे शक्तिशाली सेना के रूप में संदर्भित करते आ रहे हैं। परन्तु बदलते दौर में ईरान की हाइब्रिड युद्ध तकनीक को देखते हुए, विशेषज्ञ अमरीकी सेना की जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है (डिजार्ड, 2020)।

निष्कर्ष

2011 के "अरब स्प्रिंग" विद्रोह के बाद से, कई बार ऐसे संकेत मिले हैं कि ईरान हाइब्रिड युद्ध जैसे आक्रामक सैन्य सिद्धांत की ओर बढ़ रहा है। आज, ईरान का हाइब्रिड युद्ध मुख्य रूप से तीन देशों- यूएसए, इजराइल और सऊदी अरब के खिलाफ निर्देशित है। हालाँकि, तेहरान की इनमें से प्रत्येक देश के लिए एक अलग रणनीति है। ईरान हर समय सीधे टकराव से बचने की कोशिश करता आया है। आज कोई भी इस जोखिम को नजरअंदाज नहीं कर सकता है कि ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका, अरब खाड़ी देशों और इजराइल के बीच होने वाला टकराव एक बड़े संघर्ष का कारण बन सकता है। ईरान इस बात से अवगत है कि उसकी अधिकांश सेना 1970 के दशक के हथियार प्रणालियों से लैस है। इसकी वायु सेना ने एस 400 मिसाइल प्रणाली के साथ अपनी सुरक्षा का आधुनिकीकरण करना शुरू कर दिया है, और इसकी लंबी दूरी की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल बलों ने सटीकता के स्तर को विकसित करना शुरू कर दिया है जो उन्हें उच्च मूल्य के लक्ष्यों के खिलाफ घातक होने के लिए पर्याप्त बना सकता है।

आज ईरान के लोग अपने जीवन के लगातार बदतर होने पर जो धैर्य दिखा रहे है वह समस्याग्रस्त है। यदि ईरान ने हाइब्रिड युद्ध का रास्ता चुना है, तो यह स्पष्ट नहीं है कि वह जीत सकता है। इसका प्रभाव किसी बड़े संघर्ष की तुलना में ईरान और उसके पड़ोसियों के लिए कम हानिकारक हो सकता है। परन्तु अंतिम परिणाम खाड़ी को और भी अधिक अस्थिर कर सकता है।

सन्दर्भ सूची

1. हॉफमैन, एफ। (2007) कॉन्फ्लिक्ट इन द 21 सेंचुरीः द राइज ऑफ हाइब्रिड वॉर। *अर्लिंगटनः पोटोमैक इंस्टिट्यूट फॉर पालिसी स्टडीज*। पप. 35-38।
2. लैम्बेथ, एस. बी। (2011) एयर ऑपरेशन्स इन इस्रायल्स वॉर अगेंस्ट हेजबोल्लाहः लर्निंग फ्रॉम लेबनान एंड गेटिंग इट राइट इन गजा। रैंड *कारपोरेशन*।
3. रजावी, न। (2019) द सिस्टमिक प्रॉब्लम ऑफ "ईरान एक्सपर्टीज" इन वाशिंगटन। *जादालिया*।
4. सहमी, म। (2009) हु सप्पोर्टस जुंदल्लाह? *फ्रंटलाइन*।
5. पौरहसन, न। (2017) सऊदी हाइब्रिड वारफेयर कंपोनेंट्स अगेंस्ट द इस्लामिक रिपब्लिक, 2015-2017, *कंटेम्परारी पोलिटिकल क्वेरीज*, वॉल. 8, न. 4।

6. मियरशाइमर, जा। (2001) द *ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स* । न्यू यॉकर्ः नॉर्टन कंपनी।
7. कोरडेसमन, ए. एच., एवं ह्वांग, जी। (2019) द सेकंड की शिफ्ट इन द मिलिट्री बैलेंसः द राइजिंग इम्पैक्ट ऑफ ईरान असिमेट्रिक फोर्सेज। ईरान एंड द चेंजिंग मिलिट्री बैलेंस इन द गल्फः नेट असेसमेंट इंडीकेटर्स (पप. 105-161). *सेण्टर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज*।
8. सबेट, फ. एवं सफशेकन, र। (2013) *सॉफ्ट वॉरः ए न्यू एपिसोड इन द ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईरान* एंड द *यूनाइटेड स्टेट्स*। यूनिवर्सिटी ऑफ पेनसिलवेनिया।
9. लिंडरमैन, एम। (2010) लेबोरेटरी ऑफ एसिमिट्रीः द 2006 लेबनान वॉर एंड द एवोलूशन ऑफ ईरानियन ग्राउंड टैक्टिस। *मिलिट्री रिव्यु*, वॉल. 90, न. 3, पप. 105-116।

अध्याय-18

भारत में सामाजिक न्याय की दिशा में नरेन्द्र मोदी सरकार की शासकीय नीति एवं कार्यक्रम: एक अवलोकन

अशोक कुमार
राजनीति विज्ञान विभाग,
पटना कॉलेज,
पटना विश्वविद्यालय, पटना-5

भारत में वर्ष 2014 में पहली बार नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार का गठन हुआ, जिसने वर्ष 2019 में अपने प्रथम कार्यकाल को भी पूरा करके द्वितीय कार्यकाल को पूरा करके तृतीय कार्यकाल के लिए पुनः जन स्वीकृति को प्राप्त करना चाह रही है। वर्ष 2014 से ही नरेन्द्र मोदी के सफल नेतृत्व में केन्द्र सरकार सबका साथ-सबका विकास, मानव संसाधन विकास के साथ कार्य कर रही है। मोदी सरकार के द्वारा एक ओर भारतीय संविधान में संशोधन करके राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा (102वाँ संविधान संशोधन, 2019 ई०) प्रदान किया गया है तथा दूसरी ओर मोदी सरकार ने सामाजिक न्याय की दिशा में बहुत ही क्रांतिकारी कदम 103वाँ संविधान संशोधन, 2019 के रूप में उठाते हुए सवर्ण जाति के गरीब लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। 104वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2020 ई० अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण को 25 जनवरी, 2030 तक अर्थात् 10 वर्षों के लिए बढ़ा कर ‘‘सबका विकास’’ की दिशा में सबका विश्वास स्थापित करने का प्रयास किया है। स्पष्टतः मोदी सरकार ने सामाजिक न्याय को प्रभावी बनाने तथा समाज के कल्याण के लिए अब तक तीन महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों (102वाँ, 103वाँ तथा 104वाँ) को पारित कराया है। नरेन्द्र मोदी सरकार भारत में सामाजिक न्याय तथा सामाजिक परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण एवं क्रांतिकारी लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को निर्धारित एवं क्रियान्वित कर रही है, जिनका मानव जीवन व समाज के सभी क्षेत्रों में व्यापक प्रभाव पड़ा है। मोदी सरकार की सामाजिक न्याय व लोक कल्याण विषयक अनेक कार्यक्रमों में कुछ प्रमुख का नाम अग्रलिखित रूप में लिया जा सकता है- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (2014 ई०), स्वच्छ भारत मिशन (2014 ई०), सांसद आदर्श ग्राम योजना (2014 ई०), विरासत विकास और सम्बर्द्धन योजना (2015 ई०), बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ (2015 ई०), महिला शक्ति केन्द्र योजना (2017 ई०), उज्ज्वला योजना (2016 ई०), जन धन योजना (2014 ई०), स्किल इंडिया मिशन (2014 ई०), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (2015 ई०), अटल पेंशन योजना (2015 ई०), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (2015 ई०), अमृत योजना (2015 ई०), स्टैंड अपर इंडिया. (2016 ई०), प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण (2016 ई०), राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (2017 ई०), आयुष्मान भारत (2018 ई०), जननी सुरक्षा योजना (2019 ई०), दीनदयाल अंत्योदय योजना (2020 ई०), सामाजिक सुरक्षा संहिता (2020), मजदूरी संहिता (2019), प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (2020), पीएम ई-विद्या (2020), विद्यांजलि (2021), पीएम. पोषण योजना (2020-21), अंत्योदय अन्न योजना (2020), प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पोषण योजना (2020-21), अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल एवं

कल्याण (संशोधन) विधेयक (2019), मीठी योजना (2020), पीएम कुसुम (2020), अटल पेंशन योजना (2015 में प्रारम्भ एवं 2022 में व्यापक वित्तीय सहयोग), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (2015), सम्पूर्ण बीमा ग्राम योजना (2017), प्रधानमंत्री कल्याण पैकेज (2020-21), प्रधानमंत्री वय वन्दना योजना (2016), सुकन्या समृद्धि योजना (2015), प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (2018), आपरेशन ग्रीन (2018), समग्र शिक्षा अभियान (2018), राष्ट्रीय आविष्कार अभियान (2015), स्टैंड अप इंडिया स्कीम (2016), प्रधानमंत्री युवा योजना (2016), दीनदयाल स्पर्श योजना (2017), सुमन योजना सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना (2018), राष्ट्रीय बाल स्वच्छता मिशन (2014), मातृत्व लाभ कार्यक्रम (2017), पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना (2021), नई मंजिल योजना (2015), शादी शगुन योजना (2017), पीएम वाणी योजना (2020), स्वामित्व योजना (2020), आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य सीएपीएफ कैफ योजना (2021) सबके लिए आवास योजना (2022), राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020), पीएम विश्वकर्मा योजना (2023) प्रधानमंत्री रोजगार योजना (2024) आदि। इन महत्वपूर्ण लोक कल्याणकारी योजनाओं तथा शासकीय नीतियों के माध्यम से मोदी के प्रधानमंत्री काल में सामाजिक न्याय एवं लोक कल्याण के क्षेत्र में व्यापक कार्य लगातार निष्पादित किये जा रहे हैं। नरेन्द्र मोदी ने सामाजिक न्याय का दायरा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग जन तथा सवर्ण समाज के आर्थिक रूप में कमजोर लोगों तक विस्तृत कर दिया है तथा उन्हें प्रभावी बनाया है। नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में सवर्ण समाज के गरीब लोगों को सार्वजनिक नियोजन में दस प्रतिशत आरक्षण प्रदान करके महत्वपूर्ण, सराहनीय एवं क्रांतिकारी कार्य किया गया है। भारतीय लोकतंत्र की विशेषता है कि सवर्ण समाज से आने वाले प्रधानमंत्री वी0पी0 सिंह ने मंडल कमीशन को लागू करके पिछड़े समाज के लोगों को आरक्षण प्रदान किया था, वही अत्यन्त पिछड़ा वर्ग से आने वाला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सवर्ण समाज के आर्थिक रूप में कमजोर लोगों को आरक्षण देकर एक स्वस्थ लोकतांत्रिक मिशाल कायम किया है।

भारत में सामाजिक न्याय हेतु नरेन्द्र मोदी सरकार की शासकीय नीति एवं कार्यक्रमों में जो महत्वपूर्ण हैं कि चर्चा प्रस्तुत आलेख में की जा रही है। नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, अनुसूचित जाति व जनजाति कल्याण, गरीबी रेखा के नीचे के लोगों का कल्याण आदि के लिए व्यापक लोक कल्याणकारी योजनाओं को निर्धारित एवं क्रियान्वित किया गया है तथा लगातार वर्ष 2014 से इस दिशा में राजनीतिक-प्रशासनिक प्रतिबद्धता का परिचय दिया जा रहा है। नरेन्द्र मोदी सरकार की कई शासकीय नीतियाँ सामाजिक न्याय तथा लोक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण तथा प्रसिद्ध रही है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की लोक कल्याणकारी योजनाओं व लोक नीतियों में सर्वप्रथम चर्चा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को लिया जा सकता है, जिसे 3 दिसम्बर 2014 को भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी।[1] यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोगों के विशेष कल्याण एवं विकास से सम्बन्धित योजना है। इस योजना के अन्तर्गत गैर विद्युतीकृत गाँवों के विद्युतीकरण आंशिक रूप से विद्युतीकृत तथा गरीबी रेखा के नीचे के ग्रामीण परिवारों को निःशुल्क विद्युत संयोजन उपलब्ध कराने की परियोजनाएँ स्वीकृत की गई थी।

अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई, 2015 ई0 को हुई थी, जिसका वास्तविक परिचालन 1 जून, 2015 को प्रारम्भ हुआ था। वस्तुतः भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत 'अटल पेंशन योजना' को महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वस्तुतः नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करने तथा 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम पेंशन की गारंटी प्रदान करने के लिए ही अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत 1 जून, 2015 से 24 जनवरी, 2022 तक 2,77,30,905 नाम दर्ज किये गये थे। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत महत्वपूर्ण योजना के प्रबन्धन का दायित्व पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा सम्पन्न किया जाता रहा है।[2]

नरेन्द्र मोदी सरकार के द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत 22 जनवरी, 2015 की गई थीं, जो लड़कियों के सुरक्षा और कल्याण से सम्बन्धित योजना है। सुकन्या समृद्धि योजना के अन्तर्गत बच्ची के माता-पिता अथवा उसके कानूनी अभिभावक के द्वारा बच्ची के नाम से डाकखाने में एक खाता खोला जाता है।[3] सामाजिक न्याय की अवधारणा को प्रभावी बनाने के सन्दर्भ में मुद्रा बैंक योजना की चर्चा भी अपेक्षित है, जिसकी शुरुआत 8 अप्रैल, 2015 को की गई थी। इस योजना के तहत वर्ष 2021-22 में 489.25 लाख खाता खोला गया था तथा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष में वितरित राशि 3.03 लाख करोड़ रही है।[4] बैंकिंग तथा बीमा से जुड़ी सामाजिक न्याय विषयक कल्याणकारी योजना के अन्तर्गत प्रधानमंत्री जन-धन योजना (28 अगस्त, 2014), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (8 मई, 2015), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजन (9 मई, 2015), प्रधानमंत्री वय वन्दना योजना (31 दिसम्बर, 2016), सम्पूर्ण बीमा ग्राम योजना (13 अक्टूबर, 2017), प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजन (5 मार्च, 2019), प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना (12 सितम्बर, 2019), प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (12 सितम्बर, 2019), डोनेट ए पेंशन योजना (7 मार्च, 2022 ई0) तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का नाम प्रमुखता के साथ चर्चा की जा सकती है। नरेन्द्र मोदी सरकार की शासकीय नीति एवं लोक कल्याणकारी नीति के अन्तर्गत ''प्रधानमंत्री जन धन योजना'' 28 अगस्त, 2014 को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, जिसकी शुरूआत राष्ट्र में व्यापक वित्तीय असमानता को समाप्त करने के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना के अनुसार देश के सभी परिवारों को बैंक खाते से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है तथा अब इस योजना को हमेशा के लिए स्वीकार कर लिया गया है। यह उल्लेखनीय है कि दिसम्बर, 2023 तक इस योजना के कुल लाभ प्राप्त करने वालों की संख्या 51 करोड़ हो गई थी। इसमें 55.65 प्रतिशत खाताधारक महिलाएँ है तथा लगभग 85 प्रतिशत खाता तो आधार से सम्बद्ध हो गये हैं। कोविड-19 यानी कोरोना महामारी के अन्तर्गत 26 मार्च 2020 को घोषित गरीब कल्याण योजना के तहत 20 करोड़ महिला खाताधारकों के खातों में प्रतिमाह 500-500 रुपये प्रदान किये गये थे। इन खातों में ओवरड्राफ्ट की व्यवस्था रू. 10,000 (दस हजार रूपये) कर दिया गया है। 9 मई, 2015 को नरेन्द्र मोदी सरकार के द्वारा प्रारम्भ ''प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना'' के तहत दुर्घटना की स्थिति में क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि इस बीमा योजना में स्थायी अपंगता और मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रूपये तथा आंशिक अपंगता की स्थिति में एक लाख रूपया प्रदान करने का प्रवधान किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि 26 अप्रैल, 2023 तक 34.18 करोड़ से अधिक लोगों ने इस योजना के तहत बीमा कराया है। भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा ''प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना'' का प्रशासन व परिचालन किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण योजना की शुरूआत 9 मई, 2015 को

की गई थी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 2 लाख रूपये का जीवन बीमा 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के इच्छुक लोगों को उपलब्ध कराया जाता है। वरिष्ठ नागरिकों को उनकी रू. 7.50 लाख तक की जमा राशि पर 10 वर्ष तक 8 प्रतिशत सालाना ब्याज उपलब्ध कराने के सरकार ने प्रतिबद्धता को व्यक्त किया है। नरेन्द्र मोदी ने 31 दिसम्बर, 2016 को राष्ट्र के नाम अपने सम्बोधन में इसकी घोषणा किया था। इसी सन्दर्भ में ऐसे नागरिकों के लिए एक नई पेंशन योजना शुरू की गई। 60 वर्ष व इससे अधिक आयु के लोगों को सामाजिक सुरक्षा व नियमित आय प्रदान करने के लिए पेंशन योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस योजना के अन्तर्गत पॉलिसी की बिक्री 4 मई, 2017 से प्रारम्भ की गई है। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 2017 के तहत् इन लोगों को उनकी जमाओं पर 8 प्रतिशत की ब्याज आधारित पेंशन 10 वर्षों तक प्रदान की जाती है। यह भी ज्ञात हो कि इस योजना को मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है।[5] प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने 20 मई, 2020 को वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और वृद्धावस्था आय सुरक्षा को समर्थ बनाने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी थी जैसे 31 मार्च, 2020 से अगले 3 वर्षों अर्थात् 31 मार्च, 2023 तक प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का विस्तार किया गया था।[6]

सम्पूर्ण बीमा ग्राम योजना (13 अक्टूबर, 2017) की शुरुआत ग्रामीण विकास के लिए किया गया था। केन्द्रीय संचार राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) मनोज सिन्हा ने 13 अक्टूबर, 2017 को ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सरल एवं मितव्ययी जीवन बीमा सेवाएं प्रदान करने के लिए 'सम्पूर्ण बीमा ग्राम योजना' का शुभारम्भ किया था। सीमान्त एवं लघु कृषकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 12 सितम्बर, 2019 को राँची में किया गया था। वह 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के सीमान्त एवं लघु कृषकों के लिए एक स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना है। यह उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत योजना 9 अगस्त, 2019 से क्रियान्वित एवं प्रभावी हैं।[7]

नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में ''प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना'' (5 मार्च, 2019) की शुरुआत की गई, जिसके अन्तर्गत असंगिठत क्षेत्र के कामगारों को राहत दी गई है। भारत में केन्द्र सरकार ने देश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक नई पहल शुरू की है जिसमें लोग अपने सहायक कर्मचारियों को पेंशन देने में सहायता कर सकते है। केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने 7 मार्च, 2022 को लोगों को उनके सहायक कर्मचारियों की पेंशन निधि में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान के तहत् धन- 'डोनेट पेंशन-ए' कार्यक्रम शुरू किया है। असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिक 18-40 वर्ष के बीच के श्रमिक अपनी उम्र के आधार पर हर वर्ष न्यूनतम रू. 660 से रू. 2400 जमा कर सकते हैं, इसका महत्वपूर्ण लाभ यह है कि वे 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम रू. 3,000 प्रतिमाह की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।[8]

सामाजिक न्याय की संकल्पना को किसानों के कल्याण और विकास से भी सम्बन्धित किया जा सकता है तथा इस दिशा में अरोमा मिशन पीएम नरेन्द्र मोदी के किसानों की आजीविका में सुधार और उनकी आय को दोगुना करने के दृष्टिकोण से सम्बन्धित है। कृषि स्टार्टअप के लिए खेती में अरोमा/लैवेंडर की खेती एक लोकप्रिय विकल्प बन गया है। अरोमा मिशन ने किसानों के लिए 'ग्रामीण रोजगार' को सृजित किया है; इसने सुगंधित तेलों और अन्य सुगंधित उत्पादों के निर्माण में उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया है और आवश्यक और सुगंधित तेलों के आयात को कम कर दिया है।

भारत में एकीकृत कृषि प्रणाली के हिस्से के रूप में मधुमक्खी पालन के महत्व को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के लिए 3 वर्ष (2020-21 से 2020-23) के लिए रू. 500 करोड़ के लिए आवंटन को स्वीकृति दिया था। मिशन की घोषणा योजना के एक भाग के रूप में की गई थी, इसका लक्ष्य 'मीठी क्रान्ति'के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश में वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन के समग्र प्रचार और विकास के लिए है, जिसे राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के माध्यम से क्रियान्वयन किया जा रहा है।

भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना तथा प्रभावीकरण के लिए कामगारों के जीवन में सुधार आवश्यक है, जिसके लिए समय-समय पर कानून बनाये जाते रहे हैं तथा कुछ को संहिताबद्ध भी कर दिया गया है। इसी का नाम है- 'मजदूरी संहिता 2019'। भारत की केन्द्र सरकार श्रम सुधारों को लागू करने के लिए प्रचलित श्रम कानूनों का निरसन करके उन्हें चार संहिताओं में संहिताबद्ध करने की ओर अग्रसर है : (i) मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936; (ii) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; (iii) बोनस अधिनियम, 1965 तथा (iv) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976। यह उल्लेखनीय है कि इन संहिताओं का निरसन करके मजदूरी संहिता, 2019 को 8 अगस्त, 2019 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। यह संहिता सभी कर्मचारियों और कामगारों के लिए मजदूरी के समयबद्ध भुगतान के साथ ही साथ न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित भी करती है। कृषि मजदूर, पेंटर, रेस्टोरेंट और ढाबों पर काम करने वाले लोग, चौकीदार आदि असंगठित क्षेत्र के कामगार, जो अभी तक न्यूनतम मजदूरी की सीमा से बाहर थे, उन्हें न्यूनतम वेतन कानून बनने के बाद कानूनी सुरक्षा प्राप्त हो सकती है। प्रस्तुत विधेयक में सुनिश्चित किया गया है कि मासिक मजदूरी पाने वाले कर्मचारियों को अगले महीने की 7 तारीख तक मजदूरी करने का अवसर प्राप्त होगी। मोदी सरकार के कार्य एवं प्रयास से मजदूरी संहिता एक मील का पत्थर साबित हो सकती है तथा इससे संगठित क्षेत्र के 50 करोड़ से अधिक कामगारों को सम्मानजनक जीवन प्राप्त हो सकती है।[9]

भारत के विकास में "सबका विकास तथा सबका विश्वास" के लक्ष्य को सामने रखकर नरेन्द्र मोदी सरकार ने सामाजिक न्याय की अवधारणा को सार्थक करना चाहा है। इस दिशा में "उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना" का नाम भी प्रमुखता के साथ लिया जा सकता है। मार्च, 2020 में शुरू हुई प्रस्तुत योजना आत्मनिर्भर भारत को प्राप्त करने के लिए सरकार के प्रयास की आधारशिला है। इसका उद्देश्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करना है; वैश्विक व्यापार में प्रभुत्व हासिल करना और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में उतार-चढ़ाव और आघात सहने के लिए अधिक सशक्त करना भी है। इस योजना का उद्देश्य नवोदित एवं रणनीतिक क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के साथ-साथ घरेलू रूप से निर्मित वस्तुओं की लागत प्रति-स्पर्धात्मकता में सुधार तथा गुणवत्तापूर्ण उत्पादन को बढ़ाना भी है।

भारत में मछुआरा समाज के कल्याण में केन्द्र सरकार ने मई, 2020 में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना शुरू की है, जिसमें प्रमुख भागीदारी में मछली उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना, मूल्य श्रृंखला को आधुनिक बनाना और मजबूत करना; मत्स्य पालन और मछलियों को पकड़ने के बाद के बुनियादी ढ़ाँचे का निर्माण तथा मजबूत मत्स्य प्रबन्धन एवं नियामक ढाँचे का विकास करना आदि को प्राथमिकता प्रदान करते हुए शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रौद्योगिकी संचार, 'प्रति बूँद अधिक फसल' प्राप्त करने के लिए अधिकतम जल प्रबन्धन, मछली और मछली उत्पादों की बेहतर गुणवत्ता और स्वच्छता, बीमा, मूल्यवर्धन, माँग-आधारित ब्रांडिंग तथा विपणन के माध्यम से मूल्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण अन्तराल को सम्बोधित करने पर अधिकाधिक बल दिया जा रहा है।

पीएम ई-विद्या शिक्षा विषय एक योजना है, जिसे मोदी सरकार ने मई 2020 में प्रारम्भ किया है। ई-विद्या कार्यक्रम शिक्षा के लिए सुसंगत मल्टीमोड एक्सेस को सक्षम करने के लिए डिजिटल शिक्षा से सम्बन्धित सभी प्रयासों को एकीकृत करता है। स्कूली शिक्षा के लिए पीएम ई-विद्या के चार घटक प्रमुख रहे हैं। समुदाय प्रबन्धन कार्यक्रम के माध्यम से सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को जोड़ने के लिए सरकार ने 7 सितम्बर, 2021 को विद्यांजलि जैसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक योजना को प्रारम्भ किया है। विद्यांजलि पोर्टल स्वयंसेवकों को अपने ज्ञान को साझा करने में सक्षम बनाता है। नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में विशेषतः वर्ष 2021-22 के दौरान स्कूली शिक्षा के लिए प्रमुख योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का उद्देश्य देश में स्कूल तथा उच्च-शिक्षा प्रणालियों में परिवर्तनकारी सुधारों को सामने लाना है। इस लोक नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। इस महत्वपूर्ण शिक्षा नीति में कमजोर, वंचित और कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों पर विशेष ध्यान दिया जाना अपेक्षित है। सरकारी स्कूलों और संस्थानों में सस्ती तथा प्रतिस्पर्धी तरीके से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाये जा रहे है।

डा. मनमोहन सिंह की यू.पी.ए. सरकार में युग पुरूष प्रो.(डा.) रघुवंश प्रसाद सिंह के योगदान व प्रयास से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष 2006 में प्रारम्भ किया गया था, जिसे बाद में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम दे दिया गया। इस योजना को 1 अप्रैल, 2008 में सम्पूर्ण देश में लागू कर दिया है।[10] इस योजना को प्रभावी बनाने में नरेन्द्र मोदी सरकार की प्रतिबद्धता और ईमानदारी सर्वविदित है। वस्तुतः मनरेगा को सामाजिक न्याय से जोड़ने का काम मोदी सरकार के द्वारा किया गया है। नरेन्द्र मोदी सरकार ने मनरेगा को उसके वास्तविक लक्ष्य तक पहुँचाने की दिशा में ईमानदार प्रयास किया है अर्थात् इसे ग्रामीण बेरोजगारी, भूख और गरीबी से निजात दिलाने का एक सार्थक माध्यम अथवा साधन बनाया है। यह उल्लेखनीय है कि मोदी सरकार में इस योजना के अन्तर्गत लगातार व्यय राशि बढ़ाया जाता रहा है। वर्ष 2014-15 के लिए कुल आवंटन रू. 34,000 करोड़ है। 2015-16 में उसे बढ़ाकर रू. 34,699 करोड़ किया गया है। 2016-17 के बजट में रू. 38,500 करोड़, 2017-18 में रू. 48,000 करोड़ तथा 2018-19 में रू. 61,815 करोड़ खर्च व्यय किया गया था वर्ष 2019-20 में आवंटन रू. 71,002 करोड़ तथा 2020-21 में रू. 61,500 करोड़ कर दिया गया। प्रधानमंत्री 1 अप्रैल, 2012 से मनरेगा के अन्तर्गत भुगतान की जाने वाली मजदूरी की दरों को कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर संशोधित किया गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान क तहत् वित्त मन्त्री द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए मनरेगा के आवंटन रू. 1,11,500 करोड़ हो गया हैं मनरेगा के अन्तर्गत दैनिक मजदूरी दर रू. 182 से बढ़ाकर रू. 202 कर दिया गया है। तथा वर्ष 2021-22 में मनरेगा के लिए रू. 98,000 करोड़ का आवंटन किया गया था। इस दिशा में सबसे निर्णायक कदम उठाया गया है कि वर्ष 2022-23 में आवंटन रू. 73,000 करोड़ रहा है।[11]

नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में सामाजिक न्याय हेतु सम्पन्न योजनाओं में अंत्योदय अन्न योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा इंदिरा आवास योजना का नाम भी प्रमुखता के साथ लिया जा सकता है। वस्तुतः इन योजनाओं की प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष भूमिका सामाजिक न्याय के क्षेत्र में रही हैं। अंत्योदय अन्न योजना की शुरूआत 25 दिसम्बर, 2000 को की गई थी, जिसे प्रभावी रूप में क्रियान्वित करने की दिशा में नरेन्द्र मोदी सरकार

के द्वारा प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है। निर्धनों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अंत्योदय अन्न योजना प्रारम्भ की गई, जिसमें एक करोड़ निर्धनतम परिवारों को प्रति माह 35 किग्रा. अनाज विशेष रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता रहा है। भारत की सरकार ने गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले 50 लाख अतिरिक्त परिवारों को इस योजना में शामिल करके अंत्योदय अन्न योजना का विस्तार किया गया है।

नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में ''प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना'' के माध्यम से बेरोजगारी और निर्धनता की समस्या के समाधान की दिशा में कार्य किया गया है तथा इसमें अधिक राशि आवंटित की जा रही है। यह उल्लेखनीय है कि डा. मनमोहन सिंह के समय वर्ष 2013-14 के बजट में प्रधानमत्री ग्राम सड़क योजना के तहत् रू. 21,700 करोड़ आवंटित किये गये थे। जबकि नरेन्द्र मोदी के समय में वर्ष 2014-15 में इस योजना हेतु 14391 करोड़ का बजट आवंटित किया गया था। वस्तुतः इस योजना के प्रारम्भ किए जाने के बाद से मार्च 2014 के अन्त तक रू. 182559.96 करोड़ के व्यय से ग्रामीण क्षेत्रों में 544462.39 किमी लम्बी ग्रामीण सडकों के निर्माण की परियोजनाएं अनुमोदित की जा चुकी हैं, ताकि 144713 बसावटों को पक्की सड़कों से जोड़ा जा सके। वर्ष 2015-16 के बजट में इस कार्यक्रम हेतु रू. 14,291 करोड़ आवंटित किये गये। वर्ष 2016-17 में इस योजना हेतु रू. 19,000 करोड़ आवंटित किये गये हैं। 2022-23 में आवंटन रू. 19000 करोड़ किया गया है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में इस दिशा में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है।

भारत में अनुसूचित जाति तथा जनजाति समाज के लोगों के कल्याण में सामाजिक न्याय की अवधारणा को सार्थक करने के लिए इंदिरा आवास योजना वर्ष 1985 में शुरू किया गया था, परन्तु उसे नरेन्द्र मोदी सरकार ने प्रभावी बनाया है। 1 अप्रैल, 2016 से इंदिरा आवास योजना की पुनर्सरंचना करके इसे 'प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण' के नाम से संचालित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम सन् 2022 तक 'सबके लिए आवास'के विजन को प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है।[12] नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में स्वच्छ भारत अभियान को क्रांतिकारी कहा जा सकता है। स्वच्छता एवं साफ-सफाई के प्रति जागरूकता सृजित कर देश को साफ-सुथरा व गंदगी से मुक्त बनाने के लिए राष्ट्र व्यापी स्वच्छ भारत अभियान का औपचारिक शुभारम्भ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा 2 अक्टूबर, 2014 को गांधी जयंती के अवसर पर किया गया था।

भारत सरकार के द्वारा गाँवों में स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को रू. 20-20 लाख के सालाना अनुदान की घोषणा की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में 11.11 करोड़ शौचालयों के निर्माण के लिए रू. 1.34 लाख करोड़ पहले ही प्रदान कर दी गई थी। स्वच्छ भारत अभियान के तहत् केन्द्रीय बजट वर्ष 2022-23 के लिए क्रमशः रू. 2300 करोड़ तथा 7192 करोड़ आवंटित किया गया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 1 अक्टूबर, 2021 को स्वच्छ भारत मिशन 2.0 (शहरी) लांच किया था, जिसका लक्ष्य सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाना है। इसके साथ ही एक लाख से कम आबादी वाले शहरी निकायों को खुले में शौच से मुक्त बनाना है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का कुल परिव्यय रू. 1.41 लाख करोड़ निर्धारित रहा है।[13]

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार में स्कूलों में प्रधानमंत्री पोषण के लिए राष्ट्रीय योजना पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसे वास्तविक सामाजिक न्याय की संज्ञा दी जा सकती है। इस योजना में सभी जाति एवं धर्म के गरीब

लोगों के कल्याण में बच्चों के पोषण पर खर्च किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति ने केन्द्र सरकार से 54061.73 करोड़ और राज्य सरकारों और केन्द्र-शासित प्रदेशों के प्रशासन से रू. 31,733.17 करोड़ वित्तीय परिव्यय के साथ 2021-22 से 2025-26 तक पाँच साल की अवधि के लिए 'स्कूलों में पीएम पोषण के लिए 'राष्ट्रीय योजना'को स्वीकृति प्रदान कर दिया है।

समन्वित बाल विकास योजना का 2005-06 तथा 2006-07 में विस्तार करते हुए इसके अन्तर्गत किशोरी बालिकाओं के लिए विशेष रूप में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु किशोरी शक्ति योजना को संचालित किया गया है। मोदी सरकार के द्वारा पूर्व की इस योजना को महत्व दिया जा रहा है। अब सर्व शिक्षा अभियान के लिए बजट आवंटन राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के अन्तर्गत आवंति किया जाता है। 2019-20 में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन पर वास्तविक आवंटन रू. 33.654 करोड़ था, जो 2020-21, रू. 28,244 करोड़ तथा 2021-21 में रू. 34,300 करोड़ हो गया। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम नरेन्द्र मोदी की सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और 2021-22 की बजट घोषणाओं के अनुरूप वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को आच्छादित करने के लिए वित्त वर्ष 2022-27 की अवधि के लिए 'न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम (नव भारत साक्षरता कार्यक्रम) को 16 फरवरी, 2022 को स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रौढ़ शिक्षा और आजीवन शिक्षण की अनुशंसाएँ शामिल हैं। प्रस्तुत योजना का उद्देश्य न केवल आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्रदान करना है, बल्कि 21वीं सदी के नागरिकों के लिए आवश्यक अन्य घटकों को भी शामिल करना अपेक्षित है।

'नव भारत साक्षरता कार्यक्रम'का अनुमानित कुल परिव्यय रू. 1037.90 करोड़ है, जिसमें वित्त वर्ष 2022-27 के लिए क्रमशः रू. 700 करोड़ का केन्द्रीय हिस्सा ओर रू. 337.90 करोड का राज्य हिस्सा शामिल किया जाना सुनिश्चित एवं अपेक्षित भी है।

शिक्षा के लिए एक डिजिटल आधारभूत संरचना, एनडीएएआर का ब्लूप्रिंट 29 जुलाई, 2021 को शुरू किया गया था, जिसे डिजिटलफस्ट माइंडसेट के सन्दर्भ में स्थापित किया जाना अपेक्षित है। जहाँ डिजिटल आर्किटेक्चर न केवल शिक्षण तथा सीखने की क्रियाकलाप में सहयोग करेगा, बल्कि केन्द्र, राज्य तथा केन्द्रशासित प्रदेशों की शैक्षिक योजना, शासन प्रशासनिक गतिविधियों में भी सहयोग करना भी महत्वपूर्ण है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य देश में स्कूल तथा उच्च-शिक्षा प्रणालियों में परिवर्तनकारी सुधारों को तेजी के साथ कायम करना है तथा इसका उद्देश्य सभी छात्रों को उनके निवास की परवाह किए बिना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना भी है। कमजोर, वंचित और कम प्रतिनिधित्व वाल समूहों पर विशेष ध्यान देने का लक्ष्य भी इस नीति के अन्तर्गत है।[14]

भारत में व्यापक विकास तथा सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु कृषक समाज का कल्याण आवश्यक प्रतीत होता है। कृषि तथा कृषक समाज के कल्याण और विकास की दिशा में नरेन्द्र मोदी की सरकार ने ईमानदार प्रयास किया है। इस सन्दर्भ में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अथवा 'रफ्तार', अटल भूजल योजना, तथा कुसुम योजना का नाम लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान की शुरूआत 12 सितम्बर, 2018 को प्रारम्भ किया गया। इस योजना की शुरूआत भारतीय कृषकों की आयु वर्ष 2022 तक दोगुना करने के उद्देश्य से किया गया। वस्तुतः यह एक त्रिआयामी योजना है, जो

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अन्तर्गत वितरण धान, गेहूँ एवं अन्य अनाजों की खरीद सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किए जाने की एक महत्वपूर्ण पूरक योजना है।

प्रस्तुत योजना कृषि आधारभूत संरचना के निर्माण के माध्यम से किसानों के प्रयासों को मजबूती प्रदान करेगी. जिससे गुणवत्तापूर्ण आगतों की आपूर्ति, बाजार सुविधा आदि में सहायता प्राप्त हो सकती है। 25 दिसम्बर, 2019 को भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा भूमि जल स्तर वाले क्षेत्रों में भूजल संरक्षण के लिए 'अटल भूजल योजना'प्रारम्भ की गई है। अटल जल की रूपरेखा सहभागी भूजल प्रबन्धन के लिए संस्थागत संरचना को सुदृढ़ करने तथा सात राज्यों अर्थात् गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में टिकाऊ भूजल संसाधन प्रबन्धन के लिए समुदाय स्तर पर व्यवहारगत बदलाव लाने के मुख्य उद्देश्य के साथ बनाई गई रू. 6,000 करोड़ के कुल परिव्यय में 50 प्रतिशत विश्व बैंक ऋण के रूप में स्वीकृत होगा तथा उसका भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा अपेक्षित है। मोदी सरकार के द्वारा 19 जनवरी, 2019 को कृषकों की ऊर्जा सुरक्षा एवं विकास हेतु कुसुम योजना की शुरूआत की गई। कुसुम योजना यानी किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान तीन घटकों की एक महत्वपूर्ण योजना है। कुसुम योजना के अन्तर्गत उपयोजना के रूप में कृषक आय सहायता योजना वर्ष 2021-22 से शुरू की गई है।[15]

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में सामाजिक न्याय और विकास हेतु शिक्षा, तकनीक एवं कौशल विकास से सम्बन्धित कई महत्वपूर्ण योजनाओं व कार्यक्रमों को निर्धारित एवं क्रियान्वित किया गया है, जिसमें समग्र शिक्षा अभियान तथा निपुण भारत मिशन का नाम प्रमुखता के साथ मिलाया जा सकता है।

भारत में नरेन्द्र मोदी की सरकार के केन्द्रीय मंत्री अर्थात् मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावेडकर ने 24 मई, 2018 को प्रीनर्सरी से लेकर कक्षा-12 तक की शिक्षा हेतु एक समेकित योजना के रूप में समग्र शिक्षा अभियान की शुरूआत किए जाने की घोषणा की नरेन्द्र मोदी सरकार ने 5 जुलाई, 2021 को 'निपुण भारत मिशन'की शुरूआत की है,[16] जो कक्षा 3 स्तर तक के बालकों को पढ़ाई से जोड़ता है। दूसरे शब्दों में निपुण भारत का लक्ष्य 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं को प्राथमिक रूप में पूरा करना है. शिक्षकों को इस बात पर ध्यान देना होगा कि प्रत्येक बच्चा बुनियादी भाषायी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल में पारंगत हो जाए ताकि, वे बेहतरीन पढने वाले और लिख सकने योग्य बन सकें। इस प्रकार निपुण भारत मिशन इस तथ्य पर केन्द्रित है कि सीखने का अनुभव बुनियादी स्तर पर समग्र, समन्वित, समावेशी, आनन्ददायक बननी चाहिए। निपुण भारत मिशन के लक्ष्य बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक योग्यता की 'लक्ष्य सूची'में शामिल किये गये हैं। अभिभावकों, समुदायों, स्वयं सेवकों आदि के बीच बृद्धिकारी जागरूकता पैदा करने के लिए लक्ष्यों को बालवाटिका से कक्षा-3 तक के लिए विकसित किया गया है।[17]

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में साक्षरता, शिक्षा तथा कौशल विकास के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। ऐसे योजनाओं में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (21 मार्च, 2015), राष्ट्रीय आविष्कार अभियान (9 जुलाई, 2015), स्टैंड अप इंडिया स्कीम (5 अप्रैल, 2016), प्रधानमंत्री युवा योजना (9 नवम्बर, 2016), जिज्ञासा अभियान (6 जुलाई, 2017), दीनदयाल स्पर्श योजना (3 नवम्बर, 2017), मेंटर इंडिया अभियान (23 अगस्त, 2017), प्रधानमंत्री शोध अध्येता योजना (7 फरवरी, 2018), कपिला कलाम कार्यक्रम (15

अक्टूबर, 2020) तथा राइज योजना आदि प्रमुख हैं। नरेन्द्र मोदी सरकार के द्वारा कौशल विकास हेतु 21 मार्च, 2015 को ''प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना'' शुरू की गई।

भारत के सामाजिक न्याय की अवधारणा को सार्थक बनाने के लिए दलित तथा वंचित समाज का कल्याण, सुरक्षा और विकास आवश्यक है। नरेन्द्र मोदी के इस दिशा में शिक्षा के क्षेत्र में 'स्टैंड अप इंडिया स्कीम'लागू किया है।

नरेन्द्र मोदी की सरकार 15 अक्टूबर, 2020 को पूर्व राष्ट्रपति और जाने-माने वैज्ञानिक स्वर्गीय डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की 89वीं जयंती पर बौद्धिक सम्पदा साक्षरता और जागरूकता अभियान 'कपिला' कलाम का शुभारम्भ किया है।[18] भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा शुरू किए गए आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में, ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और अर्थव्यवस्था में महिलाओं और लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए 16 अप्रैल, 2021 को संयुक्त रूप से जेंडर संवाद का शुभारम्भ किया है।[19]

नरेन्द्र मोदी की सरकार ने सामाजिक न्याय की अवधारणा को व्यापक, सकारात्मक एवं प्रभावी बनाने का प्रयास किया है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा 10 अक्टूबर, 2018 को माता एवं नवजात शिशुओं की मृत्यु के शून्यीकरण का लक्ष्य रखते हुए, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन) योजना शुरू की है। गर्भवती महिलाएं प्रसव के 6 महीने तक की सभी माताएं और सभी बीमार नवजात, निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त कर सकती है।[20]

भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 22 जनवरी, 2015 को हरियाणा के पानीपत में 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' योजना एवं 'सुकन्या समृद्धि योजना' का शुभारम्भ किया है। यह 'बेटी बचाओं-बेटी पढ़ाओं' योजना का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना एवं लड़कियों को सुशिक्षित और सशक्त बनाना है। सुकन्या समद्धि खाता योजना को बेटियों की सामाजिक सुरक्षा के तौर पर शुरू किया गया। इस अवसर पर बेटी बचाओं-बेटी पढ़ाओं का नाम पर डाक टिकट जारी करना साथ ही प्रचार वाहन जन जागरण के लिए रवाना किया। प्रधानमत्री ने बेटी बचाओं-बेटी पढाओं योजना के तहत् कम लिगानुपात वाले देश के सौ जिलों पर विशेष अभियान चलाकर इसके प्रति जन-जागरूकता कायम करने का प्रयास किया है।

प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरूआत मोदी सरकार के द्वारा की गई है। वित्त वर्ष 2021-22 के बजट भाषण में, 'प्रधानमंत्री, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना बनाई योजना की घोषणा 1 फरवरी, 2021 को 6 वर्षों में लगभग रू. 64,180 करोड़ के परिव्यय के लिए की गई थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 25 अक्टूबर, 2021 को यह योजना वाराणसी में प्रारम्भ किया था।

भारत के सबसे सशक्त एवं संवेदनशील प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की भूमिका कोरोना महामारी के समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 29 मई, 2021 को कोविड महामारी से प्रभावित बच्चों के लिए कई सुविधाओं वाली पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की घोषणा किया था। कोविड-19 के कारण

मातापिता दोनों या माता-पिता में से जीवित बचे या कानूनी अभिभावक/दत्तक माता-पिता को खोने वाले सभी बच्चों को 'पीएम-केयर्स फॉर चिल्डेन' योजना के तहत् सहायता प्रदान करना अपेक्षित है।

नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में सामाजिक न्याय की अवधारणा की सार्थकता में ग्रामीण विकास विषयक योजनाओं की उपस्थिति व भूमिका महत्वपूर्ण रही है। इस दिशा में सांसद आदर्श ग्राम योजना का नाम सबसे पहले लिया जा सकता है। वस्तुतः भारत का विकास गाँवों से प्रारम्भ होता है, क्योंकि यह गाँवों का देश है। इसलिए नरेन्द्र मोदी की सरकार ने 11 अक्टूबर, 2014 को भारत के गाँवों के समग्र विकास हेतु ''सांसद आदर्श ग्राम योजना'' की शुरूआत किया है,[21] जिनके क्रियान्वयन का दायित्व ग्रामीण विकास मंत्रालय को दिया गया है।

भारत में सामाजिक न्याय की सार्थकता हेतु आवास विशेषतः ग्रामीण परिवारों के लिए आवास की व्यवस्था अनिवार्य प्रतीत होती है, जिसपर नरेन्द्र मोदी की सरकार ने ध्यान दिया है। नरेन्द्र मोदी सरकार ने ''प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण'' की शुरूआत 20 नवम्बर, 2016 से किया था। उसमें यह लक्ष्य अभिनिर्धारित किया गया था कि वर्ष 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित, पक्का मकान उपलब्ध कराया जायेगा, जो पर्यावरणीय सन्दर्भ में भी ठीक होगा।[22] वर्ष 2014 में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की गठबन्धन सरकार के अस्तित्व में आने के बाद विपक्षी नेताओं ने मुस्लिम समाज को भ्रमित करने का काम किया था कि नरेन्द्र मोदी की सरकार में अल्पसंख्यक समाज के कल्याण, सुरक्षा और विकास पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। परन्तु वास्तविकता यह है कि मोदी सरकार ने समाज के सभी लोगों के विकास और विश्वास के प्रति लगातार प्रतिबद्धता व्यक्त किया है। मोदी सरकार के द्वारा अल्पसंख्यक समाज के कल्याण एवं विकास में अनेकानेक योजनाओं को निर्धारित एवं क्रियान्वित किया जाता रहा हैं, उनमें कुछ की चर्चा यहाँ आवश्यक प्रतीत होता है।

नरेन्द्र मोदी सरकार ने 14 मई, 2015 को 'उस्ताद योजना'की शुरूआत किया है, जिसका उद्देश्य कौशल उन्नयन एवं प्रशिक्षण द्वारा पारम्परिक कला एवं हस्तशिल्प का विकास करना है। अल्पसंख्यक समाज के कल्याण एवं विकास में 8 अगस्त, 2015 को मोदी सरकार के द्वारा 'नई मंजिल'नाम की योजना का शुभारम्भ किया गया था। धर्मनिरपेक्ष राज्य भारत में अल्पसंख्यक समुदायों की प्रगति और सशक्तिकरण के सम्बन्ध में समग्र दृष्टिकोण के साथ-साथ अल्पसंख्यकों के कल्याण में सुधार लाने के लिए यह योजना प्रारम्भ की गई थी। मोदी सरकार ने अगस्त, 2017 में शादी-शगुन योजना को प्रारम्भ किया है, जिसमें मुस्लिम समाज की लड़कियों एवं अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए रू. 51,000 की राशि बतौर शादी शगुन देने का सरकार ने निर्णय लिया है। प्रस्तुत योजना का मकसद मुस्लिम एवं अन्य अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार में सामाजिक न्याय विषयक शासकीय नीति एवं कार्यक्रम के अन्तर्गत पर्यावरण एवं स्वास्थ्य को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा 27 सितम्बर, 2021 को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत किया गया था, जिसके तहत् लोगों को एक डिजिटल स्वास्थ्य पहचान पत्र प्रदान की जाएगी। यह उल्लेखनीय है कि 25 अक्टूबर, 2021 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा वाराणसी में यह योजना प्रारम्भ की गयी थीं।[25]

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा 26 दिसम्बर, 2020 वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना-सेहत का शुभारम्भ किया गया है। इस योजना का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर क्षेत्र के सभी निवासियों के लिए स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रभावी रूप में उपलब्ध कराना है। प्रस्तुत योजना में 'सेहत' शब्द से तात्पर्य 'स्वास्थ्य और टेलीमेडिसिन के लिए सामाजिक प्रयास' है। यह योजना निःशुल्क बीमा प्रदान करती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शासन काल की स्वास्थ्य विषयक एक महत्वपूर्ण योजना का नाम है- ''आयुष्मान भारत योजना।'' इस महत्वपूर्ण योजना के तहत दो महत्वपूर्ण घोषणा की गई है-

(1) स्वास्थ्य एवं देखभाल केन्द्र-राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 में भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की नींव के रूप में स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्रों की स्थापना करने की बात की गई है।

(2) राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना- आयुष्मान भारत के तहत् इन दुर्गामी पहलों के तहत् 10 करोड़ से अधिक गरीब एवं कमजोर परिवारों (लगभग 50 करोड़ लाभार्थी) को दायरे में लाने के लिए एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना शुरू की जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 23 सितम्बर, 2018 को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की घोषणा की गई जो आयुष्मान भारत योजना का एक महत्वपूर्ण उपयोजना तथा घटक है।

नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं को निर्धारित एवं क्रियान्वित किया गया है। इस दिशा में ''प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना'' (पीएमबीजेपी) का नाम लिया जा सकता है, जिसे सितम्बर, 2015 में शुरू किया गया था। वस्तुतः गुणवत्तायुक्त दवाइयाँ वहन करने योग्य मूल्य पर सभी को उपलब्ध कराने के लिए सितम्बर 2015 में जन औषधि योजना को प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के रूप में प्रारम्भ किया गया था। नवम्बर, 2016 में इस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना कर दिया गया है।

तपेदिक (टीबी) को 2025 तक खत्म करने के लिए बजट में 'टीबी हारेगा देश जीतेगा' नाम की योजना नरेन्द्र मोदी की सरकार ने शुरू किया है। इस अभियान के तहत् सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि टीबी से पीड़ित लोगों को सरकारी तथा निजी अस्पतालों निःशल्क तथा उच्च गुणवत्ता युक्त उपचार उपलब्ध हो सके। यह उल्लेखनीय है कि अन्तर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र ने 2030 तक विश्व में टीम को समाप्त करने का लक्ष्य रखा। जबकि खुशी की बात यह है कि भारत ने देश से टीबी को 2028 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है।

भारत के सामाजिक न्याय के लिए जनजातीय समाज का कल्याण और विकास हमेशा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दिशा में मोदी सरकार ने 15 मई, 2020 को नई दिल्ली में एक वेबिनार में फेसबुक की साझेदारी में जनजातीय कार्य मंत्रालय के कार्यक्रम 'गोल (गोइंग ऑनलाइन ऐज लीडर्स)' की शुरूआत किया है। वस्तुतः गोल कार्यक्रम को डिजिटल प्रणाली के माध्यम से आदिवासी युवाओं को मेटरशिप प्रदान करने के लिए बनाया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति युवाओं को अपने प्रतिपालकों के साथ अपनी आकांक्षाओं, सपनों और प्रतिभाओं को साझा करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्मों का उपयोग करने में सक्षम योग्य एवं सक्रिय बनाना है। यह आदिवासी महिलाओं को डिजिटल दुनिया के साथ जोड़कर सशक्तिकरण बनाने के लिए

सकारात्मक वातावरण तैयार करने की दिशा में बहुत आगे तक जाएगा और उनकी प्रतिभा को सँवारने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का अधिकाधिक उपयोग भी अपेक्षित है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा गरीब लोगों के हित में 1 मई, 2016 को उज्ज्वला योजना शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य आगामी 3 वर्षों में गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) के पाँच करोड़ लभार्थियों को रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध कराना है। यह उल्लेखनीय है कि समर्थ लोगों द्वारा एलपीजी सब्सिडी छोड़ने हेतु 'गिव-इट-अप'अभियान जनवरी 2015 में ही प्रारम्भ हो चुकी थी।

निष्कर्ष: नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में सामाजिक न्याय का परिप्रेक्ष्य पूर्व की तुलना में बहुत ही व्यापक हुआ है, जो अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग से आगे बढ़ते हुए सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के कल्याण व विकास से सम्बन्धित हो गया है। मोदी की शासकीय नीति, जो संविधान में महत्व प्राप्त किया है के अन्तर्गत सर्वप्रथम वर्ष 2018 के 102वाँ संविधान संशोधन का नाम लिया जा सकता है, जिसने 1993 से गठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया है।[23] जैसा कि प्रस्तुत आलेख के प्रारम्भ में भी यह चर्चा की गई है कि भारत में सामाजिक न्याय की दिशा में सकारात्मक एवं क्रांतिकारी कदम के रूप में 103वाँ संविधान संशोधन, 2019 को माना जा सकता है। 103वाँ संविधान संशोधन के माध्यम से सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप में कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का उपबंध किया गया है।[24] इसके अतिरिक्त मोदी सरकार के शासन काल में अनेक सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिये जा रहे हैं तथा प्रभावी रूप में निष्पक्षता एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्यों का निर्वहन किया जा रहा है।

अबतक के विवेचन एवं विश्लेषण से बिल्कुल स्पष्ट है कि स्वतंत्र भारत की सामाजिक न्याय का स्वरूप मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में न केवल परिवर्तित हो रहा है, बल्कि व्यापक, सकारात्मक एवं प्रभावी रूप में निष्पादित हो रहा है। नरेन्द्र मोदी सरकार की सामाजिक न्याय की स्थापना के प्रति प्रतिबद्धता, ईमानदारी एवं सक्रियता बिल्कुल स्पष्ट, जिसके मूल में ''सबका विकास, सबका सथ तथा सबका विश्वास'' उपस्थित है।

संदर्भ सूची

1. भारतीय अर्थव्यवस्था, प्रतियोगिता दर्पण अतिरिक्तांक, वर्ष 2022, उपकार प्रकाशन आगरा, पृष्ठ-157
2. तदैव, पृष्ठ-169
3. तदैव, पृष्ठ-171-172
4. तदैव, पृष्ठ-171
5. तदैव, पृष्ठ-170-171
6. दैनिक समाचार पत्र, हिन्दुस्तान, पटना, 22 मई, 2020
7. तदैव, 10 अगस्त, 2019 ई.
8. भारतीय अर्थव्यवस्था, प्रतियोगिता दर्पण अतिरिक्तांक, वर्ष 2022, उपकार प्रकाशन, आगरा, पृष्ठ-116
9. तदैव, पृष्ठ-157-172

10. हिन्दुस्तान, दैनिक समाचार पत्र, पटना, तारीख-2 अप्रैल, 2008
11. भारतीय अर्थव्यवस्था, प्रतियोगिता दर्पण, उपकार प्रकाशन, आगरा, वर्ष 2022, पृष्ठ-155
12. तदैव, पृष्ठ-156-157
13. तदैव, पृष्ठ-157
14. तदैव, पृष्ठ-158-169
15. तदैव, पृष्ठ-173-174
16. दी हिन्दू, डेली न्यूज पेपर, नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2021
17. भारतीय अर्थव्यवस्था, प्रतियोगिता दर्पण, उपकार प्रकाशन, आगरा, वर्ष 2022, पृष्ठ-179
18. तदैव, पृष्ठ-181-185
19. द हिन्दू, डेली न्यूज नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2021
20. हिन्दुस्तान, दैनिक समाचार पत्र, पटना, तारीख-11 अक्टूबर, 2018 तथा प्रतियोगिता दर्पण मासिक पत्रिका, नवम्बर 2018 में भी सन्दर्भ।
21. दैनिक समाचार पत्र, हिन्दुस्तान, पटना से प्रकाशित, तारीख-12 अक्टूबर, 2014
22. भारतीय अर्थव्यवस्था, प्रतियोगिता दर्पण अतिरिक्तांक, वर्ष 2022, उपकार प्रकाशन, आगरा, (यू.पी.) पृष्ठ-190
23. एम. लक्ष्मीकांत, भारत की राजव्यवस्था, छठवां संस्करण, मैग्ग्रा हिल प्रकाशन, चेन्नई, तमिलनाडफ, 2020 पृष्ठ-एआईभी. 10
24. तदैव, पृष्ठ-7.8

अध्याय-19

सामाजिक लोकतंत्र के साधन के रूप में भारतीय संविधान

सरोज कुमार
सहायक आचार्य, राजनीतिक विज्ञान,
मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर

बालू दान बारहठ
सह आचार्य,
डीजीटीपीएस, केंद्रीय विश्वविद्यालय
गुजरात, गांधीनगर

'एक चीज जो हमें करनी चाहिए, वह है कि मात्र राजनीतिक प्रजातंत्र पर संतोष न करना। हमे हमारे राजनीतिक प्रजातंत्र को एक सामाजिक प्रजातंत्र भी बनाना चाहिए। जब तक उसे सामाजिक प्रजातंत्र का आधार न मिले, राजनीतिक प्रजातंत्र चल नहीं सकता। सामाजिक प्रजातंत्र का अर्थ क्या है? वह एक ऐसी जीवन पद्धति है जो स्वतत्रंता समानता और बधुंत्व को जीवन के सिद्धान्तों के रूप में स्वीकार करती है।''

- डॉ. बी.आर. अंबेडकर

संविधान कोई जड़ वस्तु नहीं होकर किसी राष्ट्र की आंकाक्षाओ का दर्पण होता है। विशेषकर भारत जैसे विशाल एवं विविधता वाले राष्ट्र में संविधान की भूमिका केवल राजनीतिक व्यवस्था ही नहीं अपितु नागरिकों के सामाजिक व आर्थिक रूपातंरण की भी थी। भारत के संविधान निर्माता इस बात से सचेत थे कि नागरिको की सामाजिक-आर्थिक आंकाक्षाओ की पूति ही संविधान के संरक्षण की सबसे प्रभावी गारण्टी है। फिर लोकतंत्र की सफलता व स्थायित्व भी इस बात पर निर्भर था कि संविधान किस तरह से भारतीय समाज को लोकतांत्रिक करने में सफल होता है। भारतीय संविधान को प्रतिस्थापित हुए 75 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है, ऐसे में यह प्रासंगिक होगा कि सामाजिक लोकतंत्र के एक साधन के रूप में संविधान की यात्रा का मूल्यांकन किया जाये।

भारतीय संविधान वास्तव में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो भारतीय समाज की संवैधानिक और राजनीतिक संरचना को परिभाषित करता है। संविधान न केवल राजनीतिक व्यवस्था को सुनिश्चित करता है, बल्कि इसमें समाज के विभिन्न पहलुओं और समूहों के हितों की रक्षा भी शामिल है। यहां कुछ खंडों में इसका आकलन किया जा रहा है:

- **सामाजिक भलाई और न्याय**: संविधान ने सामाजिक भलाई और न्याय के लिए उपायों की आवश्यकता है। यह सद्भावना की भावना को बढ़ावा देता है और विभिन्न समाजिक हितों की रक्षा करता है।
- **लोकतांत्रिक प्रक्रिया:** संविधान ने भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में परिभाषित किया है। इसके अनुसार, सरकार को जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, संसद के माध्यम से निर्देशित किया जाता है।
- **सामाजिक और आर्थिक विकास:** संविधान ने समाज के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए समुदायों की अनुमति दी है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की व्यवस्था दी गई है।

- **संविधान संशोधन:** संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया द्वारा संविधान को अद्यतन किया जा सकता है ताकि वह समय-समय पर सामाजिक भावनाओं के ढांचे में ढाला जा सके।

इस प्रकार, भारतीय संविधान ने समाज के संरक्षण और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में कार्य किया है और एक सामाजिक लोकतंत्र की शक्ति के रूप में भी कार्य किया है।

सामाजिक लोकतंत्र :

सामाजिक लोकतंत्र एक राजनीतिक विचारधारा है जो समाज को समृद्धि, न्याय और समानता की ओर ले जाने का उत्कृष्ट धारणा रखती है। इस विचारधारा की उत्पत्ति 19वीं सदी में हुई, जब समतावादी विचारकों ने कैपिटलिज्म के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उन्होंने समाज में समानता और न्याय के लिए लड़ा और उत्पादन के साधनों के संपादन को समाजवादी समाज के माध्यम से करने की बात की। सिंह के अनुसार[1] भारतीय समाज में सामाजिक न्याय की अवधारणा पर व्यापक चर्चा हुई है। विशेष रूप से 20वीं सदी के दौरान, सामाजिक लोकतंत्र का एक मध्यम संस्करण उभरा, जो उत्पादन के साधनों की राज्यिक नियंत्रण की ओर ध्यान केंद्रित किया और व्यापक सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का समर्थन किया। इस विचारधारा का मुख्य उद्देश्य था समाज में समानता और समृद्धि के स्तर को ऊपर ले जाना, लेकिन इसे उत्पादन के साधनों की पूर्ण रूप से सरकारी अधिग्रहण की बजाय नियंत्रण के माध्यम से आयोजित करने का समर्थन किया।

सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ : सामाजिक लोकतंत्र एक राजनीतिक और आर्थिक दर्शन है जो समाजवाद के आदर्शों को बाजार अर्थव्यवस्था और लोकतांत्रिक शासन की वास्तविकताओं के साथ समेटने का प्रयास करता है। यह एक मजबूत कल्याणकारी राज्य की वकालत करता है, जहाँ सभी नागरिकों के लिए बुनियादी जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा जैसी आवश्यक सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। साथ ही, सामाजिक लोकतंत्र ऐसी नीतियों को बढ़ावा देता है जो आर्थिक विकास और नवाचार को बढ़ावा देती हैं, धन और अवसर पैदा करने में एक जीवंत निजी क्षेत्र के महत्व को पहचानती हैं।

सामाजिक लोकतंत्र की मुख्य विशेषताओं में प्रगतिशील कराधान, धन का पुनर्वितरण, श्रम अधिकार और पर्यावरणीय स्थिरता शामिल हैं। सामाजिक लोकतंत्र का लक्ष्य एक अधिक समतावादी समाज बनाना है, जहाँ हर किसी को अपनी पृष्ठभूमि या परिस्थितियों की परवाह किए बिना, फलने-फूलने के लिए आवश्यक संसाधनों और अवसरों तक पहुँच हो। भारतीय संविधान विभिन्न प्रावधानों द्वारा सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करता है।

वास्तव में संविधान एक ऐसा जीवंत दस्तावेज होता है जो राष्ट्रीय आकांक्षाओ को प्रत्यक्षत प्रकट करता है। भारत जैसे विशाल राष्ट्र में जहां 800 वर्षो से अधिक की पराधीनता रही हो, जिसका दुनिया के सबसे भीषणतम तरीके से शोषण हुआ हो, जिसे औपनिवेशिक सत्ता ने स्वशासन के योग्य ही नहीं समझा हो, वहां पर लोकतंत्र की स्थापना विश्व के लिए आश्चर्य तो था ही सेलिंग हेरिसन जैसे विद्वानों के लिए यह सुनिश्चित असफलता का उदाहरण भी बनने वाला था। भारतीय लोकतंत्र के प्रति आशंका की सबसे बडी वजह थी यहां की सामाजिक और आर्थिक असमानता। लेकिन 75 वर्षों की संविधान की यात्रा ने यह स्पष्ट किया कि इसने न केवल राजनीतिक लोकतंत्र अपितु

सामाजिक लोकतंत्र को भी स्थापित करने का कार्य किया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर ग्रीनविल और ऑस्टिन[2] द्वारा विस्तार से चर्चा की गई है। संविधान की प्रस्तावना जिसे इसका सार या दार्शनिक आधार भी कहते है में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की स्थापना को संविधान के उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया। साथ ही अवसर और प्रतिष्ठा की समता बढ़ाने के प्रयास को भी प्रस्तावना का अंग बनाया गया।

ऐसे देश में जहां सामाजिक स्तर पर भेदभाव, ऊँच नीच व अस्पृश्यता व्यापक रही हो, उस देश के संविधान की प्रस्तावना के यह शब्द एक सामाजिक क्रांति के समान थे। वास्तव में फ्रांसीसी क्रांति के स्वतंत्रता समानता व बंधुत्व के नारे के उपरांत भारतीय संविधान की यह घोषणा विश्व के सभी वंचित समुदाय के लिए प्रकाश स्तंभ थी। साई[3] द्वारा भारत की अवधारणा की व्यापक चर्चा की गई है। भारतीय संविधान के भाग-3 जिसमें मौलिक अधिकारो का समावेश है तथा भाग-4 जिसमें नीति-निदेशक तत्व समाहित है, ने एक तरह से प्रस्तावना में लिए गए संकल्प की पूर्ति के साधन के रूप में कार्य किया। मौलिक अधिकारों के तहत केवल ''विधि के समक्ष समता'' को ही शामिल नहीं कर ''विधियो के समान संरक्षण'' को भी शामिल किया गया ताकि राज्य सकारात्मक भेदभाव द्वारा समाज के वंचित वर्ग के कल्याण के कार्य कर सके। भारतीय समाज में जाति, धर्म वंश, वर्ण, लिंग आदि के आधार पर नागरिकों के मध्य वर्षो तक विभेंद रहे। इस कारण से भारतीय समाज सामाजिक रूप से स्तरीकृत हो गया था। यह स्थिति न केवल सामाजिक समरसता के लिए अपितु राष्ट्रीय एकात्मकता के लिए भी गंभीर चुनौती थी। समानता के अधिकार के तहत संविधान ने इन सभी कृत्रिम आधारो पर किए जाने वाले भेदभावो का अंत कर दिया है। भारत में लंबे समय तक उच्च पद कुछ वर्गो तक ही सीमित रहे। वास्तविक लोकतंत्र के लिए यह स्थिति उपयुक्त नहीं थी अतः समानता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता प्रदान कर सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना को सशक्त किया गया। अवसर की यह समानता केवल औपचारिक ही नहीं रहकर धरातल पर इसका क्रियान्वयन भी हो, इसके ठोस प्रावधान भी संविधान में किए गए है।

अनुच्छेद 15 व अनुच्छेद 16 के माध्यम से राजकीय सेवाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथ महिलाओं व पिछड़े वर्गो के लिए स्थानो के आरक्षण की व्यवस्था की गई। वास्तव में आरक्षण के यह प्रावधान सामाजिक न्याय व सामाजिक लोकतंत्र की दिशा में विश्व मंे सबसे बड़े प्रयोग थे जिसके सार्थक परिणाम आज परिलक्षित है। यही नहीं समाज के स्वरूप में सामंती अवशेषो की समाप्ति व समरस समाज की स्थापना के उद्देश्य की पूर्ति संविधान का अनुच्छेद 18 सभी तरह की उपाधियों का अंत करके करता है। इसी तरह अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को दण्डनीय अपराध घोषित कर छुआछुत जैसी सामाजिक बुराई को समाप्त किया गया।

दरअसल संविधान का यह भाग सामाजिक असमानता को सामाजिक समानता तक पहुंचाने का एक प्रयास है। संविधान के अनुच्छेद 14 में भातीय नागरिकों के बहुमूल्य लोकतांत्रिक अधिकार का अथवा कानून के समक्ष सभी समान है के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। समानता के महत्वपूर्ण सिद्धांत की संविधान के अनुच्छेद 15 व 16 में विस्तार से व्याख्या की गई ।प्रत्यक्षत समानता का सिद्धांत बहुत ही उचित और सही लगता है । सामाजिक न्याय की एक प्रसिद्ध उक्ति है कि समानता केवल समान लोगों के बीच होती है, असमान के साथ समान जैसा व्यवहार करना असमानता की स्थिति ही प्रदान करता है। जाति-रहित तथा समतावादी समाज स्थापित करने और विशेष कर

मताधिकार प्रदान करने की संवैधानिक वचनबद्ध व्यवस्था ने भारतीय समाज में शताब्दियों से चली आ रही जाति प्रथा को सबसे बड़ी चुनौती दी है। जाति, वंश, मूल, लिंग एवं धर्म से परे समतावादी समाज की स्थापना करना भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है जिसे समानता के अधिकार के तहत स्वीकार किया गया है। परंतु समतावादी सिद्धांत भारत की जातिगत सामाजिक व्यवस्था में अचानक उभर कर सभी के समक्ष नहीं आया है ।परंपरागत असमानता पर आधारित व्यवस्था में परिवर्तन करने हेतु निरंतर प्रयास चलते रहे। कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भारतीय समाज में उत्तराधिकार के रूप में जो असमानता पाई जाती है उसको बदलने के लिए समाज सुधारको, धार्मिक विचारको, राष्ट्रीय नेताओं एवं देश के बुद्धिजीवियों द्वारा अनवरत रूप से प्रयास किए जाने का परिणाम भारतीय संविधान में समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख तथा वैष्णव मत में हिंदू धर्म ग्रंथो द्वारा प्रतिपादित सामाजिक असमानता के सिद्धांत के औचित्य को चुनौती दी तथा समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ब्रह्म समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन द्वारा चलाए गए समाज सुधार के आंदोलन ने मानव की समानता के सिद्धांत को जन्म दिया और उसे प्रचारित किया। कबीर एवं रविदास द्वारा भक्ति आंदोलन में भी भारतवर्ष की सामाजिक व्यवस्था में निम्न श्रेणी में सम्मिलित जातियों को आत्म सम्मान एवं सामाजिक बुराई के सिद्धांत का ज्ञान कराया। इसी तरह स्वाधीनता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी. आर. अंबेडकर जैसे विद्वान सामाजिक असमानता के प्रति जागरूक थे और उन्होंने भारतीय समाज में समानता के सिद्धांत को प्रतिपादित करने के आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन का अंग बनाया। महात्मा गांधी द्वारा समाज में निम्न वर्ग के लिए किए गए कार्य और अस्पृश्यता निवारण का संकल्प भारतीय समाज में सुधारवाद का बड़ा प्रयास था जिसे डॉ अम्बेडकर ने संवैधानिक आधार प्रदान कर उसे पूर्णता प्रदान करने का काम किया।दरअसल,भारत के सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलनों ने राजनीतिक समानता को स्थापित करने हेतु पूर्व पीठिका का महत्वपूर्ण कार्य कर समाज को इस हेतु तैयार किया।

इसी भांति बच्चो व महिलाओं के लिए स्वतंत्रता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 23 व अनुच्छेद 24 में विशेष प्रावधान किए गए। भारतीय लोकतंत्र बहुमत पर आधारित तो है लेकिन बहुसंख्यकवाद पर नहीं। भारत न धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ और न ही भाषायी अल्पसंख्यको के साथ विषमतापूर्वक व्यवहार को स्वीकार करता है। इसलिए स्वतंत्रता के अधिकार के तहत ही अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 30 तक भाषायी व धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए अनेक प्रावधन किए गए।

पाण्डे[4] द्वारा भारत के संविधान का विस्तार से विश्लेषण किया गया है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से मनाने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है जिसमें लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार दिया गया है। इसी तरह अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान करता है जिसमें लिखा है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को धार्मिक और पूर्त परियोजनाओं के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का, अपने धर्म सबंधित कार्यों का प्रबंध करने का, जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का तथा ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। इसी भांति

अनुच्छेद 27 में यह प्रावधान शामिल है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करो के संदाय के बारे में स्वतंत्रता प्राप्त होगी जिसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे करो के संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जिनके आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में वह करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से भी नियोजित किए जाते हैं। इसी भांति संविधान का अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने से छूट का प्रावधान भी करता है। इसी तरह संविधान का अनुच्छेद 29 और 30 संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार से संबंधित है जिसमें अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान करता है जिसमें निहित है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। साथ ही राज्य द्वारा पोषित या राज्य नीति से सहायता पाने वाली किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से किसी नागरिक को केवल धर्म मूल वंश ,जाति, भाषा या इनमें से किसी आधार पर वंचित नहीं किया जा सकेगा। इसी तरह संविधान का अनुच्छेद 30 धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है।[5]

मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त संविधान नीति निदेशक तत्वो के माध्यम से भी लोक कल्याण व सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करने का प्रयास करता है। इस भाग के तहत विशेषतः समाज के कमजोर वर्गो-महिलाओं, असहायों, वृद्धो, बालको, श्रमिको आदि की उन्नति के बारे में राज्य के कर्तव्यों का समावेश है। साथ ही राज्य का यह कर्तव्य भी निर्धारित किया है कि वह बीमारी, वृद्धावस्था अथवा असहाय स्थिति में सहायता करेगा। राज्य से यह भी अपेक्षित है कि वह व्यसन मुक्ति तथा नागरिको के जीवन स्तर को उच्च करने हेतु आवश्यक कदम भी उठायेगा। देखा जाये तो नीति निदेशक तत्वो की पूरी अवधारणा ही सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हेतु ही सम्मिलित की गई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी अनेक अवसरो पर व्यक्तिगत अधिकारों के ऊपर निदेशक तत्वो को वरीयता प्रदान कर सामाजिक लोकतंत्र की अवधारणा को पुष्ट किया है।

आधुनिक लोकतांत्रिक देशो में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता लंबे संघर्ष के पश्चात् ही संभव हो पायी थी। नरीमन[6] की पुस्तक 'यू मस्ट नो योर कॉन्स्टिट्यूशन' बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। लेकिन इस मामले में भारतीय संविधान ने आरंभ से ही बिना किसी भेदभाव के पूर्णतया लोकतांत्रिक निर्वाचन प्रक्रिया को स्वीकार किया। ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन सीमित मतदान के प्रावधान थे जिसमें शिक्षा, आय, भूमि, सपंति आदि के माध्यम से मत का अधिकार प्राप्त होता था। भारतीय संविधान ने इस सभी वर्जनाओ को तोड़ते हुए न केवल सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार को स्वीकार किया अपितु ''एक व्यक्ति एक मत'' के सिद्धान्त को स्वीकार कर राजनीतिक समानता को भी स्थापित किया। महिला मताधिकार के साथ ही साथ उन्हे निर्वाचित होने का अधिकार प्रदान करना भी भारतीय लोकतंत्र की ऐतिहासिक उपलब्धि थी। 73वे व 74वे संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन में आरक्षण के प्रावधान लागू होने के उपरांत आज देश में 40 लाख से अधिक महिलाएं निर्वाचित जनप्रतिनिधि है। इस तरह संसाधनो व भूमिकाओं पर सभी नागरिकों की समान पहूंच स्थापित करने में भारतीय संविधान सफल रहा है। आधुनिक लोकतंत्र की बुनियादी आवश्यकताओ स्वतंत्रता, समानता व बधुत्व से कही आगे भारतीय संविधान सहअस्तित्व व सर्वसमावेशिता पर बल देकर सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना कर रहा है।

चंद्रा की पुस्तक 'कानून, संविधान और सामाजिक न्याय पर अंबेडकर' कानून, संविधान और सामाजिक न्याय में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।[7] संविधान सभा में अंतिम दिन बोलते हुए डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने कहा था कि ''26 जनवरी 1950 से हम विरोधाभासो भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे है। राजनीतिक जीवन में तो हमारे पास समानता होगी लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी।'' आज देखा जा सकता है कि संविधान जितना राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है उससे कही अधिक सामाजिक लोकतंत्र को समर्पित है। संविधान के माध्यम से हमने प्रतिनिधियात्मक व्यवस्था के साथ-साथ लोकसेवा का लोकतंत्रीकरण कर अंबेडकर के विरोधाभास को भी समाप्त कर लिया है।

संविधान के 75 वर्ष की यात्रा पर प्रकाश डाले तो हम पाते है कि इतनी क्षेत्रीय, सामाजिक, भाषाई और धार्मिक विविधता के कारण तनाव होना स्वाभाविक है। कभी कभी यह तनाव संघर्ष का रूप भी ले लेते है लेकिन एक सुदृढ़ संवैधानिक ढांचे के कारण जिसमें समयबद्ध व निष्पक्ष निर्वाचन, संविधान के प्रति प्रतिबद्ध नौकरशाही, न्यायिक समीक्षा की व्यापक शक्तियों सहित स्वतंत्र न्यायपालिका तथा राज्य की सुरक्षा के साथ नागरिको की स्वतंत्रता की गारण्टी के कारण यह संघर्ष स्थानीय व क्षणभंगुर ही होते है। सी. बी. राजू की पुस्तक 'सोशल जस्टिस एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया' सामाजिक न्याय की अवधारणा पर प्रकाश डालती है।[8]

भारत की विकास यात्रा ने उन लोगों को गलत सिद्ध किया जिन्होने भविष्यवाणी की थी कि भारत आर्थिक विकास के निम्न स्तर, असमानता के उच्च स्तर और सामाजिक विविधता के कारण एक नहीं रह पाएगा। लेकिन भारत ने ''कही एक जगह अन्याय हर जगह न्याय के लिए खतरा है" की भावना के साथ सर्वसमावेशी मॉडल से सफलता प्राप्त की है। इस सफल यात्रा के आरंभ में एक समाजशास्त्री ने भारत को ''आधुनिक दुनिया का एक धर्मनिरपेक्ष चमत्कार और अन्य विकासशील देशों के लिए मॉडल कहा था।'' अपनी ई-पुस्तक 'स्वतंत्रता, समानता और न्याय' में, साठे[9] कानूनी सिद्धांतों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से बताते हैं। वास्तव में भारत आज भी उन देशो के लिए आशा की किरण है जो बुनियादी मानवीय मूल्यों के साथ आजादी को संजोए रखना चाहते है।

निष्कर्ष में, सामाजिक लोकतंत्र आधुनिक समाज की चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक प्रगतिशील और व्यावहारिक दृष्टिकोण के रूप में खड़ा है। बाजार की ताकतों और सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन की वकालत करके, सामाजिक लोकतंत्र एक अधिक न्यायपूर्ण और समतापूर्ण समाज बनाने का प्रयास करता है जहाँ सभी को सफल होने का अवसर मिले। चंद्रा[10] द्वारा लिखित 'सामाजिक न्याय' में सामाजिक न्याय की अवधारणा पर व्यापक चर्चा की गई है। समानता, एकजुटता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के माध्यम से, सामाजिक लोकतंत्र का उद्देश्य आर्थिक समृद्धि और नवाचार को बढ़ावा देते हुए समाज के सबसे कमज़ोर सदस्यों का उत्थान करना है।

हालाँकि, सामाजिक लोकतांत्रिक नीतियों के कार्यान्वयन के लिए आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक कारकों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के साथ-साथ बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने की इच्छा की आवश्यकता होती है। अपनी चुनौतियों के बावजूद, सामाजिक लोकतंत्र शासन के भविष्य को आकार देने में एक महत्वपूर्ण शक्ति बना हुआ है, जो एक ऐसे समाज की दृष्टि प्रदान करता है जो अपने नागरिकों की भलाई को प्राथमिकता देता है और सभी

के लिए साझा समृद्धि को बढ़ावा देता है। जैसा कि हम आधुनिक दुनिया की जटिलताओं को नेविगेट करना जारी रखते हैं, सामाजिक लोकतंत्र के सिद्धांत अधिक समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए आशा की किरण के रूप में काम करते हैं।

संदर्भ सूची

1. यू. सिंह, भारतीय समाज एवं सामाजिक न्याय [Indian Society and Social Justice] (यूनिक पब्लिशर्स इंडिया लि.), 36.
2. ग्रेनविल, आस्टिन. भारतीय संविधान राष्ट्र की आधारशिला. वाणी प्रकाशन, 48.
3. साईं, जे. इंडिया अर्थात भारत. दीपक, ब्लूनसवरी प्रकाशन, 34.
4. पाण्डे, जयनारायण. भारत का संविधान. सेंट्रल लॉ एजेंसी, 43.
5. विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार. भारतीय संविधान,70.
6. नरीमन, एफ.एस. आपको अपना संविधान अवश्य जानना चाहिए. हे हाउस प्रकाशक, भारत, 98.
7. नवीन कुमार चंद्रा, 'कानून संविधान और सामाजिक न्याय पर अम्बेडकर', ओक ब्रिज प्रकाशन, दिल्ली।
8. राजू, सी.बी. सामाजिक न्याय और भारत का संविधान। धारावाहिक प्रकाशन, दिल्ली, 89.
9. साठे, एस. पी. "स्वतंत्रता, समानता और न्याय" [ई-पुस्तक]। ईए/1191, एडी/629, 107.
10. चंद्रा, एन.के. सामाजिक न्याय। ओक ब्रिज प्रकाशन, दिल्ली, 99.

अध्याय-20

भारत में उच्च शिक्षा पर नई शिक्षा नीति 2020 का विश्लेषण और उसका प्रभाव

मो. वसीम अख्तर
जूनियर रिसर्च ऑफिसर,सामाजिक विकास परिषद दक्षिणी क्षेत्रीय केंद्र, हैदराबाद

मो. शाकिर अली
फैकल्टी - डिजिटल बिज़नेस लीथन अकादमी (eduCLaaS Pte Ltd), सिंगापुर

मुजफ्फर इस्लाम
सहायक प्राध्यापक, CTE दरभंगा, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद

शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति (NPE) भारतीयों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाई गई नीति है, यह नीति ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में प्राथमिक शिक्षा को कॉलेजों तक कवर करती है। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी द्वारा भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित किया गया था, दूसरी 1986 में प्रधान मंत्री राजीव गांधी द्वारा और तीसरी 2020 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रख्यापित कि गई, विश्वस्तरीय बदलाव के कारण भारत में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की वजह से बहुत बदलाव आने की संभावना है। शिक्षा पद्धति का डिजिटलाइजेशन और नए कौशल आधारित शिक्षा को शामिल करने की वजह से अत्यधिक रोजगार उत्पन्न होने की संभावना है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020), जिसे 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया, भारत की नई शिक्षा प्रणाली के दृष्टिकोण को रेखांकित करती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर पिछली राष्ट्रीय नीति, 1986 की जगह लेती है, यह नीति प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के साथ-साथ ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए एक व्यापक रूपरेखा है। इस नीति का उद्देश्य 2026 तक भारत की शिक्षा प्रणाली को बदलना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भाषा नीति के संबन्ध में एक व्यापक दिशानिर्देश दिया गया है; यह राज्यों, संस्थानों और स्कूलों पर निर्भर करता है कि वे कार्यान्वयन पर निर्णय लें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारत की शिक्षा नीति में कई बदलाव किए हैं। इसका लक्ष्य शिक्षा पर राज्य के खर्च को जल्द से जल्द जीडीपी के लगभग 4% से 6% तक बढ़ाना है, जनवरी 2015 में, पूर्व कैबिनेट सचिव टी.एस.आर. सुब्रमण्यम के नेतृत्व में एक समिति ने नई शिक्षा नीति के लिए परामर्श प्रक्रिया शुरू की। समिति की रिपोर्ट के आधार पर, जून 2017 में, पूर्व भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के प्रमुख कृष्णास्वामी कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में एक पैनल द्वारा 2019 में मसौदा NEP प्रस्तुत किया गया था। ड्राफ्ट नई शिक्षा नीति (DNEP) 2019, बाद में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी की गई थी, जिसके बाद कई सार्वजनिक परामर्श हुए, मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 484 पृष्ठ थे। मंत्रालय ने मसौदा नीति तैयार करने में एक कठोर परामर्श प्रक्रिया शुरू की: "2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6,600 ब्लॉकों, 6,000 शहरी स्थानीय निकायों (ULBs), 676 जिलों से दो लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए", राष्ट्रीय शिक्षा नीति का दृष्टिकोण है:,

"राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक भारत-केंद्रित शिक्षा प्रणाली की कल्पना करती है जो सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके हमारे देश को एक समान और जीवंत ज्ञान वाले समाज में स्थायी रूप से बदलने में योगदान देती है।"

गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का लक्ष्य ऐसे व्यक्तियों को विकसित करना होना चाहिए जो उत्कृष्ट, विचारशील, पूर्ण-समावेशी और रचनात्मक हों, इसे किसी व्यक्ति को रुचि के एक या एक से अधिक विशिष्ट क्षेत्रों का गहराई से अध्ययन करने और चरित्र, नैतिक और संवैधानिक मूल्यों, बौद्धिक जिज्ञासा, वैज्ञानिक स्वभाव, रचनात्मकता, सेवा भावना, और 21वीं सदी के कौशल को एक सीमा तक विकसित करने में सक्षम बनाना चाहिए, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी, भाषा, व्यक्तिगत, तकनीकी और व्यावसायिक विषयों सहित कई क्षेत्रों में नई शिक्षा नीति वर्तमान प्रणाली में कुछ मूलभूत परिवर्तन लाती है, और मुख्य आकर्षण बहु-विषयक विश्वविद्यालय और कॉलेज हैं, जिनमें प्रत्येक जिले में या उसके आस-पास कम से कम एक छात्र पाठ्यक्रम, शिक्षाशास्त्र, मूल्यांकन और बेहतर छात्र अनुभव के लिए समर्थन, स्थापित करना है, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में उत्कृष्ट सहकर्मी-समीक्षा कार्य और प्रभावी रूप से अध्ययन का समर्थन करने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी।

भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली मैं कुछ समस्याओं का सामना किया जा रहा है, प्रारंभिक विशेषज्ञता और प्रतिबंधित अनुसंधान क्षेत्रों में छात्र स्ट्रीमिंग (द्रवीभूत), अधिकांश विश्वविद्यालयों और स्कूलों में अनुसंधान पर कम ध्यान देना, और प्रतिस्पर्धी सहकर्मी-समीक्षा शैक्षणिक अनुसंधान निधि और बड़े सम्बंधित विश्वविद्यालयों की कमी शामिल हैं।

संस्थागत पुनर्गठन और समेकन का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों को बड़े बहुविषयक में बदलकर उच्च शिक्षा के विखंडन को समाप्त करना है, अच्छे उद्देश्य, कौशलयुक्त और व्यक्तित्व का निर्माण करना और अन्य देशों को शैक्षिक और आर्थिक रूप से बदलना, उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि करना, जिसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण भी शामिल है। 26.3% (2018) से 2035 तक 50% का लक्ष्य है।

समग्र और बहु-विषयक शिक्षा को सभी मानवीय क्षमताओं-मानसिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक और नैतिक में सुधार करने के लिए एक एकीकृत तरीके से प्रयास करना चाहिए। लंबी अवधि में, इस तरह की व्यापक शिक्षा चिकित्सा, तकनीकी और व्यावसायिक विषयों सहित सभी स्नातक कार्यक्रमों के लिए विधि होगी, बेहतर सीखने के वातावरण और छात्रों के लिए अच्छी परस्पर संवादात्मक (Intractive) शिक्षाशास्त्र, निरंतर रचनात्मक मूल्यांकन और छात्रों के लिए पर्याप्त सुविधा सहित समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है।

उच्च शिक्षा से संबंधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मुख्य विशेषताएं

राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्कूल स्तर से कॉलेज/विश्वविद्यालय स्तर तक प्रणाली में औपचारिक बदलाव लाने के उद्देश्य से पेश किया गया है। विकासशील परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा सामग्री अब मुख्य-अवधारणाओं, विचारों, अनुप्रयोगों और समस्या-समाधान पर ध्यान केंद्रित करेगी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से देश की उच्च शिक्षा प्रणाली पर सकारात्मक और दीर्घकालीन प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, तथ्य यह है कि विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर खोलने की अनुमति दी जाएगी, सरकार द्वारा एक सराहनीय पहल है। इससे छात्रों को अपने ही देश में शिक्षा की

वैश्विक गुणवत्ता का अनुभव करने में मदद मिलेगी, बहु-विषयक संस्थानों को शुरू करने की नीति कला, मानविकी जैसे हर क्षेत्र पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करेगी और शिक्षा के इस रूप से छात्रों को समग्र रूप से सीखने और आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, इस प्रकार, छात्रों को मजबूत ज्ञान से सुसज्जित किया जाएगा।

एकल सामान्य प्रवेश परीक्षा की शुरूआत एक और सकारात्मक कदम है जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं के तनाव को कम करेगा और उनमें से कई की तैयारी के दबाव को कम करेगा, यह आगे बढ़ने वाले सभी छात्र आवेदकों के लिए एक स्तरीय खेल का मैदान भी सुनिश्चित करेगा, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (ABC) की स्थापना निश्चित रूप से अकादमिक क्रेडिट को संग्रहीत करने के लिए एक मजबूत विचार है जो छात्र विभिन्न मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानों से पाठ्यक्रम अर्जित करते हैं। एक छात्र एक पाठ्यक्रम पूरा करके अंक अर्जित कर सकता है और इन्हें ABC खाते में जमा किया जाएगा। अगर कोई कॉलेज बदलने का फैसला करता है तो वह इन क्रेडिट्स को ट्रांसफर कर सकता है। यदि कोई छात्र कभी किसी कारण से बाहर हो जाता है, तो ये क्रेडिट बरकरार रहेंगे, जिसका अर्थ है कि वह वर्षों बाद वापस आ सकता है और जहां से छात्र ने छोड़ा था वहां से शुरू कर सकता है।

नई उच्च शिक्षा नियामक संरचना यह सुनिश्चित करेगी कि अलग-अलग, स्वायत्त और अधिकार प्राप्त निकायों द्वारा अलग-अलग प्रशासनिक, मान्यता, वित्तपोषण और शैक्षणिक मानक-निर्धारण भूमिकाएं निभाई जाती हैं। इन चार संरचनाओं को भारत के उच्च शिक्षा आयोग (HECI) के एक छात्र संस्थान के भीतर चार स्वतंत्र कार्यक्षेत्रों के रूप में स्थापित किया जाएगा, उच्च शिक्षा क्षेत्र में NEP द्वारा बहुत सारे सुधार और नए विकास शुरू किए गए हैं। कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. **उच्च शिक्षा के लिए एकल नियामक संस्था: (Single Regulatory Body for Higher Education)**

NEP का उद्देश्य भारत के उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना करना है जो कानूनी और चिकित्सा शिक्षा को छोड़कर एकल नियामक निकाय होगा।

2. **बहुप्रवेश और निकास कार्यक्रम: (Multiple Entry and Exit Programme)**

कोर्स को बीच में छोड़ने के इच्छुक लोगों के लिए प्रवेश और निकास के कई विकल्प होंगे। उनके क्रेडिट अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (ABC) के माध्यम से स्थानांतरित किए जाएंगे।

3. **तकनीक के माध्यम से वयस्क शिक्षा के विकल्प: (Alternatives to Adult Education through Technology)**

वयस्क शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रौद्योगिकी आधारित विकल्प जैसे ऐप, ऑनलाइन पाठ्यक्रम/मॉड्यूल, उपग्रह-आधारित टीवी चैनल, ऑनलाइन पुस्तकें और आईसीटी से लैस पुस्तकालय और प्रौढ़ शिक्षा केंद्र आदि विकसित किए जाएंगे।

4. **क्षेत्रीय भाषाओं में ई-पाठ्यक्रम उपलब्ध होंगे: (E-Courses to be available in regional language)**

प्रौद्योगिकी शिक्षा योजना, शिक्षण, सीखने, मूल्यांकन, शिक्षक, स्कूल और छात्र प्रशिक्षण का हिस्सा होगी। हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में उपलब्ध ई-पाठ्यक्रमों में शामिल होने के लिए ई-सामग्री क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगी, जिसकी शुरुआत 8 प्रमुख भाषाओं - कन्नड़, तेलगु, उड़िया, बंगाली आदि से होगी।

5. **विदेशी विश्वविद्यालय भारत में कैंपस स्थापित करेंगे:**
(Foreign Universities to setup campuses in India)

दुनिया के शीर्ष 100 विदेशी विश्वविद्यालयों को एक नए कानून के माध्यम से भारत में संचालित करने की सुविधा प्रदान की जाएगी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दस्तावेज के अनुसार, "ऐसे (विदेशी) विश्वविद्यालयों को भारत के अन्य स्वायत्त संस्थानों के समान नियामक, प्रशासन और सामग्री मानदंडों के संबंध में विशेष छूट दी जाएगी"।

6. **सभी कॉलेजों के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा: (Common Entrence Exame for all Colleges)**

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी [National Testing Agencies (NTA)] द्वारा आयोजित होने वाले सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता है।

a. उच्च शिक्षा को विनियमित करने के लिए एक भारतीय उच्च शिक्षा परिषद (Higher Education Council of India, HECI) की स्थापना की जाएगी, परिषद का लक्ष्य सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाना होगा। HECI के 4 वर्टिकल होंगे: राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद (National Higher Education Regulatory Council, NHERC), चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर, शिक्षक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा को विनियमित करने के लिए।

b. राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (National Assessment and Accredition Council , NAAC), एक "मेटा-मान्यता प्राप्त निकाय"।

c. विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के वित्त पोषण और वित्तपोषण के लिए उच्च शिक्षा अनुदान परिषद (Higher Education Grants Council, HEGC)। यह मौजूदा राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (All India Council for Technical Education, AICTE) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission, UGC) का स्थान लेगा।

d. सामान्य शिक्षा परिषद (General Education Council ,GEC), "स्नातक विशेषताओं" को तैयार करने के लिए, अर्थात् सीखने के परिणाम की उम्मीद है, यह राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता ढांचा (National

Higher Education Qualification Framework, NHEQF) तैयार करने के लिए भी जिम्मेदार होगा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (National Council for Teacher Education, NCTE) एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी (Professional Standard Setting Body in India, PSSBI)के तौर पर (General Education Curriculum, GEC) के तहत आएगी।

उच्च शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभाव का विस्तृत विश्लेषण

1. उच्च शिक्षा की नियामक प्रणाली

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में एक महत्वपूर्ण बदलाव चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर, उच्च शिक्षा के लिए एक छत्र निकाय के रूप में भारतीय उच्च शिक्षा परिषद (HECI) की स्थापना का प्रस्ताव है, इससे आम तौर पर एक सवाल सामने आएगा कि मौजूदा UGC और AICTE का क्या होगा? HECI उच्च शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है; यह विधेयक क्षेत्र के अकादमिक और वित्त पोषण पहलुओं को अलग करेगा, नए विधेयक के अनुसार, HECI के पास कोई वित्तीय अधिकार नहीं होंगे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा नियंत्रित की जाने वाली वित्त पोषण प्रक्रियाओं को शिक्षा मंत्रालय द्वारा ध्यान रखा जाएगा, जिसे पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) के रूप में जाना जाता था, हालाँकि इस बदलाव से भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली में नियामकीय गड़बड़ी दूर होने की उम्मीद है। HECI के चार स्वतंत्र कार्यक्षेत्र होने की उम्मीद है - विनियमन के लिए राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद (NHERC), मानक-सेटिंग के लिए सामान्य शिक्षा परिषद (GEC), वित्त पोषण के लिए उच्च शिक्षा अनुदान परिषद (HEGC) और मान्यता के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (NAAC), शिक्षा के मानकों में एकरूपता लाने के लिए एक केंद्रीय एजेंसी आवश्यक थी, और यह कई शिक्षाविदों का दृष्टिकोण रहा है। इसे शिक्षा नीति को सुव्यवस्थित करने की दिशा में सही कदम माना जा रहा है, हालांकि, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, संस्थानों को अनुसंधान, उद्योग लिंकेज, प्लेसमेंट और शैक्षणिक उत्कृष्टता आदि जैसे प्रासंगिक मापदंडों के आधार पर मापा जाना चाहिए, यदि HECI इसे प्रबंधित कर सकता है, तो इसके सबसे बड़े हितधारक, भारत के युवाओं को लाभ हो सकता है।

2. वर्गीकृत प्रत्यायन और वर्गीकृत स्वायत्तता

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में "नवाचार के लिए सशक्तिकरण और स्वायत्तता" की अवधारणा प्रमुख विशेषताओं में से एक है, जो संबद्ध कॉलेजों से स्वायत्त संस्थानों में "चरणबद्ध तरीके से बाहर करने" की रणनीति का समर्थन करती है, स्वायत्त संस्थानों के लचीलापन पाठ्यचर्या संवर्धन में आशा जगाता है। इसमें यह भी कहा गया है कि उचित मान्यता के साथ, स्वायत्त डिग्री देने वाले कॉलेज अनुसंधान-केंद्रित या शिक्षण-गहन विश्वविद्यालयों में विकसित हो सकते हैं, यदि वे चाहें तो, देश में बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय (एम ई आर यू) की स्थापना की घोषणा से और उम्मीद बंधी है, ये संस्थान मौजूदा IIT और IIM के बराबर होंगे और भारतीय छात्रों के लिए बहु-विषयक शिक्षा का प्रदर्शन करने का लक्ष्य रखेंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में एक अन्य महत्वपूर्ण बदलाव से पता चलता है कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी उच्च शिक्षा संस्थानों में स्नातक और स्नातक प्रवेश और फैलोशिप के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए एक प्रमुख, विशेषज्ञ, स्वायत्त परीक्षण संगठन के रूप में काम करेगी। एनटीए परीक्षण सेवाओं की उच्च गुणवत्ता, सीमा और लचीलापन अधिकांश विश्वविद्यालयों को इन आम प्रवेश परीक्षाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाता है, बजाय इसके कि सैकड़ों विश्वविद्यालय अपनी स्वयं की प्रवेश परीक्षा तैयार करें। जिससे छात्रों, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों पर बोझ काफी कम हो जाएगा, और संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था, अलग-अलग विश्वविद्यालयों और कॉलेजों पर छोड़ दिया जाएगा, वह अपने प्रवेश के लिए एनटीए आकलन का उपयोग करें, यह निश्चित रूप से छात्रों को अपनी डिग्री और क्रेडिट को आसानी से विदेशों के विश्वविद्यालयों में स्थानांतरित करने में भी मदद करता है।

3. घरेलू अंतर्राष्ट्रीयकरण

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विदेशी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को भी भारत आने की अनुमति देता है और यह देशी संस्थानों के लिए उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने की चुनौती पेश करता है, भारतीय उच्च शिक्षा क्षेत्र विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए देश में कैंपस स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त करने के अवसर के रूप में चारों ओर चर्चा कर रहा है, 900 से अधिक विश्वविद्यालयों और 40,000 कॉलेजों के साथ भारत के पास दुनिया में उच्च शिक्षा प्रणालियों का सबसे बड़ा नेटवर्क है, लेकिन उच्च शिक्षा में भारत का Gross Enrolment Ratio (GER) सकल नामांकन अनुपात 26.3% है, जो अन्य ब्रिक्स देशों जैसे ब्राजील (50%) या चीन (51%) की तुलना में काफी कम है, और यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी की तुलना में बहुत कम है, भारत को एक स्थायी आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए वैश्विक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि हासिल करनी चाहिए, जो प्राकृतिक संसाधनों से नहीं बल्कि ज्ञान संसाधनों से संचालित होनी चाहिए, रिपोर्टों के अनुसार, भारत को 2030 तक 1,500 से अधिक नए उच्च शिक्षा संस्थानों की आवश्यकता होगी ताकि छात्रों की भारी आमद को समायोजित किया जा सके, यही कारण है कि भारत सरकार FDI (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) को बढ़ावा देना चाहती है और ECB (External Commercial Borrowing) बाहरी वाणिज्यिक उधार खोलना चाहती है।

मंत्रालय भारत की छवि को एक शिक्षा केंद्र के रूप में भी बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है क्योंकि पहले से ही 7 लाख से अधिक भारतीय छात्र विदेशों में पढ़ रहे हैं, इसलिए, इस नीति का आशय यह है कि, विदेशी विश्वविद्यालयों को अनुमति देने से विश्व स्तर की शिक्षा बिना यात्रा के काफी कम लागत पर स्थानीय रूप से उपलब्ध हो सकेगी और अध्ययन और नौकरी की संभावनाओं के लिए अन्य देशों में जाने वाली मानव पूंजी में काफी कमी आएगी, विभिन्न वैश्विक सर्वेक्षणों के अनुसार, सीमा पार शिक्षा अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है और वैश्विक जागरूकता, सांस्कृतिक रूप से अवधारणात्मक और प्रतिस्पर्धात्मकता का एक व्यापक स्तर लाती है। विदेशी सहयोग स्थानीय संस्थानों को अंतरराष्ट्रीय शिक्षाशास्त्र के अनुरूप अपने पाठ्यक्रम को डिजाइन करने में सक्षम बनाता है और छात्रों को विषयों और विशेषज्ञता के विविध पोर्टफोलियो प्रदान करता है।

4. अधिक समग्र और बहुआयामी शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का दावा है कि, एक समग्र और बहु-विषयक शिक्षा का उद्देश्य मानव की सभी क्षमताओं- बौद्धिक, सौंदर्य, सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक और नैतिक को एक एकीकृत तरीके से विकसित करना होगा, इस तरह की शिक्षा कला, मानविकी, भाषा, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, और पेशेवर, तकनीकी और व्यावसायिक क्षेत्रों में 21वीं सदी की महत्वपूर्ण कौशल क्षमताओं के व्यक्तियों को विकसित करने में मदद करेगी; राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 2030 तक हर जिले में या उसके पास एक बड़े बहु-विषयक उच्च शिक्षा संस्थान (HEI) की कल्पना की गई है।

इस तरह की समग्र और बहु-विषयक शिक्षा की प्राप्ति के लिए, सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लचीले और कौशलयुक्त पाठ्यक्रम में सामुदायिक जुड़ाव और सेवा, पर्यावरण शिक्षा और मूल्य-आधारित शिक्षा के क्षेत्रों में क्रेडिट-आधारित पाठ्यक्रम और परियोजनाएं शामिल होंगी, पर्यावरण शिक्षा में जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता, जैविक विविधता का संरक्षण, जैविक संसाधनों और जैव विविधता का प्रबंधन, वन और वन्य जीवन संरक्षण, सतत विकास जैसे क्षेत्र शामिल होंगे, मूल्य-आधारित शिक्षा में मानवतावादी, नैतिक, संवैधानिक और सत्य (सत्य), धार्मिक आचरण (धर्म), शांति (शांति), प्रेम (प्रेम), अहिंसा (अहिंसा), वैज्ञानिक स्वभाव, नागरिकता के सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों का विकास शामिल होगा, मूल्य और जीवन-कौशल भी; सेवा के पाठ और सामुदायिक सेवा कार्यक्रमों में भागीदारी को समग्र शिक्षा का एक अभिन्न अंग माना जाएगा।

जैसा कि दुनिया तेजी से आपस में जुड़ रही है, वैश्विक नागरिकता शिक्षा Global Citizenship Education (GCED), समकालीन वैश्विक चुनौतियों का सामना है, शिक्षार्थियों को वैश्विक मुद्दों के बारे में जागरूक होने और समझने और अधिक शांतिपूर्ण, सहिष्णु, समावेशी, सुरक्षित के सक्रिय प्रवर्तक बनने के लिए सशक्त बनाने के लिए प्रदान किया जाएगा। अंत में, एक समग्र शिक्षा के हिस्से के रूप में सभी HEI में छात्रों को स्थानीय उद्योग, व्यवसायों, कलाकारों, शिल्पकारों आदि के साथ इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए जाएंगे, साथ ही संकाय और शोधकर्ताओं के साथ उनके स्वयं के या अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए जाएंगे। छात्र सक्रिय रूप से अपने सीखने के व्यावहारिक पक्ष से जुड़ सकें और उत्पाद के रूप में अपनी रोजगार क्षमता में और सुधार कर सकें।

5. डिग्री कार्यक्रमों की संरचना और अवधि

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 योजना के सन्दर्भ में किसी भी संस्थान में किसी भी स्नातक की डिग्री की अवधि तीन या चार वर्ष की होगी, (इस अवधि में कोई भी डिग्री छोड़ सकता) है। किसी भी शैक्षणिक संस्थान में छात्र को दो साल का अध्ययन पूरा करने के बाद डिप्लोमा की डिग्री, तीन साल का अध्ययन पूरा करने के बाद एक डिग्री और किसी भी व्यावसायिक या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में एक साल का अध्ययन पूरा करने वाले छात्रों को एक प्रमाण पत्र देना होगा, भारत सरकार शैक्षणिक क्रेडिट को डिजिटल रूप से संग्रहीत करने के लिए एक अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्थापित करने में भी मदद करेगी, इससे संस्थान क्रेडिट को अंत में गिनने और छात्र की डिग्री में लगाने में सक्षम होंगे। यह उन लोगों के लिए मददगार होगा, जिन्हें कोर्स बीच में छोड़ना पड़ सकता है। वे पाठ्यक्रम को बाद में वहीं से शुरू कर सकते हैं जहां से उन्होंने छोड़ा था और एक बार फिर से शुरुआत से शुरू नहीं कर सकते, भले ही राष्ट्रीय

शिक्षा नीति 2020 कहता है कि उच्च शिक्षा संस्थानों को पीजी पाठ्यक्रम शुरू करने की स्वतंत्रता दी जाएगी, लेकिन 4 साल की यूजी डिग्री पूरी करने वाले छात्रों के लिए एक साल की पीजी डिग्री और 3 साल की UG पढ़ाई पूरी करने वाले छात्रों के लिए दो साल की पीजी डिग्री डिजाइन करने में कुछ कठिनाई हो सकती है।

कुछ रोचक तथ्य और विवरण

हम 21वीं सदी में दौर रहे हैं जहां तकानीक की कोई सीमा नहीं है। यह कट्टरपंथी विकास का चरण है जहां प्रौद्योगिकी हर जगह और कोने पर कब्ज़ा कर रही है। स्मार्टफोन, लैपटॉप और टैबलेट कोई अनजान शब्द नहीं हैं , इस चरण के दौरन शिक्षा प्रणाली बेहतरी के लिये विकसित हो रही है, क्योंकी इस पीढ़ी के छात्र सरल सीखने की सीमाओं से बंधे होने के लिये पैदा नहीं हुए हैं; उनकी जिज्ञासा विशाल है और उन्हें पहले से तैयार की गई शैक्षिक प्रणालियों से पूरा नहीं किया जा सकता है, अगर हम अपने बच्चों को उसी तरह पढ़ाते रहे जिस तरह कल पढ़ाया करते हैं तो हम उन्हें उनके कल से वंचित कर देंगे। हमारे पुराने शिक्षा व्यवस्था में 21वीं सदी में टिके रहने की क्षमता नहीं है, इसलिए हम अपने शिक्षा प्रणाली में डिजिलीकरण का उपयोग करने के लिए मजबूर हैं।

ऑनलाइन पाठ्यक्रम (Online courses) - एक नई भाषा सीखना चाहते हैं या शायद किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित होना चाहते हैं, लेकिन दूरी तय करने का समय नहीं है। ऑनलाइन पाठ्यक्रम उन विशेषाग्यों द्वारा विकसित किये जाते हैं जिनके पास अपने विशिष्ट क्षेत्र में बेहतर दक्षता होते हैं और जो आपको अपना ऑनलाइन पाठ्यक्रम डिजाइन कराके वास्तविक समय सीखने का अनुभव दे सकते हैं।

ऑनलाइन परीक्षाएं (Online exams) - डिजिलीकरण ने ऑनलाइन परीक्षा का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे परीक्षा प्रक्रिया शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए सुविधाजनक हो गई।

डिजिटल पाठ्यपुस्तकें (Digital textbooks) - ई-पाठ्य पुस्तकों और इसके जैसे किसी नामों के साथ भी प्रचलित, डिजीटल पाठ्यपुस्तकें, एक साक्षात्कार प्रदान करते हैं, जिसमें छात्रों के पास वीडियो, इंटरैक्टिव प्रस्तुतिकरण और हाइपरलिंक्स जैसी मल्टीमीडिया सामग्री तक पहुंच होती है।

एनीमेशन (Animation) - यह एक आकर्षण दृष्टिकोण है जिसमें छात्र बेहतर तरीके से सीखते हैं। विषय के दृश्य प्रतिनिधित्व की पेशकश करके, छात्र अवधारणा को अधिक समझने योग्य तरीके से समझाते हैं। एनीमेशान की मदद से कठिन से कठिन विषय को भी सरल तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है।

भारत सरकार ने जुलाई 2015 में 'डिजिटल इंडिया' पहल भी शुरू की, ताकि ऑनलाइन बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा सके और नागरिकों के बीच इंटरनेट पहुंच का विस्तार किया जा सके (उदाहरण के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों को हाई-स्पीड इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ना)। 'डिजिटल इंडिया' पहल के हिस्से के रूप में, सरकार ने स्मार्टफोन, ऐप और इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करके दूरस्थ और शहरी क्षेत्रों में ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए ई-शिक्षा पहल भी शुरू की, इसके अलावा, महामारी के बीच, भारत सरकार ने इसे कुछ वैश्विक ऑनलाइन शिक्षा सर्वोत्तम प्रथाओं

और विश्वविद्यालयों व कॉलेजों के लिए विस्तारित ऑनलाइन प्रदान करने के लिए नियमों में ढील देने के लिए कई पहल (जैसे, पीएम eVIDYA कार्यक्रम, दीक्षा, आदि) की हैं।

भारत में डिजिटल शिक्षा के लाभ - 2019-20 के दौरान जब भारत और पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी से लड़ रहे थे, भारत में डिजिटल शिक्षा देश में छात्रों के लिए सीखने का एकमात्र स्रोत था। इस विषय में नीचे चर्चा की गई है कि भारत में डिजिटल शिक्षा के क्या लाभ हैं:

इस पहल से छात्रों ने न केवल किताबी जानकारी हासिल की है बल्कि व्यवहारिक और तकनीकी ज्ञान भी हासिल किया है, सीखने या अध्ययन करने की जगह के रूप में कोई सीमा नहीं। डिजीटल सीखने के साथ, एक छात्र किसी भी समय कहीं भी ऑनलाइन कक्षाओं या सीखने में संलगन हो सकता है, ऑनलाइन अध्ययन सामग्री उपलब्ध होने से छात्र किसी भी विषय को समझने के लिए अपना समय ले सकते हैं, डिजिटल शिक्षा के माध्यम से शिक्षकों और छात्रों के बीच सीखाने को अधिक आकर्षक और इंटरैक्टिव बनाया जा सकता है, यह भी महत्त्वपूर्ण है कि डिजीटल शिक्षा पूरक के रूप में काम करें और शारीरिक शिक्षा पर पूरी तरह प्रभावी न हो जाए।

भारत में डिजिटल शिक्षा के साथ चुनौतियाँ

डिजिटल शिक्षा को देश भर के छात्रों तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार को बहुत सारे प्रौद्योगिकी-आधारित अनुकूलन का सामना करना पडेगा, भारत में डिजिटल शिक्षा के साथ कुछ प्रमुख चुनौतियां नीचे दी गई हैं:

सभी के लिए इंटरनेट कनेक्शन की उपलब्धता डिजिटल शिक्षा के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता में से एक है, सूचना तक आसान पहुंच के लिए सरकार को इसे हासिल करना होगा।

सामाजिक-अर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को उपकरण और तकनीक उपलब्ध कराना ताकी वे शिक्षा से वंचित न रहें, शिक्षकों को प्रशिक्षित कराना एक और चुनौती है। जब शिक्षक तकनीकी रूप से दक्ष होंगे तभी वे डिजीटल कक्षाओं का संचालन सुचारू रूप से कर सकते हैं, यह सुनिष्चित करने के लिए कि सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को डिजिटल कक्षाओं के लिए उचित सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। भारत में डिजिटल शिक्षा में सुधार और पहचान के लिए वर्ष 2020 में की गई पहलों के साथ, सरकार का उद्देश्य व्यापक रूप से छात्रों के लिए ऑनलाइन या ई-लर्निंग को स्वीकार कराना है।

नई शिक्षा नीति 2020 को कार्यान्वयन में सरकार की पहल - नई शिक्षा नीति के तहत देश में पेशेवर शिक्षा भी हिंदी माध्यम से देने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। अब तक चिकित्सा शास्त्र की पढ़ाई सिर्फ अंग्रेजी में ही होती थी और उसकी किताबें अंग्रेजी में ही उपलब्ध हुआ करती थीं, लेकिन अब चिकित्सा के तीन विषयों की तीन किताबों का हिंदी में आना सुखद और ऐतिहासिक प्रगति है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत एमबीबीएस छात्रों के लिए हिंदी पाठ्य-पुस्तकों का विमोचन किया है, अपनी तरह के इस पहले कदम के तहत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के हिस्से के रूप में तीन विषयों, जैव रसायन, शरीर रचना

विज्ञान और चिकित्सा शरीर क्रिया विज्ञान की हिंदी पाठ्य-पुस्तकों का विमोचन किया गया है। इसके साथ उन्होंने यह भी घोषणा की है कि इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक और कानून की शिक्षा भी जल्द ही हिंदी में दी जाएगी, जाहिर है, हिंदी में ऐसी पहल को किसी हिंदीभाषी क्षेत्र के राज्य को ही अंजाम देना था और इसमें मध्य प्रदेश ने पहल कर दी है।

पेशेवर या व्यावसायिक शिक्षा को मातृभाषा या हिंदी में देने की चर्चा पुरानी है। संविधान निर्माताओं ने यही सोचा था कि आजादी मिलने के बाद के दो दशक में हिंदी समृद्ध हो जाएगी और अंग्रेजी अनिवार्य नहीं रह जाएगी। लेकिन यह सच है, हमारी सरकारों ने भाषा संबंधी बाधाओं से जूझने का जोखिम नहीं उठाया और अंग्रेजी स्वाभाविक ही सशक्त होती चली गई। हिंदी क्षेत्र में डॉक्टरी भले ही मातृभाषा में होती है, लेकिन पढ़ाई तो अंग्रेजी में ही होती आई है। जब अस्पतालों में डॉक्टर-मरीज संवाद हिंदी में होता है, तो डॉक्टरों का आपसी परामर्श या चिकित्सा कार्य अंग्रेजी में क्यों हो, इलाज भी अगर हिंदी में होगा, तो शायद ज्यादातर मरीजों को समझने में सुविधा होगी, अभी तो अनेक डॉक्टरों के हाथ से लिखी पर्ची को पढ़ना-समझना भी आसान नहीं है। हालांकि, हिंदी में पढ़ाई से एक खतरा यह है कि विदेश में नौकरी नहीं मिलेगी, शायद सरकार नीति के तहत ही ऐसा चाहती है कि देश के योग्य पेशेवर देश की सेवा में ही अपनी प्रतिभा का उपयोग करें।

खैर, पेशेवर शिक्षा को हिंदी भाषा में प्रदान करने के मामले में हम पिछड़ गए हैं, लेकिन इसके लिए अभी कतई दुखी होने या अफसोस करने की जरूरत नहीं है। भारत अनेक भाषाओं का देश है और यहां हिंदी को किसी भी भाषा पर थोपा नहीं जा सकता, यह भारत की उदारता के विरुद्ध होगा। जो देश छोटे थे या जिन देशों ने तानाशाही की, वहां स्थानीय भाषा में पूरी शिक्षा संभव हो गई। वास्तव में, पेशेवर शिक्षा में पूरा जोर गुणवत्ता पर होना चाहिए, अगर हम अपने हर शिक्षण संस्थान में गुणवत्तापूर्ण डॉक्टर, इंजीनियर, वकील पैदा करने लगेंगे, तब जरूरी बदलाव लाने में हम सफल होंगे, गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए चलना होगा। फिलहाल, यह खुशी की बात है कि 10 हिंदीभाषी और गैर-हिंदीभाषी राज्यों ने इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों की पुस्तकों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद शुरू कर दिया है, कुल मिलाकर, आने वाले समय में भारत में दस से ज्यादा भाषाओं में पेशेवर पढ़ाई की आजादी होगी और होनी भी चाहिए।

अभी हाल में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) ने शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में क्षेत्रीय भाषाओं में बी.टेक डिग्री कार्यक्रमों की पेशकश के लिए 20 अन्य संस्थानों को मंजूरी दे दी है, जिससे देश के 11 राज्यों में कुल संख्या 39 हो गई है (*The Indian Express 07 august 2022*)।

निष्कर्ष

नीति परिवर्तनों की एक पूरी श्रृंखला पेश करती है और बड़े पैमाने पर बहुत ही प्रगतिशील दस्तावेज़ के रूप में देखते है जिसमें वर्तमान सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य और भविष्य की अनिश्चितता की संभावना है। शिक्षार्थियों की एक नई पीढ़ी के लिए शिक्षा को अनिवार्य रूप से अर्थव्यवस्थाओं के बढ़ते अभौतिकीकरण और डिजिटलीकरण से जोड़ना होगा, जिसे बनाए रखने में सक्षम होने के लिए क्षमताओं को एक पूरी तरह से नए वातावरण में सेट की

आवश्यकता होती है। यह अब और भी अधिक महत्वपूर्ण अनुलाभ प्रतीत होता है, क्योंकि डिजिटलकरण और विघटनकारी स्वचालन की प्रवृत्ति महामारी की तरह तेज हो रही है। कुल मिलाकर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कृषि से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक विभिन्न क्षेत्रों में पेशेवरों को विकसित करने की आवश्यकता को संबोधित करता है। भारत को भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कई युवा महत्वाकांक्षी छात्रों के लिए सही कौशल सेट से लैस होने का मार्ग प्रशस्त करता है।

नई शिक्षा नीति में एक प्रशंसनीय दृष्टि है, लेकिन इसकी ताकत इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या यह डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और नई औद्योगिक नीति जैसी सरकार की अन्य नीतिगत पहलों के साथ प्रभावी ढंग से एकीकृत करने में सक्षम है या नहीं। (Compatible Structural Transformation) सुसंगत संरचनात्मक रूपांतरण नीतिगत संबंध यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि शिक्षा नीति व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम को सफल बनाने के लिए कॉर्पोरेट क्षेत्र के साथ और अधिक गतिशील रूप से जुड़ने के लिए कौशल भारत के अनुभव को संबोधित करती है और उससे सीखती है। तेजी से विकसित होने वाले रूपांतरणों और व्यवधानों के अनुकूल होने के लिए अधिक साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने की भी आवश्यकता है। एनईपी ने वास्तविक समय मूल्यांकन प्रणाली और परामर्शी निगरानी और समीक्षा ढांचे के लिए आश्वस्त रूप से प्रावधान किया है। यह शिक्षा प्रणाली को पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए हर दशक में एक नई शिक्षा नीति की अपेक्षा करने के बजाय लगातार खुद में सुधार करने के लिए सशक्त करेगा। यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होगी, उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक निर्णायक क्षण है।

संदर्भ सूची:

1. भारत सरकार (2020) नई शिक्षा नीति , मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली
2. अंशु जोशी. (सितम्बर 2020), हिंदी विवेक, आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद, नई शिक्षा नीति
3. रसाल सिंह, (सितम्बर 2020)), शैक्षिक मंथन (मासिक), शिक्षा व्यवस्था का आधार है योग्य शिक्षक और मौलिक शोध, अकादमिक फॉर नेशन
4. Aithal, P. S.; Aithal, Shubhrajyotsna (2019). "Analysis of Higher Education in Indian National Education Policy Proposal 2019 and Its Implementation Challenges". International Journal of Applied Engineering and Management Letters. 3 (2): 1–35. SSRN 3417517
5. Nandini, ed. (29 July 2020). "New Education Policy 2020 Highlights: School and higher education tosee major changes". Hindustan Times.
6. Jebaraj, Priscilla (2 August 2020). "The Hindu Explains | What has the National Education Policy2020 proposed?". The Hindu. ISSN 0971-751X
7. Chopra, Ritika (2 August 2020). "Explained: Reading the new National Education Policy 2020". TheIndian Express.

8. Rohatgi, Anubha, ed. (7 August 2020). "Highlights | NEP will play role in reducing gap betweenresearch and education in India: PM Modi". *Hindustan Times*.
9. Krishna, Atul (29 July 2020). "NEP 2020 Highlights: School And Higher Education". NDTV.
10. Naidu, M. Venkaiah (8 August 2020). "The New Education Policy 2020 is set to be a landmark inIndia's history of education". Times of India Blog.
11. https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/NEP_Final_English_0.pdf
12. https://www.orfonline.org/expert-speak/national-education-policy-2020-policy-times/
13. https://www.highereducationdigest.com/the-impact-of-national-education-policy-2020-on- professional-education/
14. http://bweducation.businessworld.in/article/NEP-2020-Impact-On-Higher-Education-/07-08-2020- 305999/
15. https://timesofindia.indiatimes.com/readersblog/theaitics/implications-of-the-national-education- policy-2020-on-higher-education-in-india-2-24729/

https://www.hindustantimes.com/india-news/pm-modi-s-address-at-conclave-on-transformational-reforms-in-higher-education-under-national-education-policy-highlights/story- dehOW8q8ZRrONbbFSRjg0H.html

अध्याय-21

वैश्विक आतंकवाद का समकालीन परिप्रेक्ष्य

राजेन्द्र कुमार पाण्डेय
देशबंधु कॉलेज,
दिल्ली विश्वविद्यालय

वैश्विक स्तर पर आतंकवाद एक गंभीर समस्या है जिसने हाल के वर्षों में समाजों, अर्थव्यवस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर पड़ने वाले गहरे प्रभाव के कारण बहुत अधिक ध्यान आकर्षित किया है। आतंकवाद लगातार विकसित हो रहा है, जिससे वैश्विक सुरक्षा के लिए जटिल चुनौतियाँ पैदा हो रही हैं। इसके उदाहरण 11 सितंबर 2001 को हुए हमले, इराक़ और सीरिया में बढ़ता इस्लामी आतंकवाद तथा साथ ही दुनिया के विभिन्न हिस्सों में हाल ही में हुई घटनाएं भी हैं। इसके कारण होने वाली तात्कालिक हताहतों और भौतिक विनाश के अलावा, वैश्विक आतंकवाद के प्रभाव उससे कहीं अधिक दूरगामी हैं। समाज के भीतर विश्वास और स्थिरता के स्तर में गिरावट इस घटना के सबसे महत्वपूर्ण प्रभावों में से एक है। सामाजिक एकता का टूटना और असुरक्षा की भावना आतंकवादी हमलों के परिणाम हैं, जो आबादी के बीच भय और अनिश्चितता पैदा करते हैं। डर का माहौल व्यक्तियों के साथ-साथ समुदायों पर भी लंबे समय तक चलने वाला मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाल सकता है, जिससे पूरे समुदाय में चिंता और अविश्वास का चक्र कायम हो सकता है। आतंकवाद का स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। आतंकवादी हमलों में आवश्यक सेवाओं में व्यवधान पैदा करके, बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाकर और उत्पादकता में कमी लाकर अर्थव्यवस्थाओं को पंगु बनाने और विकास प्रयासों को बाधित करने की क्षमता होती है। आतंकवाद से ग्रस्त क्षेत्रों में, पर्यटन, व्यापार और निवेश को अक्सर नुकसान होता है, जो गरीबी और अस्थिरता के चक्र को आगे बढ़ाता है और पहले से मौजूद आर्थिक कठिनाई को और हानिकारक बनाता है।

वैश्विक आतंकवाद का समाजों और अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ने वाला तात्कालिक प्रभाव ही एकमात्र चुनौती नहीं है जो यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और राजनयिक प्रयासों के लिए उत्पन्न करता है, यह अन्य क्षेत्रों के लिए भी महत्वपूर्ण चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है। आतंकवादी कृत्यों से राष्ट्रों के बीच संबंधों पर दबाव पड़ना संभव है, जिसके परिणामस्वरूप तनाव बढ़ सकता है और, कुछ मामलों में, सैन्य आक्रमण भी हो सकता है। आतंकवादी हमलों का प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अक्सर जटिल राजनीतिक वार्ता में संलग्न रहता है और विभिन्न हितधारकों के साथ मिलकर काम करता है। यह वैश्विक स्तर पर कई हितधारकों के साथ प्रभावी कूटनीति और सहयोग के महत्व पर प्रकाश डालता है। ऐसे कई कारक हैं जिन्होंने वैश्विक आतंकवाद के उदय में योगदान दिया है। इन कारकों में राजनीतिक शिकायतें, धार्मिक उग्रवाद, सामाजिक आर्थिक असमानता और हथियारों और प्रौद्योगिकी का प्रसार शामिल हैं। संचार नेटवर्क और यात्रा के परिणामस्वरूप दुनिया की बढ़ती परस्पर संबद्धता के कारण, चरमपंथी विचारधाराओं का प्रसार और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार आतंकवादी गतिविधियों का समन्वय

करना आसान हो गया है। वैश्विक आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। इस दृष्टिकोण में सैन्य, कानून प्रवर्तन, राजनयिक और सामाजिक-आर्थिक रणनीतियों का संयोजन होना चाहिए। आतंकवाद से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए, यह जरूरी है कि हमारे प्रयास मानवाधिकारों की सुरक्षा और ऐसे समाजों को बढ़ावा देने को प्राथमिकता दें जो समावेशी और न्यायसंगत हों। आतंकवादी नेटवर्क को बाधित करने और भविष्य के हमलों को रोकने के लिए, आतंकवाद के अंतर्निहित कारणों को संबोधित करना आवश्यक है, जिसमें गरीबी, भेदभाव और राजनीतिक मताधिकार से वंचित होना शामिल है। इसके अतिरिक्त, इसे पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और खुफिया जानकारी साझा करना भी आवश्यक है।

आतंकवाद की पारंपरिक दृष्टि

आतंकवाद की संकल्पना उत्पत्ति फ्रांसीसी क्रांति के दौरान आतंक के शासनकाल के रूप में जानी जाने वाली अवधि में हुई है तथा 1945 के बाद, आतंकवाद ने अधिक राष्ट्रवादी चरित्र धारण कर लिया, क्योंकि यह तीसरी दुनिया के उपनिवेशवाद-विरोधी संघर्षों और फिलिस्तीन मुक्ति संगठन जैसे समूहों के साथ निकटता से जुड़ गया।[1] 11 सितंबर के हमलों ने आतंकवाद के संबंध में आशंकाओं को तीव्र कर दिया, जिससे कुछ विद्वानों ने इसे विश्व शांति के लिए प्राथमिक खतरा माना।

विद्वानों का मानना है कि आतंकवाद राजनीतिक हिंसा की एक रणनीति है जो केवल तबाही पैदा करने के बजाय भय और अनिश्चितता पैदा करने का प्रयास करती है।[2] इस अवधारणा की परिभाषा जटिल है, क्योंकि इसमें उन कार्यों, जिन्हें नुकसान पहुँचाया गया है और जिन्होंने नुकसान किया है, को शामिल किया गया है। आतंकवादी कृत्य अक्सर लोगों को निशाना बनाते हैं, हालाँकि उनमें सत्ता या अधिकार के प्रतीकों पर हमले भी शामिल हो सकते हैं। आतंकवाद के अपराधी आमतौर पर गैर-राज्य समूह होते हैं जिनका लक्ष्य राजनीतिक शक्ति हासिल करना होता है, हालांकि राज्यों द्वारा समर्थित आतंकवाद के उदाहरण भी हैं। आतंकवाद की विशेषता यह है कि यह पारंपरिक लड़ाई से अलग है, क्योंकि इसका उपयोग कम शक्तिशाली समूहों द्वारा किया जाता है जो नियमित लड़ाई में भाग लेने में असमर्थ हैं।[3] यह गैर-पारंपरिक रणनीति प्रदर्शित करता है तथा असममित रणनीति पर जोर देता है। आतंकवाद लोगों के दृष्टिकोण को प्रभावित करने के लिए हिंसा के व्यापक रूप से प्रचारित कृत्यों पर निर्भर करता है, लेकिन इसे व्यापक समर्थन नहीं मिलता है। आतंकवाद शब्द अक्सर प्रतिद्वंद्वी गुटों को बदनाम करने के लिए राजनीतिक निहितार्थ रखता है।

विद्वान आतंकवाद को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए बल के व्यवस्थित उपयोग के रूप में परिभाषित करते है, जो मुख्य रूप से उन व्यक्तियों या समूहों द्वारा किया जाता है जो किसी भी सरकार से संबद्ध नहीं रखते हैं।[3] राजकीय आतंकवाद, हालांकि व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है, फिर भी एक निर्विवाद तथ्य है। यद्यपि गैर-राज्य और राज्य आतंकवाद दोनों के समान लक्ष्य भय पैदा करना और राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करना है, वे अपने तरीकों और जवाबदेही स्वीकार करने की इच्छा के संदर्भ में भिन्न होते हैं। आतंकवादी संगठन आमतौर पर अपने कार्यों के लिए ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से अपने अपराधों के लिए जवाबदेही का दावा करते हैं, जबकि राष्ट्र अक्सर हिंसा के अपने उपयोग को अस्वीकार करते हैं या कम करते हैं। हालाँकि, राज्य हिंसा को एक निवारक या अधिकार को

संरक्षित करने की विधि के रूप में नियोजित कर सकते हैं, जिससे आतंकवाद और राज्य की कार्रवाई के बीच अंतर धुंधला हो जाता है। जब आतंकवाद की तुलना युद्ध से की जाती है, तो वैचारिक समानताओं के साथ-साथ महत्वपूर्ण अंतर भी होते हैं। दोनों में साझा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जानबूझकर हिंसा के कृत्य शामिल हैं, हालांकि पूरे इतिहास में, युद्धों के परिणामस्वरूप अक्सर अधिक मानवीय और भौतिक क्षति हुई है। इसके अलावा, यद्यपि युद्ध राष्ट्रों के बीच व्यवहार के मान्यता प्राप्त नियमों के अंतर्गत लड़े जाते है, आतंकवाद की ऐसी औपचारिक सीमाएँ नहीं हैं। आतंकवाद और राष्ट्रीय मुक्ति प्रयासों के बीच अंतर जटिल है, जैसा कि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद से पता चलता है। संगठनों का आतंकवादी या स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में वर्गीकरण अलग-अलग दृष्टिकोण और लक्ष्यों पर निर्भर है। जबकि कई स्वतंत्रता संगठन हिंसा के उपयोग को अस्वीकार करते हैं, अन्य अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आतंकवादी रणनीति अपनाते हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के उद्देश्य के लिए हिंसा को उचित ठहराने के नैतिक निहितार्थ उठाए गए हैं।

कांति बाजपेयी आतंकवाद पर उदारवादियों, रूढ़िवादियों और यथार्थवादियों द्वारा प्रस्तुत विचारों का अध्यन करते है। उदारवादी आतंकवाद के लिए बुनियादी सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक शिकायतों को जिम्मेदार मानते हैं, और सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के माध्यम से इन अंतर्निहित कारणों के समाधान की वकालत करते हैं।[4] उनका ध्यान आतंकवादियों को अलग-थलग करने और प्रभावित आबादी का समर्थन हासिल करने के लिए शासन और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने पर है। उदारवादी विचारधारा को आतंकवाद के पीछे प्रेरक शक्ति के रूप में प्राथमिकता देते हैं, साथ ही गैर-राज्य अभिनेताओं पर भी विचार करते हैं।[5] दूसरी ओर, रूढ़िवादियों का मानना है कि आतंकवाद राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का एक अपरिहार्य हिस्सा है, जो तब होता है जब लोग सरकार द्वारा कानूनों और नियमों को लागू करने का विरोध करते हैं तथा वे अव्यवस्था को दबाने और व्यवस्था बहाल करने के लिए त्वरित और निर्णायक राज्य हिंसा के उपयोग का समर्थन करते हैं, तथा इसे कुशलतापूर्वक शासन करना और स्थिरता बनाए रखना सरकारों का प्राथमिक कर्तव्य मानते हैं।[6] यथार्थवादी आतंकवाद को राज्य प्रतिद्वंद्विता के साधन के रूप में देखते हैं जब कोई वैश्विक शशन क्रेन वाली व्यवस्था नहीं होता है तथा वे राष्ट्रीय हितों की रक्षा और बाहरी हस्तक्षेप को रोकने के लिए हिंसा के इस्तेमाल का समर्थन करते हैं।[7] यद्यपि प्रत्येक दृष्टिकोण मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, वे आलोचना और सीमाओं के अधीन भी हैं। सामाजिक-आर्थिक शिकायतों पर उदारवादियों का जोर यह स्पष्टीकरण नहीं देता है कि केवल कुछ व्यक्ति ही हिंसा की ओर क्यों रुख करते हैं, इसी तरह राज्य सत्ता पर रूढ़िवादियों का ध्यान इस संभावना की उपेक्षा करता है कि राज्य के दमन से शिकायतें बिगड़ सकती हैं जो और अधिक हिंसा को जन्म दे सकती है।[8] यथार्थवादियों का भू-राजनीतिक परिप्रेक्ष्य जटिल आंतरिक संघर्षों को अधिक सरल बना सकता है और आतंकवाद में गैर-राज्य अभिनेताओं की भागीदारी की उपेक्षा कर सकता है।[9] यथार्थवादी दृष्टिकोण इसे गैर-राज्य संस्थाओं द्वारा उत्पन्न मौजूदा सामाजिक और राजनीतिक संरचना के लिए खतरा मानता है, जो आमतौर पर अधिकार की इच्छा से प्रेरित होता है।[10] आतंकवाद को कम शक्तिशाली संस्थाओं द्वारा नियोजित एक रणनीतिक उपकरण के रूप में माना जाता है जो पारंपरिक युद्ध में शामिल होने में असमर्थता के कारण हिंसा की ओर रुख करते हैं। हालाँकि तीनों विचारधाराओं के अलग-अलग दृष्टिकोण हैं, लेकिन वे सभी आतंकवाद से निपटने में सरकारी हस्तक्षेप की अनिवार्यता को पहचानते हैं। उदारवादी शांतिपूर्ण समाधानों

और सामाजिक सुधारों को प्राथमिकता देते हुए अंतिम विकल्प के रूप में बल के विवेकपूर्ण और जानबूझकर उपयोग को बढ़ावा देते हैं। रूढ़िवादी आतंकवाद को शीघ्र दबाने और व्यवस्था बहाल करने के लिए सक्रिय और दृढ़ राज्य बल के उपयोग का समर्थन करते हैं। यथार्थवादी राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने और बाहरी हस्तक्षेप को हतोत्साहित करने के लिए बल के उपयोग की वकालत करते हैं, इसे अंतर्राष्ट्रीय शक्ति गतिशीलता के क्षेत्र में एक अनिवार्य साधन मानते हैं। प्रत्येक दृष्टिकोण की प्रभावशीलता अंततः प्रासंगिक कारकों और आतंकवादी खतरे की विशिष्ट विशेषताओं पर निर्भर करती है। चॉम्स्की जैसे सिद्धांतकारों द्वारा समर्थित आलोचनात्मक दृष्टिकोण, गैर-राज्य आतंकवाद की तुलना में राज्य आतंकवाद के अधिक महत्व पर जोर देते हैं। वे राजकीय आतंकवाद को सरकारों द्वारा अपने अधिकार को बनाए रखने या अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक उपकरण के रूप में देखते हैं।[11] रचनावादी और उत्तर-संरचनावादी दृष्टिकोण आतंकवाद को एक सामाजिक या राजनीतिक सृजन के रूप में मानते हैं, जिसका उपयोग विशिष्ट समूहों और कारणों को कमजोर करने के लिए किया जाता है, आमतौर पर वैश्विक प्रणाली में शक्ति गतिशीलता के ढांचे के भीतर।[12]

विद्वान एक तार्किक दृष्टिकोण से भी आतंकवाद को समझने का प्रयास करते है। इस परिप्रेक्ष्य का उद्देश्य कई महत्वपूर्ण कारकों पर जोर देते हुए उन अंतर्निहित कारणों को समझना है कि क्यों व्यक्ति या समूह हिंसा की ओर रुख करते हैं। उनके अनुसार, सबसे पहले, हिंसा अक्सर तब उत्पन्न होती है जब विरोध या अनुनय के वैकल्पिक तरीके अप्रभावी साबित होते हैं, या जब हिंसा को आसन्न देखा जाता है या पहले से ही समूह के खिलाफ नियोजित किया जा चुका होता है, इसके अलावा, हिंसा के उपयोग के माध्यम से राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में पिछली उपलब्धियाँ असहमति व्यक्त करने के साधन के रूप में इसे अपनाने को सुदृढ़ कर सकती हैं।[13] इसके अलावा, हिंसा को एक व्यवहार्य विकल्प बनाने के लिए हथियार और रणनीति दोनों ही में ही विशेषज्ञता आवश्यक है तथा विदेशी हस्तक्षेप अक्सर हिंसक गुटों को संसाधनों और विशेष ज्ञान की आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर भू-राजनीतिक संघर्षों के संदर्भ में।[14] आतंकवादी हिंसा के पीछे की प्रेरणा इस दृढ़ विश्वास से उत्पन्न होती है कि सभी अहिंसक विकल्प समाप्त हो चुके हैं या आत्म-संरक्षण के लिए हिंसा अपरिहार्य है तथा आतंकवादी अक्सर सरकारों को कठोर और बेईमान मानते हैं, जिससे वे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि हिंसा उनके उद्देश्यों को प्राप्त करने का एकमात्र प्रभावी तरीका है।[15] आतंकवादियों की प्रभावशीलता का आकलन सीधे सैन्य जीत हासिल करने से नहीं किया जाता है, बल्कि सरकारी प्रतिक्रियाओं को उकसाने से किया जाता है जो स्थानीय आबादी को अलग-थलग कर देती हैं, थकान और असहमति पैदा करती हैं और सरकारी अधिकार की बाधाओं को प्रदर्शित करती हैं। आतंकवादी सार्वजनिक असुरक्षा का फायदा उठाकर सरकारी प्राधिकरण को कमजोर करना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिकारियों को शर्मिंदा करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा, हिंसा आतंकवादी संगठनों के लिए जबरन वसूली, अपहरण और नशीले पदार्थों की तस्करी जैसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने जैसे तरीकों के माध्यम से भयभीत अधिकारियों और नागरिकों से धन जुटाने के लिए संसाधन निकालने का एक साधन के रूप में कार्य करती है। हथियारों के व्यापार के आसान विनियमन और हथियारों की अवैध तस्करी में विकसित देशों की भागीदारी से छोटे हथियारों की वैश्विक पहुंच आसान हो गई है।

आतंकवाद में हिंसा का महत्वपूर्ण स्थान है आतंकवादी हिंसा की व्याख्या कई दृष्टिकोणों से करते हैं: इतिहास के अपरिहार्य परिणाम के रूप में, खुद को बचाने की प्रतिक्रिया के रूप में, शासन प्रणालियों में निहित के रूप में, मुक्ति प्राप्त करने की एक विधि के रूप में, और राजनीतिक बातचीत की रणनीति के रूप में।[16] सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, हिंसा को स्वतंत्रता के लिए किसी भी संघर्ष का एक अनिवार्य घटक माना जाता है, क्योंकि ऐतिहासिक साक्ष्य इंगित करते हैं कि इसकी घटना लगभग अपरिहार्य है, यहां तक कि अहिंसक आंदोलनों पर भी कभी-कभार होने वाली हिंसा का साया पड़ गया है, जो प्रतिरोध की जटिल प्रकृति को दर्शाता है। इसके अलावा, आतंकवादी हिंसा को उन सरकारों के खिलाफ आत्मरक्षा के साधन के रूप में देखते हैं जो सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं हैं, खुद को अत्याचारी शासन के खिलाफ स्वतंत्रता के रक्षक के रूप में पेश करते हैं। यह रक्षात्मक मुद्रा सरकार द्वारा आक्रामकता के अपेक्षित कृत्यों के जवाब में आत्म-संरक्षण की रणनीति के रूप में प्राचीन बल के उपयोग को तर्कसंगत बनाती है। इसके अलावा, हिंसा को आमतौर पर शासन से निकटता से जुड़ा हुआ देखा जाता है, क्योंकि सरकारें और आतंकवादी संगठन दोनों इसे अधिकार जताने के साधन के रूप में उपयोग करते हैं।[17] इस दृष्टिकोण से, हिंसा राजनीतिक अधिकार और विश्वसनीयता का प्रतीक है, जो एक विकासशील सरकार की वैधता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा, हिंसा को एक उत्प्रेरक के रूप में माना जाता है जो मुक्ति और सशक्तिकरण की प्रक्रिया को गति देता है, निष्क्रिय आबादी को उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है जो उन पर अत्याचार करते हैं। आतंकवादी हिंसा को समुदायों को संगठित करने, सशक्तीकरण की भावना और बलिदान देने की इच्छा पैदा करने की एक विधि के रूप में देखते हैं जो सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। हिंसा को राजनीतिक संचार और बातचीत का एक साधन माना जाता है, जो सत्ता और प्रभाव की खोज में एक मूल्यवान संपत्ति के रूप में कार्य करता है। इस विशेष ढांचे के भीतर, हिंसा कोई अंतिम उद्देश्य नहीं है, बल्कि वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक विधि है, जो किसी के दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित करने और राजनीतिक समझौते हासिल करने के साधन के रूप में कार्य करती है। इस्लामी चरमपंथ के ढांचे के भीतर, ये व्याख्याएं इसके उद्भव और अंतर्निहित प्रेरणाओं में सूक्ष्म अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। उदारवादी इसे मुस्लिम देशों के भीतर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों के लिए जिम्मेदार मानते हैं, आंतरिक पुनर्गठन और आधुनिकीकरण की वकालत करते हैं। रूढ़िवादी बाहरी हस्तक्षेप और सहायता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, हिंसक इस्लामी गुटों के खिलाफ सशक्त सैन्य उपायों को बढ़ावा देते हैं। यथार्थवादी इस्लामी चरमपंथ को मुस्लिम दुनिया के भीतर शक्ति की गतिशीलता और भू-राजनीतिक संघर्षों के प्रतिबिंब के रूप में देखते हैं, और आतंकवाद विरोधी प्रयासों के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण की वकालत करते हैं। ये परिप्रेक्ष्य अंततः आतंकवाद की विविध और जटिल प्रकृति और इसकी निरंतरता में योगदान करने वाले कारकों के जटिल अंतरसंबंधों पर जोर देता हैं।

आधुनिक आतंकवाद

आधुनिक आतंकवाद जिसे नए आतंकवाद की संज्ञा से भी जाना जाता है का उद्भव चर्चा का विषय रहा है, विशेषकर 11 सितंबर जैसी घटनाओं के बाद। यह अवधारणा आतंकवाद के सार में एक मूलभूत परिवर्तन का संकेत देती है। नए आतंकवाद की घटना अक्सर धर्मनिरपेक्ष प्रेरणाओं को धार्मिक प्रेरणाओं से प्रतिस्थापित करने से जुड़ी होती है।[18] विद्वानों का तर्क है कि धार्मिक विश्वासों से प्रेरित आतंकवादी रियायतें देने के इच्छुक नहीं हैं और अधिक व्यापक

हिंसा का सहारा ले सकते हैं, संभावित रूप से सामूहिक विनाश के हथियारों का उपयोग कर सकते हैं और आत्मघाती हमले कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, वे विकेंद्रीकृत नेटवर्क की ओर संगठनात्मक ढांचे में बदलाव का प्रस्ताव करते हैं। आलोचकों का तर्क है कि "नए" और पारंपरिक आतंकवाद के बीच कथित विरोधाभास अतिरंजित है, क्योंकि वे बताते हैं कि धार्मिक विश्वासों से प्रेरित आतंकवाद के कार्य पूरे इतिहास में हुए हैं और पारंपरिक समूह समान स्तर की कट्टरता का प्रदर्शन कर सकते हैं तथा "नए" और पारंपरिक आतंकवादी समूहों के बीच संगठनात्मक संरचनाओं में अंतर को आसानी से परिभाषित नहीं किया जा सकता है।[19]

आतंकवाद ने परंपरागत रूप से वैश्विक विशेषताओं को प्रदर्शित किया है, जैसा कि 19वीं सदी के अंत में राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने वाले अराजकतावादी समूहों की गतिविधियों से प्रमाणित होता है। आधुनिक आतंकवाद को आमतौर पर वैश्वीकरण के परिणाम के रूप में देखा जाता है, जो सीमा पार आंदोलनों और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन में वृद्धि का लाभ उठाता है। इस्लामी आतंकवाद, जो 1970 के दशक के अंत में उत्पन्न हुआ, इस्लामी दुनिया में राजनीतिक उथल-पुथल और धार्मिक कट्टरवाद का परिणाम है तथा मूल रूप से घरेलू आकांक्षाओं पर केंद्रित, राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में कमियों के परिणामस्वरूप यह वैश्विक जिहाद एजेंडे में परिवर्तित हो गया।[20] अल-कायदा विश्वव्यापी आतंकवाद के अवतार का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका लक्ष्य मुस्लिम समाज को शुद्ध करना और वैश्विक स्तर पर पश्चिमी प्रभाव का मुकाबला करना है।[21]

वैश्विक जिहादियों का उद्भव, जैसा कि ओसामा बिन लादेन और अल-जवाहिरी के बीच सहयोग से प्रदर्शित होता है, जिहादी आंदोलन के भीतर क्षेत्रीय से लेकर विश्वव्यापी लक्ष्यों तक एक उल्लेखनीय परिवर्तन का प्रतीक है। बिन लादेन और जवाहिरी ने अपने पारस्परिक रूप से लाभकारी कौशल और विविध पृष्ठभूमि के साथ, आतंकवाद के विकास की इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जवाहिरी ने शुरू में स्थानीय शासनों को निशाना बनाने को प्राथमिकता दी, लेकिन अंततः पश्चिमी शक्तियों का मुकाबला करने के लिए बिन लादेन के दृष्टिकोण को अपनाया।[22] इस परिवर्तन को कई कारकों ने आकार दिया, जिसमें जवाहिरी द्वारा सामना की गई वित्तीय कठिनाइयाँ भी शामिल थीं तथा जवाहिरी की बिन लादेन पर निर्भरता ने उसे एक अंतरराष्ट्रीयवादी एजेंडे को अपनाने के लिए मजबूर कर दिया।[23] हालाकि वित्तीय बाधाओं ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जवाहिरी के परिवर्तन और व्यापक जिहादी आंदोलन को केवल आर्थिक कारकों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। विचाराधीन घटना वैचारिक, संगठनात्मक और बाहरी कारकों की एक जटिल बातचीत है जिसने 20वीं सदी के उत्तरार्ध और 21वीं सदी के शुरुआती भाग के दौरान वैश्विक आतंकवाद परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया है।

जिहादी आंदोलन में मिस्रवासियों का उद्भव, जैसा कि ओसामा बिन लादेन और अयमान अल-जवाहिरी के बीच सहयोग से प्रदर्शित होता है, वैश्विक आतंकवाद की गतिशीलता में एक उल्लेखनीय बदलाव का संकेत देता है। अब्दुल्ला आज़म के युग से बिन लादेन-जवाहिरी गठबंधन में बदलाव जिहादी रणनीतियों के विकास के साथ-साथ आंदोलन के भीतर जटिल राजनीतिक गतिशीलता और शक्ति संघर्ष को दर्शाता है।[24] हालाँकि जिहादियों ने सार्वजनिक रूप से एकजुटता प्रदर्शित की, लेकिन पर्दे के पीछे कड़वी प्रतिद्वंद्विता और विश्वासघात की घटनाएं अक्सर होती रहीं। जवाहिरी के समावेश ने संचालन, राजनीति और विचारधारा के क्षेत्रों में प्रचुर ज्ञान और अनुभव

का योगदान दिया, जिसने बिन लादेन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया।[25] बिन लादेन की समृद्ध परवरिश के विपरीत, जवाहिरी मिस्र के एक प्रतिष्ठित परिवार से था, जिसके पास इस्लामी विद्वता और अरब राष्ट्रवाद की विरासत थी। बिन लादेन की चरमपंथी विचारधारा ने उसे जिहाद के प्रति और अधिक समर्पित होने और आत्मघाती बम विस्फोट जैसी अधिक आक्रामक रणनीतियों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। जवाहिरी के नेतृत्व में अल कायदा के भीतर मिस्र की टुकड़ी ने संगठन के प्रक्षेप पथ और रणनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, जिसके परिणामस्वरूप अन्य राष्ट्रीयताओं, विशेष रूप से सउदी के साथ तनाव पैदा हुआ। संगठन की संरचना में संतुलन हासिल करने के बिन लादेन के प्रयास भूराजनीतिक परिस्थितियों और मिस्र के नियंत्रण के आरोपों का खंडन करने की इच्छा से प्रभावित थे तथा ज़वाहिरी के प्रभाव में आत्मघाती बम विस्फोटों की शुरुआत और 1998 के दूतावास बम विस्फोट और 11 सितंबर जैसे प्रमुख हमलों का आयोजन शामिल था।[26] बिन लादेन की विचारधारा में परिवर्तन आया, स्थानीय सरकारों पर ध्यान केंद्रित करने से लेकर विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका को "दूर के दुश्मन" के रूप में लक्षित किया गया। सबसे पहले, बिन लादेन मुस्लिम सरकारों को चुनौती देने के लिए अनिच्छुक था। हालाँकि, जवाहिरी के साथ जुड़ाव, वित्तीय सहायता पर निर्भरता और सैन्य हार के परिणामस्वरूप उनकी स्थिति बदल गई। उन्होंने मुस्लिम सरकारों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के हेरफेर के प्रति अस्वीकृति व्यक्त की और मुस्लिम नेताओं के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा दिए बिना, मुस्लिम क्षेत्रों में इसके प्रभाव को कम करने की वकालत की।[27]

विनाशकारी आतंकवाद को अब व्यापक रूप से एक प्रमुख वैश्विक सुरक्षा चिंता के रूप में मान्यता दी गई है, जिसमें 11 सितंबर जैसी घटनाएं प्रमुख उदाहरण हैं।[28] हालाँकि पारंपरिक युद्ध की तुलना में इन हमलों से होने वाली मौतों की संख्या अपेक्षाकृत कम हो सकती है, लेकिन उनका महत्व व्यापक विनाश करने की उनकी क्षमता और रक्षा के लिए उनके द्वारा उत्पन्न चुनौती में निहित है। वर्तमान ख़तरे को आधुनिक तकनीक ने और भी तीव्र कर दिया है, क्योंकि सामूहिक विनाश के हथियारों के आतंकवादियों के कब्ज़े में चले जाने की संभावना के बारे में वास्तविक चिंता है। इसके अलावा, आतंकवाद के नए रूपों का उद्भव, जो सामूहिक विनाश के हथियारों और कट्टरपंथी विचारधारा को नियोजित करने की तत्परता से चिह्नित हैं, इन खतरों से निपटने के कार्य को और अधिक जटिल बना देते हैं। फिर भी, आतंकवाद के खतरे की वास्तविक भयावहता के बारे में संदेह है। आतंकवाद की छिटपुट प्रकृति और व्यवस्थित विनाश करने की सीमित क्षमता इसे राज्यों के नेतृत्व वाले युद्ध से अलग करती है। आतंकवादी अभियान अक्सर लोकप्रिय समर्थन जुटाने पर निर्भर करते हैं, जो तब अनुपस्थित हो सकता है जब उनके उद्देश्य सार्वजनिक भावनाओं के साथ संरेखित नहीं होते हैं। इसके अलावा, आतंकवाद के संबंध में चिंताओं को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा सकता है, जो इस्लाम और पश्चिमी दुनिया के बीच सभ्यताओं के टकराव की धारणाओं से प्रेरित है, जो “आतंकवाद पर युद्ध” जैसे राजनीतिक प्रवचन द्वारा कायम है।[29] आलोचनात्मक सिद्धांतकारों का तर्क है कि इन भयों का उपयोग वैश्विक प्रभुत्व को बनाए रखने और भय के इर्द-गिर्द केंद्रित राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है, जिससे बाहरी खतरे के निर्माण के माध्यम से शक्ति संरचनाओं को मजबूत किया जाता है।[30]

आतंकवाद का पुनरावलोकन

बेंजामिन बार्बर का दृष्टिकोण सांस्कृतिक, धार्मिक और पारिवारिक रीति-रिवाजों पर विश्वव्यापी व्यावसायीकरण के परिणामों की पड़ताल करता है, और उनकी तुलना पश्चिमी उपभोक्तावाद के प्रभुत्व से करता है। वह भौतिकवादी गतिविधियों से प्रेरित वैश्विक बाजार अर्थव्यवस्था के सामने सांस्कृतिक पहचान और आध्यात्मिक मूल्यों के संभावित क्षरण का पता लगाता है। बार्बर सांस्कृतिक प्रामाणिकता के लिए कथित खतरों की प्रतिक्रिया के रूप में जिहाद जैसी प्रतिक्रियावादी विचारधाराओं के उद्भव की जांच करता है तथा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को पश्चिमी उपभोक्तावाद और चरमपंथी विचारधाराओं के बीच संघर्ष के रूप में प्रस्तुत करने के बजाय, वह इसे लोकतंत्र और सामाजिक निष्पक्षता की खोज के रूप में मानने का प्रस्ताव रखते हैं।[31] वह आतंकवाद के मूल कारणों को संबोधित करने के संभावित समाधान के रूप में आर्थिक पुनर्गठन, मानवाधिकार और लोकतंत्रीकरण के महत्व पर प्रकाश डालते हैं।

आतंकवादी समूहों की नागरिक आबादी के साथ घुलने-मिलने की क्षमता और उनका पता लगाना बेहद कठिन है तथा आतंकवाद विरोधी प्रयास को विशेष रूप से कठिन बना देता है। आतंकवाद से निपटने के लिए कई अलग-अलग सुझाओ दिये गए हैं, जैसे राज्य सुरक्षा का स्तर बढ़ाना, सेना का दमन करना और राजनीतिक सौदे करना।[32] राज्य की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, नागरिकों पर कानूनी शक्तियों और निगरानी को कड़ा करना, वित्तीय प्रवाह को नियंत्रित करना और अधिक कठोर अप्रवासन नीतियों को लागू करना आवश्यक है।[33] इस तथ्य के बावजूद कि ऐसे उपायों का उद्देश्य आतंकवादियों को लोकतांत्रिक और वैश्विक संदर्भों में लाभ से वंचित करना है, ऐसी संभावना है कि वे व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रता का उल्लंघन करेंगे। ऐसी प्रथाओं के कुछ उदाहरणों में बिना किसी आरोप के लंबे समय तक हिरासत में रहना, साथ ही असाधारण प्रस्तुतिकरण और अमेरिका की ग्वांतानामो बे प्रक्रियाएं जैसी विवादास्पद प्रथाएं शामिल हैं। दूसरी ओर, राज्य सुरक्षा उपायों में कुछ कमियाँ हैं। उनमें उस स्वतंत्रता को कमज़ोर करने की क्षमता है जिसकी वे रक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं, और इसके अतिरिक्त, वे कुछ समूहों को अलग-थलग कर सकते हैं, जो आगे चलकर उग्रवाद को बढ़ावा दे सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि आतंकवादी हमलों पर अत्यधिक प्रतिक्रिया से आतंकवादियों के अनुभव में डर और घबराहट का स्तर बढ़ सकता है, जिससे उन्हें फायदा मिल सकता है। विद्वानों के अनुसार, समसामयिक आतंकवाद को पूरी तरह से वैश्विक रूप में चित्रित करना अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकता है। इस्लामवादी आंदोलन अपनी विचारधाराओं और उद्देश्यों में महत्वपूर्ण विविधता प्रदर्शित करते हैं, और अधिकांश आतंकवादी हमले उच्च स्तर की राजनीतिक उथल-पुथल वाले क्षेत्रों में होते हैं, जिससे शेष विश्व पर सीमित प्रभाव पड़ता है।[34] एक विश्वव्यापी घटना के रूप में इस्लामी आतंकवाद की धारणा विभिन्न अभिनेताओं की प्रतिक्रियाओं, विशेष रूप से वैश्विक "आतंकवाद पर युद्ध" की स्थापना से आकार ले सकती है। इसलिए, यद्यपि आतंकवाद के अंतर्राष्ट्रीय पहलू हैं, इसकी विश्वव्यापी प्रकृति और प्रभाव आमतौर पर चित्रित की तुलना में अधिक सूक्ष्म हो सकता है।

जब चरम लक्ष्यों को हासिल करने की बात आती है तो आतंकवाद का ट्रैक रिकॉर्ड काफी हद तक निराशाजनक है। ऐसे बहुत ही कम आन्दोलन हुए हैं जो हिंसा के प्रयोग से अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त करने में सफल रहे हों। कुछ उल्लेखनीय अपवादों में मलेशिया में कम्युनिस्ट विद्रोह और क्यूबा में कास्त्रो की क्रांति शामिल हैं तथा स्पेन, आयरलैंड, भारत के सिख और कश्मीरी क्षेत्रों और श्रीलंका जैसे देशों में अलगाववादी आंदोलन, अधिकांश भाग

में, स्वतंत्रता प्राप्त करने के अपने प्रयासों में असफल रहे हैं।[35] आतंकवाद कई कारणों से विफल रहा है, जिनमें आम जनता के समर्थन की कमी, राज्य की शक्ति, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से सीमित सहायता, आतंकवादी समूहों के भीतर आंतरिक विभाजन और आतंकवादी गतिविधियों में गिरावट शामिल है।[36] इसके अलावा, निर्दोष लोगों की हत्या का अक्सर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जो संभावित समर्थकों को अलग-थलग कर देता है। अपनी कमियों के बावजूद, वर्तमान में मौजूद प्रणालियों के प्रति असंतोष के परिणामस्वरूप आतंकवाद अस्तित्व में है। आतंकवाद के अधिक घातक रूपों, जैसे परमाणु, जैविक और रासायनिक आतंकवाद का खतरा तेजी से निकट आ रहा है। इसलिए आवश्यकता है कि विश्व इस पर संगठित होकर निर्णय ले और विश्व शांति की और अपने कदम बढ़ाए।

निष्कर्ष

आतंकवाद केवल हिंसा के कृत्यों से कहीं अधिक है, यह समाज के हर पहलू में व्याप्त है और व्यक्तियों, समुदायों और राष्ट्रों पर स्थायी निशान छोड़ जाता है। इसके प्रभावों की इस जांच के दौरान यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव डालने के साथ-साथ आतंकवाद के दूरगामी परिणाम भी बहुत गहरे होते हैं। जो समाज आतंकवादी हमलों के परिणामों से निपट रहे हैं उनमें भय और संदेह का अनुभव होना आम बात है, जिससे अंततः समुदायों के भीतर विश्वास और एकजुटता में गिरावट आती है। आर्थिक प्रभाव, जिसमें निवेश में कमी, व्यापार में व्यवधान और उत्पादकता में कमी शामिल है, पहले से मौजूद समस्याओं को बढ़ा देता है और विकास में प्रगति करना और अधिक कठिन बना देता है, खासकर उन क्षेत्रों में जो पहले से ही गरीबी और अस्थिरता से जूझ रहे हैं। इसके अलावा, वैश्विक आतंकवाद राजनयिक संबंधों पर दबाव डालता है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए चुनौती पेश करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब राष्ट्र खतरे का सामूहिक रूप से जवाब देने का प्रयास कर रहे होते है, तो उन्हें जटिल राजनीतिक परिदृश्य और भिन्न-भिन्न हितों को साधना होता है। यद्यपि आधुनिक दुनिया का अंतर्संबंध संचार और वाणिज्य को आसान बनाता है, यह चरमपंथी विचारधाराओं के प्रसार और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार आतंकवादी गतिविधियों के समन्वय के लिए एक माध्यम के रूप में भी कार्य करता है।

फिर भी, इन कठिनाइयों के बीच सामूहिक कार्रवाई और लचीलेपन का अवसर निहित है। जबकि सुरक्षा और खुफिया जानकारी साझा करने को बढ़ाने के उपायों को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है, आतंकवाद के मूल कारणों को संबोधित करने के प्रयासों को प्राथमिकता देना भी महत्वपूर्ण है, जिसमें सामाजिक आर्थिक असमानता, राजनीतिक शिकायतें और धार्मिक उग्रवाद शामिल हैं। समाज में समावेशी शासन को बढ़ावा देने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और एक ही समय में शिक्षा और सामाजिक सेवाओं में निवेश करके कट्टरपंथ और हिंसक उग्रवाद को जन्म देने वाली स्थितियों को कम किया जा सकता है। चरमपंथी विचारधाराओं को अवैध बनाने और शांति और समझ की संस्कृति विकसित करने के लिए, आतंकवादी प्रचार का मुकाबला करने और वैकल्पिक आख्यानों को बढ़ावा देने के प्रयास करना आवश्यक है जो सहिष्णुता, विविधता और मानवाधिकारों के सम्मान पर आधारित हैं। वैश्विक आतंकवाद के लगातार खतरे के सामने, न्याय, मानवाधिकार और कानून के शासन के बुनियादी सिद्धांतों को बनाए रखना एक सामूहिक जिम्मेदारी है। यह जिम्मेदारी एक सामूहिक दायित्व है। आतंकवाद की छाया से मुक्त

दुनिया, जहां सभी व्यक्ति शांति और सुरक्षा में रहने में सक्षम हैं, एक ऐसी स्थिति है जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आतंकवाद के अंतर्निहित करको को संबोधित करके, राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर इसे स्थापित कर सकता है।

संदर्भ

1. Heywood, Andrew. *Global politics*. Bloomsbury Publishing, 2014.
2. Ibid.
3. Chimni, B. S., and Siddharth Mallavarapu. *International Relations*, 2012.
4. Ibid.
5. Heywood, Andrew. *Global politics*. Bloomsbury Publishing, 2014.
6. Chimni, B. S., and Siddharth Mallavarapu. *International Relations*, 2012.
7. Ibid.
8. Ibid.
9. Ibid.
10. Heywood, Andrew. *Global politics*. Bloomsbury Publishing, 2014.
11. Ibid.
12. Ibid.
13. Chimni, B. S., and Siddharth Mallavarapu. *International Relations*, 2012.
14. Ibid.
15. Ibid.
16. Ibid.
17. Ibid.
18. Heywood, Andrew. *Global politics*. Bloomsbury Publishing, 2014.
19. Ibid.
20. Ibid.
21. Ibid.
22. Gerges, Fawaz A. *The far enemy: Why jihad went global*. Cambridge University Press, 2009.
23. Ibid.
24. Ibid.
25. Ibid.
26. Ibid.
27. Ibid.

28. Heywood, Andrew. *Global politics*. Bloomsbury Publishing, 2014.
29. Ibid.
30. Ibid.
31. Ritzer, George, and Zeynep Atalay, eds. *Readings in globalization: Key concepts and major debates*. John Wiley & Sons, 2010.
32. Heywood, Andrew. *Global politics*. Bloomsbury Publishing, 2014.
33. Ibid.
34. Chimni, B. S., and Siddharth Mallavarapu. *International Relations*, 2012.
35. Ibid.
36. Ibid.

अध्याय-22

असम के परिप्रेक्ष्य में स्नातकोत्तर स्तर पर शैक्षणिक लेखन से संबंधित मुद्दों पर एक अध्ययन

प्रतीक्षा कश्यप शर्मा
स्नातकोत्तर छात्र, शिक्षा विभाग, तेजपुर विश्वविद्यालय

मोहम्मद असिफ
सहायक प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, तेजपुर विश्वविद्यालय

यास्मीन सुल्ताना
सहायक प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, तेजपुर विश्वविद्यालय

शैक्षणिक लेखन वह लेखन है जो शैक्षिक सेटिंग में उत्पन्न होता है।ये स्पष्ट, संक्षिप्त, केंद्रित, व्यवस्थित होता है, और कोइ भी तर्क साक्ष्य पर आधारित होता है। लेखन की विभिन्न शैलियाँ होती हैं जिनमें लघु कथा लेखन, कविता लेखन, व्यक्तिगत लेखन से लेकर व्यावसायिक लेखन तक शामिल हैं और इन सभी विभिन्न शैलियों की अपनी विशेषताएं होती हैं। इसी तरह शैक्षणिक लेखन की भी अपनी अनूठी शैली, अभिव्यक्ति के रूप और शब्दावली होती है। शोध संदर्भ में छात्रों का शैक्षणिक लेखन जटिल विचारों को लिखने में बहुत स्पष्ट और सटीक होना चाहिए और इसे बड़ी सटीकता के साथ व्यक्त किया जाना चाहिए। कोनॉली (2013) के अनुसार शैक्षणिक लेखन कौशल केवल अच्छे लेखकों का निर्माण नहीं करते, बल्कि वे अच्छे वक्ता और विचारक भी बन सकते हैं। यह कहा जा सकता है कि जिन छात्रों के पास अच्छे शैक्षणिक लेखन कौशल होते हैं, वे अच्छी तरह से संरचित शैक्षणिक लेखन कर सकते हैं और स्पष्ट रूप से विचार भी व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए बेहतर शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए किसी के भी पास शैक्षणिक लेखन कौशल होना चाहिए। स्ट्रोंगमैन (2013) कहते हैं कि लेखन शब्दों के साथ संवाद करने के बारे में है और शैक्षणिक लेखन शब्दों को सावधानीपूर्वक चुनकर विभिन्न पाठकों और दर्शकों के लिए जटिल विचारों के साथ संवाद करना है। इसलिए शैक्षणिक लेखन प्रमाण आधारित लेखन है जिस्मे अस्पष्ट भाषा का कोई उपयोग नहीं। सटीक शब्द चयन, तार्किक संगठन, और इसकी अपनी औपचारिक स्वर और शैली होती है।

उच्च शिक्षा में शैक्षणिक लेखन

आमतौर पर उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों को उचित शैक्षणिक लेखन मानदंडों या प्रक्रिया का पालन करके अपनी शैक्षणिक गतिविधियों को लिखना आवश्यक होता है। देखा गया है कि अधिकांश स्नातक स्तर के छात्र शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए आवश्यक कार्य को पूरा करने में संघर्ष कर रहे हैं और विभिन्न कठिनाइयों का सामना करते हैं। स्नातक शैक्षणिक लेखन उनके भविष्य के करियर में प्रमुख कौशल हैं। टार्डी, (2010) का कहना है कि छात्रों को अपने लेखन कार्यों में उचित शैलियों और शैलियों को अपनाना आवश्यक है और मूल रूप से बाहरी स्रोतों से खींचना आवश्यक है। हालांकि, यह संभव है यदि अंग्रेजी भाषा या पहली भाषा में कुछ हद तक कुशलता प्राप्त की जाती है। कई बार छात्र विचारों के विकास, तार्किक सोच के माध्यम से पैराग्राफ संगठन, लेखन क्षमता में समग्र रूप से कमी जैसी समस्याओं के कारण शैक्षणिक लेखन में कठिनाइयों का सामना करते हैं और बहुत कुछ। वे विचार उत्पन्न करने, पुनर्लेखन, रूपरेखा बनाने और सारांश लिखने (बियान और वांग, 2016) जैसी शैक्षणिक लेखन प्रक्रिया का पालन करने में कठिनाइयों का

अनुभव करते हैं। उनकी समस्याएं उत्पाद से संबंधित हैं जैसे कि लेखन शैली उपयुक्त रूप में नहीं है, संदर्भ और उद्धरण और यह दावा किया जाता है कि इस स्तर पर छात्रों को उन जटिल, औपचारिक, वस्तुनिष्ठ, हेज्ड और सटीक भाषा को सिखाना मुश्किल होता है (गिलेट, हैमंड और मार्टाला, 2009)। हालांकि, शैक्षणिक लेखन में लेखकों को आत्मविश्वासी होना चाहिए और एक विशेषज्ञ स्थान से लिखना चाहिए, भले ही वे अपने विषयों पर विचार नहीं करते हैं (टार्डी, 2010, पृ. 12)। उनकी लेखनी को इस तरह से विस्तारित किया जाना चाहिए कि यह पाठक की दृष्टि को आकर्षित करे हालांकि पाठक का दृष्टिकोण विभिन्न पृष्ठभूमि से होता है। इसके अलावा अंग्रेजी भाषा में खराब भाषा की क्षमता छात्रों के लिए शैक्षणिक लेखन में एक अतिरिक्त पृष्ठभूमि समस्या के रूप में बनी रहती है। ऐसी समस्या के कारण वे लक्ष्य भाषा में प्रभावी चर्चा नहीं कर सकते हैं। यह संभव हो सकता है यदि वे अंग्रेजी में मौखिक भाषा की क्षमता का अभ्यास करते हैं, क्योंकि मौखिक भाषा की बातचीत सबसे अधिक प्रयुक्त कौशल है (फड्डा, 2012, पृ. 125)। इसलिए स्नातकोत्तर छात्र शैक्षणिक लेखन को एक चुनौतीपूर्ण कौशल के रूप में पाते हैं क्योंकि वे इसे बिना ठोस ढांचे के करने के लिए सुसज्जित नहीं हैं।

वर्तमान अध्ययन में शोधकर्ता ने स्नातकोत्तर स्तर पर छात्रों से संबंधित शैक्षणिक लेखन की समस्याओं की जांच करने का लक्ष्य रखा है। इसलिए वर्तमान अध्ययन जनसंख्या में असम के राज्य विश्वविद्यालयों के छात्र और शिक्षक शामिल हैं। शोधकर्ता ने सुलभ जनसंख्या के अनुसार असम के चार राज्य विश्वविद्यालयों को वर्तमान अध्ययन की पूरी जनसंख्या के रूप में लिया है। चयनित विश्वविद्यालयों के नाम निम्नलिखित चित्र में दिखाए गए हैं।

चित्र: चयनित विश्वविद्यालयों के नाम

गौहाटी विश्वविद्यालय

कॉटन विश्वविद्यालय

डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय

बोडोलैंड विश्वविद्यालय

नॉर्थईस्ट मानचित्र पर चारों विश्वविद्यालयों का स्थान लाल, नीले, हरे और बैंगनी प्रतीकों की मदद से दर्शाया गया है।

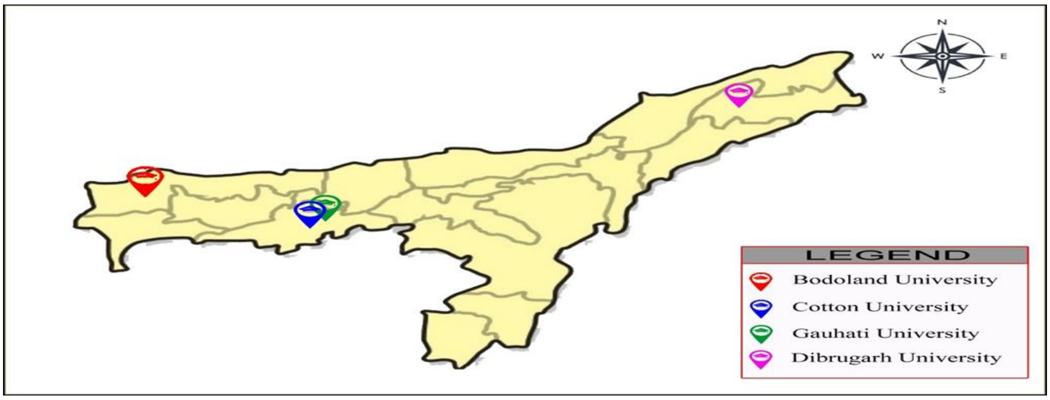

निदर्शन

वर्तमान अध्ययन में, शोधकर्ता ने कुल 35 प्रतिभागियों का चयन किया है, जिसमें 24 अंतिम वर्ष के स्नातकोत्तर छात्र और 11शिक्षक सदस्य क्रमशः सम्पूर्ण जनसंख्या के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हैं। ये प्रतिभागी तीन विभागों - शिक्षा, राजनीति विज्ञान और भूगोल से लिए गए हैं, क्योंकि इन विभागों की सामान्य उपलब्धता सभी चयनित विश्वविद्यालयों में होती है। इसके अलावा, शोधकर्ता ने स्नातकोत्तर कार्यक्रम के अंतिम वर्ष के छात्र को इसलिए चुना क्योंकि अंतिम सेमेस्टर या वर्ष में उन्हें प्रोजेक्ट/डिसर्टेशन को पूरा करने की आवश्यकता होती है जो कि पाठ्यक्रम कार्यक्रम की मानदंडों को पूरा करती है। नीचे दिया गया तालिका अध्ययन के लिए लिए गए नमूने का वितरण दिखाता है।

तालिका: संस्थान अनुसार निदर्शन का वितरण

विश्वविद्यालयों के नाम	निदर्शन आकार		
	छात्र	शिक्षक	कुल
गौहाटी विश्वविद्यालय	6	3	9
कॉटन विश्वविद्यालय	6	3	9
डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय	6	3	9

बोडोलैंड विश्वविद्यालय	6	2	8
कुल	**24**	**11**	**35**

निदर्शन तकनीक

वर्तमान अध्ययन में, शोधकर्ता ने गैर-संभाव्यता निदर्शन डिजाइन का हिस्सा बनने वाली सविच्आर निदर्शन विधि का उपयोग किया है। सबसे पहले, शोधकर्ता ने 13 राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में से केवल चार विश्वविद्यालयों का चयन किया, क्योंकि उन चार विश्वविद्यालयों से आँकड़ा एकत्र करना शोधकर्ता के लिए सुलभ था। इसके अलावा, शोधकर्ता ने तीन विभागों से 2 छात्रों और चयनित राज्य विश्वविद्यालयों से 11शिक्षक सदस्यों का चयन सविच्आर निदर्शन विधि के माध्यम से साक्षात्कार के जरिए किया।

उपयोग किया गया उपकरण

वर्तमान अध्ययन के लिए आँकड़े एकत्र करने के लिए, शोधकर्ता ने छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए 19 प्रश्नों के लिए छात्रों के लिए और 8 प्रश्नों के लिए शिक्षकों के लिए खुले और बंद प्रश्न पैटर्न पर आधारित अर्ध-संरचित साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग किया और शोधकर्ता ने अर्ध-संरचित साक्षात्कार किया।

उपकरण का वर्णन

अर्ध-संरचित साक्षात्कार अनुसूची तैयार करने के लिए शोधकर्ता ने पर्यवेक्षकों की मदद से 11 आयामों के आधार पर उपकरण के प्रत्येक मद का निर्माण किया। अर्ध-संरचित साक्षात्कार उपकरण के 11 आयामों का विवरण निम्नलिखित है:

1. शैक्षणिक लेखन के बारे में ज्ञान - यह छात्रों द्वारा शैक्षणिक लेखन पर प्राप्त ज्ञान के स्रोतों पर चर्चा करता है।

2. शैक्षणिक लेखन की परिभाषा की क्षमता - इस आयाम में शैक्षणिक लेखन पर छात्रों की मान्यता या अवधारणा पर आधारित मद सेट किए गए हैं।

3. साक्षरता की अपर्याप्तता - इससे यह संबंधित है कि वे शैक्षणिक गतिविधियों को लिखने के लिए प्रासंगिक सामग्रियों को कैसे ढूंढते हैं।

4. शैक्षणिक लेखन में कौशल का उपयोग - यहाँ छात्रों द्वारा शैक्षणिक लेखन में कौशल की आवश्यकता पर आधारित मद हैं।

5.शैक्षणिक लेखन अभ्यास की आदत - यह छात्रों द्वारा अपने शैक्षणिक लेखन को सुधारने के लिए की गई प्रैक्टिस के बारे में बताता है।

6. पर्यवेक्षण का समय - यह उनके पर्यवेक्षकों द्वारा प्रदान की गई मार्गदर्शिका के आधार पर छात्रों द्वारा सामना की गई समस्याओं से संबंधित है।

7. प्रतिक्रिया की अनुपस्थिति - यहाँ मद इस बात से संबंधित हैं कि छात्रों को उनकी शैक्षणिक लेखन समस्याओं से संबंधित कितनी प्रतिक्रिया मिलती है।

8. शैक्षणिक लेखन समस्याओं पर विचार - इस आयाम में यह शिक्षकों के विचारों से संबंधित है कि उन्हें अपने छात्रों के शैक्षणिक लेखन में क्या समस्याएं मिलती हैं।

9. समर्थन का प्रकार - यहाँ मद उस समर्थन पर आधारित हैं जिसे छात्र अपनी शैक्षणिक लेखन गतिविधियों के संदर्भ में अपनाना चाहते हैं।

10. रणनीतियों का उपयोग - इस आयाम के माध्यम से यह मद छात्रों द्वारा उनकी लेखन में अपनाई गई रणनीतियों से संबंधित हैं, जिनका उपयोग वे अपनी शैक्षणिक लेखन समस्याओं को दूर करने के लिए करते हैं।

11. शैक्षणिक गतिविधियों का मूल्यांकन- यह इस बात पर केंद्रित है कि शिक्षक छात्रों की लेखनी का कैसे मूल्यांकन करते हैं।

उपकरण की वैधता

वर्तमान अध्ययन में उपकरण की तैयारी के बाद इसे वैधीकरण के लिए जाँचा गया। वैधता उत्पन्न करने के विभिन्न तरीके होते हैं। शोधकर्ता ने अध्ययन के लिए उपकरण की सामग्री वैधता और प्रत्यक्ष वैधता की जाँच की। पहले उपकरण के आइटम उद्देश्यों और आयामों के आधार पर तैयार किए गए और फिर एक मसौदा पर्यवेक्षक को दिखाया गया जिसे उन्होंने जांचा। इसके बाद, पर्यवेक्षकों की सिफारिश के अनुसार, उपकरण को फिर से दिखाया गया और एक अन्य विशेषज्ञ द्वारा जांच की गई।

आँकड़ा संग्रहण प्रक्रिया

अर्ध-संरचित साक्षात्कार के माध्यम से अध्ययन करने के लिए, शोधकर्ता ने प्रतिभागियों से अर्ध-संरचित साक्षात्कार करने की अनुमति प्राप्त की। इस अर्ध-संरचित साक्षात्कार अनुसूची की प्रक्रिया सहमति प्रपत्र को एक साथ भेजने और प्रतिभागियों को एक औपचारिक संदेश डिजिटल रूप से भेजने से आगे बढ़ी। सहमति प्रपत्र में शोधकर्ता ने परिचय, उद्देश्य, प्रक्रिया, लाभ से लेकर अध्ययन की गोपनीयता तक का विस्तृत वर्णन दिया। गोपनीयता को इस अर्थ में दिया गया कि प्रतिभागियों की पहचान करने वाली जानकारी या नामों का उपयोग आँकड़े की रिपोर्टिंग में नहीं किया जाएगा और केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। इसके बाद प्रतिभागियों की इच्छा के अनुसार स्वैच्छिक सहमति के लिए सहमति प्रपत्र में हस्ताक्षर करवाए गए और प्रतिभागियों द्वारा दिए गए समय के अनुसार

शोधकर्ता ने अध्ययन के लिए अर्ध-संरचित साक्षात्कार अनुसूची पूरी की। इसके अलावा, शोधकर्ता ने सहमति प्रपत्र में साक्षात्कार अनुसूची को रिकॉर्ड करने का उल्लेख किया था जिसे प्रतिभागियों द्वारा स्वीकृति दी गई।

मुख्य निष्कर्ष:

उद्देश्य संख्या १ का विश्लेषण

उद्देश्य: स्नातकोत्तर छात्रों के बीच शैक्षणिक लेखन की अवधारणा का अध्ययन करना।

पहला उद्देश्य यह है कि 'स्नातकोत्तर छात्रों के बीच शैक्षणिक लेखन की अवधारणा का अध्ययन किया जाए' और इस उद्देश्य के लिए प्रस्तुत आँकड़े छात्रों की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने के बाद आया। शोधकर्ता ने दो मुख्य थीम्स की पहचान की है जो हैं शैक्षणिक लेखन के बारे में ज्ञान और शैक्षणिक लेखन को परिभाषित करने की क्षमता, जिन्हें आगे उप-थीमों में विभाजित किया गया है। इन दो मुख्य थीमों और उनके विभिन्न उप-थीमों की चर्चा नीचे की गई है और तालिका 4 में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 1 स्नातकोत्तर छात्रों के बीच शैक्षणिक लेखन की अवधारणा का अध्ययन करने के लिए मुख्य थीमों के आधार पर वितरण:

शैक्षणिक लेखन के बारे में ज्ञान	i) शैक्षणिक लेखन की विशेषताएँ ii) कादमिक लेखन की अनूठी और विशिष्ट प्रकृति iii) शैक्षणिक लेखन में आवश्यक कौशल
शैक्षणिक लेखन को परिभाषित करने की क्षमता	i) शैक्षणिक लेखन की अवधारणा के साथ परिचितता ii) शैक्षणिक लेखन के बारे में उनके ज्ञान के स्रोत iii) शैक्षणिक लेखन की परिभाषा

थीम संख्या 1: शैक्षणिक लेखन के बारे में ज्ञान

विवरण: 'शैक्षणिक लेखन के बारे में ज्ञान' एक थीम थी जो प्रतिभागियों के शैक्षणिक लेखन की विशेषताओं, कौशल, अनूठेपन और विशिष्ट प्रकृति पर उनके विचारों को समझने के बाद बनाई गई थी। यह स्नातकोत्तर छात्रों के शैक्षणिक

लेखन की विशेषताओं, कौशल और अनूठी तथा विशिष्ट प्रकृति को जानने में उनके संज्ञानात्मक ज्ञान का वर्णन करता है।

तालिका 2: शैक्षणिक लेखन की विशेषताओं के अनुसार प्रतिक्रियादाताओं का वितरण

विशेषताएं	प्रतिक्रियादाताओं की संख्या (%)
औपचारिक	20 (83%)
जिम्मेदार	4 (17%)
महत्वपूर्ण विश्लेषण	3 (12.5%)

उपरोक्त तालिका में कुछ अक्सर दोहराए गए वक्तव्य नीचे दिए गए हैं जो प्रतिक्रियादाताओं से साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से निकाले गए हैं:

- "शैक्षणिक लेखन औपचारिक होता है और शोध लेखन में उपयोगी होता है।"

- "कागज में जो कुछ भी लिखा जाता है उसके लिए जिम्मेदारी के साथ प्रमाण के साथ होना चाहिए।"

- "शैक्षणिक लेखन को ठीक से प्रतिबिंबित करना चाहिए, महत्वपूर्ण विश्लेषण अच्छा होगा।"

तालिका 3: शैक्षणिक लेखन की अनूठी और विशिष्ट प्रकृति के अनुसार प्रतिक्रियादाताओं का वितरण

शैक्षणिक लेखन की अनूठी और विशिष्ट प्रकृति	प्रतिक्रियादाताओं की संख्या (%)
व्यवस्थित रूप से उपयोग करना	17 (70%)
औपचारिक लेखन शैली	15 (8%)
लिखने से पहले व्यापक विचार	3 (12.5%)
प्रक्रिया में चलना	2 (8.3%)

उपरोक्त तालिका में कुछ प्रतिक्रियादाताओं के वक्तव्य नीचे दिए गए हैं जो साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से अमूर्त रूप में निकाले गए थे:

मेरा मानना है,

- "शैक्षणिक लेखन में कुछ सिद्धांतों, चरणों का पालन किया जाता है जो अन्य लेखन में नहीं देखा जाता है, एक व्यवस्थित रूप का उपयोग किया जाता है।"

- "यहां एक प्रक्रिया प्रणाली है और कुछ अलग लेखन तरीका है।"

- "शैक्षणिक लेखन एक औपचारिक लेखन शैली और व्यवस्थित है।"

- "मेरे दृष्टिकोण से यह विशिष्ट है क्योंकि यह व्यवस्थित प्रारूप का पालन करता है, थीसिस में देखा गया कि जब किसी विशेष क्षेत्र पर एक व्यापक अवधारणा होती है तो कोई शैक्षणिक लेखन प्रारूप में प्रकाशन के लिए लिखता है।"

तालिका 4: शैक्षणिक लेखन में आवश्यक कौशल के अनुसार प्रतिक्रियादाताओं का वितरण

कौशल	प्रतिक्रियादाताओं की संख्या (%)
धैर्य	8 (33%)
शैक्षणिक लेखन के नियम	9 (37.5)
पढ़ने और लिखने का अभ्यास	12 (50%)

उपरोक्त तालिका पर अधिकांश प्रतिक्रियादाताओं द्वारा दी गई कुछ वक्तव्य नीचे दिए गए हैं:

मेरा मानना है,

- "किसी के पास धैर्य होना चाहिए, शैक्षणिक लेखन नियमों और प्रक्रिया कौशल के बारे में ज्ञान होना चाहिए।"

- "जो कुछ भी मैं लिखता हूँ, उसके लिए पढ़ने और लिखने का अधिक अभ्यास करना चाहिए।"

थीम संख्या 2: शैक्षणिक लेखन को परिभाषित करने की क्षमता

विवरण: स्नातकोत्तर छात्रों की शैक्षणिक लेखन को परिभाषित करने की क्षमता एक थीम थी जो उनकी शैक्षणिक लेखन पर समझ के स्तर की जाँच करने के बाद बनाई गई थी। उनकी क्षमता को शैक्षणिक लेखन की अवधारणा के साथ उनकी परिचितता और शैक्षणिक लेखन के बारे में उनके ज्ञान के स्रोतों को जानकर जाँचा गया।

प्रतिक्रियादाताओं के परिणाम शैक्षणिक लेखन की अवधारणा के साथ परिचितता को तालिका में दिखाया गया है।

तालिका 5: शैक्षणिक लेखन की अवधारणा के साथ परिचितता के आधार पर प्रतिक्रियादाताओं का वितरण

अवधारणा की परिचितता	परिचित	अपरिचित
शैक्षणिक लेखन	17 (71%)	7 (29.2%)

तालिका 6: शैक्षणिक लेखन के बारे में ज्ञान के स्रोतों के अनुसार प्रतिक्रियादाताओं का वितरण

ज्ञान के स्रोत	प्रतिक्रियादाताओं की संख्या (%)
इंटरनेट स्रोत (शोधपत्र, पत्रिका, लेख)	20 (83%)
प्रोफेसरों द्वारा व्याख्यान	4 (16.7%)

इस प्रकार, शोधकर्ता ने पाया कि 24 प्रतिक्रियादाताओं में से लगभग 17 प्रतिक्रियादाताओं ने बताया कि वे शैक्षणिक लेखन की अवधारणा से परिचित हैं और 7 प्रतिक्रियादाताओं ने बताया कि वे अपरिचित हैं। साथ ही, 24 प्रतिक्रियादाताओं में से लगभग 20 प्रतिक्रियादाताओं ने बताया कि उनके शैक्षणिक लेखन के बारे में ज्ञान के मुख्य स्रोत इंटरनेट से हैं जैसे कि जर्नल, शोध पत्र, और केवल 4 प्रतिक्रियादाताओं ने बताया कि उनके ज्ञान का स्रोत कक्षा में प्रोफेसरों के निर्देश हैं।

तालिका 7: शैक्षणिक लेखन को परिभाषित करने के अनुसार प्रतिक्रियादाताओं का वितरण

शैक्षणिक लेखन को परिभाषित करें	प्रतिक्रियादाताओं की संख्या (%)
यह औपचारिक लेखन शैली है	14 (58%)
शोध रिपोर्ट, डिसर्टेशन में अनुसरण किया जाता है	8 (33%)
जटिल लेखन	1 (4.2%)
विचारों को तार्किक, व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना	1 (4.2%)

शोधकर्ता ने पाया कि लगभग 24 प्रतिक्रियादाताओं ने शैक्षणिक लेखन के बारे में परिभाषित किया, लेकिन केवल 2 प्रतिक्रियादाताओं की परिभाषा उन 22 प्रतिक्रियाओं से अलग थी। इस संदर्भ में प्रतिक्रियादाताओं के कुछ वक्तव्य निम्नलिखित हैं:

22 प्रतिभागियों ने निम्नलिखित समान वक्तव्य दिया:

- "शैक्षणिक लेखन एक औपचारिक शैली का लेखन है जिसका अनुसरण शोध रिपोर्ट, डिसर्टेशन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में किया जा सकता है।"

एक और समान वक्तव्य है:

- "शैक्षणिक लेखन वह प्रकार का लेखन है जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डिसर्टेशन के साथ जुड़ा हुआ है।"

और केवल 2 प्रतिक्रियादाताओं का वक्तव्य उपरोक्त वक्तव्य से इस प्रकार अलग है:

- "शैक्षणिक लेखन जटिल लेखन है, विचारों को तार्किक और व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता है और लंबे वाक्यों और जटिल शब्दावलियों का उपयोग नहीं करता है।"

उद्देश्य संख्या २ का विश्लेषण:छात्रों के दृष्टिकोण से शैक्षणिक लेखन से संबंधित विभिन्न समस्याओं का पता लगाना

वर्तमान अध्ययन का दूसरा उद्देश्य 'छात्रों द्वारा शैक्षणिक लेखन के संबंध में सामना की जाने वाली विभिन्न समस्याओं का पता लगाना है।' इस उद्देश्य के लिए प्रस्तुत आँकड़े विभिन्न समस्याओं के आधार पर है, जो प्रतिक्रियादाताओं द्वारा दिए गए बयानों के प्रतिलेखन के बाद आया। ये समस्याएँ निम्नलिखित हैं -

- विशिष्ट लेखन गतिविधियाँ

- विशिष्ट लेखन गतिविधियों से संबंधित समस्याएँ

- शैक्षणिक गतिविधियों के लिए लेखन में सामान्य समस्याएँ

- पर्यवेक्षकों के साथ संबंध गतिविधि संख्या 1: विशिष्ट लेखन गतिविधियाँ जो छात्र तैयार करते हैं

विवरण: 'विशिष्ट लेखन गतिविधियाँ जो छात्र तैयार करते हैं' यह थीम उन विभिन्न लेखन गतिविधियों को जानने के बाद बनाई गई थी जो उन्हें स्नातकोत्तर स्तर पर सौंपी गई हैं।

तालिका 8: विशिष्ट लेखन गतिविधियों के आधार पर प्रतिक्रियादाताओं का वितरण

विशिष्ट लेखन गतिविधियाँ	प्रतिक्रियाओं की संख्या (%)
लेखन असाइनमेंट, डिसर्टेशन	20 (83%)
नोट्स तैयार करना	3 (12.5%)
सेमिनार पेपर	1 (4.1%)

इस थीम के तहत, शोधकर्ता ने जाँच की कि छात्र किन विभिन्न प्रकार के लेखों की तैयारी करते हैं और पाया कि अधिकांश प्रतिक्रियादाताओं ने बताया कि वे असाइनमेंट, डिसर्टेशन का काम, नोट्स तैयार करना और कभी-कभी सेमिनार पेपर प्रस्तुति की तैयारी करते हैं।

मुद्दा संख्या 2: विशिष्ट लेखन गतिविधियों से संबंधित समस्याएं

विवरण: यह थीम उन विभिन्न समस्याओं को जानने के बाद अमूर्त रूप में बनाई गई थी जो उनकी विशिष्ट लेखन गतिविधियों से संबंधित हैं

तालिका 9: विशिष्ट लेखन गतिविधियों से संबंधित समस्याओं के अनुसार प्रतिक्रियादाताओं का वितरण

विशिष्ट लेखन गतिविधियों से संबंधित समस्याएं	प्रतिक्रियादाताओं की संख्या (%)
प्रासंगिक साहित्य समीक्षा न मिलना	5 (91.6%)
विषय से संबंधित साहित्य समीक्षा न मिलना	20 (83.3%)
संरचना, प्रस्तावना भाग को व्यवस्थित करने में कठिनाई	19 (79.2%)
अध्ययन सामग्री (पुस्तकें, पूर्व डिसर्टेशन कार्य) की अनुपलब्धता	15 (62.5%)
उद्धरण शैलियों में भ्रमित होना	18 (75%)

उपरोक्त तालिका में कुछ अधिकतर दोहराए गए वक्तव्य नीचे दिए गए हैं जो प्रतिक्रियादाताओं से साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से निकाले गए थे:

- "मुझे वे सामग्री जैसे कि ई-बुक्स, जर्नल्स नहीं मिल रही हैं, जिनकी मुझे माध्यमिक स्रोत से आवश्यकता है।"

- "जो कुछ भी मैं गूगल पर सीधे खोजता हूँ, मुझे सामग्री प्रासंगिक लगती है।"

- "मुझे विषय चुनने में समस्या होती है और मुझे नहीं पता कि प्रस्तावना भाग में कौन से महत्वपूर्ण बिंदु शामिल किए जाएं और किस निदर्शन विधि का चयन किया जाए।"

- "जब मुझे लिखने के लिए एक विषय मिलता है तो मैं बहुत समय सोचता हूँ कि विषय में क्या जोड़ूँ, कैसे समाप्त करूँ, सामग्री एकत्र करूँ ताकि विचार प्राप्त हो सके।"

- "जब मुझे यह विचार नहीं आता कि लेखन कैसे तैयार किया जाए, तो मैं जो कुछ भी सामग्री से प्राप्त करता हूँ उसे कॉपी कर लेता हूँ।"

- "मुझे उचित या सही उद्धरण शैली के साथ कठिनाई होती है कि यह कैसी होनी चाहिए और इसका पैटर्न कैसा होना चाहिए।"

मुद्दा संख्या 3: शैक्षणिक गतिविधियों के लिए लेखन में सामान्य समस्याएं

विवरण: 'शैक्षणिक गतिविधियों के लिए लेखन में सामान्य समस्याएं' यह थीम साक्षात्कार से प्रतिलिपि बनाई गई थी जो शैक्षणिक गतिविधियों के लिए लेखन करते समय छात्रों द्वारा सामान्य रूप से सामना की जाने वाली समस्याओं का वर्णन करती है।

तालिका 10: शैक्षणिक गतिविधियों के लिए लेखन में सामान्य समस्याओं के अनुसार प्रतिक्रियादाताओं का वितरण

शैक्षणिक गतिविधियों में सामान्य समस्याएं	प्रतिक्रियादाताओं की संख्या (%)
भाषा समस्या	21 (87.5%)
वाक्य निर्माण में समस्या	21 (87.5%)
विराम चिह्न	9 (37.5%)
शब्दावली कौशल में कमी	18 (75%)
व्याकरणिक त्रुटि	20 (83%)

उपरोक्त तालिका में कुछ समान वक्तव्य नीचे दिए गए हैं जो प्रतिक्रियादाताओं से साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से निकाले गए थे:

- "मैं देशी माध्यम से हूँ जिसके कारण मैं अपनी व्याकरणिक गलतियों, वाक्य निर्माण और विराम चिह्नों के लिए लेखन करते समय समस्या का सामना कर रहा हूँ।"

- "मेरे पास सीमित शब्द हैं जिसके कारण मैं लिखते समय अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ।"

- "मुझे अंग्रेजी भाषा में लिखते समय विचारों को व्यक्त करने में अधिकतर भाषा समस्या होती है।"

- "मुझे अपने विषय से संबंधित समीक्षा प्राप्त नहीं होती है और मुझे अपने डिसर्टेशन कार्य करने में कठिनाई होती है।"

व्याख्या

दूसरे उद्देश्य के अनुसार, यह पता लगाना था कि छात्र छात्रों के दृष्टिकोण से शैक्षणिक लेखन से संबंधित विभिन्न समस्याओं का सामना करते हैं। अध्ययन के परिणाम से पता चला कि अधिकांश छात्र प्रासंगिक साहित्य समीक्षा खोजने और साहित्य समीक्षा के माध्यम से विषय से संबंधित करने में असमर्थ होने, प्रस्तावना भाग को संगठित और संरचित करने में समस्या का सामना करते हैं। अर्नेस्ट ए पिनटेह (2014) ने स्नातकोत्तर छात्रों की शैक्षणिक लेखन चुनौतियों पर एक अध्ययन किया। इस अध्ययन में पाया गया कि छात्रों की शैक्षणिक लेखन में चुनौतियां भाषा, संकल्पनात्मक और शैलीगत त्रुटियों में स्पष्ट थीं। आँकड़े के विश्लेषण से शोधकर्ता ने पाया कि छात्रों का सामना करने वाली अन्य सामान्य समस्याएं भाषा की समस्या, वाक्य निर्माण में समस्या, विचारों को व्यक्त करने में असमर्थता, व्याकरणिक त्रुटियाँ और शब्दावली कौशल की कमी थीं। इब्तिसाम अली हसन अल बदी (2015) के अध्ययन में पाया गया कि स्नातकोत्तर छात्रों को मुख्य रूप से अपनी आवाज व्यक्त करने, पुनर्लेखन में कमी, भाषा की सामंजस्यता और संगति, प्रासंगिक संदर्भों को खोजने में कमी, और उद्धरण और संदर्भ शैलियों को न जानने में कठिनाई होती है। कुछ मुद्दे जो छात्रों द्वारा नहीं उठाए गए थे लेकिन शिक्षकों ने साक्षात्कार के माध्यम से रिपोर्ट किया कि वे लेखन के विभिन्न खंडों के बीच कोई समानता नहीं पाते, कोई नैतिकता का पालन नहीं करते, विचारों को स्पष्टता के साथ प्रवाहित करने में असमर्थ होते हैं और अधिकांश ने रिपोर्ट किया कि वे छात्रों की शैक्षणिक लेखन में भाषा और व्याकरणिक समस्या पाते हैं।

मुद्दा संख्या 4: पर्यवेक्षकों के संबंध

विवरण:'पर्यवेक्षकों के संबंध' यह थीम छात्रों की प्रतिक्रियाओं के प्रतिलेखन के बाद बनाई गई थी। यह उनके शैक्षणिक लेखन में सुधार के लिए मिलने वाली प्रतिक्रिया, मार्गदर्शन के संबंध का वर्णन करता है।

तालिका 11: पर्यवेक्षकों के संबंध के अनुसार प्रतिक्रियादाताओं का वितरण

पर्यवेक्षकों के संबंध	प्रतिक्रियादाताओं की संख्या (%)
प्रस्तावना भाग को सीमित करने में मिली प्रतिक्रिया	1 (4.1%)
व्याकरणिक गलतियों पर मिली प्रतिक्रिया	2 (8.3%)
बिना प्रतिक्रिया के सीधे अंक मिलना	22 (91.6%)

उपरोक्त तालिका के अनुसार कुछ समान वक्तव्य नीचे दिए गए हैं:

- "मेरे लेखन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती, यह शिक्षक के पास रह जाती है, कोई चर्चा नहीं होती।"

- "अब मैंने अपना डिसर्टेशन कार्य शुरू किया है और अब तक मेरे जमा किए गए कामों की जांच की गई है।"

- "कभी-कभी वे मेरी व्याकरण और पैराग्राफ क्रम को सही करते हैं।"

- एक प्रतिक्रियादाता ने बताया कि उसे कई चीजों पर प्रतिक्रिया मिली जिसका प्रमाण है क्योंकि दी गई प्रतिक्रिया की एक प्रति शोधकर्ता को भेजी गई थी। शिक्षक द्वारा दी गई प्रतिक्रिया नीचे दी गई है:

- "अपने प्रस्तावना को एक पैराग्राफ तक सीमित करें और हमेशा उसी चीज़ पर ध्यान दें जो पूछी गई हो, जैसे कि आपसे एक बफर क्षेत्र होने के महत्व के बारे में पूछा गया है, हमेशा प्रयास करें कि अपने बिंदुओं को संदर्भ के साथ संबंधित या औचित्य साबित करें और हमेशा छोटे वाक्यों में बिंदु लिखने का प्रयास करें लेकिन सभी आवश्यक चीजें संक्षेप में लिखें।"

उद्देश्य संख्या 3 का विश्लेषण: शिक्षकों के दृष्टिकोण से शैक्षणिक लेखन से संबंधित विभिन्न समस्याओं को देखना

वर्तमान अध्ययन का तीसरा उद्देश्य 'शिक्षकों के दृष्टिकोण से शैक्षणिक लेखन से संबंधित विभिन्न समस्याओं को देखना है। और इस उद्देश्य के लिए प्रस्तुत आँकड़े शिक्षकों के विचारों के अनुसार है जो उन्होंने छात्रों के शैक्षणिक लेखन में देखी गई समस्याओं में देखा है और इसे थीमैटिक रूप से विश्लेषित किया गया है। ये समस्याएं नीचे चर्चा की गई हैं:

मुद्दा संख्या 1: शैक्षणिक लेखन से संबंधित छात्रों की समस्याओं पर विचार

विवरण: 'शैक्षणिक लेखन से संबंधित छात्रों की समस्याओं पर विचार' यह थीम बनाई गई थी जो आम तौर पर शैक्षणिक लेखन से संबंधित छात्रों की समस्याओं पर शिक्षकों के विचारों का वर्णन करती है।

तालिका 12: शैक्षणिक लेखन से संबंधित छात्रों की समस्याओं पर विचारों के अनुसार प्रतिक्रियादाताओं का वितरण

छात्रों की समस्याओं से संबंधित विचार	प्रतिक्रियादाताओं की संख्या
व्याकरणिक गलतियाँ	10 (90.9%)
लेखन कौशल की नकल	6 (54.5%)

वाक्य निर्माण में समस्या	10 (90.9%)
विचारों को स्पष्टता के साथ प्रवाहित करने में असमर्थ	8 (72.7%)
भाषा समस्या	10 (90.9%)
चीजों की समीक्षा करने का अनुभव की कमी	7 (63.6%)
लेखन के विभिन्न खंडों में कोई सामंजस्य नहीं	9 (81.8%)
कोई नैतिकता का पालन नहीं	8 (72.7%)

उपरोक्त तालिका में कुछ छात्रों के वक्तव्य नीचे दिए गए हैं:

- "डिसर्टेशन या सिनोप्सिस तैयार करते समय मैंने मुख्य रूप से भाषा समस्या, व्याकरणिक, संरचनात्मक समस्याएं देखी हैं।"

- "स्नातकोत्तर स्तर पर अधिकांश छात्र लेखन कौशल की नकल करते हैं और उनकी संरचना की रचना और पूरक उप-विषयों या उपविषयों का भार अधिक होता है।"

- "अधिकतर समय वे अपने लेखन में जो संदेश देना चाहते हैं उसे व्यक्त नहीं कर पाते हैं और बहुत सारी व्याकरणिक गलतियाँ करते हैं।"

- "वे ज्यादा किताबें नहीं देखते हैं, जो कुछ भी मिलता है उसे चिपका देते हैं, कोई नैतिकता का पालन नहीं करते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि संसाधन कहाँ उपलब्ध हैं, ज्यादातर विकिपीडिया से लिखते हैं।"

- "वे प्रश्न के अनुसार नहीं लिखते हैं; यदि प्रश्न दो भागों से संबंधित है तो कुछ भाग छोड़ देते हैं, विभिन्न खंडों में कोई सामंजस्य नहीं होता।"

- "मैंने बहुत भाषा समस्या देखी है, अवधारणा को समझने में कमी, व्याकरणिक गलतियाँ, वर्तनी की गलतियाँ, वे विषय को सामान्यीकृत करके लिख नहीं पाते हैं।"

- "विषय के बारे में अवधारणा की कमी और अपने बिंदुओं को व्यक्त करने में असमर्थता शायद व्याकरणिक गलतियों के कारण होती है जिसका अर्थ कुछ अन्य शर्तों से होता है और विषय से संबंधित नहीं होता है।"

- "खैर, उत्तर बहुत व्यापक होगा एक बहुत ही सामान्य मुद्दा यह है कि शोध समस्या की रचना में कठिनाई होती है जिसे रूपरेखा देना मुश्किल होता है।"

उद्देश्य संख्या ४ का विश्लेषण: छात्रों के दृष्टिकोण से पोस्ट-ग्रेजुएशन स्तर पर शैक्षणिक लेखन में सुधार के लिए उपायों की पहचान करना

इस उद्देश्य के लिए छात्रों से साक्षात्कार प्रतिक्रियाएं एकत्र की गईं और थीमैटिक रूप से विश्लेषित की गई। प्रतिक्रियाओं के विश्लेषण के बाद, शोधकर्ता ने पाया कि छात्रों द्वारा पहचाने गए विभिन्न उपाय जिन्हें आगे उप-थीमों में विश्लेषित किया गया है। ये उपाय निम्नलिखित हैं, छात्रों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर:

उपाय संख्या 1: शैक्षणिक लेखन सीखने की इच्छा

विवरण: 'शैक्षणिक लेखन सीखने की इच्छा' यह उपाय छात्रों की प्रतिक्रियाओं के प्रतिलेखन के बाद एक थीम के रूप में बनाया गया था, जो वर्णन करता है कि छात्र कैसे अपनी निर्धारित शैक्षणिक गतिविधियों में सुधार के लिए शैक्षणिक लेखन सीखना चाहते हैं।

तालिका 13: शैक्षणिक लेखन में आवश्यक मंचों के आधार पर प्रतिक्रियादाताओं का वितरण

मंच आवश्यकताएँ	प्रतिक्रियादाताओं की संख्या (%)
कक्षा गतिविधि में औपचारिक रूप से	23 (95%)
प्रशिक्षित विशेषज्ञ/शोध विद्वान	21 (87%)
ऑनलाइन और ऑफलाइन संसाधनों से दोनों	15 (62.5%)

उपरोक्त तालिका में कुछ समान वक्तव्य नीचे दिए गए हैं:

- "हां, मुझे कक्षा गतिविधि में औपचारिक रूप से यह चाहिए, अतिरिक्त कक्षाएं मैं ढूंढता हूँ।"

- "मुझे कुछ विशेषज्ञ/शिक्षक या कुछ शोध विद्वान चाहिए जिन्होंने पहले ही शोध किया हो, जो मुझे मार्गदर्शन कर सकें।"

- "हां, मैं सीखना चाहता हूँ, अगर कोई मुझे सिखाता है तो मैं सीखूंगा और यह कोई भी हो सकता है चाहे परिवार के सदस्य, प्रोफेसर, दोस्त।"

- "हां, मैं विभिन्न ऑफलाइन और ऑनलाइन संसाधनों जैसे कि ऑनलाइन राइटिंग लैब, VEFAP.com, प्रोफेसरों से ऑफलाइन से सीखना चाहता हूँ।"

उपाय संख्या 2: सहायता की आवश्यकता

विवरण: 'सहायता की आवश्यकता' यह उपाय साक्षात्कार के माध्यम से प्रतिक्रियादाताओं की जरूरतों को समझने के बाद एक और उपाय के रूप में बनाया गया था। यह शैक्षणिक लेखन में सुधार के लिए उन्हें चाहिए विभिन्न प्रकार की सहायता और संसाधनों का वर्णन करता है।

तालिका 14: शैक्षणिक लेखन में सुधार के लिए सहायता के अनुसार प्रतिक्रियादाताओं का वितरण

सहायता की आवश्यकता	प्रतिक्रियादाताओं की संख्या (%)
मार्गदर्शन, सहयोग और प्रोत्साहन की आवश्यकता	21 (87.5%)
शैक्षणिक लेखन पर कोर्स	14 (58%)
आवश्यक अध्ययन सामग्री प्रदान करना	23 (95%)
प्रूफ-रीडिंग सेवाएं प्रदान करना	22 (91%) |

इस तालिका पर शोधकर्ता ने शैक्षणिक लेखन में सहायता के बारे में प्रतिक्रियादाताओं की प्रतिक्रियाओं के कुछ वक्तव्य निम्नलिखित हैं:

- "मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे सकारात्मक रूप से प्रोत्साहित करे ताकि मैं शैक्षणिक लेखन को पूरा कर सकूं।"
- "मैं चाहता हूँ कि मेरे मार्गदर्शक का समर्थन हमेशा मिले, जब भी मैं संपर्क करना चाहूँ तो अच्छा प्रतिसाद मिले।"
- "मेरी लेखन में व्याकरणिक गलतियों का सुधार किया जाए।"
- "मुझे मार्गदर्शन दें ताकि मैं तनाव के बिना काम को पूरा कर सकूं।"
- "जब मैं लिखने के लिए चीजें/सामग्री नहीं ढूंढ पाता हूँ, तो उस समय अगर कोई आकर मुझे दिखाए/प्रदान करे तो मैं सहायता प्राप्त करूंगा।"

तालिका 15: शैक्षणिक लेखन में सुधार के लिए संसाधनों की आवश्यकता के अनुसार प्रतिक्रियादाताओं का वितरण

संसाधनों की आवश्यकता	प्रतिक्रियादाताओं की संख्या (%)
पुस्तकालय में आवश्यक सामग्री की उपलब्धता (पुस्तकें, पूर्व डिसर्टेशन कार्य आदि)	23 (95%)
शैक्षणिक लेखन पर कार्यशाला का आयोजन	19 (79%)
उद्धरण शैलियों, शोध चरणों पर स्पष्ट ज्ञान	22 (91%)

उपरोक्त तालिका में शोधकर्ता ने शैक्षणिक लेखन में संसाधन सुविधाओं के बारे में प्रतिक्रियादाताओं के निम्नलिखित वक्तव्य दिए हैं:

- "समीक्षा सामग्री की उपलब्धता हमारे अध्ययन के लिए उपलब्ध होनी चाहिए क्योंकि हमारा संस्थान हमें देखने की अनुमति नहीं देता।"

- "पुस्तकालय सुविधाओं को प्रासंगिक पुस्तकें प्रदान करने के संदर्भ में सुधारा जाना चाहिए।"

- "संस्थान को कुछ प्रशिक्षित विद्वान को शैक्षणिक लेखन पर पाठ प्रदान करने के लिए बुलाना चाहिए।"

- "मैं चाहता हूं कि संस्थान में आवश्यक सामग्रियां उपलब्ध हों।"

- "शोध पद्धति का पेपर डिग्री स्तर से आगे प्रदान किया जाना चाहिए क्योंकि इस स्तर पर भी हमारे पास असाइनमेंट, प्रोजेक्ट पेपर होते हैं लेकिन शोध चरणों के ज्ञान की कमी के कारण हम काम नहीं कर पाते हैं, सही उद्धरण शैलियों को देने में जो हमें इस स्तर पर बहुत समस्या हो रही है।"

उपाय संख्या 3: शैक्षणिक लेखन में सुधार के लिए सामान्य रणनीतियां

विवरण: 'शैक्षणिक लेखन में सुधार के लिए सामान्य रणनीतियां' यह उपाय प्रतिक्रियादाताओं की प्रतिक्रियाओं के विश्लेषण के आधार पर शोधकर्ता द्वारा बनाई गई एक थीम थी। यह वर्णन करता है कि प्रतिक्रियादाताओं को अपने शैक्षणिक लेखन में सुधार के लिए कौन सी अन्य रणनीतियां चाहिए।

तालिका 16: शैक्षणिक लेखन में सुधार के लिए आवश्यक सामान्य रणनीतियों के अनुसार प्रतिक्रियादाताओं का वितरण

रणनीतियां	प्रतिक्रियादाताओं की संख्या (%)

लेखन से पहले समस्या का गहराई से अध्ययन करें	23 (95%)
वरिष्ठों, दोस्तों के साथ समूह चर्चा	12 (50%)
शब्दावली कौशल पर अधिक ज्ञान प्राप्त करें	20 (83%)

उपरोक्त तालिका के आधार पर शोधकर्ता ने शैक्षणिक लेखन में सुधार के लिए प्रतिक्रियादाताओं की आवश्यक रणनीतियों के बारे में कुछ वक्तव्य दिए हैं:

- "मेरा मानना है कि जो भी अध्ययन क्षेत्र मैं चुनता हूं, मुझे पहले समस्या को गहराई से समझना होगा उसे शैक्षणिक लेखन की संरचना या शैली के माध्यम से वर्णित करने से पहले, तभी इसमें सुधार होगा।"

- "मेरी शंकाओं पर चर्चा करने के लिए कभी-कभी वरिष्ठों, दोस्तों से मदद लेना फायदेमंद हो सकता है।"

- "शैक्षणिक लेखन में सुधार के लिए मुझे अपनी शब्दावली कौशल को बेहतर बनाना होगा।"

उद्देश्य संख्या ५ का विश्लेषण: शिक्षकों के दृष्टिकोण से पोस्ट-ग्रेजुएशन स्तर पर शैक्षणिक लेखन में सुधार के लिए उपायों की पहचान करना

वर्तमान अध्ययन का पाँचवा उद्देश्य 'शिक्षकों के दृष्टिकोण से पोस्ट-ग्रेजुएशन स्तर पर शैक्षणिक लेखन में सुधार के लिए उपायों की पहचान करना' था। प्रतिक्रियाओं के विश्लेषण के बाद, शोधकर्ता ने पाया कि शिक्षकों द्वारा सुझाए गए विभिन्न उपाय जो छात्रों के शैक्षणिक लेखन को सुधारने में मदद कर सकते हैं। ये उपाय एक थीम के रूप में गठित किए गए हैं और नीचे चर्चा की गई है:

उपाय संख्या 1: लेखन की गुणवत्ता

विवरण: 'लेखन की गुणवत्ता' यह उपाय साक्षात्कार से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के कोडिंग के बाद एक थीम के रूप में बनाया गया था। यह शिक्षकों द्वारा छात्रों की निर्धारित शैक्षणिक गतिविधियों की गुणवत्ता पर मूल्यांकन का वर्णन करता है।

तालिका 17: शिक्षकों द्वारा लेखन की गुणवत्ता पर मूल्यांकन के आधार पर प्रतिक्रियादाताओं का वितरण

लेखन की गुणवत्ता	प्रतिक्रियादाताओं की संख्या (%)
मौलिकता	10 (90.9%)
तर्कों की स्पष्टता	9 (81.8%)

गहन अध्ययन / कुछ नया जोड़ना	6 (54.5%)
संरचना कौशल और सामग्री की समृद्धि	6(54.5%)
भाषा का पहलू	10 (90.9%)

उपरोक्त तालिका में शोधकर्ता द्वारा दर्ज की गई कुछ समान वक्तव्य नीचे दिए गए हैं:

- "मौलिकता मैं महत्व देता हूँ, रटने पर नहीं, कुछ छात्र कम अंक पा सकते हैं लेकिन उनकी क्षमता मैं देखता हूँ कि क्या वे बिंदु पर लिखे हैं या नहीं या उनके शब्दों से दस्तावेज़ में कुछ जोड़ते हैं, मैं देखता हूँ और अंक देता हूँ।"

- "मैं विवरण की लंबाई के साथ गुणवत्ता देखता हूँ।"

- "तर्कों की स्पष्टता, यह स्पष्ट होना चाहिए साथ ही सामग्री की समृद्धि के साथ।"

- "मूल्यांकन मौलिकता, तर्क, नई ज्ञान की जोड़, सामग्री की संरचना और इसकी शैली के आधार पर किया जाता है।"

- "मैं रिपोर्ट की संरचना कौशल और प्रस्तुतिकरण के साथ संकल्पनात्मक स्पष्टता देखता हूँ। यदि भाषा सरल और सही होती है कम व्याकरणिक गलती के साथ और मौलिक कार्यों को मैं पसंद करता हूँ।"

थीम संख्या 2: शिक्षकों की सिफारिशें

विवरण: 'शिक्षकों की सिफारिश' उपायशिक्षक सदस्यों की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने के बाद आया। यह उन विभिन्न उपायों, संसाधनों का वर्णन करता है जो छात्रों की शैक्षणिक लेखन में समस्याओं को सुधारने के लिए प्रदान किए जा सकते हैं।

तालिका 18: छात्रों के शैक्षणिक लेखन में सुधार के लिए शिक्षकों की सिफारिशों के आधार पर प्रतिक्रियादाताओं का वितरण

शिक्षक की सिफारिश	प्रतिक्रियाओं की संख्या (%)
अधिक पढ़ें और शुरुआती की तरह अभ्यास करें	10 (90.9%)
तर्क विकसित करने के लिए अवधारणा पर ज्ञान प्राप्त करें	9 (81.8%)
किताबों के साथ अधिक समय बिताएं	10 (90.9%)
संस्थान द्वारा ई-संसाधनों का नि:शुल्क उपयोग प्रदान करें	8 (72.7%)

प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा शैक्षणिक लेखन पर कार्यशाला	9 (81.8%)
नैतिक लेखन पर जागरूकता	7 (63.6%)
प्रतिष्ठित शोध पत्र, पत्रिकाएं पढ़ें	10 (90.9%)
प्रामाणिक संसाधनों के उपयोग पर जागरूकता	6 (54.5%)

उपरोक्त तालिका पर शोधकर्ता द्वारा साक्षात्कार के दौरान दर्ज किए गए कुछ समान वक्तव्य नीचे दिए गए हैं:

- "स्व-अध्ययन महत्वपूर्ण है, मैं सुझाव देता हूं कि केवल पाठ्यक्रम की किताब ही न पढ़ें, ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ उपन्यास पढ़ें और केवल पढ़ाई नहीं बल्कि अधिक लिखना, शुरुआती की तरह अधिक अभ्यास करना चाहिए।"

- "शब्दावली का ज्ञान प्राप्त करें; लेखन से पहले स्पष्ट अवधारणा के लिए किताबों के साथ अधिक समय बिताएं।"

- "जर्नल पढ़कर विषय के साथ परिचित हों; ई-संसाधनों के लिए जाएं, ताकि उनके लेखन में शैक्षणिक भाषा में सुधार हो।"

- "संस्थान में छोड़कर प्लेजरिज़्म चेकर के अलावा ज्यादा समर्थन नहीं है; वे संसाधनों की नि:शुल्क सदस्यता प्रदान कर सकते हैं।"

- "मैं विशेष प्रशिक्षकों द्वारा नियमित कार्यशाला का सुझाव देता हूं, ताकि विभिन्न वर्ग के लोग एक साथ सीख सकें। इसे विभागीय स्तर पर विभिन्न संस्थानों के सहयोग से आयोजित किया जा सकता है।"

- "प्रामाणिक संसाधनों के चयन और उपयोग के लिए शिक्षण/प्रशिक्षण क्योंकि ऑनलाइन संसाधनों का बड़ा प्रदाता है।"

- "छात्रों को शैक्षणिक अनुशासनों में लेखन कौशल अधिक अभ्यास करना चाहिए क्योंकि उन्हें शैक्षणिक लेखन में जटिल कार्य पूरा करने के लिए मजबूत संचार कौशल होना चाहिए।"

उद्देश्य संख्या 1: स्नातकोत्तर छात्रों में शैक्षणिक लेखन की अवधारणा का अध्ययन करना।

निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

प्रतिक्रियादाताओं द्वारा दिए गए बयानों से पता चला कि स्नातकोत्तर छात्र शैक्षणिक लेखन की अवधारणा, विशेषताओं, कौशलों, और इसके अनूठे और विशिष्ट प्रकृति को समझने में ज्ञान की कमी रखते हैं। अध्ययन में अधिकांश प्रतिक्रियादाताओं ने बताया कि उनके शैक्षणिक लेखन के ज्ञान का मुख्य स्रोत इंटरनेट है और कुछ प्रतिक्रियादाताओं

ने कहा कि वे कभी-कभार कक्षा चर्चा में शिक्षकों से सुनते हैं। यह यह भी दर्शाता है कि छात्रों को उनके शिक्षकों द्वारा शैक्षणिक लेखन के बारे में कोई पाठ कभी नहीं मिला है और जो कुछ भी उन्होंने सीखा है वह केवल इंटरनेट साइटों से है। हालांकि अधिकांश प्रतिक्रियादाताओं ने शैक्षणिक लेखन को परिभाषित किया, लेकिन इसमें शैक्षणिक लेखन का वास्तविक अर्थ शामिल नहीं है। उन्होंने अधिकतर बताया कि शैक्षणिक लेखन औपचारिक लेखन है जो दिखाता है कि वे शैक्षणिक लेखन की अवधारणा के साथ स्पष्ट नहीं हैं। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि स्नातकोत्तर छात्र शैक्षणिक लेखन के ज्ञान में कमी रखते हैं।

उद्देश्य संख्या 2: छात्रों द्वारा शैक्षणिक लेखन से संबंधित समस्याओं का पता लगाना।

निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

प्रतिक्रियादाताओं के बयानों से पता चला है कि निर्धारित लेखन गतिविधियों को करते समय छात्र विभिन्न समस्याओं का सामना करते हैं। पाया गया कि विशिष्ट लेखन गतिविधि के अंतर्गत उन्हें लेखन असाइनमेंट, डिसर्टेशन, लेख लेखन और सेमिनार पेपर प्रस्तुति के साथ विभिन्न समस्याएं होती हैं। शोधकर्ता ने पाया कि इन निर्धारित लेखन गतिविधियों को पूरा करते समय छात्र विभिन्न समस्याओं का सामना करते हैं। छात्रों द्वारा बताई गई समस्याएं ये हैं: प्रासंगिक साहित्य समीक्षा न मिलना, विषय से संबंधित साहित्य समीक्षा न मिलना, संरचना में कठिनाई, प्रस्तावना भाग को व्यवस्थित करने में कठिनाई, पुस्तकें, पूर्व डिसर्टेशन कार्य जैसी आवश्यक अध्ययन सामग्री की कमी, और उद्धरण शैलियों में भ्रमित होना। और शैक्षणिक लेखन में उन्हें सामना करनी पड़ने वाली अन्य सामान्य समस्याएं हैं भाषा समस्या, वाक्य निर्माण में समस्या, विराम चिह्नों में समस्या, शब्दावली कौशल की कमी और व्याकरणिक समस्या जैसे समस्याएं हैं जैसा कि छात्रों ने साक्षात्कार के माध्यम से बताया। शोधकर्ता ने छात्रों से संबंधित शैक्षणिक लेखन की एक और समस्या पाई कि अधिकांश प्रतिक्रियादाताओं को उनके पर्यवेक्षक द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। प्रतिक्रियादाताओं ने बताया कि अपने शैक्षणिक लेखन में सुधार के लिए उन्हें अपने पर्यवेक्षक या किसी भीशिक्षक सदस्य से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके लिए स्नातकोत्तर छात्रों के पास शैक्षणिक लेखन में आवश्यक लेखन कौशल का ज्ञान नहीं है और वे अपनी निर्धारित शैक्षणिक गतिविधियों को करते समय समस्याओं का सामना करते हैं।

उद्देश्य संख्या 3: शिक्षकों के दृष्टिकोण से शैक्षणिक लेखन से संबंधित छात्रों की समस्याओं को देखना।

निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

इस अध्ययन ने शिक्षकों के दृष्टिकोण से छात्रों की शैक्षणिक लेखन से संबंधित समस्याओं की जांच की। अध्ययन के निष्कर्षों से पता चला कि शिक्षकों ने बताया कि छात्र शैक्षणिक लेखन से संबंधित विभिन्न समस्याओं का सामना करते हैं, जैसे कि व्याकरणिक गलतियां, लेखन कौशल की नकल, वाक्य निर्माण में समस्या, विचारों को स्पष्टता के साथ प्रवाहित करने में असमर्थता, भाषा की समस्या, चीजों की समीक्षा करने का अभाव, लेखन के विभिन्न खंडों में कोई समरूपता नहीं, और नैतिकता का पालन न करना। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि स्नातकोत्तर छात्र शैक्षणिक लेखन से संबंधित विभिन्न समस्याओं का सामना करते हैं जैसा कि उन्होंने बताया था जो विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों के संकाय सदस्यों द्वारा देखी गई समस्याओं के समान है।

उद्देश्य संख्या 4: छात्रों के दृष्टिकोण से पोस्ट-ग्रेजुएशन स्तर पर शैक्षणिक लेखन में सुधार के लिए उपायों की पहचान करना।

निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

प्रतिक्रियाओं से पता चला कि स्नातकोत्तर छात्रों ने अपने शैक्षणिक लेखन में सुधार के लिए विभिन्न उपाय पहचाने हैं जो छात्रों और शिक्षकों दोनों द्वारा रिपोर्ट किए गए थे। अध्ययन से पता चला कि अधिकांश छात्र चाहते हैं कि वे कक्षा गतिविधि, प्रशिक्षित विशेषज्ञ/शोध विद्वानों से और कुछ प्रतिक्रियादाता ऑफलाइन और ऑनलाइन स्रोतों दोनों से सीखना चाहते हैं ताकि वे अपनी शैक्षणिक लेखन समस्याओं में सुधार कर सकें। प्रतिक्रियादाताओं ने अपने शैक्षणिक लेखन में सुधार के लिए विभिन्न तरीकों से सहायता मांगी जैसे कि मार्गदर्शन सहयोग और प्रेरणा की आवश्यकता, शैक्षणिक लेखन पर कोर्स चाहते हैं, उन्हें अध्ययन सामग्री और प्रूफ-रीडिंग सेवाओं की आवश्यकता है ताकि वे अपनी व्याकरणिक त्रुटियों की जाँच कर सकें। इसके अलावा उन्हें उद्धरण शैलियों, शोध चरणों पर स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है जिसके लिए वे संस्थान से सुझाव देते हैं कि वह शैक्षणिक लेखन पर कार्यशाला या नियमित कक्षा का आयोजन करें।

उद्देश्य संख्या ५: शिक्षकों के दृष्टिकोण से पोस्ट-ग्रेजुएशन स्तर पर शैक्षणिक लेखन में सुधार के लिए उपायों की पहचान करना

निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

शोधकर्ता नेशिक्षक सदस्यों की सिफारिशों के अनुसार छात्रों के शैक्षणिक लेखन में सुधार के लिए विभिन्न उपाय पाए। पाया गया कि अधिकांश शिक्षकों ने छात्रों के शैक्षणिक लेखन में सुधार के लिए एक सामान्य उपाय की सूचना दी, जो है कि अधिक किताबें पढ़ने की सलाह देना, जैसे कि उपन्यास ताकि छात्र शब्दावली कौशल पर अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकें और विभिन्न शर्तों की अवधारणा को समझ सकें और शुरुआती की तरह अभ्यास कर सकें। शोधकर्ता ने शिक्षकों द्वारा सुझाए गए अन्य प्रभावी उपाय पाए जैसे कि प्रामाणिक संसाधनों के उपयोग पर जागरूकता प्रदान करना, प्रतिष्ठित शोध पत्र, पत्रिकाएं पढ़ना, नैतिक लेखन पर जागरूकता प्रदान करना, प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा या विभिन्न विश्वविद्यालयों के सहयोग से विभागीय स्तर पर शैक्षणिक लेखन पर कार्यशाला आयोजित करना और संस्थान द्वारा अच्छी नेटवर्क सुविधाओं के साथ ई-संसाधनों का नि:शुल्क उपयोग प्रदान करना ताकि छात्रों को उन्हें आवश्यक सामग्री तक आसान पहुँच हो सके।

निष्कर्ष:

इस अध्ययन ने स्नातकोत्तर स्तर पर शैक्षणिक लेखन से संबंधित मुद्दों का पता लगाया। प्रतिभागी असम के चार राज्यीय विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर छात्र थे। स्नातकोत्तर स्तर पर छात्रों को विभिन्न प्रकार की विधाओं जैसे कि डिसर्टेशन, शोध पत्र, परियोजना रिपोर्ट, प्रस्ताव, असाइनमेंट आदि लिखने की आवश्यकता होती है जो सभी शैक्षणिक लेखन पर आधारित होते हैं। इसलिए इस स्तर पर छात्र विभिन्न समस्याओं का सामना करते हैं क्योंकि उनके पास शैक्षणिक लेखन

के बारे में स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है और उन्हें अपने शैक्षणिक लेखन में सुधार करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन की कमी होती है। इस प्रकार निष्कर्ष में अध्ययन ने यह पता लगाया कि छात्रों को शैक्षणिक लेखन से संबंधित कौन-कौन सी समस्याएं होती हैं। विभिन्न समस्याओं का पता लगाने के लिए शोधकर्ता ने पहले स्नातकोत्तर छात्रों में शैक्षणिक लेखन की अवधारणा की जांच की। निष्कर्षों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि छात्रों में शैक्षणिक लेखन की अवधारणा को समझने में ज्ञान की कमी है और छात्रों को शैक्षणिक लेखन में कई समस्याएं होती हैं। इस प्रकार अध्ययन ने छात्रों और शिक्षकों दोनों की पहचान की विभिन्न उपायों के साथ स्नातकोत्तर छात्रों के शैक्षणिक लेखन में सुधार करने के लिए।

संदर्भ

1. Bian, L., & Wang, L. (2016). Difficulties Encountered by Chinese EFL Learners in Academic Writing: A Process-Based Approach. *Journal of Language Teaching and Research, 7*(2), 284-291.
2. Defazio,J., Lauria, L., & Smith, K. (2010). Writing Across the Curriculum: ACritical Sourcebook. U.S. Department of Education. J*ournal of the Scholarship of Teaching and Learning, 10*(2),34 - 47.
3. Fadda, H. A1. (2012). Difficulties in Academic Writing: From the Perspective of King Saud University Postgraduate Students. *English Language Teachin*g, *5*(3), 123-130.
4. Gillett, A., Hammond, A., & Martala, M. (2009). Improving students' understanding of academic writing. Journal of University Teaching & Learning Practice, 6(1),
5. Gurel Cennetkusu, N. (2017). Faculty Development in Teaching Academic Writing: A Workshop Approach. *Journal of Language and Linguistic Studies*, *13*(2), 309-323 2017.
6. Sajjad, I., Sarwat, S., Imran, M., & Shahzad, S. K. (2021). Examining the academic writing challenges faced by university students in Kfueit. *ResearchGate*, *18*(10), 1759-1777.
7. Singh,M. K. (2019). Reading and Writing Challenges Among International EFL Master's Students: A Case Study. *Journal of Academic Writing*, *9*(1), 123-137.
8. Strongman, L. (2013). *Academic Writing*. Cambridge Scholars Publishing.

9. Tardy, C. M. (2009). Writing for the World: Wikipedia as an Introduction to Academic Writing. *Writing for the World: Wikipedia as an Introduction to Academic Writing, 54*(2), 1-17.

अध्याय-23

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में ऑनलाइन एवं दूरस्थ माध्यम से समतामूलक समावेशी उच्च शिक्षा: संभावनाएं एवं चुनौतियाँ

अखिलेश कुमार
सह-आचार्य (शिक्षा),
तेजपुर विश्वविद्यालय

कृष्ण कान्त त्रिपाठी
सहायक आचार्य,
मिजोरम विश्वविद्यालय

रजनी रंजन सिंह
आचार्य,
दिल्ली विश्वविद्यालय

मानवाधिकारों को केन्द्रित 21वीं सदी में पूरे विश्व में समावेशी विकास की चर्चा की जा रही है। समावेशी शिक्षा, समावेशी विकास का प्रथम चरण है। कोई भी राष्ट्र अपने समस्त योग्य विद्यार्थियों को समावेशी शिक्षा उपलब्ध कराये बिना समावेशी विकास का दावा नहीं कर सकता। वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित संवहनीय विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals) का लक्ष्य 4 समतामूलक समावेशी शिक्षा को केन्द्रित है। जब तक कोई भी समाज, समस्त वंचित वर्गों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ नहीं लेता तबतक वह समाज एक समावेशी समाज नहीं कहा जा सकता। वस्तुतः समावेशी विकास एवं समावेशी शिक्षा सभ्य मानव समाज का सौंदर्य है।

विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के साथ ही, भारतीय शिक्षा व्यवस्था में आमूल परिवर्तन का साक्षी बन गया है, जिसे यदि शैक्षिक क्रांति का नाम दिया जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से पूर्व, भारतीय शिक्षा व्यवस्था लगभग तीन दशकों से भी ज्यादा पुरानी शिक्षानीति 1986 के अनुरूप चल रही थी जबकि पिछले तीन दशकों में दुनिया ने विभिन्न वैज्ञानिक आविष्कारों, विशेषकर, कंप्यूटर, इन्टरनेट एवं सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी के संसाधनों के क्षेत्र में तीव्र विकास के कारण, मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तनों का दौर देखा है। तदनुरूप भारत की शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं किये गए थे जिसके परिणामस्वरूप भारतीय शिक्षा व्यवस्था वैश्विक मानकों से बहुत पीछे जा रही थी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक अत्यंत ही दूरदर्शी शिक्षा नीति है, जिसके क्रियान्वयन के सकारात्मक परिणाम दृष्टिगोचर होने लगे हैं। यदि 1986 की शिक्षा नीति की बात करें तो उसमें दूरदर्शिता एवं पूर्व तैयारी दोनों का अभाव था, जबकि दूसरी और, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूर्व-तैयारी युक्त एवं दूरदर्शितापूर्ण है और यही इसे पिछली शिक्षा नीति की तुलना में व्यापक एवं उससे बिलकुल भिन्न बनाता है। उदहारण के लिए समावेशी शिक्षा की चर्चा 1986 की शिक्षा नीति में भी की गयी थी परन्तु उस समय तक, दिव्यांगजनों की श्रेणियां निर्धारित नहीं थी, जिसके कारण, दिव्यन्जनों की समावेशी शिक्षा में पर्याप्त प्रगति नहीं देखी गयी। इस सन्दर्भ में यह चर्चा करना समीचीन होगा कि स्वतंत्र भारत में दिव्यांगजनों की विभिन्न श्रेणियों एवं उनसे जुड़े अन्य मुद्दों पर पहला कानून शिक्षा नीति 1986 की घोषणा के लगभग एक दशक उपरांत पी.डब्ल्यु.डी. अधिनियम 1995 के रूप में सामने आया। तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन से पूर्व, दिव्यांगजनों

 ISSN: 2321-0443

हेतु एक व्यापक निशक्तजन अधिकार अधिनियम 2016 लागू किया गया एवं तत्पश्चात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्रियान्वित की गयी एवं उसमें विशेष रूप से यह उल्लेख है कि दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा के सन्दर्भ में यह शिक्षा नीति दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के समस्त प्रावधानों को स्वीकार करता है (NEP 2020)। यह उदाहरण, 1986 में लागू की गयी शिक्षा नीति की तुलना में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन से पूर्व की तैयारी एवं समावेशी शिक्षा के प्रति इसकी गंभीरता एवं दूरदर्शिता को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है।

समावेशी शिक्षा के प्रति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुरक्ति का दूसरा उदहारण यह है कि पहली बार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समावेशी प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के साथ साथ समावेशी उच्च शिक्षा चर्चा की गयी है। इससे पूर्व की शिक्षा नीति में समावेशी उच्च शिक्षा की चर्चा न होने की वजह से 'समावेशी शिक्षा' प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की शिक्षा का पर्याय बनती जा रही थी और उच्च शिक्षा असमावेशी होती जा रही थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने समावेशी शिक्षा को गंभीरता से लेते हुए, आरंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक शिक्षा के सभी स्तरों पर, समावेशन का जिक्र किया एवं तदनुसार विभिन्न आवश्यक प्रावधानों का वर्णन किया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समावेशी उच्च शिक्षा के लिए व्यापक विमर्श किया गया है एवं समावेशी उच्च शिक्षा हेतु नामांकन से लेकर समावेशी आकलन एवं मूल्याकन तक की बात की गयी है जो इसे अबतक की समस्त शिक्षा नीतियों से अद्वितीय बनाती है। इससे पूर्व की समस्त शिक्षा नीतियों में समावेशी शिक्षा की सामान्य चर्चा की गयी थी परन्तु समावेशी मूल्यांकन के लिए विशिष्ट प्रावधान नहीं बनाये गए थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समावेशी मूल्यांकन से सम्बंधित प्रावधान रखे गए हैं एवं कक्षा में 360 डिग्री मूल्यांकन (NEP, 2020) अर्थात व्यापक मूल्यांकन के प्रावधानों बनाये जाने की बात कही गयी है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूर्णतया समावेशी एवं समतामूलक शिक्षा पर केन्द्रित है एवं उसके प्रत्येक पहलू पर व्यापक विचार विमर्श करने के उपरांत शामिल किया गया है। इससे पूर्व की शिक्षा नीति में इस प्रकार की दूरदर्शिता की कमी स्पष्ट अनुभव की जा सकती है।

भारत की सर्वोच्च उच्च शिक्षा की नियामक संस्था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत में कुल 1146 विश्वविद्यालय हैं जिनमें 56 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 483 राज्य विश्वविद्यालय, 129 डीम्ड विश्वविद्यालय एवं 478 प्राइवेट विश्वविद्यालय शामिल हैं। 'आल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2021-22 के अनुसार भारत में 1168 विश्वविद्यालय, 45473 महाविद्यालय एवं 12002 'स्टैंड अलोन' शैक्षिक संस्थाएं अस्तित्व में हैं जिनमें कुल 4.33 करोड़ विद्यार्थी नामांकित हैं तथा कुल 15.98 लाख शिक्षक सभी विद्यार्थियों के शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु कार्यरत हैं। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के सन्दर्भ में इस सर्वे के डाटा के अनुसार सम्पूर्ण देश में 18 मुक्त विश्वविद्यालय अस्तित्व में हैं तथा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा लगभग 31% अर्थात एक तिहाई विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा की आवश्यकता को पूरा कर रहा है AISHE, 201-22, p 25)। इस सर्वे में यह भी पाया गया कि भारत के विभिन्न भागों में उच्च शिक्षा के लिए 30 महाविद्यालय प्रति एक लाख योग्य जनसँख्या है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से पूर्व भारत की शिक्षा व्यवस्था पर कोठारी आयोग द्वारा अन्सुशंसित शिक्षा नीति 1986 का गहरा प्रभाव था जिसमें परिवर्तन की अनुशंषा लगभग तीन दशकों के उपरांत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा की गयी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, ग्रॉस नामांकन अनुपात (GER) को बढाने हेतु ऑनलाइन तथा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के भाग 3.5 में यह कहा गया है कि समाजार्थिक रूप से पिछड़े हुए विद्यार्थियों सहित विद्यालय स्तर पर सभी विद्यार्थियों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए औपचारिक एवं निरौपचारिक दोनों माध्यमों की सहायता ली जाएगी (NEP, 2020)। निरौपचारिक माध्यमों को शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर बढ़ावा देने के प्रावधानों के क्रम में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान को उन्नत बनाना, मुक्त विश्वविद्यालयों को बढ़ावा देना. पारंपरिक विश्वविद्यालयों को द्वि-माध्यम विश्वविद्यालयों के रूप में कार्य करने हेतु प्रेरित करना आदि शामिल हैं। इसके साथ ही, सुलभता, समानता एवं समावेश के लिए ऑनलाइन शिक्षा एवं मुक्त शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना, समस्त भौतिक सामग्री एवं डिजिटल अधिगम सामग्री को दिव्यान्गता युक्त विद्यार्थियों के लिए सुलभ बनाये जाने सम्बन्धी प्रावधान भी किये गए हैं (एन ई पी, 2020)।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के भाग 10.10 में उल्लेख है कि विभिन्न संस्थाओं के पास विकल्प होंगे कि वे चाहें तो मुक्त एवं दूरस्थ माध्यम से तथा ऑनलाइन माध्यमों से भी शिक्षा प्रदान कर सकते हैं बशर्ते उन्हें इसकी मान्यता प्रदान की गयी हो ताकि ग्रॉस एनरोलमेंट अनुपात को उन्नत किया जा सके एवं जीवन पर्यंत शिक्षा को प्रेरित किया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि मुक्त एवं दूरस्थ तथा ऑनलाइन माध्यमों से उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा का स्तर एवं गुणवत्ता, नियमित कार्यक्रमों के समतुल्य होगा एवं मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा में जो अच्छी तथा स्तरीय संस्थाएं (नैक अथवा एन आई आर एफ की ग्रेडिंग में) हैं उन्हें उच्च गुणवत्ता युक्त ऑनलाइन कार्यक्रमों के विकास हेतु प्रेरित किया जायेगा और इस हेतु सहायता प्रदान की जाएगी एवं इस प्रकार के गुणवत्ता पूर्ण ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को नियमित रीति से संचालित पाठ्यक्रमों में एकीकृत किया जायेगा (एन ई पी, 2020)।

ऑनलाइन तथा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के उपयोग से समावेशी उच्च शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के क्रम में निम्नांकित विन्दुओं पर विचार किया जाना अपेक्षित है ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सफलता सुनिश्चित की जा सके।

सूचना एवं संप्रेषण तकनीक के भौतिक संसाधनों में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा तथा ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सूचना एवं संप्रेषण तकनीक के भौतिक संसाधनों में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है। आज भी भारत के विभिन्न राज्यों में कई ऐसे गाँव है जहां पर इंटरनेट की उपयुक्त सुविधा नहीं है। ऐसे में सुदूर गांव में रहने वाले अध्येता लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम पूरा करना एक कठिन कार्य हो जाता है। ऑनलाइन एवं मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा समावेशी उच्च शिक्षा के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है यदि विद्यार्थियों एवं शिक्षण संस्थानों के पास इस हेतु पर्याप्त भौतिक संसाधन उपलब्ध हों। इस विन्दु का एक सुखद पहलू यह है कि विगत कुछ वर्षों में इन्टरनेट आधारित तकनीकी सर्व-सुलभ हुई है और

अधिकतर गाँव इससे जुड़ते जा रहे हैं। सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीक की पहुँच उत्तरोत्तर तीव्रगति से बढ़ रही है जो एक शुभ संकेत है।

बहुनिकास के प्रावधान को लागू करने के लिए पाठ्यक्रमों में परिवर्तन एवं उनकी समरूपता

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किया गया बहु-निकास का प्रावधान एक स्वागतयोग्य कदम है जो समावेशी उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बहु-निकास के इस प्रावधान के कारण विद्यार्थी का एक छोटा प्रयास भी बेकार नही जायेगा एवं उसे न केवल उसके द्वारा किये गए मेहनत का प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा बल्कि इस कारण, यह सम्भावना भी बढ़ेगी कि एक बार पढाई बीच में छोड़ने वाले विद्यार्थी बाद के समय में भी पुराने क्रेडिट का उपयोग करते हुए अपनी डिग्री पूरी कर लेंगे। उच्च शिक्षा में ड्रॉपआउट का एक बड़ा कारण यह है कि पाठ्यक्रम पूरा करने से पहले किसी भी स्तर पर विद्यार्थी यदि पढाई छोड़ देता है तब उसके द्वारा किये गए पुराने सभी प्रयास शुन्य हो जाते हैं और दुबारा लौट कर आने के लिए उसे वे कोर्स भी पूरे करने हैं जो पहले सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इस कारण एक बार छोड़ने के बाद विद्यार्थी के वापस आने की संभावना लगभग समाप्त हो जाते थी, जिसपर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के कारण लगाम लगेगी इस व्यवस्था के क्रियान्वयन के लिए नियमित एवं मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के पाठ्यक्रम को मॉड्यूलर पाठ्यक्रम के अनुसार पुनर्संरचित करना होगा। वर्तमान समय में उच्च शिक्षा के विभिन्न संस्थानों के पाठ्यक्रमों में बहुत भिन्नतायें हैं। और इसके क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर समस्त विश्वविद्यालयों के लिए एक समरूप पाठ्यक्रम इस कार्य को सहज बनाने में सहायक हो सकता है।

ऑनलाइन पाठ्यक्रम विकसित करने हेतु मुक्त विश्वविद्यालयों के अनुभवों को प्राथमिकता एवं ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के विकास हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण:

ऑनलाइन शिक्षा के संदर्भ में यह प्रवृत्ति देखि जा रही है कि अधिकांश ऑनलाइन कार्यक्रम, परम्परिक नियमित रूप से शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं द्वारा विकसित किये जा रहे हैं। ऑनलाइन कार्यक्रमों के विकास में मुक्त विश्वविद्यालयों के अनुभव इन्हें ज्यादा प्रभावी बना सकते हैं क्योकि मुक्त विश्वविद्यालयों के पास स्व-अधिगम सामग्रियों के विकास का अनुभव है। ऐसे में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा अथवा ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम संचालन में शामिल शिक्षकों एवं स्टाफ को मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा तथा ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान किया जाना एक प्रभावी कदम हो सकता है। इस क्षेत्र में मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र सरहनीय एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वर्णित समाजार्थिक रूप से वंचित वर्गों की समावेशी उच्च शिक्षा में ऑनलाइन शिक्षा एक क्रांतिकारी भूमिका निभा सकती है क्यों कि यह विद्यार्थी को घर बैठे शिक्षा प्राप्त करने का सुलभ विकल्प प्रदान करती है। यह कदम गंभीर दिव्यांगता युक्त उन विद्यार्थियों को भी उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध करा सकती है जो नियमित कक्षाओं में नहीं पहुँच सकते। निशक्त जन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार, जो विद्यार्थी चलने में सक्षम नहीं हैं, उनके लिए गृह आधारित शिक्षा के प्रावधान बनाये जाने का वर्णन है और इस हेतु ऑनलाइन शिक्षा का प्रभावी प्रयोग किया जा सकता है।

ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस हेतु प्रभावी प्रयोग

ऑनलाइन शिक्षा एक उदीयमान क्षेत्र है जिसमें अनुसन्धान की अपार संभावनाएं हैं। मुक्त एवं दूरस्थ माध्यम एवं ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे ऑनलाइन शिक्षा में नवाचारों को बढ़ावा मिलेगा जो ऑनलाइन शिक्षा की प्रभाविता को उत्तर उत्तर उन्नत बनाने में सहायक सिद्ध होगी। वर्तमान समय शिक्षा 5.0 आधारित उपकरणों का है एवं शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मेटावर्स आदि के नवाचारी उपयोग पर अनुसन्धान को बढ़ावा प्रदान करने से ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी एवं इसमें किये जा रहे नवाचार समावेशी उच्च शिक्षा के स्वप्न को साकार करने में सहायक होंगे।

मुक्त एवं दूरस्थ तथा ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा के प्रति जागरूकता कार्यक्रम :

एक समस्या जो मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा एवं ऑनलाइन शिक्षा के साथ जुडी है, वह यह आम धारणा है कि दूरस्थ शिक्षा एवं ऑनलाइन शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर नियमित रूप से प्राप्त की गई शिक्षा से कम है। इस प्रकार के मिथक कई परंपरागत माध्यम से शिक्षा प्रदान करनेवाले उच्चशिक्षा के शिक्षकों में भी व्याप्त है, जबकि इस प्रकार की धरना का का कोई आधार नहीं है। आज के समय में आभासी प्रयोगशालाएं, भौति प्रयोग शालाओं से जयादा सशक्त हैं क्योंकि आभासी प्रयोगशाला में किये जा रहे विभिन्न प्रयोगों की रिकॉर्डिंग, उनका अनुरक्षण, विद्यार्थियों की इच्छानुसार प्रयोगों को उपयुक्त गति से रीप्ले करने की सुविधा, दिव्यांग जनों हेतु इनकी सुलभता आदि कई मानदंड हैं जिनपर ऑनलाइन शिक्षा ज्यादा प्रभावी है साथ ही सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी की शिक्षा की वैयक्तिकरण की क्षमता इसे समावेशी शिक्षा के लिए ज्यादा उपयुक्त बना रही है।

मुक्त एव दूरस्थ तथा ऑनलाइन माध्यम से कौशल प्रशिक्षण की उपलब्धता एवं विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों को रोजगार प्रदान करने योग्य बनाने हेतु प्रयास:

बढ़ती बेरोजगारी एक वैश्विक समस्या है एवं इससे मुक्ति पाने का एक मात्र समाधान है कौशल प्रशिक्षण साथ ही शैक्षिक कार्यक्रमों की रोजगारपरकता बढ़ाना। मुक्त एवं दूरस्थ तथा ऑनलाइन शिक्षा में यह क्षमता है कि इसके माध्यम से ये दोनों कार्य किये जा सकते हैं। ऑनलाइन नवाचारी कौशल प्रशिक्षण, जो कि स्थानीय बाजार के स्कैन एवं उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप हो, बेरोजगारी की समस्या को कम करने में अत्यंत प्रभावी हो सकते हैं।

सारांशतः यह कहा जा सकता है कि लगभग 35 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा एवं उसका क्रियान्वयन एक स्वागत योग्य कदम है। यह शिक्षा नीति समावेशी शिक्षा एवं समावेशी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वृहत परिवर्तन ला पाने में सक्षम है क्योंकि न केवल यह एक दूरदर्शी शिक्षा नीति है बल्कि, इसके क्रियान्वयन से पहले पूर्व-तैयारियां भी की जा चुकी हैं। अब आवश्यकता है तो सिर्फ इसके सफल क्रियान्वयन की जिसकी समन्वित जिम्मेदारी किसी भी रूप में उच्च शिक्षा से जुड़े समस्त नागरिकों की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 एवं मुक्त एवं ऑनलाइन शिक्षा के समन्वित प्रयास समावेशी उच्च शिक्षा प्रदान करने में भारत को विश्व के

शीर्ष राष्ट्रों में अग्रणी बनाने एवं समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करने, एवं माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत @2047 के संकल्प को पूरा करने में पूर्णतया सक्षम है।

संदर्भ सूची

- GoI (1956) The UGC Act 1956, Section 3.1 2(vi) https://www.ugc.ac.in/oldpdf/ugc_act.pdf
- https://www.ugc.ac.in/deb/pdf/ODLwhatwhyandhow.pdf
- https://aishe.gov.in/aishe/viewDocument.action?documentId=277
- Menon, M.N.R. (2011) The Report of Madhav Menon Committee, MHRD, GOI, accessed from https://www.mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/document-reports/madhava_menon_committee_on_odl_2.pdf
- https://www.mhrd.gov.in/nep-new

अध्याय-24

सर्वोदय – अंत्योदय की संकल्पना सर्वसमावेशी विकसित भारत का आधार

मंगल देव
सहायक आचार्य,
राजनीति विज्ञान विभाग,
पी.जी. डी.ए.वी कॉलेज,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

शंभु नाथ दुबे
सह आचार्य,
ए. आर. एस. डी. कॉलेज,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

'नव भारत' का संकल्पना विकास को भारतीय अवधारणा से प्रभावित है। जिसका आधार सर्वोदय व् अन्त्योदय है। विकास की भारतीय अवधारणा प्राचीन काल से ही "सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामया:।" और "वसुधैव कुटुम्बकम" पर आधारित रही है। सर्वोदय और अन्त्योदय का सिद्धांत इसी आदर्श का प्रतिरूप है जिसका आधार प्राचीन भारतीय दर्शन का अद्वैतवाद है। इस प्रकार सर्वोदय व् अन्त्योदय का आदर्श है अद्वैतवाद और उसकी नीति है समन्वय। जिसका उद्देश्य मानवकृत विषमता का निराकरण करना और प्राकृतिक विषमता को कम करना है। सर्वोदय समाज-निरपेक्ष, शाश्वत और व्यापक मूल्यों की स्थापना करना चाहता हैं। सर्वोदय ऐसे वर्ग-विहीन, जाति-विहीन और शोषण विहीन समाज की स्थापना करना चाहता हैं, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति और समूह को अपने सर्वोच्चतम विकास के साधन और अवसर उपलब्ध होंगे, अहिंसा और सत्य के द्वारा ही यह क्रांति संभव हो सकती हैं।

सर्वोदय सामाजिक-राजनीतिक आदर्श से संबंधित एक अवधारणा है, जिसका प्रतिपादन गाँधी ने सत्य, अहिंसा और अद्वैत की मूल भावना को साकारित करने के लिए किया था। सर्वोदय वस्तुतः समाज के समस्त वर्गों एवं उनके जीवन के सभी पक्षों के उत्थान का एक अद्वितीय मानवीय प्रयास है। जिसका लक्ष्य एक ऐसे सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है जिसमें शोषण, संघर्ष एवं प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग एवं प्रेम, विषमता के स्थान पर समता, वर्गहित के स्थान पर सर्वहित की मंगलकामना निहित होती है। गाँधी सर्वोदय को जीवन-दर्शन के मूलभूत सिद्धांत के रूप में स्वीकार करते हैं। गाँधी की इस धारणा का पोषण एवं व्यावहारिक रूप देने का प्रयास आचार्य विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण आदि ने कालांतर में किया इसे आज भारत सरकार की नीतियों में व्यावहारिक रूप से देखा जा सकता है।

सर्वोदय राजनीति की जगह लोकनीति पर बल देती हैं। राजनीति में जहाँ शासन मुख्य हैं, वहाँ लोकनीति में अनुशासन। राजनीति में जहाँ सत्ता मुख्य हैं, वहाँ लोकनीति में स्वतन्त्रता। राजनीति में जहां नियन्त्रण मुख्य हैं, वहाँ लोकनीति में संयम। राजनीति में जहाँ सत्ता और अधिकारों की स्पर्धा मुख्य हैं, वहाँ लोकनीति में कर्तव्यों का आचरण प्रमुख है। सर्वोदय का दर्शन समग्र जीवन के लिए, निरपेक्ष, और सार्वभौमिक होना चाहिए।

सर्वोदय यह स्वीकार करता हैं कि मानव की आत्मा पवित्र हैं। वह स्वतन्त्रता, समानता, न्याय तथा भाईचारे के आदर्शों को अत्यधिक महत्व देता हैं। सर्वोदय शक्ति की राजनीति के स्थान पर सहयोग की राजनीति की स्थापना करना चाहता हैं। वह पारस्परिक सहायता के ऐसे कार्यो पर बल देता हैं जिन्हें जनता स्वयं कर सके।

सर्वोदय ने गाँधी के विकेन्द्रीकरण तथा ग्रामराज से सम्बन्धित विचारों को विकसित करने का प्रयास किया हैं। गाँधी के अनुसार सर्वोदय का अर्थ आदर्श समाज-व्यवस्था हैं। इसका आधार सर्वव्यापी प्रेम हैं। इसलिए इसमें निरपवाद रूप से हिन्दू और मुसलमान, छूत और अछूत, काले और गोरे सबके लिए समान स्थान हैं। किसी भी व्यक्ति या समूह का दमन, शोषण या विनाश नहीं किया जाएगा। गाँधी के लिए, एक साथ समान रूप से सबका उदय हो, यही सर्वोदय हैं। गाँधी की सर्वोदय की अवधारणा इस बुनियाद पर आधारित थी कि व्यक्ति की भलाई ऐसी हैं जिसमें सभी की भलाई हैं। उन्हीं के शब्दों में ‘मैं प्रत्येक इंसान को पूरा सामर्थ्य बनने और समाज का पूर्ण विकसित सदस्य देखना चाहता हूँ। यह मूलभूत सिद्धांत “ सबका साथ – सबका विकास” में निहित दिखाई देता है।

सर्वोदय का आधार -

सर्वोदय की अवधारणा पर गीता, शंकर के अद्वैतवाद, उपनिषद्, जैनों की अहिंसा, बौद्ध धर्म के बोधिसत्व आदि के शिक्षाप्रद मूल्यों का प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त गाँधी के सर्वोदयं पर थोरो, टालस्टॉय, रस्किन आदि के विचारों का भी प्रभाव था। गाँधी रस्किन की पुस्तक 'अंटु द लास्ट से विशेष रूप से प्रभावित थे। इसमें तीन मुख्य बातें थीं –

1. व्यक्ति का हित समष्टि के हित में समाहित है अर्थात व्यक्ति और समष्टि में विरोध नहीं है।
2. सभी लोगों के श्रम की कीमत एवं महत्ता बराबर है।
3. किसान अथवा कामगार का जीवन ही सच्चा जीवन है अर्थात् उत्पादन प्रक्रिया में श्रम महत्वपूर्ण है।

‘हरिजन’ में गाँधी लिखते हैं कि यदि हम चाहते हैं कि हमारा ‘सर्वोदय’ अथार्त सच्चे लोकतंत्र का सपना सच्चा साबित हो, तो हम छोटे से छोटे भारतवासी को भारत का उतना ही शासक समझेंगे, जितना देश के बड़े से बड़े व्यक्ति को। इसके लिए शर्त यह हैं कि सब शुद्ध हो। तब कोई भी अपने दिल में जाति-जाति के मध्य और सवर्ण- गैर सवर्ण के बीच भेदभाव नहीं रखेगा। हर एक सबको अपनी बराबरी का समझेगा और सबको प्रेम के रेशमी जाल में बाँध रखेगा। हम मेहनत करने वाले मजदूर और धनी पूंजीपति के समान समझेंगे और वे मानसिक और शारीरिक श्रम में कोई अंतर नहीं करेंगे। सर्वोदय की धारणा अपने पूर्ववर्ती एवं समकालीन दोनों से तुलनात्मक, मात्रात्मक, गुणात्मक, भावनात्मक रूप से श्रेष्ठ और व्यापक है।

मात्रात्मक रूप से श्रेष्ठता :

उपयोगितावाद के अनुसार अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ही जीवन का चरम आदर्श है। यहाँ अधिकतम शब्द संख्या को संकेत करता है जबकि सर्वोदय के 'सर्व' में सबका समावेश हो जाता है। इसमें अखंडता, समानता तथा अद्वैत का बोध होता है। पुनः उपयोगितावाद में अधिकतम के हित के लिए कुछ लोगों को साधन

बनाया जा सकता है। सर्वोदय में यह असंभव है। मार्क्सवाद में केवल सर्वहारा वर्ग के हित की बात निहित है जबकि सर्वोदय में सबके हित की मंगलकामना निहित है।

गुणात्मक रूप से श्रेष्ठता :

बेंथम के उपयोगितावाद में सुखों में गुणात्मक भेद नहीं माना गया है। यहाँ भौतिक सुखों को वरीयता दी गई है। मार्क्स जीवन के आर्थिक पक्ष के उत्थान पर विशेष बल देते हैं जबकि सर्वोदय की अवधारणा में जीवन के सभी पक्षों के समग्र उत्थान की बात कही गई है। यहाँ भौतिक उन्नति के साथ-साथ भौतिक एवं आन्तरिक उन्नति का भाव भी विद्यमान है।

भावनात्मक रूप से श्रेष्ठता :

डार्विन मनुष्य के बीच संघर्ष को स्वभाविक मानते हैं और योग्यतम के जीवन रक्षा की बात करते हैं जबकि सर्वोदय में परस्पर सहयोग का भाव निहित है। यहाँ प्रेम, त्याग एवं अहिंसा के माध्यम से सबके कल्याण की बात कही गई है। हक्सले 'जियो और जीने दो' का सिद्धान्त प्रतिपादित करते हैं परन्तु इससे मनुष्य के बीच तटस्थता उदासीनता एवं सहअस्तित्व मात्र का भाव उभरता है। जबकि सर्वोदय में प्रेम, सहयोग एवं सहअस्तित्व के साथ-साथ सह-सम्पन्नता का भाव भी विद्यमान होता है।

सर्वोदय की अवधारणा के आयाम –

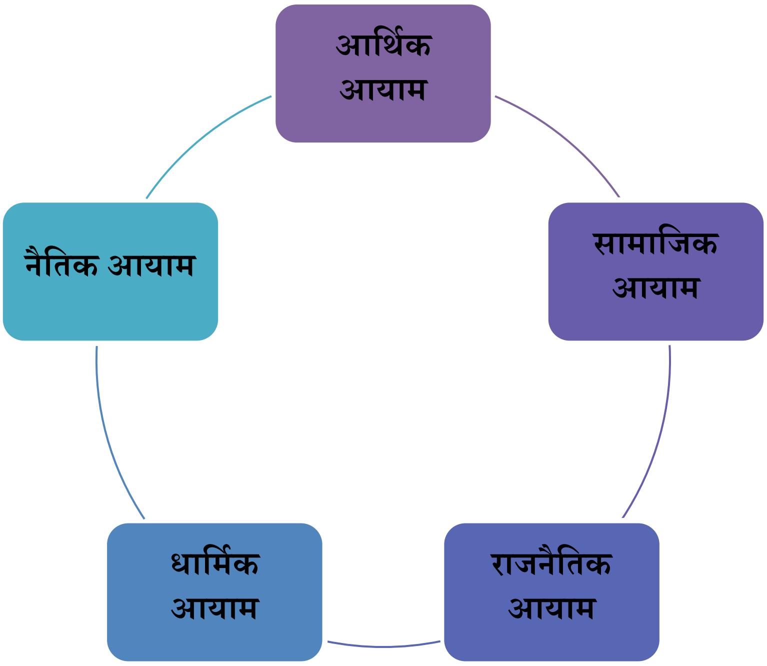

आर्थिक आयाम

गाँधी सर्वोदय के आर्थिक पक्ष में निम्नलिखित बातों को शामिल करते हैं, गाँधी सर्वोदयी समाज में सभी व्यक्तियों के श्रम करने पर बल देते हैं ताकि उनका आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सके तथा परनिर्भरता का भाव

समाप्त हो सके। गाँधी नाई एवं वकील दोनों के श्रम की कीमत एवं महत्ता को समान रूप से स्वीकार करते हैं। दोनों समान रूप से उपयोगी हैं, महत्वपूर्ण हैं। वस्तुतः गाँधी यह कहना चाहते हैं कि शारीरिक एवं बौद्धिक श्रम में सामाजिक एवं आर्थिक विभेद स्थापित नहीं होना चाहिए। "गाँधी आर्थिक न्याय हेतु अर्थात् समाज में आर्थिक विषमता निवारण हेतु ट्रस्टीशिप की अवधारणा का समर्थन करते हैं अर्थात् धनी व्यक्ति अपनी संपत्ति के उतने ही भागों का उपयोग करेगा जितनी उसको आवश्यकता है तथा शेष संपत्ति को समाज की धरोहर मानकर उसका उपयोग समाज के हित में करेगा। आशय है कि वह अपनी अतिरिक्त संपत्ति का केवल संरक्षक के रूप में भूमिका का निर्वहन करेगा। ट्रस्टीशिप की इस अवधारणा के पीछे 'अपरिग्रह' (धन संग्रह न करना) की अवधारणा विद्यमान है। यहाँ यह भी मंतव्य निहित है कि 'सवैभूमि गोपाल की। कहने का आशय है कि जिस प्रकार ईश्वर की वायु, जल, प्रकाश सबके लिए उपलब्ध हैं, उसी प्रकार भोजन, वस्त्रादि भी सबके लिए उपलब्ध होने चाहिए। भोजन एवं वस्त्रादि को अन्य व्यक्तियों के शोषण का साधन बनाना अनुचित है, अन्यायपूर्ण है। इससे हिंसा एवं रक्तपात की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अतः धनी व्यक्ति को अपनी अर्जित अतिरिक्त संपत्ति के अनावश्यक उपयोग का नैतिक अधिकार नहीं है। उल्लेखनीय है कि साम्यवाद बल प्रयोग एवं हिंसात्मक कार्यवाही के माध्यम से पूँजीपतियों का विनाश कर उनकी संपत्ति का सामाजिक हित में उपयोग करने की बात करते हैं। पूँजीवाद उत्पादन एवं उपयोग पर पूँजीपति के स्वतंत्र स्वामित्व को स्वीकार करता है जबकि गाँधी आर्थिक समानता की स्थापना हेतु पूँजीवाद एवं मार्क्सवाद के भावात्मक पक्षों को स्वीकार करते हैं। गाँधी उत्पादन के दृष्टिकोण से पूजीवाद एवं वितरण के दृष्टिकोण से समाजवाद की बात करते हैं। उनका कहना है कि यदि पूँजीपतियों का विनाश किया गया या उनकी संपत्ति का बलपूर्वक हनन किया गया तो फिर इससे समाज में कटुता, वैमनस्य, घृणा एवं विद्वेष का भाव उत्पन्न होगा। बल प्रयोग द्वारा श्रमिक वर्ग सत्तारूढ़ होगा और बल प्रयोग से पूँजीपति के संपत्ति का हनन करेगा तो इसमें उसके अन्दर बल प्रयोग एवं हिंसा की प्रवृत्ति की उत्पत्ति होगी। यदि बल प्रयोग द्वारा पूँजीपति का विनाश किया गया तो समाज ऐसे लोगों को खो देगा जिनमें धनोपार्जन की क्षमता एवं उत्पादन की विधियों का ज्ञान है। पूँजीपतियों के विनाश से सर्वोदय की अवधारणा पर आघात होगा। यहाँ उनके विनाश पर नहीं अपितु नैतिक विकास पर बल दिया जाता है।

इन्हीं कारणों के आधार पर गाँधी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि सामाजिक हित में पूँजीपतियों का विनाश उचित नहीं है। यहाँ स्वभावत: यह प्रश्न उठता है कि यदि धनी व्यक्ति स्वेच्छा से अपने अतिरिक्त धन का उपयोग दूसरों के लिए (समाज के लिए) न करे तो फिर क्या किया जाए?

गाँधी यहाँ इस संदर्भ में पूँजीपति को सही मार्ग पर लाने के लिए असहयोग, सत्याग्रह की बात करते हैं तथा इस क्रम में पूँजीपति के हृदय परिवर्तन के माध्यम से इस समस्या का निदान बताते हैं। चूंकि उनमें भी ईश्वरीय गुण (अंश) विद्यमान है, अत: उनमें परिवर्तन की संभावना भी विद्यमान है। गाँधी के अनुसार यह कहते हैं कि ईश्वरीय अंश होने के कारण ईश्वर प्रदत्त भौतिक सामग्री का समान उपयोग करने का अधिकार है। अत: यदि कोई व्यक्ति अपनी अर्जित संपत्ति (अतिरिक्त संपत्ति) का उपयोग सामाजिक कार्यों में करता है तो यह उसके नैतिक कर्त्तव्य को दर्शाता है, दया भाव को नहीं। गाँधी, भारतीय संदर्भ में जहाँ श्रम की प्रचुरता है वहाँ लघु एवं कुटीर उद्योग का समर्थन करते हैं। इससे सभी व्यक्ति स्वावलंबी बनकर भौतिक एवं व्यक्तिगत उत्थान सुनिश्चित कर सकते हैं। गाँधी का कहना

है कि व्यापक मशीनीकरण के कई नकारात्मक परिणाम हैं। इसलिए गाँधी ऐसी उत्पादन प्रक्रियाओं के पक्ष में थे जो विकेन्द्रीकरण पर आधारित हो। ऐसी औद्योगिक व्यवस्था हो जिसमें श्रमिक स्वयं स्वामित्व की भूमिका में हो।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि नेहरू मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु व्यापक मशीनीकरण एवं वृहत उत्पादन का समर्थन करते हैं, वहीं गाँधी का कहना है कि हमें अपनी आवश्यकता को कम करना चाहिए। हमारी अनेक आवश्यकताएँ लोभ प्रेरित हो सकती है। इससे उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रसार हो सकता है। भोगवाद को प्रशय मिल सकता है, साथ ही प्रकृति के अंधाधुंध शोषण की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। उसमें व्यक्ति नैतिक एवं आध्यात्मिक रूप से कमजोर हो सकता है। अतः गाँधी इसी आवश्यकता (उचित आवश्यकताओं) की पूर्ति की बात तो करते हैं किन्तु अन्य लोग प्रेरित इच्छाओं के निवारण का प्रयास करते हैं। गाँधी का यह कथन प्रसिद्ध है कि – "प्रकृति प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति तो कर सकती है किन्तु किसी एक व्यक्ति के लोभ को पूरा नहीं कर सकती है।"

उपर्युक्त सिद्धांतों के आधार पर सर्वोदय का उद्देश्य ऐसे समाज का निर्माण हैं जिसकी प्रवृत्ति ग्रामीण सभ्यता की ओर होगी, जिसमें उद्योग विकेन्द्रीकृत होंगे और यथासम्भव ग्राम स्वावलम्बी होंगे। पदार्थो के बाहुल्य की सनक का स्थान ऊँचा किन्तु सादा जीवन लेगा, होड़ के स्थान पर सहयोग होगा और सम्पूर्ण समाज सामुदायिक भावना से ओतप्रोत होगा।

सर्वोदय-विचारकों का प्रत्यक्ष सम्बन्ध भारत से होने के कारण, उन्होंने ग्रामीण भारत के पुनर्निर्माण की ओर अधिकतर ध्यान दिया हैं। उनका कहना हैं कि भूमि पर गाँव का स्वामित्व होना चाहिए। वर्तमान अर्थव्यवस्था के परिणामस्वरूप नगरों की संख्या तथा उनकी आबादी में वृद्धि हो रही हैं। इन नगरों का आर्थिक दोष यह हैं कि पड़ोसियों में न तो को परिचय रहता है और न किसी प्रकार की सामुदायिक भावना। इनका वातावरण सर्वोदयी मूल्यों की स्थापना के प्रतिकूल होता हैं।

सामाजिक आयाम

गाँधी के सामाजिक विचारों का आधार समानता है। इनके अनुसार सभी व्यक्ति समान है क्योंकि सबमें ईश्वर का अंश है। अत: जाति, धर्म, व्यवसाय आदि के आधार पर जो असमानता, ऊँच-नीच, उत्कृष्ट, निकृष्ट आदि का भाव निर्मित किया गया है वह कृत्रिम है। मनुष्य द्वारा अपनी इच्छापूर्ति हेतु निर्मित है। आदर्श समाज की स्थापना तभी हो सकती है जब ऊँच-नीच का यह अप्राकृतिक भाव समाप्त हो। सामाजिक संदर्भ में यद्यपि गाँधी जन्म आधारित वर्ण

व्यवस्था के समर्थक हैं पर वे जाति व्यवस्था व अशपृश्यता के विरोधी हैं। वे नवीन सामाजिक प्रगतिशील वर्ण व्यवस्था के समर्थक हैं जिसमें सामाजिक समानता का आदर्श निहित है। गाँधी वर्ण व्यवस्था को केवल व्यक्ति के आर्थिक जीवन एवं आजीविका प्राप्ति से संबंधित करते हैं जिसमें ऊँच-नीच का कोई स्थान नहीं है। गाँधी के इस वर्ण व्यवस्था में तीन बातें निहित हैं -

(i) सर्वोदय के अनुसार सब कार्यों, उद्योगों या व्यवसायों में समानता होनी चाहिए। इसमें श्रेष्ठता, निम्नता का भाव नहीं होना चाहिए। इस संबंध में धर्मतंत्रात्मक पदानुक्रम को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

(ii) वंशानुगत कार्य एवं परम्परागत व्यवसाय को व्यक्ति द्वारा अपनी आजीविका का साधन और समाज के प्रति अपने कर्त्तव्य का पालन समझकर करना चाहिए। अर्थात व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन निष्ठा के साथ करना चाहिए।

(iii) समाज में इस विचार का पालन करने के लिए विभिन्न कार्यों एवं व्यवसायों से प्राप्त होने वाले लोगों में अधिकाधिक समानता होनी चाहिए ताकि सामाजिक प्रतिष्ठा में अंतर नहीं आना चाहिए। यहाँ गाँधी वर्ण व्यवस्था को मानने के साथ-साथ यह भी मानते हैं कि सामाजिक महत्व एवं कीमत की दृष्टि से सभी कार्य समान हैं। अत: किसी कार्य को छोटा या बड़ा नहीं समझा जाना चाहिए।

सामाजिक दृष्टी से सर्वोदय एक ऐसा सिद्धांत हैं, जिसका विश्वास हैं कि हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना हैं जो शोषण रहित समाज हो। जिसमें शोषण और शोषित, धनी और गरीब, ऊंच-नीच का भेद-भाव नहीं हो, अर्थात सभी को समान रूप से विकसित होने का मौका मिले। सामाजिक तथा व्यक्तिगत जीवन में सत्य और अहिंसा को उत्तरोत्तर चरितार्थ करने के लिए यह आवश्यक हैं कि राजनीतिक संरचना उनके अनुकूल हो।

राजनीतिक आयाम

जनार्दन पाण्डेय के अनुसार सर्वोदय कोई कल्पना नहीं हैं, बल्कि इसे जीवनदृष्टि मान लेने पर या इसे जीवन में आत्मसात कर लेने पर, इससे विश्व कल्याण संभव हो सकता हैं। आवश्यकता इस बात की हैं कि सर्वोदय व्यक्ति व्यक्ति और संगठन जितना ही व्यावहारिक धरातल पर ठोस और मजबूत बनेगा और तदनुरूप उसके लक्ष्य का सिद्धांत सामाजिक क्षेत्र में सर्वोपयोगी सिद्ध हो सकता हैं। सर्वोदय जीवन-दृष्टि या जीवन पद्धति आज के त्रस्त मानव को नई राह दिखाने में अपनी अहम भूमिका निभा सकता हैं तथा इससे सर्वोदय समाज की स्थापना संभव और साकार हो सकती हैं।

राजनीतिक विचारधारा के रूप में 'सर्वोदय' आधुनिक भारतीय चिंतनधारा हैं, जो मूल रूप से गाँधीवादी दर्शन पर आधारित हैं। भारतीय संस्कृति में सर्वोदय का विचार सदैव से ही निहित रहा हैं, लेकिन विधिवत् रूप से इसे एक आधुनिक विचारधारा का स्वरूप प्रदान करने का कार्य बीसवीं सदी के प्रमुख मनीषी गाँधी ने ही किया।

राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण ही 'सर्वोदय' का लक्ष्य रहा हैं। राजनीतिक सत्ता के विकेन्द्रीकरण से 'सर्वोदय' का तात्पर्य स्थानीय संस्थाओं को अधिक से अधिक बलशाली बनाना एवं स्वायत्त शासन की स्थापना करना हैं। यह कार्य ग्राम एवं नगर पंचायतों द्वारा पूरा किया जाएगा। प्रांतीय एवं केन्द्रीय सरकारें पंचायती राज्य के कार्य में कम

हस्तक्षेप करें तथा उन्हें केवल सलाह देने का कार्य करें। आज समाज में राज्य-संस्था सर्वोपरि संस्था बन गई हैं और उसका महत्व दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है। अतः सर्वोदय-विचारकों ने उसके बारे में गम्भीरता से सोचा हैं और अपने विचार व्यक्त किए। विनोबा जी का कहना हैं कि प्रारम्भ में मानव घोर बर्बरता की दशा में था और समाज में हिंसा का बोलबाला था। उस समय राज्य-संस्था का जन्म हुआ और उससे समाज की दशा में सुधार हुआ। राज्य की दंड शक्ति ने समाज की शुद्ध हिंसा की स्थिति से ऊपर उठने में सहायता की। इस प्रकार वर्तमान सर्वोदय विचार इस बात को तो स्वीकार करता हैं कि 'राज्य' से समाज का कुछ हित हुआ हैं और राज्य की दंड-शक्ति को 'हिंसा'की श्रेणी में नहीं रख सकते, किन्तु वह उसको अहिंसा की दृष्टि से स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं हैं, क्योंकि राज्य का अंतिम भरोसा तो बल-प्रयोग पर ही हैं।

सर्वोदय में राजनीति के स्थान पर लोकनीति पर बल दिया गया है। लोकनीति बहुत ही व्यापक शब्द हैं। यह एक साथ ही एक जीवन-पद्धति, एक प्रकार की सामाजिक व्यवस्था तथा कार्यप्रणाली से जुड़ा हुआ हैं। यह ऐसी जीवन-पद्धति का समर्थक हैं जिसमें स्वस्थ सामाजिक परम्पराएँ व्यक्ति के आचार का नियमन करती हैं और उसमें स्वयं के अभिक्रम से काम करने की आदत डालती हैं। इससे तात्पर्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था से हैं जिसमें पुलिस तथा सेना के लिए नाममात्र का काम होगा और नागरिक के जीवन में कानून के हस्तक्षेप की आवश्यकता बहुत कम होगी। कार्यप्रणाली के कारण इसका अर्थ यह हैं कि समाज परिवर्तन की प्रक्रिया ऐसी हो जिसमें मनुष्य का कर्म स्वातन्त्र्य बना रहे। दुसरे शब्दों में, यह परिवर्तन हृदय-परिवर्तन के द्वारा होना चाहिए, न कि बल-प्रयोग से।

आज समाज 'लोकनीति' पर आधारित न होकर ऐसी 'राज्यनीति' पर आधारित हैं जिसका विश्वास सत्ता में हैं। इन दोनों में भेद है। 'राज्यनीति' से राज्यवाद पुष्ट होता हाँ क्योंकि वह यह मानकर चलती हैं कि सामाजिक कल्याण का साधन राज्य ही हैं। इसके विपरीत लोकनीति से नागरिकों के पुरुषार्थ को प्रोत्साहन मिलता हैं क्योंकि वह इसके पक्ष में हैं कि नागरिक अपने अभिक्रम से स्वायत्त तथा ऐच्छिक संस्थाओं के द्वारा लोकहित का मार्ग प्रशस्त करें। ऐसी स्थिति में, जैसा कि स्वाभाविक हैं, नागरिक सत्ता-प्राप्ति की दौड़ में भाग लेते हैं किन्तु लोकनीति में सेवा तथा सहयोग द्वारा नागरिकों के चरित्र को विकसित करने का प्रयास होता हैं। राज्य-नीति में अधिकारों को महत्व प्रदान होता हैं, जबकि लोकनीति कर्तव्य-पालन पर बल देती हैं। लोकतंत्रिक राज्य की राज्यनीति का लक्ष्य ही यह होना चाहिए कि उसका विकास लोकनीति हो जाए।

प्रचलित लोकतंत्र से असंतुष्ट होने पर भी सर्वोदय-विचारकों की निष्ठा सर्वोदयी लोकतांत्रिक आदर्शो में हैं। वे समानता, व्यक्ति के गौरव और सकारात्मक स्वतन्त्रता के समर्थक हैं। किन्तु उनका कहना हैं कि ऐसी लोकशाही स्थापित होनी चाहिए जो अहिंसा पर आधारित हो, जिसको रक्षा के लिए पुलिस अथवा सेना का सहारा न लेना पड़े और जो केवल औपचारिक न हो। उसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से अधिकाधिक भाग शासन में ले और केन्द्रीय नियंत्रण न्यूनतम हो। सर्वोदय विचारक आधुनिक लोकतंत्र की कई धारणाओं, व्यवस्थाओं तथा प्रणालियों के विरुद्ध हैं। उनको हितकारी राज्य का विचार, बहुमत प्रणाली, दलीय व्यवस्था और प्रचलित प्रत्यक्ष प्रणाली स्वीकार नहीं हैं। उनके स्थान पर वे हितकारी समाज, सर्वानुमति से निर्णय, दलहीन लोकतंत्र और प्रादेशिक तथा राष्ट्रीय विधान सभाओं के लिए अप्रत्क्ष चुनाव-प्रणाली अथवा संशोधित प्रत्यक्ष प्रणाली के समर्थक हैं। आज लोकतंत्र का आदर्श

हितकारी राज्य की स्थापना हैं, और इसके फलस्वरूप केन्द्रीकरण बढ़ रहा हैं। यह केन्द्रीकरण सच्चे लोकतंत्र का सबसे भयंकर शत्रु हैं। इसलिए सर्वोदय-विचारक हितकारी राज्य के बड़े विरोधी हैं। प्रचलित लोकतंत्र में निर्णय बहुमत द्वारा होते हैं। सर्वोदय-विचारक इस पद्धति के तीव्र आलोचक हैं। लोकतंत्र की यह मूल मान्यता हैं कि शासन नागरिकों की इच्छानुसार ही चलना चाहिए, और इसमें सर्वसम्मति उपलक्षित हैं। किन्तु व्यवहार में एक मत के दुर्लभ होने के कारण बहुमत को ही सबकी इच्छा मान लिया जाता हैं। सच्चे लोकतंत्र में तो शक्ति का प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। इस पर लोकतांत्रिक व्यवहार को आधारित करना लोकतंत्र के उद्देश्य का ही निषेध करना होगा। सरकार का वही रूप लोकतंत्र कहलाने का वास्तविक अधिकारी हो सकता हैं जो यथासम्भव प्रत्येक नागरिक का सहयोग प्राप्त करके उसकी योग्यता का लाभ उठा सके। अतः सच्चे लोकतंत्र में सरकार के निर्णय केवल बहुमत के निर्णय न होकर, ऐसे होने चाहिए जिनमें सभी विचारों का समन्वय हैं, जो सबको स्वीकृत हैं तथा जिन पर सबकी छाप हैं। व्यक्तिवाद के उदय से पहले विश्व के सभी समुदायों में सर्वानुमति से ही निर्णय होते थे।

धार्मिक आयाम

सर्वोदय अपनी मानव तथा ईश्वर-विषयक धारणाओं को देखा जाये तो सर्वोदय मानव-धर्म का समर्थक हैं। प्रचलित धर्मों में चार तरह की बातें मिलती हैं-उपासना-विधि, नीति-सिद्धांत, प्रथाएँ अथवा रस्म-रिवाज़ और पौराणिक गाथाएँ। सर्वोदय-विचार इनमें केवल नीति-सिद्धांतों को महत्व देता हैं, और उसका कहना हैं कि ये सिद्धांत सभी धर्मो में मूलतः एक हैं। इन्हीं को धर्म का तत्व मानना चाहिए। सम्प्रदायवादी धर्मों ने विश्व को बड़ी हानि पहुचायी हैं। वे स्वतन्त्र विचार में बाधक रहे हैं और उन्होंने भय द्वारा ही जनता पर नियन्त्रण रखा हैं। इसके विपरीत सर्वोदय विचार-स्वातन्त्र्य तथा निर्भयता का समर्थक हैं।

नैतिक आयाम

नैतिक दृष्टि से सर्वोदय वह सिद्धांत है, जो विश्व में अभी तक विद्यमान नैतिक सिद्धांतों से एक उत्तम विचार प्रस्तुत करता है1 इसमे एक नवीन पक्षपात रहित आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक संदर्भ भी निहित है, इसके नैतिक विचार को मानव – सम्बन्धी विचारों से पृथक नहीं किया जा सकता1 मानव कल्याण तथा विश्व शांन्ति के संबंध में सर्वोदयी विचारक अंतर्राष्ट्रीयतावादी तथा मानवतावादी हैं, परन्तु उनका मानवतावाद पाश्चात्य देशों के सार्वभौमवाद का रूप नहीं हैं। वे राष्ट्रवादी हैं, परन्तु उग्र, संकीर्ण तथा आक्रामण राष्ट्रवाद के विरोधी हैं, जो विश्व शांति तथा कल्याण के लिए हानिकारक हैं। सर्वोदय विचारधारा राष्ट्र प्रेम को अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना के विकास के लिए आवश्यक मानता हैं। आज के युग में सभी चिंतक विश्व-शांति के लिए प्रयत्नशील हैं। दूसरी ओर, आणविक अस्त्र-शस्त्र की होड़ मची हुई हैं। नि:शस्त्रीकरण की दिशा में व्यावहारिक प्रगति नहीं हो पायी हैं। इस दिशा में सर्वोदय ही एक ऐसी विचारधारा हैं, जो विश्व शांति के हेतु वास्तविक आधार प्रस्तुत करती हैं। जब तक जनमानस में सर्वोदयी विचारधारा का प्रचार नहीं हो जाता तथा जनता सर्वोदय के आदर्शो से अवगत नहीं हो जाती, तब तक सर्वोदय की क्रियान्विति व्यापक रूप से संभव नहीं हैं।

यह सच हैं कि 'सर्वोदय बहुत अधिक आदर्शवादी और आध्यात्मिक दर्शन हैं, तदोपरांत भी भारतीय राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में सर्वोदयी विचारधारा का महत्वपूर्ण स्थान हैं। चूँकि यह एक विशुद्ध भारतीय चिंतनधारा हैं और इसके विविध विचार भारतीय परिस्थितियों के संदर्भ में व्यक्त किए गए है; अतः उसका दार्शनिक, नैतिक तथा ऐतिहासिक आधार पूर्णतया भारतीय संस्कृति, परम्पराओं तथा परिस्थितियों के अनुकूल हैं, इसलिए भारतीय परिवेश में सर्वोदय के सिद्धांतों को कार्यान्वित करना कठिन नहीं हैं।

अंत्योदय -

अंत्योदय दीन दयाल उपाध्याय द्वारा दिया गया एक शब्द है, जो सामाजिक कल्याण और उत्थान के सिद्धांतों में निहित एक अवधारणा है। यह कतार में अंतिम व्यक्ति की सेवा करने के विचार का प्रतीक है, यह सुनिश्चित करते हुए कि विकास का लाभ समाज के सबसे हाशिये पर और वंचित वर्गों तक पहुंचे। एक प्रमुख भारतीय राजनीतिक दार्शनिक और भारतीय जनसंघ (जो बाद में भारतीय जनता पार्टी में विकसित हुआ) के संस्थापकों में से एक, उपाध्याय ने सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में अंत्योदय के महत्व पर जोर दिया।

अंत्योदय की अवधारणा के विभिन्न आयाम:

अंतिम व्यक्ति का उत्थान: अंत्योदय समाज में सबसे अधिक हाशिए पर और वंचित व्यक्तियों तक पहुंचने पर जोर देता है। यह उनके कल्याण को प्राथमिकता देता है और उन्हें गरीबी, अज्ञानता और अभाव के अन्य रूपों से ऊपर उठाना है।

एकात्म मानववाद: दीन दयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद का दर्शन अंत्योदय का वैचारिक आधार बनता है। एकात्म मानववाद जीवन के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और भौतिक पहलुओं पर ध्यान देने के साथ सभी व्यक्तियों के समग्र विकास का समर्थन करता है।

आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण: अंत्योदय समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों के बीच आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। इसका उद्देश्य उन्हें आत्मनिर्भर बनने और विकास प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाना है।

विकेंद्रीकरण: उपाध्याय ने यह सुनिश्चित करने के लिए विकेंद्रीकृत शासन और प्रशासन के महत्व पर जोर दिया कि निर्णय लेने की शक्ति स्थानीय समुदायों के बीच वितरित हो। इस विकेंद्रीकरण को अंत्योदय प्राप्त करने के उद्देश्य से कल्याणकारी कार्यक्रमों और पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।

सामाजिक न्याय और समावेशिता: अंत्योदय सामाजिक न्याय और समावेशिता के सिद्धांतों में गहराई से निहित है। इसका उद्देश्य सामाजिक असमानताओं को दूर करना और यह सुनिश्चित करना है कि सभी व्यक्तियों को अपने जीवन को बेहतर बनाने और समाज की प्रगति में योगदान करने के समान अवसर मिले।

सांस्कृतिक पुनरुद्धार : उपाध्याय ने अंत्योदय के अभिन्न अंग के रूप में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के पुनरुद्धार और संरक्षण पर भी जोर दिया। उनका मानना था कि सांस्कृतिक मूल्य और परंपराएं समाज के सामाजिक-आर्थिक ढांचे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और इन्हें संरक्षित और बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

इस प्रकार अंत्योदय सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है जो आत्मनिर्भरता, सशक्तिकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के मूल्यों को कायम रखते हुए समाज के सबसे कमजोर वर्गों के कल्याण को प्राथमिकता देता है।

'नव विकसित भारत (न्यू इंडिया) की अवधारणा-

सर्वोदय व् अन्तोदय की मूल संकल्पना का परिलक्षण नव भारत की मूल अवधारणा में दिखाई देता है। गाँधी, दीनदयाल उपाध्याय, विनोवाभावे और जय प्रकाश नारायण के विकास की अवधारणा को आज नए भारत के रूप में परिभाषित और स्थापित किया जा रहा है। सबका साथ- सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास की संकल्पना तथा संकल्प से सिद्धि का जो उद्देश्य भारत सरकार द्वार व्याख्यायित किया गया उसके कुछ प्रमुख लक्ष्य इस प्रकार है -

- स्वच्छ भारत
- साक्षर भारत
- गरीबी मुक्त
- भ्रष्टाचार मुक्त
- साम्प्रदायिकता मुक्त
- जाति मुक्त और

➡ आतंकवाद मुक्त भारत बनाना है।

नए भारत के उपरोक्त उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए 'न्यू इंडिया के लिए रणनीति@75' में प्रधानमंत्री ने तीन प्रमुख संदेश दिया। जो इस प्रकार है –

विकास एक जन आंदोलन -

प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास को एक जन आंदोलन बनना चाहिए, जिसमें प्रत्येक भारतीय को अपनी भूमिका को पहचाने और जीवन की बेहतर सुगमता के रूप में उसे मिलने वाले प्रमुख लाभों का अनुभव भी करे। विकास प्रक्रिया में सभी की सक्रीय सहभागिता होनी चाहिए।

संतुलित विकास रणनीति -

विकास रणनीति को सभी क्षेत्रों और राज्यों और सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए व्यापक-आधारित आर्थिक विकास हासिल करने में मदद करनी चाहिए। जब तक सभी क्षेत्रो और राज्यों का समान विकास नहीं होगा तब तक विकसित भारत की आकांक्षा पूर्ण नहीं हो सकती।

सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी -

विकास प्रक्रिया में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के प्रदर्शन के बीच अंतर को समाप्त कर दिया जाएगा। यह रणनीति नीति निर्माण और कार्यान्वयन के मूल में नवाचार, प्रौद्योगिकी, उद्यम और कुशल प्रबंधन को एक साथ लाने का एक प्रयास है। नव भारत की संकल्पना इन विषयों के समन्वय से साकार होगी।

नीति की संकल्पना -

'नीति' शब्द का प्रयोग सामान्तया सरकारी बोलचाल में किया जाता है, लेकिन 'नीति' क्या है? अपने सरलतम रूप में, एक नीति एक रूपरेखा या योजना है जिसके अंतर्गत किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी कार्यों की कल्पना, कार्यान्वयन और मूल्यांकन किया जाता है। सार्वजनिक नीति, विस्तार से उन उद्देश्यों पर लागू होती है जो जनता के कल्याण से संबंधित हैं। नीति निर्माण का विज्ञान विशाल और विविध है, लेकिन किसी भी विज्ञान की तरह, यह विश्लेषणात्मक सोच, व्यवस्थित कार्रवाई और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन को महत्व देता है। किसी नीति के जीवन चक्र को पांच अलग-अलग चरणों में देखा जा सकता है-

समस्या की पहचान,

नीति निर्माण,

नीति अपनाना,

नीति कार्यान्वयन

निगरानी व् मूल्यांकन।

न्यू इंडिया की अवधारणा एक आधुनिक, विकसित और समृद्ध भारत की परिकल्पना है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने बढ़ावा दिया है। नए भारत की अवधारणा नवाचार, समावेशिता और विकास के सिद्धांतों पर आधारित है और इसका उद्देश्य भारत को एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति और दुनिया के लिए एक मॉडल में बदलना है। नए भारत की अवधारणा एक आधुनिक और गतिशील अर्थव्यवस्था बनाने पर केंद्रित है जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। इसका उद्देश्य उद्यमिता, नवाचार और तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देना और एक व्यवसाय-अनुकूल वातावरण बनाना है जो घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित कर सके। न्यू इंडिया की अवधारणा का उद्देश्य देश के विकास में भाग लेने के लिए समाज के सभी वर्गों के लिए अवसर पैदा करके सामाजिक और आर्थिक समावेशन को बढ़ावा देना भी है।

नए भारत की अवधारणा इस विचार पर आधारित है कि भारत सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा और अंतरिक्ष अन्वेषण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में वैश्विक नेता बन सकता है। सरकार ने इन क्षेत्रों को बढ़ावा देने और नवाचार और अनुसंधान के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए कई पहल शुरू की हैं। न्यू इंडिया की अवधारणा का उद्देश्य भारत की विविधता का जश्न मनाकर और विविधता में एकता को बढ़ावा देकर सामाजिक और सांस्कृतिक सद्भाव को बढ़ावा देना भी है।

नए भारत की अवधारणा नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और बुनियादी ढांचा प्रदान करके उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने पर भी केंद्रित है। सरकार ने इन क्षेत्रों में कई पहल शुरू की हैं, जैसे स्वास्थ्य देखभाल के लिए आयुष्मान भारत योजना, स्वच्छता के लिए स्वच्छ भारत अभियान और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना। न्यू इंडिया का उद्देश्य इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करके डिजिटल साक्षरता और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना भी है।

भारत सरकार की नीतियों और योजनाओ में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि सर्वोदय व् अंत्योदय को साकार करने के लिए उपरोक्त प्रमुख नीति लागू की जा रही है जैसे –

1.प्रधान मंत्री जन धन योजना का उद्देश्य वंचित वर्गों जैसे कमजोर वर्गो और कम आय वर्गो को विभिन्न वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना हैं। यह योजना राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन हैं। जिसमे लगभग 45.16. करोड़ लाभार्थी है।

2.प्रधानमन्त्री उज्ज्वला योजना: इसके द्वारा ऐसे ग्रामीण और वंचित परिवारों जोकि इंधन के रूप में लकड़ी, कोयला गोबर के उपले आदि जैसे पारंपरिक खाना पकाने के इंधन का उपयोग कर रहे थे, के लिए एलपीजी जैसे स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन को उपलध कराने के उद्देश्य से उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के 09 करोड़ से अधिक लाभार्थी हैं।

3.दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना पुरे ग्रामीण भारत को निरंतर बिजली की आपूर्ति करने के लिए बनाया गया हैं।

4. प्रधान मंत्री आवास योजना इसका उद्देश्य ‘सभी के लिए आवास’ की सुबिधा हो।

5. आयुष्मान भारत यह देश भर में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सबसे बड़े अखिल भारतीय योजनाओं में से हैं। इसका उद्देश्य शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में एक मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करना हैं।

इस प्रकार की 125 से अधिक योजनाओ को लागू किया गया है जो एक विकसित भारत का निर्माण करने में मील का पत्थर सिद्ध होगी ।

निष्कर्ष-

नये भारत की अवधारणा एक आधुनिक, विकसित और समृद्ध भारत की परिकल्पना है, जो नवाचार, समावेशिता और विकास के सिद्धांतों पर आधारित है। न्यू इंडिया की अवधारणा का उद्देश्य भारत को एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति और दुनिया के लिए एक मॉडल में बदलना है। सरकार ने नए भारत की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए कई पहल शुरू की हैं, और इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए सभी हितधारकों के लिए मिलकर काम करना महत्वपूर्ण है। नए विकसित भारत की अवधारणा भारत को बदलने और लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता रखती है। अर्थात सबका साथ- सबका विकास और सबका विश्वास की संकल्पना तथा संकल्प से सिद्धि का प्रयोजन इसका निहितार्थ है। इस प्रकार 2014 के पश्चात की नीतियों और कार्यक्रमों का अवलोकन किया जाये तो यह कहा जा सकता है कि नये विकसित और सर्व समावेशी भारत के निर्माण की संकल्पना प्राचीन भारतीय दर्शन और सर्वोदय व् अन्तोदय की संकल्पना का वास्तविक प्रस्फुटन है।

संदर्भ सूची

1- डॉ., पाण्डेय, जनार्दन.(1986) *सर्वोदय का राजनीतिक दर्शन*. जानकी प्रकाशन नई दिल्ली.

2- धवन,गोपीनाथ.(1951*) सर्वोदय तत्व दर्शन*. सत्साहित्य प्रकाशन, नई दिल्ली.

3- गोयनका, कमलकिशोर.(1972) *पंडित दीनदयाल उपाध्याय व्यक्ति दर्शन*. दीन दयाल शोध संस्थान, रानी झाँसी मार्ग नई दिल्ली.

4- डॉ. टंडन, विश्वनाथ.(1965) द *सोशल एंड पोलिटिकल फिलोसोफी ऑफ़ सर्वोदय,आफ्टर गाँधी*. सर्व सेवा संघ प्रकाशन, वाराणसी.

5- हार्डीमन, डेविड.(2016) *गाँधी इन हिज टाइम एंड ऑवर्स*,परमानेंट ब्लैक पब्लिकेशन रानीखेत.

6- पंथम, थॉमस. & डायाच, एल, केनेथ. (2017*) आधुनिक भारत में राजनीतिक विचार* (सम्पा) .सेज, नई दिल्ली

7- भावे, विनोवा. (1964). *रेवोलुशनरी सर्वोदय*, भारतीय विद्या भवन बॉम्बे.

8- नारायण, जयप्रकाश.(1959) *समाजवाद से सर्वोदय की ओर*, अखिल भारत सर्व सेवा संघ, काशी.

9- धर्माधिकारी,दादा(2013) . *सर्वोदय दर्शन*, सर्व सेवा संघ प्रकाशन, राजघाट वाराणसी.

10- कुमारप्पा, भारतन. (1955). *सर्वोदय*, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदावाद

11- राय. अशोक, कुमार.(2022). *पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानववाद के प्रणेता*. हार्पर प्रकाशन दिल्ली.

12- NITI Aayog, ‘STRATEGY FOR NEW INDIA @75’ November 2018.

13- https://www.niti.gov.in

14- https://India.75.nic.in

15- https://static.mygov.in

16- pmjdy.gov.in

17- pmuy.gov.in

अध्याय-25

शीतयुध्द के बाद भारत-अमरीका सम्बन्धों का अध्ययन

वैष्णवी जौहरी
शोधार्थी,
आर्य कन्या डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद
विश्वविद्यालय

अनुपमा सिंह
आर्य कन्या डिग्री कॉलेज,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय

शीतयुद्ध जिसकी अवधि 1945 से 1991 तक थी। इस अवधि में दूसरे विश्वयुद्ध के परिणामस्वरुप विश्व दो गुटों में विभाजित था। पहला सोवियत संघ व दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका। पहला गुट, साम्यवादी विचारधारा से सम्बन्धित था तथा दूसरा गुट, पूँजीवादी विचारधारा से सम्बन्धित था। शीतयुद्ध की समाप्ति का काल 1990 था जिसने विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका की शक्ति की स्थापना की तथा सोवियत संघ का विघटन भी हुआ। शीतयुध्द की समाप्ति ने विश्व में कई परिवर्तन लाये। विश्व एकध्रुवीय जिसमें अमेरिका के पास सर्वोच्च शक्ति स्थापित हुई। शीतयुद्ध (Cold War) की समाप्ति के बाद बाद भारत एवं अमेरिका के सम्बन्धों में भी परिवर्तन दिखे ,1990 के पश्चात् इन सभी का प्रभाव भारत- अमेरिका सम्बन्धों पर भी पड़ा। भारत- अमेरिका सम्बन्ध और 21 वीं शताब्दी की अन्य उभरती प्रौद्योगिकी पर भी न्वोन्मेष और उद्धमिता के नये मुकाम स्थापित कर रहा है। वर्तमान में भारत-अमेरिका सम्बन्ध दोनों में सहयोग में वृद्धि देखी गयी। भारत बाइडन प्रशासन की 'इंडो-पैसिफिक' रणनीति का केन्द्र बिन्दु है। साथ-साथ दोनों देश सहयोग एवं सन्धियाँ करने में प्रयासरत है। जिससे भारत-अमेरिका सम्बन्ध मजबूत हो सके।[1]

शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद भारत -अमेरिका सम्बन्धों में निर्णायक परिवर्तन हुए। शीतयुद्ध के पश्चात् भारत-अमेरिका संबंध विश्व की बहुत महत्वपूर्ण घटनाओं से प्रभावित था। इस काल में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण घटना 1990 के दशक में सोवियत संघ के विघटन के रुप में हुई। जिसने यूरोप व एशिया के क्षेत्रो में ही नही अपितु सारे विश्व के राजनीतिक घटनाक्रम को बदलकर रख दिया। दोनों देशों में आन्तरिक परिवर्तन भी हुएं। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के बिल क्लिंटन राष्ट्रपति बने जो मूलतः बजट घाटे ,स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार , आदि आन्तरिक मामलों में अधिक व्यस्त रहे। दूसरी ओर भारत में नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने जिन्होंने आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया को तेजी से अपनाया तथा लागू करके खुलेपन की नीति भी अपनाई। जिसका प्रमुख लक्ष्य विदेशी पूँजीनिवेश को बढ़ावा देना था। भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना था। जिससे भारत आर्थिक रुप से मजबूत हो सके।

शीतयुद्ध के बाद की स्थिति में भारत -अमेरीका संबंधों में कई परिवर्तन देखने को मिले जिनमें सबसे ज्यादा परिवर्तन रक्षा के क्षेत्र में हुआ था। दोनो के बीच रक्षा के क्षेत्र में सहयोग देखने को मिला। जो शीतयुद्ध के काल में नही था। इस तरह शीतयुध्द के बाद भारत - अमरीका सम्बन्धों को मजबूत करने में कई समझौते हुएं। तथा 1995 में

अमेरिकी रक्षा मंत्री की भारत यात्रा भी हुई। तथा भारत के रक्षा मंत्री के साथ रक्षा सहयोग के एक समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए। वर्तमान में भी भारत अमेरिका सम्बन्ध प्रगति पर है भारतीय राजदूत संधू ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग हो रहा है। दोनों देशों में रणनीतिक साझेदारी , अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, आईटी , स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदीरी का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि चले साथ-साथ और साझा प्रयास, सबका विकास के तहत द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग को मजबूत करने पर आगे बढ़ रहे है। भारत -अमरीका सम्बन्धों में सहयोग दिख रहा है।[2]

बुश प्रशासन तथा भारत-अमेरिका संबंध-

शीत युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कई गुणात्मक परिवर्तन हुए। इन सभी का प्रभाव भारत अमेरिकी संबंधों पर भी पड़ा अब भारत अमेरिकी संबंधों में वृद्धि हुई तथा कई प्रकार के भारत अमेरिकी समझौते भी हुए। भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत बनाने में अमेरिका के राष्ट्रपति बुश से भारत के प्रधानमंत्री पी वी नरसिम्हा राव की मुलाकात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों की शिखर बैठक में हुई। तथा रक्षा के क्षेत्र में भी कई उच्च स्तरीय यात्राएं की गई शीत युद्ध के बाद अमेरिका के कमाण्ड इन चीफ के द्वारा भारत की यात्रा की गई। 1991 में भारत के सेनाध्यक्ष ने अमेरिका की यात्रा की, फिर भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री शरद पवार ने अमरीका की यात्रा की। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य सैन्य सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से 10 से 15 मई, 1995 तक एक संयुक्त सेना अभ्यास मालाबार- II किया।

मई 1994 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री की पी वी नरसिम्हा राव की अमेरिका यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति से बातचीत की।

प्रतिरक्षा के क्षेत्र में अमेरिका द्वारा भारत को परमाणु अप्रसार संधि में शामिल होने के लिए जोर दिया जा रहा था। प्रधानमंत्री की इस यात्रा द्वारा और बातचीत के द्वारा कुछ नर्मी आई तथा प्रधानमंत्री द्वारा अमेरिकी उद्योगपतियों द्वारा भारत में निवेश करने को भी कहा गया। प्रधानमंत्री राव की अमेरिका यात्रा के बाद अमेरिका के कई मंत्रियों द्वारा भारत की यात्रा की गई। अमरीका के सुरक्षा सलाहकार एंथनी बेथ ने स्वीकार किया कि अमेरिका के भारत से संबंधों में पाकिस्तान से संबंध का पर्याप्त महत्व है। इसके बावजूद दोनों देशों में प्रतिरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ता रहा। दो वर्षों में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भी हुए।[3]

भारत द्वारा परमाणु परीक्षण एवं भारत अमेरिका संबंध

अटल बिहारी वाजपेई के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण संधि पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया गया क्योंकि भारत के लिए यह भेदभाव पूर्ण थी। 11 मई एवं 13 मई 1998 को सफल परमाणु परीक्षण किए गए। जिसमें भारत ने स्पष्ट कहा कि उसका उद्देश्य न्यूनतम परमाणु प्रतिरोधक क्षमता अर्जित करना था। इस परीक्षण के बाद भारत अमेरिका संबंधों में मतभेद एवं तनाव आ गया सितंबर 2001 के बाद भारत अमेरिका संबंधों में परिवर्तन दिखाई दिया। यह परिवर्तन सकारात्मक थे अमेरिका के द्वारा जो प्रतिबंध लगाए गए थे वे सभी समाप्त कर दिए तथा परमाणु सहयोग के निर्णय लिए गए।

18 जुलाई, 2005 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अमेरिकी यात्रा के दौरान दोनों देशों ने एक परमाणु समझौते करने की घोषणा वाशिंगटन में की। यहां से भारत-यूएस परमाणु समझौते का युग शुरू हुआ तथा इसके भारत व अमेरिका के मध्य कई समझौते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के द्वारा 1 मार्च, 2006 की भारत की यात्रा की गई तथा मार्च 2006 में ही भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों देशों ने सामरिक भागीदारी पर संयुक्त वक्तव्य जारी किया, जिसमें नागरिक परमाणु सहयोग के समझौते पर बल दिया गया।

26 जुलाई, 2006 को अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने "हेनरी जे. हाईड यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया पीपुल्स एटॉनिक एनर्जी कोऑपेरेशन एक्ट ऑफ 2006" को पारित किया गया जिसके अनुसार वाशिंगटन परमाणु मुद्दे पर भारत के साथ सहयोग करेगा और उसे अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर न करने की छूट देगा। 16 नवंबर, 2006 यूएस सीनेट नें "यूनाइटेड स्टेट्स-इंडिया पीपुल्स एटॉमिक एनर्जी कोऑपरेशन एंड यूएस एडीशनल प्रोटोकॉल इंप्लीमेंटेशन एक्ट "पारित किया, जिसके अनुसार भारत को परमाणु सामग्री, एक्वीपमेंट और प्रौद्योगिकी के अमेरिका से निर्यात पर एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1954 के प्रावधानों से छूट दी जाएगी। 27 जुलाई, 2007 भारत और अमेरिका के मध्य द्विपक्षीय समझौते पर वार्ता पूरी हुई।[4]इस प्रकार भारत अमेरिकी संबंध शीतयुध्द के बाद निरंतर प्रगति पर रहे।

भारत अमेरिका संबंधों को मजबूती प्रदान के उद्देश्य से भारत व अमेरिका के बीच 28 जून, 2005 के 'नए भारत अमेरिका रक्षा संबंधों के ढाँचे' एवं 18 जुलाई, 2005 को 'भारत अमेरिका संयुक्त विज्ञप्ति' ने दोनों देशों के सैनिकों व असैनिक परमाणु ऊर्जा संबंधों को नया रूप प्रदान किया है। इस समझौते के अंतर्गत भारत व अमेरिका अगले 10 वर्षों तक रक्षा सहयोग पर सहमत हो गए हैं जिसकी नींव 1995 के समझौते से शुरू हुई तथा भारत अमेरिका संबंध अच्छे हुए। 9 सितंबर 2001 की घटना ने इसे और मजबूत बना दिया था जब भारत ने आतंकवाद को समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका को किसी भी प्रकार की सैन्य सहायता देने की बात की। 2002 में भारत व अमेरिका के मध्य हस्ताक्षरित (जी.ओ.एस.एस. आई.ए.) 'जनरल स्कारिटी रीति ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट' तथा 'हाई टेक्नोलॉजी कॉपरेशन ग्रुप (एच.टी.सी.जी.) में 'नेक्स्ट स्टेप्स इन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप' (एन.एस.एस.पी.) समझौता हुआ जिसके अंतर्गत चार प्रमुख विषयों असैनिक परमाणु ऊर्जा, आंतरिक, उच्च तकनीकी सैन्य व्यापार, प्रक्षेपास्त्र सुरक्षा में सहयोग पर सहमति व्यक्त की गई।

जून, 2005 में हुए रक्षा संबंधी ढाँचे के अंतर्गत चार प्रमुख क्षेत्रों-ज्ञानात्मक विकास, सैन्य हथियार, द्विपक्षीय सुरक्षा एवं बहुपक्षीय सुरक्षा में सहयोग के विकास हेतु 13 प्रमुख कदम उठाए गए। इन्हीं के आधार पर भारत व अमेरिका के मध्य दूरगामी सुरक्षा एवं सैन्य संबंधों को संस्थागत विकास के साथ-साथ अत्यधिक मजबूती मिली है इनके दूरगामी परिणामों एवं भारतीय विदेश नीति पर इसके प्रभावों को लेकर आलोचनाएं भी हुई, परंतु सरकार द्वारा इस सहयोग को जारी रखने हेतु संशय की स्थिति नहीं दिखाई देती है।

संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 26 जुलाई, 1999 में हुए कारगिल संघर्ष में भारत का समर्थन किया गया। अमेरिका के द्वारा भारत के समर्थन में कुछ बातें भी कहीं गई पाकिस्तान को नियंत्रण रेखा का पालन करना चाहिए तथा उसके द्वारा यह भी कहा गया कि किसी भी सैन्य कार्यवाही द्वारा नियंत्रण रेखा परिवर्तित करने का विरोध किया। समस्या का समाधान द्विपक्षीय रूप में करने का समर्थन किया। भारत तथा अमेरिका के संबंध निरंतर परिवर्तित होते

गए भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेई के द्वारा सितंबर, 2000 में अमेरिका की यात्रा की गई। यह यात्रा 11 दिनों की थी तथा प्रधानमंत्री द्वारा 14 सितंबर को अमेरिकी कांग्रेस के दोनों प्रधानमंत्री द्वारा 14 सितंबर को अमेरिकी कांग्रेस में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया तथा दोनों देशों ने विकास तथा आतंकवाद से लड़ने के लिए भी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा आवाहन किया। भारत और अमेरिका के बीच पारस्परिक आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से दोनों देशों के बीच ऊर्जा, ई-कॉमर्स व बैंकिंग क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए 6 अरब डालर के पांच व्यवसायिक समझौतों पर हस्ताक्षर भी इस यात्रा के दौरान संपन्न हुए।

9 नवंबर, 2001 को अमेरिका के राष्ट्रपति बुश के साथ भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेई की वार्ता व्हाइट हाउस में हुई तथा इसी प्रकार जून 2003 में जी-8 शिखर सम्मेलन बाजपेई की भेंट राष्ट्रपति बुश से हुई। तथा भारत अमेरिकी संबंधों को नई दिशा मिली।

16 जुलाई, 2004 से अमेरिका में काम के लिए दिए जाने वाले वीजा के नवीकरण के लिए कड़े नियम लागू कर दिए गए इन नियमों का प्रभाव भारतीय प्रवासी पर ही पड़ेगा। बराक ओबामा 2009 में अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने डॉ मनमोहन सिंह की मुलाकात अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से लंदन में 2 अप्रैल, 2009 की G-20 देशों की बैठक में हुई। इस अवसर पर डॉ मनमोहन सिंह ने ओबामा से कहा कि भारत और अमेरिका के समान सपने और दृष्टिकोण हैं और दोनों ही देश इस सपने को पूरा करने के लिए मिलकर कार्य करेंगे। ओबामा ने भारत के महत्व की तारीफ की क्योंकि अब यह दुनिया में आर्थिक ताकत बनने की ओर अग्रसर है। तथा साथ ही साथ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा दोनों देशों की अर्थव्यवस्था जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद की चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। दोनों देशों के संबंधों को मजबूत तथा सहयोग प्रदान करने का प्रयास निरंतर हो रहा है।

अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने भारत की यात्रा संपन्न की। भारत के विदेश मंत्री एस एम कृष्णा और अमेरिकी विदेश मंत्री श्रीमती हिलेरी क्लिंटन ने भारत और अमेरिका के बीच एक संवर्धित सामरिक भागीदारी का निर्माण करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की, जिसमें हमारे समय की निर्णायक चुनौतियों का समाधान प्राप्त करने का भी प्रयास किया गया है। उन्होंने भारत और अमेरिका दोनों देशों की जनता, निजी क्षेत्रों और संस्थानों के बीच आर्थिक एवं सामाजिक संघर्षों की सुदृढ़ आधारशिला पर भारत गणराज्य की सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के बीच विद्यमान द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग के तंत्र को मजबूत बनाए जाने पर सहमति व्यक्त की।

पिछली दो भारतीय और अमेरिकी सरकारों के कार्यकाल के दौरान भारत अमेरिकी संबंधों में प्राप्त नई ऊंचाइयों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने संबंधों के तीसरे और ऐसे बदलाव के दौर को जारी रखने की वचनबद्धता व्यक्त की जिसके जरिए 21वीं सदी में वैश्विक समृद्धि और स्थिरता का संवर्धन किया जा सकेगा।[5]

साथ ही साथ प्रतिरक्षा मंत्री प्रणब मुखर्जी की वाशिंगटन यात्रा जिसमें एक दूरगामी समझौते पर हस्ताक्षर की प्रस्तावना थी। अमेरिका के प्रति रक्षा सचिव डोनाल्ड रम्सफेल्ड के साथ एक प्रतिरक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किये। 29 जून को हुए इस समझौते "अमेरिका-भारत प्रतिरक्षा संबंध की नई रूपरेखा" में प्रतिरक्षा के क्षेत्र

में सहयोग को तेज करने के एक 10 वर्षीय कार्यक्रम पर विचार किया गया था, जिसमें, अगर भारत चाहे, एफ-16 और F-18 लड़ाकू विमानों को बेचना भी शामिल था रिपोर्ट थी कि यह बुश प्रशासन के उस वचन के अनुसार था। जिसका उद्देश्य 21 वी शताब्दी में भारत को दुनिया की एक प्रमुख ताकत बनने में मदद करना था।[6]

अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा

6 से 8 नवंबर, 2010 को राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा ने अपनी भारत यात्रा संपन्न की। उन्होंने इस यात्रा के दौरान मेडिकल, विमान, सौदा, ऊर्जा सहयोग, मानसून अनुमान तथा शिक्षा के क्षेत्र में अनेक समझौते किए।[7]

राष्ट्रपति ओबामा द्वारा भारत की सुरक्षा परिषद (UNSC) में पहली बार स्थाई सदस्यता का समर्थन किया गया। साथ ही साथ ओबामा के द्वारा भारत को बढ़ता हुआ देश बताया गया। वर्तमान में भारत की सैन्य शक्ति में भी बढ़ोतरी देखी गई है। भारत विश्व की चौथी सैन्य शक्ति बन गया। राष्ट्रपति के द्वारा 6 नवंबर, 2010 को मुंबई में भारत-अमेरिका व्यापार और उद्यमिता के शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। जिसके बाद उन्होंने 2008 के मुंबई हमलों के शिकार लोगों को श्रध्दांजलि अर्पित की।[8]

जब 26 नवंबर, 2008 को हुए आतंकी हमलों से 166 लोग मारे गए थे जिसमें पाकिस्तानी आतंकियों ने ताज होटल में भी आतंकवादी हमला किया था ओबामा ने भारत की यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका आंतरिक सुरक्षा में सहयोग भारतीय कंपनियों से अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने और भारत में असैन्य परमाणु क्षेत्र में अनुसंधान केंद्र स्थापित करने सहित कई नई पहलुओं पर सहमत हुए। दोनों देशों ने दस अरब डॉलर के समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत की यात्रा संपन्न कर इंडोनेशिया के लिए रवाना हुए।[9]

ओबामा के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका की एशियाई नीति में बदलाव आया तथा भारत के महत्व को कम देखा गया इसलिए अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन के प्रथम दौरे में (2009) भारत को नहीं शामिल किया गया। ओबामा प्रशासन के आउटसोर्सिंग की नीतियों अफगानिस्तान व पाकिस्तान में तालिबान समस्या के समाधान एवं चीन को महत्व देने के कारण ही शायद भारत के साथ संबंध पर ध्यान नहीं दिया गया। भारत ने अमेरिका द्वारा बुलाए गए अफ़ग़ानिस्तान सम्मेलन में भाग नहीं लिया गया यह अमेरिका द्वारा 'पाक-अफगान' नीति का समर्थन करने का कारण ही हो सकता है। 22-26 नवंबर 2009 को भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अमेरिका यात्रा की गई। इस यात्रा से भारत-अमेरिका संबंध मजबूत हुए हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की इस यात्रा से दोनों देशों ने ऊर्जा, सुरक्षा एवं पर्यावरण परिवर्तन के मुख्य समझौते के साथ-साथ कई अन्य मुद्दों पर भी ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए हैं लेकिन भारत-अमेरिका संबंधों में कई राजनीतिक विषयों पर मतभेद की स्थिति देखी जा सकती है।[10]

शीतयुध्द के बाद भारत अमेरिकी संबंधों में निरंतर प्रगति देखी गई। दोनों देशों के मध्य आर्थिक क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है। दोनों देशों के मध्य जहां 1998 में लगभग 11.801 मिलियन अमेरिकी डॉलर था वह अक्टूबर, 2009 तक 31,644 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। इस क्षेत्र में अमेरिका को आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। पूँजीनिवेश के क्षेत्र में अमेरिका की स्थिति महत्वपूर्ण रूप से दिखाई देती है। अमेरिका भारत का एक प्रमुख सहयोग क्षेत्र है। तथा व्यापार के क्षेत्र में दोनों देशों के मध्य अनेक समझौते प्रारंभ से ही हुए हैं। ।[11]

वर्ष 2010 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा के बाद राष्ट्रपति ओबामा ने भारत और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के प्रति जो उत्साह महसूस किया, उसमें धीरे-धीरे कमी देखने को मिली। जुलाई, 2010 में एक द्विपक्षीय आतंकवाद विरोधी पहल पर हस्ताक्षर किए गए। भारत व अमेरिका के बीच सुरक्षा मुद्दों पर बातचीत शुरू हुई और पहली बार, भारत में गृह मंत्रालय और अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग के बीच नियमित संचार हुए वर्ष 2012 में भारत अमेरिका रक्षा संबंधों की देखरेख के लिए उप रक्षा सचिव एश्टन कार्टर को नियुक्त किया गया था। उनके द्वारा दोनों के संबंधों में सुधार करने व कई ऊर्जा और बौद्धिक प्रयास किए गए। उन्होंने शिवशंकर मेनन और भारत के रक्षा संस्थानों के सदस्यों के साथ कार्य किया। कार्टर के द्वारा भारत-अमेरिका संबंधों के लिए उन्नत रक्षा प्रणालियों के लिए कई प्रस्ताव पेश किए तथा कई रक्षा संबंधों के लिए चर्चा शुरू की गई।[12]

मई, 2014 में भारत के नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जनवरी, 2015 को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किये थे तथा वर्ष 2015 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत के लिए यह दूसरी यात्रा थी। ऐसे प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति जिन्होंने दो बार भारत की यात्रा की बराक ओबामा है। अमेरिकी राष्ट्रपति की इस यात्रा का उद्देश्य भारत अमेरिका संबंधों का मजबूत होना था भारत की स्थिति अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण होती देखी जा सकती है। वर्ष 2015 में भारत को अमेरिकी निर्यात 20.5 बिलियन डॉलर या भारत के कुल आयात का 5.2% था अमेरिका से भारत को कई वस्तुएं निर्यात की जाती थी। जिनमें रत्न, मशीनरी, तेल विमान, अंतरिक्ष यान, कार्बनिक रसायन, प्लास्टिक, चिकित्सा, तकनीकी उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, अन्य रासायनिक सामान आदि वस्तुएं निर्यात हुई थी। भारत के लिए अमेरिका दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और अमेरिका के लिए भारत का स्थान व्यापारिक भागीदार के रूप में नौवें स्थान पर है 2017 में, भारत को अमेरिका ने 25.7 बिलियन डालर मूल्य के भारतीय सामानों का आयात किया और 48.6 बिलीयन डॉलर का माल निर्यात किया और 48.6 बिलियन डालर मूल्य के भारतीय सामानों का आयात किया।[13]

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों साथ मिलकर दोनों देशों के नागरिकों के लिए वैश्विक चुनौतियों के समाधान और समृध्दि का निर्माण करने के लिए साथ मिलकर सुदृढ़ व मजबूत नेतृत्व प्रदान करेंगे। भारत व अमेरिका के बीच राजनयिक संबंध अत्यंत पुराने व गहरे हैं। भारत अमेरिका दोनों देशों के मध्य रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने तथा मजबूत करने का संकल्प लिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा यह संकल्प भी किया गया कि आतंकवाद जैसे खतरों को कम करना, भारत-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देना, स्वतंत्र व्यापार और ऊर्जा के क्षेत्र में भी एक दूसरे के सहयोग की बात की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यह भी संकल्प किया गया कि दोनों भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए सहमति व्यक्त की तथा अमेरिका व भारत के प्रयासों द्वारा कई महत्वपूर्ण प्रगति की। राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा भारत के अफगानिस्तान में लोकतंत्र, समृध्दि व स्थिरता तथा सुरक्षा को बनाने वाले योगदान को भी महत्वपूर्ण माना तथा इस विषय पर अफगानिस्तान के लिए दोनों देशों द्वारा मिलकर सहयोग करने की प्रतिबध्दता व्यक्त की। दोनों देशों द्वारा आतंकवाद के विरुध्द कार्य करने की बात की तथा विभिन्न आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध प्रयास करने की बात की। भारत और अमेरिका दोनों देशों के नेताओं अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र व्यापक सम्मेलन(UN

Comprehensive Convention On International Terrorism) के लिए दोनों देशों द्वारा समर्थन किया गया। भारत- अमेरिका द्वारा सामूहिक विनाश हथियारों और उनकी वितरण व्यवस्था के फैलाव और आतंकवादियों और गैर-राज्य सक्रियकों को इस तरह के हथियारों तक पहुंचने से रोक हेतु मिलकर कार्य करने का भी वचन एक दूसरे से लिया। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारत के बीच रक्षा सुरक्षा सहयोग को भी बढ़ावा दिया गया। समुद्री सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए भी दोनों देशों के द्वारा व्हाइट शिपिंग, डाटा साझा करने की व्यवस्था के कार्यान्वयन के लिए अपने लक्ष्य की घोषणा की, जो समुद्री डोमेन जागरूकता को बढ़ाता है तथा मालाबार जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास में भी बढ़ावा दिया गया डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा वैश्विक अप्रसार भागीदारों के रूप में, भारत की प्रारंभिक सदस्यता ऑस्ट्रेलिया समूह, वासीनर व्यवस्था, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह को भी व्यक्त किया गया।

भारत अमेरिका संबंध द्वारा दोनों नेताओं ने व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने व विकास व रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने की भी प्रतिबध्दता व्यक्त की गई। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारत के बीच अनेक वार्ताएं चल रही है। दोनों देश एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना रखते हैं। तथा दोनों देश विभिन्न मुद्दों व चुनौतियों का सामना करने के लिए एक दूसरे की सहायता के लिए प्रतिबध्द हैं दोनों देशों के बीच कई विषयों पर सहमति व्यक्त की गई है। जैसे आतंकवाद के विरुद्ध तथा परमाणु निशस्त्रीकरण तथा विभिन्न मुद्दों पर इन देशों दोनों देशों के बीच सहयोग को वातावरण तैयार है।[14]

भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संबंध निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। इस संबंध को सुदृढ़ता लगातार मिल रही है। अमेरिका के NRG स्टेडियम में हुए हाउडी मोदी कार्यक्रम संपन्न हुआ। जो कि 3 घंटे का था इस दौरान भारतीय प्रधानमंत्री की मुलाकात सीनेटर टेड क्रूज और एक गवर्नर सहित 24 अमेरिकी सांसदों से हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप व प्रधानमंत्री मोदी दोनों ने एक दूसरे के प्रति मित्रता व्यक्त की। इसमें 50,000 से अधिक भारतीय अमेरिकी "हाउडी मोदी"। शेयर्ड ड्रीम, ब्राइट फ्यूचर, इवेंट ह्यूस्टन, टैक्सास, के एनआरजी स्टेडियम में शामिल थे। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां के एनर्जी सेक्टर के सीईओ के साथ मुलाकात की। तथा ऊर्जा के क्षेत्र में भारत व संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर बैठक की तथा दोनों देशों के बीच भारत और अमेरिका ने टेल्यूरियन और पेट्रोनेट के साथ लिक्विफाइड नेचुरल गैस (एलएनजी) के लिए मेमोरेंडम आफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) पर हस्ताक्षर भी किए। भारत और अमेरिका के बीच 5 मिलियन टन अर्थात (50 लाख टन) सालाना एलएनजी के लिए दोनों देशों के बीच एमओयू साइन किया गया टेल्यूरियन और पेट्रोनेट ने इसके लिए ट्रेजेक्शन एग्रीमेंट को मार्च, 2020 तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया इस बैठक के दौरान 16 कंपनियों के सीईओ उपस्थित रहे।[15]

इसी के बाद 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति का भारत में 24 और 25 फरवरी 2020 को आयोजित एक यात्रा कार्यक्रम था। यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत के लिए पहली यात्रा थी। यह कार्यक्रम नरेंद्र मोदी स्टेडियम (तत्कालीन सरदार पटेल स्टेडियम) अहमदाबाद में आयोजित हुआ था जिसमें 100,000 से 125000 प्रतिभागी शामिल थे। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने 5G कनेक्टिविटी, व्यापार सेवा सामान्य मुद्दों को संबोधित किया और 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर में रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए। [1816] इस समय दोनों देशों के बीच व्यापार के क्षेत्र

में, ऊर्जा के क्षेत्र में, सुरक्षा तथा रक्षा संबंध विकसित किए गए। रक्षा के क्षेत्र में भारत और अमेरिका ने 24 MH-60R Seahawk, और छह AH-64E अटैक हेलीकॉप्टरों की खरीद के लिए समझौता किया। तथा इंडोपेसिफिक क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग विकसित करने पर भी प्रतिबध्दता व्यक्त की। तथा क्वाड (QUAD) डायलॉग जिसमें चार देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया सम्मिलित है। उस पर भी जोर दिया गया। तथा आतंकवाद की भी निंदा की तथा आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट रहेंगे।[1917] प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अमेरिका की यात्रा की गई राष्ट्रपति जो बाइडेन (अमेरिकी राष्ट्रपति) और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की। यह यात्रा भारत-अमेरिकी संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी की यह तीन दिवसीय यात्रा थी अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने QUAD SUMMIT में भी हिस्सा लिया विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अंरिदम बागची द्वारा इस यात्रा को ऐतिहासिक करार दिया है। अपनी इस यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल कोविड-19 समिट में संदेश दिया तथा बताया कि कोविड में मदद की तथा अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। इसमें क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टानियों आर ऍमान,अडोबी के शांतनु नारायण, फर्स्ट सोलर के मार्क विडमर, जारेल एटॉमिक्स के विवेक लाल, ब्लैकस्टोन के स्टीफन ए श्वार्जमैन भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी कंपनियों को भारत में निवेश करने का भी आमंत्रण दिया। जिससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत हो सके [18]

वर्तमान समय भारत-अमेरिकी संबंधों के संदर्भ में अनेक प्रयास किए गए हैं जो बाइडेन ने भारत-अमेरिका संबंध को वैश्विक शांति एवं अर्थव्यवस्था के लिए भी अहम माना है अमेरिका की शीर्ष अधिकारी के मुताबिक वस्तुओं एवं सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार तेजी से बढ़ रहा है और 2021 में यह एक 160 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। साथ ही बाइडेन की व्यापार वार्ताकार कैथरीन ताई ने बताया कि मुश्किल मुद्दों पर काम करने के लिए दोनों देश अब बेहतर स्थिति में भी हैं। कैथरीन ताई ने कहा "राष्ट्रपति वाइडन का मानना है कि हमारे दो महान लोकतंत्रो के बीच संबंध वैश्विक शांति, स्थिरता और आर्थिक लचीलेपन के लिए आवश्यक है।"[2119]

जहां कोविड-19 महामारी का प्रभाव विश्व की अर्थव्यवस्था पर अभी भी दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ रूस और यूक्रेन संकट भी विश्व के समक्ष चुनौती बनकर ही आया है। जिसने ईंधन और खाध कीमतों को भी झटका दिया है। लेकिन इन सबसे ऊपर इन चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत व अमेरिका के बीच निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। व्यापार, निवेश और सहयोग भारत-अमेरिका के बीच आर्थिक व वित्तीय संबंधों की साझेदारी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण तत्व है। भारत व अमेरिका के संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए दोनों देशों द्वारा कई प्रयास किए गए हैं आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भी दोनों देशों द्वारा कई समझौते भी किए गए हैं।[20]

भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों का योगदान-

शीतयुध्द के पूर्व में भी भारत-अमेरिका संबंधों को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों का योगदान स्पष्ट दिखाई देता है। शीतयुध्द के बाद भी यह वर्तमान में भी प्रवासी भारतीयों का भारत-अमेरिका संबंध मजबूत करने में स्पष्ट योगदान है। शीतयुध्द के बाद यह प्रगति के पथ पर है। शीतयुध्द के बाद कई प्रवासी भारतीय अमेरिका में रह रहे हैं तथा उन्होंने उल्लेखनीय कार्य भी किए। जिनमें प्रमुख रूप से शिवा सुब्रमण्यम (1990), रजत गुप्ता (1994), भारतीय मूल के गिटार वादक किम थायिल (1994), राज रेड्डी (1994), प्रदीप सिंधु (1996), रोनो दत्ता (1999),

दीपक सी जैन (2001), सांख्यिकी के प्रोफेसर कैल्याणपुड़ी राधाकृष्णन राव को राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू. बुश द्वारा विज्ञान के राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया गया। अभी तलवलकर (2005), एलएसआई कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने (2005), इंदिरा नूई (चेन्नई) को पेप्सीको के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया (2006), विक्रम पंडित (2007), शांतनु नारायण (2009), में प्रीत भरारा, अनीश पाल चोपड़ा, राजीव शाह, सुनील कुमार (2010), देवेंद्र शर्मा (2011), सतीश के त्रिपाठी, एमी बेरा (2012), विस्टाप (2013), अरुण एम कुमार (2013), सत्य नडेला, (2014) विवेक मूर्ति, (2014), राकेश खुराना (2014), सुंदर पिचाई (2015), प्रमिला जयपाल (2016), सीमा वर्मा (2016), अजीत पाई (2017), बलवीर सिंह (2017), अभिजीत बनर्जी, काश पटेल, अरविंद कृष्णा (2020), कमला हैरिस (2021), जो कि उपराष्ट्रपति बनी तथा वर्तमान में पराग अग्रवाल (2021), 2022 में लक्ष्मण नरसिम्हन, श्रुति मियाशिरो (2022), अरुणा मिलर (2022) है। इस प्रकार प्रवासी भारतीयों का भारत-अमेरिका संबंधों को सुदृढ़ करने में विभिन्न क्षेत्र राजनीतिक, आर्थिक, तकनीकी आदि कई क्षेत्रों में योगदान रहा है तथा भारत-अमेरिका संबंधों में काफी घनिष्ठता आई है।[21]

संयुक्त राष्ट्र संघ व भारत-अमेरिका सम्बन्ध–

भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य है। भारत अब तक 2 वर्ष की गैर स्थाई सदस्य सीट के लिए 8 बार निर्वाचित हुआ है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) अमेरिका द्वारा भारत की स्थाई सदस्यता का समर्थन बराक ओबामा द्वारा किया गया। बराक ओबामा के बाद डोनाल्ड ट्रंप, बाइडन द्वारा भी किया गया। भारत वर्तमान में (2021-2022)UNSC का अस्थाई सदस्य है। यह अगस्त महीने के लिए भी अध्यक्ष रहा। पूर्व में भी भारत को दोनों महा शक्तियों अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा क्रमशः वर्ष 1950 और 1955 में (UNCS) में शामिल होने की बात की गई थी।[22]

निष्कर्ष

भारत-अमेरिका संबंधों में शीतयुध्द के बाद कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए वर्तमान दोनों देशों में विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग स्थापित हो रहे हैं। शीतयुध्द के बाद दोनों देशों में सहयोग की वृद्धि हुई है। यद्यपि दोनों देशों के बीच कई मतभेद भी रहे। शीतयुध्द के बाद विश्व में उदारीकरण, वैश्वीकरण तथा भूमंडलीकरण की लहर देखने को मिली जिसका प्रभाव व्यापक रूप से भारत अमेरिकी संबंधों पर पड़ा भारत-अमेरिका संबंधों में जो तनाव शीतयुध्द के समय देखे गए। उनमें भी कमी देखने को मिली भारत द्वारा परमाणु परीक्षण किए गए तथा (CTBT) पर हस्ताक्षर ना किए जाने पर अमेरिका के साथ संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। परंतु शीघ्र ही इनमें परिवर्तन भी देखने को मिला भारत विश्व राजनीति में लगातार बढ़ती हुई स्थिति को प्राप्त कर रहा है। शीतयुध्द के बाद भारत-अमेरिकी संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से कई प्रयास किए गए हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा जिसमें भारत अमेरिका संबंधों में सहयोग देखा गया। इन मतभेदों के बावजूद भी वर्तमान में दोनों देशों के बीच सहयोग में बढ़ोतरी हुई है तथा भारत अमेरिका संबंध शीतयुध्द के समय की स्थिति से अच्छे हुए हैं। यद्यपि भारत अमेरिका संबंधों में काफी महत्वपूर्ण घटनाओं का प्रभाव पड़ा लेकिन कई पक्षों पर अच्छे प्रभाव भी पड़े। भारत में जिस तरह शीतयुध्द के बाद आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया लागू हुई उसका प्रभाव भी भारत की स्थिति पर पड़ा। नई विश्व व्यवस्था में कई विषयों पर भारत

अमेरिकी संबंधों में बदलाव देखने को मिले। सोवियत संघ का विघटन, अमेरिका के पाकिस्तान के साथ सैन्य संबंध से महत्त्व में काफी कमी आई सैन्य एवं आर्थिक क्षेत्रों में लगातार बढ़ते हुए सहयोग से दोनों देशों के बीच तनाव में कमी आई है। वर्तमान में भारत अमेरिका संबंधों में प्रवासी भारतीयों का भी पूर्ण महत्वपूर्ण योगदान रहा है भारत-अमेरिका के बीच सैनिक सहयोग, आर्थिक सहयोग, राजनयिक सहयोग भी हो रहे हैं। भारत की दक्षिण एशिया में भारत की बढ़ती भूमिका को लेकर भी अमेरिका का भारत के प्रति अच्छा दृष्टिकोण है। वर्तमान में G20 में भारत की भूमिका को अमेरिका ने महत्वपूर्ण माना तथा सराहना भी की।

नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का भारत के प्रति अच्छा दृष्टिकोण है। भारत-अमेरिका के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग हो रहा है। परंतु कुछ क्षेत्रों में मतभेद भी है। । भारत के प्रधानमंत्री की 23-25 सितंबर, 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की। इस यात्रा का उद्देश्य भारत-अमेरिका संबंधों को मजबूत बनाना है। साथ ही साथ दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय समझौते पर बल दिया। तथा कोविड-19 और जलवायु परिवर्तन का मिलकर सामना करने की बात की। तथा आतंकवाद के विरुध्द भी कार्य करने की बात की। दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रो मे समझौते हो रहे हैं। भारत-अमेरिका संबंधो में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है।

संदर्भ सूची

1. यादव.आर.एस, *भारत की विदेश नीति*,
2. अमर उजाला, 22 नवंबर 2022
3. जैन, पी.सी, *भारत की विदेश नीति,* एटलांटिक पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स (प्रा.)लि. नई दिल्ली पृष्ठ संख्या- 205
4. सीकरी राजीव, (2017), *भारत की विदेश नीति चुनौती और रणनीति*, SAGE PUBLICATIONS INDIA PVT Ltd. पृष्ठ संख्या- 174 से 175
5. राज, विवेक. एस. (2010), *भारतीय विदेश नीति विगत वर्षों में आजकल और आने वाले वर्षों में*, सिविल सर्विसेस टाइम्स प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या- 376
6. राज, विवेक. एस. (2010), *भारतीय विदेश नीति विगत वर्षों में आजकल और आने वाले वर्षों में*, सिविल सर्विसेस टाइम्स प्रकाशन, पृष्ठ संख्या- 381
7. दत्त, वी.पी, (2013), *स्वतंत्र भारत की विदेश नीति*, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या- 147
8. सिंघल, एस.सी, अंतरराष्ट्रीय संबंध
9. www.aajtak.in – 21.12.2022
10. https://hi.m.wikipedia.org.- 21.12.2022
11. यादव, आर.एस.*भारत की विदेश नीति*, पृष्ठ संख्या- 91
12. Ahmed, Minakshi, *A Matter Of Trust India-US Relations From Truman To Trump*, Harper, Collins Publishers India.

13. https://mea.gov.in-21.12.22
14. https://hi.m.wikipedia.org.21.12.2022
15. https://in.usembassy.gov.21.12.2022
16. https://en.m.wikipedia.org.23.12.22
17. https://dristiias.com- 23.12.22
18. www.jagran.com -23.12.22
19. https://hindi.news 18.com-23.12.22
20. https://www.thehindu.com-18.12.22
21. https://en.wikipedia.org
22. https://dristiias.com

अध्याय-26

उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति के विकास के संदर्भ में केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई प्रमुख नीतियों व व्यवस्थाओं का विवेचनात्मक अध्ययन

दीपाली गुप्ता
शोध छात्रा, बी.एड. / एम.एड.विभाग,
शिक्षा एवं सहबद्ध विज्ञान संकाय,
महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड
विश्वविद्यालय, बरेली (उ.प्र.)

प्रवीण कुमार तिवारी
प्रोफेसर, शिक्षा विभाग (केंद्रीय
शिक्षा संस्थान), दिल्ली
विश्वविद्यालय, दिल्ली

भारत में प्रारंभ से ही अरण्य संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तीन तरह की परंपराएँ भारत में समानांतर रही हैं- नगरीय परंपरा, ग्रामीण परंपरा और आरण्यक परंपरा। तीनों परंपराएँ साहचर्य व्यवस्था का पालन करते हुए परस्पर निर्भर थी। इनमें आरण्यक परंपरा का महत्व इसलिए है, क्योंकि खदानों से खनिज पदार्थ, लोहा, तांबा आदि अयस्क निकालने का कार्य अरण्य में रहने वाले लोग ही करते थे। आश्रम व्यवस्था में वानप्रस्थ तथा संन्यास से संपूर्ण समाज का गहरा नाता रहा है। दूसरा पक्ष यह था कि अरण्य ज्ञान के केंद्र थे। सारे गुरुकुल अरण्यों में ही थे। आम समाज प्राकृतिक संसाधनों की प्राप्ति व लोक कल्याण हेतु प्राचीन काल से ही आरण्यक परम्परा से जुड़ा रहा। जनजातियों का अरण्य से पुराना नाता रहा है। अरण्य में रहने वाली इन जनजातियों को गिरिवासी व वनवासी शब्दों से शास्त्रीय ग्रंथों में संबोधित किया गया है। भारतीय संविधान में उनके लिए अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग किया गया है। अरण्य में रहने वाले लोगों का विदेशी शासन के दौरान व्यापक स्तर पर शोषण हुआ और प्रताड़ित किया गया। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करने वाली थारू जनजाति भी बाकी जनजातियों की तरह विदेशी शासन के दौरान प्रभावित रही। जून 1967 में भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की पाँच जनजाति थारू, बुक्सा, राजी, जौनसारी एवं भोटिया को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया। इनके उत्थान व इन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए केंद्र व राज्य सरकारों की ओर से कई योजनाएँ, नियम, व्यवस्थाएँ चलाई जा रही हैं (सिंह एण्ड सिंह, 2017)। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19 करोड़ 98 लाख 12 हज़ार 3 सौ 41 है; जिसमें उत्तर प्रदेश में कुल 1 लाख, 5 हजार थारू जनजाति के लोग हैं, जो इस प्रदेश की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की 9.3 प्रतिशत है। उत्तराखंड में कुल 91 हजार थारू जनजाति के लोग हैं जो उस प्रदेश की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की 31.3 प्रतिशत है तथा बिहार में कुल 1 लाख, 60 हजार थारू जनजाति के लोग हैं, जो उस प्रदेश की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की 12 प्रतिशत है। (जनजाति विकास विभाग, n.d.)

भारत सरकार द्वारा थारू जनजाति को कतिपय जनपदों में अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है, जिनकी जनसंख्या जनपदवार निम्नवत है-

तालिका 1: उत्तर प्रदेश के जिलों में 10,000 से अधिक जनजातियों की संख्या

उत्तर प्रदेश के जिले	जनसंख्या	जनसंख्या प्रतिशत	पुरुष	महिला	लिंगानुपात
सोनभद्र	385018	36.35	197825	187193	946
बलिया	110114	10.40	56817	53297	938
देवरिया	109894	10.38	54216	55678	1027
कुशीनगर	80269	7.58	41003	39266	958
ललितपुर	71610	6.76	36834	34776	944
लखीमपुर खीरी	53375	5.04	26984	26391	978
वाराणसी	28617	2.70	14992	13625	909
बलरामपुर	24887	2.35	12657	12230	966
मऊ	22915	2.16	11464	11451	999
मिर्ज़ापुर	20132	1.90	10480	9652	921
गोरखपुर	18172	1.72	9261	8911	962
महाराजगंज	16435	1.55	8361	8074	966
सिद्धार्थनगर	12021	1.14	6087	5934	975
बहराइच	11159	1.05	5606	5553	991

(स्रोत: सेन्सस 2011)

तालिका 2: उत्तरप्रदेश में थारू जनजाति की जनसंख्या

क्रम सं.	जिला	जनसंख्या
1	लखीमपुर खीरी	47628
2	बलरामपुर	24030
3	बहराइच	10641

4	श्रावस्ती	4768
5	लखनऊ	4029
6	महाराजगंज	3721
7	उन्नाव	2349
8	राय बरेली	1035
9	पीलीभीत	7090
10	बरेली	335
11	इलाहाबाद	1190
12	गोरखपुर	323
कुल जनसंख्या		**1,05,291**

(**स्रोत:** मिनिस्ट्री ऑफ़ ट्राइबल अफेयर)

तालिका 3: उत्तरप्रदेश में थारु जनजाति की अधिक जनसंख्या वाले प्रखण्ड (जिलावार)

क्रम सं.	**जिला**	**विकास प्रखण्ड**	**जनसंख्या**
1	लखीमपुर खीरी	1. पलिया 2. खीरी नगर 3. निगहासन	47628
2	बलरामपुर	1. पचफ़ेरवा 2. गायश्री	24030
3	बहराइच	1. मिहिनपुरवा 2. बहराइच नगर	10641
4	श्रावस्ती	सिरसिया	4768

(**स्रोत:** मिनिस्ट्री ऑफ़ ट्राइबल अफेयर)

उत्तर प्रदेश में जिला लखीमपुर खीरी, तथा देवी पाटन डिवीजन के जिलों बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती में सर्वाधिक थारू आबादी निवास करती है। उत्तर प्रदेश में जनजाति जनसंख्या (11,34,273) कुल जिले की जनसंख्या (19,19,12,341) (सेंसस ऑफ इंडिया, 2011) का 0.06% है, जिसमें थारू जनसंख्या 1,05,291 है।

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण व सुरक्षा हेतु भारतीय संविधान में वर्णित विशेष अनुच्छेद व अन्य विविध प्रयास:

1. अनुच्छेद 15 (4) में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक हितों को प्रोत्साहन, अनुच्छेद 16(4) में पदों एवं नौकरियों में आरक्षण, अनुच्छेद 19(5) में संपत्ति के मामलों में जनजाति हितों की रक्षा, अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार और बलात श्रम का प्रतिषेध, अनुच्छेद 29 में सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, अनुच्छेद 46 में शिक्षा एवं आर्थिक हितों में वृद्धि के अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 331, 332 और 334 में लोकसभा और विधानसभा में जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। अनुच्छेद 338 द्वारा एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति तथा अनुच्छेद 339 द्वारा इन जनजातियों के कल्याण हेतु एक आयोग का भी गठन किया गया है, जिसका नाम अनुसूचित जनजाति आयोग रखा गया है। (सिंह एण्ड सिंह, 2017)

2. इसके साथ ही अनुसूचित जनजाति के **आर्थिक विकास** के लिए विविध प्रावधान किए गए हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 275 और 339 के अंतर्गत है। संविधान का अनुच्छेद 275 यह कहता है कि राज्यों को संघ से अनुदान दिया जायेगा। जबकि अनुच्छेद 339 अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यक्रमों को बनाने और उन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से संबंधित है। (सिंह एण्ड सिंह, 2017)

3. सरकार द्वारा जनजातियों के कल्याणार्थ विभिन्न **पंचवर्षीय योजनाओं में** भी समुचित व्यवस्था की गई। **केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई गई कुछ अन्य परियोजनाएँ** जिनमें रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों के माध्यम से जनजातियों को शिक्षित, प्रशिक्षित व पथ प्रदर्शित करने हेतु परीक्षा, प्रशिक्षण केंद्र, शिक्षक की व्यवस्था की गई तथा पथ प्रदर्शन केंद्र खोले गए हैं। जनजातियों की सुरक्षा और विकास कार्यों के सफल क्रियान्वयन के लिए सन 1951 में एक जनजाति कल्याण विभाग की स्थापना की भी गयी, जो जनजातियों के कल्याण हेतु नयी संस्थाओं और योजनाओं के माध्यम से प्रयत्नशील है। (सिंह एण्ड सिंह, 2017) प्रधानमंत्री द्वारा जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर 2023 के अवसर पर जनजाति समूह विशेषकर कमजोर जनजाति समूह के लिए निम्नलिखित योजनाएं चलाई गई हैं:

1. **अंतिम मील कल्याण योजना वितरण** (2021)
2. **विकसित भारत संकल्प यात्रा,** स्वास्थ्य मेला, स्वच्छता, उज्ज्वला योजना, एलपीजी सिलेंडर, बिजली कनेक्शन, जैसी बुनियादी कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जनजाति समुदायों को लाभान्वित करने, सुरक्षा प्रदान करने तथा जागरूकता बढ़ाने का एक राष्ट्रव्यापी अभियान है।
3. **पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन योजना)**

   इसका मुख्य उद्देश्य विलुप्त होने वाली जनजाति समूह का पोषण करना तथा उनकी सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षा प्रदान करते हुये उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना है।

4. **प्रधानमंत्री पी.एम.पी. वी.टी.जी. मिशन** (1 फरवरी, 2023): इसका मुख्य उद्देश्य कमजोर जनजाति समूह की सामाजिक, आर्थिक, स्थिति में सुधार करना है। इसके अंतर्गत बुनियादी सुविधाएं जैसे सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, पोषण, शिक्षा, सड़क, दूरसंचार कनेक्टिविटी, और स्थाई आजीविका आदि के विकास को ध्यान में रखा जाता है। (प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया, 2018)

अन्य सरकारी पहल:

1. **ट्राईफेड** (1987-88): यह एजेंसी जनजाति उत्पाद विशेषकर लघु वन उत्पाद (गैर लकड़ी वन उत्पाद, बांस, बेंत, चारा, पत्ते, गोंद, मोम, डाई, रेजिन, कई प्रकार के भोजन, नट व जंगली फल, लाख टसर, शहद), कला और शिल्प वस्तुओं की खरीद व विपणन के लिए है।

2. **जनजाति स्कूलों का डिजिटल परिवर्तन:** इस योजना के माध्यम से जनजाति क्षेत्र के विद्यालयों में डिजिटल सुविधा का विकास होगा।

3. **प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना** (2024): इस योजना का लक्ष्य एक करोड़ घरों की छत पर सोलर प्रणाली का विकास है जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों की बिजली बिलों में कटौती कर ऊर्जा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। ऊर्जा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से संचालित यह योजना जनजाति क्षेत्रों के लिए भी बहुत लाभप्रद है।

4. **प्रधानमंत्री वन धन योजना या संकल्प से सिद्धि पहल** (14 अप्रैल 2018)

5. **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) 2006:** इस योजना का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण लोगों को 100 दिन काम करने का अधिकार प्रदान करना है, जिसका लाभ जनजाति क्षेत्र के लोग भी उठा रहे हैं।

6. एकलव्य मॉडल स्कूल (1997-98): इसका लक्ष्य है कि ग्रामीण जनजाति क्षेत्रों में रहते हुए भी वहाँ के जनजाति बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें।

7. आश्रम स्कूल: उत्कृष्ट आवासीय सुविधा के साथ नि:शुल्क शिक्षा की उपलब्धता।

राज्य द्वारा विशेष केंद्रीय सहायता प्राप्त योजनाएँ:

1. अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत केंद्र से अनुदान मिलने की व्यवस्था
2. आदिवासी जनजातीय समूह (पी.टी.जी.) के विकास की योजना
3. जनजाति अनुसंधान केंद्र
4. शिक्षा सहायता अनुदान
    1. अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों/ लड़कों हेतु छात्रावास की व्यवस्था
    2. शिक्षा हेतु बेहतर आवासीय योजना (छात्रावास योजना जो तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुई)
    3. आश्रम विद्यालय (1990)
    4. लड़कियों के बीच शिक्षा का सुदृढ़ीकरण: जेंडर आधारित योजना

- अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति (1944-45)
- अनुसूचित जनजाति के छात्रों का प्रतिभा उन्नयन
- अनुसूचित जनजाति के लड़के/लड़कियों के रहने हेतु छात्रावास (1989-90)
- राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना (2005-2006) (सोशल वेलफ़ेयर, n.d.)
- राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना (2007-08) (सोशल वेलफ़ेयर, n.d.)
- अत्याचार से उत्पीड़न के आधार पर अनुसूचित जनजाति परिवारों को भारत सरकार की अधिकारिक नियमावली के तहत 85,000 रुपये से लेकर 8,25,000 रुपये तक की सहायता
- अनुसूचित जनजातियों की उन छात्राओं को शिक्षा हेतु प्रोत्साहन देने के लिए के लिए यूनिफार्म एवं साईकिल योजना चलाई गयी है, जो विभाग द्वारा संचालित आश्रम पद्धति विद्यालय या अन्य किसी आवासीय विद्यालयों में नहीं पढ़ती हैं।
- विवाह अनुदान योजना के तहत 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता (प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया, 2018)
- पॉकेट प्लान तथा प्रिमिटिव ग्रुप योजना (1980-81)
- अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान
- अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग
- जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र

थारू जनजाति के संदर्भ में विशेष नीतियाँ:

1. **यूपी सरकार की जनजाति पर्यटन योजना:**
   - जनजातीय गांवों को पर्यटन मानचित्र पर लाना
   - थारू जनजाति की संस्कृति को बढ़ावा देना
2. **होमस्टे योजना:**
   - थारू गांव को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना।

3.थारू जनजाति अप योजना (1982 - 83):

- थारूओं को जीविका की तलाश में पलायन करने से रोकने व पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मददगार।
- सर्वप्रथम गोंडा व बलरामपुर में इसकी शुरुआत हुई।
- वर्तमान में लखीमपुर जनपद में चलाई जा रही है।

- भूमि व जल संरक्षण द्वारा भूमि कटानों को रोकना।
- भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाकर खेती के लिए उपयोगी बनाना।
- थारूओं को जीविका की तलाश में पलायन करने से रोकने व पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मददगार। (कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश, n.d.)

4. **हर घर जल योजना:**

- प्रत्येक घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना तथा पुराने तकनीक से वर्षा जल का पुनः प्रयोग करना।
- महिलाओं को जल स्वच्छ करने के तरीके से अवगत कराकर, प्युरिफ़ाइंग किट प्रदान करके उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना (एचटी. संवारदाता, 2023)।

चुनौतियाँ:

सरकार द्वारा थारूओं के कल्याण और उत्थान के लिए अनेक योजनाएँ चलाई जा रही हैं। कुछ प्रस्तावित भी हैं। किंतु चलाई गई योजनाएँ पर्याप्त सिद्ध नहीं हो रही हैं। वर्तमान समय में थारू जनजाति विकास के दौड़ में काफी पीछे हैं, जिसका प्रमुख कारण अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली, पेयजल, सड़क जैसी आधारभूत सुविधाओं का अभाव तथा क्रियान्वयन की विविध समस्याएँ हैं। पहाड़ व वनों से आच्छादित थारू बाहुल्य गाँव नेपाल बॉर्डर से जुड़े होने के बाद भी आधारभूत सुविधाओं और अवसरों के दौर से वंचित हैं। उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को देखें तो वह बहुत अच्छी नहीं है। सामाजिक रूप से सामानता व समता के अवसरों से थारू जनजाति बहुत पीछे है। अभी भी ज्यादातर लोग झोपड़ी में रह रहे हैं। यद्यपि सरकार इस संबंध में अनवरत प्रयास कर रही है कि उन्हें आवश्यक सुविधाएँ प्राप्त हों। उनके क्षेत्रों में सिंचाई के लिए अभी भी विविध चुनौतियाँ हैं। आधुनिक रूप से खेती करने के उपकरण, मशीन आदि भी पर्याप्त मात्रा में उनके पास उपलब्ध नहीं हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बने हैं किंतु डॉक्टर की कमी होने के कारण तथा डॉक्टर को पर्याप्त सुविधा न मिलने के कारण स्थितियाँ चुनातीपूर्ण हैं। (हिन्दी न्यूज़, बलरामपुर, n.d.) इसलिए वहाँ पर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बहुत ही ज्यादा है। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो छात्रों के लिए इंटर कॉलेज की कमी है और जो आवासीय विद्यालय एकलव्य और आश्रम स्कूल खुले हैं उनमें शिक्षकों की भारी कमी है। कुछ आश्रम और एकलव्य विद्यालय तो ऐसे हैं जो चालू हालत में नहीं हैं। सोनभद्र और ललितपुर में विद्यालयों को अब तक खोला नहीं जा सका है। सरकार के विविध प्रयासों के बाद भी स्थिति चुनौतीपूर्ण है। थारु क्षेत्र के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की स्थिति निम्नवत है:-

तालिका 4: एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की क्रियाशीलता

क्रम सं.	जिला	प्रखण्ड	गाँव	विद्यालय का नाम	अनुमोदन का वर्ष	कार्यात्मक स्थिति

1.	लखीमपुर खीरी	चंदन चौकी	सौनहा	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, सौनहा	1997-98	क्रियाशील
2.	बहराइच	महीनपुरवा	भोजिया	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, भोजिया	2010-11	क्रियाशील
3.	ललितपुर	बार	बानपुर	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, बानपुर	2016-17	अक्रियाशील
4.	सोनभद्र	चोपन	पीपरखण्ड	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, पीपरखण्ड	2010-11	अक्रियाशील

स्रोत: https://emrs.tribal.gov.in/index.php?lang=1

तालिका 5: उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का विकास सूचकांक

क्रम सं.	**विकास सूचकांक**	**अनुसूचित जनजाति (भारत में)**	**अनुसूचित जनजाति (उत्तर प्रदेश में)**	**थारू जनजाति (उत्तर प्रदेश में)**
1	साक्षरता दर (2011)	58.96 %	55.7 % 67.1 % (पु.) 43.7 % (स्त्री.)	54.6 % 66.3 % (पु.) 42.5 % (स्त्री.)
2	लिंगानुपात (2011)	990	952	961
3	बाल लिंगानुपात (0-6 वर्ष) (2011)	957	944	959

(स्रोत: सेन्सस 2011)

थारू जनजाति क्षेत्र में सड़कों की समुचित व्यवस्था के अभाव में तथा जंगली जानवरों के ख़तरे के कारण शिक्षकों की विद्यालयों में उपस्थिति कम रहती है। कई स्थानों पर शिक्षक संविदा पर नियुक्त होने के कारण उदासीन रवैया अपनाते हैं। इसके अतिरिक्त थारू जनजाति क्षेत्र के जिला मुख्यालय से सुदूर जंगलों के बीच बसे होने के कारण भी शिक्षा अधिकारियों के अनवरत आवागमन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे शिक्षा विभाग के कार्यों में भी तेजी

नहीं दिखती। साथ ही इस क्षेत्र में माता-पिता का शिक्षा के प्रति उदासीन रवैया, शिक्षा का माध्यम, स्कूल में आधारभूत सुविधाओं की कमी, जनजाति परिवारों की आर्थिक स्थिति, नामांकन दर में कमी, अपव्यय और अवरोधन, ड्राप आउट आदि ऐसे अनेक कारण हैं जो उनके विकास में बाधा उत्पन्न कर चुनौतियों को और अधिक बढ़ा रहे हैं।

सुझाव:

थारू जनजाति क्षेत्रों के गाँवों में आधारभूत सुविधाओं का विकास आवश्यक है, इसके अभाव में शैक्षिक विकास संभव नहीं हो सकेगा। *'डिजीटल डिवाइड'* कम करने हेतु गाँव-गाँव तक ऑप्टिकल फ़ाइवर को पहुँचाने की व्यवस्था भी आवश्यक है, इसके अभाव में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों के विद्यार्थी आधुनिक तकनीकी ज्ञान से वंचित रह जाएँगें। इन क्षेत्रों में शिक्षा के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो, जिससे कि पलायन रुके। वहाँ रोज़गार के लिए कुटीर उद्योग खोले जाने की सुविधा हो तथा उनको उचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाए तथा उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को विक्रय करने की सुविधा भी दी जाए। थारू समुदाय के लिए प्रदर्शनी व मेले का समय-समय पर आयोजन किया जाए। प्रशासन और स्थानीय कार्यकर्ता उनके उत्पादों का विक्रय करवाने में उनकी मदद करें। जिस तरह से 25 नवंबर 1998 को बलरामपुर रोड स्थित महाराजगंज में जयप्रभा मॉडल गाँव की स्थापना की गई थी, जहाँ एक ही जगह विद्यालय, बैंक, आईटीआई, आरा मिल, आयुर्वेदिक दवाखाना, चवन्यप्राश बनाने के केंद्र, औषधि वनस्पतियों की खेती, प्रशिक्षण केंद्र तथा विक्रय के लिए डेकोरेटिव सामान आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की गई थी। इसी मॉडल गाँव की तर्ज पर ऐसे ही थारू गाँवों में जहाँ थारू जनसंख्या अधिक है, विकास कार्य किए जाएँ। इसके अतिरिक्त अच्छे बाज़ार, यातायात सुविधाएँ और वित्तीय सुविधाएँ भी विकसित किए जायें। आवागमन के लिए अच्छी सड़कें बनवायी जाएँ। शैक्षिक स्तर बढ़ने के लिए शिक्षकों के लिए बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू की जाए। शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए पढ़े-लिखे व उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों को भी अतिरिक्त समय में थारू समुदाय को शिक्षित करने हेतु प्रयास करना चाहिए। थारू लोग शारीरिक रूप से बहुत क्षमतावान होते हैं, अतः उनकी ऊर्जा को खेलों की तरफ मोड़ा जा सकता है। इस हेतु सरकार को खेल परिसर, कोच की सुविधा, खेलों के सामान आदि के माध्यम से उनका उत्साहवर्धन करना चाहिए। खेलों के चुनाव हेतु युवाओं की जागरूकता के लिये और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए विविध व्यवस्थाएँ व परामर्शन कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। आम जनमानस को भी परिवारभाव के साथ थारू जनजाति के विकास के लिए पहल करनी चाहिए।

संदर्भ सूची

1. जनजाति विकास विभाग. (n.d.). विभागीय योजनायें. Retrieved दिसम्बर 17, 2020, from https://uptdd.gov.in/hi/article/departmental-schemes
2. एचटी संवारदाता. (2023, अप्रैल 03). हर घर जल योजना श्रावस्ती में थारू की मदद कर रही हैं. हिन्दुस्तान टाइम्स. https://www-hindustantimes-com.translate.goog/cities/lucknow-news/jal-jeevan-mission-s-har-ghar-jal-brings-clean-water-and-job-opportunities-to-tharu-women-in-bankati-village-shravasti-101680541068666.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=hi&_x_tr_hl=hi&_x_tr_pto=tc

3. कृषि विभाग उत्तरप्रदेश. (n.d). थारू जनजाति उपयोजना-कृषि विभाग उत्तर प्रदेश सरकार. https://upagripardarshi.gov.in/StaticPages/TharuTribe-hi.aspx
4. हिन्दी न्यूज़ बलरामपुर. (n.d.). थारू बाहुल्य गावों को हैं विकास का इंतज़ार. जागरण. https://www.jagran.com/uttar-pradesh/balrampur-15494384.html
5. प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया: मिनिस्ट्री ऑफ़ ट्राइबल अफेयरस. (2018, मार्च 20). सेवरल स्कीम बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाई दा गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ दा ट्राइबल पापुलेशन इन दा कंट्री. न्यूज़ साईट. https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=177721
6. सोशल वेलफेयर. (n.d.). इन विकासपीड़िया. सरकारी योजनायें. https://hi.vikaspedia.in/social-welfare/%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A5%81%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%9A%E0%A4%BF%E0%A4%A4-%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A4%BF-%E0%A4%95%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A3/%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%8F%E0%A4%82
7. पीआईबी दिल्ली. (n.d.). स्टैण्डर्ड ऑफ़ रेज़ीडेशियल स्कूल फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, Retrieved मार्च 15, 2021, from https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1704860
8. सिंह, वी., एंड सिंह,. एस,. के. (2017). "थारू जनजाति अर्थव्यवस्था एवं समाज" ए०एस०आर० पब्लिकेशन सरोजनीनगर, लखनऊ
9. https://emrs.tribal.gov.in/index.php?lang=1

अध्याय-27

भारत में जनजाति विकास: सिद्दी समुदाय के विशेष परिप्रेक्ष्य में

मनीष कर्मवार
सहायक प्रोफ़ेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय, अफ़्रीकी अध्ययन विभाग

स्मिता
शोधार्थी, दिल्ली विश्वविद्यालय, अफ़्रीकी अध्ययन विभाग

भारत में 700 से अधिक अधिसूचित अनुसूचित जनजातियाँ हैं, जो भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% बनाती हैं। लेकिन भारत की एक अनोखी जनजाति है जिसकी अफ़्रीकी पूर्वजीय पृष्ठभूमि है और जो मोज़ाम्बिक और इथियोपिया जैसे वर्तमान देशों से आई थी जो पूर्वी अफ़्रीकी तट पर स्थित है। हिन्द महासागर भारत और अफ़्रीका के संबंधों की एक सतत विकसित होती कहानी कहता है जो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं के साथ शुरू हुई थी, अर्थात् सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया। मेलुहा का अर्थ बताता है कि भारतीय व्यापारी पश्चिम में हिन्द महासागर के साथ जुड़े तट पर मौजूद थे। प्राचीन काल से ही भारत और अफ़्रीका व्यापार में लगे हुए थे, लेकिन जब छठी शताब्दी में अरबों और बाद में सत्रहवीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने हिन्द महासागर व्यापार मार्ग पर नियंत्रण कर लिया, उन्होंने दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया में अफ़्रीकी मूल के लोगों को बेचना शुरू कर दिया। परिणामस्वरूप, राजाओं और जमींदारों द्वारा लाए गए अफ़्रीकी उनके घरों में रहे और घरेलू कामों से लेकर बॉडीगार्ड के रूप में विभिन्न कर्तव्यों का पालन किया। पूर्णिमा भट्ट लिखती हैं कि अफ़्रीकी मूल के लोगों को ईमानदारी और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता था। इब्न बतूता ने उन्हें 'सुरक्षा के गारंटर' के रूप में संदर्भित किया था। वे भारत व्यापारी, यात्री और नाविक के रूप में आए, साथ ही विभिन्न कामों के लिए निर्भर दास भी थे। अफ़्रो-भारतीय समुदाय छठी शताब्दी से भारत में गुजरात, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, हैदराबाद आदि राज्यों में रह रहा है। भारत में, उन्हें सिदी, सिद्धि, सिद्धि बादशाह, और हब्शी जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। यह भारत की एकमात्र प्रवासी जनजाति है जिसे एक अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना में 19,514 के रूप में दर्ज की गई है। हालांकि, जनसंख्या का आकार बहुत बड़ा है, लगभग 40,000-50,000 के बीच। वे ऐतिहासिक समय में भारतीय समाज का अभिन्न हिस्सा रहे हैं, और उन्होंने राजनीतिक और सामाजिक ऊपरी गतिशीलता हासिल की है जहां उन्होंने जनरल और कमांडर से लेकर जंजीरा और सचिन राज्य के सम्राट के रूप में महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। समुदाय ने ब्रिटेन द्वारा दासता उन्मूलन अधिनियम पारित किए जाने के डर से वापस अफ़्रीका भेजे जाने के भय से पश्चिमी घाट के घने जंगलों में प्रवास किया। अचानक प्रवास से समुदाय के विकास में बाधा उत्पन्न हुई, क्योंकि वे मुख्यधारा के समाज और विकास प्रक्रिया से अलग-थलग पड़ गए थे। हालांकि, सरकार लगातार समुदाय के उत्थान के लिए काम कर रही है। उदाहरण के लिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन केंद्रीय समुद्री मत्स्य पालन अनुसंधान संस्थान समुदाय के कौशल विकास के लिए काम कर रहा है, उन्हें मछली पकड़ने और कांटेदार लॉबस्टर के सतत उत्पादन के लिए खुले पिंजरे की तकनीक में प्रशिक्षित कर रहा है। लक्षित

विकास की प्रक्रिया 1956 में शुरू हुई जब सौराष्ट्र की सरकार ने समुदाय को उसकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के आधार पर 'अनुसूचित जनजाति' के रूप में मान्यता दी और अन्य पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए शुरू की गई लाभार्थी योजनाओं में शामिल किया। बाद में 1982 में, जनसंख्या वृद्धि दर में स्थिरता और बहुआयामी गरीबी के कारण, गुजरात ने उन्हें कुछ जिलों में पीवीटीजी (प्राइमिटिव और वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स)के रूप में मान्यता दी। 1987 में, भारत सरकार ने समुदाय की शारीरिक शक्ति को पहचाना और विशेष क्षेत्र खेल कार्यक्रम शुरू किया और भारत के विभिन्न हिस्सों से सिद्दी बच्चों का चयन किया। उन्हें विभिन्न खेलों में प्रशिक्षित किया गया और उन्हें मुफ्त में आवास और शिक्षा प्रदान की गई। 2003 में, उत्तर कन्नड़ में रहने वाले सिद्दी समुदाय को कर्नाटक की 50वीं अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई थी। सिद्दी समुदाय की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए, सरकार ने जंगलों में सिद्दी केंद्रित क्षेत्रों में मतदान केंद्रों की स्थापना की ओर काम किया है, 2019 में कर्नाटक के गरडोली गांव में एक बूथ स्थापित किया गया था। हाल ही में, श्री शांतराम सिद्दी को कर्नाटक में एमएलसी के रूप में नामांकित किया गया था, और श्रीमती हिरबाईबेन इब्राहिम लोबी (महिला विकास फाउंडेशन की अध्यक्ष) को महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए उनके काम के लिए चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म श्री से सम्मानित किया गया। ऐसे विकास से संकेत मिलता है कि समुदाय को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पहचान मिल रही है। इसके अतिरिक्त, सिद्दी संस्कृति और इसकी लोककथाओं की वकालत और जागरूकता के लिए, कर्नाटक लोककला विश्वविद्यालय सिद्दी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले पाठ्यक्रमों को शामिल करने की दिशा में काम कर रहा है। भारत सरकार ने कर्नाटक और गुजरात के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले एफ्रो-भारतीय समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया और विस्तारित किया है ताकि वे भारत सरकार द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। आदिवासी बच्चों के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) अब सिद्दी बच्चों के लिए सुलभ हैं, लेकिन दूरी के कारण बच्चे आमतौर पर ड्रॉप आउट कर जाते हैं। समुदाय को शिक्षा की आवश्यकता का एहसास है, फिर भी बालिका अभी भी घरेलू कार्यों में बंद है, जिसके लिए समुदाय को जागरूक करने की आवश्यकता है।

यहाँ सिद्दी समुदाय के लिए संविधानिक सकारात्मक कार्यों का क्रमानुसार विवरण दिया गया है:

क्रम संख्या	पहल	कार्यान्वयन का वर्ष	परिणाम
1.	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1956	अधिनियम संख्या 63, 1956 25 सितंबर 1956	विभिन्न SC/ST समूहों को संविधान में शामिल करने के लिए अधिनियम था, और सिद्दी को सौराष्ट्र राज्य में एक अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई थी।
2.	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति	29 अक्टूबर 1956	राज्य पुनर्गठन के बाद, सिद्दी समुदाय को बॉम्बे के जिलों हालार, मध्य सौराष्ट्र, ज़लावाद, गोहिलवाड़ और सौरथ में एसटी के रूप में मान्यता दी गई थी।

क्रम संख्या	पहल	कार्यान्वयन का वर्ष	परिणाम
	आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1956		
3.	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976	सितंबर 1976	सिद्दी समुदाय को गुजरात के जिलों अमरेली, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, राजकोट, और सुरेंद्रनगर में एसटी के रूप में मान्यता दी गई थी।
4.	प्राइमिटिव और वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स (PVTGs)	1982	गुजरात ने समुदाय की सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि को पहचाना और इसे अमरेली, भावनगर, जूनागढ़, पोरबंदर, और राजकोट जिलों में अपने PVTGs में से एक के रूप में मान्यता दी।
5.	गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987	9 जुलाई 1987	गोवा, दमन और दीव ने सिद्दी समुदाय को सिद्दी (नायका) के रूप में पांचवीं प्रविष्टि के तहत अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी।
6.	सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय, संकल्प	6 दिसंबर 1999	कर्नाटक की केंद्रीय OBC सूची में सिद्दी समुदाय को जोड़ा गया।
7.	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002	8 जनवरी 2003	गुजरात की अनुसूचित जनजाति सूची की प्रविष्टि 26 में 'बादशाह' शब्द जोड़ा गया और इसे सिद्दी बादशाह बनाया गया। दूसरी ओर, कर्नाटक ने समुदाय को उत्तर कन्नड़ जिले में प्रविष्टि 50 के तहत अनुसूचित जनजाति के रूप में प्रारंभिक मान्यता दी।
8.	सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय, संकल्प	28 जुलाई 2017	कर्नाटक राज्य के OBC की केंद्रीय सूची में एक संशोधन किया गया, जिसमें सिद्दी समुदाय को OBC के रूप में मान्यता दी गई, सिवाय उत्तर कन्नड़ जिले में निवास करने वाले सिद्दी समुदाय के।
9.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश संशोधन, 2020	20 मार्च 2020	सिद्दी समुदाय की मान्यता उत्तर कन्नड़ के साथ बेलगावी और धारवाड़ जिलों तक विस्तारित की गई।

सिद्दी समुदाय के लिए काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन (NGOs): NGOs वे सिविल सोसायटी का हिस्सा होते हैं जो लोगों की समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए देखते हैं। NGOs समुदाय के उत्थान के लिए काम करते हैं। गुजरात और कर्नाटक में एफ्रो-भारतीय समुदाय के लिए NGOs साझा उद्देश्यों और लक्ष्यों के साथ काम कर रहे हैं। जैसे कि बच्चों की शिक्षा, कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण शैक्षिक संस्थानों के सक्रिय सहयोग से, सांस्कृतिक संरक्षण और जागरूकता, महिला सशक्तिकरण और रोजगार सृजन आदि। NGO Darpan के अनुसार, गुजरात (9374) और कर्नाटक (11377) में लगभग 20751 गैर-सरकारी संगठन काम कर रहे हैं। नीचे गुजरात और कर्नाटक में सिद्दी के लिए काम कर रहे कुछ NGOs की सूची दी गई है, हालांकि उनमें से अधिकांश को NGO Darpan पोर्टल में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। गुजरात में, महिला विकास फाउंडेशन, भारतीय आदिम मत्स्योद्योग मंडली, आदि NGOs कौशल विकास, रोजगार सृजन और महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। इसी तरह, कर्नाटक में विभिन्न संगठन अस्तित्व में आए हैं जैसे कि कनारा वेलफेयर ट्रस्ट, ऑल-कर्नाटक सिद्दी डेवलपमेंट एसोसिएशन (1984), और सिद्दी जन विकास संघ (2013) जो कर्नाटक में सिद्दी समुदाय के सदस्यों को एकजुट करने और एकीकृत विकास के सामान्य लक्ष्य पर केंद्रित हैं (जैराजभॉय और एल्पर्स, 2004)। उन्होंने बच्चों की शिक्षा के लिए काम किया और समुदाय के विकास के लिए खेलों के महत्व के बारे में बात की। सिटीजन्स' कमिटी फॉर सोशल जस्टिस और ऑल्टरनेटिव लॉ फोरम (ALF) एक ऐसा संगठन है जो कानूनी मार्गों के माध्यम से सिद्दी लोगों के भूमि अधिकारों की वकालत के लिए काम कर रहा है। यह संगठन झूठे आरोप लगाए गए लोगों के लिए काम कर रहा है, जिनमें से एक महत्वपूर्ण मामला बेनेट सिद्दी का था, जो सिद्दी जन विकास संघ के नेता थे। व्यक्ति पर सिंडिकेट बैंक के मैनेजर द्वारा ऋण का भुगतान न करने का झूठा आरोप लगाया गया था (शेख और काजी, 2014)। संगठन ने बैंक के खिलाफ मामला दर्ज किया और लड़ा और बेनेट सिद्दी को एक सप्ताह की जेल के बाद रिहा कर दिया गया। दोनों संगठन मिलकर भूमि अधिकारों, उत्पीड़न और अत्याचारों के खिलाफ लड़ रहे हैं। ब्रिजेस ऑफ स्पोर्ट्स एक ऐसा संगठन है जो मानता है कि खेल सिद्दी समुदाय के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक वैकल्पिक तरीका है और सिद्दी बच्चों के खेल प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसका एकमात्र उद्देश्य भारत में सबसे तेज एथलीटों का उत्पादन करने वाली एक हाइपरलोकल खेल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है ताकि वे ओलंपिक खेलों में प्रदर्शन कर सकें और देश के लिए पदक जीत सकें (ब्रिजेस ऑफ स्पोर्ट्स, 2023)। संगठन एफ्रो-भारतीय समुदाय के बच्चों का चयन करता है और उन्हें कर्नाटक में सिद्दी बच्चों के लिए एक आवासीय प्रशिक्षण शिविर-सह-स्कूल के माध्यम से विकसित होने का अवसर देता है। यह संगठन मानता है कि विशेष क्षेत्र खेल योजना के पुनरुद्धार से समुदाय के सामाजिक-आर्थिक उत्थान में मदद मिल सकती है। प्रेमदा नक्षत्र आश्रम और स्नेह सदन वे संगठन हैं जो सिद्दी बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं और न्यूनतम लागत पर भोजन और आवास के साथ आवासीय स्कूल प्रदान करते हैं (शेख और काजी, 2014)।

अनिता आर. रेड्डी एक कला इतिहासकार हैं जो कर्नाटक में कवंडीस के पुनरुद्धार और सिद्दी महिलाओं के रोजगार के लिए काम कर रही हैं। कवंडी तकनीक में बहु-रंगी पैचवर्क की सिलाई शामिल है, क्षेत्रीय रूप से कंबलों को कवंड या कवांडीस कहा जाता है। कवांडी की कला अद्वितीय और आवश्यक है क्योंकि यह पुराने कपड़ों का उपयोग करके रजाई के शून्य-अपशिष्ट सतत निर्माण को बढ़ावा देती है और महिलाओं को उनकी कृतियों को बेचने के लिए

प्रोत्साहित करती है। जैकी सिद्दी 1987 में भारतीय खेल प्राधिकरण की विशेष कार्रवाई खेल योजना के तहत चुने गए उम्मीदवारों में से एक थे, उन्होंने भारत का राष्ट्रीय मंच पर प्रतिनिधित्व किया, लेकिन योजना के अचानक खत्म होने से बच्चे प्रभावित हुए, क्योंकि उन्हें अपनी ट्रेनिंग और शिक्षा के बीच में छोड़ दिया गया और वे अपने गांवों में लौट आए। लेकिन जैकी सिद्दी ने प्रशिक्षण प्राप्त किया और वर्षों तक खेला। बाद में उन्होंने खेल कोटा के तहत एक सरकारी नौकरी ली और बिना किसी बाहरी फंडिंग के अपने समुदाय के विकास के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी तनख्वाह खर्च कर रहे हैं। उन्होंने 'सिद्दी ऑर्गेनिक हनी' ब्रांड विकसित किया है, समुदाय के सदस्यों को मधुमक्खी पालन में नियुक्त किया है और भारत भर में उत्पाद बेच रहे हैं। वे कमला बाबू सिद्दी, एंथोनी फिलिप सिद्दी और अन्य के साथ सिद्दी बच्चों को फुटबॉल का प्रशिक्षण देने में काम कर रहे हैं। सरकारी और गैर-सरकारी संगठन समुदाय के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि, अभी भी बहुत कुछ किया जाना है क्योंकि समुदाय अभी भी वन क्षेत्र में रहता है, हालांकि 2006 का वन अधिकार अधिनियम क्षेत्र में विस्तारित किया गया है जिससे आदिवासी जनसंख्या को कुछ अधिकार दिए गए हैं। फिर भी, प्रतिबंध उनके जीवन को प्रभावित करते हैं, और वे टिकाऊ जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं। चूंकि वन अब आरक्षित क्षेत्रों का हिस्सा हैं, इसलिए खेती, लकड़ी काटने और बेचने और पशुपालन को व्यापक रूप से बाधित किया गया है। ऐसी स्थितियों में, हमें समुदाय के लिए रोजगार के अवसर विकसित करने की आवश्यकता है। पुश और पुल कारकों को समझने और कुशलतापूर्वक संभालने की आवश्यकता महत्वपूर्ण है। शैक्षिक संस्थानों, स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे जैसे अस्पतालों और औषधालयों, और सीमित आर्थिक अवसरों की कमी जैसी मूलभूत सुविधाएं किसी भी समुदाय के लिए पुश कारक के रूप में काम करती हैं, और एफ्रो-भारतीय समुदाय भी इन पुश कारकों से प्रभावित हुआ है। जिसके लिए वे विभिन्न शहरों और कस्बों में पलायन करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। कस्बों ने एक बेहतर जीवन के लिए जानी जाने वाली चीजों को अपनाया है, जैसे कि आर्थिक अवसर, राजनीतिक स्थिरता, स्वतंत्रता, और गुणवत्तापूर्ण जीवन, जो एक चुंबक की तरह काम करता है और युवाओं को आकर्षित करता है। ऐसे असंतुलित गांव से शहर के पलायन को संभालने के लिए, हमें जेबों में बुनियादी ढांचे का विकास करने की आवश्यकता है, ताकि समुदाय को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा मिल सके। क्योंकि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता और समानता आपस में संबंधित और जुड़ी हुई हैं।

एफ्रो-भारतीय बच्चों के प्रशिक्षण के लिए विशेष क्षेत्र खेलों को पुनः आरंभ किया जाना चाहिए, वे पहले से ही विभिन्न NGOs द्वारा प्रशिक्षित किए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें सरकार द्वारा भी पहचाना और समर्थित किया जाना चाहिए। सरकार को कार्यक्रम की नियमित निगरानी के लिए समितियां बनानी चाहिए, जो लोगों के जीवन में नीति द्वारा किए गए प्रभाव और परिवर्तनों का आकलन करने और मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक है, और मूल्यांकन के आधार पर नीति को संशोधित करना चाहिए। सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों ने उनके उत्थान के लिए काम किया है और उनकी स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। फिर भी, यह महत्वपूर्ण है कि माना जाए कि समुदाय अभी भी विकास की कमियों का सामना कर रहा है जिन्हें हल किया जाना है, जिसके लिए सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के सहयोगी उद्यम का विस्तार बेहतर अवसरों के लिए आवश्यक है। यह समझना आवश्यक है कि समुदाय के जीवन स्तर मानकों के अनुरूप नहीं हैं। यह अभी भी बहु-आयामी गरीबी से पीड़ित है, जिसे सरकार, गैर-सरकारी

संगठनों और व्यक्तिगत प्रयासों द्वारा सामूहिक रूप से संभाला जाना चाहिए। इस प्रकार, सार्वजनिक और निजी उद्यमों के बीच कार्यात्मक और प्रभावी सहयोग के साथ सामूहिक प्रयासों की तीव्र आवश्यकता है ताकि समुदाय के उत्थान के लिए काम किया जा सके। सिद्दी समुदाय को एफ्रो-भारतीय समुदाय के रूप में भी संदर्भित किया जाता है, जो भारत का प्रवासी समुदाय है जो छिटपुट रूप से रहता है लेकिन गुजरात और कर्नाटक में उच्च सांद्रता में है। समुदाय की जड़ें अफ्रीका में हैं, फिर भी उनकी आकांक्षाएँ और पहचान भारतीय हैं। वे विविध भारतीय संस्कृति और समाज के अभिन्न हिस्से के रूप में उभरे हैं, जो प्रत्येक को इसकी संस्कृति की विविधता के साथ एकीकृत करता है। एफ्रो-भारतीय समुदाय का अस्तित्व और उत्तरजीविता उनकी लचीलापन और वीरता को प्रदर्शित करती है और यह भी वासुदेव कुटुम्बकम के प्राचीन विचार और भारत की समावेशिता को परिभाषित करती है। इसके अतिरिक्त, समुदाय का अफ्रीका के साथ वंशानुगत संबंध होने के कारण भारत और अफ्रीका के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को स्थापित करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, विशेष रूप से जब भारत के प्रधानमंत्री ने अफ्रीकी संघ को महत्वाकांक्षी ग्रुप 20 में शामिल करने का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे यह G21 बन गया।

संदर्भ सूची

1. अली, ओ. एच. (2003). The African Diaspora in the Indian Ocean World.
2. बंद्योपाध्याय, एस. (2010). Exclusion To Empowerment: Women Of The Siddi Community In Gujarat. In What Works for the Poorest?
3. भट्ट, पी. एम. (2018). The African Diaspora in India: Assimilation, Change and Cultural Survival (1st ed.). India: Routledge. doi:https://doi.org/10.4324/9781315148380
4. भट्टाचार्य, डी. के. (1970). Indians of African Origin. Cahiers d'Études Africaines, 10(40), 579–582. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/4391096
5. ब्रिजेज ऑफ स्पोर्ट्स. (2023). Bridges of Sports. Retrieved from Bridgesofsports.org: https://www.bridgesofsports.org/
6. CMFRI. (2013, April 13). Empowerment of Sidi tribals of Gujarat through cage mariculture. CMFRI Newsletter, 137, pp. 8-9.
7. CMFRI. (2020). Live lobster market chains improve livelihoods of tribal communities. CMFRI Newsletter, 165(April - June). Retrieved from http://eprints.cmfri.org.in/id/eprint/14702

8. दक्खन हेराल्ड (2022, December 18). Karnataka Higher Education dept rejects proposal for tribal varsity. Retrieved from Deccan Herald: https://www.deccanherald.com/state/top-karnataka-stories/karnataka-higher-education-dept-rejects-proposal-for-tribal-varsity-1172941.html

9. जैराजभॉय, ए. सी., & अल्पर्स, ई. ए. (Eds.). (2004). Sidis and Scholars: Essay on African Indians. Rainbow Publishers.

10. प्रताप, आर. (2023, January 18). Anitha N Reddy: How this Art Historian is Reviving Siddi Quilts. Retrieved from 30stades: https://30stades.com/art-culture/anitha-n-reddy-art-historian-reviving-siddi-quilts-kavands-culture

11. रॉबिन्स, के. एक्स., & मैकलिओड, जे. (2006). African elites in India. Mapin Publishing.

12. शेख, पी. ए., & काज़ी, डी. एस. (2014). Strategic Inclusion of An Excluded Tribal Community: A Case Study. Research Journal of Philosophy & Social Sciences (RJPSSS), 40(2).

13. श्रॉफ, बी. (2015, March). Juje Jackie Siddi: "Barefoot Entrepreneur" of Haliyal, Uttara Kannada. Journal of African Diaspora Archaeology and Heritage, 4(1), 50-71. doi:10.1179/2161944114Z.00000000022

14. ट्राइबल विकास विभाग. (2024). Particularly Vulnerable Tribal Groups. Retrieved from Gujarat.gov.in: https://tribal.gujarat.gov.in/particularly-vulnerable-tribal-groups

अध्याय-28
विश्व मानवाधिकार दिवस: भारतीय परिपेक्ष

गणेश मल्होत्रा
सामरिक एवं क्षेत्रीय अध्यन विभाग,
जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, सार्वभौमिक मानवाधिकारों की घोषणा की 75 वीं वर्षगांठ के अवसर पर विश्व मानवाधिकार दिवस, 10 दिसंबर 2023 को मानवाधिकार 75 (एचआर 75) नामक एक मील का पत्थर उत्सव मनाएगा जिसके तीन मुख्य लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारों के नेतृत्व में सार्वभौमिकता, प्रगति और जुड़ाव पर केंद्रित हैं। 1914-1945 के मध्य की अल्पावधि में दो-दो विश्व युद्धों की विभीषिका में लाखों निर्दोषों के जीवन और धान-धान्य को निगलने की बीभत्स स्थिति ने विश्व समुदाय को यह सोचने के लिए विवश किया कि वैश्विक स्तर पर एक ऐसी सर्व सहमति बने जिसके अंतर्गत देश, क्षेत्र, धर्म, लिंग , भाषा जैसी पहचानों से ऊपर उठकर सम्पूर्ण मानव जाति के मौलिक अधिकारों और सम्मान की रक्षा सुनिश्चित हो सके।10 दिसंबर, 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक उद्घोषणा की थी । 4 दिसंबर, 1950 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक पूर्ण सत्र में, एक प्रस्ताव (423 [5]) पारित किया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों और किसी अन्य इच्छुक संगठनों को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक उद्घोषणा की तिथि 10 दिसंबर, 1948 को एक वार्षिक उत्सव के रूप में मनाने के लिए आमंत्रित किया गया और यह निर्णय लिया गया कि इस ऐतिहासिक तिथि की वर्षगांठ पर प्रति वर्ष इसका आयोजन किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के उसी प्रस्ताव के अनुरूप प्रति वर्ष 10 दिसंबर को "विश्व मानवाधिकार दिवस" विश्व भर में मनाया जाता है।

मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय द्वारा मानवाधिकारों की घोषणा का विश्व की 500 से अधिक भाषाओं में अनुवाद संग्रह और विश्व भर में वितरण किया जा चुका है जिसके लिए उसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। मानव अधिकारों को बनाए रखने के प्रयास के एक विशेष पहलू की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए हर वर्ष एक विषय चुना जाता है । विषयों में मनुष्य मनुष्य के बीच भेदभाव समाप्त करना, गरीबी से लड़ना और मानवाधिकारों के उल्लंघन के पीड़ितों की रक्षा करना सम्मिलित है । वर्ष 2023 में "सभी के लिए गरिमा, स्वतंत्रता और न्याय" विषय को चुना गया है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 1968 जिसे संयुक्त राष्ट्र ने "मानवाधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष" घोषित किया है , के बाद से संगठन समय-समय पर मानवाधिकार दिवस पर मानवाधिकारों के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने लोगों और संगठनों को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित करता है। घोषणा के 30 अनुच्छेदों में मानवों के व्यक्तिगत अधिकारों के लिए एक नींव रखी गई है जिन्हें विश्व भर में संधियों, क्षेत्रीय निकायों और राष्ट्रीय कानूनों में सम्मिलित किया गया है। इस कार्यक्रम समारोह में, उच्चायुक्त द्वारा मानव अधिकारों पर एक वैश्विक चर्चा भी सामाजिक मीडिया वेबसाइटों के माध्यम से आयोजित की जाती है।

मानव परिवार के सदस्यों में अंतर्निहित गरिमा और सभी के समान और अहरणीय अधिकारों की मान्यता संसार में स्वतंत्रता, न्याय और शांति की नींव है। मानवाधिकारों की उपेक्षा और अवमानना के परिणामस्वरूप बर्बर कृत्य हुए हैं, जिससे मानव जाति के विवेक पर अत्याचार हुआ है, और एक ऐसी दुनिया का आगमन हुआ है जिसमें मनुष्य को बोलने और विश्वास की स्वतंत्रता और अभाव तथा भय से मुक्ति का आनंद प्राप्त होगा और जिसे आम लोगों की सर्वोच्च आकांक्षा के रूप में घोषित किया गया है।

संयुक्त राष्ट्र ने मौलिक मानवाधिकारों, मानव व्यक्ति की गरिमा और मूल्य तथा पुरुषों और महिलाओं के समान अधिकारों में अपने विश्वास की पुष्टि की है और व्यापक स्वतंत्रता में सामाजिक प्रगति और जीवन के बेहतर मानकों को बढ़ावा देने के लिए कृतसंकल्प हैं।

सदस्य राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग, मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के लिए सार्वभौमिक सम्मान को बढ़ावा देने और प्राप्त करने का वचन दिया है।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा में भारत का योगदान

सामाजिक दर्शन के एक अंग के रूप में मानवीय गरिमा और अधिकारों के प्रति सम्मान लंबे समय से भारतीय लोकाचार में विद्यमान रहा है। यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि जब सार्वभौमिक घोषणा का प्रारूप तैयार किया जा रहा था तब भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं बल्कि ब्रिटिश उपनिवेश था। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इस घोषणा का प्रारूप तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, विशेष रूप से लैंगिक समानता को प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। भारत छह प्रमुख मानवाधिकार अनुबंधों और बच्चों के अधिकार अभिसमय के दो वैकल्पिक संधियों का भी हस्ताक्षरकर्ता है।

भारतीय संविधान की स्थापना से ही मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में गणना किए गए अधिकांश अधिकारों को संविधान के दो भागों-मौलिक अधिकार और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के माध्यम से सार्वभौमिक घोषणा के लगभग सभी विषयों को शामिल कर लिया गया था।

मानव अधिकारों का पहला समूह जो कि सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 2 से 21 को भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के रूप में अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इनमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, कुछ कानूनों की बचत और संवैधानिक उपचार का अधिकार सम्मिलित हैं।

घोषणा के अनुच्छेद 22 से 28 में प्रतिपादित अधिकारों का दूसरा समूह संविधान के राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इनमें ' सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, काम का अधिकार, रोजगार का मुक्त विकल्प, काम की न्यायपूर्ण और अनुकूल परिस्थितियां और बेरोजगारी के विरुद्ध सुरक्षा, समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार, मानवीय गरिमा के योग्य अस्तित्व का अधिकार, आराम और अवकाश का अधिकार, समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में स्वतंत्र रूप से भाग लेने का अधिकार, स्वतंत्र और

अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना, समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता और राज्य द्वारा अपनाई जाने वाली नीति के सिद्धांत सम्मिलित हैं।

भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की स्थापना 12 अक्टूबर, 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अंतर्गत की गई थी।

मानवाधिकार क्यों महत्व रखते हैं?

1: मानव अधिकार लोगों को भोजन, कपड़े, और आश्रय, चिकित्सा और शिक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास करता है

2. मानव अधिकार शक्ति के दुरुपयोग से कमजोर समूहों की रक्षा करता है

3: मानव अधिकार लोगों को कानूनी/सामाजिक दुर्व्यवहार और भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होने की अनुमति देता है

4: मानव अधिकार क्रूर प्रतिशोध के डर के बिना भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करता है

5: मानव अधिकार लोगों को अपने धर्म का अभ्यास करने की स्वतंत्रता देता है

6: मानव अधिकार लोगों को अपनी पसंद के व्यक्ति से प्यार करने और उससे विवाह करने की अनुमति देता है

7: मानव अधिकार समान काम के अवसरों को प्रोत्साहित करता है

8: मानव अधिकार लोगों को शिक्षा के अवसरों तक पहुंच प्रदान कराता है

9: मानव अधिकार स्वच्छ हवा, स्वच्छ मिट्टी, और स्वच्छ पानी के अधिकार सहित पर्यावरण की रक्षा करता है

10. मानव अधिकार एक सार्वभौमिक मानक प्रदान करते हैं जो सरकारों को उत्तरदायी ठहराता है।

यद्यपि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा विधिक रूप से एक अ-बाध्यकारी संकल्प था किन्तु अब इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रथागत विधि का स्थान प्राप्त हो गया है जिसे राष्ट्रीय और अन्य न्यायपालिकाओं द्वारा उचित परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि मानवाधिकारों के प्रावधानों ने लाखों लोगों को सत्ता के दुरुपयोग से बचाने और सम्मानजनक जीवन व्यतीत करने में बहुत योगदान दिया है लेकिन साथ ही मानवाधिकारों की अपर्याप्तता के भी अनेकों दृष्टांत सामने आए हैं।

और फिर भी इस निष्कर्ष से बचना कठिन है कि सरकारें दण्ड के साथ मानवाधिकारों का उल्लंघन करती रहती हैं, उग्रवादियों और शरारती तत्वों को आम लोगों और सशस्त्र बलों की तुलना में बेहतर सुरक्षा मिलती है, महिलाएं दुनिया के लगभग सभी देशों में एक अधीनस्थ वर्ग बनी हुई हैं, बच्चे इतने सारे देशों में खानों और कारखानों में काम करते रहते हैं, लाखों लोगों को अभी भी दो समय की रोटी से वंचित किया जाता है, लोगों को मात्र अलग आस्था /विश्वास का पालन करने के लिए मारा जा रहा है और यह सूची को कभी समाप्त होती नहीं दिखती।

विश्व भर में व्याप्त इन स्थितियों के दृष्टिगत पूरे मानवाधिकार व्यवस्था की आधारशिला और इसकी प्रयोज्यता की सार्वभौमिकता की गंभीर समीक्षा की आवश्यकता है।

वास्तव में, हमारे वर्तमान समाज की अधिकांश राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक, कानूनी, सांस्कृतिक और यहां तक कि धार्मिक संस्थाएं भी ' अधिकारों ' को , न केवल परिभाषित करने के लिए बल्कि अपने अस्तित्व को ' वैधानिक ' भी ठहराने के लिए प्रमुख अवधारणा के रूप में प्रयोग करती हैं । हमारी समकालीन दुनिया के सामने प्रमुख समस्याओं का मूल कारण इस अधिकार केंद्रित विश्व दृष्टिकोण में निहित है ।

यह दृष्टिकोण मनुष्य को "छोटे देवताओं" के रूप में मानता है जिसे ' अधिकार ' एक पूर्ण रूप में निरपेक्ष शक्ति' के तरह मिले हुए हैं जिसका वह अपने साथी प्राणियों या समाज के विरुद्ध अपने युद्ध में रक्षा हथियारों के रूप में प्रयोग कर सकता है। परिणामस्वरूप , व्यक्तिगत अहंकार ने सामुदायिक भावना का अतिक्रमण कर दिया है और मानवता- नस्लों , वर्गों, संस्कृतियों, लिंग, समूहों, व्यवसायों, धर्मों और विचारधाराओं के गुटों में विभाजित हो गई है। पूरी मानवता के सिद्धांतों को प्रदान करने वाली एकता खो जाती है और मनुष्य एक एकाकी व्यक्ति के रूप में उभरा है, जिसका बड़ी वास्तविकता जिसे 'प्रकृति' कहते है , के साथ कोई भावनात्मक संबंध नहीं है। इस स्थिति का एक उच्च स्तरीय समाधान, इस अधिकार केंद्रित विश्व-दृष्टिकोण के स्थान पर दायित्व या कर्तव्य केंद्रित विश्व-दृष्टिकोण द्वारा लेने के अतिरिक्त कुछ नहीं है, जो यह मानता है कि ' दायित्व ' न कि ' अधिकार ' मानव वास्तविकता को समझने के लिए मौलिक धारणाएं है । भारत ने संविधान में अनुच्छेद 51 (ए) को मौलिक कर्तव्यों के रूप में डालकर इस दिशा में आगे बढ़ाया।

प्राचीन हिंदू ज्ञान ने मौलिक सत्य को अनुभव किया कि विभिन्न अधिकारों की प्रकृति और स्थिति आवश्यक रूप से प्रकृति और कर्तव्यों की विधा के अनुरूप है जिससे वे प्राप्त होते हैं । कर्तव्य केंद्रित अधिकारों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऋण (देनदारी), यज्ञ (बलिदान) और पुरुषार्थ (मनुष्य के कर्तव्यों) की धारणा का विकास किया गया । तीन ऋणों, तीन गुणों, पांच यज्ञों, चार पुरुषार्थ(-चार बुनियादी लक्ष्य) की धारणा की विस्तृत योजना में अभिन्न रूप से बुना गया है ।

अधिकारों के बारे में भारतीय परिप्रेक्ष्य की योग्यता लोकप्रिय लक्ष्यों के लिए अनैतिक अधिकारों को शामिल करने की संभावना पर प्रभावी अंकुश करने के सिद्धांतों पर आधारित है और प्रथम दृष्टया अनैतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अनुमति के रूप में इसका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है ।

मानव अधिकारों के पश्चिमी दृष्टिकोण का स्रोत साइरस सिलेंडर (539 ईसा पूर्व में साइरस द्वारा बेबीलोन की विजय के मिट्टी के बने बेलनों पर खुदे शाही आदेश के शिलालेख) को माना जाता है। मानव अधिकारों के विचार के आरंभिक चिह्न 4000 से अधिक वर्षों पुराने माने जाते हैं। लुकमैन हरेस के शब्दों में, "साक्षर समाजों के अधिकारों और दायित्वों के बारे में लिखने के आरंभिक प्रयास 4000 वर्षों से भी अधिक पुराने हम्मुराबी के बेबीलोन संहिता में मिलते हैं । यह संहिता, बाइबल के पुराने और नए नियम, कन्फ्यूशियस के ग्रंथ , कुरान और हिंदू वेद, ये पांच सबसे पुराने लिखित स्रोत हैं जो लोगों के कर्तव्यों, अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रश्नों को संबोधित करते हैं।

समानता की धारणा, जो मानवाधिकार की घोषणा के मेरुदंड (रीढ़ की हड्डी) के समान है, हिन्दू ऋग्वेद में विधिवत पाई जाती है।

अज्येस्थासो अकानस्थासा येते

सैम भ्रातारो वावरुधुह सौभाग्याः

- ऋग्वेद, मंडल-5, सूक्त-60, मंत्र-5

' कोई भी श्रेष्ठ या अवर नहीं है; सभी भाई हैं; सभी को सभी के हित के लिए प्रयास करना चाहिए और सामूहिक रूप से प्रगति करनी चाहिए।

अथर्व वेद में भोजन और पानी के अधिकार जैसे मानवाधिकारों का भी प्रावधान का उल्लेख है।

समानी प्रपा सह वोऽन्नभागः समाने योक्त्रे सह वो युनज्मि ।

सम्यञ्चो अग्नि सपर्यतारा नाभिमिवाभितः ॥

हे समानता की कामना करने वाले मनुष्यों ! आपके जल पीने के स्थान एक हों तथा अन्न का भाग साथ साथ हो। हम आपको एक ही प्रेमपाश में साथ-साथ बाँधते हैं। जिस प्रकार पहियों के अरे नाभि के आश्रित होकर रहते हैं, उसी प्रकार आप सब भी एक ही फल की कामना करते हुए अग्निदेव की उपासना करें।

-अथर्व वेद – सामनस्य सूक्त

मा पसंदनैगमा श्रेनि पूगव्रत गणदिशु"

संरक्षित संयम राजा दुर्ग जनपद तथा"

"राजा को वेद पालकों (नैगमाओं) के साथ-साथ भिन्न-विश्वासियों और अन्य लोगों के संघों को भी राज्य की सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए" (नारद स्मृति, धर्म कोष)

नव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, में प्रसन्न रहने के अधिकार के बारे में कहा गया है , बृहद आरण्यक उपनिषद में आदि काल से विद्यमान है

सर्वे भवन्तु सुखिनः

सर्वे संतु निरामया

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु

मा कश्चिद् दुख भाग भवेत "

"सभी प्रसन्न रहें, सभी स्वस्थ रहें, सबका भला हो, किसी को भी कोई दुख ना रहे।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी सुख का अधिकार पर जोर दिया गया है।

प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां तु हिते हितम् ।

नात्मप्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम् ॥

"प्रजा की खुशी में राजा की खुशी निहित है; उनके कल्याण में उनके कल्याण। राजा इस बात पर विचार नहीं करेगा कि जो स्वयं को अच्छा समझता है; जो कुछ भी उसकी प्रजा को प्रसन्न करता है वह केवल उसके लिए अच्छा है "

इसी प्रकार नारद स्मृति, हिंदुओं के प्रमुख ग्रंथों में से एक , राजा को अलग आस्थाओं के लोगों की भी रक्षा करने का आदेश देती है।

"

प्राचीन हिंदू ग्रंथों में न केवल मानवाधिकारों पर विचारों के तत्व दिए गए हैं बल्कि साथ ही साथ कर्तव्यों पर भी विशेष बल देते हैं। अधिकार और कर्तव्य का यह व्यापक भारतीय दृष्टिकोण निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के सिद्धांत को विकसित और समृद्ध करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। पाश्चात्य व्यवस्था में आज भी हमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं मिलता है, जबकि मौलिक अधिकारों की भरमार है और कर्तव्य तथा अधिकार के बीच असंतुलन विश्व की अनेकानेक समस्याओं के मूल में है ।

संदर्भ:

हैरिस एल (2012) द मिराज ऑफ डिग्निटी ऑन हाइवे ऑफ ह्यूमन 'प्रोग्रेस'- बायस्टैंडर के नजरिए से, ऑथर हाउस

फ़्लड , गविन डी (1996) हिंदू धर्म का परिचय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय प्रेस, 1996,

पाणिकर आर (1989) इज ह्यूमन राइट्स एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ? एक हिंदू/जैन/बौद्ध रेफलेक्सन्स

शर्मा, अरविंद (2004) हिंदू धर्म और मानवाधिकार, एक वैचारिक दृष्टिकोण, नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस

अध्याय-29

हरित शासन सुनिश्चित करने में मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) की भूमिका

मो मुकर्रम बदर खान
शोध छात्र,
राजनीति विज्ञान विभाग,
जामिया मिल्लिया इस्लामिया,
नई दिल्ली-110025

शमीना खान
शोध छात्रा,
राजनीति विज्ञान विभाग,
जामिया मिल्लिया इस्लामिया,
नई दिल्ली-110025

शकूर बशीर
शोध छात्र,
राजनीति विज्ञान विभाग,
जामिया मिल्लिया इस्लामिया,
नई दिल्ली-110025

मिशन लाइफ (LiFE- Lifestyle For Environment) नवंबर 2021 में ग्लासगो में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP26) में भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। यह पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामुदायिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए भारत के नेतृत्व वाला एक वैश्विक जन आंदोलन है। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई को लोकतांत्रिक बनाता है, जिसमें हर कोई अपनी-अपनी क्षमताओं से योगदान दे सकता है।5 जून 2022 को, विश्व पर्यावरण दिवस पर, भारत ने लाइफ वैश्विक आंदोलन शुरू करके लाइफ के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया, दुनिया भर के शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और स्टार्ट-अप को विशिष्ट और वैज्ञानिक तरीकों के बारे में सोचने के लिए आमंत्रित किया जिसमें सामूहिक कार्रवाई की पूरी क्षमता हो। पर्यावरणीय संकट से निपटने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। यह मिशन पी3 मॉडल यानी प्रो प्लैनेट पीपल की भावना को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि यह 'ग्रह की जीवन शैली, ग्रह के लिए और ग्रह द्वारा' के बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित है। चक्राकार अर्थव्यवस्था की वकालत करते हैं जहां 'कम करें, पुन: उपयोग करें और पुनर्चक्रण' की अवधारणा विकास, आर्थिक विकास और स्थिरता के बीच संतुलन बनाने में मदद कर सकती है।

मिशन लाइफ एक जीवनशैली आंदोलन है जो पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण में मदद करने के लिए स्थायी जीवन पद्धतियों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। यह व्यक्तियों को अपने दैनिक जीवन में जागरूक विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित करता है जो उनके पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हैं, जैसे अपशिष्ट को कम करना, ऊर्जा का संरक्षण करना और पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों का समर्थन करना, बहते पानी के नल को बंद करना, कार्यालय जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना आदि।मिशन लाइफ हर किसी को पर्यावरण का ट्रस्टी बनाता है। ट्रस्टी वह व्यक्ति होता है जो संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग की अनुमति नहीं देता है। एक ट्रस्टी एक पोषक के रूप में काम करता है न कि एक शोषक के रूप में। मिशन के लॉन्च के साथ, नासमझ और विनाशकारी उपभोग द्वारा शासित प्रचलित "उपयोग-और-निपटान" अर्थव्यवस्था को एक परिपत्र अर्थव्यवस्था द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, जो सचेत और जानबूझकर उपभोग द्वारा परिभाषित है।

मिशन लाइफ को 2022 से 2027 की अवधि में पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक कार्रवाई करने के लिए कम से कम एक अरब भारतीयों और अन्य वैश्विक नागरिकों को एकजुट करने के

लिए डिज़ाइन किया गया है। मिशन लाइफ एक जीवनशैली आंदोलन है जो सुरक्षा में मदद करने के लिए स्थायी जीवन प्रथाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। पर्यावरण को सुरक्षित रखें. यह व्यक्तियों को अपने दैनिक जीवन में जागरूक विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित करता है जो उनके पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हैं, जैसे अपशिष्ट को कम करना, ऊर्जा का संरक्षण करना और पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों का समर्थन करना, बहते पानी के टेप को बंद करना, कार्यालय में सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना आदि।

मिशन लाइफ का उद्देश्य लोगों को प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने के लिए प्रेरित और सशक्त बनाना और सभी के लिए अधिक टिकाऊ भविष्य बनाना हैI यह एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, यह एक सामूहिक प्रतिबद्धता भी है जो हर व्यक्ति से शुरू होती है। यह हमारे दैनिक जीवन में छोटे-छोटे बदलावों की शक्ति को पहचानने के बारे में है जो सामूहिक रूप से हमारे पर्यावरण पर एक बड़ा प्रभाव डालते हैं।यह बेकार की आदतों को विवेकपूर्ण विकल्पों से बदलने के लिए कार्रवाई का आह्वान है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे पारिस्थितिकी तंत्र की जीवन शक्ति सुनिश्चित करता है।

भारत में पर्यावरणीय चुनौतियाँ- एक संक्षिप्त विवरण

भारत को कई पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो इसके पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता और सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। भारत में कुछ प्रमुख पर्यावरणीय चुनौतियाँ शामिल हैं:

1. वायु प्रदूषण: भारत में दुनिया के कुछ सबसे प्रदूषित शहर हैं, जहां उच्च स्तर के कण पदार्थ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड श्वसन संबंधी बीमारियों और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनते हैं। स्विस वायु गुणवत्ता निगरानी निकाय, IQAir द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत को 2023 में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद तीसरा सबसे प्रदूषित देश घोषित किया गया था।

2. जल प्रदूषण: औद्योगिक निर्वहन, अनुपचारित सीवेज और कृषि अपवाह ने नदियों, झीलों और भूजल स्रोतों को दूषित कर दिया है, जिससे लाखों लोगों के लिए पानी की कमी और स्वास्थ्य जोखिम पैदा हो गया है।

3. वनों की कटाई: कृषि, शहरीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बड़े पैमाने पर वनों की कटाई के कारण निवास स्थान की हानि, जैव विविधता में गिरावट और मिट्टी का क्षरण हुआ है, जिससे पारिस्थितिक तंत्र और वन्य जीवन को खतरा है।

4. जलवायु परिवर्तन: भारत जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति संवेदनशील है, जैसे चरम मौसम की घटनाएं, समुद्र के स्तर में वृद्धि और मानसून पैटर्न में बदलाव, जिससे कृषि, जल संसाधन और तटीय क्षेत्र प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए, चमौली भूस्खलन, मुंबई बाढ़ आदि जैसी घटनाएं।

5. अपशिष्ट प्रबंधन: अपर्याप्त अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं के परिणामस्वरूप लैंडफिल, सड़कों पर कूड़ा-कचरा भर जाता है, और भूमि और जल निकायों का प्रदूषण होता है, जिससे पर्यावरण और स्वास्थ्य जोखिम पैदा होता है।

6. जैव विविधता का नुकसान: आवास विनाश, अवैध शिकार और आक्रामक प्रजातियों के कारण भारत में जैव विविधता में गिरावट आई है, पौधों और जानवरों की प्रजातियां खतरे में हैं और पारिस्थितिक तंत्र बाधित हो रहा है।

7. भूमि क्षरण: मृदा क्षरण, मरुस्थलीकरण, और अस्थिर भूमि उपयोग प्रथाओं ने कृषि योग्य भूमि का क्षरण किया है, जिससे कृषि उत्पादकता और खाद्य सुरक्षा प्रभावित हुई है।

इन पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार, व्यवसायों, समुदायों और व्यक्तियों के समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। इन चुनौतियों को कम करने और भारत के लिए अधिक टिकाऊ भविष्य बनाने के लिए सतत संसाधन प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण उपाय, संरक्षण पहल, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन रणनीतियाँ और सामुदायिक भागीदारी आवश्यक हैं।

मिशन लाइफ और ग्रीन गवर्नेंस - क्यों

मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) और हरित शासन दोनों पहल स्थायी जीवन पद्धतियों और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं।जबकि मिशन लाइफ पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए व्यक्तिगत जीवनशैली में बदलाव पर ध्यान केंद्रित करता है, ग्रीन गवर्नेंस स्थिरता को बढ़ावा देने और पर्यावरण की रक्षा में सरकारी नीतियों और विनियमों के महत्व पर जोर देता है।

साथ में, ये पहलें पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान में व्यक्तिगत कार्यों और सरकारी नेतृत्व दोनों को प्रोत्साहित करके अधिक टिकाऊ भविष्य बनाने की दिशा में काम करती हैं। व्यक्तिगत स्तर पर टिकाऊ जीवन को बढ़ावा देने और सरकारी स्तर पर मजबूत पर्यावरण नीतियों की वकालत करने के प्रयासों को मिलाकर, मिशन लाइफ और ग्रीन गवर्नेंस पर्यावरण के लिए सकारात्मक बदलाव लाने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं।

जब स्थिरता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की बात आती है तो मिशन लाइफ और ग्रीन गवर्नेंस वास्तव में गेम चेंजर हैं। व्यक्तिगत कार्यों और सरकारी नीतियों दोनों पर ध्यान केंद्रित करके, इन पहलों में हमारे ग्रह पर महत्वपूर्ण प्रभाव पैदा करने की क्षमता है।मिशन लाइफ व्यक्तियों को टिकाऊ जीवनशैली विकल्प चुनने के लिए सशक्त बनाता है, जैसे अपशिष्ट को कम करना, ऊर्जा का संरक्षण करना और पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों का समर्थन करना। इन प्रथाओं को व्यापक रूप से अपनाने को प्रोत्साहित करके, मिशन लाइफ समुदायों के समग्र पर्यावरणीय पदचिह्न को कम करने और अधिक टिकाऊ भविष्य में योगदान करने में मदद कर सकता है।

दूसरी ओर, हरित शासन मजबूत पर्यावरणीय नीतियों और विनियमों की वकालत करता है जो स्थिरता का समर्थन करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करते हैं और जलवायु परिवर्तन को कम करते हैं। सरकारी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को प्रभावित करके और नीति स्तर पर हरित पहल को बढ़ावा देकर, हरित शासन सतत विकास के लिए एक रूपरेखा तैयार कर सकता है और दीर्घकालिक पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित कर सकता है।

मिशन लाइफ-21वीं सदी की पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने के लिए छोटे-छोटे कदम

मिशन लाइफ, जो पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए स्थायी जीवन शैली विकल्पों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, में विभिन्न रणनीतियों और दृष्टिकोणों के माध्यम से लोगों के बीच स्वीकृति हासिल करने की क्षमता है। यहां कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे मिशन लाइफ को व्यक्तियों द्वारा अपनाया जा सकता है:

1. शिक्षा और जागरूकता: टिकाऊ जीवन के महत्व और पर्यावरण पर व्यक्तिगत कार्यों के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना महत्वपूर्ण है। स्थिरता, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं के लाभों पर शिक्षा प्रदान करने से लोगों को अधिक टिकाऊ जीवन शैली अपनाने की आवश्यकता को समझने में मदद मिल सकती है।

2. समुदायों को शामिल करना: टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने वाले समुदाय-आधारित पहल और अभियान बनाना सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा दे सकता है और लोगों को एक साथ सकारात्मक बदलाव करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। सामुदायिक कार्यक्रम, कार्यशालाएँ और स्थिरता पर केंद्रित गतिविधियाँ मिशन जीवन में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के लिए एक सहायक नेटवर्क बनाने में मदद कर सकती हैं।

3. व्यावहारिक समाधान प्रदान करना: दैनिक जीवन में स्थायी प्रथाओं को लागू करने के लिए व्यावहारिक सुझाव, संसाधन और उपकरण प्रदान करने से लोगों के लिए मिशन जीवन सिद्धांतों को अपनाना आसान हो सकता है। अपशिष्ट को कम करने, ऊर्जा संरक्षण, स्थानीय व्यवसायों का समर्थन करने और पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों को चुनने के सुझाव व्यक्तियों को टिकाऊ विकल्प चुनने के लिए सशक्त बना सकते हैं।

4. लाभों पर प्रकाश डालना: एक स्थायी जीवन शैली जीने के व्यक्तिगत लाभों पर जोर देना, जैसे कि पैसा बचाना, स्वास्थ्य में सुधार करना और स्वच्छ वातावरण में योगदान करना, लोगों को मिशन जीवन अपनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। यह प्रदर्शित करना कि कैसे टिकाऊ विकल्प जीवन की गुणवत्ता और कल्याण को बढ़ा सकते हैं, व्यक्तियों को सकारात्मक परिवर्तन करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं।

5. सहयोग और साझेदारी: मिशन लाइफ को बढ़ावा देने के लिए व्यवसायों, संगठनों और सरकारी एजेंसियों के साथ सहयोग करने से व्यापक दर्शकों तक पहुंचने और अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव पैदा करने में मदद मिल सकती है। स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता साझा करने वाले हितधारकों के साथ साझेदारी से स्थायी जीवन पद्धतियों को बढ़ावा देने के प्रयासों को बढ़ाया जा सकता है।

6. सफलता की कहानियों का जश्न मनाना: मिशन लाइफ प्रथाओं को सफलतापूर्वक अपनाने वाले व्यक्तियों या समुदायों की सफलता की कहानियों को साझा करना दूसरों को भी इसका पालन करने के लिए प्रेरित कर सकता है। वास्तविक जीवन के उदाहरणों पर प्रकाश डालते हुए कि टिकाऊ जीवन ने कैसे बदलाव लाया है, मिशन जीवन को अपनाने के सकारात्मक परिणामों को प्रदर्शित कर सकता है। छोटे परिवर्तन बड़ी क्रांतियों का कारण बन सकते हैं, और कभी-कभी, यह प्रतीत होता है कि महत्वहीन कार्य ही सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। यहां कुछ उपाख्यान दिए गए हैं जो बताते हैं कि कैसे छोटे परिवर्तन महत्वपूर्ण परिवर्तनों को जन्म दे सकते हैं:

1. तितली प्रभाव: तितली प्रभाव की अवधारणा से पता चलता है कि एक छोटी सी क्रिया, जैसे तितली के पंखों का फड़फड़ाना, एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू कर सकती है जिसके महत्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं। यह विचार इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे छोटी-छोटी हरकतें भी दूरगामी प्रभाव डाल सकती हैं और बड़े पैमाने पर घटनाओं को प्रभावित कर सकती हैं।

2. वांगारी मथाई की कहानी: केन्याई पर्यावरणविद् और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता वांगारी मथाई ने 1970 के दशक में अपने समुदाय में वृक्षारोपण आंदोलन शुरू किया था। वनों की कटाई और कटाव से निपटने के लिए महिलाओं को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करके, मथाई ने जमीनी स्तर पर पर्यावरण क्रांति की शुरुआत की, जिसने न केवल परिदृश्य को बदल दिया बल्कि महिलाओं को सशक्त बनाया और सतत विकास को बढ़ावा दिया।

3. प्लास्टिक स्ट्रॉ पर प्रतिबंध: प्लास्टिक स्ट्रॉ पर प्रतिबंध लगाने के आंदोलन ने हाल के वर्षों में गति पकड़ी है, कई व्यक्तियों और व्यवसायों ने अधिक टिकाऊ विकल्पों को चुना है। हालांकि प्लास्टिक स्ट्रॉ से पुन: प्रयोज्य या बायोडिग्रेडेबल विकल्पों पर स्विच करना एक छोटे बदलाव की तरह लग सकता है, लेकिन इसका प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने और एकल-उपयोग प्लास्टिक के पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।

4. सामुदायिक उद्यान: सामुदायिक उद्यान लोगों को अपना भोजन उगाने, प्रकृति से जुड़ने और समुदाय की भावना पैदा करने के लिए जगह प्रदान करते हैं। ये छोटे पैमाने की पहल न केवल टिकाऊ कृषि और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देती हैं बल्कि शहरी क्षेत्रों में सामाजिक एकजुटता और लचीलेपन को भी बढ़ावा देती हैं।

5. राइड-शेयरिंग ऐप्स: उबर और लिफ़्ट जैसे राइड-शेयरिंग ऐप्स के उदय ने कारपूलिंग को बढ़ावा देने और व्यक्तिगत कार स्वामित्व को कम करके परिवहन उद्योग में क्रांति ला दी है। लोगों को सवारी साझा करने और परिवहन के अधिक कुशल तरीकों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करके, इन प्लेटफार्मों ने यातायात की भीड़ को कम करने, उत्सर्जन को कम करने और टिकाऊ गतिशीलता को बढ़ावा देने में मदद की है।

ये उपाए दर्शाते हैं कि कैसे व्यक्तिगत व्यवहार या सामुदायिक पहल में छोटे बदलाव पर्यावरणीय स्थिरता, सामाजिक सशक्तिकरण और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकते हैं। सकारात्मक बदलाव की दिशा में छोटे कदम उठाकर, व्यक्ति व्यापक आंदोलनों और क्रांतियों में योगदान दे सकते हैं जो एक अधिक टिकाऊ और न्यायसंगत दुनिया का निर्माण करते हैं।

कुल मिलाकर, जागरूकता बढ़ाकर, व्यावहारिक समाधान प्रदान करके, सामुदायिक समर्थन का निर्माण करके और स्थायी जीवन के लाभों पर जोर देकर, मिशन लाइफ लोगों के बीच स्वीकृति प्राप्त कर सकता है और व्यक्तियों को पर्यावरण और भावी पीढ़ियों के लिए सकारात्मक बदलाव करने के लिए सशक्त बना सकता है।

साथ में, मिशन लाइफ और ग्रीन गवर्नेंस जमीनी स्तर और ऊपर से नीचे दृष्टिकोण दोनों से स्थिरता को संबोधित करके एक दूसरे के पूरक हैं। हाथ से काम करके, ये पहल सार्थक परिवर्तन ला सकती हैं, सामूहिक कार्रवाई को प्रेरित कर सकती हैं और एक हरित और अधिक टिकाऊ दुनिया का मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं।

मिशन लाइफ और ग्रीन गवर्नेंस वास्तव में नवीन और परिवर्तनकारी अवधारणाएं हैं जिनमें पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति हमारे दृष्टिकोण में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता है। प्रणालीगत परिवर्तन के साथ व्यक्तिगत कार्यों को जोड़कर, ये पहलें गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। स्थायी जीवनशैली विकल्पों को बढ़ावा देने पर मिशन लाइफ का फोकस व्यक्तियों को अपने पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए अपने दैनिक जीवन में सार्थक कार्रवाई करने के लिए सशक्त बनाता है। अपशिष्ट कटौती, ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों के लिए समर्थन जैसे व्यवहारों को प्रोत्साहित करके, मिशन लाइफ स्थिरता की संस्कृति बनाने में मदद कर सकता है जो समाज के सभी पहलुओं में व्याप्त है।दूसरी ओर, हरित शासन व्यापक स्तर पर स्थिरता का समर्थन करने के लिए मजबूत पर्यावरण नीतियों और विनियमों के महत्व पर जोर देता है। सरकारी स्तर पर हरित पहलों, विनियमों और नीतियों की वकालत करके, हरित शासन एक कानूनी ढांचा तैयार कर सकता है जो टिकाऊ प्रथाओं को प्रोत्साहित करता है और व्यवसायों और उद्योगों को उनके पर्यावरणीय प्रभाव के लिए जवाबदेह बनाता है।

मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के लिए हरित शासन दो पूरक दृष्टिकोण हैं जो पर्यावरणीय स्थिरता प्राप्त करने और एसडीजी को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं।

मिशन लाइफ और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत की खोज

मिशन लाइफ पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए व्यक्तियों के बीच स्थायी जीवन शैली विकल्पों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। अपशिष्ट कटौती, ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों का समर्थन करने जैसे व्यवहारों को प्रोत्साहित करके, मिशन लाइफ लक्ष्य 12 (जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन) और लक्ष्य 13 (जलवायु कार्रवाई) सहित कई एसडीजी में योगदान दे सकता है। व्यक्तियों को अपने दैनिक जीवन में अधिक टिकाऊ विकल्प चुनने के लिए सशक्त बनाकर, मिशन लाइफ इन एसडीजी को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति करने में मदद कर सकता है।दूसरी ओर, एसडीजी के लिए हरित शासन, प्रणालीगत स्तर पर स्थिरता का समर्थन करने के लिए मजबूत पर्यावरण नीतियों और विनियमों के महत्व पर जोर देता है। एसडीजी के अनुरूप हरित पहलों, विनियमों और नीतियों की वकालत करके, ग्रीन गवर्नेंस एक कानूनी ढांचा तैयार कर सकता है जो टिकाऊ प्रथाओं को प्रोत्साहित करता है और सरकारों और व्यवसायों को उनके पर्यावरणीय प्रभाव के लिए जवाबदेह बनाता है। यह दृष्टिकोण कई एसडीजी में योगदान दे सकता है, जिसमें लक्ष्य 7 (किफायती और स्वच्छ ऊर्जा), लक्ष्य 11 (टिकाऊ शहर और समुदाय), और लक्ष्य 15 (भूमि पर जीवन) शामिल हैं।

मिशन लाइफ द्वारा प्रचारित व्यक्तिगत कार्यों को एसडीजी के लिए ग्रीन गवर्नेंस द्वारा समर्थित प्रणालीगत परिवर्तनों के साथ जोड़कर, हम पर्यावरणीय स्थिरता के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण बना सकते हैं जो एसडीजी की उपलब्धि का समर्थन करता है। साथ मिलकर, ये पहल सभी के लिए अधिक टिकाऊ और न्यायसंगत भविष्य की दिशा में प्रगति को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती हैं।हम सोचते हैं कि छोटे-छोटे कदम उठाना बहुत मामूली लगेगा। सच नहीं! सही दिशा में कई छोटे-छोटे कदम न उठाने से बेहतर है कि हम कई छोटे-छोटे कदम उठाएं। हमें आगे बढ़ते रहना है और हम उन बाधाओं को पार करेंगे जिन्होंने हमें पहले हराया होगा। भले ही हमें तुरंत परिणाम न दिखें, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए क्योंकि उस लक्ष्य की ओर उठाया गया हर छोटा कदम हमें उन तरीकों से प्रभावित कर रहा है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए, हमारे छोटे प्रयास हमें पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं, लाखों लोगों की जान बचा सकते हैं, गरीबी को काफी हद तक कम कर सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम संभावित मानव संघर्षों को खत्म कर सकते हैं।

मिशन लाइफ का आलोचनात्मक मूल्यांकन

हालांकि मिशन लाइफ के इरादे नेक हो सकते हैं और इसका उद्देश्य भारत में टिकाऊ जीवन पद्धतियों और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है, लेकिन कुछ ऐसे पहलू हैं जिनके लिए महत्वपूर्ण मूल्यांकन की आवश्यकता है:

1. कार्यान्वयन चुनौतियाँ: मिशन लाइफ जैसी पहल की प्रमुख चुनौतियों में से एक ज़मीनी स्तर पर कार्यान्वयन है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि मिशन को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाया जाए और लोगों के जीवन पर ठोस प्रभाव डाला जाए।

2. हितधारक जुड़ाव: मिशन लाइफ की सफलता के लिए सरकारी एजेंसियों, स्थानीय समुदायों, गैर सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र के संगठनों सहित सभी हितधारकों को शामिल करना महत्वपूर्ण है। जटिल पर्यावरणीय चुनौतियों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए सहयोगात्मक प्रयास और साझेदारी आवश्यक हैं।

3. निगरानी और मूल्यांकन: मिशन जीवन की प्रगति और प्रभाव को ट्रैक करने के लिए मजबूत निगरानी और मूल्यांकन तंत्र का होना आवश्यक है। नियमित मूल्यांकन से सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिल सकती है और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि मिशन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के रास्ते पर है।

4. दीर्घकालिक स्थिरता: टिकाऊ जीवन पद्धतियों के लिए व्यक्तियों और समुदायों से दीर्घकालिक प्रतिबद्धता और व्यवहार परिवर्तन की आवश्यकता होती है। मिशन लाइफ को पहल की अवधि से परे स्थायी प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता पैदा करने, क्षमता निर्माण और स्थिरता की संस्कृति को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

5. स्केलेबिलिटी और रिप्लिकेबिलिटी: मिशन लाइफ के प्रभाव को अधिकतम करने के लिए स्केलेबिलिटी और रिप्लिकेबिलिटी पर विचार करना महत्वपूर्ण है। मिशन को इस तरह से डिज़ाइन किया जाना चाहिए जिससे सफल हस्तक्षेपों को बढ़ाया जा सके और उन्हें पूरे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में दोहराया जा सके।

जबकि मिशन लाइफ में भारत में टिकाऊ जीवन पद्धतियों की दिशा में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता है, कार्यान्वयन चुनौतियों का समाधान करना, हितधारकों को प्रभावी ढंग से शामिल करना, प्रगति की निगरानी करना, दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करना और सार्थक हासिल करने के लिए स्केलेबिलिटी और प्रतिकृति पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। परिणाम। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने में ऐसी पहल की सफलता के लिए महत्वपूर्ण मूल्यांकन और निरंतर सुधार महत्वपूर्ण हैं।

विकसित भारत@2047 और मिशन लाइफ

"विकसित भारत @2047" वर्ष 2047 तक एक विकसित और टिकाऊ भारत का दृष्टिकोण है, जो भारत की स्वतंत्रता की शताब्दी का प्रतीक है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करके भारत को एक समृद्ध, समावेशी और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ राष्ट्र में बदलना है।

"मिशन लाइफ" भारत में टिकाऊ जीवन पद्धतियों, पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न पहलों या अभियानों को संदर्भित कर सकता है। इन मिशनों में पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने, अपशिष्ट कटौती और रीसाइक्लिंग को प्रोत्साहित करने और स्वच्छ पानी और स्वच्छता तक पहुंच में सुधार करने के प्रयास शामिल हो सकते हैं।

साथ में, "विकसित भारत @2047" और "मिशन लाइफ" जैसी पहल सतत विकास को बढ़ावा देकर, पर्यावरण की रक्षा करके और सभी नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करके भारत में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद कर सकती हैं। महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करके और संसाधनों को प्रभावी ढंग से जुटाकर, ये पहल भारत के लिए अधिक लचीला और टिकाऊ भविष्य बनाने में योगदान दे सकती हैं।

निष्कर्षतः, मिशन LiFE और ग्रीन गवर्नेंस सराहनीय पहल हैं जिनका उद्देश्य भारत में टिकाऊ जीवन पद्धतियों और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। जागरूकता पैदा करने, साझेदारी को बढ़ावा देने और नवीन समाधानों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित करके, इन पहलों में सकारात्मक बदलाव लाने और अधिक टिकाऊ भविष्य में योगदान करने की क्षमता है।

निष्कर्ष

मिशन LiFE और ग्रीन गवर्नेंस सराहनीय पहल हैं जिनका उद्देश्य भारत में टिकाऊ जीवन पद्धतियों और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। जागरूकता पैदा करने, साझेदारी को बढ़ावा देने और नवीन समाधानों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित करके, इन पहलों में सकारात्मक बदलाव लाने और अधिक टिकाऊ भविष्य में योगदान करने की क्षमता है।

हालाँकि, कार्यान्वयन चुनौतियों का समाधान करने, हितधारकों को प्रभावी ढंग से संलग्न करने, प्रगति की निगरानी करने, दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने और स्केलेबिलिटी और प्रतिकृति पर ध्यान केंद्रित करने के

लिए महत्वपूर्ण मूल्यांकन और निरंतर सुधार आवश्यक हैं। इन तत्वों को अपनी रणनीतियों में शामिल करके, मिशन लाइफ और ग्रीन गवर्नेंस अपने प्रभाव को अधिकतम कर सकते हैं और भारत में पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने में सार्थक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।

संदर्भ सूची

1. प्रेस सूचना ब्यूरो - पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय-2023

2. पर्यावरण और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, केट ओ'नील, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 2012

3. High-Level Political Forum 2024,SDGReviews,https://sdgs.un.orgn

4.United Nations Environment Program,Publications and Data,https://www.unep.org

5. हरित शासन: पारिस्थितिक अस्तित्व, मानवाधिकार, और कॉमन्स का कानून - बर्न्स एच. वेस्टन और डेविड बोलियर द्वारा।

6.पर्यावरण अध्ययन:एराच बरूचा,ओरिएंट ब्लैक स्वान,2015

7.The Environment and International Relations, Kate O'Neill, Cambridge University Press, 2012

9.संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (2020) https://www.undp.org/belarus/publications/next-frontier-human-development-and-anthropocene

10.Intergovernmental Panel on Climate Change (2022). https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-ii/

11.Ellen MacArthur Foundation (2016). https://ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy-in-india

12.SBM Dashboard (accessed on 10th October 2022). https://sbm.gov.in/sbmreport/home.aspx

13. https://www.teriin.org (The Energy and Resources Institute)

14.https://wmo.int (World Meteorological Institute)

15.न्यू इंडिया के लिए रणनीति@75- नीति आयोग रिपोर्ट

अध्याय-30

बिहार में मद्यनिषेध का सामाजिक प्रभाव: पूर्वी चंपारण जिले के विशेष सन्दर्भ में अध्ययन

आशुतोष शरण
शोधार्थी, गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग,
महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी, बिहार

सुनील महावर
अधिष्ठाता, सामाजिक विज्ञान संकाय,
महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय,
मोतिहारी, बिहार

मद्यनिषेध सामाजिक दुष्परिणामों से मुक्ति, उत्थान, विकास एवं युवा पीढ़ी को दुर्गुणों से मुक्त कराने व गरीब-मजदूर कल्याण के उद्देश्य से आवश्यक प्रतीत होता है। गांधी जी ने देश की स्वतंत्रता की लड़ाई से ही पूर्ण मद्यनिषेध को एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में शामिल किया और आजाद सपनों के भारत के नवनिर्माण में 'मद्यनिषेध' को उसका मुख्य केंद्र बिंदु माना। बिहार में लागू मद्यनिषेध कानून गांधी जी के सपनों को साकार करने व मदिरा मुक्त राज्य के संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के लगभग 100 वर्षों के बाद बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 5 अप्रैल 2016 से पूर्ण मद्यनिषेध की घोषणा की गई। जिसके उपरांत बिहार में मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 लागू किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत बिहार में मद्यपान के सेवन, मद्य के उत्पादन एवं बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। इस शोध का मुख्य उद्देश्य बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में मद्यनिषेध के पश्चात समाज पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना है। इस अध्ययन में आनुभविक एवं विश्लेष्णात्मक शोध पद्धति का प्रयोग किया गया है, जिसमें मूलतः प्राथमिक तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास किया गया है।

मद्यनिषेध के संबंध में गांधी जी ने कहा था कि "यदि मुझे अखिल भारत के लिए एक घंटे के लिए तानाशाह बना दिया जाए तो मेरा पहला कम यह होगा कि मदिरा की दुकानों को बिना मुआवजा दिए बंद करवा दिया जाए।"[i] कुछ अमीर लोगों के मदिरा के शौक के कारण समाज को दूषित नहीं किया जा सकता। वे मदिरा को चोरी और व्यभिचार दोनों से ज्यादा निंदनीय मानते हैं। वे कहते हैं कि "मैं भारत का गरीब होना पसंद करूंगा, लेकिन मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हमारे हजारों लोग शराबी हो । अगर भारत में शराबबंदी जारी करने के लिए शिक्षा देना बंद करना पड़े तो कोई परवाह नहीं, मैं यह कीमत चुकाकर शराबखोरी को बंद करूंगा।"[ii] उनका मानना था कि "कोई भी देश कितना ही धनी और खुशहाल क्यों न हो, वास्तव में मद्यपान का बोझ सहन करने की क्षमता नहीं रखता क्योंकि शराबखोरी से राष्ट्र नाश की कगार पर पहुचते है"[iii] मदिरा का ठेका लोकतंत्र के लिए कलंक और अभिशाप दोनों हैं।[iv]

गांधी जी ने भारत में सामाजिक दुष्परिणामों को देखते हुए देश की स्वतंत्रता की लड़ाई से ही पूर्ण मद्यनिषेध को एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में शामिल किया और आजाद सपनों के भारत के नवनिर्माण में 'मद्यनिषेध' को उसका

मुख्य केंद्र बिंदु माना। आजादी के बाद संविधान निर्माताओं ने गांधी जी के इस आदर्श विचार 'मद्यनिषेध' पर ध्यान देते हुए भारतीय संविधान के नीति-निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद-47 में शामिल किया, जिसमें यह कहा गया कि स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं, मदिरा/शराब, ड्रग के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग को प्रतिबंधित करेगा। परंतु इसका क्रियान्वयन करना राज्यों की स्वेच्छा पर निर्भर है, इसे आवश्यक रूप से लागू करने हेतु राज्यों को बाध्य नहीं किया गया है।

मदिरा :-

मदिरा व्यसन व्यक्ति के मस्तिष्क में उत्तेजना और व्याकुलता उत्पन्न करती है, मस्तिष्क के विकास को रोकती है, ज्ञान तंतुओं को समेटती है, नशों और पुट्ठों की छोटी सेलों को नष्ट कर उनका बढ़ाना रोक देती है, यह ऑक्सीजन के प्रचार को भी रोकती है, जिनसे चर्बी बढ़ने लगती है।[v] इस संबंध में प्रोफेसर सिंबुड हेड स्पष्ट रूप से कहते हैं, कि "मैं बहुत काल से इस बात का अनुभव करता हूं कि अल्कोहल केवल शारीरिक विष ही नहीं बल्कि वह रोग-उपचार में जब अन्य औपचारिक विषों के साथ दिया जाता है तब वह उन सब विषों के प्राकृतिक गुनों को नष्ट कर डालता है और उन्हें और भी अधिक कातिल विष बनाकर रोगी को स्वस्थ करने में बाधा डालता है।"[vi]

मदिरा के बारे में चंद्रसेन ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मदिरा ऐसा पदार्थ है, जिसे जीभ पर रखते ही मन मलिन हो जाता है, जी ऐंठ जाता है। खूब हंसो, खूब बको, कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। उसमें असत्य भाषण करने का साहस आ जाता है, वह सत्य को असत्य और असत्य को सत्य समझने लगता है, बुद्धि मलिन होती है, कष्ट और व्याधि बढ़ती है। यह समस्त अपराधों की जननी है, उज्जवल मन का भयानक अंधकार है, जिसकी तीक्ष्ण ज्वाला शीतल हृदय पर सदैव धधक-धधक कर दहकती रहती है। जो इसके प्रभाव में होकर अपने माता-पिता, स्त्री, भगिनी, भ्राता और बच्चों का हंसते-हंसते वध कर सकता है, ऐसी यह मद्य है।[vii] वहीं महात्मा बुद्ध ने मद्य को अप्रिय और त्याज्य बताया है। वे कहते हैं कि मदिरा परिवार का हरण कर ऐसा बना देती है कि उसका मूल्य सूर्य के समान भी नहीं रहा जाता। मनुष्य-समाज के कल्याण हेतु इस अभिशाप (शराब) का अंत करना ही चाहिए। संसार में मदिरा मनुष्य की प्रसिद्ध शत्रु है।[viii]

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) 2018 की रिपोर्ट के अनुसार, विश्व में 6.4 लीटर प्रतिवर्ष औसतन व्यक्ति मदिरा का सेवन करते हैं। डब्ल्यूएचओ ने 2025 तक विश्व में (6.4-7) लीटर प्रतिवर्ष औसतन व्यक्ति मदिरा की खपत का अनुमान लगाया है।[ix] वही डब्ल्यूएचओ की बेसिक स्टेटस रिपोर्ट (2018) के अनुसार भारत में मदिरा का सेवन करने वाली कुल जनसंख्या का 17% व्यक्ति भारी मात्रा में मदिरा का व्यसन करते हैं और इनमें (15-19 वर्ष) की संख्या 25.2% है।[x]

डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट का अवलोकन करें तो यह ज्ञात होता है कि मद्य व्यसन की समस्या केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के लिए एक ज्वलंत समस्या बन चुकी है। यदि मद्य व्यसन के दुष्परिणामों की बात करें तो यह ज्ञात है कि "60 से अधिक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण मदिरा का सेवन है, जो वैश्विक बीमारी का अनुमानित 4% है।[xi] डब्ल्यूएचओ की 2018 रिपोर्ट के अनुसार मदिरा व्यसन के कारण विश्व में 2016 में अनुमानतः 30 लाख

मौतें हुई हैं।[xii] एक अध्ययन में यह पाया गया है कि "मद्यपान मानसिक रूप से विकृत संतानों का एक प्रमुख कारण है।"[xiii]

मद्यनिषेध:-

मद्यनिषेध से तात्पर्य मदिरा तथा अन्य मादक द्रव्यों के उपभोग, निर्माण तथा बिक्री को औषधीय प्रयोजनों से भिन्न, कानून द्वारा निषिद्ध करना है। अर्थात् मद्य व्यसन, मद्य का निर्माण, मद्य का क्रय-विक्रय आदि का गैरकानूनी होना। मद्यनिषेध सामाजिक दुष्परिणामों से मुक्ति, उत्थान, विकास एवं युवा पीढ़ी को दुर्गुणों से मुक्त कराने व गरीब-मजदूर कल्याण के उद्देश्य से आवश्यक प्रतीत होता है। भारत में मद्यनिषेध की स्थिति देखें तो यह ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने मद्यनिषेध की शुरुआत की थी। गांधी जी ने स्वराज्य की लड़ाई में जिन रचनात्मक कार्यक्रमों को चलाया था उसमें एक महत्त्वपूर्ण अंग 'मद्यनिषेध' था। गांधी जी जब 1917 में बिहार के चंपारण आए थे और नीलहों के अत्याचार के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की थी, जो बाद में देश की स्वतंत्रता के लिए बड़ा प्रयोग सिद्ध हुआ। उसी दौरान गांधी जी ने चंपारण के मोतिहारी से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित बडहरवा लखन सेन आश्रम से उन्होंने नशा मुक्ति आंदोलन भी चलाया था। यहाँ गांधी जी ने गांव में एक बांस का खंभा लगवाया और लोगों से नशीले पदार्थों को उसी पर लटकाने की अपील की एवं नशा छोड़ने का आग्रह भी किया। कई लोगों ने नशीले पदार्थों एवं मदिरा की बोतलों को वहां पर लटकाया और नशा भी त्याग दिया। गांधी जी के यहाँ से चले जाने के पश्चात लोगों ने धीरे-धीरे पुन: नशा करना प्रारंभ कर दिया।

अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का सम्मेलन 1 जनवरी 1921 को हुआ जिसमें कांग्रेस के उस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने की योजना बनाई गई, जिसमें मद्यनिषेध कार्यक्रम को असहयोग आंदोलन का प्रमुख अंग माना गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान मदिरा की दुकानों एवं भट्टियों का विरोध किया गया तथा लोगों से नशा न करने का आग्रह किया गया। मद्यनिषेध स्वतंत्रता की लड़ाई में एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। कांग्रेस की नीतिगत घोषणा में मद्यनिषेध का महत्त्वपूर्ण स्थान था, परंतु गांधीजी की कांग्रेस से जैसी उम्मीदें थी, वैसी प्रतिबद्धता कांग्रेस ने नहीं दिखाई। भारत अधिनियम,1935 के अंतर्गत भारत में चुनाव हुए, उस चुनाव घोषणा-पत्र में मद्यनिषेध को एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा बनाया गया, तत्पश्चात कांग्रेस ने 9 प्रांतों में विजय हासिल की। जब प्रांतों में स्थानीय सरकार का गठन हुआ, तभी गांधी जी ने मंत्रिमंडल को चेतावनी देते हुए कहा था कि, "मद्यनिषेध से लाखों व्यक्तियों को नई जिंदगी हासिल होगी, इससे उन्हें ठोस रूप में नया नैतिक और मौलिक बल प्राप्त होगा। आजादी हासिल करने के लिए कोई भी कीमत चुकाना महंगा नहीं है, लेकिन अगर हम मदिरा और नशेबाजी के शिकार बने रहें, तो हमारी आजादी, खाली गुलामों की आजादी होगी। तमाम सूबों में पूर्ण मद्यनिषेध करने के लिए कोई भी कीमत क्या बहुत ज्यादा है?"[xiv]

आजादी के पश्चात् भारत में गांधी जी के मद्यनिषेध विचार को शामिल करते हुए भारतीय संविधान के नीति-निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद- 47 में जगह प्रदान की गई। इसे कार्यान्वित करने तथा इस आदर्श को ठोस रूप देने के उद्देश्य से योजना आयोग ने 1954 में एक "मद्यनिषेध जांच कमेटी" नियुक्त की। इस कमेटी की प्रमुख सिफारिश यह थी कि मद्यनिषेध कार्यक्रम को देश की विकास योजना का एक अभिन्न अंग मान लिया जाए। इस सिफारिश

को 31 मार्च 1956 में लोकसभा ने स्वीकार कर लिया और उसी आधार पर देश भर में मद्यनिषेध आंदोलन चलाया गया।[xv] देशभर में चरणबद्ध तरीके से पूर्ण मद्यनिषेध का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 1975 से एक राष्ट्रव्यापी 12 सूत्रीय कार्यक्रम को लागू किया जिसके अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा पीने पर प्रतिबंध, मदिरा के विज्ञापनों पर रोक, श्रमिक बस्तियों में मदिरा की दुकानों को खोलने पर प्रतिबंध, वेतन के दिन को मद्यनिषेध का दिन (शुष्क दिवस) घोषित करना आदि सम्मिलित था। मद्यनिषेध के संबंध में राष्ट्रीय नीति स्थिर करने के लिए जनता पार्टी की सरकार के द्वारा केंद्रीय मद्यनिषेध समिति (1977) गठित की गई। समिति ने 4 साल में चरणबद्ध तरीके से मार्च 1983 के अंत तक पूर्ण मद्यनिषेध लागू करने की सिफारिश की थी। किंतु जनवरी 1980 में केंद्र में इंदिरा गांधी की नई सरकार ने मद्यनिषेध की नीति को व्यवहारिक रूप में बिल्कुल ही उलट दिया। 1993 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने भी मद्यनिषेध को प्रोत्साहन देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। उस समय केंद्र सरकार ने यह प्रावधान किया कि मद्यनिषेध से राज्य सरकारों को होने वाली राजस्व क्षति के आधे हिस्से की भरपाई केंद्र सरकार करेगी लेकिन केंद्र सरकार असफल हो गई।

वर्तमान समय में 'मद्यनिषेध' भारत के गुजरात, बिहार, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, उत्तराखंड (कुछ शहर) तथा लक्ष्यद्वीप में लागू है। इसके साथ ही केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्य चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए प्रयासरत भी है।

बिहार में मद्यनिषेध :-

वर्तमान समय में बिहार में मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 लागू है। बिहार में मदिरा व्यसन के कारण समाज में महिला उत्पीड़न, पारिवारिक हिंसा तथा अपराधीकरण आदि की समस्याएं अत्यधिक रूप से बढ़ गई थी तथा इसके साथ ही जहरीली मदिरा पीने के कारण मृत्यु दर, साल-दर-साल बढ़ती जा रही थी। इन सभी समस्याओं से पीड़ित स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों ने 9 जुलाई 2015 को महिला विकास निगम बिहार और डी.एफ.आई.डी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 'ग्राम वार्ता' के राज्य स्तरीय सम्मेलन में मद्यनिषेध लागू करने की मांग की। उनकी मांगों पर प्रतिक्रिया देते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यदि हम अगली बार सत्ता में आएं तो मद्यनिषेध लागू करेंगे। तत्पश्चात नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मदिरा से संबंधित सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हुए 26 नवंबर 2015 को मद्यनिषेध दिवस के अवसर पर घोषणा करते हुए कहा कि राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्व के प्रावधानों के तहत गांधी जी के मद्यनिषेध संबंधी विचारों एवं समाज के गरीब निर्धन लोगों को खुशहाल बनाने के दृष्टिकोण से सरकार राज्य में मद्यनिषेध लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है इसलिए राज्य में 1 अप्रैल 2016 से मद्यनिषेध लागू होगा। प्रथम चरण में 1 अप्रैल 2016 से देसी मदिरा को पूरे प्रदेश में तथा विदेशी मदिरा केवल ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिबंधित होगा। इस घोषणा के पश्चात राज्य में महिला समूह ने यह मांग की कि शहरी क्षेत्र में भी विदेशी मदिरा को प्रतिबंधित कर पूरे प्रदेश में मद्यनिषेध लागू किया जाए। सरकार ने इस विषय पर संज्ञान लेते हुए विचार-विमर्श कर 5 अप्रैल 2016 से पूरे प्रदेश में पूर्ण मद्यनिषेध लागू किया।[xvi]

यहां यह उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी बिहार में मद्यनिषेध हेतु प्रयास किये जा चुके थे। भारत की स्वतंत्रता से पूर्व बिहार में बनी कांग्रेस की सरकार ने मद्यनिषेध पर अमल करते हुए अपनी बुनियादी नीति बनाई। इसे पूरे बिहार में लागू ना कर सिर्फ सारण जिले में प्रयोग के तौर पर लागू करने की घोषणा की थी, परंतु अफसोस आजादी के बाद मद्यनिषेध को जो समर्थन मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल सका। वहीं आजादी के बाद बिहार में सर्वप्रथम 1977 में कर्पूरी ठाकुर ने मद्यनिषेध लागू किया था लेकिन मदिरा माफिया और अन्य प्रभावशाली लोगों के दबाव में मद्यनिषेध को वापस लेना पड़ा।

बिहार में मद्यनिषेध : वैधानिक पृष्ठभूमि

बिहार में मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 लागू है। इस अधिनियम के तहत बिहार में मद्यपान के सेवन, मद्य के उत्पादन एवं बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्वप्रथम 1 अप्रैल 2016 से देसी मदिरा को पूरे प्रदेश में तथा विदेशी मदिरा को केवल ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिबंधित किया, तत्पश्चात 5 अप्रैल 2016 को पूरे प्रदेश में पूर्ण मद्यनिषेध लागू किया। मद्यनिषेध लागू करने के उपरांत राज्य के पटना उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई। इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की बेंच ने 30 सितम्बर 2016 को मद्यनिषेध कानून को गैरकानूनी करार दे दिया। इसके पश्चात सरकार ने उच्चतम न्यायालय में जाने का फैसला लिया। उच्चतम न्यायालय ने सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी और इस संदर्भ में कहा कि मदिरा पर प्रतिबंध और मौलिक अधिकार साथ नहीं चल सकते।

गांधी जयंती के पावन अवसर पर 2 अक्टूबर 2016 को राज्य विधान मंडल द्वारा विधिवत रूप से पारित मद्यनिषेध कानून को 'बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016' के रूप में पूरे बिहार प्रान्त में लागू किया गया। मद्यनिषेध नीति के क्रियान्वयन के फलस्वरुप राज्य की आपराधिक घटनाओं में कमी देखी गई। हत्या के मामलों में 28.3 प्रतिशत, बलात्कार के मामलों में 10.17 प्रतिशत, महिला उत्पीड़न के मामलों में 2.3 प्रतिशत एवं दलित उत्पीड़न के मामलों में 14.8 प्रतिशत की कमी देखी गई। (बिहार बजट भाषण 2017-18 के अनुसार)[xvii] वहीं 26 नवंबर 2016 को मद्यनिषेध दिवस के उद्देश्य का विस्तार करने और इसे अगले वर्ष नशा मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार ने मदिरा मुक्त और नशा मुक्त राज्य के लिए एक और राज्यव्यापी सामाजिक अभियान (21 जनवरी 2017-22 मार्च 2017) शुरू किया। यह अभियान 21 जनवरी 2017 को पूरे बिहार में एक विशाल मानव श्रृंखला के माध्यम से शुरू किया गया जिसमें लगभग चार करोड़ बिहार वासियों ने 12760 किलोमीटर की मानव श्रृंखला का निर्माण कर रिकॉर्ड दर्ज किया।[xviii]

बिहार में मद्यनिषेध कानून लागू करने का सरकार का लक्ष्य मदिरा मुक्त बिहार के साथ-साथ नशा मुक्त समाज का निर्माण करना है। बिहार में मद्यनिषेध कानून लागू करने का उद्देश्य था- घरेलू हिंसा, पारिवारिक तनाव, सामाजिक अशांति, विभिन्न आपराधिक घटनाओं तथा गरीब मजदूरों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के साथ-साथ एक सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित समाज का निर्माण करना भी है। इन उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए मद्यनिषेध का समाज पर पड़ने वाले प्रभावों को जानने का प्रयास किया गया है। क्या वास्तविक रूप में बिहार में मद्यनिषेध सफल

हुआ है?, समाज पर मद्यनिषेध के क्या प्रभाव पड़े हैं?, बिहार का समाज इस निर्णय को किस प्रकार समझ रहा है? इन सभी प्रश्नों को वास्तविक रूप में समझने के लिए तथ्यों का संकलन किया गया है, जिसे वर्णित विभिन्न तालिकाओं के माध्यम से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

प्रस्तुत शोध हेतु बिहार के पूर्वी चंपारण जिले का चयन किया गया है। पूर्वी चंपारण जिला बिहार के उत्तर-पश्चिमी भाग में स्थित है। यह ऐतिहासिक एवं भौगोलिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण जिला है। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो इसकी सीमा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो नेपाल से मिलती है। यह बिहार की राजधानी पटना से लगभग 150 किलोमीटर उत्तर दिशा में स्थित है। इस जिला के उत्तर में नेपाल, पूरब में सीतामढ़ी तथा शिवहर, दक्षिण में मुजफ्फरपुर तथा पश्चिम में गोपालगंज स्थित है। यह जिला 26°39'00" उत्तरी अक्षांश और 84°55'00" पूर्वी देशांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। इसका क्षेत्रफल 3968 वर्ग किलोमीटर है एवं यहां की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 50 लाख 99 हजार 371 है। पूर्वी चंपारण जिले का मुख्यालय मोतिहारी में स्थित है। वर्तमान में इस जिले में 6 अनुमंडल, 27 प्रखंड तथा 1293 गांव है। यहां की स्थानीय भाषा भोजपुरी है लेकिन शिक्षा का माध्यम हिंदी एवं उर्दू है।

मद्यनिषेध का सामाजिक प्रभाव :-

मद्यनिषेध के पश्चात् मद्य व्यसनी व्यक्ति, उनके परिवार एवं समाज पर पड़ने वाले प्रभावों को इस अध्ययन के माध्यम से जानने का प्रयास किया गया है। इस अध्ययन के द्वारा यह जानने का प्रयास किया गया कि मद्य व्यसनी व्यक्ति, उनके परिवार तथा समाज पर मद्यनिषेध के पश्चात क्या प्रभाव पड़ा है?, मद्यनिषेध के पश्चात मदिरा व्यसनी व्यक्ति के परिवार में घरेलू शांति स्थापित हुई है या नहीं?, पुलिस प्रशासन द्वारा मदिरा व्यसनी व्यक्ति पर कार्रवाई की जा रही है या नहीं?, मद्यनिषेध के सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं?, बिहार में आम व्यक्ति मद्यनिषेध को अच्छा मान रहा है या नहीं? इन सभी तथ्यों की जाँच करने हेतु कुल 100 सामान्य व्यक्तियों को प्रतिदर्श के रूप में चयन कर साक्षात्कार के माध्यम से सूचनाओं को प्राप्त किया गया है।

मद्यनिषेध के पश्चात व्यसनियों की संख्या

तालिका संख्या-1

क्रम सं०	विकल्प	कुल आवृत्ति	कुल प्रतिशत
1	मदिरा व्यसनियों की संख्या कम हुई है	53	53%
2	मदिरा व्यसनियों की संख्या में वृद्धि हुई है	36	36%
3	कोई परिवर्तन नहीं	11	11%
कुल योग		**100**	**100%**

उपर्युक्त तालिका-1 मद्यनिषेध के पश्चात मदिरा का सेवन करने वाले लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है। इसके विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि कुल 100 प्रतिदर्श में से सर्वाधिक 53% लोगों ने यह सहमति दी कि मद्यनिषेध के पश्चात हमारे आस-पास मदिरा का सेवन करने वाले लोगों की संख्या **में कमी आई है**। वहीं 36% लोगों ने यह माना कि मद्यनिषेध के पश्चात हमारे आस-पास मदिरा का सेवन करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। वहीं 11% लोगों ने यह माना कि मद्यनिषेध के पश्चात हमारे आस-पास मदिरा का सेवन करने वाले लोगों की संख्या में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है।

मद्यनिषेध के पश्चात सामाजिक वातावरण

तालिका संख्या-2

क्रम सं०	विकल्प	कुल आवृत्ति	कुल प्रतिशत
1	शांत	68	68%
2	अशांत	23	23%
3	किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं	9	9%
कुल योग		**100**	**100%**

उपर्युक्त तालिका-2 मद्यनिषेध के पश्चात सामाजिक वातावरण की स्थिति को प्रदर्शित करती है। इसके विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि कुल 400 प्रतिदर्श में से सर्वाधिक 68% लोगों ने यह सहमति दी कि मद्यनिषेध के पश्चात सामाजिक वातावरण शांत है। 23% लोगों ने यह माना कि मद्यनिषेध के पश्चात सामाजिक वातावरण अशांत है। 9% लोगों ने यह माना कि मद्यनिषेध के पश्चात सामाजिक वातावरण **में** किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। (अर्थात जिस प्रकार का वातावरण मद्यनिषेध से पूर्व में था वैसा ही वातावरण वर्तमान समय में भी है)

मद्यनिषेध के पश्चात **मदिरा व्यसन का कारण**

तालिका संख्या-3

क्रम सं०	**विकल्प**	**कुल आवृत्ति**	**कुल प्रतिशत**
1	मदिरा की व्यापक मात्रा में उपलब्धता	33	33 %
2	मदिरा की लत	32	32 %
3	शौक	5	5 %
4	प्रतिष्ठा का विषय	2	2 %
5	अन्य	3	3 %
6	एक से अधिक	25	25 %
कुल योग		**100**	**100%**

उपर्युक्त तालिका-3 मद्यनिषेध के पश्चात लोगों के मदिरा के सेवन करने के कारणों को प्रदर्शित करती है। इसके विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि कुल 100 प्रतिदर्श में से सर्वाधिक 33% लोगों ने मदिरा की लत तथा 32% लोगों ने मदिरा की व्यापक मात्रा में उपलब्धता को मद्यनिषेध के पश्चात लोगों के मदिरा के सेवन करने का कारण माना। 25% लोगों ने यह माना कि मद्यनिषेध के पश्चात लोगों के मदिरा के सेवन करने का एक से अधिक कारण (अर्थात मदिरा की व्यापक मात्रा में उपलब्धता, मदिरा की लत, शौक, प्रतिष्ठा का विषय तथा अन्य में से किन्हीं 2/3/4 कारण) है। 5% लोगों ने यह माना कि मद्यनिषेध के पश्चात लोगों के मदिरा के सेवन करने का कारण शौक है। 3% लोगों ने यह माना कि मद्यनिषेध के पश्चात लोगों के मदिरा के सेवन करने का कारण अन्य (अपराधिक घटना

को अंजाम देने, दूसरे के अधिकार पर कब्जा करने आदि) है। 2% लोगों ने यह माना कि मद्यनिषेध के पश्चात लोगों के मदिरा के सेवन करने का कारण प्रतिष्ठा का विषय है।

मद्यनिषेध के पश्चात **मदिरा की उपलब्धता**

तालिका संख्या-4

क्रम सं०	**विकल्प**	**कुल आवृत्ति**	**कुल प्रतिशत**
1	हां	78	78%
2	नहीं	22	22%
कुल योग		**100**	**100%**

उपर्युक्त तालिका-4 मद्यनिषेध के पश्चात मदिरा व्यसनी व्यक्ति को आसानी से उपलब्ध होने वाले मदिरा को प्रदर्शित करती है। इसके विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि कुल 100 प्रतिदर्श में से सर्वाधिक 78% लोगों ने यह सहमति दी कि मद्यनिषेध के पश्चात **व्यसनी व्यक्ति** को **मदिरा आसानी से उपलब्ध हो जाती है।** वहीं इसके विपरीत 22% लोगों ने यह प्रतिक्रिया दी कि मद्यनिषेध के पश्चात **व्यसनी व्यक्ति** को **मदिरा आसानी से उपलब्ध** नहीं **होती है।**

मद्यनिषेध के पश्चात मदिरा उपलब्धता की प्रकृति

तालिका संख्या-5

क्रम सं०	विकल्प	कुल आवृत्ति	कुल प्रतिशत
1	होम डिलीवरी	29	29%
2	किसी निश्चित दुकान	13	13%
3	किसी निश्चित घर	11	11%
4	शहर या गांव से दूर	1	1%
5	अन्य	4	4%
6	एक से अधिक	42	42%
कुल योग		**100**	**100%**

उपर्युक्त तालिका-5 मद्यनिषेध के पश्चात व्यसनी व्यक्ति को मदिरा उपलब्ध होने वाले माध्यमों को प्रदर्शित करती है। इसके विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि कुल 100 प्रतिदर्श में से सर्वाधिक 42% लोगों ने यह सहमति दी कि मद्यनिषेध के पश्चात व्यसनी व्यक्ति को मदिरा एक से अधिक (अर्थात होम डिलीवरी, किसी निश्चित दुकान, किसी निश्चित घर, शहर या गांव से दूर तथा अन्य में से किन्हीं 2/3/4 कारण) माध्यमों से उपलब्ध होती है। 29% लोगों ने यह माना कि मद्यनिषेध के पश्चात व्यसनी व्यक्ति को मदिरा होम डिलीवरी उपलब्ध होती है। 13% लोगों ने यह माना कि मद्यनिषेध के पश्चात व्यसनी व्यक्ति को मदिरा किसी निश्चित दुकान से उपलब्ध होती है। 11% (43) लोगों ने यह माना कि मद्यनिषेध के पश्चात व्यसनी व्यक्ति को मदिरा किसी निश्चित घर से उपलब्ध होती है। 4% लोगों ने यह माना कि मद्यनिषेध के पश्चात व्यसनी व्यक्ति को मदिरा अन्य माध्यमों से उपलब्ध होती है। 1% लोगों ने यह माना कि मद्यनिषेध के पश्चात व्यसनी व्यक्ति को मदिरा शहर या गांव से दूर उपलब्ध होती है।

मद्यनिषेध के पश्चात व्यसनियों में प्रशासन के प्रति भय

तालिका संख्या-6

क्रम सं०	विकल्प	कुल आवृत्ति	कुल प्रतिशत
1	हां	74	74%
2	नहीं	26	26%
कुल योग		**100**	**100%**

उपर्युक्त तालिका-6 मद्यनिषेध के पश्चात **मदिरा का सेवन करने वाले लोगों में प्रशासन के प्रति डर** को प्रदर्शित करती है। इसके विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि कुल 100 प्रतिदर्श में से सर्वाधिक 74% लोगों ने यह सहमति दी कि मद्यनिषेध के पश्चात **मदिरा का सेवन करने वाले लोगों में प्रशासन के प्रति पकड़े जाने का डर होता है।** वहीं इसके विपरीत 26% लोगों ने यह प्रतिक्रिया दी कि मद्यनिषेध के पश्चात **मदिरा का सेवन करने वाले लोगों में प्रशासन के प्रति पकड़े जाने का डर** नहीं **होता है।**

मद्यनिषेध के पश्चात दंडात्मक कार्रवाई

तालिका संख्या-7

क्रम सं०	विकल्प	कुल आवृत्ति	कुल प्रतिशत
1	हां	81	81%
2	नहीं	19	19%
कुल योग		**100**	**100%**

उपर्युक्त तालिका-7 मद्यनिषेध के पश्चात **मदिरा व्यसनी को पुलिस प्रशासन के द्वारा पकड़े जाने पर की जाने वाली दंडात्मक कार्रवाई को** प्रदर्शित करती है। इसके विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि कुल 100 प्रतिदर्श में से सर्वाधिक 81% लोगों ने यह सहमति दी कि मद्यनिषेध के पश्चात **मदिरा व्यसनी को पुलिस प्रशासन के द्वारा पकड़े जाने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाती है।** वहीं इसके विपरीत 19% लोगों ने यह प्रतिक्रिया दी कि

मद्यनिषेध के पश्चात **मदिरा व्यसनी को पुलिस प्रशासन के द्वारा पकड़े जाने पर दंडात्मक कार्रवाई** नहीं **की जाती है।**

मद्यनिषेध के पश्चात घरेलु हिंसा

तालिका संख्या-8

क्रम सं०	**विकल्प**	**कुल आवृत्ति**	**कुल प्रतिशत**
1	हां	79	79%
2	नहीं	21	21%
कुल योग		**100**	**100%**

उपर्युक्त तालिका-8 मद्यनिषेध के पश्चात होने वाली **घरेलु हिंसा** की स्थिति को प्रदर्शित करती है। इसके विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि कुल 100 प्रतिदर्श में से सर्वाधिक 79% लोगों ने यह सहमति दी कि मद्यनिषेध के पश्चात होने वाली **घरेलु हिंसा में कमी आई है।** वहीं इसके विपरीत 21% लोगों ने यह प्रतिक्रिया दी कि मद्यनिषेध के पश्चात होने वाली **घरेलु हिंसा में कमी नहीं आई है।**

मद्यनिषेध के पश्चात अपराधिक घटनाएं

तालिका संख्या-9

क्रम सं०	विकल्प	कुल आवृत्ति	कुल प्रतिशत
1	कोई परिवर्तन नहीं	29	29%
2	कमी आई है	41	41%
3	वृद्धि हुई है	30	30%
कुल योग		**100**	**100%**

उपर्युक्त तालिका-9 मद्यनिषेध के पश्चात होने वाली अपराधिक घटनाओं की स्थितियों को प्रदर्शित करती है। इसके विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि कुल 100 प्रतिदर्श में से सर्वाधिक 41% लोगों ने यह सहमति दी कि मद्यनिषेध के पश्चात होने वाली आपराधिक घटनाओं में कमी आई है। 29% लोगों ने यह माना कि मद्यनिषेध के पश्चात होने वाली अपराधिक घटनाओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 30% लोगों ने यह माना कि मद्यनिषेध के पश्चात होने वाली आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हुई है।

मद्यनिषेध की प्रकृति

तालिका संख्या-10

क्रम सं०	विकल्प	कुल आवृत्ति	कुल प्रतिशत
1	हां	55	55%
2	नहीं	45	45%
कुल योग		**100**	**100%**

उपर्युक्त तालिका-10 बिहार में मद्यनिषेध की अच्छाई को प्रदर्शित करती है। इसके विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि कुल 400 प्रतिदर्श में से सर्वाधिक 55% लोगों ने यह सहमति दी कि हम **बिहार में मद्यनिषेध को**

अच्छा मानते हैं। वहीं इसके विपरीत 45% लोगों ने प्रतिक्रिया दी कि हम **बिहार में मद्यनिषेध को अच्छा नहीं मानते हैं।**

निष्कर्ष :-

अध्ययन के उपरांत यह ज्ञात होता है कि बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में मद्यनिषेध का सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़े हैं। यह ज्ञात होता है कि मद्यनिषेध के पश्चात मदिरा व्यसनी व्यक्ति की संख्या में कमी आई है तथा इनके परिवारों में शांति का माहौल स्थापित हुआ है। घरेलु हिंसा, पारिवारिक कलह, चोरी, डकैती, आत्महत्या, अपहरण, बलात्कार आदि की घटनाओं में कमी आई है जिससे समाज में शांति स्थापित हुई है। वहीं नकारात्मक प्रभावों को देखें तो ज्ञात होता है कि मद्यनिषेध के बावजूद मदिरा सभी जगह आसानी से उपलब्ध है और जहरीली मदिरा पीने से मदिरा व्यसनी व्यक्ति की स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है तथा अत्यधिक मौतें भी हो रही है। इसके साथ ही मदिरा की सरलता पूर्वक उपलब्धता के कारण मदिरा व्यसनी की मदिरा सेवन की मात्रा में भी वृद्धि हुई है। परन्तु इन सभी नकारात्मक प्रभावों के बावजूद बिहार में मद्यनिषेध समाज के लोगों के लिए लाभप्रद साबित हुआ है।

सुझावः-

बिहार में लागू मद्यनिषेध हेतु उपर्युक्त अध्ययनों के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण सुझाव प्रदान किये गये हैं जो इस प्रकार है-

- मद्यनिषेध कानून को भारत में केंद्रीय स्तर पर बाध्यकारी रूप से लागू किया जाए ताकि मदिरा की अवैध कालाबाजारी को सरलता पूर्वक रोका जा सकें।
- मद्यनिषेध के बाद वर्तमान समय में प्रशासन की भ्रष्टाचारी संलिप्तता के कारण मदिरा लोगों के घर तक पहुंच रहा है, यदि मद्यनिषेध को सख्ती पूर्वक लागू नहीं किया गया तो धीरे-धीरे मदिरा व्यसनी व्यक्ति का प्रशासन के प्रति डर भी समाप्त हो जाएगा और सामाजिक शांति भी भंग हो जाएगी। इसलिए प्रशासन की भ्रष्टाचारी संलिप्तता पर आवश्यक रूप से लगाम लगाई जाए।
- मद्य व्यसनी व्यक्ति के बीच मदिरा से होने वाले नुकसान को प्रत्यक्ष रूप से एक प्रयोगशाला, लघु फिल्म, प्रचार-प्रसार व नुक्कड़-नाटक आदि के माध्यम से जागरूकता फैलाई जाए।

संदर्भ सूची

1. गांधी. मो.क. (2019). मेरे सपनों का भारत. नई दिल्ली: राजपाल एंड संस. पृष्ठ -139

2. उपर्युक्त, गांधी. मो.क. (2019). पृष्ठ -139
3. यंग इंडिया, 04-02-1926, सम्पूर्ण गांधी वांड्मय, भाग-29 , पृष्ठ 429-30
4. प्रसाद, धनेश्वर .(2018). शराबबंदी एक फौलादी फैसला. दिल्ली: प्रभात प्रकाशन, पृष्ठ 62
5. चंद्रसेन. (1940). हिंदुस्तान लूट गया: कब और कैसे. दिल्ली : प्रकाशक मंडल, पृष्ठ 86
6. चंद्रसेन. (1990). मद्यनिषेध: नशे का व्यसन. दिल्ली: शारदा प्रकाशन, पृष्ठ 9
7. उपर्युक्त, चंद्रसेन. (1990). पृष्ठ 9
8. उपर्युक्त , चंद्रसेन. (1990).पृष्ठ 10
9. https://www.who.int/data/gho/indicator-metadata-registry/imr-details/466
10. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274603/9789241565639-eng.pdf?ua=1
11. डोनाल्ड, ए. मायकेला, एस. लिशा, ए. फुलविया, पी & अल्बर्ट, बी. (2007). पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस मेडिसिन. वॉल्यूम. 4, पृष्ठ 36
12. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274603/9789241565639-eng.pdf?ua=1
13. एरिक जे. & रोबर्ट सी. (1998). जेनेटिक्स ऑफ अल्कोहलिज्म. एनुअल रिव्यू ऑफ जेनेटिक्स. वॉल्यूम.23, पृष्ठ, 19-36
14. उपर्युक्त, प्रसाद, धनेश्वर. (2018). पृष्ठ -32
15. श्रीवास, डी. (2008). युवाओं में मादक द्रव्य सेवन की प्रकृति एवं प्रभाव का अध्ययन. बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, पृष्ठ 78
16. मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार सरकार. https://state.bihar.gov.in/excise/CitizenHome.html, Accesed on 07-04-2023
17. https://state.bihar.gov.in/cache/12/Old-Budgets/Bud2017-18/Budget-Speech.pdf, Accesed on 09-03-2023
18. मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार सरकार. https://state.bihar.gov.in/excise/CitizenHome.html, Accesed on 07-04-2023

अध्याय-31

भारत में लैंगिक संवेदीकरण: भारतीय संविधान की भूमिका

भानु प्रताप सिंह, सहायक आचार्य, आई०एल०एस०आर०, जी०एल०ए० विश्वविद्यालय, मथुरा

चेतना चौधरी
शोध छात्रा, एस०एम०पी० राजकीय महिला महाविद्यालय, मेरठ

भरत प्रताप सिंह
सहायक आचार्य, एस०डी०जी०आई० ग्लोबल विश्वविद्यालय, गाज़ियाबाद

भारत, एक विविध और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राष्ट्र, लिंग संबंधी असंख्य चुनौतियों से जूझ रहा है जिनकी पिछले कुछ ३०० साल की गहरी ऐतिहासिक जड़ें और समकालीन निहितार्थ हैं। विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद, लैंगिक असमानता व्यापक बनी हुई है, जो देश भर में लाखों महिलाओं के जीवन को प्रभावित कर रही है। केंद्रीय मुद्दों में से एक लिंग-आधारित हिंसा की व्यापकता है, जिसमें घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और दहेज से संबंधित हिंसा जैसी प्रथाएं शामिल हैं। इन चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से विधायी उपायों के बावजूद, कानूनी ढांचे और इसके प्रभावी कार्यान्वयन के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर बना हुआ है। यह अंतर अक्सर दंड से मुक्ति की संस्कृति को कायम रखता है, जहां कई अपराधी जवाबदेही से बच जाते हैं।[xix] इसके अलावा, शिक्षा में लैंगिक असमानता एक गंभीर चिंता का विषय है। जबकि समग्र साक्षरता दर में सुधार करने में सराहनीय प्रगति हुई है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लिंग अंतर अभी भी मौजूद है। कार्यबल में आर्थिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व भी लैंगिक असंतुलन को दर्शाता है। महिलाओं को समान अवसरों, उचित मजदूरी और कैरियर की उन्नति तक पहुँचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। प्राथमिक देखभाल करने वालों के रूप में महिलाओं की भूमिकाओं के बारे में रूढ़िवादी अपेक्षाएं कुछ व्यवसायों में उनके कम प्रतिनिधित्व में योगदान करती हैं। भारत में पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना लैंगिक मानदंडों को मजबूत करती है जो महिलाओं की स्वायत्तता और निर्णय लेने की क्षमताओं को सीमित करती है। पारंपरिक प्रथाएँ, जैसे कि जल्दी विवाह और कन्या भ्रूण हत्या, कुछ क्षेत्रों में बनी हुई हैं, जो महिलाओं के कल्याण और विकास के लिए महत्वपूर्ण खतरे पैदा करती हैं। इन चुनौतियों के बावजूद, बदलाव के लिए जागरूकता और गति बढ़ रही है। जमीनी स्तर के आंदोलनों, वकालत और कानूनी सुधारों ने सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने में योगदान दिया है। महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई पहल धीरे-धीरे आगे बढ़ रही हैं। संक्षेप में, भारत में लैंगिक मुद्दे जटिल और बहुआयामी हैं, जिनकी जड़ें ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक-आर्थिक कारकों में निहित हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक अधिक न्यायसंगत और समावेशी समाज का मार्ग प्रशस्त करने के लिए कानूनी सुधारों, सामाजिक जागरूकता और आर्थिक सशक्तिकरण को शामिल करते हुए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

लैंगिक संवेदनशीलता जागरूकता को बढ़ावा देकर, रूढ़ियों को चुनौती देकर और लैंगिक असमानता को कायम रखने वाले गहरे पूर्वाग्रहों को दूर करके एक अधिक समावेशी समाज को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रक्रिया में एक ऐसा वातावरण बनाना शामिल है जहाँ व्यक्ति, चाहे उनका लिंग कुछ भी हो, समान अधिकारों,

अवसरों और सम्मान का आनंद ले सकते हैं। सबसे पहले, लिंग के आधार पर व्यक्तियों की भूमिकाओं और क्षमताओं के बारे में रूढ़ियों और पूर्वकल्पित धारणाओं को खत्म करने के लिए लिंग संवेदीकरण महत्वपूर्ण है। इन रूढ़ियों को चुनौती देकर, समाज अपेक्षाओं को सीमित करने से मुक्त हो सकता है और अपने सभी सदस्यों की विविध प्रतिभाओं और क्षमताओं को पहचान सकता है। यह न केवल व्यक्तियों को अपनी आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बनाता है, बल्कि एक अधिक गतिशील और अभिनव समाज में भी योगदान देता है जो विविधता को महत्व देता है। दूसरा, लिंग आधारित हिंसा और भेदभाव के मूल कारणों को संबोधित करने में लिंग संवेदीकरण महत्वपूर्ण है। सहमति, समानता और सम्मान की समझ को बढ़ावा देकर, समाज घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और लिंग-आधारित अपराधों जैसी हानिकारक प्रथाओं को खत्म करने की दिशा में काम कर सकता है।[xx] यह सुरक्षित स्थान बनाने में योगदान देता है जहां हर कोई अपने लिंग की परवाह किए बिना सुरक्षित और संरक्षित महसूस करता है। इसके अलावा, एक लिंग-संवेदनशील समाज शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों को बढ़ावा देता है। शिक्षा तक पहुंच को सीमित करने और कैरियर की उन्नति में बाधा डालने वाले पूर्वाग्रहों को चुनौती देकर, लिंग संवेदीकरण एक ऐसा वातावरण बनाने में मदद करता है जहां व्यक्तियों को उनके लिंग के बजाय उनकी क्षमताओं के आधार पर आंका जाता है। यह अधिक कुशल और उत्पादक कार्यबल की ओर ले जाता है और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। इसके अतिरिक्त, समावेशी संस्थानों और नीतियों के निर्माण के लिए लैंगिक संवेदनशीलता आवश्यक है। यह सुनिश्चित करता है कि कानून और विनियम विभिन्न लिंगों के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों का समाधान करने के लिए बनाए गए हैं, एक कानूनी ढांचा बनाते हैं जो समानता को बढ़ावा देता है। समावेशी नीतियां बेहतर शासन और सामाजिक सामंजस्य में भी योगदान देती हैं, क्योंकि वे पूरी आबादी की विविध जरूरतों और दृष्टिकोण को ध्यान में रखती हैं। एक ऐसे समाज को विकसित करने के लिए लैंगिक संवेदनशीलता अपरिहार्य है जो विविधता को महत्व देता है, समानता को बढ़ावा देता है और सभी के लिए समान अवसर प्रदान करता है। रूढ़िवादिता को चुनौती देकर, हिंसा को संबोधित करके और समावेशिता को बढ़ावा देकर, लिंग संवेदनशीलता एक ऐसे समाज का मार्ग प्रशस्त करती है जहां व्यक्ति फल-फूल सकते हैं, सार्थक योगदान दे सकते हैं और सामूहिक रूप से अधिक न्यायसंगत और सामंजस्यपूर्ण भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।[xxi]

भारतीय संविधान में कई प्रमुख प्रावधान शामिल हैं जो लिंग संवेदीकरण के लिए आधार बनाते हैं, जिसका उद्देश्य समानता को बढ़ावा देना और लिंग के आधार पर भेदभाव को समाप्त करना है।[xxii] ये प्रावधान एक ऐसे समाज को बढ़ावा देने के लिए संविधान की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं जो समावेशी हो और लिंग की परवाह किए बिना प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करता हो। संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता[xxiii] के मौलिक अधिकार को स्थापित करता है। यह गैर-भेदभाव की नींव रखता है, इस बात पर जोर देते हुए कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करके गैर-भेदभाव के सिद्धांत को और मजबूत करता है।[xxiv] इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 15 (3) राज्य को ऐतिहासिक और सामाजिक असंतुलन को दूर करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता को पहचानते हुए महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है।[xxv] अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता सुनिश्चित करता है, लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। यह प्रावधान सरकारी सेवाओं में लैंगिक समावेश को बढ़ावा

देते हुए रोजगार के क्षेत्र में समान अवसर पैदा करने की दिशा में काम करता है।[xxvi] संविधान के भाग IV में निहित राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत भी लैंगिक संवेदीकरण में योगदान करते हैं। अनुच्छेद 39 (ए) (डी) और (ई) समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने, महिलाओं और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने और काम की न्यायपूर्ण और मानवीय स्थितियों को सुरक्षित करने में राज्य की भूमिका पर जोर देते हैं।[xxvii] सामूहिक रूप से, ये संवैधानिक प्रावधान लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के लिए एक ठोस ढांचा प्रदान करते हैं, जो एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है जो लिंग के बावजूद सभी के लिए समानता, न्याय और गरिमा के सिद्धांतों को बनाए रखता है।[xxviii]

अनुच्छेद 14

कानून के समक्ष समानता, जैसा कि भारतीय संविधान में निहित है, न्याय और निष्पक्षता के प्रति राष्ट्र की प्रतिबद्धता के एक मौलिक स्तंभ का प्रतिनिधित्व करती है।[xxix] इस सिद्धांत के केंद्र में अनुच्छेद 14 है, जो स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह मूलभूत अधिकार सभी व्यक्तियों को, उनकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना, निष्पक्षता और गैर-भेदभाव के मूल लोकतांत्रिक मूल्यों पर जोर देता है।[xxx]

अनुच्छेद 15

अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान सहित विभिन्न आधारों पर भेदभाव को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करके समानता के कारण को आगे बढ़ाता है।[xxxi] विशेष रूप से लिंग संवेदीकरण के लिए प्रासंगिक, अनुच्छेद 15 लिंग-आधारित भेदभाव के किसी भी रूप के खिलाफ एक दुर्जेय बाधा के रूप में कार्य करता है। यह लिंग के आधार पर व्यक्तियों के खिलाफ पूर्वाग्रहों को खत्म करने की संवैधानिक अनिवार्यता को रेखांकित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि पुरुषों और महिलाओं के साथ कानून के समक्ष समानता के साथ व्यवहार किया जाए। लिंग संवेदीकरण के संदर्भ में, ये संवैधानिक प्रावधान अंतर्निहित लिंग रूढ़िवादिता को चुनौती देने और समाप्त करने के लिए शक्तिशाली उपकरण बन जाते हैं। अनुच्छेद 14 यह सुनिश्चित करता है कि कानूनी प्रक्रियाएं और संरक्षण सभी लिंगों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से सुलभ हैं, एक कानूनी वातावरण को बढ़ावा देते हैं जो लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। अनुच्छेद 15, बदले में, महिलाओं के लिए विशिष्ट सुरक्षा की आवश्यकता वाले ऐतिहासिक और सामाजिक असंतुलन को स्वीकार करते हुए, लिंग-आधारित भेदभाव के खिलाफ प्रत्यक्ष निवारक के रूप में कार्य करता है। ये प्रावधान न केवल लैंगिक संवेदनशीलता के लिए आधार तैयार करते हैं, बल्कि व्यक्तियों को भेदभावपूर्ण प्रथाओं और नीतियों को चुनौती देने के लिए भी सशक्त बनाते हैं। कानून के समक्ष समानता का अधिकार लैंगिक असमानताओं को दूर करने के उद्देश्य से वकालत और कानूनी सुधारों के लिए एक रैली बिंदु बन जाता है। इसके अलावा, यह एक कानूनी ढांचा बनाता है जो सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव को प्रोत्साहित करता है, समावेशिता को बढ़ावा देता है और प्रत्येक व्यक्ति की अंतर्निहित गरिमा और मूल्य को पहचानता है, चाहे वह किसी भी लिंग का हो। संक्षेप में, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 सामूहिक रूप से लैंगिक संवेदीकरण की चल रही प्रक्रिया में योगदान करते हैं, जो भारत को अधिक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज की ओर ले जाता है।[xxxii]

महिलाओं के अधिकार, जो भारत के संवैधानिक ढांचे का एक महत्वपूर्ण पहलू है, ऐतिहासिक और प्रणालीगत असमानताओं को दूर करने के उद्देश्य से विशिष्ट प्रावधानों के माध्यम से स्पष्ट मान्यता और संरक्षण प्राप्त करते हैं। दो

प्रमुख अनुच्छेद, अनुच्छेद 15 (3) और अनुच्छेद 16, महिला सशक्तिकरण और समान अवसर सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे लिंग संवेदीकरण में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है।

अनुच्छेद 15(3)

अनुच्छेद 15 (3) राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है। यह प्रावधान महिलाओं के उत्थान और उन्हें सशक्त बनाने के लिए सकारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए उनके सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों और कमजोरियों को स्वीकार करता है। आरक्षण या विशिष्ट कार्यक्रमों जैसे लक्षित हस्तक्षेपों की अनुमति देकर, अनुच्छेद 15 (3) राज्य को ऐतिहासिक अन्यायों को दूर करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में सक्षम बनाता है। यह सकारात्मक भेदभाव के लिए एक तंत्र के रूप में कार्य करता है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि महिलाओं को अवसरों और संसाधनों तक समान पहुंच प्राप्त हो, असमानताओं को दूर करना और लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देना है।[xxxiii]

अनुच्छेद 16

सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता पर केंद्रित है। हालांकि स्पष्ट रूप से लिंग-विशिष्ट नहीं है, यह महिलाओं के अधिकारों का एक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि यह सार्वजनिक रोजगार में लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। समान अवसर सुनिश्चित करके, अनुच्छेद 16 उन बाधाओं को दूर करने में योगदान देता है जिनका सामना महिलाओं को पारंपरिक रूप से पुरुषों के प्रभुत्व वाले करियर और पदों को प्राप्त करने में करना पड़ सकता है। यह प्रावधान अधिक समावेशी कार्यबल को प्रोत्साहित करता है और व्यापक समाज में लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देते हुए पेशेवर क्षेत्र में लैंगिक भूमिकाओं के संबंध में सामाजिक मानदंडों को चुनौती देता है। साथ में, ये लेख लिंग-संवेदनशील नीतियों और पहलों के लिए एक कानूनी आधार बनाते हैं। अनुच्छेद 15 (3) महिलाओं के उत्थान के लिए लक्षित प्रयासों की आवश्यकता को मान्यता देता है, और अनुच्छेद 16 यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक क्षेत्र पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान अवसर प्रदान करता है। ये प्रावधान न केवल महिलाओं के सशक्तिकरण में योगदान करते हैं, बल्कि लिंग भूमिकाओं के प्रति सामाजिक धारणाओं और दृष्टिकोण को बदलने के लिए भी काम करते हैं। ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करके और समान पहुंच को बढ़ावा देकर, अनुच्छेद 15 (3) और 16 लिंग संवेदीकरण के उद्देश्य को आगे बढ़ाते हैं, एक अधिक न्यायसंगत और समावेशी समाज के लिए आधार तैयार करते हैं जहां महिलाएं सार्वजनिक जीवन के सभी पहलुओं में पूरी तरह से और समान रूप से भाग ले सकती हैं।[xxxiv]

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करता है, लैंगिक संवेदनशीलता का समर्थन करने और एक ऐसे समाज को बढ़ावा देने में एक आधारशिला के रूप में कार्य करता है जो सभी व्यक्तियों की गरिमा और स्वायत्तता को बनाए रखता है, चाहे उनका लिंग कुछ भी हो। अनुच्छेद 21 का व्यापक दायरा केवल भौतिक अस्तित्व से परे है, जिसमें गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार शामिल है। लिंग संवेदीकरण के संदर्भ में, यह प्रावधान महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने और लिंग आधारित अन्यायों को दूर करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में काम करता है। अनुच्छेद 21, गरिमा के साथ जीवन के अधिकार की गारंटी देकर, स्वाभाविक रूप से व्यक्तियों को लिंग-आधारित हिंसा के विभिन्न रूपों से बचाता है, यह सुनिश्चित करता है कि महिलाएं शारीरिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक नुकसान से मुक्त रह सकती हैं। इस लेख

द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा में अपने शरीर और व्यक्तिगत जीवन के बारे में चुनाव करने का अधिकार शामिल है, जो महिलाओं की स्वायत्तता के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव में योगदान देता है। इसके अलावा, अनुच्छेद 21 सभी व्यक्तियों के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण पर जोर देकर समानता के सिद्धांत को मजबूत करता है। लिंग संवेदीकरण के संदर्भ में, इसका तात्पर्य उन पारंपरिक मानदंडों और प्रथाओं को चुनौती देना है जो महिलाओं की स्वतंत्रता और विकल्पों को प्रतिबंधित करते हैं। अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार महिलाओं को अनुचित हस्तक्षेप के बिना अपने जीवन, संबंधों और करियर के बारे में निर्णय लेने का अधिकार देता है, जिससे पितृसत्तात्मक संरचनाओं को चुनौती मिलती है। इसके अलावा, अनुच्छेद 21 प्रजनन अधिकारों और विकल्पों जैसे मुद्दों को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता देकर, लेख महिलाओं को उनके प्रजनन स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और समग्र कल्याण के बारे में निर्णय लेने में सहायता करता है, एक अधिक लिंग-संवेदनशील और सशक्त समाज में योगदान देता है। संक्षेप में, अनुच्छेद 21 महिलाओं के मौलिक अधिकारों की रक्षा करके, स्वायत्तता को बढ़ावा देकर और भेदभावपूर्ण प्रथाओं को चुनौती देकर लैंगिक संवेदनशीलता के लिए एक संवैधानिक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। यह न केवल महिलाओं को विभिन्न प्रकार की हिंसा से बचाता है, बल्कि उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को पहचानने और उनका सम्मान करने के महत्व को भी रेखांकित करता है, जो अंततः एक अधिक न्यायसंगत और प्रबुद्ध समाज में योगदान देता है।[xxxv]

राज्य नीति के निदेशक तत्त्व

भाग IV के तहत भारतीय संविधान में निहित राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत, सरकार को ऐसी नीतियां तैयार करने के लिए एक रोडमैप प्रदान करते हैं जो सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करती हैं। इन सिद्धांतों में, अनुच्छेद 39 (ए) (डी) और (ई) लैंगिक संवेदनशीलता को आगे बढ़ाने और महिलाओं और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने में विशेष महत्व रखते हैं।

अनुच्छेद 39 (ए) समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर जोर देता है, जो आर्थिक न्याय हासिल करने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। यह निर्देश लिंग-आधारित मजदूरी असमानताओं को चुनौती देने और समान मूल्य के काम के लिए पुरुषों और महिलाओं के समान पारिश्रमिक की वकालत करने में सहायक है। समान वेतन के सिद्धांत का स्पष्ट रूप से समर्थन करके, अनुच्छेद 39 (ए) न केवल आर्थिक सशक्तिकरण में योगदान देता है, बल्कि महिलाओं के श्रम के मूल्य के बारे में सामाजिक धारणाओं को बदलने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है।[xxxvi]

अनुच्छेद 39 (घ) राज्य को समान न्याय प्राप्त करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि कानूनी प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देता है। लिंग संवेदीकरण के संदर्भ में, यह सिद्धांत निष्पक्ष और निष्पक्ष कानूनी प्रक्रियाओं की वकालत करता है जो महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली विशिष्ट आवश्यकताओं और चुनौतियों पर विचार करते हैं। यह कानूनी सुधारों का आह्वान करता है जो घरेलू हिंसा, भेदभाव और अन्य लिंग-आधारित अपराधों जैसे मुद्दों को संबोधित करते हैं, एक कानूनी ढांचे को बढ़ावा देते हैं जो लैंगिक समानता के प्रति संवेदनशील है।[xxxvii]

अनुच्छेद 39 (ई) महिलाओं और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य की जिम्मेदारी को रेखांकित करता है। यह निर्देश इन समूहों की भेद्यता को पहचानता है और ऐसी नीतियों का आह्वान करता है जो उनके

अधिकारों का उत्थान और रक्षा करें। महिलाओं और बच्चों के कल्याण को प्राथमिकता देकर, अनुच्छेद 39 (ई) एक अधिक दयालु और लिंग-संवेदनशील समाज में योगदान देता है, जो मातृ स्वास्थ्य, लड़कियों के लिए शिक्षा और बाल संरक्षण जैसे मुद्दों को संबोधित करने वाली पहलों को बढ़ावा देता है।[xxxviii]

संक्षेप में, निदेशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 39 (ए) (डी) और (ई) सामूहिक रूप से समान आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देकर, कानूनी प्रणाली के भीतर न्याय की वकालत करके और महिलाओं और बच्चों के कल्याण को प्राथमिकता देकर लैंगिक संवेदनशीलता के लिए एक संवैधानिक ढांचा बनाते हैं। ये सिद्धांत न केवल नीति निर्माण का मार्गदर्शन करते हैं, बल्कि भारत में अधिक न्यायपूर्ण, समावेशी और लिंग-संवेदनशील समाज बनाने के लिए संवैधानिक प्रतिबद्धता को भी दर्शाते हैं।

भारत में लैंगिक संवेदीकरण पर संवैधानिक प्रावधानों का प्रभाव गहरा है, जिसका प्रभाव कानूनी, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में फैला हुआ है। लैंगिक समानता के लिए संवैधानिक प्रतिबद्धता ने महत्वपूर्ण कानूनी सुधारों और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तनकारी बदलाव का मार्ग प्रशस्त किया है, जो एक अधिक न्यायसंगत और समावेशी राष्ट्र में योगदान देता है।

कानूनी सुधारः लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाले महत्वपूर्ण निर्णयः संवैधानिक प्रावधानों ने ऐतिहासिक निर्णयों के लिए एक ठोस आधार प्रदान किया है जिन्होंने लैंगिक समानता के पक्ष में कानूनी परिदृश्य को नया रूप दिया है। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, जिसने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को संबोधित किया, और नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ, जिसने सहमति से समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया, जैसे मामले लैंगिक न्याय को आगे बढ़ाने वाले तरीकों से संविधान की व्याख्या करने के लिए न्यायपालिका की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। ये निर्णय न केवल विधायी अंतराल को भरते हैं, बल्कि भविष्य के मामलों के लिए मिसाल भी स्थापित करते हैं, जो एक अधिक समावेशी समाज के लिए संवैधानिक जनादेश को मजबूत करते हैं।[xxxix]

महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने वाले कानूनों का कार्यान्वयनः संवैधानिक प्रावधानों ने विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ हिंसा को लक्षित करने वाले कानूनों के अधिनियमन और कार्यान्वयन को बढ़ावा दिया है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता में संशोधन लिंग आधारित हिंसा को व्यापक रूप से संबोधित करने के लिए एक विधायी प्रतिक्रिया को दर्शाते हैं। संवैधानिक सिद्धांतों में निहित इन कानूनी सुधारों ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने, दंडित करने और निवारण के लिए ढांचे को मजबूत किया है, जो महिलाओं के लिए अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने की प्रतिबद्धता का संकेत देता है।[xl]

सामाजिक और सांस्कृतिक बदलावः लैंगिक भूमिकाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण का विकासः संवैधानिक प्रावधानों ने लैंगिक भूमिकाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संविधान में समान अधिकारों और अवसरों की स्वीकृति पारंपरिक मानदंडों को चुनौती देती है और अधिक समावेशी मानसिकता को बढ़ावा देती है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान जैसी पहल, जिसका उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है, लैंगिक रूढ़ियों को पहचानने और समाप्त करने की दिशा में एक सामाजिक बदलाव का उदाहरण है। नतीजतन, पारंपरिक सीमाओं से परे महिलाओं की भूमिकाओं के बारे में एक

विकसित धारणा है, जो एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देती है जहां व्यक्ति लिंग की परवाह किए बिना विविध मार्गों को अपना सकते हैं।

महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ानाः

महिलाओं के लिए विशिष्ट अधिकारों सहित मौलिक अधिकारों की गारंटी देने वाले संवैधानिक प्रावधानों ने देश भर में महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में योगदान दिया है। शैक्षिक अभियानों, जमीनी स्तर की सक्रियता और कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी के प्रसार ने महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में खुद को मजबूत करने के लिए सशक्त किया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम और महिलाओं के लिए कौशल विकास को बढ़ावा देने वाली पहल जागरूकता बढ़ाने और महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक जीवन में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाने के प्रयासों का उदाहरण हैं। "समानता की संवैधानिक गारंटी महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में ज्ञान के साथ सशक्त बनाने के लिए एक उत्प्रेरक बन गई है, एक ऐसी पीढ़ी को बढ़ावा दे रही है जो लैंगिक समानता के प्रति तेजी से जागरूक और आगे बढ़ने में लगी हुई है।"[xli]

अंत में, भारत में लैंगिक संवेदीकरण पर संवैधानिक प्रावधानों का प्रभाव कानूनी ढांचे से कहीं अधिक है। इसने सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों को शामिल करते हुए एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है। जबकि कानूनी सुधारों ने लैंगिक न्याय के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान किया है, सामाजिक परिवर्तन लैंगिक भूमिकाओं और अधिकारों के प्रति दृष्टिकोण और चेतना में व्यापक विकास को दर्शाते हैं। समानता और न्याय के लिए संवैधानिक प्रतिबद्धता एक अधिक समावेशी और लिंग-संवेदनशील भारत के लिए एक प्रेरक शक्ति बनी हुई है।

जबकि भारत में संवैधानिक प्रावधान लैंगिक संवेदनशीलता और समानता के लिए एक मजबूत नींव प्रदान करते हैं, इन आदर्शों के कार्यान्वयन में पर्याप्त चुनौतियां और अंतराल मौजूद हैं। चिंता के दो प्राथमिक क्षेत्र मौजूदा कानूनों का अपर्याप्त प्रवर्तन और सांस्कृतिक बाधाओं की दृढ़ता हैं जो गहराई से निहित लिंग रूढ़िवादिता और पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को बदलने के प्रतिरोध में निहित हैं।

कार्यान्वयन की चुनौतियांः मौजूदा कानूनों का अपर्याप्त प्रवर्तनः

प्रगतिशील कानूनी सुधारों के बावजूद, लिंग-आधारित मुद्दों को संबोधित करने वाले कानूनों का प्रवर्तन एक महत्वपूर्ण चुनौती बना हुआ है। घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न या लिंग-आधारित भेदभाव के मामलों में, कानूनी ढांचे और इसके व्यावहारिक अनुप्रयोग के बीच अक्सर अंतर होता है। इसके लिए मौजूदा कानूनों के बारे में जागरूकता की कमी, कानून प्रवर्तन कर्मियों के अपर्याप्त प्रशिक्षण और कभी-कभी, रिपोर्ट करने या कानूनी कार्रवाई करने के लिए सामाजिक अनिच्छा जैसे कारकों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

संवैधानिक आदर्शों को व्यावहारिक वास्तविकताओं में बदलने में चुनौतियांः

संवैधानिक आदर्शों को व्यक्तियों के जीवन में मूर्त सुधार में बदलने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जबकि संविधान समान अधिकारों की गारंटी देता है, जमीनी हकीकत असमानताओं से चिह्नित है। आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक विषमताएँ बनी हुई हैं, जो संवैधानिक वादों की व्यावहारिक प्राप्ति में बाधा डालती हैं। कार्यान्वयन की चुनौतियों में अपर्याप्त संसाधन आवंटन, नौकरशाही अक्षमताएं और लैंगिक मुद्दों की बहुआयामी प्रकृति को संबोधित करने के लिए समग्र रणनीतियों की कमी शामिल है।

सांस्कृतिक बाधाएंः

गहराई से निहित लिंग रूढ़िवादिता की दृढ़ताः

भारतीय समाज में गहराई से निहित सांस्कृतिक मानदंड और रूढ़िवादी धारणाएं लैंगिक संवेदनशीलता के लिए दुर्जेय चुनौतियां पेश करती हैं। पुरुषों और महिलाओं की भूमिकाओं और क्षमताओं के बारे में पारंपरिक मान्यताएं भेदभावपूर्ण प्रथाओं को कायम रखती हैं। सामाजिक मानदंडों द्वारा निर्धारित मर्दानगी और स्त्रीत्व की धारणा अक्सर व्यक्तियों को पूर्व निर्धारित भूमिकाओं से मुक्त होने से रोकती है। इन गहराई से अंतर्निहित रूढ़ियों पर काबू पाने के लिए सामाजिक अपेक्षाओं को चुनौती देने और फिर से परिभाषित करने के लिए व्यापक शैक्षिक पहल, मीडिया अभियान और सामुदायिक भागीदारी की आवश्यकता होती है।

पारंपरिक लिंग भूमिकाओं में परिवर्तन का प्रतिरोधः पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को बदलने का प्रतिरोध लिंग संवेदीकरण प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण बाधा है। कई भारतीय समुदायों की पितृसत्तात्मक संरचना सत्ता की गतिशीलता में बदलाव और पारंपरिक मानदंडों की चुनौतियों का विरोध करती है। यह प्रतिरोध विभिन्न रूपों में प्रकट होता है, जिसमें कुछ व्यवसायों में महिलाओं के प्रवेश का विरोध, महिलाओं की नेतृत्व क्षमताओं के बारे में संदेह और पारंपरिक पारिवारिक संरचनाओं के अनुरूप सामाजिक दबाव शामिल हैं। इन बाधाओं को दूर करने के लिए न केवल कानूनी सुधारों की आवश्यकता है, बल्कि शिक्षा, जागरूकता कार्यक्रमों और समावेशी संवादों के माध्यम से मानसिकता को बदलने के लिए ठोस प्रयासों की भी आवश्यकता है।

चुनौतियों से पार पानाः

कार्यान्वयन को मजबूत बनानाः

कार्यान्वयन में चुनौतियों का समाधान करने के लिए, जनता को उनके अधिकारों के बारे में सूचित करने के लिए मजबूत प्रवर्तन तंत्र, कानून प्रवर्तन कर्मियों के लिए नियमित प्रशिक्षण और जागरूकता अभियानों को बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, लिंग आधारित अपराधों से निपटने के लिए विशेष इकाइयों का निर्माण और समय पर और निष्पक्ष कानूनी प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करना संवैधानिक आदर्शों और व्यावहारिक वास्तविकताओं के बीच की खाई को पाटने के लिए आवश्यक कदम हैं।

सांस्कृतिक संवेदनशीलता कार्यक्रमः

सांस्कृतिक बाधाओं को तोड़ने के प्रयासों के लिए लक्षित सांस्कृतिक संवेदीकरण कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। इन कार्यक्रमों को शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, स्कूलों से शुरू करके, रूढ़ियों को चुनौती देने और लिंग-संवेदनशील दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए। लोकप्रिय संस्कृति और विज्ञापनों सहित मीडिया, सामाजिक धारणाओं को फिर से आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सांस्कृतिक बदलाव लाने और विविध लिंग भूमिकाओं की स्वीकृति को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक नेताओं और प्रभावशाली लोगों के साथ जुड़ना भी महत्वपूर्ण है।

अंत में, भारत में लैंगिक संवेदीकरण की चुनौतियों और कमियों को दूर करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सांस्कृतिक संवेदीकरण कार्यक्रमों के साथ मौजूदा कानूनों और पहलों के कार्यान्वयन को मजबूत करना, गहराई से निहित बाधाओं को दूर करने और एक ऐसे समाज को बढ़ावा देने में योगदान कर सकता है जो लिंग की परवाह किए बिना सभी के लिए समानता और न्याय के संवैधानिक आदर्शों को सही मायने में दर्शाता है।

सिफारिशें

लिंग संबंधी कानूनों को लागू करने के लिए कानूनी प्रवर्तन और बेहतर तंत्र को मजबूत करनाः
यह सुनिश्चित करने के लिए कि लिंग संबंधी कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है, कानूनी प्रवर्तन तंत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है। इसमें लिंग आधारित हिंसा, उत्पीड़न और भेदभाव के मामलों को संभालने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के भीतर विशेष इकाइयाँ बनाना शामिल है। इन इकाइयों को संवेदनशील मुद्दों को संभालने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, जिससे पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण सुनिश्चित हो सके। इसके अतिरिक्त, लिंग संबंधी अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए समर्पित हेल्पलाइन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्थापित करने से रिपोर्टिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सकता है, जिससे यह उन व्यक्तियों के लिए अधिक सुलभ हो सकता है जो पारंपरिक चैनलों के माध्यम से सहायता लेने में संकोच कर सकते हैं।
उल्लंघन के लिए सख्त दंडः संभावित अपराधियों को रोकने के लिए, लिंग संबंधी कानूनों के उल्लंघन के लिए कड़े दंड की आवश्यकता है। इसमें घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और भेदभाव जैसे अपराधों के लिए दंड को फिर से देखना और संभावित रूप से बढ़ाना शामिल है। समय पर न्याय सुनिश्चित करने के लिए कानूनी प्रणाली को त्वरित और निष्पक्ष सुनवाई को प्राथमिकता देनी चाहिए। सफल अभियोजन और अपराधियों पर लगाए गए दंड का प्रचार एक निवारक के रूप में काम कर सकता है और एक स्पष्ट संदेश भेज सकता है कि लिंग-आधारित अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

शिक्षा और जागरूकताः

शैक्षिक पाठ्यक्रम में लैंगिक संवेदनशीलता का एकीकरणः

दीर्घकालिक सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए, सभी स्तरों पर शैक्षिक पाठ्यक्रम में लैंगिक संवेदनशीलता को एकीकृत करना अनिवार्य है। इसमें ऐसे मॉड्यूल को शामिल करना शामिल है जो रूढ़ियों को चुनौती देते हैं, लैंगिक समानता को बढ़ावा देते हैं और महिलाओं के ऐतिहासिक योगदान को उजागर करते हैं। व्यापक यौन शिक्षा कार्यक्रमों को सहमति, स्वस्थ संबंधों और विविध लिंग पहचानों का सम्मान करने के महत्व जैसे मुद्दों को संबोधित करना चाहिए। कम उम्र से ही इन मूल्यों को स्थापित करके, आने वाली पीढ़ियां लैंगिक गतिशीलता की अधिक समावेशी और सहानुभूतिपूर्ण समझ विकसित कर सकती हैं।[xlii]
जन जागरूकता अभियान लैंगिक समानता को बढ़ावा देनाः जन जागरूकता अभियान सामाजिक दृष्टिकोण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन अभियानों को मिथकों को दूर करने, रूढ़ियों को चुनौती देने और लिंग पहचान की विविध अभिव्यक्तियों का जश्न मनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। टेलीविजन, रेडियो, सोशल मीडिया और सामुदायिक कार्यक्रमों सहित विभिन्न माध्यमों का उपयोग करते हुए, ये अभियान व्यापक दर्शकों तक पहुंच सकते हैं। प्रभावशाली लोगों, मशहूर हस्तियों और सामुदायिक नेताओं के साथ सहयोग इन संदेशों के प्रभाव को बढ़ा सकता है। अभियानों को लैंगिक समानता के सकारात्मक पहलुओं पर जोर देना चाहिए, पारंपरिक मानदंडों को तोड़ने और समाज में योगदान देने वाले व्यक्तियों की सफल कहानियों को प्रदर्शित करना चाहिए।[xliii]

गैर-भेदभावपूर्ण ढांचे के अनुरूप अनुशंसाएँ:

भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता एक गैर-भेदभावपूर्ण और समावेशी ढांचे के भीतर सिफारिशें तैयार करने का अवसर प्रदान करती है। इस बात पर जोर देते हुए कि इसका उद्देश्य किसी भी समूह के साथ भेदभाव करना नहीं है,

बल्कि सभी के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करना है, इन सिफारिशों को इस तरह से संप्रेषित किया जाना चाहिए जो विविध समुदायों के साथ प्रतिध्वनित हो।[xliv]

इसके अलावा, शैक्षिक सामग्री और जागरूकता अभियानों में सांस्कृतिक बारीकियों को शामिल करने से यह सुनिश्चित होता है कि संदेश संबंधित और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील हो। विभिन्न समुदायों में प्रभाव रखने वाले सामुदायिक नेताओं, धार्मिक संस्थानों और प्रभावशाली लोगों के साथ सहयोग करना आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सिफारिशों को भारतीय समाज के ताने-बाने में अपनाया और एकीकृत किया जाए। शिक्षा और जागरूकता पहलों के साथ कानूनी सुधारों को जोड़कर, भारत एक ऐसे समाज के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति कर सकता है जो लैंगिक समानता को महत्व देता है और बनाए रखता है, एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देता है जहां प्रत्येक व्यक्ति सशक्त, सम्मानित और भेदभाव से मुक्त हो।

निष्कर्ष

भारत में, संवैधानिक प्रावधानों ने लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देने, कानूनी सुधारों को बढ़ावा देने और सामाजिक परिवर्तनों की शुरुआत करने के लिए एक मजबूत नींव रखी है। महत्वपूर्ण निर्णयों और कानूनी अधिनियमों ने लैंगिक समानता के प्रति प्रतिबद्धता, भेदभावपूर्ण प्रथाओं को चुनौती देने का प्रदर्शन किया है। महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ने और पारंपरिक लिंग भूमिकाओं से धीरे-धीरे दूर जाने के साथ सामाजिक दृष्टिकोण में सकारात्मक विकास हुआ है। हालांकि, व्यापक लिंग संवेदीकरण की दिशा में यात्रा जारी है। मौजूदा कानूनों के कार्यान्वयन में चुनौतियां बनी हुई हैं, जो उल्लंघन के लिए बेहतर प्रवर्तन तंत्र और सख्त दंड की आवश्यकता को दर्शाती हैं। सांस्कृतिक बाधाएं, जो पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को बदलने के लिए गहरी रूढ़िवादी और प्रतिरोध द्वारा चिह्नित हैं, लक्षित शिक्षा और जागरूकता अभियानों का आह्वान करती हैं। की गई सकारात्मक प्रगति पर जोर देते हुए, सामाजिक अपेक्षाओं को विकसित करने के लिए संवैधानिक सुधारों की वर्तमान आवश्यकता को पहचानना महत्वपूर्ण है। एक सामंजस्यपूर्ण और समावेशी समाज के लिए संवैधानिक आदर्शों और व्यावहारिक वास्तविकताओं के बीच की खाई को पाटने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होती है। सहयोगी प्रयासों के माध्यम से, कानूनी सुधारों, शिक्षा और जागरूकता पहलों को शामिल करते हुए, भारत एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर सकता है जहां लैंगिक संवेदनशीलता केवल एक संवैधानिक जनादेश नहीं है, बल्कि एक जीवित वास्तविकता है, जो सभी के लिए समानता, गरिमा और सशक्तिकरण सुनिश्चित करती है।

संदर्भ सूची

[i] गांधी. मो.क. (2019). *मेरे सपनों का भारत.* नई दिल्ली: राजपाल एंड संस. पृष्ठ -139

[ii] उपर्युक्त, गांधी. मो.क. (2019). पृष्ठ -139

[iii] यंग इंडिया, 04-02-1926, सम्पूर्ण गांधी वांड्मय, भाग-29 , पृष्ठ 429-30

[iv] प्रसाद, धनेश्वर .(2018). शराबबंदी एक फौलादी फैसला. दिल्ली: प्रभात प्रकाशन, पृष्ठ 62

[v] चंद्रसेन. (1940). हिंदुस्तान लूट गया: कब और कैसे. दिल्ली : प्रकाशक मंडल, पृष्ठ 86

[vi] चंद्रसेन. (1990). मद्यनिषेध: नशे का व्यसन. दिल्ली: शारदा प्रकाशन, पृष्ठ 9

[vii] उपर्युक्त, चंद्रसेन. (1990). पृष्ठ 9

[viii] उपर्युक्त , चंद्रसेन. (1990).पृष्ठ 10

[ix]https://www.who.int/data/gho/indicator-metadata-registry/imr-details/466

[x]https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274603/9789241565639-eng.pdf?ua=1

[xi] डोनाल्ड, ए. मायकेला, एस. लिशा, ए. फुलविया, पी & अल्बर्ट, बी. (2007). पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस मेडिसिन. वॉल्यूम. 4, पृष्ठ 36

[xii]https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274603/9789241565639-eng.pdf?ua=1

[xiii] एरिक जे. & रोबर्ट सी. (1998). जेनेटिक्स ऑफ अल्कोहलिज्म. एनुअल रिव्यू ऑफ जेनेटिक्स. वॉल्यूम.23, पृष्ठ, 19-36

[xiv] उपर्युक्त, प्रसाद, धनेश्वर. (2018). पृष्ठ -32

[xv] श्रीवास, डी. (2008). युवाओं में मादक द्रव्य सेवन की प्रकृति एवं प्रभाव का अध्ययन. बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, पृष्ठ 78

[xvi] मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार सरकार. https://state.bihar.gov.in/excise/CitizenHome.html, Accesed on 07-04-2023

[xvii] https://state.bihar.gov.in/cache/12/Old-Budgets/Bud2017-18/Budget-Speech.pdf, Accesed on 09-03-2023

[xviii] मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार सरकार. https://state.bihar.gov.in/excise/CitizenHome.html, Accesed on 07-04-2023

[xix] मुखर्जी, एम. (2018)। भारत में लैंगिक न्याय: एक संवैधानिक परिप्रेक्ष्य। जर्नल ऑफ़ इंडियन लॉ एंड सोसाइटी, 9(1), प्रष्ठ 21-37.

xxकार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013। 2013 की संख्या 14, http://legislative.gov.in/sites/default/files/A2013-14.pdf से लिया गया।
xxi सरकार, टी. (2020)। भारत में नारीवाद और संवैधानिक कानून। इंडियन जर्नल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, 4(1), प्रष्ठ 143-160।
xxii भारत का संविधान. (1950)। http://lawmin.nic.in/coi/coiason29july08.pdf से लिया गया
xxiii लक्ष्मीकान्त एम० (2016), "इडियन पोलिटी " चतुर्थ संस्करण, मैकग्रा हिल एजुकेशन, प्रष्ठ 7.5
xxiv तथैव, प्रष्ठ 7.6
xxv तथैव, प्रष्ठ 7.7
xxvi तथैव, प्रष्ठ 7.7
xxvii तथैव, प्रष्ठ 8.2
xxviii ईव सी. लैंडौ, यवेस बेगबेडर, 2008 "आईएलओ से यूरोपीय संघ के कानून के मानक", ब्रिल
xxix eprints.uni-mysore.ac.in लिया गया 12-01-2024
xxx लक्ष्मीकान्त एम० (2016), "इडियन पोलिटी " चतुर्थ संस्करण, मैकग्रा हिल एजुकेशन, प्रष्ठ 7.5
xxxi www.lawyerservices.in लिया गया 12-01-2024
xxxii लक्ष्मीकान्त एम० (2016), "इडियन पोलिटी " चतुर्थ संस्करण, मैकग्रा हिल एजुकेशन, प्रष्ठ 7.6
xxxiii तथैव, प्रष्ठ 7.6
xxxiv तथैव, प्रष्ठ 7.7
xxxv तथैव, प्रष्ठ 7.12
xxxvi तथैव, प्रष्ठ 8.2
xxxvii तथैव, प्रष्ठ 8.2
xxxviii तथैव, प्रष्ठ 8.2
xxxix शर्मा, उ. (2017)। संवैधानिक अधिकार और लैंगिक न्याय: एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लीगल रिसर्च एंड गवर्नेंस, 4(3), प्रष्ठ 60-71।
xl तथैव, प्रष्ठ 62
xli गौतम, आर. (2019)। भारत में लिंग संवेदीकरण और कानून। सामाजिक विज्ञान स्पेक्ट्रम, 5(1), 24-29.
xlii भट्टाचार्जी, पी. (2015)। भारतीय शिक्षा प्रणाली में लिंग संवेदीकरण: चुनौतियाँ और संभावनाएँ। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इनोवेटिव रिसर्च इन साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, 4(5), प्रष्ठ 39.05-39.11।
xliii तथैव, प्रष्ठ 39.10
xliv सेन, ए. (2001). दा आर्गुमेंटेटीव इंडियन: राइटिंग ओन इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आइडेंटिटी, फर्रार, स्ट्रॉस और गिरौक्स। पृष्ठ 26